(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 21वाँ दिवस [संख्या 11

वृहस्पतिवार,

12 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री हीरालाल आर्य ।

वन विभाग में तकनीकी कर्मचारियों के सेवा नियम बनाना

205. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग में तकनीकी कर्मचारियों के सेवा नियम बने हुए नहीं होने के कारण गत कई वर्षों से पदोन्नतियां नहीं हो पाई हैं? यदि हां, तो नियम नहीं बनने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार कर्मचारियों के हित को मद्दे नजर रखते हुए उक्त कर्मचारियों के सेवा नियम शीघ्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

वन मंत्री (श्री दुलाराम) : (1) यह सही नहीं है कि वन विभाग के तकनीकी कर्मचारियों के सेवा नियम नहीं बने हुए हैं। वन विभाग के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों जैसे क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, वनपाल आदि राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के तहत प्रशासित होते हैं। वन विभाग में नियुक्त अभियान्त्रिकी अधीनस्थ (इंजिनियरिंग सबोर्डिनेट्स) तथा वन बन्दोबस्त कर्मचारियों के सेवा नियम बने हुए नहीं हैं। नियमों के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। अभियान्त्रिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य तकनीकी कर्मचारियों की नियमित पदोन्नतियां रिक्त पदों के अनुसार समय-समय पर की गई हैं।

(2) अभियान्त्रिकी कर्मचारियों के सेवा नियमों के प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं एवम् इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जावेगा।

Page No. 2

②

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने फर्माया कि वन विभाग के जो तकनीकी कर्मचारी हैं उनके सेवा नियम बने हुए हैं। लेकिन यह गलत है। सेवा नियम बने हुए नहीं होने की वजह से अधिदर्शक और कनिष्ठ अभियन्ता आदि के प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, क्या यह सही है ?

श्री दुलाराम : वह तो जवाब में आ गया है, उनके प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। यथाशीघ्र सरकार विचार कर के निर्णय लेगी।

श्री हीरालाल आर्य : कब तक विचार करेगी ?

श्री दुलाराम : यथाशीघ्र से यथाशीघ्र।

श्री हीरालाल आर्य : विभाग ने सारी कार्यवाही पूरी करके सरकार के अनुमोदन के लिये भेजे हुए हैं उनकी स्वीकृति देने में क्या दिक्कत है ? ऐसे सैंकड़ों कर्मचारी हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कब तक नियम बना देंगे ?

श्री दुलाराम : पहले का तो मैं निवेदन नहीं कर सकता। अब यथाशीघ्र हो कर दिये जायेंगे।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : विभाग ने सेवा नियम बनाकर कब भेजे ? मेरा स्पष्ट प्रश्न है।

श्री दुलाराम : आपने सुना नहीं, नं. (2) पर मैंने निवेदन किया है "अभियान्त्रिकी कर्मचारियों के सेवा नियमों प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कब से विचाराधीन हैं ?

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : आपके टाइम में 2½ साल तक नहीं हुआ....

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी जवाब दे सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। यह मेरे देखने का काम है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय सदस्य को मंत्री बनना था इसलिये बार-बार खड़े हो रहे हैं। मेरा स्पष्ट प्रश्न है, विभाग ने सेवा नियम बनाकर कब भेजे ? क्या यह सही है कि जनता शासन के अन्दर यह सेवा नियम भेजे गये थे, वह आज तक लागू नहीं किये ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा भी यही प्रश्न है यह सेवा नियम कब से विचाराधीन हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दुलाराम : जनता शासन के समय कोई नियम नहीं बने। नियम विचाराधीन हैं। अब भी वे विचाराधीन हैं। समय-समय पर विचार जरूर होता है। काफी विचार हो रहा है, यथाशीघ्र नियम बना दिये जायेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

Page No. 3

(3)

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण कीजिये। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न।

किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दी जायेगी। आर्डर आर्डर।

श्री दाऊ दयाल जोशी :...कहीं यह असंतोष आपके विचार में फूट न पड़े। जल्दी से जल्दी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान डाल रहे हैं। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ....

एक माननीय सदस्य : यह विचाराधीन कब तक रहेगा ? यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जितने रेलेवेंट पूरक प्रश्न हो सकते थे उसकी इजाजत दे दी। आगे इजाजत नहीं दूंगा। कृपया नियमों का ध्यान रखिये।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप निवेदन तो सुनेंगे, अध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमें संरक्षण तो प्रदान करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बार सुन लीजिये....।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : आज मामला कल वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। जवाब दे दिया गया है। अगला प्रश्न।

श्री दाऊ दयाल जोशी : जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के लिये मुझे अगला कदम उठाना पड़ेगा....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। वरना मुझे नाम से सम्बोधित करना पड़ेगा।

(श्री अध्यक्ष)

श्री लच्छूराम ।

अस्पतालों में डाक्टर्स का पदस्थापन

206. श्री लच्छूराम (मण्डावा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झुंझुनू के अस्पतालों में कितने डाक्टर्स व कितने लेडी डाक्टर्स के पद हैं ?

(2) जिले में कितने ऐसे अस्पताल हैं जहां पर डाक्टर्स का पद होते हुए भी स्थान रिक्त हैं ?

(3) क्या ऐसे भी अस्पताल हैं जहां 6 महीने से डाक्टर्स नहीं हैं ?

(4) यदि हां, तो कब तक डाक्टर्स के रिक्त पद भर दिये जावेंगे ?

चिकित्सा मंत्री(श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जिला झुंझुनू के विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत डाक्टरों के पदों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

पुरुष डाक्टर	62
महिला डाक्टर	23
कुल	85

(2) जिले में 18 चिकित्सा संस्थाओं में 22 डाक्टर के पद रिक्त हैं।

(3) जी हां।

(4) डाक्टर के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही रिक्त पद भर दिये जायेंगे।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि अलसीसर मातृ शिशु कल्याण में चार साल में केवल 10 महीने डाक्टर रहा है ? चार साल पहले माननीय चन्दन मल जी ने उद्घाटन किया था, उस अस्पताल के अन्दर चार साल में केवल दस महीने डाक्टर रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, किस अस्पताल में कितने अर्से तक डाक्टर रहा, यह मेरे पास सूचना नहीं है। आपने जनरल पूछा था, कितने पद रिक्त रहे। वह मैंने आपको बता दिया, कितने पद रिक्त हैं। आप पर्टीकुलर अस्पताल के लिये पूछ रहे हैं, वह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, अलसीसर में एक दानी मानी व्यक्ति ने 1।। लाख रुपये की लागत से अस्पताल बनवाया है। चार साल में केवल 10 महीने डाक्टर रहा है। निश्चित रूप से बतायें, चाहे डाक्टर हो चाहे डाक्टरनी, कोई भी आपके पास उपलब्ध हो, कब तक यहां पद स्थापित कर दिया जायेगा ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया, बहुत जल्दी ही इस पद को भर दिया जायगा। जल्दी ही भरने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

इसमें मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि आपने रिक्त पद भरने की बात कही है लेकिन रिक्त पद भरने के बाद कोई डाक्टर जाता नहीं है तो क्या आप कार्यवाही करते हैं ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : मेरे सामने ऐसा प्रश्न आयेगा तो जरूर करूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न करना चाहती हूं। बहुत से डाक्टर्स बेरोजगार हैं। डिस्पेन्सरी में और अस्पतालों में कई रिक्त पद पड़े हुए हैं तो क्या उन डिस्पेन्सरी को खोलने का उद्देश्य केवल मात्र एक प्रचार ही है या कोई युटिलिटी है ? यह गंभीर सोचनीय प्रश्न है, क्या इस पर माननीय मंत्री महोदय विचार करेंगे ?

श्री हीरा लाल देवपुरा : यह गंभीर प्रश्न है। मैंने सोचकर ही निवेदन किया है, बहुत जल्दी ही रिक्त पदों को भरने की चेष्टा की जायगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला तबका

207. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने व्यक्ति हैं ? प्रदेश की कुल जन संख्या में उसका प्रतिशत कितना है तथा सम्पूर्ण भारत के प्रतिशत से कितना प्रतिशत अधिक या कम है ?

(2) जून, 1980 के बाद गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की दशा सुधारने बाबत सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं तथा प्रति व्यक्ति कितनी राशि व्यय की जा रही है ?

आयोजना मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (1) योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे....

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया दुबारा पढ़ दीजिये।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : (1) योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के तैयार किये गये अस्थाई अनुमानों के अनुसार वर्ष 1977–78 में राजस्थान की 33.76 प्रतिशत जन संख्या व सम्पूर्ण भारत में 48.13 प्रतिशत जन संख्या गरीबी की रेखा से नीचे है।

श्री कैलाश मेघवाल : आप उलटा पढ़ गये।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मेरे पास जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूं। आप जवाब दीजिये, क्या दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझसे नाराज हो गये। उनको मालूम होगा, भारत का जो प्रतिशत है वह तो 33 प्रतिशत है, आप वह राजस्थान का बता रहे हैं। जो राजस्थान का प्रतिशत है वह है 48 प्रतिशत बिलो पावर्टी लाइन। आप आंकड़े उलटे पढ़ रहे हैं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सेम्पल सर्वे का फिगर है उसके अनुसार ही मैंने जवाब दिया है। श्रीमान्, मुगालते में हैं।

(2) जून, 1980 के बाद गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की दशा सुधारने के लिये राज्य के समस्त 236 विकास खण्डों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1980 से लागू किया गया। प्रति व्यक्ति कितनी राशि व्यय की जा रही है, यह साल की समाप्ति के बाद मालूम हो सकेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने गलत जवाब दिया....।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : श्रीमन्, मैं जवाब को तैयार करके लाया हूं। मैं आपको आगाह करता हूं कि मेरे जवाब में कोई फर्क नहीं आयेगा। यह सही है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह जो आपने प्लानिंग कमीशन और नेशनल सेम्पल सर्वे के आधार पर सूचना दी है, क्या इसके अलावा भी जो और एजेन्सियां हैं जैसे नेशनल स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन, ब्यूरो आफ स्टेटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया के हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद भी है इन्होंने भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के आंकड़े प्रसारित किये हैं। क्या उनके बारे में भी आपने विचार किया है? दूसरे, ये आंकड़े आपने किस मापदण्ड के आधार पर दिये हैं? यह आधार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने का मानदण्ड है अथवा आवश्यकताओं के आधार को मानदण्ड माना है? जैसा आपने कहा 77-78 के सेम्पल सर्वे के आधार पर आंकड़े दिये हैं तो मैं पूछना चाहता हूं उस समय रुपये की क्रय शक्ति क्या थी? सन् 1970 में रुपये की क्रय शक्ति 40 पैसे थी और बाद में 1977-78 में यह क्रय शक्ति रह गई 38-39 पैसे और इसके बाद दिसम्बर में रुपये की क्रय शक्ति रह गई 24 पैसे। तो मेरा निवेदन है ये पुराने आंकड़े आपने दिये हैं उसके आधार पर तो यह रेखा और भी नीचे जाती है। दिसम्बर में 24 पैसे रह गई है। अतः उसके आधार पर गरीबी और बढ़ी है। दूसरे, शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी में भी गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले व्यक्तियों का अलग-अलग अनुपात है....

श्री अध्यक्ष : इतना लम्बा भाषण नहीं होगा। एक-एक करके पूछिये।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय,

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

जनता पार्टी के जमाने में नेशनल सेम्पल सर्वे ने जो फिगर दिया है वह है और यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया के प्लान में है। फाइव ईयर प्लान में जो दिये हैं वे ही फिगर हैं और आथेन्टिक फिगर हैं। सही फिगर दिये हैं मैंने।

श्री कैलाश मेघवाल : एक-एक पूछता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब....

श्री अध्यक्ष : अब समय जा रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा पहला निवेदन करना यह है कि जो प्रश्न पूछने की प्रक्रिया है उसमें जो कुछ इनफार्मेशन चाहिये वह आनी चाहिये, इसलिये प्रश्न पूछने का अधिकार है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि मेरा सवाल इस प्रश्न से ही सम्बन्धित है और न्यायसंगत है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं ये जो आंकड़े दिये हैं इसके अलावा जो और एजेन्सीज हैं 3-4 उनके द्वारा उपलब्ध आंकड़े भी दिये हैं क्या ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : फाइव ईयर प्लान में जो भारत सरकार ने फिगर दिये हैं, उनके आधार पर बताया है....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह मानकर चलता हूं कि दूसरी जो एजेन्सीज हैं, उनके फिगर आपने देखे नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले मानदण्ड को इगनोर किया गया है। कृपया यह बतायें कि न्यूनतम आय या न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर आंकड़े दिये हैं क्या ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : जो नेशनल सेम्पल सर्वे है उसका आधार यह है कि सारे भारत में एक प्रतिशत शहरों में और एक प्रतिशत गांवों में सर्वे करते हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : किस बात का सर्वे करते है, मालूम है क्या आपको ?

श्री माणकमल मेहता (पाली) : इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, जानकारी दी जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : रूरल एरियाज में जिनकी इनकम 65) रु. पर हैड पर मन्थ है उनको गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है और शहरी एरिया में 75) रु. के आधार पर माने जाते हैं। उसके आधार पर ही सेम्पल सर्वे किया जाता है। मंत्री महोदय बतायें, कौनसा आधार माना गया है ?

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। यह बहुत बड़ा विषय है और लम्बी चौड़ी चर्चा हो चुकी है।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा दूसरा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय मंत्री महोदय ने अभी जैसा बताया, छठी पंच-वर्षीय योजना में 236 ब्लाक्स हैं। इसमें जो गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले व्यक्ति हैं या परिवार हैं उनके आइडेन्टि-फिकेशन का कोई क्राइटेरिया है? क्या उनको गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाने का कोई प्रयास किया गया है? ऐसा कोई आधार है क्या?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : जो विकास का कार्य हो रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, प्लानिंग डिपार्टमेंट में, यह उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हरीश शर्मा।

(व्यवधान)

ए. एस. आई. कम्पनी, कोटा द्वारा रायल्टी की चोरी

208 श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों से रामगंज मंडी (कोटा) की ए. एस. आई. कम्पनी के पत्थरों की चोरी का मामला पुलिस में दर्ज किया गया था? यदि हाँ, तो किस किस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और किसके द्वारा? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। इस पर पुलिस व खनिज विभाग ने क्या कार्यवाही की?

(2) इस चोरी काण्ड में ए. एस. आई. ने पर्याप्त रायल्टी की चोरी कर सरकार को कितने रुपये की क्षति पहुँचाई?

(3) क्या यह सही है कि ए. एस. आई. कम्पनी पर पहले से रायल्टी चोरी के मामले खनिज विभाग के पास विचाराधीन हैं? यदि हाँ, तो कब से कौन कौन से मामले विचाराधीन हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दिक्कत है, जैसा पार्ट एक में लिखा है, सूची सदन की मेज पर रखें यह हमारी बेइज्जती है, अध्यक्ष महोदय की बेइज्जती है, यह हमारी इन्सल्ट है। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर दीजिए।

राज्य मन्त्री खनिज (श्री नाना लाल) : (1) यह सही है कि ए. एस. आई. कम्पनी कोटा रामगंज मण्डी द्वारा उनकी कुम्भकोट एवं सोतल खेडी खान के पत्थर की चोरी के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 15-7-80 एवं 7-8-80 को थाना रामगंज मण्डी में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा जाँच की जाकर न्यायालय मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगंज मण्डी में क्रमशः दिनांक 6-11-80 एवं 15-12-80 को चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं। एफ. आई. आर. ए. एस. आई. कम्पनी द्वारा दर्ज कराई गयी थी। ये रिपोर्ट्स दिनांक 15-7-80 को सर्व श्री

(श्री नानालाल)

अमरलाल, रामगोपाल एवं गोपाल सिंह तथा दिनांक 7-8-80 को सर्वश्री मुन्नू खां, राम गोपाल, मोहम्मद आरिफ एवं सत्यनारायण के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी । इन मामलों में खनिज विभाग द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

(2) यह सही नहीं है कि इस पत्थर की चोरी के सम्बन्ध में ए. एस. आई. कम्पनी लिमिटेड, रामगंज मण्डी द्वारा किसी तरह की रायल्टी की चोरी की गयी हो ।

(3) जी नहीं । इस प्रकार के खनिज की चोरी के मामले में ए. एस. आई. क. के विरुद्ध इस विभाग में नहीं है ।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट, कोटा सेशन जज ने फैसला दिया कि वह रायल्टी की चोरी करते हैं। उस पैसे का क्या हो रहा है ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो खण्ड दूसरा है, उसमें निवेदन है कि क्या उस कम्पनी के खिलाफ रायल्टी चोरी के मुकदमे खनिज विभाग या किसी न्यायालय में विचाराधीन हैं ? यदि हैं तो कितने विचाराधीन हैं और कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ गया है, विचाराधीन नहीं है ।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लीजिए, मेरा त्याग-पत्र—

श्री अध्यक्ष : हम तो चाहते हैं कि आप सदन की सेवा करें, अभी और ।

श्री हरीश शर्मा : ये* क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप पचेरवाल साहब से कह दीजिए, वे पूछ लेंगे ।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपका निवेदन है कि सरकार ने जो उत्तर दिया गया है, वह गलत है । मालिक और कम्पनी के विरुद्ध से न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि इस कम्पनी के खिलाफ रायल्टी की वसूली के सम्बन्ध में या रायल्टी की चोरी के सम्बन्ध में कुछ मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं ?

श्री नाना लाल : रायल्टी का बकाया कोई नहीं है । हालांकि एक मुकदमा हाइ कोर्ट में इस प्रकार का चल रहा है कि उससे ज्यादा रायल्टी वसूल कर ली गयी और अब वह वापस भी हो गयी ।

श्री अध्यक्ष : इसमें सूची अंकित कर दी गयी है, वह उतनी ही मिली थी ।

श्री हरीश शर्मा : दो सूची मांगी गयी थीं, यह तो सरकार की तानाशाही हो रही है । इस पर आप पैनल्टी लगा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़

वन भूमि पर काश्तकारों द्वारा कब्जा करने के प्रकरण

209. **श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा):** क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

* माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अवलोकित किया गया ।

(श्री मेघराज तावड़)

(1) उदयपुर जिले की गोगुन्दा, कोटड़ा एवं झाडोल तहसील में जंगलात की जमीन पर कितने काश्तकारों का कब्जा है ? कृपया तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त भूमि पर ऐसे कब्जों के प्रकरण में से अब तक कितनों को वैध करार दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री दुलाराम) : (1) उदयपुर जिले की गोगुन्दा, झाडोल एवं कोटड़ा तहसीलों में कुल 825 प्रकरण वन भूमि पर अतिक्रमण के दर्ज हुए हैं। तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उदयपुर जिले की तहसील गोगुन्दा, कोटड़ा एवं झाड़ोल के अतिक्रमण के 46 प्रकरणों में वन भूमि पर किये गये कब्जों को नियमित किया गया है। जिन प्रकरणों में राज्यादेश सं. एफ 7 (103) राजस्व/71 दिनांक 22-2-77 एवं 8-1-79 के अनुसार कब्जे वर्ष 1971 के पूर्व के सिद्ध नहीं हुए हैं, उन्हें नियमित करने का कानूनी प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 मे वन भूमि के वनारोपण के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में पूर्वानुमति बिना रोक लगा दी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो यह सूची आपने दी है, इसमें केवल गोगुन्दा तहसील में 46 बताये और कोटड़ा में 44। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह सूची, जो दी है, 71 के बाद की है या पहले की है ? नम्बर दो, जो सूची दी गयी है उसमें आपने जिनका पुराना कब्जा है, मकान भी बने हुए हैं वह पूरा नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, सूची के अनुसार 825 मुकदमे हैं अतिक्रमण के, इनको रेगुलराइज करने की क्या मंशा सरकार रखती है ? ये तो बिल्कुल गलत और ** है। कोटड़ा में ही पुराने 500 नाजायज कब्जे हैं. उनको रेगुलेराइज करने की क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष जी, ये तो सही नहीं है न तो इतने अतिक्रमण हैं। मगर इसके लिए 8-1-79 के राज्यादेश के तहत एक कमेटी बनी हुई है और वह कमेटी मौके पर जाकर देखती है कि उस अतिक्रमणी का मौके पर कुआं, मकान है या और कोई कानूनी कब्जा कर रखा है। धारा 91 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की कार्यवाही हुई हो तो कमेटी देखती है कुआं बना हुआ है, जैसा दर्ज है। जब कि भूमि पर स्थायी सुधार का कार्य जैसे कुआं, भवन या पक्के खाले निर्माण आदिवासियों के द्वारा 71 से पूर्व के हों अथवा आदिवासियों ने 1971 के पूर्व ऐसी भूमि पर काश्त के सम्बन्ध में किसी बैंक अथवा सहकारी समिति से ऐसे निर्माण अथवा बीज व खाद के लिए ऋण लिया हो और इस भूमि पर 71 से पूर्व किसी वर्ष में उसके अतिक्रमण के बारे में अभिलेखकीय प्रमाण हो और चाहे निरन्तर 71 से पूर्व के अतिक्रमण के प्रमाण न भी हों—उसमें अंकित है। अगर इस प्रकार के होंगे और आपकी जानकारी में हैं और उनको अंकित

**माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अवलोकित किया गया।

(श्री दुलाराम)

नहीं किया गया है तो साबित कर दीजिए, मैं उसको करवा दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि वह नहीं हैं। अब यह केवल लिखित में उत्तर आया है, जो 57 का मिलिट्री का रिटायर आदमी है, वह डूंगरपुर का नहीं है लेकिन जो विवाद का माह बता रहे हैं, वह माननीय मन्त्री के पास मौजूद है कि कहीं कब्जा नहीं था इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासियों के सबसे ज्यादा पुराने कब्जे हैं लेकिन वहां पर मौके पर कोई गया नहीं, न कब्जे दर्ज हुए हैं। इसलिए निवेदन है कि ऐसे कब्जों में कोई कमेटी बनाकर, हम जन-प्रतिनिधियों को साथ लेकर उसे रेगुलेराइज करने की कार्यवाही करना चाहेंगे।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष जी, क्या आप जिला प्रमुख को जन प्रतिनिधि नहीं मानते ? क्या जिला स्तर पर जो जिला प्रमुख हैं वह जन प्रतिनिधि नहीं हैं........

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : इसको कौन कहता है कि जिला प्रमुख जन प्रतिनिधि नहीं हैं लेकिन जहां पर........

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस प्रकार की जानकारी मिली है, मेरा कोई इल्जाम नहीं है लेकिन जिला अधिकारियों ने जो सूचना दी है वह इस तरह की है कि लोगों को बहका कर, जिसमें माननीय विधायक भी शामिल हैं, इस तरह से लोगों को कब्जे करवाते हैं और फिर चाहते हैं कि उनको रेगुलेराइज कर दिया जावे। इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। जो लोग नियमों के तहत और आर्डीनेन्स के तहत आते हैं, उनके लिए मेरा निवेदन है कि अगर आप बतायेंगे तो उनका नियमन कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल।

श्री मेघराज तावड़ : आपको, जैसा मन्त्री जी ने मेरे पर आरोप लगाया कि आप भी शामिल हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यहां से किसी आदमी को भेज दीजिए, यह आदिवासी बहुल इलाका है, आप पता लगा लें कि कितने पुराने कब्जे हैं। वहां न ऊंट जा सकता है, न घोड़ा जा सकता है, पैदल जाना पड़ता है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मैं उनके साथ पैदल जाने के लिए तैयार हूं और आपको पुराने कब्जे बताने को तैयार हूं।

श्री दुलाराम : इस प्रकार के कब्जे हैं तो आप जिलाधीश को बता दें, कमेटी को बता दें या मुझे भी दे दें। वे नियमित हो जायेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल।

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की गोगुन्दा, कोटड़ा और झाड़ोल जो ट्राइबल सब प्लान में आदिवासी इलाका है, इसमें सन् 71 से पहले के रिकार्ड पर जिसके जंगलात की जमीन पर कब्जे हैं उनको रेगूलेराइज

(श्री नन्दलाल मीणा)

करने के आदेश हुए थे परन्तु वन विभाग के कर्मचारी जो वहां पर हैं उन्होने 71 से कब्जे रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किये हैं। ऐसे इलाकों के लिए एक कमेटी गठित करके उन आदिवासियों, जो 71 से पहले ही नहीं बल्कि 20-25 वर्षों से पहले काबिज हैं, कि समस्या का समाधान करने का क्या सरकार विचार रखती है ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने साफ निवेदन किया है कि 8 जनवरी, 1979 के आदेश की संख्या नम्बर 2 को पढ़िये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये आपके टाइम के हैं।

श्री दुलाराम : जिलाधीश महोदय को पूर्ण अधिकार है कि वह मौके पर जिस तरीके से 71 के कब्जे मानते हों तो उनको नियमित कर दें। इसके अलावा और क्या चाहते है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नंदलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और। क्या यह सही है कि उदयपुर में वन मंत्री जी की अध्यक्षता में सभी उदयपुर संभाग के विधायकों को आमंत्रित किया गया था ? क्या यह भी सही है कि उसमें केवल कांग्रेस(आई) के विधायकों को बुलाया गया और दूसरे विधायकों को नहीं बुलाया गया और उनकी क्षेत्रीय वन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया ?

श्री दुलाराम : इसमें जो नियम या आर्डिनेन्स जारी हुए........

श्री नंदलाल मीणा : हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया और कांग्रेस (आई) के एम. एल. एज. को ही क्यों बुलाया ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : यह जनता पार्टी के शासन में निकाला गया आर्डिनेंस है। कांग्रेस के अलावा भी दूसरे विधायकों को रखना चाहिए इससे मैं सहमत हूं लेकिन....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं। अभी मंत्री महोदय ने फर्माया कि यदि आदिवासी किसी जमीन पर वर्षों से काबिज हैं तो उनकी जानकारी करा लें। वे जानकारी करेंगे तब तक मंत्री महोदय क्या यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि उनकी बेदखली की कार्यवाही नहीं करेंगे ? उनको वहां पर परेशान कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम बेदखल हो, भागो यहां से। उन पर जुर्माना किये जा रहे हैं।

Page No. 13

(13)

श्री दुलाराम : मेरे पास कई माननीय सदस्य आये थे, उन पर रोक लगा दी है। आपके पास इस प्रकार का मामला हो तो बता दें, मैं रोक लगा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री बुलाकीदास कल्ला।

प्रोफेसर्स व रीडर्स द्वारा ओ. पी. डी. दिनों में आउटडोर में मरीजों को देखने की व्यवस्था

210. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सालयों में प्रोफेसर्स, रीडर्स आदि ओ. पी. डी. दिनों में आउटडोर में बैठ कर मरीजों को देखते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रोफेसर्स साधारणतया या तो आउटडोर में जाते ही नहीं, और यदि जाते हैं तो एकाध बीमार को देख कर वापस चले जाते हैं जिससे साधारण गरीब आदमी जो पे क्लीनिक में फीस देकर नहीं दिखा सकता, उनकी सेवाओं से वंचित रह जाता है?

(3) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने का विचार है?

चिकित्सा मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां।

(2) जी नहीं, प्रोफेसर्स एवं रीडर्स निर्धारित दिवस एवं समय पर ओ.पी.डी. में बैठ कर मरीजों को देखते हैं।

(3) इस समय चल रही व्यवस्था ठीक है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों की प्रशासनिक अक्षमता के कारण से प्रायः प्रोफेसर्स और रीडर्स आउटडोर में नहीं बैठते हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गत वर्ष में क्लीनिक के अन्दर कितने बीमारों को आउटडोर दिवस के दिन देखा गया और आउटडोर दिवस के अन्तर्गत आउटडोर में कितने लोगों को देखा गया?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आउटडोर दिवस के दिन पे क्लीनिक से कितनी आमदनी हुई?

श्री अध्यक्ष : बहुत ही विस्तृत जानकारी चाहते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पे-क्लीनिक आउटडोर के दिन भी चले यह बहुत ही असंतोषजनक बात है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या विभाग द्वारा डाक्टरों को इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं कि आउटडोर दिवस को बीमारों को आउटडोर में ही बैठ करके देखें, क्या इस सम्बन्ध में विभाग ने कोई निरीक्षण किया है?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी है और मुझे पता चला है कि आउटडोर दिवस को सीनियर प्रोफेसर्स

(श्री हीरालाल देवपुरा)

के डेज फिक्स्ड हैं और उन डेज को वे आउटडोर में बैठने हैं और पेसेन्ट देखते हैं। कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो बता दें, उस पर कार्यवाही करके, जांच करके सजा दे सकते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा जितने बड़े-बड़े शहर हैं उनमें बड़े–बड़े सरकारी चिकित्सक आउटडोर में नहीं बैठते। आप व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करके देख सकते हैं मन्त्री महोदय कि वे आउटडोर में नहीं बैठ कर अपने चेम्बर में बैठते हैं। आउटडोर में प्रोफेसर रीडर नहीं बैठते हैं। जो लोग इस तरह से नियमों का उल्लंघन करते हैं क्या आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो पहले ही कह दिया कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर देंगे।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न था। मैंने पहले भी इस सबंध में प्रश्न दिया था लेकिन उसका जवाब नहीं मिला····

(व्यवधान)

पूर्व में एक प्रश्न दिया था लेकिन टेक्निकल ग्राउण्ड पर उस प्रश्न का लिखित में जवाब दिया गया था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पे-क्लीनिक के बारे में आपने जो जवाब दिया है उसके अनुसार क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि पे-क्लीनिक के बाद प्राइवेट प्रेक्टिस करने वालों के खिलाफ इन्क्वायरी बिठाने की कोई कार्यवाही करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट····

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सप्लीमेंट्री नहीं पूछने दे रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : लोगों की शिकायत है कि वे आउटडोर में नहीं बैठते हैं।

प्रश्न के आने के बाद भी क्या आपने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर····

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री पूछने का हमारा अधिकार है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं····

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य बैठ जावें। मुझे बाध्य नहीं करें, माननीय सदस्य.......

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : हमको भी मालूम था कि मंत्री महोदय यही जवाब देंगे लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में प्रश्न पूछ लेती हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियमों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, मुझे सख्त होना पड़ेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपके स्वयं के बहुत से सवाल हैं, स्वयं के स्थगन प्रस्ताव हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, इसके अलावा जितने विषय आते हैं आप उन सब में पार्टीसिपेट करना चाहते हैं। उन सब में मेरे लिए आपको समय देना सम्भव नहीं है। श्री सुरेन्द्र व्यास।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं अपनी बात कह देती हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मजबूर हूं। श्री सुरेन्द्र व्यास।

निरक्षर व्यक्ति

211. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा बजट में निरन्तर वृद्धि के उपरान्त भी प्रति वर्ष राज्य में निरक्षर लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है ? कृपया सन् 1961 व सन् 1980 की राजस्थान की कुल आबादी व साक्षर लोगों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राज्य में 6 से 11 वर्ष के कितने बालक, बालिकाएं हैं ? इनमें स्कूल आने जाने वालों की संख्या क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां। 1961 में राज्य की कुल जन संख्या 2.02 करोड़ थी। 1971 में यह बढ़ कर 2.58 करोड़ हो गयी। साक्षरों की संख्या 1961 में 30.76 लाख थी व 1971 में 49.14 लाख हो गयी।

(2) इनकी कुल संख्या, जो आपने 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों की संख्या पूछी है, करीब 43.66 लाख है। इनमें से 1979–80 में स्कूल जाने वालों की संख्या 27.22 लाख है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने 71 की नहीं, 80 की संख्या पूछी है साहब ?

71 में सेंसर्स हुआ था। तो उन आंकड़ों के अनुसार निरक्षरता को कम करने के लिये क्या प्रयास किया है और अब क्या कार्यक्रम रखा है ?

श्री चन्दनमल बैद : इसके लिये बराबर नये स्कूल खोलते जा रहे हैं। इस साल भी नये स्कूल खोले हैं और अगले साल भी खोलेंगे। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत से केन्द्र चलाये गये हैं जिससे हमारे प्रौढ़ भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश का नतीजा आया है। पहला यह है कि 1961 में हमारा साक्षरता का प्रतिशत 15·21 था वह बढ़कर 1971 में 19·07 हो गया और मुझे उम्मीद है कि 81 के जो आंकड़े आयेंगे तो प्रतिशत और ज्यादा मिलेगा। जितना भी हमें धन उपलब्ध होता है उसका हम उपयोग करते हैं। ज्यादा स्कूल खोलकर साक्षरता बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जवाब में कहा है कि वह प्रौढ़ शिक्षा के लिये कुछ कर रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा दे रहे हैं। क्या प्रौढ़ शिक्षा के नाम से राजस्थान सरकार ने धन का काफी दुरुपयोग किया ? क्या राज्य सरकार....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जैसा कि इन्होंने कहा, प्रौढ़ शिक्षा के लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : धन का दुरुपयोग होगा तो उसको रोका जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पहले से चल रहा है। राज्य सरकार ने जिस अनुपात में पैसा खर्च क्या किया है उस अनुपात में रिजल्ट आये ? मूल प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री चन्दनमल बैद : अलग से प्रश्न है। अलग से पूछेंगे तो जरूर जवाब दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्री महोदय कहते हैं कि निरक्षरता समाप्त करने के लिये दो प्रयत्न सरकार कर रही है—एक तो नये स्कूल खोल रहे हैं और एक यह प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, तो आप यह बतावें कि स्कूल खोल रहे हैं तो....

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा था वह यह था कि निरक्षरता घटाने के लिये क्या कर रहे हैं ? उसका मैंने जनरल जवाब दे दिया। अब दूसरा आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथूसिंह। मैंने नाथूसिंह का नाम पुकारा है। कृपया सहयोग दें। मैंने श्री नाथूसिंह का नाम पुकार लिया है। उसके बाद एक आध माननीय सदस्यों को मैं अवसर देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से यह जानना चाहता हूं····

श्री चन्दनमल बैद : मेरी एक प्रार्थना है। एक-एक करके प्रश्न आयें तो मैं जवाब दे सकता हूं, चारों तरफ से आठ-दस प्रश्न आ जायें तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा।

श्री नाथूसिंह : क्या निरक्षरता समाप्त करने के लिये, मंत्री महोदय, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये फ्री शिक्षा, मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था क्या सरकार के विचाराधीन है या सरकार विचार करने जा रही है?

श्री चन्दनमल बैद : राजकीय विद्यालयों में शिक्षा फ्री है।

श्री अध्यक्ष : निःशुल्क है यह शिक्षा?

श्री चन्दनमल बैद : राजकीय विद्यालयों में 14 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है।

श्री हीरालाल आर्य : छोटे बच्चों की निरक्षरता के लिये स्कूल खोल रहे हैं। क्या मंत्री महोदय को पता है कि स्कूल खोलने के बावजूद भी आज राज्य में लगभग दस हजार अध्यापकों की कमी से स्कूल एक प्रकार से ना खोले जा रहे हैं? वहां अध्यापक नहीं पहुंचने से एक मास्टर सौ-डेढ़ सौ लड़कों को कमाण्ड नहीं कर पा रहा है, इससे बाधा उत्पन्न हो रही है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है इससे बाधा उपस्थित हो रही है। क्या सरकार अध्यापक लगाने की व्यवस्था कर रही है?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कुछ विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है और कुछ विद्यालयों में और अध्यापकों की जरूरत है। जब वृद्धि तेजी के साथ होती है तो इस प्रकार की अव्यवस्था होना स्वाभाविक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा अध्यापकों को लगा दिया जाये और अव्यवस्था दूर हो जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री छोगाराम बकोलिया।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो प्रश्न के भाग दो का जवाब दिया उसमें कहा कि 43 लाख में से 27 लाख बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 64 प्रतिशत बच्चे एजूकेशन ले रहे हैं। तो, रिमेनिंग बच्चों को एजूकेशन देने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है? क्योंकि निरक्षरता दूर करने के लिये बच्चों को पढ़ाने की अनिवार्यता होना जरूरी है और हंड्रेड पर्सेन्ट होना चाहिये। इसके लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अर्ज किया है। इस साल प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं और अगले साल और प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। इस तरह हमें जितना धन उपलब्ध हो रहा है हम उसका उपयोग कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जायें। हमारी दिक्कत यह है कि जो लड़के हैं वह तो करीब 90–95 प्रतिशत स्कूल जा रहे हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या कम है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करें कि जनता अपने बच्चों को पढ़ायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।' आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने कई दफा शुरू में माननीय सदस्यों को निवेदन किया कि प्रथम अवसर प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य को दिया जाता है और उसके बाद यदि मैं आवश्यक समझूं तो एक दो माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दे सकता हूं। लेकिन यह प्रवृत्ति बन जाये, काफी संख्या में माननीय सदस्य ठीक है चूल्हा जल रहा है अपनी रोटी भी बना लो, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं, सरकार की ओर से उत्तर दिलाया जाता है, सरकार उनके लिये हाजिर रहती है। इसके बाद भी दो तीन चार सवाल निकल पाते हैं इस स्थिति को मैं ठीक नहीं समझता हूं, इसके बारे में कृपया सहयोग दें। बातें नहीं करें, माननीय सदस्य। जहां मैं समझूं कि प्रश्नकर्त्ता अच्छी तरह से इन्फार्मेशन सीक नहीं कर पाये हैं तो मैं मदद दे सकता हूं अन्यथा नहीं। अब मुझे इजाजत दें अगला प्रश्न पूछने की।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : छोटे बच्चों को····

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। उत्तर नहीं आयेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महाराम चौधरी : स्कूल नहीं है तो बच्चे कहां जायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(व्यवधान)

उदयपुर नगर विकास प्रन्यास द्वारा सीमेन्ट का वितरण

212. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर विकास प्रन्यास द्वारा सीमेन्ट का वितरण किया जाता है ? यदि हां, तो बीच में इसे क्यों बन्द किया गया एवं पुनः प्रारम्भ किस कारण किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि लोग फर्जी निर्माण कार्यों के बहाने सीमेंट प्राप्त करते

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हैं जिसमें न्यास का स्टाफ भी लिप्त है और उस सीमेंट को ब्लैक में बेच दिया जाता है ?

(3) क्या सरकार सीमेन्ट वितरण रजिस्टर की जांच करवाने की मंशा रखती है ?

नगर आयोजना एवं नगरीय विकास मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) हां। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास द्वारा सीमेन्ट वितरण किया जाता है। बीच में तत्कालीन अध्यक्ष श्री मदनलाल धुप्पड़ के आदेश से न्यास द्वारा सीमेन्ट वितरण का कार्य बन्द कर दिया गया था। जिसे जिलाधीश के आदेशानुसार पुनः न्यास द्वारा शुरू किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) यदि कोई मामला सामने आवेगा तो जांच कराई जावेगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है। मैंने पूछा है कि बन्द किया गया और पुनः प्रारम्भ किया गया, उसका कारण क्या है ? आखिर बंद करने के पीछे क्या लॉजिक था ? एक।

श्री चन्दनमल बैद : एक-एक ही पूछ लीजिये।

उस समय मदनलाल धुप्पड़ ने कहा कि हमारे पास दूसरे काम ज्यादा हैं, इस वास्ते हम सीमेंट वितरण का काम नहीं कर पायेंगे। इसके बाद जिलाधीश अध्यक्ष आये उन्होंने कहा कि सीमेन्ट वितरण का काम वापस शुरू करो। वापस शुरू कर दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि बाद में इस काम के साधनों को बढ़ा दिया गया और दूसरा प्रश्न।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो जिलाधीश की मर्जी पर है। उन्होंने कहा, अब नहीं करना चाहिये, जब उन्होंने, जिलाधीश ने कहा कि अब करना चाहते हैं, तो करने लग गये। यह तो जिलाधीश के स्तर पर ही होता है। राज्य सरकार के स्तर पर आने की जरूरत ही नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दूसरा प्रश्न, क्या आपकी जानकारी में यह है कि वहां के स्टाफ के कुछ फर्जी नामों से एप्लीकेशन लगा कर प्रायोरिटी पर परमिट ले लेते हैं जब कि उदयपुर में न उन नामों के मकानों का पता है और न लोगों का पता है ? प्रायोरिटी लिस्ट में नाम आ जाते हैं और फिर 20 रुपये के हिसाब से प्रति थैला परमिट तैयार मिलते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने अपने मूल प्रश्न में बताया कि ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है। मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिये निमंत्रित करना चाहता हूं, अगर उनके पास ऐसी सूचना है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी सूचना सही मिलने पर मैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्पष्ट है। क्या सरकार वहां

(गुलाबचन्द कटारिया)

के सीमेंट वितरण रजिस्टर की जांच करवायेगी ? वहां का जो सीमेंट वितरण रजिस्टर है उसको अपने पास या किसी अधिकारी के पास मंगवा लिया जाय, उसको सील करवा ले और उसकी जांच प्रारम्भ कर लें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आश्वासन दे चुका हूं कि माननीय सदस्य या दूसरा कोई भी माननीय सदस्य राजस्थान में कहीं भी सीमेंट में धांधली हो रही हो तो तो मुझे बतावें मैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही करवाने के लिये तैयार हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि उस रजिस्टर को सीज करवा कर जांच करवा दी जाय।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता, माननीय सदस्य कहते हैं कि उनकी जानकारी में है, फर्जी वितरण हुआ है तो मुझे जानकारी क्यों नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री गोपाल पचेरवाल।

केशवराय जी के मंदिर का जीर्णोद्धार

213. **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में केशवराय पाटन में केशवराय जी के मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु गत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(2) क्या स्वीकृत राशि उक्त मंदिर के जीर्णोद्धार पर खर्च की गई ? क्या सरकार उस मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु और धनराशि स्वीकृत करना चाहती है ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री दुलाराम) : (1) जी हां, मंदिर श्री केशवरायजी की मरम्मत हेतु लेखा वर्ष 79-80 में 50,000) रु० की राशि स्वीकृत की गई थी।

(2) स्वीकृत राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग बूंदी कार्यालय में जमा करवाई गई थी, परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर और राशि स्वीकृत की जा सकती है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, 1979-80 में राशि दी गई थी वह अभी तक खर्च क्यों नहीं की गई ?

श्री दुलाराम : आवंटित राशि को खर्च करने के लिये पी. डब्ल्यू. डी. को दो, तीन, चार बार रिमाइण्डर दिये जा चुके हैं। उनके पास और भी काम है, इसलिये खर्च नहीं हो पाई। हमारा फर्ज था जो रिमाइंडर दिये जा चुके हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, पहली बार केशवराय पाटन के केशवराय जी के मन्दिर के लिये जनता सरकार द्वारा राशि दी गई काम के लिये, फिर उसका काम ही बन्द कर दिया क्योंकि उसके लिये एक कमेटी बनाई गई पब्लिक की, ताकि पी. डब्ल्यू डी. के अधिकारियों द्वारा धन का दुरुपयोग न हो इस वजह से काम बन्द कर दिया गया। अब

(श्री गोपाल पचेरवाल)

उस काम को आप शुरू करवा कर पैसा लगायेंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री दुलाराम : काम शुरू कर दिया गया है और काम चालू है।

श्री गोपाल पचेरवाल : कब से चालू है, आप तारीख बता दीजिये ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गलत बयान कर रहे हैं।

श्री दुलाराम : काम चालू है, मैं तारीख ठीक से नहीं कह सकता।

श्री गोपाल पचेरवाल : आज की तारीख तक तो काम चालू नहीं हुआ।

श्री दुलाराम : मैं कह रहा हूं कि काम चालू है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास सारी सूचना है। अगर आज की तारीख तक, आज के 12 बजे तक काम आरम्भ हो गया हो तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। अगर नहीं हुआ हो तो वह इस्तीफा देने के लिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि कार्य चालू कर दिया गया है उसके बाद में अगर गलत बयानी होती हो तो आप जानते हैं कि उसका क्या परिणाम होता है। तो इसको विवाद का विषय बनाने का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर, मैं प्रश्न की इजाजत नहीं दे रहा हूं। अगला प्रश्न पूछ रहा हूं। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री बालचन्द आर्य वीर।

डग (झालावाड़) सैकेण्डरी स्कूल की क्रमोन्नति

214. **श्री बालचन्द आर्य वीर (डग)**- क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

'क्या सरकार डग (झालावाड़) सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : जी नहीं। फिलहाल राज्य सरकार सामान्यतः किसी माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं कर रही है चूंकि 10 जमा 2 की नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने पर विचार विमर्श हो रहा है।

श्री बालचन्द आर्य वीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, झालावाड़ के पाट और डग विधान सभा क्षेत्रों में कितने नये स्कूल क्रमोन्नत किये ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। अगला प्रश्न।

श्री बालचन्द आर्य वीर : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कोई भी नहीं है आप जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

योजनाबद्ध ढंग से बसी बस्तियों में सड़कों व नालियों का निर्माण

215-**श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नेहरू नगर, बस्सी सीताराम पुरा, जयपुर में नालियां नहीं होने के कारण वहां की सारी सड़कों पर मिट्टी व पानी भरा रहता है ?

(2) क्या सरकार योजनाबद्ध ढंग से बसाई गई बस्तियों में सड़कों व नालियों का निर्माण कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (1) यह सही है कि बस्सी सीतारामपुरा योजना में नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। जिससे घरों का पानी बाहर सड़क पर एकत्रित हो जाता है एवं बरसात के समय पानी के साथ बह कर आने वाली मिट्टी सड़क पर जमा हो जाती है।

(2) जी हां, सभी योजनाबद्ध ढंग से बसाई गई बस्तियों में उनके वित्तीय अनुमानों के अनुसार नालियों एवं सड़कों का निर्माण करने का प्रयास किया गया है एवं शेष वित्तीय साधन उपलब्ध हो जाने पर नालियों एवं सड़कों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो योजना बनाते हैं उसके अनुसार क्या सड़कें और नालियां बनाई जानी आवश्यक नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बनाई जा रही है। मैंने कहा, बहुत सी कच्ची बस्तियां हैं जिनमें काम चल रहा है उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बस्सी सीतारामपुरा कच्ची बस्ती नहीं है यह तो बाकायदा पक्की बस्ती है, योजना अनुसार बनाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको इस बस्ती को पूरी तरह से सुविधाजनक बना कर नगरपालिका को हैण्ड ओवर करना चाहिये। क्या मंत्री महोदय इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जितनी बस्तियों में नालियों की व्यवस्था नहीं है वहां नालियों की व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी शीघ्र, कार्यवाही की जायेगी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, जयपुर नगर विकास न्यास से 4 लाख रुपये महीने की तनख्वाहें दी जा रही हैं और नालियां बनाने की आवश्यक कार्यवाही है यह नहीं की जा रही है। यह आपकी जिम्मेदारी है आप इसको कब कर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

दें क्योंकि तीन वर्ष में अति शीघ्र होता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चार लाख का काम हो रहा है वह तो होगा ही....

श्री श्रीराम गोटेवाला : काम कहां हो रहा है, काम किस जगह हो रहा है, अध्यक्ष महोदय ? मुझे प्रश्न का उत्तर सुनने दें, जरूरी प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : नालियों के काम के लिये पैसा दिया जाना चाहिये, मन्त्री महोदय पैसा दें ताकि वहां काम हो....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह निवेदन किया है कि धन की उपलब्धि पर काम शीघ्र करवा दिया जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : धन की उपलब्धि के बारे में मैं जानना चाहता हूं जयपुर विकास न्यास के बजट में 30 लाख रु. का प्रावधान इन सारे कार्यों के लिये किया गया है। यह सारा प्रोवीजन क्या तनख्वाह बांटने में खतम हो जायेगा ? और धन की उपलब्धि नहीं करवा पाये तो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, आप यह व्यवस्था यह कह कर नहीं टाल सकते कि आपके पास धन की व्यवस्था नहीं है। आप कृपा करके तारीख फर्मा दीजिये कि कब तक नालियों का काम करने जा रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : धन के अभाव के कारण सारे राजस्थान का काम रुका हुआ है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन के अभाव की, मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो जयपुर नगर विकास न्यास, मेरे किशनपोल क्षेत्र की बात पूछ रहा हूं कि वहां पर आप व्यवस्था ठीक करने का प्रयत्न करेंगे और वहां जो प्रस्तावित व्यय है वह खर्च हो रहा है या ? नहीं कल ही मंत्रीजी ने बताया कि सैंकड़ों नालियों का काम रुका पड़ा है तो वहीं नालियों के विकास का काम कब तक करवा सकते हैं ? केवल इन सारी चीजों को इकट्ठा करने के अलावा प्रश्न इस बात का है कि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक करके नालियां, आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की जो बात है, उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस विकास के काम को पूरा करवाने के लिए वे क्या कदम उठायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह कदम पहले से उठाये जा रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पहले क्या कदम उठाये गये हैं। एक ही कदम है इस शहर का विनाश किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आसीन: पैरों पर हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि नालियां कहां बनायी जा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री देवीसिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर ।

आसन ने कई दफा कहा है कि जो प्रश्न यहां पर पूछे जायें उनकी सूची माननीय सदस्यों के पास पहुंच जानी चाहिए । बार-बार कहने पर भी प्रश्नों की सूची हमारे पास नहीं आ रही है । मेरा एक प्रश्न था उसके उत्तर की प्रति मुझे नहीं दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह परम्परा रही है, अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश भी जारी किये हैं उसके उपरान्त भी हमें सूची नहीं मिली है । कल मेरा प्रश्न था उसका उत्तर आज तक नहीं मिला है ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

209. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) प्रदेश में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं ?

(2) क्या इन संस्थानों की संख्या चालू पंचवर्षीय योजना में और अधिक बढ़ाने का प्रावधान है ? यदि हां तो कितनी ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इन प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानों में वृद्धि करने की ओर भविष्य में कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) प्रदेश में राजकीय 22 व एक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं ।

(2) जी हां, जिन जिला मुख्यालयों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं वहां पर ये संस्थान खोले जायेंगे ।

(3) जी हां,

अलवर जिले के विद्यालयों में सहायक अध्यापक, कनिष्ठ व्याख्याता, आचार्य एवं प्रधानाध्यापकों का अभाव

210. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) अलवर जिले में कितने स्कूल्स बिना प्राचार्य, प्रधानाध्यापक के चल रहे हैं ? कृपया शालावार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) अलवर जिले में किन शालाओं में कितने समय से कनिष्ठ व्याख्याताओं एवं सहायक अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) केवल एक स्कूल में प्रधानाचार्य के स्थान पर प्रधानाध्यापक उ. मा. वि. का पदस्थापन किया हुआ है ।

(2) 2 कनिष्ठ व्याख्याताओं एवं 27 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

रसद विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण

211. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले के रसद विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 1 अप्रेल, 1980 से अब तक कितने प्रकरण दर्ज किये हैं ?

(2) इनमें से कितने प्रकरणों में धारा 6 बी का आवश्यक वस्तु अधिनियम को नोटिस का फैसला होने से पूर्व ही सत्र न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है?

(3) कितने मुकदमों में सजा हुई, कुल कितना माल जब्त किया गया तथा कितने लोग बरी हुए ?

(4) ऐसे कितने प्रकरण हैं जो विभागीय स्तर पर ही समाप्त कर दिये गये तथा किन कारणों से ?

उत्तर

(1) एक अप्रेल, 1980 से अब तक 101 प्रकरण दर्ज किये गये।

(2) इनमें से धारा 6 ए के नोटिस का फैसला होने से पूर्व न्यायालय में एक प्रकरण का चालान प्रस्तुत किया गया है।

(3) एक अप्रेल, 1980 से अब तक दर्ज हुये मामलों में न तो किसी को सजा हुई न ही कोई बरी हुआ, लेकिन 31,341 रुपये का माल जब्त हुआ है। उक्त तिथि से पूर्व के दर्ज प्रकरणों में से दिनांक 8–7–80 से 13–2–81 की अवधि में 13 मामलों पर निर्णय हुये, जिसके फलस्वरूप 3 में सजा हुई, 10 मामलों में अभियुक्त बरी हुये।

(4) 54 प्रकरणों को साधारण गलतियां एवं प्राधिकार पत्रों की शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप विभागीय कार्यवाही कर, निपटाया गया। इनमें से 14 मामलों में चेतावनी दी गई, 40 मामलों में 4,750 रुपये की प्रतिभूति राशि जब्त हुई। इनमें से 3 के 15 दिन तथा एक का 30 दिन लाइसेन्स निलम्बित रखा तथा एक का लाइसेन्स निरस्त किया गया। 6 मामलों में कोई अभियोग नहीं बना है।

जिला रसद अधिकारी, उदयपुर द्वारा वितरित डीजल

212. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या रसद एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक जिला रसद अधिकारी, उदयपुर ने डीजल का वितरण किस प्रकार किया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जिला रसद कार्यालय से डीजल वितरण हेतु कितने परमिट बनाये गये ? कृपया नाम एवं मात्रा दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) डीजल का वितरण निम्नानुसार किया गया है—

Page No. 26

(26)

(रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

1) वाहनों, ट्रकों, बसों, ट्रेक्टरों के लिए जिला परिवहन अधिकारी द्वारा परिचय पत्र पर निर्धारित मात्रा में डीजल, डीजल पम्पों से दिया जाता रहा है।

2) कृषि कार्यों के लिये सम्बन्धित तहसील क्षेत्र के तहसीलदारों द्वारा जारी परिचय पत्रों पर निर्धारित मात्रा में डीजल, डीजल पम्पों से दिया जाता रहा है।

3) औद्योगिक कार्यों के लिए संबंधित विभाग की सिफारिश के आधार पर जिला रसद कार्यालय द्वारा परिचय पत्र बनाये जाते हैं। परिचय-पत्र के आधार पर डीजल पम्पों से डीजल दिया जाता रहा है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जी. एल. ओ. एम्पलाइज को-आपरेटिव कैन्टीन, अजमेर द्वारा राशन की चीनी की मांग

213. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या रसद एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में कार्यरत जी. एल. ओ. एम्पलाइज को-आपरेटिव कैन्टीन, अजमेर ने राशन की चीनी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र-प्रस्तुत किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि गरीब मजदूरों एवं कर्मचारियों की चाय आदि की आवश्यकता पूरी करने वाली इस कैन्टीन को राशन की चीनी उपलब्ध नहीं करायी गयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि हलवाइयों, मिठाई विक्रेताओं आदि को राशन की चीनी उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो कृपया दिनांक 6 जून, 1980 से दिनांक 11 फरवरी, 1981 तक इनको दी गयी चीनी का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) फ्री सेल चीनी 597/– रुपये प्रति क्विन्टल की दर से उपलब्ध कराई गई थी।

(3) कैन्टीन, होटल व रेस्टोरेन्ट, हलवाई, व बिस्कुट उत्पादकों को फ्री सेल चीनी 597/– रुपये प्रति क्विन्टल की दर से जो उपलब्ध कराई गई है, सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

प्रतापगढ़ तहसील के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी

214. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) वर्ष 1979–80 व 1980–81 में प्रतापगढ़ तहसील के विद्यालयों में कितने बालक-बालिकाएं कक्षा 5 तक अध्ययन कर रहे थे ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) क्या इन सभी बालक-बालिकाओं को निःशुल्क ड्रेस एवं पाठ्य सामग्री दोनों वर्ष वितरित की गयी थी ? यदि हां, तो इन पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(3) वर्ष 1980–81 में कक्षा 6 से 11 तक कितने आदिवासी बालकों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी ? कुल कितने छात्र तहसील के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं ? छात्रवृत्ति के कितने आवेदन प्राप्त हुये ?

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ में वर्ष 79-80 एवं 80-81 में कक्षा 5 तक अध्ययन रत छात्र-छात्रा निम्न प्रकार हैं :—

पं. स.	1979-80			1980-81		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
प्रतापगढ़—						
	2138	386	2524	2358	404	2762
अरनोद—						
	1697	189	1886	1897	200	2097
योग :—						
	3835	575	4410	4255	604	4859

(2) वर्ष 1979-80 में 700 बालक-बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें एवं पोषाकें उपलब्ध कराई गई जिन पर कुल 16400 रुपये व्यय हुये। 1980-81 में 3040 छात्र-छात्राओं को पुस्तक उपलब्ध करवाई गई जिस पर 10400 रुपये व्यय हुये। इस वर्ष निःशुल्क पोषाकों का वितरण 1022 छात्र-छात्राओं को किया गया एवं इस पर 20454 रुपये व्यय हुये।

(3) कक्षा 6 से 11 तक के सब छात्रों को छात्र वृत्ति दी गई है। छात्र संख्या कुल 528 है, छात्रवृत्ति के लिये 528 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे।

नगर विकास न्यास अधिनियम के तहत बने उप नियमों की मुद्रित प्रतियों की उपलब्धता

215. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नगर विकास न्यास, बीकानेर में नगर विकास न्यास अधिनियम के तहत बने उप नियमों की प्रकाशित कापियां विक्री के लिए जनता को उपलब्ध नहीं हैं जब कि उपरोक्त अधिनियम के तहत कीमत के बदले इन उप नियमों की प्रतियां उपलब्ध कराना जरूरी है ?

(2) गत कितने वर्षों से इन उप नियमों की प्रतियां नगर विकास न्यास में उपलब्ध नहीं हैं ? इन्हें प्रकाशित नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं।

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर विकास न्यास अधिनियम के तहत बने नगर विकास न्यास

(स्वायत्त शासन मंत्री)

बीकानेर के उप-नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि आम जनता की नियमानुसार आवेदन करने पर आवश्यक शुल्क जमा करा कर जारी की जाती है।

(2) न्यास कार्यालय में उपरोक्त उप-नियमों की प्रतियां सदैव उपलब्ध रहती है।

झालावाड़ रोड (कोटा) स्थित केबल उद्योग के सामने अवस्थित कच्ची बस्ती

216. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे। :–

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ सड़क कोटा पर स्थित केबल उद्योग के सामने एक बड़ी बस्ती बसी हुई है? यदि हां, तो इस बस्ती को बसे हुए कितना समय हो गया है और क्या इस बस्ती में दुकानें इत्यादि सब लग चुकी हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि यह भूमि वन विभाग की है और जिसके लिये बार-बार जनता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर भी बस्ती के लिए आवंटित नहीं किया गया? अब कब तक उक्त भूमि का आवंटन आवेदन-कर्ताओं को कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) केन्द्रीय सरकार के जो इस संदर्भ में नियम, निर्देश हैं राज्य सरकार के लिए, कृपया उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या यह राज्य सरकार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिक्रमण नहीं है?

उत्तर

(1) जी हां। झालावाड़ कोटा सड़क पर केबल उद्योग फैक्ट्री के लगने के साथ-साथ एक कच्ची बस्ती धीरे-धीरे बसी है और इस स्थान पर कुछ दुकानें आदि भी बनी हैं।

(2) जी हां। आवंटन सम्बन्धी प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 25-10-80 से पूरे देश में वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत कोई भी वन भूमि वनारोपण के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में भारत सरकार की पूर्वानुमति बिना उपयोग में नहीं ली जा सकती है। अध्यादेश की प्रति सदन के पटल रख दी गई है। संविधान (42 संशोधन) अधिनियम 1975 की धारा 57 के अन्तर्गत आठवें परिशिष्ट में आर्टिकल 246 के अन्तर्गत तृतीय सूची के क्रमांक 17 क में वन को भी सम्मिलित किया गया है। चूंकि वन के विषय को संविधान की समवर्ती सूची (कोनकरेंट लिस्ट) में सम्मिलित किया गया है, अतः केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(अध्यादेश की प्राप्ति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम पंचायत मुख्यालय काचरी (कोटा) की प्राथमिक शाला की क्रमोन्नति

217. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम पंचायत मुख्यालय, काचरी में

(श्री हरीश शर्मा)
प्राथमिक विद्यालय है? यदि हां, तो कब से?

(2) पांचवीं कक्षा पास करने के बाद बच्चों को कहां पढ़ने जाना पड़ता है?

(3) क्या बरसात में यह मार्ग बहुत दुखदाई हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार काचरी स्थित प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है, जहां पर पर्याप्त भवन भी उपलब्ध है?

उत्तर

(1) जी हां। यह विद्यालय 2-10-59 से पूर्व का है।

(2) बच्चे 5 वीं कक्षा पास करने के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय पचेरकलां जो कि काचरी से 4 किलो मीटर है वहां जाते हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय, अन्ता में प्रवेश लेते हैं जो कि काचरी से 8 किलो मीटर की दूरी पर है।

(3) बरसात में कच्चा रास्ता होने के कारण कठिनाई अवश्य होती है, परन्तु इस प्रकार की कठिनाई अनेक स्थानों पर है। शाला में 2 कमरे 20×12 के हैं इनके सामने बरामदा 40×12 का है। इस प्रकार भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए अपर्याप्त है। छात्र संख्या भी केवल 110 है जिसमें से 5 वीं कक्षा में 16 छात्र हैं। अतः यह विद्यालय उच्च प्राथमिक शाला के योग्य नहीं है।

नगर परिषद् अजमेर में विचाराधीन प्रकरण

218. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर परिषद्, अजमेर में वर्तमान में यानि दिनांक 11 फरवरी, 1981 को नागरिकों की ओर से कुल कितने प्रार्थना-पत्र निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत आदि की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कब-कब से विचाराधीन है?

(1) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र किस किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था और उसका निस्तारण दिनांक 11 फरवरी, 1981 तक नहीं होने के क्या कारण हैं? कृपया प्रार्थना-पत्रानुसार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद्, अजमेर में दिनांक 1-4-80 से 11 फरवरी, 1981 तक निर्माण पुनः निर्माण आदि के विचाराधीन प्रार्थना-पत्र का विवरण संलग्न है।

(2) निस्तारण नहीं होने का कारण भी उक्त विवरण में दे दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा दूसरे व्यक्तियों के नाम स्थानान्तरित भू-खण्ड

219. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर): क्या नगर आयोजन एवं नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर विकास न्यास, जोधपुर ने वित्तीय वर्ष 1978-79 व 1979-80 में किन-किन व्यक्तियों के कौन-कौन से भू-खण्ड

Page No. 30

(30)

(मानसिंह देवड़ा)

दूसरे व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर किये ? कृपया उनकी पूर्ण सूची मय नाम विक्रेता, क्रेता एवं भू-खण्ड के पृथक्-पृथक् सदन के पटल पर रखें, साथ में न्यास को इससे हुई आय को भी अलग-अलग दर्शायें।

(2) उपरोक्त ट्रांसफर राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट की कौन-सी धारा एवं उस धारा के अन्तर्गत बने रूल्स-रेगुलेशन एवं रिजोल्यूशन्स के अनुसार किया गया ? कृपया उन सबकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में उपरोक्त प्रकार के ट्रांसफर नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा पूर्णतया बन्द कर दिये गये हैं जिससे जनता को अत्यन्त कष्ट हो रहा है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है जब कि नगर विकास न्यास, जोधपुर को ऐसा ट्रांसफर करने से आय होती है ?

उत्तर

(1) 1978-79 व 1979-80 में नगर विकास न्यास, जोधपुर ने लगभग 360 मामलों में शुल्क वसूल कर मूल आवंटियों के अनियमित बेचान नियमित करने के आदेश दिए हैं। सूची संलग्न है।

(2) उक्त हस्तान्तरण साधारणतया राजस्थान नगर विकास (भूमि) निष्पादन (नियम, 1974 की धारा 17/6) के अनुसार होना चाहिए परन्तु उक्त हस्तान्तर उपरोक्त नियम के अनुसार है या नहीं यह छानबीन करने के पश्चात ही कहा जा सकता है। नियम 17 (6) की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) जी हां। नगर विकास न्यास ने 10-4-80 को ऐसी विज्ञप्ति जारी कर अवैध हस्तान्तरण के मामलों को नियमित करने पर रोक लगा दी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

नगरपालिका दौसा को विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

220. श्री सोहनलाल बंशीवाल (दौसा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

वर्ष 1980-81 में दौसा नगरपालिका को कितना बजट विकास कार्यों हेतु स्वीकृत किया गया तथा कितना कार्य किया गया ? क्या कस्बे में नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है और शीघ्र नई नालियां बनाने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो इस संबंधी कार्य कब तक पूर्ण हो जावेंगे ?

उत्तर

वर्ष 1980-81 में दौसा नगरपालिका के विकास हेतु 2,20,000/- रुपये बजट में स्वीकृत किए गए। अब तक 50843·23 पैसे का कार्य किया जा चुका है। नगरपालिका के कुछ वार्डों में नालियां खराब हो रही हैं, जिन्हें नगरपालिका अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ठीक करवा रही है। सीमेंट के अभाव में व भूमि विक्री की मद में कम आय होने के कारण बजट में निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक कार्य कराया नहीं जा सका।

Page No. 31

(31)

उदयपुर क्षेत्र के संगमरमर खनिज पट्टों हेतु आये प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

221. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिये संगमरमर खनिज के पट्टों हेतु वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में कितने प्रार्थना-पत्र विभाग को प्राप्त हुए, उनमें से कितने प्रार्थना-पत्रों का कहाँ कहाँ के खनिज क्षेत्रों के लिये निस्तारण किया गया तथा कितने प्रार्थना-पत्रों का किस किस क्षेत्र के लिये निस्तारण नहीं किया जा सका ?

(2) क्या सरकार इन प्रार्थना-पत्रों का शीघ्र निस्तारण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिये खनन मारबल के पट्टों हेतु वर्ष 1978-79 में कुल 225 आवेदन पत्र एवं 1979-80 में कुल 480 आवेदन पत्र खनिज मारबल अथवा सरपेन्टीन (ग्रीन मारबल) के प्राप्त हुये जिनका निस्तारण किया जा चुका है। क्षेत्रानुसार स्थिति निम्न प्रकार है :—

क्षेत्र का नाम	1978-79		1979-80	
	कु. प्रा.	निस्ता.	कु.प्रा.	निस्त.
1. बावरमाल तह. सराड़ा	49	49	135	135
2. कलावती का फला तह. खेरवाड़ा	—	—	54	54
3. केलवा तह. राजसमन्द	7	7	106	106
4. आगरिया तह. आमेट	7	7	13	13
5. सप्राश का गुढ़ा तह आमेट	–	–	–	–
6. बला छाज का गुढ़ा तह. आमेट	6	6	–	–
7. पुरानी परवती तह. आमेट	2	2	1	1
8. उदयपुर (अन्य क्षेत्र)	141	141	133	133
9. राजसमन्द (अन्य क्षेत्र)	13	13	38	38
योग	225	225	480	480

(2) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि समस्त प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण हो चुका है।

विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी

222. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कठूमर (अलवर) विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्तर के कितने कर्मचारी कहां-कहां पर कार्यरत है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल बैरवा)

(2) किन-किन ग्राम पंचायतों में स्वीकृत स्टाफ नहीं है? जहां पर स्टाफ नहीं है, उसकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

(3) विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के मुख्यालय, क्षेत्र में कहां-कहां पर है? कृपया इनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) ग्राम मथुरा रोड उपकेन्द्र में प्रसविका–एक।

कठूमर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संगणक–एक

रोणीजा थान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता–एक

प्रशिक्षित कर्मचारियों के उपलब्ध होने पर पद स्थापित कर दिया जावेगा।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

चिकित्सा विभाग की स्टाफ नर्स के बकाया वेतन का प्रकरण

223. श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के आईसोलेशन वार्ड में कार्यरत स्टाफ नर्स, थंगमा. पी. का सितम्बर, 1973 से अप्रेल, 1974 तक का वेतन बकाया है?

(2) यदि हां, तो वेतन भुगतान में देरी किस स्तर पर हुई तथा विभाग द्वारा वेतन भुगतान करने में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) राज्य सरकार द्वारा अब कितने दिनों में वेतन भुगतान की व्यवस्था कर दी जायगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रशासनिक कार्यवाही की आवश्यकतानुसार रुपये 2620.20 पैसे का बिल बकाया था जिसे प्रीआडिट करवाकर दिनांक 29-11-1980 को भेजा जिसका भुगतान रुपये 2557.26 ड्राफ्ट संख्या 339276 दिनांक 6-3-81 द्वारा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को भेजा गया है।

(3) भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है।

महाराव भीम चिकित्सालय कोटा को भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि का उपयोग

224. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1978 में महाराव भीम चिकित्सा कोटा को भवन

(श्री गोपाल पचेरवाल)

निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान की राशि अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा के कोष में जमा है? यदि हां, तो कब से और कितनी राशि ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि को चिकित्सालय भवन के निर्माण में अब तक उपयोग में नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

महाराव भीम चिकित्सालय कोटा में इन्टेन्सिव आपरेशन थियेटर बनाने के लिये रु० 3.50 लाख का अनुदान राशि 1979 में प्राप्त हुई थी जिसे जिला चिकित्सालय विकास के कोष में जमा करा दिया था।

(2) जी नहीं।

2,43,071/–रुपये व्यय किया जा चुका है।

रामगंज मण्डी चिकित्सालय में आवश्यक साधनों का अभाव

225. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के रामगंज मंडी चिकित्सालय में माइक्रोस्कोप, ई. सी. जी. तथा एक्स-रे मशीनें एवं एम्बुलेंस इत्यादि महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध नहीं हैं ?

(2) क्या इस क्षेत्र का यही एक महत्वपूर्ण चिकित्सालय है ?

(3) सरकार कब तक इन आवश्यक सामानों को इस चिकित्सालय में उपलब्ध करा देगी ? क्या यह भी सही है कि यहां की जनता इस बारे में लगातार मांग करती आ रही है ?

(4) क्या चिकित्सालय का भवन भी पर्याप्त है ?

(5) क्या सरकार जन सहयोग के माध्यम से यहां नेत्र चिकित्सा जैसे शिविर लगाना उपयुक्त समझती है ? यदि हां, तो कब और इसके लिये जन सहयोग हेतु क्या आवश्यक होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) राज्य के बनाये गये मापदण्ड के अनुसार यहां पर इनका प्रावधान नहीं किया जा सकता।

(4) वर्तमान स्वीकृति के अनुसार तो पर्याप्त है।

(5) जी हां, जन सहयोग प्राप्त होने पर ऐसे शिविर लगाये जाते रहे हैं और अभी हाल ही में दिनांक 15–2–81 को ही जन सहयोग (लाइन्स क्लब) के सौजन्य से एक नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया।

(चिकित्सा मंत्री)

नये शिविर के आयोजनार्थ जन सहयोग के रूप में निम्न की आवश्यकता पड़ती है :—

1) उचित स्थान केम्प हेतु।

2) स्वयं सेवक आदि की व्यवस्था।

3) रोगियों हेतु निःशुल्क भोजन व्यवस्था।

(4) जन सहयोग से चश्मे आदि की व्यवस्था।

आयुर्वेद विभाग अजमेर की इकाइयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी प्रकरण

226. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग की अजमेर में स्थित विभिन्न इकाइयों में दिनांक 1 जनवरी, 1979 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 तक कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये गये ? इनमें से कितने अनुसूचित जाति एवं जन जाति के हैं ?

(2) क्या इन नियुक्तियों में राजकीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन नियुक्तियों से पूर्व ही लोंगिया अस्पताल, अजमेर में ही 5 अनुसूचित जाति सहित करीब 22 कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्यरत हैं और उनकी उपेक्षा की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस अवधि मे आयुर्वेद विभाग की अजमेर में स्थित विभिन्न इकाइयों में कुल 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं। इनमें 2 अनुसूचित जाति के एवं एक अन्त्योदयी सहित 8 अन्य जाति के हैं। इसके अलावा जो नियुक्तियां हुई हैं, वे अजमेर स्थित इकाइयों में नहीं हुई हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां, किन्तु अस्थाई नहीं होकर अंशकालीन थे। इनमें से चार अंशकालीन कर्मचारियों को स्थानीय एवं अन्य इकाइयों के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि इनकी उपेक्षा की गई है।

जिला आयुर्वेद कार्यालय, अजमेर स्तर से भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियुक्ति दी जाती है, जिनको अजमेर मुख्यालय के बाहर रिक्त पदों पर पदस्थापित करना पड़ता है। तद्नुसार 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें भी दो व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे।

निदेशालय की रोस्टर पंजिका का निरीक्षण राज्य-सरकार स्तर से किया जा चुका है एवं उनके द्वारा अगले वर्ष नियुक्ति हेतु लाई गई संख्या (कैरिड फारवर्ड) पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों की नियुक्ति सर्वप्रथम करने के निर्देश दिये हैं। विभाग द्वारा भविष्य में कमी की पूर्ति की जावेगी।

निदेशक, आयुर्वेद के जयपुर आगमनों का प्रयोजन

227. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 1 जनवरी, 1980 से दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक की अवधि में श्री गोकुलेन्द्र शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान कितने-कितने दिन कहां-कहां पर प्रवास पर रहे ?

(2) जयपुर में इन्हें कब-कब किस-किस प्रयोजन हेतु किसके द्वारा बुलाया गया तथा वे स्वयं कब-कब किस प्रयोजन से जयपुर आये ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" में प्रस्तुत है।

(2) जयपुर यात्रा का विवरण एवं प्रयोजन परिशिष्ट "ब" में प्रस्तुत है।

विभागाध्यक्ष को समय-समय पर विभिन्न संवर्ग की डी. पी. सी., विधान सभा प्रश्नों के उत्तर, कटौती प्रस्ताव, औषध क्रय टेण्डर, भारतीय चिकित्सा पंजीयन की बैठक, परिवर्तन प्रस्ताव, मंत्री महोदय से विचार विमर्श, औषधालय खोलने व परिवर्तन करने, विभागीय विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने, एक वर्षीय एवं छठी पंच वर्षीय योजना-निर्माण, पे-क्लिनिक की बैठक, अनुदान समिति की बैठक, नियुक्ति संबंधी बैठक, विभिन्न संघों के मांग पत्र एवं हड़ताल, राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, नियमों में संशोधन, आदि विभिन्न कारणों के कारण जयपुर आना जाना पड़ता है। अतः वह सूचना नहीं रखी जाती है कि कब किसके बुलाने पर जयपुर की यात्रा की गई।

(विवरण "अ" व "ब" के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) के कुओं को गहरा करना

228. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ 1980-81 में ब्लास्टिंग द्वारा कुओं को गहरा करने की स्वीकृति प्रदान की गई ? यदि हां; तो कितने कुओं का ब्लास्टिंग किया गया एवं कितने ट्यूबवेल खोदे गये ? कृपया व्यक्तिवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां। लघु कृषक विकास अभिकरण के द्वारा तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के आदिवासियों के कुओं को वर्ष 1980-81 में गहरा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस कार्य हेतु रुपये एक लाख (1.00 लाख) अभिकरण द्वारा इस विभाग में जमा कराया गया तथा कृषकों की सूची प्रदान की गई। इस धनराशि के अन्तर्गत कुल 18 कृषकों के कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा

गहरा किया गया। सूची परिशिष्ठ 1 पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

अजमेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास

229. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों के लिये अजमेर नगर एवं जिले में कितने छात्रावास संचालित हैं ?

(2) इन छात्रावासों में आवश्यक खाद्य सामग्री, ईंधन, स्टेशनरी वगैरह वर्ष 1980-81 हेतु कौन-कौन से ठेकेदार सप्लाई करते रहे हैं ?

(3) इन ठेकेदारों का चयन किस आधार पर किया गया ? क्या टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस ने किस-किस भाव के टेण्डर दिये और वे किसके सामने खोले गये ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग की ओर से अजमेर नगर में एक एवं जिले में कुल सात छात्रावास संचालित है।

(2) इन छात्रावासों में खाद्य सामग्री, ईंधन, स्टेशनरी आदि वर्ष 80-81 में निम्न ठेकेदार सप्लाई करते हैं :—

1. मै. प्रहलाद चन्द ईश्वरचन्द गगवाना।
2. मै. श्री निवास लोहिया, ब्यावर।
3. मै. चौथमल एण्ड सन्स, अजमेर।
4. मै. राधेश्याम रमेश चन्द, अजमेर।
5. नेमीचन्द सब्जीवाला, अजमेर।
6. शिव शंकर लकड़ी की टाल, अजमेर।
7. रमेश ट्रेडिंग कम्पनी, अजमेर।

(3) इन ठेकेदारों का चयन निविदायें आमन्त्रित कर जिनकी जिस सामग्री की दरें न्यूनतम पाई गयीं उसके आधार पर किया गया। टेण्डर में प्राप्त न्यूनतम दर व व्यापारी का नाम संलग्न सूची में अंकित है।

टेण्डर अतिरिक्त तहसीलदार अजमेर (प्रतिनिधि जिलाधीश) तहसीलदार अजमेर, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर तथा अधीक्षक, पुनर्वास केन्द्र समाज कल्याण विभाग, अजमेर के सामने खोले गये थे। प्राप्त टेण्डरों की प्रतियां संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

मेडिकल कॉलेज, अजमेर एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में मेल नर्सेज के रिक्त पद

230. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, अजमेर में इण्डियन नर्सेज पैटर्न के अनुसार कितने मेल नर्सेज के स्थान रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन रिक्त स्थानों की वजह से चिकित्सालय की सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार इन रिक्त स्थानों की पूर्ति का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में इण्डियन नर्सेज पैटर्न अभी लागू नहीं किया गया है। उपलब्ध साधनों के देखते हुए विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्वीकृत पदों में से 18 पद मेल नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त है।

(2) जी हां।

(3) प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

आदिवासी महिलाओं में शिक्षा का प्रसार

232. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उप-योजना क्षेत्र के आदिवासियों में प्रचार माध्यमों से शिक्षा प्रसार हेतु इस वर्ष क्या कदम उठाये गये ?

(2) क्या आदिवासी महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिये राज्य सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो इसे कब तक मूर्त रूप दे दिया जावेगा ? कृपया योजना की रूपरेखा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों में जिला जन सम्पर्क विभाग की विभिन्न प्रचार इकाइयों द्वारा प्रदर्शनियों, फिल्म प्रदर्शन, साहित्य वितरण, समाचार प्रेषण आदि के द्वारा जन सम्पर्क व शिक्षा प्रचार का कार्य किया गया। प्रतापगढ़ में नये सहायक जन सम्पर्क कार्यालय की स्थापना की गई है तथा सलूम्बर में सहायक जन-सम्पर्क कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। "रोशनी का रथ" वाहन के माध्यम से भ्रमणशील प्रदर्शनी लगाई जाती है।

आकाशवाणी उदयपुर द्वारा प्रति सप्ताह गुरुवार एवं शुक्रवार को आदिवासियों के लिये वागड़ी भाषा में 'खेती में आज' एवं 'खेती एवं घर' कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है इससे भी आदिवासियों में शिक्षा प्रसार में प्रोत्साहन मिलता है।

(2) आदिवासी महिलाओं में शिक्षा का प्रसार 400 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र एवं 400 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिये अलग से कोई योजना नहीं है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खोले गये नवीन छात्रावास

233. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) इस वर्ष जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कितने नवीन छात्रावास खोले गये ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) कितने छात्रावासों में छात्र संख्या में वृद्धि की गयी ? क्या विभाग के पास छात्र संख्या में वृद्धि एवं नवीन छात्रावास खोलने के लिये विभागीय मांग प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किस-किस जिले से ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) इस वर्ष जनजाति उपयोजना क्षेत्र में समाज-कल्याण विभाग द्वारा चार राजकीय छात्रावास खोले गये हैं। सूची संलग्न है।

(2) वर्ष 1980–81 में किसी छात्रावास की छात्र संख्या में वृद्धि नहीं की गई। नवीन छात्रावास खोलने व छात्र संख्या में वृद्धि करने के जो प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हुये उनकी सूची संलग्न है। भविष्य में अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही इन पर विचार करना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

सीकर जिले के अपाहिजों को पेंशन

234. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सीकर जिले में अप्रेल, 1980 से अब तक कितने अपाहिजों को पेंशन स्वीकृत की गई ? उनके नाम क्या-क्या हैं एवं कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

उत्तर

सीकर जिले में अप्रेल, 1980 से अब तक 15 अपाहिजों को पेंशन स्वीकृत की गई ? प्रति पेंशनर को 40/- रु. प्रतिमाह स्वीकृत हुई जिनके नामों की सूची संलग्न की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सीकर जिले की विधवाओं को पेंशन

235. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में 1 अप्रेल, 1980 से अब तक कितनी विधवाओं को पेन्शन स्वीकृत की गई है ?

(2) सन् 1978-79 एवं 1979-80 में कितनी विधवाओं को पेंशन दी गई ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में 1 अप्रेल, 1980 से अब तक 172 विधवाओं को पेंशन स्वीकृत की गई है।

(2) वर्ष 78-79 में 131 विधवाओं तथा वर्ष 79-80 में 539 विधवाओं को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई।

राजकीय एवं संस्थागत महिला सदन

236. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राजकीय तथा संस्थागत महिला सदनों की संख्या कितनी है ? यह सदन कहां-कहां स्थित है तथा वर्ष 1980-81 में इन पर कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान था ? उसमें से दिनांक 11 फरवरी, 1981 तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि जून, 1980 के बाद सरकार को महिला सदनों की अव्यवस्था आदि के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) महिला सदनों में प्रति आवासनी प्रति माह कितना व्यय किया जाता है ?

(4) क्या महिला सदनों में आवासनियों के जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाने के लिये कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो कहां-कहां व किस-किस प्रकार की ?

(5) क्या सरकार इन सदनों की व्यवस्था व प्रगति से सन्तुष्ट है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में केवल एक राजकीय महिला सदन है। यह सदन जयपुर में पुराना घाट में स्थित है। वर्ष 1980-81 में महिला सदन के लिये 2.52 लाख का बजट प्रावधान है जिसमें से दिनांक 11-2-81 तक 2.46 लाख रु. व्यय हो चुके हैं।

(2) जी हां। सुधार का प्रयत्न किया जा रहा है।

(3) महिला सदन में प्रति आवासनी प्रतिमाह लगभग 123.00 रु. व्यय होता है।

(4) महिला सदन में आवासनियों को जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाने के लिये उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि उद्योगों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

(5) जी नहीं। इनकी व्यवस्था में और सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।

व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था, शासकीय वक्तव्य व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिये समयावधि

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों को एक व्यवस्था की ओर सूचना दे दूं। कॉल अटेन्शन मोशन और स्थगन प्रस्तावों पर माननीय सदस्यों द्वारा थोड़े समय की चर्चा और मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्यों आदि में बहुत अधिक समय लगता है और कार्य सूची का जो मूल कार्य है उसके लिए बहुत ही कम समय अवशेष रहता है। इस लिए मैंने यह व्यवस्था की है कि स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा, मंत्रियों के वक्तव्य और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा डेढ़ बजे तक समाप्त हो जानी चाहिये और यदि

(श्री अध्यक्ष)

अति आवश्यक हो तो उस समय को दो बजे तक बढ़ाया जा सकता है। माननीय सदस्य जो भी अपनी बात को कहें वे बहुत ही संक्षेप में कहें और हमेशा समय का ध्यान रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की व्यवस्था आपने दी उस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है कि कल भी आपने एक बात का उल्लेख किया था। क्वेश्चन और कॉल अटेन्शन मोशन, एडजोर्नमेंट मोशन, इसी प्रकार से मंत्री महोदय द्वारा जो वक्तव्य दिये जाते हैं, उस सम्बन्ध में अलग-अलग पार्टीज के प्रतिनिधियों की बैठक बुला ली जाये या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाकर इस सम्बन्ध में सब मिलकर ऐसी व्यवस्था करें कि कार्यसूची का जो कार्य है वह भी चलता रहे और कॉल अटेन्शन मोशन आदि दूसरे विषयों पर भी चर्चा हो सके, यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : आपने जो राय दी है उससे मैं सहमत हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नों के उत्तर में उल्लिखित सूची

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी किन्तु अभी तक हमें प्रश्नों के उत्तर की सूची, प्रति नहीं मिली है....

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

श्री हरीश शर्मा : मैं अच्छे-अच्छे व्यक्तियों से टकराने की हिम्मत रखता हूं। I....

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था :

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1—श्री मोहनलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरदार शहर नगरपालिका क्षेत्र में वहां के अधिशासी अधिकारी द्वारा सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जे करवा कर फर्जी पट्टे जारी करने के विषय में।

2—सर्व श्री हीरालाल आर्य, बालचन्द्र आर्यवीर, अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना अकलेरा जिला झालावाड़ के अन्तर्गत कंचन नामक बालिका का अपहरण तथा बलात्कार की घटना के विषय में।

3—श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर के दधिमति शिक्षक तथा शिक्षण महाविद्यालय में बी० एड० की कक्षाओं में अनियमित प्रवेश के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

4—श्री त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा की ओर से जयपुर की आजाद नगर कच्ची बस्ती में पाइप लाइन होने के बावजूद पीने के पानी की व्यवस्था न होने के विषय में,

5. श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से विद्युत विभाग प्रतापगढ़ में सहायक अभियन्ता द्वारा रिश्वत लेकर बिजली के कनेक्शन देने व किसानों को परेशान करने के विषय में,

ये प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं फिर भी राज्य सरकार को इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां), श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के स्थानान्तरण पर रोक लगाये जाने के बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी कोटा द्वारा एक अध्यापक का स्थानान्तरण करने के विषय में।

यह एक तुच्छ मामला है और स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

(7) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर परिषद् में माह फरवरी, 1981 की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान महिला सफाई कर्मचारियों की पिटाई के बावजूद उपचार की कार्यवाही न होने के विषय में।

यह हाल की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है और स्थगन प्रस्ताव का भी विषय नहीं है।

(8) श्री लच्छूराम (मण्डावा), सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 13 मार्च को गांव रशीदपुरा जिला सीकर में किसान यूनियन द्वारा बिजली व डीजल आदि की मांगों को लेकर आन्दोलन शुरू करने के विषय में,

यह प्रस्ताव भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

(9) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गैस का कारखाना राजस्थान में न लगाने के विषय में लोक-सभा में पैट्रोलियम एवं रसायन मंत्री द्वारा दिये गये एक वक्तव्य के विषय में,

यह प्रस्ताव एक समाचार पत्र में प्रकाशित केन्द्र सरकार के एक मंत्री के वक्तव्य पर आधारित है, जिसके आधार पर किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

पूर्व में प्राप्त कुछ स्थगन प्रस्तावों पर मेरा निर्णय इस प्रकार है—

(1) श्री महाराम चौधरी : राज्य सरकार द्वारा गोवंश की निकासी पर प्रतिबन्ध के बाद राजस्थान में पशुओं की कीमतें कम हो जाने के विषय में। इस विषय पर सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जावेगा जिसकी तिथि बाद में दी जावेगी।

(2) श्री देवीसिंह भाटी : बीकानेर जिले की तहसील कोलायत की कुछ जमीन किसानों से अवाप्त करने के बाद उन्हें मुआवजा न देने के विषय में।

Page No. 42

(४२)

(श्री अध्यक्ष)

(3) **श्री नाथूसिंह** : राजस्थान के न्यायिक अधिकारियों द्वारा राज्य की न्यायिक सेवाओं में भ्रष्टाचार के मामले मुख्यमंत्री को सौंपने के विषय में।

(4) **श्री रघुवीरसिंह कौशल** : चम्बल सिंचित क्षेत्र में वहां के क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा दो न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कार्य न करने देने के विषय में,

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

यह जो कार्य सूची है काफी लम्बी है। आतायात मंत्री का वक्तव्य होगा। उसके बाद में स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा। डेढ़ बजे, दो बजे तक इस कार्य को समाप्त करना है। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को आसन ने अस्वीकार किया है, या जानकारी प्राप्त करने के बाद अस्वीकार किया है, उन पर माननीय सदस्य दो-दो मिनट ही बोलेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नों को सूची में सम्मिलित करने के लिये लाटरी

श्री रामकंवार बैरवा (फागी): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। लाटरी द्वारा जो प्रश्न लिये जाते हैं उनके तो उत्तर आ जाते हैं और बाकी प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाता है।.......

श्री अध्यक्ष : इस स्थिति में मैं असमर्थ हूँ।

श्री राम कंवार बैरवा : मेरा निवेदन है कि इनके लिखित उत्तर तो छपने चाहिये। वे रद्द नहीं होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) पाइन्ट आफ आर्डर।...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर तब उठाया जाता है जब कि नियमों के विरुद्ध कार्यवाही हो रही हो, उस अवस्था में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री मेघराज तावड़: अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान).... खेतड़ी नगर में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

माननीय सदस्य....

श्री मेघराज तावड़ : मैं इन्फार्मेशन दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित न करें।....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : व्यवस्था की बात नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : श्रीमान, वहां पर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें। श्री त्रिलोकसिंह।

समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर स्थगन प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरे दो पाइन्ट आफ आर्डर हैं।

पहले तो जो आपने व्यवस्था दी उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि श्री घनश्याम तिवाड़ी ने अभी जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया था उसको आपने रिजेक्ट किया है, अस्वीकार किया है उसके लिए, कुछ कहना नहीं है, आपकी व्यवस्था है लेकिन अस्वीकार करने का जो कारण बताया है उस पर आपत्ति है। यह कारण बताया कि किसी समाचार पत्र में छपे हुये समाचार के आधार पर स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता है।

लोकसभा में कल ही माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है वह उत्तर पूरा का पूरा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मूल में समाचार पत्र आधार नहीं है, लोकसभा या राज्य सभा में जो उत्तर दिया गया है यह स्थगन प्रस्ताव उसी के आधार पर दिया गया है। यह राजस्थान के हित में है कि सरकार इस पर कोई विचार करे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोकसभा और राज्य सभा की 'कार्यवाही और उस की प्रक्रिया तुरन्त मंगायी' जाय यह तो सम्भव नहीं है इसलिये समाचार पत्रों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करूंगा कि लोकसभा और राज्य सभा, जहां कई माननीय सदस्य गये हुए हैं, में समाचार पत्रों के आधार पर ही सारी कार्यवाही की जाती है बल्कि प्रश्न किये जाते हैं कि फलां तारीख को हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है, क्या यह सही है? यह एक ही उदाहरण नहीं, आप देख लें बीसों उदाहरण मिल जायेंगे। हमेशा से ही प्रश्न प्रेस की इन्फार्मेशन के ऊपर निर्भर करते हैं। यही नहीं प्रेस के नाम पर काल अटेंशन भी मूव किया जाता है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : मेरा नम्र निवेदन है कि दूसरी विधान सभाओं और लोकसभा में किस आधार पर स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है उसमें मैं नहीं जाता लेकिन मेरी मान्यता यह है कि जो कुछ भी यहां कहा जाये माननीय सदस्य अपनी जिम्मेदारी से कहें कि इसमें सत्य है या उसकी सत्यता के बारे में यह कह दें कि फलां अखबार में छपा है, इसको तो हम सही नहीं मानें, पर यह कह दें कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सही है तो हम मान लेंगे। प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। पर अब इस पर विचार नहीं होगा।

उपाध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पॉइन्ट आफ आर्डर है। आपका ध्यान संविधान के आर्टीकल 178 की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि....

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"Every Legislative Assembly of State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker, becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be."

अध्यक्ष महोदय, इसका हवाला देते हुए अपने रूल्स की धारा 8 में है।

"The election of a Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix and the Secretary shall send to every member notice of this date."

मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि लगभग एक वर्ष का समय हो गया इस सदन में डिप्टी स्पीकर नहीं हैं। इसमें कहीं सरकारी पक्ष कोई समय निश्चित करे इसकी आवश्यकता नहीं है यह, अध्यक्ष महोदय, आपको समय निश्चित करना है कि किस समय उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाये। इसलियेयह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको हम कल से देख रहे है और जब से सदन चला है अकेले होने के कारण से आप परेशान रहते है....

एक माननीय सदस्य : थक गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली राज्य विधान सभा है कि जिस विधान सभा में विना उपाध्यक्ष के एक वर्ष का समय निकल जाये और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो। कांग्रेस का आंतरिक मामला क्या है इसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। आपस में सलेक्शन नहीं कर पाये यह उनकी मर्जी की बात है। लेकिन जहां तक स्पीकर का काम है उनको तारीख निश्चित करनी चाहिये कि किस तारीख को चुनाव होंगे। इसलिए कहना चाहूंगा कि तुरन्त उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख निश्चित करें और चुनाव करायें।

श्री अध्यक्ष : 'As soon as may be'
(व्यवधान)

मैं मानता हूं कि देरी हुई है। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

श्री महाराम चौधरी : विलम्ब ही नहीं हुआ है आपको परेशानी भी हुई है। आप अकेले बोझ ढोते हैं। हमको भी कई बार अपने विचार भावना व्यक्त करने में परेशानी होती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय जा रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यदि आप नाराज न हों तो आप विपक्षी पक्ष की तरफ देखें तो चश्मे को न उतारें क्योंकि खुली पलक में झूंठा गुस्सा बंद पलक में प्यार। इसलिये आप हमेशा चश्मा उतार कर देखते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि दूर देखने के लिये मुझे चश्मा लगाना ही पड़ता है।

Page No. 45

५५

(श्री अध्यक्ष)

श्री त्रिलोक सिंह । संक्षेप में, माननीय सदस्य ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर के पश्चिमी भाग में एक मजदूर वस्ती है आजाद नगर के नाम से वैसे तो पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था है कि गरीब लोगों के लिये इस राज्य में कुछ भी नहीं है । हम लोग गांवों के हैं, हम किसान हैं, हम देखते हैं कि गांव में रोशनी नहीं है, सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है, दवाखाने नहीं है । वही हालत शहर के मजदूर की है । यह किसी मजदूर का विवाद नहीं, किसी पार्टी का विवाद नहीं है यह इंसानियत का सवाल है, हमारी जिम्मेदारी है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि बार-बार यहां हमारे मुख्य मन्त्रीजी पहाड़ियाजी कहते हैं कि हम राजस्थान के प्यासे लोगों के लिये पानी देंगे । पानी नहीं है पीने का, मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं होता है कि जो सरकार 35 सालों में राजस्थान के लोगों को रोटी न दे सकी, जमीन नहीं दे सकी····

श्री अध्यक्ष : भूमिका लम्बी हो रही है । दो मिनट का समय ही है । आप पानी के बारे में फर्मा दें ।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं कम से कम यह उम्मीद करता हूं कि शहरों कि जो कच्ची बस्तियां हैं उन्हें पानी दिया जाये । मजदूरों ने और जलदाय विभाग ने मिलकर पाइप लाइन डाल दी है पर पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाता है । मैं नहीं समझता हूं कि इसमें क्या परेशानी है । यह कांग्रेसी लीडर क्यों उदासीन हैं ? मैं सरकार से अपील करूंगा कि इन मजदूरों को पानी दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा ।

श्री शिवराम शर्मा (वनीपार्क) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : आप अन्य किसी अवसर पर अपनी बात कह सकते हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर ।

श्री अध्यक्ष : नियमों में पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस सम्बन्ध में छोटी सी बात कहना चाहती हूं । वहां बस्ती में पाइप लाइन डाल दी है ।

श्री अध्यक्ष : आप गलत परम्परा डाल रही हैं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री शिवराम शर्मा : यह गलत नहीं है । गलत लाइन डाली गयी है, डलवायी गयी है इधर से । दो सौ आदमियों को फायदा होता है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य । गलत तरीका है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह गलत तरीका नहीं है । एक मिनट का समय । यह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पानी के मामलों में नेतागिरी चल रही है। उस लाइन को दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ तहसील में काश्तकारों के कुओं को कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में वर्ष 1980-81 में 1510 प्रार्थना-पत्र आये हैं जिनमें से 708 कुओं को विभाग द्वारा कनेक्शन दिये गये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वहां से इशारा करके मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं मैं न बोलूं। उनकी इंटेंशन गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग लाइन बदलवाना चाहते है, ये लोग कहते है कि मेरे इलाके में है। ये मुझे धमका रहे हैं।

श्री शिवसिंह रावत (बाड़ी) : जहां से सर्वे हुआ था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य। श्री नन्दलाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दुबारा आर्डर ले लो।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, प्रतापगढ़ तहसील में 1510 में से केवल 708 प्रार्थना-पत्रों पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिये गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य। आपस में बात नहीं करें।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ आदिवासी क्षेत्र में बहुत तहसील हैं। जनता शासन के दौरान प्रतापगढ़ के तहसील के अधिकांश गांवों को इलेक्ट्रिफाई किया गया। मन्शा यह थी अध्यक्ष महोदय, कि यहां के रहने वाले गरीब लोगों के कुओं पर यदि मोटरें लगेंगी तो उनकी आर्थिक हालत सुधरेगी। परंतु वहां सहायक अभियंता ने गत एक वर्ष से इस तरह की तानाशाही और भ्रष्टाचार फैला रखा है जिसकी वजह से वहां के अनपढ़ काश्तकार भयंकर रूप से प्रभावित हैं और बहुत ही परेशान हैं। इसके लिए समय-समय पर काश्तकारों ने विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को इस बात का प्रार्थना पत्र भी दिया कि सहायक अभियन्ता ने उनके प्रार्थना-पत्रों पर, उनकी सिक्योरिटी जमा कराने पर, उनके डिमाण्ड नोटिस दिये जाने के बावजूद भी उनके कुओं पर विद्युत कनेक्शन नहीं लगाये। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग का यह भी नियम है कि प्रायोरिटी के आधार पर ही विद्युत कनेक्शन लगाये जाते हैं। उसकी एक प्रायोरिटी होती है परन्तु वहां के सहायक

(श्री नन्दलाल मीणा)

अभियन्ता ने, अध्यक्ष महोदय, चतुर्भुज निवासी के कादरी काश्तकार को यह कह कर कनेक्शन नहीं दिया कि तुम एग्जिक्यूटिव इन्जिनियर निम्बाहेड़ी के पास मेरे खिलाफ शिकायत लेकर गये थे और मेरे चाहे अनुसार व्यापारी से आपने मोटर नहीं खरीदी। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे कुओं पर कनेक्शन नहीं दिया जावेगा और आज दिन तक, अध्यक्ष महोदय, उसके कुए पर कनेक्शन नहीं लगाया गया। यह हालत है अध्यक्ष महोदय, दस-दस महीने हो गये, अभी पचास प्रतिशत से भी ज्यादा प्रार्थना-पत्र पड़े हुए हैं, उनको विद्युत के कनेक्शन नहीं दिये गये। जो व्यक्ति 100 रुपये और 150 रुपये देता है उसी का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : उसके कुएं पर कनेक्शन लगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस बात की व्यवस्था करे, उनके कुओं पर मोटरें लगवाये और जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं यह मांग करता हूं कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। वे काश्तकारों से चूस-चूस कर पैसा लेते हैं और उच्च अधिकारियों का पेट भरते हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : मेरी मांग है कि उन काश्तकारों के कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिया जावे और जिन अधिकारियों के खिलाफ काश्तकारों ने शिकायतें कीं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल। बहुत ही संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रान्सफर की बात होती तो मैं नहीं कहता, आपने इस मामले में बहुत कुछ बताया। एक महीने में पांच बार ट्रान्सफर हुए हैं—गुलाब नाम के अध्यापक के। जब से हनुमान प्रभाकर जी से शिक्षा विभाग छीना गया, अध्यापकों ने चैन की सांस ली थी किन्तु अब भी फरवरी में, अध्यक्ष महोदय, बिहारीलाल नाम के एक अध्यापक का 3-2-81 को ट्रान्सफर हुआ, 8-2-81 को फिर उसका ट्रान्सफर कैन्सिल किया गया, और उसकी जगह दूसरा अध्यापक आ गया, फिर 13-2-81 को उसका ट्रान्सफर करके दूसरे अध्यापक को लगाया गया और इसके विरुद्ध बिहारीलाल अध्यापक ने राज्य सरकार में अप्रोच की। राज्य सरकार ने 24-2-81 को इन्सपेक्टर को आदेश दिया

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

कि राज्य सरकार का आदेश है कि इस स्थानान्तरण को तुरन्त स्थगित किया जाकर आप सूचित करें कि आपने यह कार्य कैसे किया? किन्तु इसके बाद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वह गया तो उसको इन्सपेक्टर ने बुलाकर धमकाया और कहने लगे कि मैं राज्य सरकार की या सैक्रेटरी के आदेश की पालना नहीं करता हूं। मैं तो सीधा मंत्री से संबंध रखता हूं, रामकिशन जी वर्मा मेरे रिश्तेदार हैं, जब तक वह है मैं सैक्रेटरी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। वह अध्यापक दुबारा सरकार के पास गया। राज्यसरकार ने दुबारा आदेश निकाला कि इस विषय में निदेशानुसार निवेदन है कि श्री बिहारीलाल मिश्रा नयापुरा का स्थानान्तरण 24-2-81 को स्थगित करने के लिए लिखा गया था। मैं, मा० अध्यक्ष महोदय, इस मामले को गम्भीरता से इसलिए ले रहा हूं कि इन्होंने स्थानान्तरण स्थगित करने के लिए लिखा लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं किये गये, यह कतई उचित नहीं है। और आगे लिखा है कि श्री मिश्रा का स्थानान्तरण राज्यादेश के अनुसार अविलम्ब स्थगित किया जाकर इसकी रिपोर्ट पालना भेजी जावे। जब दुबारा वह अध्यापक राज्यादेश लेकर इन्सपेक्टर के पास गया तो इन्सपेक्टर ने उस राज्यादेश को फैंकते हुए अध्यापक को बुलाकर धमकी दी कि मैं तुमको सस्पैन्ड कर दूंगा। राज्यादेश मेरे लिए कुछ नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, यह अध्यापक के स्थानान्तरण का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि एक इन्सपेक्टर की इतनी हिम्मत कि वह दो-दो बार राज्य सरकार के आदेश को उठाकर फेंक दे और अध्यापक को धमकी दे कि तुमको निलम्बित कर दूंगा।

मान्यवर,

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो गये, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : स्थानान्तरण आदेश निकलने के बाद मन्त्री महोदय ने उसको कैन्सिल करवाया। इस कारण से आज सारे अध्यापकों में असन्तोष फैला हुआ है और उन्होंने मीटिंग करके राज्य सरकार के खिलाफ आन्दोलन की चेतावनी दी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हनुमान प्रभाकर जी शिक्षा मन्त्री नहीं हैं, अब बदल गये हैं, अध्यापकों को आशा है, उसके अनुसार इन्सपेक्टर ने राज्यादेश की पालना नहीं की, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। मेरा निवेदन है कि तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

जयपुर नगर परिषद में माह फरवरी, 1981 की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान महिला सफाई कर्मचारियों की पिटाई के बावजूद उपचार की कार्यवाही न होने के विषय में।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता कि अपने आपको हरिजन कहलाने वाले मुख्य

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मन्त्री महोदय सदन में होते और मैं जब महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज के हादसे का जिक्र करता तो मुख्य मन्त्री जी अपनी टिप्पणी करते : लेकिन फिर भी उनके प्रतिनिधि हमारे आर्य साहब यहां विराजमान हैं। हमारे प्रदेश के सफाई कांग्रेस के नेता और अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी नेता हैं इसलिए मैं उनके द्वारा हमारी बात, उन मेहतरानियों की बात, सफाई कर्मचारियों की बात, सफाई मजदूर कांग्रेस के नेता श्री मांगीलाल जी आर्य, उपमंत्री राजस्थान के द्वारा अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघों के नेता श्री बूटासिहजी को, श्रीमती इन्दिरा गांधी तक पहुंचाने की अर्ज करता हूं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिये, गांधी जयन्ती के दिन, 2 अक्टूबर को आप सारे कांग्रेस के लोग नाटक करके सफाई कर्मचारियों की बस्ती में जाकर उनका पानी पीकर वोट बटोर लेते हैं, गांधीवाद के नाम पर गांधीकी एक तस्वीर लेकर उनको गुमराह करके राजनीतिक लाभ ले लेते हैं लेकिन जब हिन्दुस्तान का वह मेहतर कर्मचारी, जो आप गन्दगी करते हो वह साफ करते हैं, उस गन्दगी को साफ करने वाले व्यक्ति को आप लाठी के बल पर दबाना चाहते हैं। जब उसने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जब उसने अपनी वर्दी मांगी, अपनी झाड़ू मांगी अपनी टोकरी मांगी, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, श्रीमन्, हिन्दुस्तान का का कोई भी कर्मचारी, कोई भी बाबू हो, डाक्टर हो, या कि फैक्ट्री का मजदूर हो, अपने औजारों के लिए लड़ाई नहीं करता। डॉक्टर या कम्पाउण्डर कभी इन्जेक्शन की सीरींज के लिए नहीं कहता या दवाइयों के लिये लडाई नहीं करता। लेकिन सफाई कर्मचारी जो गन्दगी आपने फैलाई है, उसको साफ करने के लिए झाड़ू की, टोकरी की मांग करते हैं तो यह निकम्मी, पहाड़िया जी की सरकार उन पर लाठियां चलवाती हैं। अगर महिलायें चलातीं तो कोई दुःख की बात नहीं थी लेकिन मर्दों ने, औरतों पर लाठियां चलाईं। यह कितने अफसोस की बात है कि महिलाओं पर पुलिस वालों ने लाठियां चलाईं और एक मेहतरानी मनोहरी बाई का पैर टूट गया, उसके फ्रेक्चर हो गया।

(व्यवधान)

उसके न बेटा है, न बेटी है और न पोता है, कोई भी नहीं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : श्रीमान्, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि आज नगरपालिका में जो भत्ता दिया जाता है, मैडिकल अलाउन्स 20/–दिया जाता है। मैं स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से और स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या 20/– रु. जो आप मैडिकल अलाउन्स देते हैं, उससे उसका उपचार हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, इस हनुमान की वजह से 34 दिन हड़ताल चली, हनुमान प्रभाकर को बीच में ही घुटने टेकने पड़े और उनकी मांगें माननी पड़ीं। अगर तीन दिन के बाद मान लेते, 3 दिन पैसे का दुरुपयोग हुआ है उस ठेकेदारी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरा आरोप है कि रामगढ़ से बुलाए गये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : हड़ताल के दौरान पैसे का दुरुपयोग किया गया, नगरपालिका के पैसे का दुरुपयोग किया गया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं मांग करता हूं कि महिलाओं के उपचार पर जो खर्चा किया गया वह सरकार द्वारा दिलाया जाये व उनको राहत दिलाई जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): एक महिला की कमर की हड्डी तोड़ दी गई है जो अभी भी चल नहीं सकती। हरिजन महिला है, उसकी कोई सेवा चाकरी करने वाला नहीं, क्या राज्य सरकार उसको उपचार सहायता देगी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, 21-22 फरवरी को राजस्थान किसान यूनियन का प्रांतीय अधिवेशन सीकर में हुआ। राजस्थान के कोने-कोने से आये हुए करीब 50 हजार प्रतिनिधियों ने यह फैसला किया, उन्होंने एक मांग पत्र पेश किया, 15 दिन का नोटिस राज्य सरकार को दिया कि अगर ये मांगें हमारी मंजूर नहीं की गई सहानुभूतिपूर्वक तो हम आंदोलन करेंगे। किसानों का मांग पत्र इस प्रकार है ...

श्री अध्यक्ष : मांग पत्र पूरा नहीं पढ़ने दिया जायगा। आप जबानी दो मिनट में बोल लें। मांगें तो आपको याद होनी चाहिये, पढ़ने की क्या जरूरत है ?

श्री लच्छूराम : (1) बिजली कटौती एवं समय पर बिजली नहीं मिलने से किसान को हुए नुकसान की पूर्ति 500) रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से की जावे।

(2) खेती और कारखाने की पैदावार का मूल्य, समता मूल्य के आधार पर तय किया जाकर किसान के साथ न्याय किया जावे।

(3) किसान के कृषि उत्पादनों के समर्थन मूल्य श्रम और पूंजी की लागत तथा उचित मुनाफे को ध्यान में रख कर सरकार तय करे।

(4) खेती के क्षेत्र में बिजली का केवल 14 प्रतिशत बहुत कम है। इसलिये इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करके किसानों को पूरी बिजली दी जावे और यह व्यवस्था मौजूदा रही सही रबी की फसल को बचाने के लिए तुरंत की जावे।

(5) खेती को उद्योग घोषित किया जावे।

(6) प्रदेश के अकाल ग्रस्त जिलों को सूखे के बजाय अकाल ग्रस्त घोषित कर अधिकाधिक राहत कार्य खोले जावें और

(श्री लच्छूराम)

सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देकर युद्ध स्तर पर पूरा कराया जावे तथा हेमावास व जवाई बांध से जोधपुर के लिए पीने के पानी को 27 करोड़ की पाइप लाइन योजना समाप्त कर यह पानी खुली नहर से ही ले जाया जावे ताकि रास्तों के सैंकड़ों गांवों की खेती की सिंचाई होती रहे और इन गांवों में पीने के पानी की समस्या खड़ी न हो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लच्छूराम : (7) गरीब और गांव का विकास करने के लिए जिले में जमा बचत का रुपया जिले में ही खर्च किया जावे और गांव के गरीब लोगों की जमा राशि को बड़े शहरों में जाने से रोका जावे।

(8) प्रदेश....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने की इजाजत नहीं दी जायगी। आॅर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

समय हो गया, कृपया समाप्त करें।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, यही कांग्रेस(आई)की सरकार किसानों के समर्थन में रेली पर दिल्ली में जाकर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है और राजस्थान का किसान जिसने बिजली के अभाव में खेती शुरू की है, उसके लिए किसानों ने जो मांग पत्र दिया है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अब तक 15 दिन के नोटिस के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर इस मांग पत्र का किसानों को नहीं दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह कहना है कि अगर समय रहते किसानों की मांगों पर विचार नहीं किया तो किसानों का जैसा 13 तारीख को प्रदर्शन हुआ सीकर जिले में, जैसा आंदोलन कर रहे हैं सीकर जिले में ही नहीं बल्कि राजस्थान के कोने-कोने में 15 दिन में, हर जिले में हर तहसील में किसान करेंगे....

(व्यवधान)

इसलिए समय रहते हुये, हमारी मांग है कि पूरी बिजली किसान को दी जाय और...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री लच्छूराम : और यह जो मांग पत्र है, यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो हर जिले में किसान आंदोलन करेंगे, केवल सीकर में ही नहीं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आपका भाषण समाप्त हुआ। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन मामले की नाजुकता को देखते हुए, राजस्थान के हित को देखते हुये, इस विषय पर मुझे बोलने की इजाजत दें....

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। दो मिनट में फर्मा दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बम्बई हाई से जो गैस प्राप्त होती है, वह गैस केवल एक प्रदेश की प्रापर्टी नहीं है, सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रापर्टी है । राजस्थान में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए उद्योगों का प्रतिशत देखें तो टोटल लगाई पूंजी का सिर्फ 2।। प्रतिशत राजस्थान में लगाया गया है ।

श्री अध्यक्ष : विषयांतर हो रहे हैं, कितना पर्सेंट है यह इसके दायरे में नहीं आता है । आप गैस पर आधारित खाद कारखाने के विषय में फर्मा दें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बम्बई हाई से प्राप्त होने वाली गैस के दो कारखाने लगने वाले थे—एक राजस्थान में लगने वाला था । तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने तत्कालीन पेट्रोलियम व रसायन मंत्री श्री हेमवती बहुगुणा को पत्र लिखा था और जवाब में उन्होंने कहा था कि एक कारखाना गुजरात में और एक राजस्थान में लगेगा । इस सरकार के गठन होने के बाद केंद्रीय मंत्री श्री जगदीश सिंह ने 2 दिसम्बर को श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत व श्री नवल किशोर शर्मा के प्रश्न के उत्तर में लोक सभा में बताया था कि राजस्थान में खाद का कारखाना लगेगा । इसके पश्चात् राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने एक वक्तव्य दिया था, 7 जनवरी को जो 8 जनवरी को राष्ट्रदूत में छपा था । उसके बाद में राजस्थान में एक कारखाना लगने वाला था । अध्यक्ष महोदय, न तो इससे मैं कोई राजनैतिक लाभ उठाना चाहता था और न यह राजस्थान के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है । 10 मार्च को वर्तमान पेट्रोल व रसायन मंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी ने लोक सभा में लिखित उत्तर में बताया कि एक कारखाना महाराष्ट्र में लगेगा और एक कारखाना गुजरात में लगेगा । इस प्रकार से 500 करोड़ की लागत से लगने वाला कारखाना राजस्थान के बजाय वहां चला गया, यह राजस्थान के विकास के साथ, किसानों के साथ अन्याय है क्योंकि खाद अधिकांश उन स्टेट्स में होता है और उत्पादन दक्षिण में होगा । वहां से लाने ले जाने का जो खर्चा होगा उससे बहुत परेशानी होगी और राजस्थान के हितों पर आघात होगा । अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना लगने वाला था वह उत्तर प्रदेश में चला गया और एक-एक करके राजस्थान से अगर कारखाने जाते रहे तो राजस्थान के विकास में बाधा पहुंचेगी । औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान पहले ही पिछड़ा हुआ है । इस प्रकार होता रहा तो, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, यह राजस्थान की सेवा का सवाल है, राजनैतिक सवाल नहीं है, राजस्थान के हित के लिए हम यहां बैठे हुए हैं, राजस्थान के विकास का सवाल है और खाद कारखाने पर राज्य सरकार का हक है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार कुछ करे । केंद्रीय सरकार और आप ऐसी व्यवस्था करें । मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं । 10 मार्च को लोक सभा में श्री पी. सी. सेठी ने बयान दिया है, अगर इस विषय पर बहस की जाय तो यह लोक महत्व का प्रश्न है । अतः सदन की कार्यवाही पर कृपापूर्वक पुनर्विचार करके सदन की कार्यवाही में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसको लें ताकि इस पर विचार कर सकें और सरकार जवाब दे सके। यह राजस्थान के हित से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हम सब मिल-कर खाद का कारखाना जो यहां लगने वाला है वह प्राप्त कर सकें....

श्री अध्यक्ष : श्री देवी सिंह। कोलायत तहसील....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा नम्र निवेदन है मैंने जिम्मेदारी के साथ कहा है। यह राजस्थान के हित से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। मा. प्रकाश-चन्द्र सेठी ने कहा है। 2 दिसम्बर को को केंद्रीय मंत्री का बयान हुआ है, 3 दिसम्बर को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। मंत्री महोदय ने कहा राजस्थान में लगेगा तो फिर उस कारखाने को महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों स्थानान्तरित किया जा रहा है ? तो मेरा विनम्र निवेदन है कि राजस्थान के विकास को देखते हुये इस काम रोको को अस्वीकार स्वीकार न करें लेकिन कृपया सरकार से वक्तव्य दिलायें या विचारार्थ करके इस पर बहस की जाय। अतः मेरा बार-बार निवेदन है, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि कृपा करके विचार करें और उसके बाद व्यवस्था दें। सरकार वक्तव्य दे इस बारे में या आप विचार के लिए अस्वीकार करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार एक वक्तव्य दे ताकि इस विधान सभा की भावनायें भारत सरकार तक पहुंचाई जा सकें। इस फर्टीलाइजर, गैस फर्टीलाइजर कोम्पलेक्स के लिये भारत सरकार किस प्रकार से राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है। मैं यह नहीं कहता कि आप आज ही इस पर अपना वक्तव्य दें। आज नहीं दे सकें तो कल दे दें। इस पर सारी जानकारी करके आप वक्तव्य देवें ताकि इस सदन को भी सही जानकारी मिल सके और उसके बाद में राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के विचार भी भारत सरकार को पता लग सकें कि उनका क्या रिएक्शन है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय की भावनाओं का आदर करते हुए मैं इस समय तो इतना ही कह सकता हूं कि यह विषय मेरा नहीं है मुख्यमंत्री जी का है, मैं उनकी भावनाओं को मुख्य मन्त्री जी तक पहुंचा दूंगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सवाल राजस्थान के हितों का है उसके हितों के लिये हम सभी एक साथ प्रयत्नशील हैं ? इसमें दो राय नहीं, चूंकि यह उनका विषय है इसलिए मैं आपकी भावनाओं को उन तक पहुंचा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक यह निवेदन करना

(श्री दाऊदयाल जोशी)

चाहता हूं कि मैं सिरोवेदना के कारण औषधि लेने चला गया था इसी बीच में आपने मेरा नाम पुकार लिया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आज समय का अभाव है, माननीय सदस्य। आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही कम बोलूंगा। बहुत ही कृपा होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : जोशी जी, हम तो आर्डर के अभाव में प्यासे रहते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय मैं फालतू नहीं बोलूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : वही अध्यापक जी वाला मामला।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही जरूरी मामला है। देवीसिंह जी, मैं थोड़ा पहले बोल लूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : ज्यो आदेश आसन रो ।

श्री दाऊदयाल जोशी : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से हमारे राजस्थान में नये उपनिवेशन मन्त्री जी ने कार्यभार सम्भाला है तब से कोटा में एक जाति विशेष को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अभी कोटा नगर में धन्नालाल नामक एक अध्यापक को एक महीने पहले जनवरी माह में रामपुरा से स्थानान्तरित किया गया था और उनको एक गांव में प्रमोशन देकर भेज दिया गया मिर्जापुर गांव में और उसके बाद में एक महीने बाद उनको कोटा में सिविल लाइन्स के स्कूल में लगा दिया। दूसरा एक अध्यापक, प्रहलाद नाम के व्यक्ति को सैकन्ड ग्रेड देकर प्रमोशन देकर बाहर भेजा था उसको वापस बुला लिया। अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्ति ऐसा अध्यापक है जिसने कि दो बार सैकन्ड ग्रेड का प्रमोशन होने पर भी प्रमोशन फोरगो कर दिया था क्योंकि उनको प्रमोशन देकर बाहर लगाया जा रहा था। इसके बाद में इन्होंने नियमों को ताक में रख कर इनको प्रमोशन दिया क्योंकि ऐसा नियम है कि जो अध्यापक दो साल तक अपना प्रमोशन फोरगो कर देता है उसको राज्यादेश के अनुसार प्रमोशन 2 साल पूर्व नहीं मिल सकता लेकिन इनको नये शिक्षा मन्त्री जी ने प्रमोशन दिया और प्रमोशन देते वक्त उन्हें यह कहा गया कि आप एक बार एक माह के लिये मोरफा गांव बाहर चले जावो, आपको

(श्री दाऊदयाल जोशी)

वापस बुला लिया जायेगा। तो, अध्यक्ष महोदय, इन महाशय को मोरफा लगा दिया गया वहां से एक महीने बाद ही कोटा में मुख्य अध्यापक की जगह वापस उनका स्थानान्तरण कर दिया गया। इसी तरह एक नन्दलाल नाम के व्यक्ति सैकन्ड ग्रेट टीचर गणेशपुरा लगाया गया था। एक महीने पहले, उसको भी एक महीने बाद वापस बुला लिया गया कोटा में।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, लोंगर स्टे के कारण एक नन्दकुंवर नाम की अध्यापिका, जो कि 20 साल तक कोटा में रही थी, लोंगर स्टे में ट्रान्सफर कर गया था। उनको भी दो महीने बाद वापिस कोटा बुला लिया गया। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो हमारे भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी ने यह आदेश दिया था कि अब कोई ट्रान्सफर नहीं होगा और अभी-अभी नये शिक्षा मन्त्री जी ने भी यह आदेश दिया था कि कोई भी ट्रान्सफर नहीं होगा। सिवाय इसके कि जिनका प्रमोशन हो या कहीं पर रिक्त स्थान हो तो ही ट्रान्सफर्स किये जा सकते हैं। लेकिन नये उपनिवेशन मंत्री जी के आने के बाद धड़ाधड़ ट्रान्सफर किये जा रहे हैं और वह भी एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रश्रय देने के लिये यह किया जा रहा है। इसी के साथ, अध्यक्ष महोदय, इन आदेशों के बाद भी 554 अध्यापकों के राज्यादेश से किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, उन 554 अध्यापकों को टी० ए० डी० ए० दिया जायेगा। पर जब ऐसा कानून है कि जब किसी व्यक्ति के राज्यादेश के द्वारा स्वेच्छिक आधार पर स्थानान्तरण होते हैं तो उनको टी. ए. डी. ए. नहीं दिया जा सकता है। आप भी जानते हैं पर नियमों के विरुद्ध इन 554 अध्यापकों को किस प्रकार यह टी. ए. डी. ए. दिया जायेगा और कौन व्यक्ति इसको किन नियमों के तहत देगा ? इसकी जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : (कोलायत) अध्यक्ष महोदय, सगला रे पैली तो मैं आपने आ अर्ज करनी चावूं के आ बड़ी दुख री बात है कि मैं मारो स्थगन प्रस्ताव आपरी सेवा में 13 तारीख फरवरी ने पेश कियो पर उणांरो मनै आप री तरफ सु इतना दिन तक कोई जवाब नहीं मिल्यो। मारे ख्याल सुं सरकार मारे स्थगन प्रस्तावों रो जवाब देवणों नहीं चावे। अध्यक्ष महोदय, मारो केवणो ओ है कि साढे चार हजार किसान जिका कि कोलायत में है और उठे राजस्थान नहर रो निर्माण होय रयो है उण साढे चार हजार परिवार री जमीन राजस्थान नहर आवण री वजह सु नहर, सड़क और भट्टो में आ गयी है। जब उण लोगां री जमीन सरकार ले ली है तो पछे सरकार उण लोगां ने मुआवजो क्यों नहीं दे रही है। या पछे जमीन रे बदले जमीन उण लोगां ने दी जावणी चावे। अध्यक्ष

(श्री देवीसिंह भाटी)

महोदय, मारो आपने ओ निवेदण करणो है कि जमीन भी लेवण रो एक तरीको हे है आ तो एक साधारण बात है कि किणी री भी जमीन आप अवाप्त करो तो पहले उणने नोटिस दो और पछे अवाप्त करो पर कोलायत रे इन साढे चार हजार किसानां ने राजस्थान नहर रे दफतर वाला कोई नोटिस नहीं दियो वीरे ऊपर जिण लोगांरी जमीन सड़क व भट्टों में आयेगी उण लोगां री सरकार री तरफ सूं कोई भी सुणवायी आज तक नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछला सत्र में भी आपने आठे सदन में उण लोगां रे वास्ते निवेदन कियो लेकिन मारे बार-बार अर्ज करण रे बावजूद सरकार से विभाग ने इण लोगां रे वास्ते कोई कार्यवाही नहीं कर रह्यो है। अध्यक्ष महोदय, उण वेचारा लोग उठे भोला भाला किसान आज सूं नहीं वल्कि उण लोगां री पीढ़ियों गुजर गयी हैं वे लोग उठे 200-300 साल सूं बैठा है। आज अब उन लोगां ने उठ–बैठो ने सरकार उजाड़ रही है जिण लोगां कने 50 बीघा जमीन ही उन लोगां री जमीन 25 बीघा तो पहली ही अवाप्त हो गयी है, बाकी कुछ जमीन 25 बीघा बची उन लोगां न उठे सूं दस मील दूर जमीन 25 बीघा देवण रो कह रही है आज दस साल बाद जद उठे पाणी आवेलो जद वेचारा इन किसानां ने इणरो फायदा नहीं मिलेगो। आज ए किसान वेचारा बार-बार कोलायत में सरकारी जिको दफतर है नहर वालों उठे जाय रहा कीदी सुनवाई नहीं हो रयी है न तो उण लोगां ने कोई जमीन दी जा रही है न कोई उण लोगांणे कोई मुआवजो ही दियो जा रह्यो है। अध्यक्ष महोदय, ओ कठे रो न्याय है। आखिर कोई बात रो कठेई तो न्याय होवणो चाहीजे। जबरदस्ती उण लोगां री जमीन अवाप्त करली है न कोई नोटिस दियो अब आज वे बेचारा बेघर बार होय रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आ नहीं केवणो चावूं के आ नहर नहीं बननी चाहीजे पर काश्तकारां रो भी तो ख्याल राखीजणो चाहीजे जठे आ बात है कि सरकार उण जमीन ने ली है उठे सरकार रो कर्तव्य हुजाया करे कि काश्तकारां ने भी तकलीफ नहीं हो उण लोगां रो भी दुख दर्द रो ध्यान राखणो चाहीजे। मैं अठे बार-बार आप ने निवेदन कियो वह लोगां भी बार-बार राजस्थान नहर रे कार्यालय जो कि कोलायत में है उठे गया, पर कोई जवाब नहीं मिल रयो है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास जो जवाब आया उसमें वह लोग जिनकी जमीन ली गयी है वह खातेदारी में जमीन नहीं आयी है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मारो अर्ज करण रो मतलब यो है कि मैं खातेदारी जमीन रो कद कह्यो।

श्री अध्यक्ष : आप आकर मेरे पास सरकार का जो उत्तर आया है उसको देख लें।

श्री देवीसिंह भाटी : मारो केवणो वो है चाहे खातेदार वाली री जमीन हो चाहे गैर खातेदार वाली री जमीन पर सरकार ने उण गरीब काश्तकारां ने तुरन्त

(श्री देवीसिंह भाटी)

लोगां ने जमीन रे बदले जमीन आर या उण लोगां ने उन जमीन रो मुवावजो देवणों चाही जै। आपने आ बात निवेदन करनी चाहूं हूं कि अब उठे का काश्तकारां में बहुत उग्र बात फैल री है वे आन्दोलन करेला और अधिकारियां रो घेराव भी करेगां। आ भी हो सके है कि उठे राजस्थान नहर रो निर्माण भी रोक सके हैं। इसमें सारे देश को नुकसान होवेलो। मैं आपने बार-बार निवेदन करने आ अर्ज कर रियो हूं की सरकार तुरन्त उठे स्पेशल अधिकारियां री नियुक्ति करने उण काश्तकार लोगां ने या तो जमीन दे या उण लोगां ने जमीन रो मुआवजो दे। बस आइ म्हारी अर्ज है।

श्री अध्यक्ष : इन माननीय सदस्यों के अलावा श्री नाथूसिंह और रघुवीरसिंह कौशल ने अपने अलग-अलग स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। एक स्थगन प्रस्ताव नाथूसिंह जी का है। वह न्यायिक अधिकारियों के द्वारा न्यायालयों में भ्रष्टाचार के मामलों को मुख्य मंत्री को सौंपने के सम्बन्ध में है। यह शायद इन्होंने किसी अखबार में पढ़ा है उसके ऊपर दिया है। इसके लिये हाइ कोर्ट से जो जवाब आया है उसमें लिखा है कि ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा जो स्थगन प्रस्ताव श्री रघुवीरसिंह कौशल ने दिया है न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानान्तरण के बारे में। स्थानान्तरण सरकार के आदेश द्वारा बन्द किया गया है दिनांक 1-3 से। इस, लिए इस पर अब आगे कोई चर्चा करने की आवश्कता नहीं है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मेरा निवेदन है कि आप उस प्रोसिडिंग्स को मंगा कर देखलें, अगर आप स्वयं उससे सेटिसफाइ हो जावें तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैंने देख ली है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सेटिसफाइ हो जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मुझे खतरा है कि कहीं वहां पर लीपा-पोती हो गयी होगी तो लोकतन्त्र के लिए खतरनाक हो जावेगा। जब जनता ने इन खबरों को समाचार पत्रों में पढ़ा तो जनता में बहुत ही रोष व्याप्त हो गया। क्योंकि लीपा-पोती हो गई है। यह बहुत गम्भीर मामला है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं मंगा कर देख लें ओरिजनल प्रोसिडिंग्स।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैंने देख ली है। यातायात मन्त्री।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र प्रतिवेदन एवं लेखे

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्रीमती कमला। राजस्व मंत्री।

श्री हनुमान प्रभाकर (राजस्व मंत्री के स्थान पर) (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेख सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 के लेखा विवरण।

(2) राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 1979-80 का लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1978-79 का जो लेखा-जोखा है वह आज पेश किया जा रहा है। यानि एक दो साल बाद पेश किया जा रहा है, यह कहां तक उचित है ?

(व्यवधान)

कोई जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह जो पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : इस संबंध में नहीं है। मेरा दूसरा है।

श्री हनुमान प्रभाकर : जो महत्त्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है, उस संबंध में सावधानी वरती जायगी, इतना ही कह सकता हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कल यहां पर किसान रैली के मामले में चर्चा हुई थी, उसके पश्चात् जो मुझे सूचना मिली उसके अनुसार मंत्री महोदय ने सरकार के कुछ अधिकारियों को बुलाया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपने स्थगन प्रस्ताव दिया, वह हमारे पास आया है उस पर व्यवस्था दी जा रही है। माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। कल भी बहुत समय निकल गया और बड़ा टाइम खराब हुआ।

वक्तव्य पर उठाये गये मुद्दों का स्पष्टीकरण

16 फरवरी, 1981 को कांग्रेस (आई) द्वारा आयोजित रैली के लिये जा रही बस की दुर्घटना से हुई कुछ व्यक्तियों की मृत्यु एवं रैली के लिये भेजी गई बसों से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को होने वाली हानि

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने 16 फरवरी को दिल्ली में हुई किसान रैली के संबंध में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रभाकर : एक प्राथमिक वक्तव्य दिया था, उसके बाद कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के विचार व्यक्त किये। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि यह किसान रैली किसान रैली थी और इसी रैली को एक राष्ट्रीय रैली के रूप में स्वीकार करके राज्य सरकार ने निश्चित रूप से इस संबंध में कुछ आवश्यक निर्णय लिये। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस देश में किसानों का एक बड़ा भाग है और जो बहुत बड़ा भाग है उसके हितों की रक्षा करना चुनी हुई सरकार का पुनीत कर्त्तव्य होता है। मैं समझता हूं कि चुनी हुई सरकार उन अधिकारों से विमुख नहीं हो सकती और जो सरकार विमुख होती है उसकी स्थिति लोग जानते हैं, क्या स्थितियां होती हैं। 1952 से लेकर आज तक कई चुनाव हुए, उन चुनावों में किसानों का सहयोग किस राजनैतिक दल के साथ रहा, क्यों रहा यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति में केवल विरोध के लिए विरोध एक भूमिका है और यदि हम इसे अपनाकर चलते हैं तो निश्चित रूप से देश के लिए एक दुर्भाग्य का विषय होगा।

(12.53 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत, सभापति, पदासीन)

कुछ माननीय सदस्य : विरोध के लिए विरोध क्या होता है ?

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्षमा करें, आपने इसे राज्य रैली कहा हम नहीं मानते।

श्री हनुमान प्रभाकर : आप नहीं मानते लेकिन मैं मानकर चलता हूं। यह जरूरी नहीं है कि आपकी बात से हम सहमत हों। मुझे मेरी बात कहने का अधिकार है।

(व्यवधान)

जो मैं ठीक समझता हूं मैं कहूंगा। मुझे रोका नहीं जा सकता। यदि आप चाहते हैं कि मैं बोलूं, तो यह अध्यक्ष महोदय को निर्णय करना है, मुझे या आपको निर्णय नहीं करना है।

(व्यवधान)

राष्ट्रीय रैली है और उसको राष्ट्रीय रैली मानकर ही सरकार ने निर्णय लिये हैं। मैं इसको मना नहीं करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से मैं एक मिनट बोलना चाहूंगी। आप कृपया शांति से सुनें। कल भी इसी बात पर बहुत बहस हो चुकी है। मेरा आपसे निवेदन है....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : हम सुनने के लिए तैयार हैं लेकिन....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : विरोध के लिए विरोध का क्या मतलब हुआ ?

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : एक दल की रैली को राष्ट्रीय रैली बताने का क्या मतलब है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो कुछ आपको कहना था वह आप कल कह चुके हैं। अब जो उत्तर है उसे आप शांति से सुन लीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल भी उत्तेजना इसलिए फैली कि कुछ गलत तथ्य यहां पेश किये गये, इसलिए लोगों ने उत्तेजित होकर।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या आप चाहते हैं कि कल की तरह ही हो ? आप शांत रहें।

(व्यवधान)

(12 56 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या कृपया स्थान ग्रहण करें।

सुश्री पुष्पा जैन : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है माननीय सदस्या। कोई भी माननीय सदस्य अथवा मंत्री जो विचार विन्दु हैं, उस पर अपने तरीके से मत व्यक्त कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका मत दूसरे तरीके का हो, उधर बैठने वालों का मत दूसरे तरीके का हो लेकिन डिबेट के लिए एक साधारण नियम है कि जब कभी कोई माननीय सदस्य बोलेगा वह बात आपको कितनी ही नापसन्द हो उसके बीच में बाधा उपस्थित नहीं की जायगी। यह बहुत ही एतराज काबिल चीज है, मैं आपको बताता हूं। आप इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, राजस्थान की सारी जनता द्वारा चुने गये हैं। कल और परसों दो दिन जिस तरह का माहौल रहा क्या आप समझते हैं कि उससे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ी है जनता की नजरों में ?

श्री देवीसिंह भाटी : कतई नहीं।

श्री अध्यक्ष : कतई नहीं बढ़ी है। इसलिए मेरा कर बद्ध निवेदन है, माननीय सदस्यों से कि चाहे कितनी ही कड़वी बात हो, कहने का सबको अधिकार है और दूसरों को उसका जवाब देने का अधिकार है। लेकिन जब इसमें वाद-विवाद हो, बोल रहे हों, कोई हमारे माननीय सदस्य अथवा मंत्री उसमें दूसरे टोकें, यह हर तरह से नियम विरुद्ध है और उसमें अपने स्तर की गिरावट आती है, मर्यादा भंग होती है, नियम भंग होते हैं और साथ ही यह एक बड़ी सभा है उसकी प्रतिष्ठा का, उसकी मर्यादा का और उसकी गरिमा का यहां

(श्री देवीसिंह भाटी)

सवाल है। यहां पर माहौल किसी चौपड़ या चौराहे जैसा नहीं हो। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

आप जानते हैं कि कोई प्रश्न आपके सामने आता है, सभा के समक्ष आता है तो हर प्रश्न पर सैकड़ों या हजारों रुपये खर्च होते हैं। सरकार की तमाम मशीनरी आपके यहां पर हाजिरी में रहती है और जो मुख्य प्रश्न हैं वह तो रह जाता है और उसकी जगह दूसरे और तीसरे प्रश्न आकर खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और मेरे लिए भी यदि मैं इन बातों की इजाजत देता हूं तो मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे यह इजाजत नहीं देनी चाहिए और यह मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि उस स्थिति में मैं बीच में आऊं। इसलिए कृपया मुझे ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करें जिससे आपस में कटुता फैले। बहुत ही अच्छा वातावरण सदैव रहा है इसलिए मैं माननीय सदस्यों को, परम्पराओं को और पहले जिस तरह का सद्भाव आपस में रहा है उसी को हम निभायेंगे और मंत्री महोदय को जवाब देने में हम किसी तरह की बाधा उपस्थित नहीं करें, बस इतना ही निवेदन करता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर नहीं सुनूंगा। पाइन्ट आफ आर्डर ज्यादातर होते भी हैं लेकिन तीन दिन से मैं कोई पाइन्ट आफ आर्डर की खोज कर रहा हूं, आप माननीय सदस्य, बिराजमान हैं आप ही बतायें कोई पाइन्ट आफ आर्डर आया? कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं आया।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : एक मिनट सर।

अध्यक्ष महोदय, कल जब मैं भाषण दे रही थी उस समय मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, तब मंत्री महोदय ने खड़े होकर कहा था कि अगर सदन में उत्तेजनात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया जायगा तो वह चुप नहीं रहेंगे। उस वक्त आसन ने मुझे ताड़ना दी थी ऐसी बात न कहें जिससे उतेजना फैले, तो मैं चाहूंगी कि आप उसी व्यवस्था को दोहरायें और मंत्री महोदय को ताड़ना दें....

श्री अध्यक्ष : अगर सत्य कटु है यथार्थ है तो आपको या किसी माननीय सदस्य को पसन्द नहीं है। अगर यथार्थ ही नहीं है तो वह एक अलग बात है। लेकिन कटु सत्य, व्यंग उत्तेजित करने वाले या दूसरे तरीके के हों, जैसे हल्के तरीके से बोलें या हल्की बात कहें तो वह उस तारीफ में आता है। विचारणीय विषय क्या है वह उस तारीफ में नहीं आता।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आप

(सुश्री पुष्पा जैन)

जानते हैं मैं कभी हल्के तरीके से नहीं बोलती। गलत फैक्ट्स इस सदन में नहीं रखती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। ज्यादा विवाद का विषय न बनायें। यदि कोई इस तरह का शब्द प्रयोग में आवे, कृपया मेरा ध्यान आकर्षित कर दीजिये। मैं इस पर व्यवस्था दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

जब तक मंत्री जी का वक्तव्य समाप्त नहीं हो जाता, मेरी मजबूरी है।

एक माननीय सदस्य : आन ए पाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। साफ इरादा दिखता है, आप बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

श्री चाव खां (कामां): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं। आप तो गांव के पंच हैं बड़े समझदार हैं, जानते हैं कि बीच में कोई बोल जाय उसको बिरादरी से अलग कर दिया जाता है।

श्री चाव खां : मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक सैकण्ड। आपने जो सुझाव दिया, हमें मन्जूर है, एक दफा नहीं, दस दफा मन्जूर है लेकिन....

(व्यवधान)

नहीं छोड़ेंगे या माफी मांगें....।

श्री अध्यक्ष : श्री मंत्री जी।

श्री नार्थूसिंह : पाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन था, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री नार्थूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। मैं कोई बाधा नहीं डालूंगा, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री नार्थूसिंह : मेरे बारे में किसी ने....

श्री अध्यक्ष : यदि किसी ने कोई आक्षेप लगाया है तो बाद में कह देना। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था। 16 फरवरी को जो रैली हुई थी निश्चित रूप से हमारी दृष्टि से एक राष्ट्रीय रैली के रूप में थी और इसीलिये जो उस रैली में भाग लेने वाले किसान बन्धु या बहिनें थीं उन्हें ले जाने की दृष्टि से आवश्यक व्यवस्था

(श्री हनुमान प्रभाकर)

करना राज्य सरकार उत्तरदायित्व मानकर, स्वीकार कर, चलना चाहती है। यदि कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है राज्य सरकार इस दायित्व को स्वीकार नहीं करे लेकिन राज्य सरकार अपने दायित्व को समझते हुए इस आयोजन के लिये जो सहयोग राज्य सरकार दे सकती है, जो आदेश राज्य सरकार दे सकती है, वह सहयोग, वह आदेश राज्य सरकार निश्चित रूप से देती है, मैं, इसे स्वीकार करता हूं। किसान देश की रीढ़ की हड्डी के रूप में है आगे भी, भविष्य में किसी प्रकार के राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता हुई तो राज्य सरकार बिना किसी झिझक के देगी।

अध्यक्ष महोदय, इस रैली के संबंध में आयोजन क्यों की गई, यह एक बड़ा प्रश्न हुआ लोगों ने कहा....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह नहीं है इसमें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया बाधा उपस्थित नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : यह प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रभाकर : प्रश्न यह है कि इस रैली के आयोजन की आवश्यकता क्या है? लोगों ने आपत्ति की....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कोई आपत्ति नहीं....

श्री हनुमान प्रभाकर : लोगों ने कहा लोक सभा के चुनाव हो चुके थे, विधान सभाओं के चुनाव हो चुके थे ऐसी क्या आवश्यकता थी, जिसकी वजह से किसानों का प्रदर्शन आयोजित किया गया। मैं कहना चाहता हूं इस संबंध में, जो प्रदर्शन आयोजित होते हैं वे किसी एक राजनैतिक दल की दृष्टि से नहीं, इस देश का जो प्रमुख वर्ग है उसके हितों की दृष्टि से इस प्रकार के आयोजन होते रहे हैं, होते रहेंगे और इस संबंध में विरोधी दल को कोई आपत्ति है और यदि दीपक में तेल समाप्त हो जाये, हल उलटा लेकर लोग चले जायें, कमल का फूल मुरझा जाय, क्षमा करें, इसमें कांग्रेस का दोष नहीं है। मैं साफ कहता हूं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह बोलने का....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री छोगालाल बकोलिया : हल उलटा हो गया, बैठ जाओ आप।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : खूनी पंजा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

माननीय सदस्य कोई आपत्तिजनक बात है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, व्यवधान पैदा न करें ।

आप सब बिराज जायं । विपक्ष के नेता । आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जा परमिशन दी है....

एक माननीय सदस्य : नो पाइंट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज । आर्डर आर्डर । बाधा उपस्थित कर रहे हैं । मैंने विपक्ष के नेता का नाम पुकारा है ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें ।

एक माननीय सदस्य : आपने अभी व्यवस्था दी है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत दी है । मैं कभी भी दे सकता हूं । आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य । माननीय दीपेन्द्र सिंह जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो इजाजत दी है वह मैं पढ़कर सुनाता हूं । श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर, परिवहन मंत्री 16 फरवरी, 1981 को कांग्रेस आई द्वारा आयोजित रैली के लिये जा रही बस की दुर्घटना से हुई कुछ व्यक्तियों की मृत्यु एवं रैली के लिये भेजी गई बसों से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम....

श्री अध्यक्ष : आपत्तिजनक क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुन तो लीजिये । निगम को होने वाली हानि के संबंध में दिनांक 11 मार्च, 1981 को दिये गये वक्तव्य पर उठाये गये मुद्दों का स्पष्टीकरण करेंगे ।

मुद्दे केवल दो थे, एक एक्सीडेंट का था और दूसरा स्टेट रोडवेज ने यात्री-कर की कार्यवाही नहीं की । माननीय मंत्री महोदय, उसका स्पष्टीकरण करें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । आर्डर....आर्डर....

(व्यवधान)

यह अचानक नाराजगी किस बात की हो गई ?

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर, मैं अलाउ नहीं करूंगा....

(व्यवधान)

इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उसका अक्षरशः पालन करते हैं और इनकी बात सुनने को तैयार हैं। लेकिन मंत्री जी अपनी गरिमा को न रख कर जैसे पंचायत-घर में, पंचायत में भाषण हो रहा हो, उसी तरह के शब्दों को इस्तेमाल करके और यह कह कर कि तेल समाप्त हो गया, कमल मुरझा गया, क्या इस तरह की ओछी बातें कह कर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

कुछ शब्दों के लिये विपक्ष के माननीय सदस्यों को एतराज था वैसे तो कोई भी व्यक्ति....

एक माननीय सदस्य : यह तो हकीकत है....

श्री अध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य अथवा मंत्री अपनी समझ के अनुसार जो बढ़िया से बढ़िया उत्तर हो वह देता है....

(व्यवधान)

मैंने अपनी बात भी पूरी नहीं की और फिर बाधा उपस्थित कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह था कि विरोधी दल के माननीय नेता ने यह पढ़ कर सुनाया कि केवल दो ही विषय थे। आप तो जानते हैं लम्बा-चौड़ा विवाद का विषय हो तो इधर-उधर डिबेट सरक भी जाती है। मैं इसको इतना आपत्तिजनक नहीं मान सकता हूं, क्योंकि दो दिन से चर्चा हो रही है तो मंत्री जी भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से यदा-कदा हट जाते हैं, आप भी बोलते हैं तो यह हो जाता है। जिससे उत्तेजना फैले, कटुता फैले उनका प्रयोग करना विषय के हित में जरूरी नहीं है तो मैं समझता हूं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : यह तो चुनाव भाषण देने लग गये।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न केवल यह नहीं है कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था और जो चर्चा हुई और चर्चा के दौरान जो मुद्दे उठाये गये, उन पर यदि मैं प्रकाश नहीं डालूंगा तो मैं अपने साथ में और किसी के साथ में न्याय नहीं करूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसमें तो आपको भी × × × कहा गया है।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : ××× शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या आप बैठ जायं, बाधा उपस्थित कर रही हैं....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया मुझे बाध्य न करें....

(व्यवधान)

बैठे बैठे नहीं बोलें, आप विराज जायं ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो भी शब्द माननीय सदस्य श्री शर्मा जी ने कहे हैं । ××× तो भविष्य के लिये विपक्ष से भी कम से कम यह कहा जाय कि जिम्मेदारी निभायें ।

श्री अध्यक्ष : कम से कम नहीं, पूरी जिम्मेदारी निभायें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें । बिराज जाय, आर्डर प्लीज ।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, इस रैली को लेकर निश्चित रूप से उन राजनैतिक दलों को जो अपने इस देश में समर्थन प्राप्त नहीं कर सके और समर्थन प्राप्त नहीं करने के कारण आज उन्हें सामने बैठना पड़ा । उन लोगों ने इस किसान रैली को पसन्द नहीं किया और उसका परिणाम यह हुआ कि कल जो बहस हुई, उस सारी बहस में इस प्रकार के निराधार आरोप लगाये गये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन आरोपों को लगाते-लगाते विरोधी दल के नेता ने यहां तक कह दिया कि यातायात मंत्री को बर्खास्त किया जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं एक बार तो सूगर काण्ड के ऊपर विरोधी दल के नेता ने कहा था । जांच की जाय, मैंने इसी सदन में चुनौती दी थी और फिर निवेदन करना चाहता हूं । सूगर काण्ड का जैसा वक्तव्य दिया माननीय सदस्य चाहे तो मेरे खिलाफ अदालत में जायं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर....

श्री मेघराज तावड़ : जनता को लूटने की प्रवृत्ति है....

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य । आर्डर, आर्डर ।

श्री हनुमान प्रभाकर : यातायात मंत्री को बर्खास्त करना या रखना सदन के सत्तारूढ़ दल का काम है । जब तक इनका विश्वास है, स्नेह है, तब तक इस तरह की बातों के कहने का कोई परिणाम निकलने

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अवलोपित किया गया ।

(श्री हनुमान प्रभाकर)

वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इस देश की जनता ने और खास तौर से किसानों ने आपको मुख्य मंत्री पद से हटाकर विरोधी दल के नेता के रूप में तो बैठा दिया और पता नहीं आगे आने वाले चुनाव में क्या होगा ?

(व्यवधान)

किसी को पद से हटाना, किसी को पद से अपदस्थ करना किसी के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है और जनता में भी किसान और मजदूरों के हाथ में है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, आर्डर, आर्डर ...

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रभाकर : अगर इसी तरह की व्यवस्था रही तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण में व्यवधान उपस्थित न करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : तो मैं निवेदन कर रहा था कल की रैली के सम्बन्ध में एक बात और कही गई कि अकाल राहत कार्यों पर लगे लोगों को जबरन ले जाया गया, रैली में मजदूर और किसान जाना चाहते थे तो कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो उन्हें रोक सकती थी। यह आरोप लगाना कि उन्हें जबरन ले जाया गया, मैं चुनौती देता हूं....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : चुनौती स्वीकार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मुझे बाध्य होकर कार्यवाही करनी पड़ेगी। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आर्डर प्लीज। कृपया विराज जायें। आप आवेश में क्यों आते हैं, भाषण देते हुए ? ये कोई वाद-विवाद या डिबेट का तरीका नहीं है। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री मेघराज तावड़ : ये भाषण दे रहे हैं या प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : किसी अन्य मंत्री से उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। अब मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि चाहे इस पक्ष के और चाहे उस पक्ष के हों, मन्त्री जी के उत्तर समाप्त होने तक किसी तरह का व्यवधान उपस्थित नहीं करेंगे, मैं उन माननीय सदस्यों से सीधे ही निवेदन कर दूंगा कि वे सदन से बाहर चले जायं।

श्री हनुमान प्रभाकर : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, एक आरोप लगाया गया और मैंने वक्तव्य में बहुत साफ कहा कि आरोप निराधार है, जबरन किसी को नहीं ले जाया गया। फिर भी कुछ सदस्यों ने शायद उसे पूरा पढ़ा नहीं और बार-बार आरोप लगाये, एक प्रचार

(श्री हनुमान प्रभाकर)

की दृष्टि से इस मंच का उपयोग किया गया है मैं इस पर आपत्ति करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत में लगे हुए किसान और मजदूरों को भी उतना अधिकार है जितना अकाल राहत पर नहीं लगे हुए को, उन्हें रैली में जाने का और जो लोग गये उसमें अकाल राहत के मजदूर भी हो सकते हैं किसान भी हो सकते हैं। यह कहना कि उनको जबरन ले जाया गया, उनके पेमेण्ट रोके गये, सारा निराधार, बेबुनियाद आरोप है और मैं इसे साफ स्पष्ट करना चाहता हूं।

इसके साथ साथ एक आरोप यह भी लगाया गया कि शराब की बोतलें तक दी गयीं। इस सदन के अन्दर····

एक माननीय सदस्य : सदन के अन्दर नहीं रैली में।

श्री हनुमान प्रभाकर : हां-हां रैली में। शराब की बोतलें तक देने का आरोप लगाया गया। क्षमा करें, अध्यक्ष महोदय, यदि इस तरह के आरोप दूसरे लोग लगा सकते हैं, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय रैली में इतना हल्ला हो सकता है तो आप व्यवस्था दें आप न्याय करें, आप सर्वोच्च पद पर हैं कि क्या इस तरह के आरोप, कि हम शराब के लालच में लोगों को, किसानों को ले गये को बर्दाश्त किया जायगा। मैं कहना चाहता हूं, शराब का दौर हमने नहीं चलाया। शराब का दौर चला होगा छबड़ा में और शराब का दौर चला होगा बनेड़ा में। क्योंकि उनको शराब की बोतलों के अलावा और कुछ चीज नजर नहीं आती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। श्री नाथूसिंह। मैंने अभी व्यवस्था दी थी, क्या मैं आपसे निवेदन करूं तो बिराज जाइये।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : एक निवेदन करना चाहता हूं कि भाषण नहीं करें, मंत्री महोदय।

श्री हनुमान प्रभाकर : तो जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि शराब की बोतलों की बात कही गयी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के तथ्य इस सदन में नहीं रखे जाने चाहिए। जिससे किसी भी दल के लिए इस तरह का राजनीतिक आधार बने, जिस राजनीतिक आधार का उत्तर देना एक राजनीतिक दल के सदस्य के नाते, मन्त्रिमण्डल के सदस्य के नाते अनिवार्य हो जाता है। यदि मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूं तो मैं अपने साथ और अपने दल के साथ न्याय नहीं करता। इसलिए मुझे उन सब प्रश्नों का जबाव देना पड़ेगा, जो प्रश्न, जो सवाल कल बहस में उठाये गये थे।

इसके साथ साथ एक बात कही गयी कि हमने राजतन्त्र का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, ये बात यहां कही गयीं। मैं इस बात को स्वीकार करके चलना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने किसानों के हित की दृष्टि से, किसानों की

(श्री हनुमान प्रभाकर) –

आवश्यकता की दृष्टि से किसानों की मांग के पीछे एक दिये गये वचन के आधार पर हमने फैसला किया कि परिवहन निगम की बसें इस काम के लिए लगायी जायें और, आप बीच में बोलना चाहते हैं तो ठीक है,

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बोलें।

श्री हनुमान प्रभाकर : लिखित आदेश दिये हैं और उसके बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिखित रूप में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को इस बात का वायदा किया है कि जो भी आप राशि बिल बनाकर भेजेंगे उसका भुगतान किया जायगा। कहा गया है कि ऐसा क्यों किया गया ? यह परिवहन निगम और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच का प्रश्न है पर मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने उत्तरदायित्व से मुकरना नहीं जानती, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करती है और उसका भुगतान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को होगा, वह निश्चित रूप से किया जायगा। लेकिन ये समझकर चलें कि कांग्रेस जो कुछ कहती है, वह करती नहीं केवल कागजों में लिख देती है–

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रभाकर : आपने पूछा है, कल नेता महोदय ने पूछा है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुछ लिख कर दिया है या नहीं। यह कल की बहस में आया है, उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिखित में दिया है, राजस्थान पथ परिवहन निगम को उसी के आधार पर भुगतान किया जायगा। इस तरह के संदेह की प्रवृत्ति कि हम परिवहन निगम को नुकसान देना चाहते हैं, परिवहन निगम का शोषण करना चाहते हैं, एक निराधार, तथ्यहीन बात है। जो प्रस्ताव दिया गया उसमें कहा गया कि वेतन नहीं चुक रहा है, भत्ता नहीं चुक रहा है, वाहनों की दुरुस्ती नहीं हो रही है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, वे एक तथ्य दें जिससे रैली के पेमेण्ट नहीं होने के कारण किसी का वेतन रुका हुआ हो, किसी का भत्ता रुका हुआ हो, किसी वाहन की दुरस्ती नहीं हुई हो। एक उदाहरण। केवल स्थगन प्रस्ताव के द्वारा इस तरह के मसले को उठाना, मैं समझता हूं, एक राजनीतिक विचारधारा को देने वाला प्रश्न है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और उठाया गया कि साहब ये जो बसें गयीं, इन बसों का भुगतान किस प्रकार से किया जायगा, किस प्रकार नहीं किया जायगा मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसके बीच में यह आदान प्रदान हुआ है, बसों को ले जाने की व्यवस्था का, उनकी सूचना का प्रश्न है। राज्य सरकार का जहां तक उत्तरदायित्व है वह केवल एक ही प्रश्न था कि बसें दी जायें या नहीं। इसके बाद एक बात कही गयी कि बड़ी आर्थिक हानि हुई है और उस आर्थिक हानि के कारण सारे परिवहन निगम को काफी नुकसान हुआ।

(श्री हनुमान प्रभाकर)

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, एक फरवरी से सात फरवरी तक टोटल इनकम 72 लाख 68 हजार रुपये हुई और 14 फरवरी से 20 फरवरी तक, अध्यक्ष महोदय, जिसमें रैनी हुई, उसमें 64 लाख 52 हजार रुपये तो रोडवेज को प्राप्त हो चुके हैं, अपने खुद की मदों से। केवल एक फरवरी से 7 फरवरी और 14 से 20 फरवरी के बीच में 8 लाख का अन्तर है और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यह 8 लाख का अन्तर नहीं रहेगा। इससे कहीं अधिक रकम परिवहन निगम को प्राप्त होने वाली है। आंकड़ों के द्वारा मैं आपके सामने इस बात को प्रतिपादित करता हूँ, ये इसलिए कर रहा हूं कि आरोप जो लगाये गये थे कि परिवहन निगम को नुकसान पहुंचाने का कोई षड़यन्त्र किया गया है। इसके साथ साथ एक बात और कही गयी, अध्यक्ष महोदय, कि कुछ दुर्घटनायें हुईं और उन दुर्घटनाओं के अन्दर कुछ व्यक्ति घायल हुए, कुछ लोग नहीं रहे, बात सही है, कुछ दुर्घटनायें, एक तो आसीन की जो बात थी, वह तो है ही है। इसके बाद दिल्ली-सरदारशहर, दिल्ली-झुंझनू, भरतपुर-दिल्ली, धौलपुर-दिल्ली, ये सारे थे, इसके अन्दर धौलपुर दिल्ली में एक दुर्घटना और हुई जो सहायता राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा दी जा सकती है, वह दिये जाने के प्रयत्न किये गये हैं, नहीं पहुँची है तो पहुंचेगी। मुख्य मन्त्री सहायता कोष से जितनी राशि दी जा सकती है, उतनी दी गयी है और जिनको नहीं पहुंची है, उनको दी जायगी और यही नहीं स्वयं प्रधान मन्त्री जी ने अपने कोष से इन परिवारों के लिए सहायता दी है। ऐसी मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं। मैं इसके साथ साथ सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मृतक लोगों के परिवारों के लिए जो कुछ किया जा सकता है वह करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी क्योंकि आखिर किसान के परिवार थे। एक दुर्घटना में एक स्थिति पैदा हो गई तो इन दुर्घटनाओं का यदि राजनैतिक उपयोग किया जाय तो क्षमा करें, मैं मानकर नहीं चलता। मुझे मालूम है कि धौलपुर की एक चुनाव सभा थी जिसके अन्दर स्वतन्त्र पार्टी या जनता पार्टी के नेता थे, एक सभा हो रही थी। एक ट्रक उलट गया गोमती नदी के पास में और उसमें कितने आदमी मारे गए यह शायद विरोधी दल के नेता को मालूम नहीं है। वे बातचीत में उलझे हुए हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वह ट्रक दुर्घटना जिसमें भैरोंसिंह ठेनवा की डैथ हुई थी, वह ट्रक में बैठ कर राजनैतिक सभा के लिए आ रहा था या नहीं? यह तो होता रहा है राजनैतिक दलों में। लोग आते हैं जाते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं इससे मना नहीं करता। आते हैं निश्चित रूप से आते हैं मैं मना करके नहीं चलता....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हनुमान प्रभाकर : दुर्घटना होती हैं मैं इससे इन्कार नहीं करता परन्तु उस दुर्घटना का जिक्र मैंने आपसे किया, एक आमसभा हो रही थी चारभुजा के पास और जिसमें कई आदमी मर गए हमने उसका राजनैतिक लाभ लेने की कोशिश

(श्री हनुमान प्रभाकर)

नहीं की। इसलिए सदन के विरोधी दल के सदस्यों से, माननीय सदस्यों, से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दुर्घटना हुई उस पर तो हमें खेद है। परन्तु इतनी बड़ी रैली, इतने अवाम जहां पर गए हों, सारा देश जहां पर उलट गया हो, करीब 30-35 लाख लोग रैली में गए हों, वहां इस प्रकार की छुटपुट घटनायें, दुर्घटनायें होना स्वाभाविक हैं, इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बातें नहीं माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा उन्होंने कुछ प्रश्न और उठाये थे.... ...

श्री अध्यक्ष : टाइम काफी हो गया है मन्त्री महोदय।

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं थोड़ा सा समय और लूंगा। अभी दो मिनट मैं और। कुछ प्रश्न इन्होंने और किये थे....

श्री नाथूसिंह : कितने का बिल मिला ?

श्री हनुमान प्रभाकर : बिल के बारे में कल ही वक्तव्य में मैं निवेदन कर चुका हूं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अभी तक बिल प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री हनुमान प्रभाकर : हां अभी तक नहीं हुआ।

श्री नाथूसिंह : बिल नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो बसें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर....आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या आर्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रभाकर : अभी तक बिल प्राप्त नहीं हुआ है, बिल तैयार हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अभी तक बिल नहीं दिया है तो उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कितनी बसें पकड़ी गईं, उनके बारे में आपने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जबर्दस्ती कितनी बसों और ट्रकों को पकड़ा ?

श्री हनुमान प्रभाकर : कितने ट्रक और कितनी बसें पकड़ी इसका अनुभव शायद जनता पार्टी के लोगों को ज्यादा होगा। हमने न तो ट्रक पकड़े, न बसें पकड़ी। जो अपनी इच्छा से ले गए....

श्री दाऊदयाल जोशी : बोलते × × × हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर × × × शब्द निकालें।

श्री हनुमान प्रभाकर : अभी जो....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कहते हैं कि ट्रक नहीं पकड़े, ये नम्बर मेरे पास हैं.... पकड़ी गयी हैं, उनके दस्तखत मेरे पास हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री हनुमान प्रभाकर : मैं कह नहीं सकता, आपके पास नम्बर हो सकते हैं। उन नम्बरों को रखें अपने पास, सदन को बतायें। मैं तो इतना ही कह सकता हूं जब इतना बड़ा आयोजन था और जिस पार्टी के द्वारा, जिस नेता के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया उसके लिए लाखों ट्रकें और लाखों बसें लोग अपने आप ले जा सकते थे, हमें लाने की आवश्यकता नहीं। यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। यह तो उन लोगों को लाने की आवश्यकता होती है जिनके पीछे....

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह जोर जबर्जस्ती नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हनुमान प्रभाकर : जिनके पीछे किसानों की ताकत नहीं होती, जिनके पीछे मजदूरों की ताकत नहीं होती वे ही लोग विरोध किया करते हैं। कांग्रेस इस तरह की नीतियों में विश्वास नहीं करती, न कांग्रेस की सरकार इस प्रकार के कार्यों में विश्वास करके चलती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मजदूरों को जबर्जस्ती बसों पर लाया गया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। जल्दी समाप्त कीजिए मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री हनुमान प्रभाकर : एक सवाल और उठाया गया कि जो रोडवेज की बसें गईं, उनके साथ जो परमिट या जो कुछ लिये जाते हैं वे लिये गये या नहीं? मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि नेशनल रूट्स हैं उन पर परमिट लेने की परम्परा नहीं है, क्योंकि उनके पास आलरेडी नेशनल रूट्स पर चलने के परमिट हैं। इसलिए....

सुश्री पुष्पा जैन : प्राइवेट बसों के परमिट?

श्री हनुमान प्रभाकर : प्राइवेट बसें ले गये होंगे। मैं प्राइवेट बसों की बात नहीं

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री हनुमान प्रभाकर)

कहना चाहता हूं। रोडवेज की बसों के बारे में कहना चाहता हूं।....

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या प्राइवेट बस वाले अपनी मर्जी से ले गए थे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर।

श्री हनुमान प्रभाकर : एक बात और कही गई, अध्यक्ष महोदय और बड़ी मजेदार बात कही गई कि करीब ढाई सौ, या तीन सौ या साढ़े तीन सौ बसें नियमों के विपरीत बाहर के कारखानों में ठीक करवाई गईं, यह भी आरोप यहां पर लगाया गया। मैं इस आरोप के लिए भी विरोधी दल के माननीय सदस्यों से, जिन्होंने यह आरोप लगाया है, मेहरबानी करके तथ्यों पर बात कहें। जितनी बसें ठीक हुई हैं वे अपने यहां रोडवेज के कारखानों में ठीक हुई हैं। हो सकता है कि कोई बस पंचर हो गई हो रास्ते में उसमें थोड़ी बहुत कुछ कराने की आवश्यकता रही हो, लेकिन इस तरह से कहना कि बसों को जरूरत होने के कारण और कारखानों को भेजा गया और प्राइवेट कारखानों में बसें ठीक कराई गईं, और अनियमिततायें बरती गईं, इस तरह की बातें भी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इस आरोप के सम्बन्ध में मैंने आपसे निवेदन किया।

इसके बाद एक बात और है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री महोदय, बहुत लम्बी है कार्य सूची भी। अब समाप्त करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार मैं आपसे केवल यही निवेदन कर सकता हूं कि जो कुछ कल कहा गया उसका उद्देश्य यह नहीं था कि रोडवेज को हानि हुई, उसका उद्देश्य यह नहीं था कि बसें पकड़ी गईं, उसका उद्देश्य यह नहीं था कि जो मर गए उनके प्रति सहानुभूति थी, उसका उद्देश्य केवल एक यह था कि इतनी बड़ी जो किसान रैली इस देश में हुई और उसके पीछे जो छवि थी, उस छवि को धूमिल करने का प्रयत्न था। मैं कहना चाहता हूं कि एक नहीं अनेकों, करोड़ों हाथ इस छवि को धूमिल नहीं कर सकते जब तक श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारे साथ हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर .. माननीय सदस्य बैठ जावें। यह आपके अधिकार क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। कौन सा प्रश्न होगा, कौन सा प्रश्न नहीं होगा। कृपया बैठ जावें। विपक्ष के नेता।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : कल भी यही बोलते रहे और....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जावें कृपया। माननीय सदस्य बैठ जावें.... आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर आप यह व्यवस्था नहीं कर सकते तो हमें भी बैठने के लिए मजबूर नहीं कर सकते....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया ऐसा नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप व्यवस्था नहीं करेंगे....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, करेंगे व्यवस्था।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : अभी आपको मालूम ही नहीं हुआ कि आप क्या कहना चाहते हैं और आप एतराज करने लगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा एतराज यह है कि जब मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद में क्लेरिफिकेशन हो गया, फिर स्पष्टीकरण हो गया और फिर उसके बाद बार-बार स्पष्टीकरण हों और भाषण हों तो यह क्या उचित होगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कब इजाजत दी है इसकी। मैं उनको सुन रहा हूँ। अगर ऐसी बात होगी तो मैं मना कर दूंगा।....आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कल बाकायदा मंत्री जी का वक्तव्य हो गया, उस पर आपने आपत्तियां उठा लीं, मंत्री जी ने जवाब दे दिया उसके बाद फिर बोलने की इजाजत देना....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर....आर्डर आर्डर, विपक्ष के नेता।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भैरोंसिंह शेखावत का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि आप अनुमति देंगे और माननीय सदस्य किसी तरह की आपत्ति नहीं करेंगे। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण इस बात का है....

श्री चतुर्भुज :....किस बात का स्पष्टीकरण....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बैठ जावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....आर्डर आर्डर....माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह कहा कि विरोधी पक्ष ने कोई आरोप लगाया था कि रैली के अन्दर शराब का उपयोग किया गया था और उस संदर्भ में एक बात कही कि शराब का उपयोग छबड़ा और बनेड़ा में किया गया था....

श्री गोविन्द सिंह गूर्जर : यह सही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य आर्डर प्लीज, बैठे-बैठे बातें नहीं करें माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर आर्डर आर्डर....माननीय सदस्य हरिसिंह आर्डर प्लीज।

श्री छोगालाल बकोलिया : ये तो गांवों के नाम थे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की अगर यही इच्छा है कि मैं नहीं बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं आपको इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि हाउस में इस तरह से कार्यवाही नहीं चलेगी। अगर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह से करेंगे तो नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें....आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर सदन में कोई वरिष्ठ व्यक्ति बोल रहा हो तो उसके बीच में बैठे-बैठे बोलना, टोकना, गतिरोध पैदा करना अच्छी परम्परा नहीं है। मैंने शुरू में भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और पुनः मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थानी में कहावत है न, "सुननी सबकी करनी अपने मन की"। इसमें क्या बात है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं बोलूंगा। आप व्यवस्था नहीं कर सकते। सत्तारूढ़ दल की सहमति नहीं है। तो मैं नहीं बोलूंगा हम बैठे हैं आराम से। हम यहां बैठे-बैठे रामायण का पाठ करेंगे और यह बोलते रहें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आपस में बात नहीं करें। मुझे बाध्य होकर कुछ माननीय सदस्यों को, आप जानते हैं कि सदन के नियम काफी कड़े हैं....

एक माननीय सदस्य : शुरूआत कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : शुरूआत करने का विचार किया हुआ है।

(श्री अध्यक्ष)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । डा० हरिसिंह, सुजानसिंह, पिछले दिनों हुई घटनाओं के कारण जोवनेर कृषि कालेज के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा निम्नांकित सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था, श्री भगवान दास शास्त्री, यदुनाथसिंह श्री कैलाश मेघवाल, सुश्री पुष्पा जैन.... गुलाबचन्द कटारिया आदि ।

श्री देवीसिंह भाटी : अधिकारी वर्ग खड़ा होकर जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था जो कि आपने....

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री नये हैं अभी ।

ऐसा है जो बचे हुए हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्ताव इसलिये 10–15 मिनट से अधिक समय नहीं लिया जायगा इनमें। अब डा० हरिसिंह ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्रीमती कमला : आपने जो अभी व्यवस्था या प्रस्ताव दिया है इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि ... आपने

(मेजें थपथपा कर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया शांत रहें। आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम भी नहीं बोलने देंगे ।

श्री अध्यक्ष : मैंने बोलने की व्यवस्था कर दी थी।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में....

(व्यवधान)

आपने जो व्यवस्था दी है, वह सिर्फ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये है, उसके बाद स्थगन प्रस्ताव नहीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । मैं माननीय सदस्य नाथूसिंह....

श्री भैरोंसिह शेखावत : सब का कर दीजिये नाथूसिंह ही क्यों....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : बोलने नहीं दिया। आप व्यवस्था कर नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । ऐसा है गलती एक तरफ से हुई हो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों तरफ से यह चल रहा है। मैं सुबह से यह कोशिश कर रहा हूँ

(व्यवधान)

कि स्थिति नियंत्रण में रहे। विपक्ष के नेता महोदय खड़े हुए थे। सत्तारूढ़ दल के बहुत से माननीय सदस्य कुछ प्रश्न उठाना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे तो मैंने उन से नम्र निवेदन किया, वे शांत हो गये....

(श्री अध्यक्ष)

श्री कैलाश मेघवाल नहीं हुए शांत।

कई माननीय सदस्य : नहीं हुए।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नहीं बोलने देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं दोनों तरफ से यह इस तरह की प्रक्रिया चल रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा नम्र निवेदन है कि मुझे बाध्य नहीं करें, क्योंकि आखिर यह तो मुझे ही करना पड़ेगा कि····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप करिये अध्यक्ष महोदय····

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : यह तानाशाही नहीं है, अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रभाकर जी को ज्यादा ही वहम हो तो यहीं मल्ल युद्ध करवा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम इसलिये तो हाउस में नहीं आये कि हाउस में जो कुछ कहना चाहें वह नहीं कह सकते। आपने एक बात कल भी कही थी और आज भी कही है। हम अल्पमत में हैं और वह बहुमत में हैं। हमारा केवल कहने का अधिकर है, करने का काम तो उनका है। हम कितना कहें कितना वे सुनें, जो कुछ निर्णय करना है उनको बहुमत के आधार पर करना है। लेकिन हमारे कहने के अधिकार को हम किसी भी हालत में सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं। यदि आप यह कहें कि हमें निकालना चाहते हैं, आपकी मर्जी की बात है, सबको निकाल दीजिये, नाथूसिंह को निकालने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : निकालना तो बाद का कदम है लेकिन····

श्री गोपाल पचेरवाल : सारे निकलने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य····

श्री मेघराज तावड़ : हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका हनन किया जाय यह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

इस तरह से गतिरोध पैदा हो जाय। इधर वाले माननीय सदस्य बोलें तो उधर वाले तालियां बजाते रहें और उधर वाले बोलें तो इधर वाले तालियां बजायें, यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। आप ही मार्ग दर्शन दे दीजिये, इस स्थिति में कैसे संचालन करूं?

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

कृपया विराज जायें। जब यातायात मंत्री जी ने उत्तर देना शुरू किया था प्रारम्भ में तब उधर से काफी अवरोध पैदा किया गया था तो मैंने आपसे नम्र निवेदन किया आपने मेरी बात मानी और बात वहीं पर सुलझ गई थी....

(व्यवधान)

उसके पश्चात् थोड़ा सा व्यवधान जब विपक्ष के नेता महोदय खड़े हुए उस वक्त हुआ और उनको मैंने शांत कर दिया। और मैंने....

कई माननीय सदस्य : नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : मैंने अवसर भी दे दिया। मैंने कहा आपको....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चार बार खड़ा हुआ और चारों बार आपको व्यवस्था देनी पड़ी।

श्री अध्यक्ष : आप तो चार बार खड़े हुए हो। मैं कितनी बार होता हूँ। पहले कोई ऐसा ही काम किया हुआ लगता है, बचपन में भी इतनी उठ बैठ नहीं की होगी जब मैं विद्यार्थी था मेरे खयाल से। कृपया मेरी बात एक बार मान लें। अब आप बोल लीजिये इस बात को यहीं समाप्त कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यातायात मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। एक तो छबड़ा और बनेड़ा में शराब के दौर की ओर, और दूसरी शायद गोमती नदी दुर्घटना की ओर। मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूँ। गोमती नदी में जिस समय दुर्घटना हुई माननीय मंत्री जी को याद नहीं है उस समय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय प्रेसीडेंट रूल था, इसलिये....

श्री अध्यक्ष : आपके आने की तैयारी थी, उस वक्त।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तैयारी थी या इनके जाने की तैयारी में आमेर में दुर्घटना हुई है, एक ही बात है। अध्यक्ष महोदय जहां तक शराब के दौर का प्रश्न है, प्रभाकर जी जानते हैं कि कौन शराब पीता है, कौन नहीं पीता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं। यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय इस तरह का आरोप उधर से आया है अगर इस तरह की भ्रांति है तो मैं....

श्री अध्यक्ष : इसके लिए.... एक्सपंज एक्सपंज, एक्सपंज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, छबड़ा और बनेड़ा का जिस समय उपचुनाव हुआ उस समय कई माननीय सदस्य

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में बैठे हैं वह विरोध पक्ष में बैठते थे, मैं ऐसा समझता हूं उस समय विरोधी पक्ष के किसी भी सदस्य ने इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया कि छबड़ा और बैनेड़ा के उप चुनाव में इस प्रकार के शराब के दौर चले। एक ने भी आरोप नहीं लगाया। आज यह आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर शराब के दौर चले। मैं समझता हूं आरोप बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है और इन आरोपों के पीछे किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपसे कहना चाहूंगा, माननीय प्रभाकर जी ने आज के इस वक्तव्य में सरकार की ऐसी तस्वीर पेश की है कि यह सरकार आफिसियली मशीनरी को अपनी पार्टी के हितों में मिसयूज करने के लिये स्वतन्त्र है....

एक माननीय सदस्य : डिबेट शुरू हो गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिबेट नहीं है। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने कहा है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं रैली के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं। आज यह कह कर चाहे बच कर निकल जायेंगे लेकिन कल के वक्तव्य में और आज के वक्तव्य में जो अन्तर रहा, कल के वक्तव्य में सरकार जिम्मेदारी ले रही थी कि इसका भुगतान किया जायगा। आज सरकार इस जिम्मेदारी से बच रही है। उसने कहा कि यह परिवहन निगम और कांग्रेस पार्टी के बीच का सवाल है। मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपनी तरफ से सत्ता का दुरुपयोग करने की मिसाल दी है, हिन्दुस्तान में इससे बड़ा कोई उदाहरण आज तक हो तो बता दें।

(व्यवधान)

हम प्रोटेस्ट के रूप में इस सदन का त्याग करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सरकार इस प्रकार का वक्तव्य देकर, अगर सत्ता का दुरुपयोग राजनैतिक आधार पर करना चाहेगी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ हम सदन का त्याग करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। डा० हरीसिंह

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : 80 आदमी घायल हुए, 6 आदमी मारे गये, यह तो जयपुर की घटना है। हम कोई नोम नहीं लेना चाहते....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान उपस्थित न करें, माननीय सदस्य। डा० हरीसिंह।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, विराजें जायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरी बात आपको उचित लगे तो सुनिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा० हरिसिंह व्यवधान उपस्थित न करें माननीय, सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात् तो सुनिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । अंकित न हो ।

श्री भंवरलाल शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सदन से बाहर चले जायं । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, मैं नहीं सुनूंगा । माननीय सदस्य, व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात तो सुन लीजिये । एक लाइन, अध्यक्ष महोदय, अंकित मत करिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, आर्डर, मेरे लिये कोई रास्ता नहीं है । परिचारक, कृपया माननीय सदस्य को....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप चाहे अंकित मत कराइये । पर मेरी बात तो सुन लें । मैं खुद बाहर चला जाऊंगा ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पिछले दिनों हुई घटनाओं के कारण जोबनेर कृषि कालेज के बन्द हो जाने से उत्पन्न असन्तोष

श्री अध्यक्ष : डा० हरिसिंह । दो बजे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वगैरह सब समाप्त हो जायेंगे । आर्डर प्लीज ।

श्री मालूराम लेघा : बुलावण तो कोई गयो कोनी, आज्यो मतेई ।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2 मार्च को सुबह जोबनेर में जो घटना घटी उसके पूरे हालात बताने के बाद में उसके पीछे क्या तथ्य है, ये हालात क्यों हो रहे हैं, यह मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । 1 मार्च की सुबह कुछ असामाजिक तत्व जयपुर से और कई अन्य जगहों से जोबनेर गये और जाकर वहां यूनिवर्सिटी के अधिकारीगण के यहां मीटिंग हुई । वहां काफी अधिकारी हैं उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद में गैर सामाजिक तत्वों ने ..

(1.55 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

छात्रों पर हमला किया और 3-4 जगह एक साथ हमला किया । छात्रों को गम्भीर रूप से चोटें पहुंची । दो छात्र खास तौर से सत्येन्द्रसिंह गिल और सत्यपाल यादव गंभीर रूप से घायल हुए और 11-12 और छात्रों को गंभीर रूप से चोटें आईं । सभापति महोदय, यह सब पीटने के

(श्री हरिसिंह)

बाद में कुछ छात्रों ने थाने में प्रोटेक्शन लिया। इन असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके और थाने पर हमला किया। जब उसके बाद में लोग निकलने लगे तो पुलिस ने चार आदमियों को, अवांछनीय तत्वों को गिरफ्तार किया। उनके नाम नरेन्द्रसिंह, भूपेन्द्रसिंह, शैतानसिंह और राजेन्द्रसिंह हैं। उनके पास चाकू थे और एक के पास रिवाल्वर था बिना लाइसेंस का। उसके बाद में जिन छात्रों को गिरफ्तार करना था, अवांछनीय तत्वों को, मि० सक्सेना, वहां के डीन हैं उन्होंने कालेज की बस में बिठा कर उनको वहां से गायब कर दिया। कितनी गंभीर बात है कि यूनिवर्सिटी के, कालेज के डीन हैं उन्होंने मारने पीटने वालों को संरक्षण देने के लिये, पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने के लिये बस के अन्दर वहां से गायब कर दिया। अब हालात क्या होते हैं कि 7 तारीख को अखबार नवज्योति में है, कुछ छात्र जो शामिल हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और क्या हालात पैदा करते हैं कि वहां के क्षेत्रीय विधायक, जो है उन्होंने वहां आतंक फैलाया था। माननीय सभापति जी, आप सोचिये। लोग जाते हैं 20-30 की तादाद में, वहां हमला करते हैं, सिर फोड़ते हैं वहां के थाने में हमला करते हैं, तो आतंक उन्होंने फैला रखा है या मैंने फैलाया जो यहां जयपुर में बैठा हूं–यह सोचने की बात है। आगे यह भी कहा गया है राजस्थान पत्रिका में कि जो निर्दोष आदमी पकड़े गये उनको जल्दी से जल्दी रिहा कर देना चाहिये। जिनके पास रिवाल्वर पकड़ा गया अनलाइसेंस्ड, जिनके पास सात चाकू बरामद हुए, जिन्होंने लोगों के सिर फोड़ दिये उनके लिये कहा जाता है कि वे लोग बेगुनाह हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा कर देना चाहिये।

मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि पुलिस की जांच सी. आई. डी. में प्रारंभ कर दी गई। जब कि थानेदार थाने में अन्दर घुस गया और पत्थर बरसाये तो बाकी के पुलिस के सिपाही 4-5 थे, ये ज्यादा थे, तो पुलिस पर हमला हो जाय, सारे शहर की पिटाई हो जाय, सारे छात्रों की पिटाई हो जाय अलग अलग, ऐसे हालात में कुछ लोगों ने दबाब डाल कर इस केस को सी.आई.डी. में ट्रांसफर करवा दिया। इससे मेरे को एतराज नहीं है लेकिन वे इस फिराक में हैं कि इस केस को कैसे दबाया जाय। अवांछनीय तत्व चाहे कोई भी हो, बदमाश कोई भी हो, उनको संरक्षण देना असामाजिक कार्य है। मैं उन आदमियों से निवेदन करूंगा जो असामाजिक कार्य में योगदान दे रहे हैं, कृपा करके नहीं दें, नहीं तो आप और मेरी सुरक्षा के लिये कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह मैं साफ तरह से कहना चाहता हूं। अब वहां के हालात क्या थे और क्यों ऐसा हुआ इस मामले में....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी सूचना के लिए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा है कि 2 बजे बजट पर वाद विवाद शुरू हो जायेगा। आप ठीक दो बजे समाप्त करें।

Page No. 82

(82)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चि.): सभापति महोदय, 6 मार्च को मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, उस पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि मैं बोल सकता हूं। पहले अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दी है।

श्री सभापति : आप उनसे बात कर लें। आप समाप्त करें।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति जी, मैं दो ही मिनट में पूरी बात समाप्त करूंगा।

इसके पीछे हुआ क्या, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पक्षपात का रवैया अख्तियार कर रखा है। कुछ छात्रों से बस से बाहर लड़ाई हुई उन पर जुर्माना कर दिया, कुछ छात्रों पर। मैं शार्ट में बताना चाहता हूं, एक छात्र के यहां कोई मेहमान आये उसको परमीशन नहीं दी। कुछ छात्रों को कालेज में पीट दिया उनको संरक्षण दिया जा रहा है। मैं खास तौर से वहां के डीन के बारे में कहूंगा तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने एस. डी. सिंह कमीशन नियुक्त किया था जो हाईकोर्ट इलाहाबाद के रिटायर्ड जज हैं और इसलिये नियुक्त किया था वह कमीशन कि श्री सक्सेना साहब ने शिकायत की थी। इस कमीशन की रिपोर्ट मैं पढ़ कर सुनाता हूं–

"The case of Dr. Saxena, Professor of Soil Science, is just the same as that of Dr. G. V. Bakore, and for the same reason the Commission found that the name could not be said to have been initiated by the then Vice Chancellor Dr. G. S. Mahajani for confirmation in the senior grade. The Commission also found that Dr. S. N. Saxena has been friterring away his energy in group politics."

This is the finding of the Commission.

इसके बावजूद डा० सक्सेना को जनवरी, 1980 में ही जब श्री भैरोंसिहजी चीफ मिनिस्टर थे प्रमोशन दे दिया गया। इसके बावजूद कि एक कमीशन उन्होंने नियुक्त किया और उसकी फाइन्डिंग्स भी पेश हुई हैं ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो बजे बाद वाद विवाद प्रारम्भ होगा बजट पर ...

श्री हरिसिंह : यह महत्वपूर्ण सवाल है। एडमिनिस्ट्रेशन झगड़ा करावे, साम्प्रदायिकता फैलावे, संरक्षण दे ऐसे तत्वों को। उसके बाद हालात ऐसे पैदा हुए हैं, जो आदमी पास के गांव वाले हैं....

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री हरिसिंह : मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा, यहां पर होम मिनिस्टर नहीं हैं, मुख्य मन्त्री नहीं हैं क्योंकि होम पोर्टफोलियो उनके पास है इसलिए मैं डेयरी मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करूंगा कि इन लोगों के साथ सख्ती बरती जाए, जो बदमाशी करता है, उसको सख्ती से दबाया जाय। निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करायी

(श्री हरिसिंह)

जाये। श्रीमती कमला जी से मेरा निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करावें। कोई अधिकारी शामिल है, बदमाशी करवा रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जो कमीशन बिठाया उसकी रिपोर्ट आने के बावजूद उनका प्रमोशन कर दिया गया, मैं ऐसी बातों के पक्ष में नहीं हूं। इस मामले पर निष्पक्ष कार्यवाही हो। जो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे, बदमाशी को बढ़ावा दे, ऐसे तत्वों के खिलाफ मुझे पूर्ण आशा है कि आप तत्काल कार्यवाही करेंगे और पुलिस को हिदायत देंगे कि जो भी बदमाश हो या बदमाशी करता हो उसको दण्ड मिले।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : मेरा भी इस विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है जोबनेर कालेज में जो साम्प्रदायिक तत्व हैं उस बारे में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले मन्त्री महोदया उत्तर दे दें।

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : सभानेत्री महोदया, मैं पहले वक्तव्य दे दूं ताकि माननीय सदस्यों को अनावश्यक प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं हो।

सभापति महोदया, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य हरिसिंह व सुजानसिंह के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करना चाहती हूं। विधान सभा सदस्य माननीय डाक्टर हरिसिंह व माननीय श्री सुजानसिंह द्वारा जोबनेर कृषि कालेज में दो गुटों में आये दिन झगड़ा होने की एवं मनमुटाव की घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न असंतोष की स्थिति तथा कालेज के प्रशासनिक अधिकारियों की अकुशलता, शिथिलता, व पक्षपात आदि का उल्लेख करते हुए यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में हाल ही में दिनांक 1-3-1981 को जोबनेर में दो छात्र ग्रुपों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाबत तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गई है। तथ्यों की जानकारी जोबनेर थाने में दर्ज प्रथम सूचनाओं, स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा दिये गये घटना विवरण एवं महाविद्यालय प्रशासन द्वारा प्राप्त हुई रिपोर्ट से मिली है। प्रथम माध्यम के अन्तर्गत थाना जोबनेर पर दर्ज हुई प्रथम सूचना नं. 16181, 17181 व 18181 हैं। इनमें आम तौर पर यह लिखा गया है कि कुछ लड़के महाविद्यालय के व अन्य कुछ बाहर के उस दिन प्रातःकाल लाठी, फर्से, चाकू व तलवार, पिस्तौल आदि से सुसज्जित होकर मामा होस्टल के पास अन्य कुछ विद्यार्थियों को बुरी तरह से मार रहे थे। इसके फलस्वरूप खून खराबा हुआ व कुछ छात्र बेहोश भी हो गये इस घटना को लेकर एक प्रथम सूचना 19181 दर्ज हुई। इन सभी प्रथम सूचनाओं व तफतीश से जिन-जिन व्यक्तियों के नाम उल्लेलिखत हुए हैं वे निम्न प्रकार हैं :

एक, प्रथम सूचना नं. 16181, सर्व श्री शैतान सिंह, जय सिंह, निहाल सिंह, गोपाल सिंह, नरेन्द्र सिंह, उगमसिंह, दो–17181, उगम सिंह, राजेन्द्र सिंह, महेन्द्रसिंह मांझी, महेन्द्र सिंह राठौड़, जयदेवसिंह भाटी। तीन–18181, सर्व श्री शैतानसिंह, जय सिंह, रंघुवीर सिंह राठौड़, शकर सिंह,

(श्रीमती कमला)

भूपेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह। चार–19181 शंकरसिंह, केसरसिंह, नरेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह।

इनमें से 4 मुलजिम घटना के तुरन्त बाद गिरफ्तार किये जा चुके हैं जिनके नाम शैतानसिंह, नरेन्द्रसिंह, भूपेन्द्रसिंह व राजेन्द्रसिंह हैं। इस घटना में 11 व्यक्ति घायल हुए हैं—सत्येन्द्रपाल सिंह गिल, बीरबल सिंह, बिरधीचन्द, बनवारी लाल कुमावत, राजकुमार, रामसिंह, सत्यपाल, नरेश अरोड़ा, नवाबसिंह, महेन्द्रसिंह व भीमसिंह।

घायल व्यक्तियों में से चार श्री गिल, सत्यपाल यादव, बिरधीचन्द व बीरबलसिंह को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। श्री गिल के अलावा बाकी तीन व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ हो जाने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। श्री गिल भी प्रायः स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं और शीघ्र ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जायगी।

इस सारी घटना के बाबत स्थानीय पुलिस द्वारा जो विवरण दर्ज किया गया है उसके मुताबिक यह घटना एक गुट विशेष द्वारा पूर्व नियोजित ढंग से की गई थी एवं हथियारों से लैस होकर जगह जगह दूसरे ग्रुप पर घातक हमले किये गये। यहां तक कि दूसरा छात्र ग्रुप जब थाने में भाग कर गया तो वहां भी हमलावर पीछा करते हुए पहुंचे और थाने पर पथराव किया। छात्र इस स्थिति में अपनी जान बचाने के लिए पास के एक गुडलक भवन में घुसे तो वहां भी हमलावर ग्रुप ने जबरन प्रवेश किया और तोड़फोड़ की कार्यवाही की।

इस घटना के सन्दर्भ में जयपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूरल श्री महेश्वरी मय फोर्स के जोबनेर पहुंचे और महाविद्यालय केम्पस में चारो तरफ व अन्दर फोर्स नियुक्त किया ताकि स्थिति काबू में आ सके और तनाव पर नियंत्रण हो जाये। कस्बे में भी पुलिस गश्त तत्काल बढ़ाई गई और मुलजिमान की तलाश सरगर्मी से प्रारंभ की गई। इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होते ही जिन-जिन मुलजिमान के नाम के बाबत सूचना मिली उनकी गिरफ्तारी के प्रयास प्रारंभ किये। इसके फलस्वरूप 4 मुलजिमान सर्व श्री शैतानसिंह, नरेन्द्रसिंह, भूपेन्द्रसिंह और राजेन्द्रसिंह उसी दिन बस स्टेन्ड के पास गिरफ्तार कर लिये गये। श्री शैतानसिंह से पिस्तौल व भूपेन्द्रसिंह से छुरा भी बरामद हुआ। यह चारों मुलजिमान वर्तमान में जुडिशियल लोकअप में हैं और बाकी फरार मुलजिमान की तलाश जारी है।

महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके अनुसार किसी विशेष ग्रुप के बाबत कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकतर घटना के तुरन्त बाद स्टाफ द्वारा छात्रों की सेवा सुश्रुषा का उल्लेख है। पिछली घटनाओं का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि उस घटना के बाद दिनांक 24-2-81 को दोनों ग्रुप के छात्र कक्षाएं अटेण्ड करने लग गये थे। टूर्नामेन्ट्स में भाग लेने उदयपुर भी गये थे और परीक्षाएं भी कार्यक्रमानुसार दिनांक 20-2-1981 से प्रारंभ हो गई थीं। इस रिपोर्ट में जोबनेर विद्यालय के दो छात्र व

(श्रीमती कमला)

अन्य दो के गिरफ्तार करने का भी उल्लेख है।

इस सम्बन्ध में तमाम तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आम-तौर पर स्थानीय छात्रों में मौके पर आवेश वश एक दूसरे को कहने सुनने या थप्पड़ मुक्के की घटना सुनी जाती रही है लेकिन सुनियोजित ढंग से बाहर के छात्रों व अन्य को भी बुला कर व खतरनाक हथियारों से लैस होकर जिस प्रकार से एक ग्रुप विशेष ने दूसरे छात्र ग्रुप पर प्राणघातक हमले किये, यह पहली ही घटना है। जिस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया उससे स्वाभाविक तौर पर यह अन्दाज लगता है कि यह ग्रुप खतरनाक से खतरनाक कार्यवाही करने पर उतारू होकर आया था। इस बाबत प्रशासन कितना सजग रहा है और उनके रवैये से उनके इस मामले को बढ़ने का अवसर मिला या नहीं यह सब तो पुलिस की तफतीश पूरी होने व विभागीय जांच पड़ताल से ही मालूम हो सकेगा।

उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में अल्प-संख्यकों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये मनोनयन

माननीय सभापति महोदय, एक जो स्थगन प्रस्ताव विरोधी दल के माननीय सदस्य श्री कैलाश मेघवाल की तरफ से आया है, उस सम्बन्ध में भी बयान देना चाहती हूं....

उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय जोबनेर में अल्प संख्यकों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये राज्य द्वारा मनोनयन किये जाने में किसी प्रकार का विशेष मनोनयन किये जाने पर जोबनेर कालेज में झगड़ा हुआ, आदि आरोप लगाते हुये माननीय सदस्य कैलाश मेघवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी। इसके संबंध में मुझे निवेदन करना है कि माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप सर्वथा गलत हैं और केवल राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। उनकी स्थिति सदन के सामने खुले रूप से इसलिये स्पष्ट करना चाहती हूं कि जिससे कि माननीय सदस्यों को जानकारी हो सके कि जो राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में जो कार्यवाही की गयी है वह किस प्रकार से की गयी है और उस कार्यवाही के फलस्वरूप यह हुआ है या कुछ विशेष गुट को उनके द्वारा या उनकी पार्टी के द्वारा प्रोत्साहन दिये जाने से हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, महाविद्यालय की स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिये 80 सीटों की व्यवस्था निम्न प्रकार है—20 प्रतिशत याने 16 सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये, 5 प्रतिशत याने 4 सीट, डिफरेंट फैकल्टी के बच्चों के लिये, 5 प्रतिशत याने 4 स्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिये और 20 प्रतिशत याने की 16 स्थान किसानों के लड़कों के लिये, 4 स्थान आई. टी. आर. से मनोनीत, दो स्थान राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, एक स्थान संस्थापक द्वारा मनोनीत होता है। उपरोक्त व्यवस्था उदयपुर विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल

Page No. 86

(86)

(श्रीमती कमला)

के निर्णय नम्बर 44 दिनांक 20-6-78 के अनुसार हैं। महाविद्यालय की कमेटी के द्वारा कायम पद्धति श्रेणियां 2, 3 एवं 4 में प्रवेश अंक तालिका के आधार पर आने वाले मेरिट के आधार पर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, तथा श्रेणी पांच व सात में प्रवेश मनोनीत करने वाली संस्था या सरकार अथवा व्यक्ति द्वारा मनोनीत किया जाता है। उपरोक्त 4 श्रेणियों के 47 आरक्षित स्थानों के अतिरिक्त बाकी 33 स्थानों पर आम अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। उपरोक्त वर्णित श्रेणियों, आरक्षण मनोनयन के आधार पर ही महाविद्यालय में निर्धारित आरक्षण के अनुसार ही प्रवेश दिया गया है और किसी श्रेणी में कोई शिकायत नहीं है।

माननीय सभानेत्री महोदय, मैं माननीय सदस्य का यह कथन इसलिये भी राजनीति से प्रेरित मानती हूं कि जिस भाषा में और जिस अर्थ में उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, माननीय कृषि मंत्री ने जो मनोनयन किये हैं, उन सदस्यों को लेकर के यह सारे का सारा 1-3-81 को झगड़ा हुआ है, यह सारा उससे संबंधित है। अव्वल तो, सभानेत्री महोदया, जो मनोनयन किये गये, जो भर्तियां हुयीं, वे जुलाई-अगस्त के महीने में किये गये थे और उनका ताल्लुक आज इस घटना से जोड़ा जा रहा है वह अपने आप में कितना सत्य है, उसको ये तथ्य प्रतिपादित करते हैं।

दूसरी तरफ इस बात को समझने की जरूरत है कि जो 1-3-81 की घटना हुयी और जो लोग इसमें सम्मिलित थे, उन्होंने किस नग्न रूप का प्रदर्शन किया है, उसको ढंकने के लिये और उसके पृष्ठ में घटनायें हैं, जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगे हैं, उनको बचाने के लिये आज इतने गलत ढग से इस बात को प्रस्तुत किया गया है। न तो इस मनोनयन में किसी प्रकार का कोई डिसक्रिमिनेशन हुआ, न किसी प्रकार से कोई उपरोक्त श्रेणियों का कोई उल्लंघन हुआ है, न उस वक्त इस बात को लेकर कोई इस प्रकार का आन्दोलन या स्ट्राइक हुई। सारा काम शांतिपूर्वक चला, शांतिपूर्वक संस्था चली। इसलिये पिछली 1-3-81 को जो घटना हुयी, उसका संबंध मनोनयन से जोड़ना न उनके लिये शोभनीय है, न उनके दल के लिये शोभनीय है।

(व्यवधान)

श्री हरीसिंह : क्या मंत्री महोदय....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारे भ्रम दूर हो गये हैं। केवल दो बातें और रह गयी हैं....

(व्यवधान)

श्री हरीसिंह : क्या मंत्री महोदया यह बतायेंगी कि एक इन्क्वायरी इसकी होनी चाहिये, जिससे कि सारे तथ्य सामने आ जायें, क्योंकि यह तो आरोप है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सारे के सारे बोल रहे हैं, किस की सुनूं। आप चारों ओर से बोलते रहेंगे तो किसको जवाब दें।

(श्री सभापति)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आप कुछ बोलना चाहते हैं, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है....

श्री सभापति : आपका नाम इसमें नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सभापति महोदया। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि सदन में 2 बजे बजट पर वाद-विवाद शुरू हो जायेगा। आज मुख्य मंत्री जी का जवाब भी होगा और जो माननीय सदस्य नहीं बोले हैं उनको भी अवसर मिलेगा, इसलिये या तो बजट बहस का एक दिन और बढ़ा दें बजट सत्र में और कल मुख्य मंत्री जी जवाब दे दें वरना सभी माननीय सदस्यों को बोलने का समय दें।

श्री सभापति : मैं आपके विचार से सहमत हूं और चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी बजट पर विवाद शुरू हो जाये।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री हरिसिंह : मैंने मंत्री महोदय से मांग की थी। इस मामले की किसी उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच करायी जाये ताकि सारे तथ्य सामने आ जायें कि प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है और विद्यार्थी की क्या जिम्मेदारी है। सारे तथ्य सामने आ जायेंगे, कौन लोग जिम्मेदार हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं।

श्रीमती कमला : मैंने बयान में कहा है कि पुलिस तफतीश और प्रशासन के जांच करने के बाद ही प्रतिपादित कर सकेगी कि कौन कितना दोषी है।

श्री हरिसिंह : पुलिस की तफतीश तो इस मामले की होगी लेकिन प्रशासन की जो गड़बड़ी हो रही है उसकी जांच कराना चाहता हूं।

श्रीमती कमला : राज्य द्वारा से मतलब है कि पुलिस के अलावा विभाग द्वारा जांच करायी जा रही है। दोनों की रिपोर्ट आने पर ही व्यवस्था की जा सकेगी।

श्री हरिसिंह : यह जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करायी जाये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : 10 आदमी बोल रहे हैं तो कैसे सुनायी दे। सी. पी. जोशी जी क्या कह रहे हैं?

श्री. सी. पी. जोशी : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। मैं उस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूं। मैं मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपका नाम लिस्ट में नहीं है, माननीय सदस्य।

Page No. 88

(88)

श्री सी. पी. जोशी : मैंने दिया है, आप कन्फर्म कर लें।

श्री सभापति : दिया होगा, पर इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : दिया है मैंने....

श्री सभापति : इस सूची में तो आपका नाम है, दिया होगा। वह इससे अलग बताते हैं, इससे आपका संबंध नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : इसी से संबंधित है, आप ओरीजिनल मंगा कर देख लें।

श्री सभापति : इसमें तो आपका नाम नहीं है। मेरे पास सूची है।

श्री. सी. पी. जोशी : आप ओरीजिनल मंगाकर देख लें। मैं उसके बाद ही बोलूंगा।

श्री सभापति : इस पर वैसे ही काफी सदस्यों को बोलना है।

श्री. सी. पी. जोशी : बस दो मिनट का समय दे दें।

श्री सभापति : पहले तो जिनके नाम हैं उनको ही समय दूंगा। आप में से एक व्यक्ति बोल ले। नाम तो पांच छः के हैं।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जिनके नाम पुकार चुके हैं वे ही बोलेंगे।

श्री सभापति : पहले नाम तो शास्त्री जी का है। मैं शास्त्री जी से कहता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसा है पहले उनका नाम है वही बोलेंगे, मैं किसी तरह की बाधा नहीं डालना चाहता हूं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे स्थगन प्रस्ताव का विशेष तौर से रेफरेंस दिया गया है उस पृष्ठभूमि में मेरे पर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा है कि राजनीति से प्रेरित रहा हूं, इस पर बोलने का मुझे पूरा अधिकार है। कोई पहले बोले, यह बात नहीं है।

श्री सभापति : आप दोनों में से कोई भी बोल लें। बेहतर होगा समय नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा इसमें रेफरेंस दिया गया है। सभापति महोदया, यह कैसे हो सकता है कि मेरे पर एलिगेशन लगें, मेरे पर आक्षेप लगें और मैं पूरा पूरा स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकूं। इसके लिये तो मुझे नियमों में भी अधिकार है। इसलिए तो निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : संक्षेप में बोलें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे स्थगन प्रस्ताव का रेफरेंस देकर इतनी बात कही और यह कहने की कोशिश की कि मैंने कोई व्यक्तिगत रूप से राजनैतिक दृष्टि से उन पर आरोप लगाने की कोशिश की। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि इस तरह की कोई मेरी मंशा नहीं, मेरा कोई विचार नहीं और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य से भी निवेदन करूंगा....

श्रीमती कमला : जो संबंधित हैं वह वापस पढ़ लें, जो उन्होंने लिखा है, माननीय मंत्री महोदय के स्वजाति लोगों का मनोनयन करने के कारण यह झगड़ा हुआ है। कितनी सुन्दर बातें कहीं हैं....

श्री कैलाश मेघवाल : वे स्पष्टीकरण दे चुकी हैं और मेरे को बोलने का अधिकार है। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस किसी ने भी हिंसा को हाथ में लिया है, मारपीट, झगड़ा किया, उसकी निश्चित रूप से निष्पक्षता से जांच करायें कि जिससे सारे तथ्य सामने आयें कि कौन अपराधी है। उसको सजा मिले और वे सामने आ सकें। इसलिये माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झगड़ा कहां से फैला, कहां से चालू हुआ। महेन्द्र कुमार नामक एक शिड्यूल्ड कास्ट का लड़का जो जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ता था, जो कृषि-स्नातक बनना चाहता था जो बी. एस सी. (एजी) में पढ़ता है उस लड़के को सबसे पहले 21-2-79 को एक ग्रुप के द्वारा पीटा गया। वहां पर दो ग्रुप हैं। माननीय सभापति महोदया, एक ग्रुप के द्वारा जब उस लड़के को पीटा गया, पीटने के बाद कार्यवाही हुई और वह कार्यवाही होने के बाद 12 विद्यार्थियों को दण्डित किया गया और दण्डित करने के बाद उनके दण्ड को वापस लिया गया और आपस में समझौता हुआ। लेकिन शान्ति हुई नहीं, बाद में वह झगड़ा चलता रहा, उस झगड़े के बाद माननीय सभापति महोदया, उस लड़के को उसके एक साथी किशनलाल शर्मा और दूसरा साथी तथा उसके साथ के दूसरे कुछ ग्रुप के लोगों ने अर्से बाद हमला किया और हमला करने के बाद ...

श्री हरिसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, इसमें आपके सामने मेरे पर आरोप लगाया है।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : हमने आपको सुना है, आपको भी सुनना पड़ेगा।

श्री सभापति : इनका पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदया, माननीय मेघवाल जी का जो स्थगन प्रस्ताव था वह विद्यार्थियों के चयन के मामले में था, अब जो वहां हालात हैं, झगड़े क्यों हुए, उस मामले में वह जाना चाहते हैं। आपने मेरे को सीमित कर दिया था सारी डिटेल्स बताने से। सारी डिटेल्स पूछते हैं तो आपको मेरे को मौका देना पड़ेगा कि....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चयन का नहीं था....

श्री हरिसिंह : वहां झगड़े की जड़ क्या है, कौन झगड़ा करवाता है ? इस सूरत में आपकी इजाजत चाहता हूं मुझे पूर्ण स्थिति का बयान करने का मौका दिया जाय । सब को जो संक्षिप्त तरीके से हाईलाइट करना चाहते हैं, थोड़ा-थोड़ा समय दे दिया । इस बारे में मुझे भी स्पष्टीकरण करने का मौका दिया जाय ।

(व्यवधान)

अगर पूर्ण रूप से डिस्कस करना है तो इसके लिए आधे घण्टे की क्या एक घण्टे की चर्चा हो जाय ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : झगड़े का कारण आप स्वयं हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : मेरे पर आरोप लगाया है, मैं कहता हूं इस विधान सभा से मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, अगर मैं झगड़े का कारण हूं, मैं इस झगड़े में शामिल हूं, वरना माननीय सदस्य आर. एस. एस. और जनसंघ से आने वाले अगर शामिल हैं और नहीं हैं तो मैं चैलेन्ज करता हूं इस्तीफा दे दें । इसके लिए जुडिशियल कमीशन विठा दिया जाय ।

(व्यवधान)

आप और मेघवाल जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समर्थन करता हूं कि माननीय सदस्य की मांग जुडिशियल कमीशन विठाने की मान ली जाय तो....

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : मेघवाल जी, चतुर्वेदी जी, ये ही झगड़े के कारण हैं ।

(व्यवधान)

आप तो इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में एक दूसरे को सम्बोधित नहीं करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य की बात मान ली जाय तो विवाद यहीं समाप्त हो जायगा । माननीय सदस्य की मांग है जुडिशियल इन्क्वायरी हो जानी चाहिए । मैं समझता हूं, सरकार को स्वीकार कर लेनी चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : हम भी स्वीकार करते हैं ।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, मैंने जानबूझ कर उन बातों का यहां पर सन्दर्भ नहीं दिया जो माननीय सदस्य मेघवाल जी उठाना चाहते हैं । आप यदि उन चीजों को उठाना चाहते हैं तो मैं उनके बाबत भी माननीय सभानेत्री महोदया, आपके मार्फत यह बताना चाहूंगी कि वे इनको गलत बता करके इसका सन्दर्भ उससे जोड़ना चाहते हैं । इसमें आप गलती पर हैं । आप दोनों बार गलत तथ्यों

(श्रीमती कमला)

को पेश करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप सीमित रहें तो अच्छा है नहीं तो मुझे उसका जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग स्वीकार कर लीजिये, सब ठीक हो जायगा।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इन्क्वायरी तो कराई ही जायगी और आपके सवाल का जवाब भी दिया जायगा। आप....

(व्यवधान)

जो × × × कह रहे हैं उसका पर्दाफाश किया जायगा।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप लोग ही जिम्मेदार हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : माननीय सभापति महोदया, वह कौन से कारण थे जिसकी वजह से लड़कों को सेमस्टर के लिए बाहर निकाला गया। चूंकि कालेज के बाहर लड़ाई हुई थी, जानबूझकर वहां के डीन और प्रोफेसर ने एक वर्ग विशेष के साथ दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाकर यह रवैया अपनाया है।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका नाम सूची में नहीं है।

(व्यवधान)

आपका नाम नहीं है।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : हम भी बोलेंगे, मैं आपकी इजाजत लेकर बोल रहा हूं।

श्रीमती सभापति : मुझे अफसोस है कि आपका भी स्थगन प्रस्ताव में नाम नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : ये लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं, हम भी यह उचित नहीं समझते हैं। मुझे कुछ तथ्यों की जानकारी है, इसलिए निवेदन कर रहा हूं....

श्री सभापति : मैं बहुत ही अदब से कहना चाहती हूं। मैं यह चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी यह समाप्त हो जाय और बजेट पर वाद-विवाद शुरू हो जाय। इस तरह से तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न्यायिक जांच हो जाय तो बात यहीं समाप्त हो जायगी।

श्रीमती कमला : न्यायिक जांच के बाबत भी मैं वक्तव्य दूंगी, लेकिन माननीय सदस्य....

(2.25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मेघवाल जी जिस घटना का उल्लेख करना चाहते हैं, उसका भी मैं विवरण दे

(श्रीमती कमला)

दूं, हालांकि मैं देना नहीं चाहती थी पर उन्होने उठाया है।

(व्यवधान)

क्या आप मुझे मना कर सकते हैं बोलने के लिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थिति यह है कि डेढ़ बजे तक का टाइम था, फिर उसको दो बजे तक बढ़ाया गया था। विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ढाई बजे तक किया गया। ढाई बजे तक स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव और अन्य प्रस्ताव सब समाप्त घोषित कर दिये जायेंगे, उसके बाद में बजट पर वाद-विवाद शुरू हो जायगा।

श्री कैलाश मेघवाल : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर भी ढाई बजे तक।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष, मैं यहां इस सम्बन्ध में कहना चाहती हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया, विराज जायं।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हमको कहने दो अपनी। बात आप बोल चुके है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसलिए खड़ा होना पड़ा, उन्होंने स्थगन-प्रस्ताव में जो मुद्दा उठाया, उसके अलावा यह बात इन्होंने कही है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह मेरा एलिगेशन है, ये समय बरबाद कर रही हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : × × × वह हिसाब आप करने लग गये। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, जोर-जोर से बोलने से पार पड़ेगी—

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिस समय मुन्नालाल जी गोयल खड़े थे।

(व्यवधान)

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री कैलाश मेघवाल का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि आपने अभी जो ढाई बजे की व्यवस्था

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

दी उसके बारे में निवेदन यह करना है कि जब आप आसन पर विराजमान नहीं थे और बीम से आने वाली माननीय सदस्या आसन पर थीं, उस समय मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में कई बातें मेरे बारे में कही गई।

श्री अध्यक्ष : मैं सब कार्यवाही अन्दर बैठा सुन रहा था।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। स्पष्टीकरण करने का वो नियमों में प्रावधान है इसलिए ढाई बजे का प्रतिबन्ध मेरे पर लागू नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण की भी सीमा होगी। दो-चार मिनट आप भाषण देना चाहें तो आप बता दीजिये पहले।

श्री कैलाश मेघवाल : तो, माननीय अध्यक्ष महोदयस, बात यह है कि जनता सरकार ने 11-6-79 को एक आदेश निकाला। आदेश यह था कि जोबनेर कालेज के लिए केवल दो सीटों पर राज्य सरकार मनोनयन कर सकेगी। उसके साथ एक क्वालिफिकेशन और लगाई कि किस-किस का कर सकेगी। वह कर सकेंगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक समुदाय और युद्ध के कारण निराश्रित। यह क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक है, इस बात के लिए कि यह जो राज्य सरकार के हाथ में मनोनयन का अधिकार दिया गया, साधारण प्रवेश के नियमों में जो न आ पाये उनका राज्य सरकार इन ग्राउंड्स पर मनोनयन करे। अब झगड़ा इस बात का है। आखिर आपने इस ऑटोनोमस बोडी को अपने नियम बनाकर भेज दिए, उनका पालन कराना है। जोबनेर के डीन को भेज दिए, उनका पालन कराना है। उसके बाद इस राज्य सरकार ने जब से श्रीमती कमला कृषि मंत्री हैं, 2-8-80 को फिर दो का नामीनेशन किया, वह भी इसमें नहीं आता है। 18-8-80 को फिर एक नामीनेशन। 3-9-80 को, फिर दो का नामीनेशन। 8-9-80 को, फिर नामीनेशन। 10-2-80 को दो सदस्यों का नामीनेशन किया दोनों हीं क्वाकिफिकेशन्स में नहीं आते हैं। फिर 19-2-80 को नामीनेशन किया, फिर 22-2-80 को नामीनेशन, फिर 25-2-80 को नामीनेशन....

(व्यवधान)

यह तारीखें हैं, जिन तारीखों में अलग-अलग दो के खिलाफ आप नामीनेशन करते रहे हैं और इसलिए कि वहां के डीन ने यह कहा कि यह नियम है, इसके खिलाफ मैं प्रवेश दे दूंगा तो साधारण नियम से जो प्रवेश नहीं ले पाते, वे छात्र आंदोलन करेंगे। इसलिए उन्होंने यह कहना नहीं माना, यह है जड़ सारे झगड़े की। यह मैं नहीं कह रहा, राजस्थान हाई कोर्ट कह रही है....

श्री अध्यक्ष : पढ़ने की क्या जरूरत है, तथ्य दिये वे काफी हैं। हम मान लेते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : वह कहते हैं कि मैं गलत आरोप लगा रहा हूं; मेरी आदत है। मैंने नहीं कहा, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बात कही है कि जितने मनोनयन किए हैं नियमों के विरुद्ध किए गए हैं। एक अल्पसंख्यक को जिनको आपने मनोनीत

(श्री कैलाश मेघवाल)

किया। जो मैंने लिखा है अपने स्थगन प्रस्ताव में उनको प्रमोशन नहीं दिया, यह झगड़े की जड़ है। दो गुट चले गए, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लड़के को पीटा गया एक गुट के द्वारा और उसके साथी शर्मा को भी पीटा गया। प्राणघातक हमला हुआ। एक विद्यार्थी को निकाला गया। आपके यहां पर डीन को बुलाया गया, कृषि मंत्री के घर पर। डीन से कहा जाता है कि या तो एडमिशन दे दो या आपको भुगतना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यह इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिज्ञ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान में जातिवाद के झगड़े, साम्प्रदायिकता के झगड़े न चलें, सत्तापक्ष और विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी है सारे राजस्थान में। विद्यार्थियों की हर जगह से आवाज आ रही है कि एक गुट को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है दुर्भाग्य से। सब विद्यार्थी इसलिए डीन से नाराज हुए कि अपने नियमों के विरुद्ध उनका मनोनयन किया, उनको एडमीशन नहीं मिला। जब पुलिस पर डीन निर्भर करते हैं तो क्या आप इस स्थिति को पसंद करेंगे? इस सत्ताधारी पार्टी के अगर नियम विरुद्ध आदेश नहीं माने जायं और उस पर हमला किया जाय या उसको धमकियां दी जायं तो पुलिस उसकी मदद के लिए नहीं जायगी तो स्थिति कहां तक चलेगी? आप अध्यक्ष हैं, कल स्टेट आपको कोई आदेश देती है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत वे आदेश नहीं आते हैं तो आप नहीं मानेंगे तो आपको धमकियां दी जायंगी? यूनिवर्सिटी एक आटोनोमस बोडी है....

श्री अध्यक्ष : अपनी संस्था और तरह की है, धमकियां वमकियां चलती रहती हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : ये जो अध्यापक हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : जो प्रिन्सीपल्स हैं उन सबको अगर इस आधार पर कि झगड़ा कर रहे हैं, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है और प्रशासकों को सरक्षण नहीं दिया जायगा। पुलिस की लापरवाही रही है। मैं आरोप लगा रहा हूं इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कृषि मंत्री श्रीमती कमला हैं जिन्होंने घर पर बुलाकर धमकियां दी हैं और पुलिस को भी इनएक्टिव रखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। केवल मंत्री महोदय का दो मिनट में वक्तव्य होगा उसके बाद चर्चा समाप्त होगी।

श्री सी. पी. जोशी : दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : एक मिनट मुझे दे दें।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट उनको।

श्री सी. पी. जोशी : इस सारी समस्या को शैक्षणिक दृष्टिकोण से नहीं सोचा गया है। सारी स्थिति इसलिए पैदा हुई कि उदयपुर विश्वविद्यालय में डीन डाइरेक्टर के पद पर एढाक प्रमोशन्स हुए, तत्कालीन सिंडीकेट ने किए, इनका नामीनेशन जनता पार्टी ने किया, वहां सिंडीकेट आज भी इफैक्टिव है, उसने डीन डाइरेक्टर नामीनेट किया। हैड आफ डिपार्टमेंट है, वह अपने इन्ट्रेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह बताता है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस स्थिति को ध्यान में रखकर समस्या का निदान करें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं माननीय सदस्य की और उनके दल की खूबी को हमेशा मानती हूं कि जिस टैक्ट के साथ और जिस खूबसूरती के साथ में गलत तथ्यों को भी सही प्रतिपादित करने के लिए शैली वे हथियाते हैं उसमें ये माहिर हैं....

(व्यवधान)

जरा सुनने का कष्ट करें। इसलिए जो तथ्य यहां सदन में प्रस्तुत करने की कोशिश की है वह सर्वथा गलत हैं और उन पर आधारित जो निष्कर्ष निकालने की चेष्टा की है वह इसलिए स्वतः ही गलत है। उन्होंने यह कहा कि हमने अपने जमाने में ऐसा कानून लागू किया था कि इसमें से फलां-फलां केटेगरी के लोगों का मनोनयन होगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, इनके जमाने के जो मनोनयन किए गए हैं, जिनका यह उल्लेख कर रहे हैं, में उनके नाम बताती हूं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइंट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसमें क्या पाइन्ट आफ आर्डर है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक रेफरन्स किया गया है, उस आर्डर की डेट मंत्री महोदय बतायें। उसके बाद जो नामीनेशन हुआ, उसकी भी बतायें।

श्रीमती कमला : आपका राज गया, उस वक्त का बताऊंगी।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं।

श्रीमती कमला : इन्होंने आदेश तो जारी कर दिया पर इनका लालच इनसे संवरा नहीं। इसलिए आदेश के बावजूद भी इन्होंने जो मनोनयन किए हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : डेट भी बतायें।

श्रीमती कमला : आपकी आदत है, मैं जानती हूं, आप इसी तरह से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : आपने जो मनोनयन किया उसके बावजूद भी जिनका नामीनेशन किया उनके नाम हैं, दिनेश चन्द्र गुल्लाटी बी. एस सी. उदयपुर में किया और जोबनेर

(श्रीमती कमला)

में आपने उमा शंकर शर्मा, मोहम्मद हुसैन, प्रभू दयाल, कांती प्रसाद, निहाल सिंह, उदयसिंह, नरेन्द्र कुमार, ये आपने नामीनेशन्स किए। कौनसा आपने कायदा बनाया? उसकी क्या अनुपालना की, मुझे बतायें। मैंने जो नामीनेशन्स किए वह तो आपने पढ़ लिये, इसके अलावा जो नामीनेशन्स किए हैं वह एक नामीनेशन है, रशीद अहमद, अंडर ग्रेजुएट में, दूसरे नामीनेशन्स आपने किए थे, श्रवण सिंह चौहान, गनपतसिंह चौहान। इस सरकार ने 1980-81 में जो नामीनेशन्स किए अब्दुल कयूम, इकबाल खां, महेश कुमार गुरनानी, कविता नाहर, रूपा गुप्ता, आपने किए हैं, कुमारी फलां कंवर ये सारे किए हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तारीखें नहीं बतायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्रीमती कमला : आप सुनने की कोशिश कीजिये। इल्जाम मत लगाइये। आप पहले अपने आप में झांक कर देखिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इल्जाम लगा रहे हैं, वह सरासर गलत है। इन्होंने खुद ने नियमों की अवहेलना की है। इन्होंने खुद ने गलती की है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहती हूं, वह यह है कि इन्होंने कहा कि फलां वक्त पर फलां एक घटना घटी, फलां व्यक्ति ने फलां व्यक्ति को मारा, उसके कारण यह सारी दुर्घटना घटी और इसके परिणामस्वरूप यह हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना चाहती हूं, यह मेरा कहा हुआ नहीं है। जो जोबनेर कृषि कालेज की ग्रिवान्सेज कमेटी है और डिसीप्लीनरी कमेटी है, उसने जो विवरण दिया है, उसको थोड़ा में संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्रीमती कमला : संक्षेप में ही कहूंगी, अध्यक्ष महोदय।

स्थिति यह है कि अभी कुछ दिन पहले 13-9-80 को जोबनेर कालेज के कुछ छात्रों का जोबनेर से बस में जयपुर आते हुए बीच में कहीं पर कुछ झगड़ा हो गया। फिर उन बच्चों ने अपने अलग-अलग बयान दिये। उनके बयानों पर प्रतिवेदनों पर ग्रिवान्सेज कमेटी ने उनको सुना और उनको सुनने के बाद ग्रिवान्सेज कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स दीं। उसके अनुसार अलग-अलग लड़कों, जिनको पीटा गया और जिन्होंने पीटा, दोनों कैटेगरीज के लड़कों को अलग-अलग भेदभावपूर्ण तरीके से पनिश किया गया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूं। कमेटी ने जो फाइंडिंग्स दी हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यहां पर पढ़ कर सुनाऊं तो अच्छा रहेगा, इसमें लिखा है—

(श्रीमती कमला)

"The Committee wondered that the happenings which take place outside the campus on the road to Jaipur or anywhere else fall within the jurisdiction of its enquiry. The case could have been or might have been registered with the police which can take its own course of action. A policy decision may be taken."

अब दूर दराज कहीं पर गांव में पांच सात बच्चों में झगड़ा हुआ, उस झगड़े को केस मानकर उस पर हीयरिंग दी और जिनको पीटा गया और जिन्होंने पीटा उन दोनों को अलग-अलग तरीके से दण्डित किया गया है। जिसको पीटा गया उसको तो एक्सपेल कर दिया गया और जिन्होंने पीटा उनमें से किसी पर 25 रुपया फाइन किया, किसी पर 50 रुपया, किसी पर 150 रुपया, किसी पर 150 रुपया जुर्माना कर के छोड़ दिया। उनको छोड़ दिया गया तो जिसको कालेज से एक्सपेल किया गया, उसके पक्ष में वहां पर हड़ताल की गयी। यह कहा गया कि गलत तरीके से एक लड़के को पीटा गया, उसको एक्सपेल किया गया, वह क्यों किया गया। इस फैसले को वापस लेना चाहिये। इस सिलसिले में सेक्रेटरियेट में स्पेशल सैक्रेटरी एग्रीकल्चर प्राडक्शन, डीन और डिप्टी सैक्रेटरी और मेरे साथ में बातचीत हुई। उन्होने आकर जब यह बताया इस पर स्पेशल सैक्रेटरी एग्रीकल्चर प्राडक्शन ने यह कहा कि इन्होंने जो बच्चों के बयानात लिये, बाकी लड़कों ने दिये हैं और उसके उपर जो प्रिवान्सेज कमेटी ने जो फाइंडिंग्स दी हैं वह डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन किया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भगवान दास शास्त्री : आपने कहा कि चौधरी को निलम्बित क्यों किया। इसके साथ में आपने यह भी कहा, मंत्री महोदया, समान दण्ड किया जाय। नहीं तो भुगतो।

श्रीमती कमला : आप वहां पर बैठे थे क्या।

श्री भगवान दास शास्त्री : आपने कहा कि चौधरी को निकाला है तो सभी को निकालें, नहीं तो भुगतो ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह जो भाषा बोल रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया वहां पर काम में हस्तक्षेप करती हैं। मैं दिल्ली में जाकर 18 फरवरी को मिला हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये निवेदन करना चाहती हूं।

Page No. 98

(98)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर आर्डर। आर्डर।

श्रीमती कमला : यह जो भाषा बोल रहे हैं, एक मिनट महोदय, वह भाषा लोगों को फंसाने के लिये बोल रहे हैं। इनकी भाषा लोगों को एजीटेट करने के लिये उकसाती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें। चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

एक माननीय सदस्य : इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जाय।

श्री भगवानदास शास्त्री : हां, करा ली जाय। यह धर्म निरपेक्ष देश है हमारा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्रीमती कमला : आप लोग प्रशासन को अच्छी तरह से चलने नहीं देना चाहते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई। आय व्ययक बजट पर सामान्य वाद विवाद। श्री भैरोंसिंह शेखावत।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। मेरी बात सुन लीजिये। एक तरफ तो पूरे राजस्थान का मसला है। एक तरफ राजस्थान का बजट है, एक हजार करोड़, बारह सौ करोड़ का मामला है और दूसरी तरफ आपके स्कूल के पांच सात बच्चों की लड़ाई है। अब किस लड़के की गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, यह सारे छोटे-छोटे मामले हैं। प्रायोरिटी बजट को....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, समय बहुत कम है। आर्डर आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया बच्चों की लड़ाई में हस्तक्षेप करती हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : डीन ने कहा है।

'I was pressurised by the Agriculture Minister in some of her concluding remarks that if you cannot settle this issue, तो आप भुगतो।"

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या। कृपया स्थान ग्रहण करें।

सुश्री पुष्पा जैन : आपने कहा है भुगतिये। यह डीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपके डीन के लिख कर देने से सही हो जायेगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह।

श्रीमती कमला : एक स्टेटमेन्ट और, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : सभी समाप्त हो गया है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रॉन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय । आज की जो कार्यसूची प्रकाशित की गयी है उसमें इस बात का उल्लेख है नम्बराचार पर कि मन्त्री महोदया का वक्तव्य होगा । आप इसको कल के लिए स्थगित करदें ।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया । माननीय सदस्यों को मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि समय का ध्यान रखा जाय ।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा, उदयपुर, जोधपुर में अथाह ठन्ड का प्रकोप हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी भयंकर बीमारी फैल रही है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालिं । भैरोंसिंह शेखावत ।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का बजट जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है उन्हें इसको प्रस्तुत करने का अवसर ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमन्त्री जी को इस बात के लिये बधायी देना चाहूंगा कि उन्होंने दूसरी बार इस सदन में बजट प्रस्तुत किया है । अध्यक्ष महोदय, इस एक वर्ष में मुख्य मन्त्री जी ने दो कीर्तिमान स्थापित किये हैं उनके लिये मैं मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा । पहला कीर्तिमान तो यह स्थापित किया है, अध्यक्ष महोदय, 95 करोड़ रुपये का डेफिसिट का बजट इन्होंने पेश किया । आज तक राजस्थान में इतने बजट पेश हुए लेकिन इतने बड़े घाटे का बजट पेश नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, संक्षेप में ही यह बताना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में एक बार 29 करोड़ रुपया का डेफिसिट बजट पेश हुआ । उसके बाद दो बजट मुख्य मन्त्री जी ने पेश किये इसमें 85 करोड़ का घाटा इन्होंने पिछले साल प्रस्तुत किया । इन्होंने इस बात से ही सन्तोष नहीं किया पर इसके बाद में इस वर्ष इन्होंने 95 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत करके राजस्थान में कीर्तिमान स्थापित किया है ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा कीर्तिमान इन्होंने यह स्थापित किया है कि इस वर्ष 105 करोड़ रुपये का राजस्थान पर ओवर ड्राफ्ट कर दिया । अगर 12 करोड़ की सीमा जो कि निर्धारित सीमा है, उसको भी जोड़ दिया जाय तो यह 117 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट राजस्थान सरकार पर हो गया जो कि आज तक राजस्थान में कभी भी किसी को मुख्य मन्त्री जी के जमाने में नहीं हुआ । किसी भी मुख्य मन्त्री ने ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी लेकिन इन्होंने यह कीर्तिमान उपस्थित किया है । इसके लिये इनको धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देता हूं मैं समझता हूं कि आपको स्वतन्त्रता है कि आप इनको इन दो कीर्तिमानों के लिये धन्यवाद दें या न दें। इन दो कीर्तिमानों के साथ इस वर्ष सबसे बड़ी मजाक जो मुख्य मन्त्री जी ने राजस्थान की जनता के साथ किया है वह यह है कि इन्होंने हाथ की चक्की पर कोई कर नहीं लगाया, यह मुख्य मन्त्री जी का सबसे बड़ा मजाक है। मैं इनको इस उपलब्धि पर बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय,. मुझे किसी प्रकार की इसमें आपत्ति नहीं है। मुझे आप क्षमा करेंगे, इस सारे बजट को अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा लगेगा कि यह कोई सरकार का बजट नहीं है। इस बजट को यदि मैं संक्षेप में कहूं तो इतना ही कह सकता हूं कि यह बजट किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनिन्दा सरकार का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि इस बजट को बनाने में हालांकि हमारी कांग्रेस पार्टी में भी योग्य व्यक्ति बैठे हैं लेकिन उनसे कोई सहयोग नहीं लिया गया। अगर उनका सहयोग लिया जाता तो इस बजट की शक्ल ही कुछ और होती। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, मेरा अनुभव भी है कि राजस्थान में कई अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो कि बहुत ही योग्य हैं। अगर उन योग्य अधिकारियों का सहयोग लिया जाता तो भी इस की शक्ल कुछ और ही होती लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा मालूम होता है कि न तो योग्य अधिकारियों ने इसकी तरफ कोई परिश्रम ही किया. और न ही सत्ता पक्ष के योग्य सदस्यों से ही कोई इसमें सहयोग लिया गया। यह बजट तो किसी अकाउन्टेन्ट के अकाउन्ट का बजट होता है उसी तरह का है। सिवाय अकाउन्टेन्ट के अकाउन्ट के यह बजट कुछ भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपने भी बजट देखे हैं। उधर माननीय सदस्या बैठी हैं कमला जी और बद्रीप्रसाद जी बैठे हैं इनके सामने भी सदन में बजट पेश हुए हैं। इन दो बजटों को छोड़ दीजिए एक तो गत वर्ष का और दूसरा इस वर्ष का, यदि इन दोनों बजटों को छोड़ दिया जाता है तो पूर्व में जितने भी बजट पेश किये गये हैं उन सब में गत वर्षों की परफार्मेन्स का उल्लेख होता है कि कितने टार्गेट्स एचीव हुए, फिजिकल टार्गेट्स कितने एचीव हुए, फाइनेन्शल टार्गेट्स कितने एचीव हुए, कितना शार्ट फाल रहा आदि इनका उल्लेख होता है। गत वर्ष माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ऐसा नहीं किया। मैं उस समय समझ रहा था कि शायद मुख्य मन्त्री जी नये आये हैं और परिवर्तित बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है। एक बार वोट आन अकाउन्ट उसके पहले से लिया गया था और उन सारी परिस्थितियों में शायद नहीं किया हो। लेकिन इस वर्ष के बजट में भी किसी प्रकार की परफार्मेन्स का उल्लेख रत्तीमात्र भी नहीं किया गया कि पिछले वर्ष की क्या स्थिति थी और किस प्रकार की स्थिति नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 95 करोड़ रुपये का घाटा इस बजट में बताया गया है। इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी इस पूर्ति का उल्लेख कहीं नहीं है। पहले जिस समय 85 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। उस समय मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन को विश्वास दिलाया था इन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शब्दों में, जो बताना आवश्यक है, "इस घाटे की पूर्ति श्रीमान, इस प्रकार होगी। मैंने पहले ही सदन में खुलासा कर दिया था कि प्रशासनिक खर्च में कमी की जायेगी, नान-टैक्स रेवेन्यू आमदनी बढ़ाई जायेगी और तीसरे केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करके इस घाटे को पूरा किये जाने की कोशिश की जायेगी।" यह मुख्य मन्त्री जी ने उस समय सदन को आश्वासन दिया था। इस प्रकार का आश्वासन है कि इस घाटे की पूर्ति किस तरह होगी। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वह अंधकार में नहीं रहें बजट पेश करते हुए राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने अपने बजट भाषण के पेज 20 पैरा 3 में कहा है—

"राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राजकीय निगमों, बोर्डों इत्यादि में बहुत अधिक पूंजी विनियोजन हुआ है। राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है उसे इस पूंजी विनियोजन में अपेक्षित लाभ मिलना चाहिये। वर्ष 1981-82 में हमारा प्रयत्न होगा कि जो निगम, बोर्ड घाटे की स्थिति में हैं वे अपनी व्यवस्था इस प्रकार से करें कि अब और अधिक घाटा न हो। साथ ही वे पूंजी निवेश पर न्यूनतम लाभ भी राज्य सरकार को दें। इस दृष्टि से यदि आवश्यक हो तो वे अपने मूल्यों, सेवा की दरों, लागत दरों पर पुनर्विचार करें। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि यह सभी निगम, बोर्ड इस स्थिति को समझेंगे तथा अपनी कार्य-प्रणाली की आवश्यक समीक्षा करेंगे।"

अब इसका अर्थ क्या है। लेकिन इसके साथ ही एक बात यह और कही गयी है—

"राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये साधनों की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। विकास की गति को हम अवरुद्ध नहीं कर सकते तथा यह भी सम्भव नहीं है कि साधनों एवं व्यय के अन्तर की यह स्थिति और अधिक समय तक चलती रहे। अतः अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करना आवश्यक है।"

अध्यक्ष महोदय, इस बजट को आप देखिये। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बड़े ही जोर शोर से कहा कि हमारी छठी पंचवर्षीय योजना 2025 करोड़ रुपये की होगी। इन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया और 95 करोड़ का घाटा बताया। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि 2025 करोड़ रुपये के इस प्लान के लिए उनके पास रिसोर्सेज की क्या स्थिति है? रिसोर्सेज कहां से लायेंगे? मैं, अध्यक्ष महोदय, उस बात को दोहराना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जब प्लानिंग कमीशन के सामने गये और 2025 करोड़ रुपये का जब प्लान मन्जूर हुआ उस समय उन्होंने तीन बातों का एश्योरेन्स दिया। एक यह दिया कि बिजली के ऊपर चार्ज बढ़ाया जायेगा। दूसरा यह एश्योरेन्स दिया कि पैसेन्जर्स के ऊपर रोडवेज कारपोरेशन के द्वारा किराया बढ़ाया जायेगा और तीसरा एश्योरेन्स उन्होंने यह दिया कि प्रोहिबिशन को स्क्रैप किया जायेगा और उसकी आय को बढ़ाया जायेगा। यह तीन एश्योरेन्स वह देकर आये। उन तीनों एश्योरेन्स के ऊपर स्पष्ट रूप से कहे बिना उन्होंने यह दो पैराग्राफ के अन्दर संकेत दिये और उन संकेतों के आधार पर मैं आज घोषणा करता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं कि विधान सभा का सत्र समाप्त होते ही इन तीनों चीजों के ऊपर टैक्स लगे। बिजली की दरें बढ़ेंगी, पैसेन्जर्स का जो किराया है वह बढ़ेगा और उसके साथ ही साथ प्रोहिबिशन के बारे में विवेकीकरण की बात की जायगी....

श्री अध्यक्ष : कुछ करों में छूट की भी घोषणा कर दीजिये साथ ही साथ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आज तो आप घोषणायें कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं घोषणायें नहीं कर रहा हूं। आप उस समय देख लेना। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि 95 करोड़ का घाटे का बजट लेकर 2025 करोड़ रुपये की योजना के ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकते। यह तथ्य है और इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता। यह तीनों बातें मुख्य मंत्री जी ने कहीं हैं। इसका अर्थ यह निकाल कर चलें माननीय सदस्य कि यह तीनों चीजें होंगी। प्रोहिबिशन के बारे में जिस रूप से विवेकीकरण की बात की जा रही है वह आगे कहूंगा लेकिन दो प्रश्नों की ओर संकेत मैंने इसलिए दिया है कि इस समय, अध्यक्ष महोदय हिन्दुस्तान में एक फैशन बन गया है और फैशन इस बात का बन गया है कि किसी न किसी रूप में विधान सभा को बाई-पास किया गया जाय। बाई-पास करने का तरीका यह है कि टैक्स लगाना हो तो विधान सभा में उनको नहीं रखा जाय।

माननीय सदस्य जानते हैं इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने इस के ऊपर 500 करोड़ रुपये की कीमत बढ़ा दी 386 करोड़ के रेलवे में टैक्स लगे, कोल में 150 करोड़ रुपये की कीमत बढ़ा दी और 1539 करोड़ रुपये का डेफीसिट बजट पेश कर दिया, 271 करोड़ रुपये के केन्द्रीय कर इस वर्ष में बढ़ा दिये। 271 करोड़ रुपये जो करों के रूप में बढ़ाया या रेलवे के 386 करोड़ रुपये के छोड़ कर जो रेलवे की दरों में बढ़ाये हैं, बाकी सारे मामले पार्लियामेंट की पीठ के पीछे किये हैं। यह पद्धति चालू हो गयी है और वही पद्धति राजस्थान में भी मुख्य मंत्री लागू करना चाहते हैं कि विधायकों को पता नहीं लगे, जनता के प्रतिनिधियों को पता नहीं लगे और बजट पास होने के बाद इस प्रकार से टैक्स लगाये जायें कि विधान सभा के अन्दर उसकी चर्चा नहीं हो सके। मैं आप सब लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि पार्टी में विचार कर लो या कुछ कर लो यह तीनों चीजें निश्चित रूप से राजस्थान में होंगी।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा जनता सरकार ने डाली। एक पर्सेन्ट सेल्स टैक्स बजट से पहले उन्होंने लगाया और यह वही प्रक्रिया चालू हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इनको तो बोलना था बोल लिया यदि इनका इसमें कोई काम होता हो तो ठीक है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि योजना बनाई है 2025 करोड़ की मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोर शोर से कहा कि जनता पार्टी की सरकार की जो योजना थी वह 1750 करोड़ रुपये की थी और हमने जो योजना बनाई है वह 2025 करोड़ रुपये की है और 15.7 प्रतिशत की उसमें उन्होंने बढ़ोतरी बताई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो इन्फ्लेशन है या प्राइस राइज है जिसको भारत सरकार ने इकानामिक रिव्यू में स्वीकार किया है, उस प्राइस राइज और इन्फ्लेशन की रेट के आधार पर इस योजना का आकार देखा जाय तो इस योजना का आकार होना चाहिए था। 1980-85 में 2025 करोड़ रुपये की योजना रखी इस योजना का आकार इन्फ्लेशन की रेट और प्राईस राइज के आधार पर 2346 करोड़ रुपये का होना चाहिए। जब यह 2346 करोड़ रु० की योजना बनायी जाती तो जनता पार्टी ने जो 1750 करोड़ की योजना बनाई उसके बराबर होती। 2025 करोड़ की योजना है तो असली आंकड़ों के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मानकर चलें कि जनता पार्टी ने 1750 करोड़ की योजना बनाई और मुख्य मंत्री जी ने उसे घटा कर 1500 करोड़ रुपये की योजना स्वीकार कर ली। इससे राजस्थान का विकास नहीं होगा, राजस्थान पीछे रह जायगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह इतिहास बताना चाहूंगा कि जिस समय जनता पार्टी ने शासन संभाला उस समय योजना थी 166 करोड़ रुपये की 1977-78 में, 1978-79 में वह योजना बढ़कर 235 करोड़ रुपये की हुई और उस समय प्राइस राइज केवल ढाई पर्सेन्ट थी। 235 करोड़ रुपये से 1979-80 में योजना 295 करोड़ रुपये पर पहुंची और 1980-81 में 325 करोड़ पर पहुंची। 325 करोड़ रुपये की योजना बढ़ कर 353 करोड़ की हो गयी और यह 1981-82 की योजना 360 करोड़ की हुई याने ढाई पर्सेन्ट का प्राइस इन्क्रीज शामिल किया जाय तो योजना, अध्यक्ष महोदय, 325 करोड़ रु. से भी कम हो जाती है। इस वर्ष की योजना प्राइस राइज और इन्फ्लेशन की रेट के हिसाब से पिछले वर्ष से भी छोटी हो गयी इसलिये राजस्थान के बारे में कहा जाय यह बजट प्रगति का द्योतक है, यह प्रगति का द्योतक नहीं है। यह बजट राजस्थान की प्रगति की दृष्टि से पीछे ले जाने का संकेत देता है और उस संकेत के आधार पर आप सब लोगों को इस पर चिन्ता करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, प्राइसेज बढ़ी हैं। प्राइसेज सब चीजों पर बढ़ी हैं लेकिन अखबारी कागज के ऊपर भारत सरकार ने टैक्स लगा दिया। मैं ऐसा समझता हूं चाहे प्रभाकर जी बोलें, चाहे मैं बोलूं, इस सदन में कोई भी बोले, हमारी सारी गतिविधियां राजनैतिक दृष्टि से समाचार-पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाती हैं। यह डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेन्ट तत्व है लेकिन भारत सरकार और खास तौर से हमारे मुख्य मंत्री जी उदाहरण प्रस्तुत करते रहते हैं वे मुख्य मंत्री जी, क्या इसी प्रकार के सारे लाभ मिला कर 15 पर्सेन्ट टैक्स अखबारी कागज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के ऊपर लगा कर यह सारा समाप्त कर दिया ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह केन्द्रीय बजट पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में श्रीराम जी को बड़ी चिन्ता है। उनको भी निवेदन कर दूं, भारत सरकार के सिद्धान्तों के आधार पर होलसेल प्राइसेज 13 पर्सेन्ट बढ़ी हैं। भारत सरकार ने स्वीकार किया है। राजस्थान में वृद्धि 14.8 प्रतिशत है। इस बात को आप मान कर चलिये राजस्थान में प्राइसेज के मामले में भी हम आगे बढ़ गये हैं। प्राइसेज किसी ढंग से कम नहीं हो रही हैं इसमें भी हमें चिन्ता करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसे पहले आश्वासन दिया था कि राजस्व को बढ़ाया जाय। बहुत खुशी की बात है। माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं इन्होंने राजस्व बढ़ाया है। राजस्व को किस ढंग से बढ़ाया जाता है, इन सारी चीजों को इन्होंने देखा है लेकिन इस वर्ष क्या हुआ है 81-82 का जो बजट पेश किया गया है उस बजट के अन्दर 268.5 राजस्व दिखाया गया है। यह गत वर्ष था 338.2। 338 के मुकाबले 268 की व्यवस्था की है। इसका मतलब राजस्व में भी हमारी कमी हुई है। राजस्व में कमी हो गई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसमें रिवाइज्ड बजट में हमने गत वर्ष के मुकाबले, गत वर्ष 299 था हमने उसके मुकाबले 338 लिया। इस सदन को जानकारी होगी कि राजस्व करों से नहीं बढ़ी भारत सरकार की ग्रान्ट इन एड 14 करोड़ के मुकाबले 19 करोड़ मिली, 5 करोड़ की वृद्धि राजस्व खाते में दिखा दी गई इतना राजस्व बढ़ा है यह उचित नहीं है। टैक्स में कमी हुई है। उदाहरण के रूप में अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं। माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्री जो यहां बैठे हुए हैं उनसे कह सकता हूं कि सैल्स टैक्स में इनकम बढ़ाने में इनकी बड़ी जबरदस्त भूमिका रही है। मैं उनके सामने बताना चाहूंगा रिवाइज्ड बजट के अन्दर बजट एस्टीमेट्स के अन्दर सैल्स टैक्स की इनकम 159 करोड़ रु० बताई रिवाइज्ड में 145 करोड़ बताई गई है। 14 करोड़ की कमी इस सैल टैक्स में बताई। आज तक, अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में जब से सैल्स टैक्स लागू है उस समय से लेकर आज तक के आप आंकड़े उठा कर देखें, कभी सैल्स टैक्स में कमी नहीं हुई। यह कहा जा सकता है इस वर्ष अकाल था लेकिन अकाल तो 1966-67 में, 1969 में भी था, 1978 और 1979 में इतने भयंकर अकाल हुए हैं इस अकाल के बावजूद भी सैल्स टैक्स में वृद्धि होती गई। इस अकाल के कारण यह इनकम घट गई, यह अकाल के कारण इनकम नहीं घटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल कमजोर हो गया यह उसका नतीजा था कि सैल्स टैक्स के अन्दर हमारी इनकम कम हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान की स्थिति पर जिस तरह का असर पड़ रहा है माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बड़े

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दावे से अपने भाषण में कहा है कि राजस्थान में 1.5 प्रतिशत राजस्थान का उत्पादन बढ़ा है। मुझे समझ में नहीं आता। राजस्थान के 21 हजार गांवों में अकाल पड़ा, राजस्थान में उद्योगों में इतनी जबर्दस्त बिजली की कमी के कारण उत्पादन गिरा है इन सब के होते हुए भी 1.5 प्रतिशत उत्पादन यह किस प्रकार से बढ़ गया यह विचित्र बात है जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री कहते है 1.5 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है। इस वर्ष बाजरे का उत्पादन 12 लाख टन से 19 लाख टन हो गया। बाजरा कहां से हो गया, मुझे पता नहीं इसमें लिखा है सरकारी रिपोर्ट में पूर्वी जिलों में अच्छी फसल होने के कारण ऐसी संभावना है जो सामान्यत: 40 प्रतिशत बाजरे का उत्पादन रहता है 15 प्रतिशत क्षेत्रफल में प्राप्त करते हैं। अब पूर्वी राजस्थान में एक तो भरतपुर आ गया। जिस समय भरतपुर के अन्दर आंकड़े तैयार किये गये उस समय बाजरा खूब पैदा हुआ किन्तु जिस समय अकाल घोषित किया गया, पड़ा हुआ बाजरा सूख गया। यह हालत आज राजस्थान की है मैं इसलिये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप माननीय चन्दनमल जी की अध्यक्षता में एक समिति बना कर इस बात की यदि जांच करें तो उसके लिये भी तैयार हूं, जो 1.5 प्रतिशत का उत्पादन राजस्थान में बढ़ा हुआ माना है यह बिलकुल गलत है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव डाला गया कि बढ़े हुए आंकड़े देने पड़ेंगे। बाजरे का उत्पादन ज्यादा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसके प्रमाण में मैं यह कहना चाहता हूं कि पावर कंजम्पशन का क्वेश्चन है जहां हमारे उद्योगों में उत्पादन बढ़ सके, हम उस उत्पादन के आधार पर राजस्थान की प्रगति का नाम ले सकें। उत्पादन के लिये मैं कहना चाहता हूं 78-79 में 2600.19 मिलियन किलोवाट का उपयोग किया था 79-80 में 3874.19 का उपयोग किया गया। 80-81 में 3570.891 का उपयोग हुआ चार मिलियन लाख किलोवाट इसमें कमी हुई। 400 लाख किलो वाट की कमी होने के बाद राजस्थान की सरकार यह कहे कि हमारा उत्पादन बढ़ गया, मैं समझता हूं उत्पादन कहां बढ़ा, मेरी समझ में नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष की तुलना में यदि हम लेबर डिस्प्यूट के बारे में देखें लेबर डेज लास हुए 79-80 में 3,19,408 और 80 में 4,70,652। लाक आउट्स का, अध्यक्ष महोदय, 2095 और इस वर्ष 3590। नम्बर आफ मैन डेज लास हुआ 1,42,619 और इस वर्ष 2,48,338 नं० आफ मैन डेज लास 17 हजार। 1,76,789 और इस साल 2,81,744। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं फैक्ट्रियां चली नहीं, रा-मेटीरियल है नहीं और उसके आधार पर हमारी सरकार यह कहे कि राजस्थान का उत्पादन 1.5 प्रतिशत बढ़ गया। मैं कहता हूं सरासर गलत बात है और अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के साथ इससे बड़ा कोई धोखा नहीं दिया जा सकता। गलत आंकड़े सदन में प्रस्तुत किये जायें। कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं और चुनौती के साथ में कहता हूं कि चन्दनमल जी या कांग्रेस के किसी व्यक्ति की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया जाय और अपाइंट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर दिया जाय ताकि उसका पता लगाये कि राजस्थान का उत्पादन बढ़ा है या सारे राजस्थान का उत्पादन गिरा है और इस गिरे हुए उत्पादन के लिये यह झूठे आंकड़े दिखाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता सरकार यह कहे कि उत्पादन बढ़ गया सरकार यह कहे कि आय बढ़ गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार बढ़ गई? राजस्थान में प्राइसेज बढ़ी हैं और आय 0.6 प्रतिशत गिरी है। बिजली कम खर्च होती है, सिंचाई के पूरे साधन नहीं हैं। उद्योग बन्द रहते हैं। मजदूर हड़ताल पर हैं और सरकार का उत्पादन का कारखाना चले जिसके अन्दर 1.5 प्रतिशत उत्पादन बढ़ गया। उधर लोगों की प्रति व्यक्ति आय गिर गई। यह कुछ ऐसे मामले हैं जिससे मैं जो कहना हूं कि यह बजट सरकार का बनाया हुआ नहीं है उन लोगों का बनाया हुआ है जो बजट के बारे में या तो विधान सभा से छुपाना चाहते थे या विधान सभा को विश्वास में नहीं लेना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसे बजट में हेरा फेरी की गुंजाइश कम रहती है पोलिटिशियन हो तो इधर उधर कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बजट हो तो हेरा फेरी की गुंजाइश होती है। बजट ही नहीं है। हेरी फेरी वहां हो, जहां तथ्य हों यहां तो कोई तथ्य ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। एक हमारी आमदनी का जरिया है अराजस्व कर। नॉन टैक्स रेवेन्यू। राजस्थान सरकार इसको किस आंख से देखती है। 78-79 में 306.36 नॉन टैक्स रेवेन्यू 79-80 के अन्दर नॉन टैक्स रेवेन्यू 279 और 80-81 के अन्दर नॉन टैक्स रेवेन्यू 303 करोड़ और अब 81-82 में 268। नॉन टैक्स रेवेन्यू जिस सरकार की नहीं बढ़े बजट एस्टीमेट वहां 338 करोड़ के स्थान पर 303 दिखा रहे हैं इस स्थिति से भी आप अन्दाजा लगा लें कि जिसकी नॉन टैक्स रेवेन्यू गिर रही है, उस सरकार का क्या हाल होगा। इसी प्रकार खानों में खनिज में, अध्यक्ष महोदय, 221 करोड़ की जगह इस साल रिवाइज्ड एस्टीमेट थे जो गई साल पेश किये 19। इस वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन के हिसाब से झामरकोटड़ा की आमदनी गिर गई और इसी तरह माइन्स और मिनरल्स से जो इनकम मिलनी चाहिये थी वह गिर गई।

(3-11 म. प.)

(श्रीमती विद्यापाठक सभापति, पदासीन)

माइन्स की इनकम गिरना, मैं समझता हूं इस प्रकार नॉन टैक्स रेवेन्यू की उपेक्षा है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू किसी को टैक्स नहीं करती है वह कम हो गई तो जितने विकास के काम हो सकते थे उतने नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जो भी नमक व्यापार योजना है।

एक माननीय सदस्य : आप देखिये सभापति हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अजी आपको भी देख रहा हूं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभापति महोदया, उपभोक्ता उद्योग, नमक व्यापार योजना सोडियम सल्फेट व्यापार योजना, राजकीय वलैन मिल बीकानेर, वेलन फैक्ट्री, अलवर इन सब में भी सरकार घाटे में चल रही है। मैं आंकड़ों में तो नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है। फिशरीज में भी घाटा हो रहा है। घाटे का कारण वर्षा की कमी बताई है, अब अकाल में यह और भी घाटा होगा लेकिन मैं समझता हूं और वर्षों में घाटा नहीं हुआ है। इस वर्ष माल व यात्री के कर में भी घाटा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बकाया रहने वाली राशि के कारण घाटा। अब बकाया का प्रश्न आया तो, सभापति महोदय, माननीय यातायात मन्त्री जी फिर जोड़ रहे हैं। 43 लाख रुपये की बकाया यदि नहीं दी गई तो घाटा बढ़ेगा इसलिये मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, यदि नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ी राजस्थान में तो इसकी पूर्ति किसी प्रकार भी होने वाली नहीं है। मैं यह भी कहता हूं कि राजस्थान में सब माननीय सदस्य यह स्वीकार करके चलेंगे कि अब टैक्स लगाने की कोई गुंजाइश नहीं रही है। हम सेचुरेशन के पाइन्ट पर पहुंच गये और यदि अब टैक्स लगाया तो रि नं कम होगी और यदि उत्पादन पर टैक्स लगायेंगे तो उत्पादन कम होगा। यदि जनता पर सीधा टैक्स लगाया तो जनता की सहन शक्ति से बाहर जायगा। इसलिये अब तो सरकार के सामने केवल एक ही तरीका बचा है और वह है नॉन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ाये और उस नॉन टैक्स रेवेन्यू से राजस्थान के विकास के काम हाथ में ले।

सभापति महोदया, इस बजट में एक बात का और उल्लेख किया है वह इसी बात का कि वित्तीय संस्थाओं से सहायता ले रहे हैं वह शायद इसमें छिपा दी। बजट में कहीं उसका स्पष्टीकरण नहीं किया। मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं 3-3-79 को 331-45 लाख रुपये की हमने सहायता ली है। 31-3-80 को हमने 536 लाख रुपये की सहायता ली और अब 31-3-81 के आंकड़ों को छिपाया गया है तो मैं कह सकता हूं कि 536 के मुकाबले बहुत कम है। मुख्य मंत्री जी अभी उत्तर देंगे उस समय बतायेंगे कि राजस्थान में वित्तीय संस्थाओं से हमें किस-किस मद में कितनी कितनी सहायता मिलेगी। यह मैं मुख्य मंत्री जी पर ही छोड़ता हूं। मैंने बजट के जितने कागज देखे उनमें मुझे कहीं मिला नहीं मुझ से भूल भी हो सकती है और उस भूल के लिये मुख्य मंत्री जी मुझे सही करेंगे और सदन को जानकारी देंगे कि वित्तीय संस्थाओं से इस वर्ष कितनी सहायता मिलेगी।

सभापति महोदया, मैं ऐसा समझता हूं कि एक तरफ तो जहां राजस्थान का उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई है और दूसरी तरफ यह भी कहा है कि राजस्थान का एक बटा पांच प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है। मैं समझता हूं और सारा सदन जानता है कि पर केपिटा इनकम से ही उसका संकेत मिलता है या फिर अल्प बचत से उसका संकेत मिलता है। राजस्थान में यह पहला मौका है जब अल्प बचत में सबसे कम राशि जमा होगी। 75-76 में अल्प बचत में 15 करोड़ की राशि जमा हुई थी। 76-77 में 17 करोड़ की राशि जमा हुई, 77-78 में 23 करोड़ की राशि जमा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुई, 78-79 में 29 करोड़ की राशि जमा हुई और 79-80 में यह अल्प बचत की राशि 33 करोड़ की हो गई और अब, माननीय सभापति महोदया, पहाड़िया जी के राज में केवल करोड़ 20 की अल्प बचत जमा हुई है। यह अपने आप में क्या दर्शाता है कि पहाड़िया जी में लोगों का विश्वास नहीं जमा है।

सभापति महोदया, अल्प बचत में जो राशि जमा होती है उसका दो बटा तीन भाग बहुत कम ब्याज पर केन्द्रीय सरकार से दीर्घ कालीन ऋण के रूप में मिलता है उसमें भी घाटा हो गया लेकिन जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न है इस बात की डिक्लेरेशन राजस्थान सरकार ने अभी तक नहीं की इसलिये बजट में इसका कहीं कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। दो बटा तीन भाग 20 करोड़ का भी हमें मिलेगा या नहीं मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब देंगे।

सभापति महोदया, इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय बार-बार यह कहते हैं कि जनता पार्टी के शासन में यह काम नहीं हुआ। मैं विवरण में तो नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। जनता पार्टी के शासन में हमेशा विकास व्यय बढ़ता गया–रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर की तुलना में राजस्थान में डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर बढ़ता गया है और यदि आप आंकड़े देखना चाहें तो 77-78 में यह विकास व्यय 79 था, 78-79 में 69 और उससे बढ़ कर फिर 71 प्रतिशत हुआ, 79-80 में 71.68 हुआ 80 में यह फिर गिर गया और 80-81 में 70-86 रह गया और इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि जो राजस्थान की सरकार यह दम भरती है कि विकास व्यय बढ़ रहा है तो यह स्पष्ट है कि 80-81 में विकास व्यय का प्रतिशत केवल मात्र 69.24 है जो जनता पार्टी के शासन काल में 77-78 में विकास व्यय था उससे कम। इससे आप अन्दाज लगा लें कि राजस्थान की प्रगति होने वाली नहीं है और राजस्थान को पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है।

सभापति महोदया, मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि राजस्थान में आज कई चीजें ऐसी हैं जिनका अभाव है। उस अभाव की स्थिति में गरीबों के साथ क्या हालत हो रही है–मैं कोई ज्यादा उल्लेख तो नहीं करना चाहता हूं लेकिन मुख्य मन्त्री जी और सत्ता पक्ष के लोग बार-बार अन्त्योदय की आलोचना करते हैं। अन्त्योदय स्कीम बनाई थी, किसी स्वार्थ से नहीं बनाई गई थी, अगर कोई स्वार्थ था तो गरीबों का स्वार्थ था किन्तु सरकार ने उसको चालू नहीं रखा हालांकि बजट में तीन करोड़ का प्रावधान है। छठी पंचवर्षीय योजना में जो प्रारूप प्लानिंग कमीशन के सामने गया है उसमें 15 करोड़ का प्रावधान है अन्त्योदय की व्यवस्था के लिये लेकिन सभापति महोदया, इसी सरकार ने जो इकॉनामिक रिव्यु दिया है उस इकोनामिक रिव्यू में इस बात को स्वीकार किया है कि इसके प्रथम चरण में एक लाख 51 हजार 853 परिवारों का जो चयन हुआ था उसमें से एक लाख 41 हजार 715 परिवार लाभान्वित हुये हैं। यह सरकार ने स्वीकार किया है और लाभान्वित परिवारों में 29 हजार 331 परिवार शिड्यूल्ड कास्ट्स और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। उसी प्रकार, सभापति महोदया, इसके दूसरे चरण के बारे में लिखा है कि एक लाख 10 हजार बीस जो चयनित परिवार थे उन चयनित परिवारों में 87,522 परिवार लाभान्वित हुये हैं यह भी राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया है। इन 87 हजार परिवारों में से 44,579 परिवार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लाभान्वित हुए हैं। आज हम और सत्ता पक्ष में बैठे हुए कोई भी आरोप लगायें लेकिन मैं सरकार को चुनौती देता हूं, मुख्य मंत्री जी अपने कमरे में बैठे हैं और वे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमने अन्त्योदय के पहले चरण में एक लाख 51 हजार परिवारों का चयन किया था जिसमें एक लाख 41 हजार आदमियों को तो लाभान्वित किया। मुख्य मंत्री जी को मेरी चुनौती है वे बता दें कि राजस्थान में अन्त्योदय योजना में कितने परिवारों को लाभान्वित किया है तो जवाब मिलेगा माइनस, जवाब मिलेगा जीरो।

सभापति महोदया आजकल एक प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है। मैं कहता हूं और सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि आजकल ऋण राशि की बहुत मांग कर रहे हैं। ऋण राशि में भारत सरकार को आपने एक चिट्ठी लिखी। डी. पी ए. पी. और डी. पी. ए. में जो अनुदान की राशि है उसे बढ़ाई जाय। मैं आपको यह भी आगाह करना चाहता हूं कि यदि आपने इस ऋण की राशि का या अनुदान की राशि का वितरण नहीं किया तो अनुदान और ऋण के रूप में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।

सभापति महोदया, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे आपके जो भ्रष्ट लोग हैं वे गरीबों को कहते हैं कि चलो बैंक के सामने और फार्म भरो बैंक से तुम्हें ऋण दिलवायेंगे। ऊंट गाड़ी के लिये पैसा मांगो, बैंक उसके लिये ऋण देती है और सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी का एक भुगतान हुआ और 10 दिन के बाद वह आकर कहता है कि मैं तो इस गाड़ी को बेचूंगा, यह ऊंट बड़ा अपशकुनी है, आते ही मेरे घर में मेरी लड़की बीमार हो गयी, मेरे कुएं में पानी सूख गया, मैं इस गाड़ी को नहीं रखूंगा, वह गाड़ी के पैसे लेकर वापस जमा हो जाते हैं और जो सब्सिडी मिलनी चाहिए, वह सब्सिडी में कोई 50 पर्सेंट के आधार पर, कोई 30 पर्सेंट के आधार पर उसको हजम कर जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं किसी व्यक्तिगत अधिकारी या व्यक्ति के खिलाफ ये आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन आम तौर से इस प्रकार की स्थिति चल रही है, इसको रोका जाय। गरीब के नाम से जो भारत सरकार हमको सब्सिडी देती है, वह सब्सिडी मूल में गरीब के पास जाती रहे और उसके आधार पर उसका आर्थिक विकास हो जाय, यह हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सभापति महोदया, बिजली का सवाल। पिछली बार मुख्य मंत्री ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच, उस समय अखबार में छपा था, कहा था कि अपने राजस्थान में गोबर गैस के इतने प्लान्ट लगाये जायेंगे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि बिजली के कन्जम्पशन में सहायता मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी से कि वे गोबर गैस के प्लान्ट कहां गये, जितने गोबर गैस प्लान्ट लगे, वह खुद ही प्लान्ट गोबर हो गये या उनकी योजना गोबर हो गयी, वो क्या हुई, मैं कह नहीं सकता। वे यहां नहीं हैं, वे होते तो शायद मैं कह देता, लेकिन उस गोबर गैस प्लान्ट का क्या हुआ, मुझे यह कहना पड़ेगा, घोषणायें बहुत की थीं। अध्यक्ष महोदय, उन घोषणाओं के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जिस प्रकार की स्थिति या राजस्थान को जहां पहुंचाया है, उस दृष्टि से राजस्थान कभी आगे बढ़ सकेगा, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, माननीय आपूर्ति मंत्री जी यहां बैठे हैं, इसलिए कहना चाहता हूं,राजस्थान में चीजों का अभाव है. मंहगाई बहुत है, उसके कारण आप जानते हैं, सब दुनिया परेशान है। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इण्डिविजुअल रजिस्टर्ड कन्जूमर कितने हैं, 3 करोड़ 30 लाख, 65 हजार 191, आबादी कितनी है, मुझे पता नहीं लेकिन रजिस्टर्ड कन्जूमर तीन करोड़ तीस लाख पैंसठ हजार एक सौ इक्यानवे हैं।

श्री चन्दन मल वैद : आबादी भी इतनी ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आबादी इतनी और कन्जूमर इतने। यह आपने बिलकुल ठीक कहा। अब इनको सरकार का अलाटमेन्ट कितना होता है, महीने में, 12 हजार 797। अलाटमेन्ट का क्वेश्चन कर रहा हूं, आपने रिसीव कितना किया, वह क्वेश्चन नहीं है, उसके आधार पर प्रति व्यक्ति क्या है, 386 ग्राम चीनी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो समझते थे कि पहाड़िया जी का राज आया तो चीनी केवल तिलक लगाने के लिए मिलेगी लेकिन अगर तिलक लगाने के लिए भी औसत निकालें तो 386 ग्राम चीनी मिलती है जिससे न लगता है तिलक, न गले में जाती है, न फेंकी जाती है, न खायी जाती है। अध्यक्ष महोदय, पर केपिटा कन्जम्पशन इनके हिसाब से ये हुआ। दूसरी स्टेट्स में अपने से ज्यादा है लेकिन इससे ज्यादा माननीय यातायात मन्त्री बड़े चिढ़ रहे थे कि मेरे खिलाफ चार्ज किये, आप इन्तजार करिये, 15 दिन असेम्बली और चलेगी, मौके पर ही बात आयेगी। सरकार से एक बात, दूसरे बैठे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आपकी चीनी कहां गयी, क्यों नहीं आयी? सभापति महोदया, इस सदन को सुन कर ताज्जुब होगा,जुलाई,सन् 1980 की 10 टन चीनी हम नहीं उठा सके, अगस्त 80 की 35 टन चीनी नहीं उठा सके, सितम्बर की 451 टन चीनी हम नहीं उठा सके, अक्टूबर की 3158 टन चीनी हम नहीं उठा सके, नवम्बर की 2816 टन चीनी हम नहीं उठा सके, दिसम्बर की 3138 टन चीनी हम नहीं उठा सके, जनवरी की 9681 टन चीनी हम नहीं उठा सके। तो क्या भारत सरकार को दोष दिया जाय, क्या भारत सरकार को कहा जाय कि उन्होंने चीनी नहीं दी। आप ज्यादा से ज्यादा यह कहेंगे कि भारत सरकार ने हमको ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट से लाने की अनुमति नहीं दी, रेलवे वैगन से लाने की अनुमति दी। मैं, अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, कहना चाहता हूं. नये मन्त्री महोदय ने फैसला किया कि इसको रोड से मंगाया जाय। मैं समझता हूं कि प्रभाकर जी इतना दम तो आप में भी था, जो नये मंत्री ने, जो विरोध पक्ष के हैं, आपके गुट में वे मंत्री यदि डिसीजन ले सकते हैं कि सारी चीनी ट्रक से मंगायी जाय, आपने क्यों नहीं मंगवायी, फुरसत नहीं थी? जो यहां के व्यापारियों को चाहते थे कि अलाटेड नहीं आये और महंगे भाव से बिके, इसलिए नहीं आयी। ला सकते थे, चन्दन मल जी ने करके दिखा दिया और आप नहीं लाये. यह मेरा आरोप नहीं है कि जनता के हित में नहीं उठायी, बल्कि व्यापारियों के हित में चीनी नहीं उठायी। इस आधार पर मैं कह रहा हूं। सभापति महोदया, यह भी निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में केरोसिन की कितनी डिमाण्ड है. 33 हजार किलो लीटर प्रतिमाह की डिमाण्ड है, सरकार की डीजल की और उसके अगेंस्ट मिलता कितना है, 11 सौ से 14 सौ किलो लीटर। 33 हजार के अगेंस्ट में 11 सौ से 14 सौ किलो लीटर, ज्यादा नहीं। इसी तरह से डीजल की....

श्री चन्दन मल बैद : 33 हजार नहीं 33 सौ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I am sorry, 33 सौ किलो लीटर की जगह 11 सौ किलो लीटर, एक तिहाई। आप तो जानते हैं, केरोसिन का खुद काम किया है। इसी तरह से डीजल की 75 हजार किलो लीटर आवश्यकता है, उसके अगेंस्ट में 65 से 90 प्रतिशत मिला। वह भी हम घाटे में रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिसको जनता पार्टी को लेकर माननीय सदस्य बहुत आलोचना करते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जून, 80 में 40 हजार टन आपको गेहूं मिला। उसके पहले जनता पार्टी का शासन था, उसको छोड़ दीजिए। कहीं 60 हजार, कहीं 70 हजार, कहीं 80 हजार, कहीं एक लाख दस हजार से कम नहीं है। मैं तो आंकड़ों पर चल रहा हूं। जून, 80 में 40 हजार टन, जुलाई, 80 में 40 हजार टन, अगस्त, 80 में 20 हजार टन, सितम्बर 80 में 20 हजार टन, दिसम्बर में अकाल पड़ गया, लोगों ने त्राहि-त्राहि करना शुरू कर दिया। वर्षा आयी नहीं और फसल सूख गयी। 20 हजार टन से बढ़ना चाहिए था लेकिन 20 हजार से घट कर अक्टूबर में हो गया 5 हजार टन, नवम्बर में हो गया 6 हजार टन, दिसम्बर में 6 हजार टन, जनवरी, 81 में हो गया 6 हजार टन और फरवरी, 81 में हो गया 10 हजार टन।

श्री चन्दन मल बैद : मार्च का भी बता दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मार्च का आप बता दीजिए, मेरे पास जो था वह मैंने बता दिया।

श्री चन्दन मल बैद : 20 हजार टन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, सभापति महोदया, आदमी की मेहनत छिपी हुई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं रहती। आदमी की निष्ठा छिपी हुई नहीं रहती, यह भारत सरकार भी वही है और राजस्थान सरकार भी वही है। प्रभाकर जी थे, जो 20 हजार टन से घटा कर 4 हजार टन पर ले आये थे और चन्दनमल जी 6 से बढ़ा कर 20 हजार टन लाये। जिससे आप अंदाज लगाइये कि किसके हाथ में हमने ये काम दे दिया था और उसने किस प्रकार से चतुराई से, किस प्रकार से जनता का शोषण किया है। यह आप अंदाज लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक कानून बना और उस कानून के जरिये से, जो ब्लैक मार्केटियर होल्डर्स थे इन सब को नजरबन्द करने की व्यवस्था थी, नजरबन्दी का कानून आ गया।

एक माननीय सदस्य : आपको 5 किलो गेहूं मिल जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इनको हटा दें तो 10 किलो दे दूंगा। एक घर में कोई नयी दुल्हन आ गयी, आते ही ससुर मर गया। दो-तीन महीने के बाद सास मर गयी, फिर भूख आ गयी। आपके भी इस प्रकार के पांव पड़े हैं कि राजस्थान में अकाल भी पड़ेगा और भूख भी आयेगी। इसलिए आप सावधान हो जायें, ये तो मौका दिया है।

(व्यवधान)

आप बैठ जायें। सभापति महोदया, बड़ा सीरियस मामला है, जिसके द्वारा मैं सरकारी पक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस आर्डिनेन्स के मातहत डिटेन्शन की व्यवस्था है कि जो बहुत बड़ा ब्लैक मार्केटियर है उसका डिटेन्शन किया जाता है। आपकी आथारिटीजन के द्वारा अब राजस्थान में, मेरी जानकारी के अनुसार, चार आदमियों का विदाउट ट्रायल डिटेन्शन हुआ है। चारों एक हैं, गिर्राज प्रसाद पुत्र हजारी लाल निवासी छीपाबड़ोद, जिला कोटा। एक मैं पहले नाम बताऊं, दूसरा जगदीश प्रसाद पुत्र श्री श्रीलाल निवासी बैंगनपुर जिला कोटा, तीसरा अशोक कुमार मित्तल पुत्र श्री हरप्रसाद निवासी छीपाबड़ोद जिला कोटा और चौथा है मोहम्मद अखलाख पुत्र मुस्तफा खान जिला कोटा, छीपाबड़ोद चार आदमियों को गिरफ्तार किया। चार आदमी कोटा के और इनमें 3 छीपाबड़ोद के हैं, मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी के। इससे एक तो अन्दाज आप लगा लीजिए, मैं आपको एक ही जानकारी दूंगा। मैं इस आधार पर नहीं बोल रहा हूं कि किसी पार्टी के थे या किसी पार्टी के नहीं थे। यदि यह आधार मान कर चलें तो तीनों आदमी इलेक्शन के अन्दर मेरे खिलाफ सक्रिय थे। इसमें संदेह करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कौन सा बड़ा अपराध किया था। एक आदमी ने एक बोरी चीनी की दर्ज नहीं की। एक आदमी ने दस बोरी का समय पर हिसाब नहीं दिया। एक आदमी ने चार बोरियों का हिसाब देने में गलती की, समय निकाल दिया। इस प्रकार के लोगों को डिटेंशन में आप गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा डिटेंशन कानून का कोई दुरुपयोग नहीं हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकता न उदाहरण हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सामने क्या घन्ना सेठ नहीं हैं जो ब्लैक मार्केटिंग नहीं करते ? क्या आपके सामने ऐसे होल्डर्स नहीं हैं जो किसी तरह की गड़बड़ नहीं करते ? माननीय प्रभाकर जी को मालूम है, भीलवाड़ा में एक आदमी के पास चीनी का वैगन आया और चीनी को बेचने की जिस आदमी के नाम बिल्टी आई तो उस बिल्टी में चीनी ज्यादा आने के कारण चीनी छुड़ाई नहीं। छुड़ाई नहीं, इसलिए वापस मिल वाले ले जाना चाहते थे। ये श्रीमान् जी बैठे हैं, वापस नहीं ले जा सकते, क्योंकि चीनी राजस्थान में आ गई, अब वापस कैसे जाएगी। उसने कहा कि मुझे परमिट दे दो मैं यहीं बेच दूंगा। तो कहा कि परमिट नहीं देंगे। चीनी पड़ी रही स्टेशन पर और प्रभाकर जी जानते हैं कि उस व्यापारी ने कौन सा चक्कर चलाया कि फिर बाद में सरकार ने आदेश दे दिया कि

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चीनी बेच दी जाय। मैं पूछता हूं कि क्या जिन लोगों ने चीनी बेची क्या उन्होंने कायदे से चीनी बेची, क्या परमिट के आधार पर चीनी बेची ? लेकिन इस तरह की कोई हरकत नहीं। चन्दनमल जी जानते हैं, दो दिन बाद में आएगा चने की निकासी का मामला। उस समय पता लगेगा कि जिन लोगों के स्टाक में, डिक्लेयर स्टाक में पचास टन चना नहीं था। उनको पांच-पांच सौ टन चने की निकासी के परमिट दे दिये गए। आज जिन लोगों ने ब्लैक किया चने की निकासी के समय, जिन लोगों ने चने की निकासी के समय स्मगलिंग किया, पुलिस की रिपोर्ट सरकार के पास है, सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सरकार के पास है, पैट्रोल पम्प, जो अधिकारियों के पैट्रोल पम्प हैं, बाजार में दूसरे पैट्रोल पम्प वाले सस्ती कीमत पर डीजल बेचें लेकिन अधिकारियों के डीजल पम्पों पर उसके अन्दर ज्यादा कीमत पर डीजल बेचा जाय और कोई इंस्पेक्टर उसको पकड़ ले तो इंस्पेक्टर को सजा मिलेगी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जायगा। मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि इस कानून का भयंकर रूप से दुरुपयोग किया गया है। गरीबों को पकड़ा और जो अमीर इस तरह के डाकू थे उन डाकुओं में से कोई भी आदमी इस सरकार से नहीं पकड़ा गया। इसलिए मैं निवेदन करता चाहता हूं।

सभापति महोदया, अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं विवेकीकरण के प्रश्न पर·······

(व्यवधान)

आप बजारी जी चुप बैठे रहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री महेन्द्र सिंह : आपके समय में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल था।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सरदार जी चुप बैठे रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। अपन आपस में बातें करते हैं तो दूसरी बात है और सदन में दूसरी बात है।

तो मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, सभापति महोदया, कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने विवेकीकरण की बात कही है। कौन सा पैराग्राफ है ? यह है : राज्य में एक अप्रेल 80 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है परन्तु इस बीच अवैध शराब को बनाने और उसके उपयोग की शिकायतें आती रही हैं अतः मद्य निषेध नीति के विवेकीकरण हेतु उपाय सोचे जायेंगे। मैं समझता हूं कि इस नीति के विवेकीकरण हेतु उपाय सोचने के पहले मुख्य मन्त्री जी यदि अपने विवेकीकरण के बारे में चिन्ता करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर सरकार में किसी प्रकार का विवेक जागृत हो जाय तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाय। जिस सरकार के पास, मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं, जो इम्पॉर्टेन्ट मैटर हैं जो राजस्थान में उद्योग लगने चाहिए, जो उद्योगपतियों से करार होने चाहिए, उद्योगों के लाइसेंस के लिए भूमि देनी चाहिए वे फाइलें सारी की सारी मुख्य मन्त्री दबा कर बैठे हैं, उनका निराकरण नहीं होता। इसका यदि विवेकीकरण होता तो मैं समझता हूं कि कोई न कोई बात होती सभापति महोदया, मुख्य मन्त्री जी ने अपने टर्म में इस पूरे शासन काल में एक काम जरूर किया जिससे मैं यह कह सकता हूं कि मुख्य मन्त्री के बराबर कोई क्विक डिसीजन लेने वाला नहीं है। बड़ा ऐतिहासिक काम किया। दूलाराम जी शपथ ग्रहण करने गए। राज्य मंत्री की शपथ ग्रहण कर ली। अब दूलाराम जी ने आंख दिखाई। तत्काल पहाड़िया जी ने फैसला कर लिया दुबारा शपथ ग्रहण होगी और मन्त्री की शपथ ग्रहण हो गई। केवल एक, अपने जीवन में क्विक डिस्पोजल का काम किया है, डिसीजन का काम किया है मुख्य मन्त्री जी ने तो केवल एक ही किया है। जिसका उदाहरण हिंदुस्तान में कोई नहीं मिल सकता। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्विक डिसीजन लेने वाले मुख्य मन्त्री फाइलों पर सांप की तरह से क्यों लेट रहे हैं ? क्यों नहीं निकली फाइलें ? व इन्स से आमदनी कम होगी। मैं नहीं जाना चाहता समय के अभाव में कि सैल्स टैक्स की इनकम कम क्यों हुई है, आगे बताऊंगा। लेकिन सैल्स टैक्स की कमी में भी कई उलझन के मामले थे जिन पर सरकार निर्णय नहीं कर सकी जिसके कारण यह सारी व्यवस्था बनी। लेकिन सभापति महोदया, ऐसा ही मुख्य मन्त्री जी ने एक कीर्तिमान और कायम किया। 6 जून, 1980 से लेकर आज तक चाहे किसी को खाने का परमिट मिला हो या नहीं मिला हो, राशनकार्ड मिले या नहीं मिले, मन्त्री महोदय मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जयपुर जिले में राशनकार्ड दिये जाने लगे। एक एक राशनकार्ड के पीछे 14 रुपये गरीबों से वसूल किये जाने लगे। मैंने कलेक्टर से शिकायत की। मुझे खुशी है कि उन्होंने इमीजियेटली एक्शन लिया। लेकिन जयपुर जिले में ही नहीं बाकी सब जगह जितने भी डवलपमेंट शुल्क थे वह वसूल किये जाने लगे। बकाया वसूलियां की जाने लगीं। मैंने मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा। मुझे खुशी है उन्होंने अपने दस्तखतों से मुझे कागज भेजा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और माननीय मन्त्री, जो इस समय यातायात मन्त्री हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी समझ में आया तो एक महीने बाद में एक सर्कूलर निकाल दिया कि राशनकार्ड पर राशनकार्ड की फीस के अलावा और कोई पैसा वसूल नहीं किया जावे। लेकिन सभापति महोदया, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उसके बाद में इण्डे मार कर, अगर किसी को राशनकार्ड लेना है तो कहीं पांच रुपये, कहीं दस रुपये और बीस रुपये उन लोगों से वसूल किए गए। सभापति महोदया, राशनकार्ड राजस्थान में नहीं मिले लेकिन यह पहाड़िया जी का राज है, बहुत बड़ा अचिवमेन्ट है, हिस्टोरिकल अचीवमेन्ट कि पहाड़िया जी के राज में छः जून, 80 से लेकर अब तक 27,799 व्यक्तियों को शराब पीने के परमिट दिये गये। रिकार्ड कायम हुआ। मुख्य मन्त्री जी कीर्तिमान कायम करने में बहुत ही अगुवा रहे हैं कि किस मामले में कीर्तिमान कायम किया जावे कुछ कीर्तिमान यहां कायम किया।

श्री मेघराज तावड़ : इनके लिए टॉनिक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो सकता है भाई, मैं जानता नहीं। आप उनके नजदीक में हो। शायद समझते भी हो।

मैं इसलिए कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, आप चलिये आगे। अब आप प्रोहिबिशन का विवेकीकरण करना चाहते हैं लेकिन छः जून, 80 से लेकर आज तक आई. एम. एफ. एल. के 82 और कण्ट्रीलीकर के लिए 381 लाइसेंस इस सरकार ने दिये। लाईसेंस होल्डर्स को आज, सभापति महोदया, दिक्कत क्या है। एक तरफ तो लाइसेंस होल्डर्स में से कइयों ने मुझ से कहा कि इस वर्ष जितनी हमने कमाई की है, तीस वर्ष से हम यह बिजनेस करते आ रहे हैं, हमने जितनी कमाई अब तक नहीं की वह इस वर्ष हमने की है। इसलिए वे कहते हैं कि प्रोहिबिशन रहना चाहिए। यह प्रोहिबिशन खतम हो गया तो हमारे कम्पीटिशन में और कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए या लाइसेंस होल्डर्स आ गए तो इस साल जो कमाई हमने की है उतनी कमाई नहीं होगी। थैली लेकर घूम रहे हैं कि प्रोहिबिशन रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ वह वर्ग है जिसको लाइसेन्स नहीं मिला वे थैली लेकर घूम रहे हैं कि प्रोहिबिशन खत्म होना चाहिए। मुख्य मन्त्री जी दोनों थैलियों के बीच में हैं। कौन सी थैली खुलती है मुझे पता नहीं, भगवान जाने। प्रोहिबिशन वाली खुलेगी या एण्टी प्रोहिबिशन वाली खुलेगी लेकिन एक थैली निश्चित रूप से खुलेगी और इस शराबन्दी के मामले में विवेकीकरण काम आएगा। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं करें। माननीय सदस्य, व्यवधान न करें, कृपया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज तक शराब की बिक्री हुई है ···

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय नहीं सभापति महोदय हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अरे आपका यही ध्यान है क्या ? मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, मुझे अफसोस है ...

श्री दिनेश डांगी : यह तो सभापति महोदया बहुत बड़ी बात है। ये तो एक ही झटके से आदमी को औरत और औरत को आदमी बना देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदया, मैं समझ रहा था, सभापति महोदय, कि पहाड़िया जी ने बड़ा चयन करके मन्त्री मण्डल के सदस्यों को लिया है और मेरा विश्वास था कि कोई ऐसा आदमी नहीं लिया जो बाल्ड हैडेड हो। मैंने कभी नहीं सोचा, डांगीजी सही है ना ?

(व्यवधान)

मैं इसलिए कह रहा हूं, सभापति महोदया, कि ऐसी स्थिति में शराब का इस वर्ष में कितना नुकसान हुआ वह जाने दो लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई आज तक, चन्दनमल जी जानते हैं कि गारण्टी सिस्टम के ऊपर शराब बिकती है, गारण्टी सिस्टम से पहले आक्शन होता था यह सब को मालूम है लेकिन यह पहला वर्ष है कि शराब तो बिकी लेकिन न गारण्टी मनी आयी, न आक्शन मनी आयी, केवल वह पैसा आ गया जो लाइसेन्स फीस का था। मैं इसलिए कह रहा हूं, सभापति महोदया, कि सबसे बड़ा नुकसान अगर सरकार को लाइसेन्स देना था, कण्ट्री लीकर का लाइसेन्स देना था तो पहला काम यह होता कि गंगानगर शुगर फैक्ट्री को दिया जाता। गंगानगर शुगर फैक्ट्री नहीं लेती तो गारण्टी फिक्स करते। गारण्टी मनी कान्ट्रेक्टर से, लाइसेन्स होल्डर से ली जाती। गारण्टी में नहीं होती तो परमिट होल्डर से लिया जाता लेकिन आक्शन के न लिया जाना मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, खुला चार्ज लगाता हूं पहाड़िया जी पर कि कांट्रेक्टर्स से मिल कर पांच करोड़ रुपये का नुकसान राजस्थान को हुआ है। पांच करोड़ का नुकसान हुआ है।

सभापति महोदया, मेरे समझ में नहीं आती शराब के ठेकेदार इनके मित्र कब से हो गये। उन शराब के ठेकेदारों को बिना गारंटी मनी के बिना लीज मनी के शराब बेचने की परमिशन दी जा रही है। आज वही शराब के लोग थैलियां लेकर घूम रहे हैं। प्रोहिबिशन राजस्थान में चालू रहना चाहिये। जो लाइसेंस होल्डर नहीं हैं वह घूम रहे हैं। राजस्थान में प्रोहिबिशन स्क्रेप होना चाहिये। सभापति महोदया, आज तक आपने सुना नहीं होगा, लाइसेंस देने का तरीका क्या है, जैसा मैंने कहा या तो गंगानगर शुगर फैक्ट्री को मिलना चाहिये, गंगानगर शुगर फैक्ट्री नहीं लेती है तो सरकार ने एक सर्कुलर निकाला, वह सर्कुलर मेरे पास है, उसमें लिखा है, जो लास्ट लीज होल्डर, लास्ट लाइसेन्सी हैं, सारा उसी लाइसेन्सी को दिया जाय। उस लास्ट लाइसेन्सी को मैंने पिछले सत्र में भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उसमें भी कई प्रकार की गड़बड़ हुई है। लेकिन अब के क्या हुआ ? अब के एक अजीब ही तमाशा हुआ और अजीब तमाशा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्या हुआ ? यह कह दिया कि लाइसेन्स हम उसी को देंगे जो बकाया जमा करायेगा। बकाया जनार्दन सिंह में है और भैरोंसिंह पैसा जमा करा कर लाइसेंस ले गया; अजीब तमाशा है, समझ में नहीं आता। आज तक कोई कानून नहीं कोई व्यवस्था नहीं, आज तक कोई नियम नहीं है कि पैसा मेरे में है और जमा करा रहा है कोई, और लाइसेंस ले रहा है, कोई यह तो सबने देखा ही है। लेकिन लाइसेंस के चालीस हजार रुपये उस आदमी से लिये और यह कहा कि डूडू में आई. एम. एफ. एल. की दुकान लगा ली है, दूसरा आया दस हजार दिये, दूसरी दुकान दे दी। डूडू में दो दुकानें आई. एम. एफ. एल. की चल जायें, यह सरकार के विवेक का सवाल है, मैं इसे सरकार के विवेक पर छोड़ता हूं।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज ऐसे स्थानों पर कन्ट्रीलिकर की दूकानें दी गईं, मुझे याद पड़ता है, 19:2 से एम. आई. रोड पर घूमता आया हूं, इंदिरा मार्केट में गंगानगर शुगर मिल की दूकान थी, पब्लिक ने उसका विरोध किया कि यह दूकान यहां से हटायी जाय, राज्य सरकार नयी आ गयी वह दुकान एम. आई. रोड पर चालू है। माउंट आबू में आज तक कोई कन्ट्रीलिकर का लाइसेंस नहीं दिया गया, माउन्ट आबू में कन्ट्रीलिकर का लाइसेंस धौलपुर में कन्ट्रीलिकर की लाइसेंस और 2-3 डूडू में लाइसेंस, यह इस प्रकार की स्थिति हुई है। इसलिये मैं चाहूंगा कि अगर यह सरकार ईमानदार है, तो सरकार इस ईमानदारी से बतायें कि लाइसेंस किस प्रकार दिये गये, किनको दिये गये, क्यों दिये गये ? एक का पैसा दूसरा जमा कराके लाइसेंस क्यों ले गया ? लाइसेंस लेने वालों से गारंटी की रकम क्यों नहीं ली ? सरकार यह तो जानती है हमारी इनकम बढ़ रही है। बजट एस्टीमेट में 8 करोड़ 45 लाख रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है। 8 करोड़ 45 लाख। रिवाइज्ड एस्टीमेट में इनकम बढ़ गयी। 11 करोड़ 50 लाख तीन करोड़ रुपये की इनकम बढ गई। वह तीन करोड़ रुपये की इनकम किस आधार पर बढ़ी ? लोगों से कुछ बकाया की वसूली की और कुछ, सभापति महोदया, चाहे आप, जायं, और चाहे प्रभाकर जी जायें, चाहे चंदनमल जी जायं, कोई भी मेरे साथ चलें। किसी भी दूकान पर प्रभाकर जी खड़े हो जाइये, न आपका परमिट देने की जरूरत है, न कैशमेमो लेने की जरूरत है, जिस तरह की जितनी शराब चाहिये आप ले जाइये। परमिट होल्डर एक दूकान पर प्रतिदिन पांच सौ बोतल की बिक्री होती है। एक परमिट होल्डर को 6 बोतल मिलती हैं। 6 बोतल की जगह यदि वह 50 बोतल लेना चाहे तो रोकने वाला नहीं है और भी कोई जाकर यदि ज्यादा लेना चाहे तो रोकने वाला नहीं है। यह शराब कहां से आती है ? इल्लीशिट डिस्टीलेशन।

श्री दीपेन्द्रसिंह : गांधीवाद, समाजवाद आ गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दीपेन्द्र सिंह जी अपने घर की बात मत करो, मैं कह रहा हूं शराब कहां बनती है, इन चीजों को यहां मत खोजो। मैं इसलिये निवेदन कर रहा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

था, अध्यक्ष महोदय, आज मैं नहीं कहता, जगह-जगह शराब बनने लग गई, 50 हजार बोतलें पकड़ी गई और लगभग एक लाख 65 हजार लीटर नष्ट की गई, यह काम हुआ। यह सब काम बिल के ऊपर है। यदि आप शराबबंदी के पक्ष में हैं तो छुटपुट गड़बड़ी होगी, लेकिन सरकार की यदि इंटेशन बन्द करने की है तो सरकार को उस ओर आगे बढ़ना होगा। सरकार का इंटेंशन प्रोहिबिशन को स्क्रेप करने का है तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह के मैथड जिसमें सरकार को आय नहीं है, इल्लीशिट डिस्टीलेशन ज्यादा बढ़े और शराब पीने वाले ज्यादा हो जायें, यह इससे तो नहीं चलेगा।

सभापति महोदया, यह सरकार रियायती बहुत है। दया आ जाती है। शराब पीने वाला पहले जब डाक्टर के पास जाता था तब उसको परमिट मिलता था। पहाड़िया जी ने कहा डाक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर के पास जाओ। डाक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब इंस्पेक्टर सर्टिफाई कर देगा। जितनी शराब की जरूरत है, उतनी शराब मिल जायगी।

सभापति महोदया, इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिये एक किश्त महंगाई भत्ते की दी है। लेकिन इस सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्य समाचार पत्र पढ़ते हैं। अभी दिसम्बर की किश्त ड्यू है, जिस अनुपात और अनुमान से महंगाई बढ़ रही है, फरवरी में भी एक किश्त ड्यू होगी। इन दो का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। केन्द्रीय बजट उठा कर देखें तो उन्होंने इसके चुकारा करने के लिये मेरे खयाल से दो सौ करोड़ का प्रावधान रखा है। सरकारी कर्मचारी को एडीशनल डी. ए. देना ही पड़ेगा। उन्होंने दो सौ करोड़ का प्रोविजन रखा है। राजस्थान सरकार ने जब दिसम्बर की ड्यू है, फरवरी की ड्यू है और आगे जाकर इकानामिक रिव्यू के हिसाब से प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा फिर डीयरनेस अलाउन्स देना पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की, और उस आधार पर मैं फिर कहना चाहता हूं अगले वर्ष राजस्थान सरकार के कम से कम 30 करोड़ रुपये और खर्च होंगे। इसलिए यह 95 करोड़ में 30 करोड़ मिला दो तो 125 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट होता है। यही नहीं, सभापति महोदया, वेरी कमीशन नियुक्त किया था। वेरी कमीशन इसलिये नियुक्त किया कि....

(4.30 म. प.)

(श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

पे स्केल का रेशनलाईजेशन हो जाय या पे-स्केल के बारे में किसी प्रकार की बातचीत हो जाय। पे-कमीशन नियुक्त किया था हमने जुलाई में, और सितम्बर में हमने घोषणा की थी। दिसम्बर में उसका टाइम खतम हो गया, उसकी रिपोर्ट ड्यू थी। दो सौ करोड़ रुपये का खर्चा मई, 79 में अपाइन्ट करने के बाद उस समय जिस समय अपाइंट किया था, मुझे याद पड़ता है, शायद मैंने विधान सभा में इस बात की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

घोषणा की थी, पे-कमीशन की रिपोर्ट एक वर्ष में आ जायगी। मई, 79 में जब उसकी नियुक्ति हो गई तो पे-कमीशन को एक वर्ष में रिपोर्ट देनी चाहिये, मई, 80 में 6 महीने तक की उसकी मियाद बढ़ाई। और 6 महीने की मियाद बढ़ाने के बाद, आपको सुन कर ताज्जुब सबको होगा, जब यह मियाद खतम हो गयी, उसके बाद पे-कमीशन बैठा रहा, लेकिन एक्सटेंशन नहीं हुआ। पे-कमीशन के सरकारी कर्मचारी तनख्वाह लेते रहे, चेयरमेन साहब चेयर पर बैठे रहे, सरकार ने एक्सटेंशन नहीं दिया। पूछा लोगों ने साहब काम क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी अपाइन्टमेंट की टर्म थी, वह एक्सपायर हो गयी। जब तक टर्म एक्सटेंशन नहीं होगा तब तक काम नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बैक डेट से टर्म एक्सटेंशन किया। आज आपको फिर चेतावनी देना चाहता हूं, हमने एक एश्योरेन्स दिया था, एक वर्ष में रिपोर्ट नहीं आयगी तो इंटरिम रिलीफ देंगे। सरकारी कर्मचारी मांग करेंगे कि इंटरिम रिलीफ दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की कुछ आदत हो गई है बैक डेट से काम करने की या अथोरिटी को बाई पास करने की। मुख्य मंत्री जी आज यहां नहीं हैं। जिस समय उन्होंने गवर्नर एड्रेस पर भाषण दिया था, मेरी तरफ इशारा करके कहा कि मैंने मुख्य मंत्री को लाने के दस्तखत यहां किये, भूतपूर्व मुख्य मंत्री....

एक माननीय सदस्य : मुख्य सचिव।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चीफ सैक्रेटरी को लाने के दस्तखत छबड़ा में किये। क्या फर्क पड़ता है? छबड़ा में किये या यहां किये विवाद यह नहीं था। विवाद यह था कि आपकी कनसेंट से नहीं आये चीफ सैक्रेटरी। आये या नहीं? उसका जवाब दीजिये। कहने लगे मैं लाया हूं। इस सदन के कई माननीय सदस्य बैठे हैं जो जानते हैं, पहाड़िया जी वली साहब को जानते नहीं थे....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, चार बजे मुख्य मंत्री का जवाब देने का पहले से तय था काफी समय ले लिया है विरोधी दल के माननीय नेता ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो जल्दी खतम कर रहा हूं। लेकिन मैं चीफ व्हिप से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी राजबहादुर जी बोलेंगे और कुछ और माननीय सदस्य बोलेंगे। यदि आप चीफ मिनिस्टर साहब को मना सकें क्योंकि वो आपका कहना मानते हैं और किसी का तो कहना मानते नहीं हैं, अगर मना सकें तो उत्तर कल सुबह दे देंगे। और आज हमारे पक्ष के या आपके पक्ष के जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, वो बोल लें। अगर बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल तो डिमाण्ड है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिमाण्ड है तो एडजस्ट कर देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एडजस्ट कर लेंगे तो, हमारे दल के बहुत माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पांच बजे बाद समय बढ़ा दिया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : थोड़े समय से कुछ नहीं होगा, फिर तो समय 12 बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चीफ व्हिप की बात हमें स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष : जो आप दोनों को स्वीकार है वह हमें स्वीकार है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विरोधी दल के नेता ने बहुत समय ले लिया है। इसका मतलब यह समझें कि मुख्य मंत्री जी का रिप्लाई कल जीरो आवर के बाद में होगा और बाद में डिमाण्ड भी कल ही पास हो जायगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समय नहीं लेता। यह तो खेतसिंह जी बीच में आ गये। और ये मुख्य मंत्री जी के कांस्रेंस कीपर हैं उनके सामने मुझे कुछ कहना था और वो इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कि चीफ सैक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर उन्होंने लांछन लगाया, कहा कि छबड़ा में, कोटा दस्तखत किये। लेकिन मैं यह कह सकता हूं, अगर किसी में कांशियस जिन्दा है तो मैं आज कह सकता हूं कि चीफ सैक्रेटरी का अपाइंटमेंट बिना गवर्नर के हस्ताक्षर के ही हो गया था। उनको तो दूसरे दिन अखबार राजस्थान पत्रिका देख कर पता चला कि चीफ सैक्रेटरी बदल गया तब उन्होंने इन्क्वायरी की कि मेरे पास कागज ही नहीं आये तब मुख्य मंत्री जी गए और उनसे माफी मांगी। जो आदमी इतना अनकांस्टीट्यूशनल काम कर सकता है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : He should resign.

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चीफ सैक्रेटरी के लिये कहते हैं कि मैं लाया, मैंने कभी वली की बुराई नहीं की मैं तो आज भी कहता हूं-He is a competent officer. मुझे उनकी कांपिटेंस में कोई सन्देह नहीं न मैंने कभी उनकी बुराई की लेकिन उन्होंने जिस सिस्टम से चार्ज लिया, उसको आज भी उचित नहीं ठहराता, चीफ सेक्रेटरी भाग कर नहीं जाता कोर्ट से स्टे आर्डर नहीं लाता, रात को, शाम को 7 बजे चार्ज लिया इस चीज के लिये मैं आज भी कहूंगा कि यह ठीक नहीं था। यह चीफ सैक्रेटरी ने अपना हित नहीं किया बल्कि यह कैडर के साथ अन्याय किया, अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मैं उनको लेकर आया हूं, उनको धर्म देकर पूछो कि वली की शक्ल देखी थी क्या, कि वली कौन से हैं। खेतसिंह जी तिलमिलायेंगे। विधान सभा के सदस्यों को कहते हैं कि वली कौन हैं जरा बताना 24-.5 तारीख को वली आ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि वली कौन हैं। मैंने आज तक इसको देखा ही नहीं, यह कहां से आ रहा है

एक माननीय सदस्य : बजरंग बली।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जैसे मुख्य मंत्री जी आये वैसे ही वली आ गये। और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वो गुस्से में मेरे पर चार्ज लगा रहे हैं। अतः मैं एक बात का जवाब और देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार गवर्नर का एड्रेस हो रहा था उस समय मुख्य मंत्री जी ने सदन में दो बातें कहीं, एक तो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भाषण पढ़ कर नहीं आये। गवर्नर का एड्रेस मैंने पढ़ा है। इसमें नई चीज केवल एक ही है कि राजस्थान सरकार ने बाहरे गांव में जितनी भी तारतें हैं उनको वैध बनाने की योजना है। एक तो इसमें तारतों का निर्माण होगा और मैं समझता हूं कि राजस्थान का इतिहास बनेगा उसमें पहाड़िया जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जायगा कि उनके मुख्य मन्त्रीत्व काल में तारतों को वैध किया गया। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं जिस दिन बोलने वाला था, मैंने कहा मेरा एक सोशल आब्लीगेशन है, मुझे चूरू जाना था। मैं चूरू गया। दूसरे दिन 3-3॥ बजे वापस आया मुख्य मन्त्री ने जो कहा यह उनके मुंह से शोभा नहीं देता। मैंने कहा था कि मेरा सोशल आब्लीगेशन है, मैं कल नहीं बोल पाऊंगा तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि झूठा बहाना है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं मेरा आप जैसा स्तर नहीं है। इस तरह के बहाने बनाने की आदत नहीं है। मुझे पहाड़िया जी से डर नहीं लगता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ लगता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लगता है या नहीं इसका अनुमान इसी से लगा लें कि मैं पहाड़िया जी की तरह सफाई देता नहीं फिरता कि मैं भैरोंसिंह से टेलीफोन पर बात नहीं करता। मैंने कभी सफाई नहीं दी। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में कहा कि मैं धर्म से कहता हूं कि मैं भैरोंसिंह से नहीं डरता। इसके लिए धर्म-कर्म उठाने की क्या आवश्यकता है।

श्री रामेश्वर लाल ताम्बी : आप मिलते हो या नहीं सही बता दो?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो वही बतायेंगे। लेकिन आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं यह खेतसिंह जी बड़ा अन्याय कर रहे हैं, मैं सिफारिश करता हूं ऐसे लोगों को ले लो।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल ताम्बी : हमें तो मालूम होता है कि पहाड़िया, खेतसिंह जी और आप तीनों मिले हुए हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया यह न राजस्थान के विकास का द्योतक है, न कल्याण का द्योतक है। कुछ किसानों को लाभ की चर्चा बड़े जोर शोर से मंत्री जी कर रहे थे लेकिन इस बजट से किसानों को क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस भाषण में एक बात बड़े जोर की कही है उसमें कहा गया है वह क्या है कि राज्य सरकार के सामने सबसे पहला काम यह था कि वह अपनी कार्य प्रणाली को संकीर्ण जातिगत तथा साम्प्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठा कर साधनहीन व्यक्तियों को सरकार में विश्वास जागृत करे। बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। भावनाओं का जहां तक दृष्टिकोण है मुख्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मंत्री जी की भावनाएं बड़ी सुन्दर हैं लेकिन एक्शन क्या है, यह अध्यक्ष महोदय, कार्यालय का आदेश है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का। इसमें पांच आदमियों को हटाया गया वह भी आदेश है लेकिन मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा ऐसे आदेश एक नहीं कई हैं लेकिन एक सामने रख रहा हूं–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में पांच आदमियों का अपाइंटमेंट किया गया–श्यामलाल पुत्र बुद्धिराम पहाड़िया फोर्थ क्लास, श्री जबरचन्द पुत्र जमनलाल पहाड़िया, केशवराम पुत्र नानक पुत्र गिरिराज सिंह पहाड़िया, मोहनसिंह पुत्र मालीराम, और गजासिंह पुत्र दूलीराम पहाड़िया। इससे आप अन्दाजा लगा लें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जातिमत, सांप्रदायिक भावना किसी प्रकार की हो, हरिजन और भी हैं मेघवाल भी हैं, मील भी हैं बहुत लोग हैं जिनकी नियुक्ति की जा सकती थी। लेकिन एक जाति विशेष को शिड्यूल्ड कास्ट मान कर मुख्य मंत्री जी उत्थान करने का बीड़ा उठालें तो इसके लिये भी मैं तैयार हूं उन लोगों की जितनी मदद की जाय, हो सके उतनी की जाय। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा, एक तो मुख्य मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि हीन भावनाओं से, संकीर्ण भावनाओं से काम न करें। राजस्थान के मुख्य मंत्री इसलिये नहीं बने कि हरिजन हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री इसलिये बने कि इंदिरा जी का कबूतर उनके सिर पर बैठ गया और कोई योग्यता से या जाति के आधार पर बने यह बात नहीं है। इंदिरा जी ने कबूतर उड़ाया जिसके सिर पर बैठेगा वह मुख्य मंत्री भी होगा। उनके सिर पर बैठ गया और मुख्य मंत्री बन गये। इसलिये कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री को काम इस प्रकार करना चाहिये कि हिन्दुस्तान के लोग उदाहरण दे सकें कि राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट का मुख्य मंत्री है वह राजस्थान में कितना बढ़िया काम कर रहा है। यदि पहाड़िया जी का नाम हिन्दुस्तान में इस लिये लिया जाय कि हिन्दुस्तान में जितने भी मुख्य मंत्री हैं उन सब में अयोग्य व्यक्ति पहाड़िया जी हैं तो वह सेवा किसी की नहीं करेंगे बल्कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम बदनाम करेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हीन भावनाओं को छोड़ कर आज के दिन हिन्दुस्तान के जितने भी मुख्य मंत्री हैं उनमें सबसे कमजोर और अयोग्य मंत्री राजस्थान को दुर्भाग्य से मिला है। मैं समझता हूं राजस्थान का यह दुर्भाग्य पहाड़िया जी अपने एक्शन से सौभाग्य में बदलें ताकि हम विरोधी दल के लोग यह कह सकें कि राजस्थान का मुख्य मंत्री शिड्यूल्ड कास्ट का है और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा योग्य है। उस स्थिति में उनको योग्यतम व्यक्तियों को मन्त्रिमण्डल में लेना पड़ेगा। हमारा नाम उसमें नहीं आयेगा लेकिन जो कई दिनों से तड़फ रहे हैं कम से कम उनकी तो इच्छा पूरी करें, उन तड़फने वाले लोगों की इच्छा तो पूरी कर दें। और अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं उन डिप्टी मिनिस्टर्स पर सहानुभूति प्रकट करना चाहूंगा जिनको न सदन में बोलने का मौका है न बाहर किसी प्रकार का काम मिलता है। केवल मेन्टेनेंस अलाउंस, तो इसी प्रकार का यह जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मेंटेनेंस अलाऊंस दूसरे लोगों को भी मिलता रहे तो मैं समझता हूं कि सरकार की वाहवाही होगी। इसी आधार पर इस बजट को बिलकुल निकम्मा बजट कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं एक प्रार्थना करूंगा सरकारी पक्ष में बैठे हुए मित्रों से, साथियों से और स्वयं पहाड़िया जी से कि जो भी भाषण हुआ उस भाषण का एक एक पाइन्ट, भाषण नहीं था विरोधी दल के नेता को चार्ज शीट थी। मैं विनती करूंगा कि भाषण का एक एक बिन्दु, मैं, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं एक एक बिन्दु पर पार्टी मीटिंग में विचार कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पार्टी मीटिंग में विचार होगा तो पुलिस फोर्स लानी पड़ेगी।

श्री राजबहादुर : एक एक बिन्दु को चाहे हमारे देश की प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी के पास भेज दें। इसकी प्रतिलिपि भी आप भेज दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भेज रहा हूं।

श्री राजबहादुर : क्योंकि यह राजस्थान के भाग्य का सवाल है कोई भी बजट देश का या प्रदेश का होता है उसमें क्या आशा और आकांक्षा करते हैं कि उसके द्वारा हमारी आर्थिक नीति और हमारे भाग्य का निर्णय होगा। अब तक पांच बजट पास हो गये इस विधान सभा में, दूसरा यह है। तीसरा जो होगा वह चुनाव की लपेट में आ जायेगा। मैं कांग्रेस (आई) पार्टी को कह रहा हूं, समझा रहा हूं कि संभलो। डेमोक्रेसी क्या है, यह भी समझो। डेमोक्रेसी का यह मतलब नहीं है वाइस आफ डिसेन्ट को सप्रेस कर दिया जाये, दबा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री राजबहादुर : मैं आपको निवेदन करूं जब शुरू शुरू में आज से लगभग 100 वर्ष पहले लोकमान्य तिलक ने आह्वान किया था :

Freedom is my birth right and I shall have it.

इसके बाद अनेकों ने कुर्बानी दी, सत्याग्रह किये, बलिदान हुए, सब कुछ हुआ और आजादी मिली। जिस वक्त यह आजादी ली गई, जिस वक्त यह कल्पना की गई थी, उस वक्त उन्होंने यह वाक्य कहा था : "Freedom is my birth right." और जो आज हो रहा है क्या उस फ्रीडम का सार यही है। आज विरोधी दल के नेता महोदय ने जो कहा है उस भाषण के एक एक शब्द, एक एक बिन्दु का खण्डन करने का नैतिक दायित्व मुख्य मंत्री का है। अगर वे इनके भाषण का जवाब नहीं दे सकते हैं तो इज्जतदार आदमी के लिए क्या रास्ता है, वही रास्ता है। इन्तजार करेंगे जवाब का। बड़ी खुशी की बात है। रात के 12 बजे होगा तो सुनेंगे। लेकिन मैं यह जरूर आशा करूंगा यह उनका नैतिक दायित्व है। इसलिए है कि मैं यह आशा करता था कि इस बजट के अन्दर, जो

(श्री राजबहादुर)

राजस्थान की सातवीं विधान सभा का दूसरा बजट है. राजस्थान के सचमुच वास्तविक सर्वांगीण विकास का जिक्र होगा, यह शब्द प्रयोग किया गया है, इसको खोल कर देखियेगा। जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान की मूलभूत समस्या है रेगिस्तान के विस्तार को रोकने की और बारम्बार पड़ने वाले अकाल की रोकथाम करने की इस पर आपने अपने क्या मौलिक उपाय बताये हैं सुझाव दीजिये जिससे कि हम इस प्रदेश के लोग आगे बढ़ सकें। मैंने बहुत कुछ ढूंढा, इसमें देखा, शायद इसमें कुछ बातें हों। शायद कुछ वाटर रिसोर्सेज के बढ़ाने के बारे में हो। वाटर रिसोर्सेज के बारे में कहां जाना पड़ेगा। मैंने पहले भी बार बार कहा है, हम आयेंगे और चले जायेंगे लेकिन राजस्थान का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। वाटर रिसोर्सेज के बारे में मैंने पहले कहा था। अभी कल मैंने एक सवाल रखा था। चम्बल पर एक नया बांध बांधा जा रहा है और उसका फायदा दूसरे लोग उठाने की योजना बना रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चम्बल का ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, यह जो गंगा यमुना का पानी है, राजस्थान में लाने की योजना है इसकी बुनियाद मैंने नहीं रखी है, यह तो हमारे इन्जीनियर्स ने रखी है. क्या उसका गंगा यमुना के पानी का हिस्सा आप ले सकेंगे ? अभी जो रिपोर्ट सिंचाई विभाग की आयी है उसमें एक बात रखी है, जो पहले नहीं थी, गंगा यमुना से पानी लेने के प्रयास का नाम गायब है। यह तो क्या लिखा है कि राज्य में कोई चिर नदी नहीं है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि न केवल उपलब्ध आन्तरिक स्रोतों का विकास किया जाए बल्कि अन्य पड़ोसी राज्यों में उपलब्ध बाह्य जल स्रोतों से भी सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की चेष्टा की जाए। यह तो आ गया है किन्तु जहां पिछली रिपोर्ट में पहले कहा गया था कि हम गंगा यमुना के पानी का हिस्सा मांग रहे थे। इस बार इस विषय में एक शब्द भी नहीं है क्यों, क्या कारण है ? मैंने पहले सवाल उठाया था, आपका चार मिलियन एकड़ फीट पानी जो रावी व्यास का होता है, वह इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हैं और तीन मीलियन एकड़ तो पानी पाकिस्तान में ही जा रहा है या पंजाब और हरियाणा उसका लाभ उठा रहे हैं। इसके बारे में कुछ हुआ ?

पावर के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इतना ही कहना चाहता हूं कि जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार बहुत कुछ करना चाहिए था। लेकिन निश्चित बात यह है कि अगले तीन साल, पांच साल का ब्योरा फैला लीजिये, जितनी मांग है उससे कहीं कम बिजली उपलब्ध होने जा रही है। इसमें तनिक मात्र भी सन्देह नहीं है। आपको थोड़ा में बताऊं, जहां तक नाथपा झाकड़ी का सवाल है, वह तो गया ही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे प्रदेश के बारे में दावा किया जाता था कि बिजली के बारे में हम आत्म निर्भर हैं बल्कि सरप्लस हैं, वह बातें तो खतम होती जा रही हैं। फिर मुझे जहां तक याद है पिछली बार जो घोषणा हुई थी

Page No. 125

(श्री राजबहादुर)

राज्यपाल महोदय की ओर मुख्य मन्त्री जी की, उसमें यह कहा गया था कि पलानर लिगनाइट जो निकला है उसके जरिये से हम नये बिजली घर स्थापित करेंगे, शायद 125 मेगावाट का करें, लेकिन इस बजट में उसका कोई नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। यही नहीं, छठी पंचवर्षीय योजना तक में इसका कोई जिक्र नहीं है। जब तय हो चुका था तो होना चाहिए था और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं अपने को करेक्ट कर लूंगा परन्तु मुझे पूरा याद है। फिर सवाल आता है हमारी आवश्यकता क्या है और हमारी उपलब्धि क्या होगी बिजली के मामले में? इसको सुन लीजिये। 1980-81 में हमारी डिमाण्ड होगी 1158 मेगावाट की और बिजली उपलब्ध होगी 1140 मेगावाट। 1981-82 में हमारी डिमाण्ड होगी 1420 मेगावाट बिजली की और उपलब्ध होगी 1158 मेगावाट। 1982-83 में 1664 मेगावाट हमारी डिमाण्ड होगी और हमारे पास कुल उपलब्ध बिजली होगी 1268। इसके अलावा और भी हमारी नई नई डिमाण्ड आ रही हैं। इस साल बीस हजार कुएं इनर्जाइज किये गये तो अगले साल और 20 हजार कुएं इनर्जाइज किये जायेंगे। इन्डस्ट्रीज को कहां से दोगे? इस वर्ष जैसा आपको मालूम होगा, बिजली की 40 से 50 पर्सेन्ट शार्टेज रही और उसके कारण कितने दिन तक बिजली घर बन्द रहे, यह सब को मालूम है। मैं यह सोचता हूं कि चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे इन्डस्ट्रीज का मामला हो, क्या कारण है कि राजस्थान अभी तक उपेक्षित रहा है इन्डस्ट्रीज के मामले में। कोई पब्लिक सैक्टर यूनिट यहां पर नया नहीं आ रहा है। इन्डस्ट्रीज में मुश्किल से एक दो इन्डस्ट्रीज को आप देख सकते हैं। एक अजमेर में एच. एम. टी. की आ गई और दूसरी इन्स्ट्रूमेन्टेशन की आ गई। और प्रान्तों में इनकी मांग हो रही है। हमारे प्रदेश में इसका कोई जिक्र मुझे नहीं दिखाई देता है। जो थोड़ी बहुत है उन इन्डस्ट्रीज का प्रोडक्शन गिर रहा है इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। डेजर्ट रिक्लेमेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अनएम्प्लायमेन्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बिलो दी पावर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके बारे में यह कहा गया है, 7 लाख परिवारों को छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से ऊपर ले आयेंगे। मैंने पहले भी यहां पर कहा था कि हमारे यहां कम से कम 40 लाख परिवार होंगे। जो आंकड़ा माननीय चन्दनमल जी बैद ने बताया है कि हमारी आबादी 3 करोड़ 35 लाख के करीब हो जाएगी तो उस हिसाब से ऐसे 60 लाख के ऊपर परिवार हो जाएंगे। कितनी पंचवर्षीय योजनाओं में आप इनको लेंगे? चम्बल रेविन्स के बारे में कह चुका हूं मैं आपको विनती करूंगा कि इन सब समस्याओं और चुनौतियों पर इन संदर्भ में आप सोचें, जो भी तथ्य अथवा आंकड़े दिये हैं, उन पर सोचें।

दो साल से हमारा दुर्भाग्य है कि इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से हमारा देश कराह रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ है? सारा बोझ पड़ा है कामन मैन पर और

(श्री राजबहादुर)

फायदा किसे हुआ ? यह निश्चित बात है, इन्फ्लेशन कौन चाहता है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में वेस्टेड इन्ट्रेस्ट किसका है ? प्राफिटर्स का। ब्लेक मार्केटियर्स का। जो काला धन कमाने वाले हैं, उनको ही मुद्रास्फीति से फायदा होता है। अगर कोई कारगर कदम नहीं उठाये जाते हैं इसको रोकने के लिए तो आप किसको दोष देंगे ? तीसरी चीज है एक्सप्लाइटेशन किसका होता है ? कामन मैन का। एक तरफ की अनहोली (unholy), नापाक कान्सप्रेसी प्रमाणित होती है। हम सब इस सदन में विशेषतया शासक दल वाले और दूसरे इसके लिए जिम्मेदार हैं। हममें और आपमें केपिटलिस्ट समुदाय में एक अनहोली कान्सप्रेसी है। इन्फ्लेशन के पीछे इन सब का वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है। अगर हमने इन्फ्लेशन पर काबू नहीं किया तो हमारी इकोनोमी क्रश हो जाएगी। और इकोनोमी के साथ-साथ इस देश का क्या होगा, यह पता नहीं है। किसी देश अथवा प्रदेश का एनुअल बजट इसका एक संकेत होता है कि उसकी दिशा क्या होगी। साथ साथ एक इन्स्ट्रूमेंट भी होता है, किसी चीज का, जिसके जरिये हम इकोनामिक पालिसी को क्रियान्वित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा, इसमें कोई इन्डिकेशन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। इस सारे बजट को देखा है। इसका आखिर बनेगा क्या ? इन्फ्लेशन की रेट कम हो रही है, ऐसा नहीं है। मुझे खेद है कि मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में पहले पृष्ठ पर कहा है, इन्दिरा जी के हिसाब से जो नये कदम उठाये जा रहे हैं उनके जरिये से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के पुनर्जीवित होने के अच्छे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जो उज्ज्वल आर्थिक भविष्य का विश्वास दिखाते हैं। I wish, I pray वह सच्च हो। लेकिन स्थिति क्या है ? 1979 से जनवरी, 1980 तक जो रेट थी इन्फ्लेशन राइज की वह 22.7 थी और जनवरी, 1980 से 81 तक रेट रही, 15 प्रतिशत कम हुई है। लेकिन अप्रैल, 1980 से जुलाई तक 2.6 प्रतिशत रहा प्रति मास पर मन्थ, लेकिन अगस्त से दिसम्बर तक कम होने के बाद फिर चालू हो गया है जनवरी में आकर। जहां नवम्बर में 0.21 प्रतिशत था वह फिर 1.7 प्रतिशत हो गया। उसके बाद यह हुआ कि फरवरी में होल सेल्स इन्डेक्स की बढ़कर 268.8 पर एक नयी चोटी हो गयी इन्फ्लेशन की, यह खतरा जो है हमारे रुपये की वैल्यू को, जैसा बराबर यहां कहा जाता है कि सन् 1960 के मुकाबले गिर कर 24 पैसे रह गयी है जो आपका [illegible] प्लान है या वार्षिक बजट है उसमें आपको यह निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि आप समझें जहां कुछ उपलब्धियां हो जायेंगी, वह नहीं हो पायेंगी और इसके साथ क्या होगा अभी बोल चुके हैं शेखावत जी, जो मूल्य वृद्धि कोल, स्टील और पी. ओ. एल. सीमेंट की भी होने वाली है रेलवेज में भावों की दरों में जो वृद्धि हुई और जो कर केन्द्रीय बजट में है इन सबके आंकड़े मिलाये जायें तो कम से कम 2000 करोड़ रुपयों का बोरा तो लाद ही चुके हैं। उसके बाद रेट आफ इन्फ्लेशन है वह बढ़ रही है तो क्या होगा, [illegible] है ? रचनात्मक

(श्री राजबहादुर)

ढंग से बात कहना चाहता हूं कि जैन, इन बिल की जरूरत है, सच्चे मन की जरूरत है। यदि सच्चे मन से चाहें कि इन्फ्लेशन कम करें। कैसे कम करें ? आपने बड़ा क्रेडिट लिया है इस बात का कि हमने टैक्स नहीं लगाये हैं। टैक्स नहीं लगाये, इसको बड़ी तरक्की मान लिया गया है, इसी तरक्की को उड़ीसा में भी मान लिया गया है उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने कल बजट पेश किया है उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगाया है। केन्द्र में भी कम टैक्स लगे हैं। इसको वन्डर मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पहले ही भारी बोझ लाद चुके हैं जैसा मैंने पहले कहा वन्डर इसलिए भी नहीं है कि इससे किसको लाभ मिला है, टैक्स आप किस पर लागू करते। अगर आप चाहते हैं कि इकोनोमिक आर्डर चेंज हो आपका दावा है कि हम रियल साइंटिफिक सोशल चेंजेज चाहते हैं और केवल गांधीवादी सोशलिज्म नहीं बल्कि नेहरू जी का जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसको चाहते हैं। अगर आप वह चाहते हैं तो आपको आमूल चूल परिवर्तन करना होगा टैक्स स्ट्रक्चर में। इकोनोमिक स्ट्रक्चर को री-स्ट्रक्चर करना होगा। उसके लिए निश्चित रूप से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा की कौन कौन से लोग ऐसे हैं कौन कौन से वर्ग ऐसे हैं जिन पर टैक्स लगा सकते हैं और किनको रियायत देनी है। आपने जो रियायत दी है उसके लिये किसी माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि मखौल किया है, चक्की पर रियायत दी है, ब्रेल कागज और घड़ी पर रियायत दी है इससे आप किसको इम्प्रेस करने जा रहे हो ?

दूसरा क्या जरूरी है ? यह जरूरी है कि आपको सारे क्षेत्रों का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना होगा, बढ़ाना ही नहीं होगा बल्कि जो भी प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं उन पर कितना नियन्त्रण है आपका और आपकी सरकार का। निश्चित करना होगा आपको। आपने सारा प्रोडक्शन छोड़ रखा है एसेंसियल कमोडिटीज का किसके हाथों में, यह है पूंजीपतियों के हाथों में और बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हाथों में। इसके बारे में कौनसा दिन आयेगा, क्या यह देश डूब जायेगा तब आप सोचेंगे कि किस तरह से महंगाई को कम किया जाये। मैं विनती करता हूं कि अगर सच मायने में हम गांधीजी का नाम लेते हैं, नेहरू जी का नाम लेते हैं, तो हमें निश्चित रूप से देखना पड़ेगा कि कौनसा वर्ग है, वह वर्ग जो टैक्स बर्दाश्त कर सकता है। टैक्स का भार उस पर डाला जाये वरना अन्तिम बोझ, कहा जाता है, कामन मैन पर जाता है। इसलिये यह जो दावा किया गया है कि कोई टैक्स नहीं लगाये गये, मेरी समझ में नहीं आया कि यह कहां तक ठीक हो सकता है ? सेंट्रल बजट में डेफीसिट था आपने भी डेफीसिट की प्रथा को फालो किया है। सेंट्रल में डेफीसिट कम हो जायेगा, मैं नहीं कह सकता हूं कि 1980-81 के बजट में डेफीसिट था 1445 करोड़ और आपका तो आपको मालूम ही है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। इस साल आपने रखा है 1539 करोड़ लेकिन पिछले साल जो डेफीसिट था It ended in the year 80-81 with 15.79 crores;

(श्री राजबहादुर)

अब के भी यह निश्चित बात है कि जो बोर्ड योजना से 800 करोड़ रुपये की आशा की है वह पूरी नहीं होने वाली है। 1539 में आप और जोड़ दें कम से कम 500-600 करोड़ रुपया तो जोड़ ही दीजिये। छठी पंच वर्षीय योजना में स्टेट और सेंट्रल बजट में कुल मिलाकर 5000 करोड़ का डेफीसिट फाईनेंसिग करेंगे तो पहले दो साल में ही आप 3514 करोड़ का डेफीसिट फाइनेंस कर चुके हैं 80-81 और 81-82 में इतना डेफीसिट फाइनेंस आप कर चुके हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि जो चीज अभी तक बाकी थी वनस्पति थी लेकिन इस बार उसके ऊपर भी महंगाई बढ़ी है और साढ़े अठारह किलो का जो टीन है उसकी कीमत 200 रुपये से अधिक हो चुकी है। डेफीसिट की रेट बढ़ रही है, इन्डस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वह गिर रही है। बैलेंस आफ पेमेंट की हमारी पोजिशन, आयात निर्यात इन दोनों का अन्तर देखा जाय तो वह अभी तक तो 2000 करोड़ का होगा लेकिन आशंका यह है कि वह 4000 करोड़ तक पहुंच जायेगा।

श्री चेतराम मीणा : लेकिन यह तो लोक सभा और राज्य सभा के आंकड़े हैं यह तो विधान सभा है।

श्री राजबहादुर : मौलिक बात है यह तो आप भी जानते होंगे चेतराम जी, जो सेंटर करता है उसका प्रभाव राज्य पर भी पड़ता है।

श्री चन्दनमल बैद : शिष्य तो आपके ही हैं इसलिये आप ही उलाहना ले लें।

श्री राजबहादुर : आप भी मेरे साथी हैं वे भी मेरे साथी हैं। मैं गुरू तो नहीं हूं। हां आपका गुरू भाई अवश्य हो सकता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : चेतराम जी तो इसमें शामिल नहीं हैं। यह तो आप और हम ही हैं।

श्री राजबहादुर : मेरा और आपका साथ एक और भी है, हाउस को मैं बताना नहीं चाहता हूं। अगर आप कहें तो बता दूं।

श्री चन्दनमल बैद : बता दें। मेरी योग्यता तो आप जानते हैं।

श्री राजबहादुर : हम दोनों ने ही बी.ए. के बाद एम.ए. किया है। मैंने बी.एस सी. के बाद एम.ए. किया है अंग्रेजी में और आपने बी.काम के बाद एम.ए. किया है अंग्रेजी में और दोनों ही ने थर्ड डिवीजन से किये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे फक्र है अंग्रेजी में एम.ए. थर्ड डिवीजन कर लेने पर भी।

श्री अध्यक्ष : यह बात हमको तो मालूम ही नहीं थी कि आप दोनों थर्ड डिवीजन हैं।

श्री राजबहादुर : लेकिन मैं लॉ में फर्स्ट डिवीजन हूं।

(व्यवधान)

मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा है उसके सम्बन्ध में पहाड़िया जी एक-एक पाइन्ट का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो उसको सहारा नहीं लेना चाहिये....

एक माननीय सदस्य : पहाड़िया जी आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप उपस्थित रहना उस वक्त ताकि वे भूलें नहीं। आप पूछते रहना।

श्री राजबहादुर : मैं उपस्थित रहूंगा। पहाड़िया जी आ गये हैं तो कल रैली और सिमको के ऊपर कुछ ऐसी बातें हुयीं जो नहीं होनी चाहिये थीं। सिमको के बारे में सफाई देना चाहता हूं, बिड़ला जी मेरे घर पर गये और मेरी राय से तालाबन्दी हुयी। बिड़लाजी के दर्शन तो कई वर्षों से नहीं हुये हैं, 10 वर्षों से नहीं हुये हैं। मेरे घर आते रहे हैं। इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी पहाड़िया जी को; मैं उनका साथी रहा हूं और आज भी उनका शुभचिन्तक हूं। लेकिन यह निश्चित मेरी सलाह है कि एक एक पाइंट को जो आज भैरोंसिंह जी ने उठाया है उसको लाइटली थ्रो न करें क्योंकि उन पर राजस्थान का भविष्य निर्भर करता है। एक-एक पाइंट का जवाब दें। और जो मैंने बातें कही हैं उनको भी ध्यान में रखें। बजट में तो कुछ भी नहीं आया है न रावी, न व्यास, न गंगा न चम्बल, न पावर का किया है और लिग्नाइट के आधार पर बिजली की बात थी वह भी न जाने कहां चली गयी। लेकिन अब भी समय है जो छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है उसके विषय में इस सदन को विश्वास में हमारी कन्सेन्ट नहीं ली गयी है उसके घाटे को कहां से पूरा करेंगे, इसमें भी कुछ बात इस सदन को कही है यह किसी को नहीं मालूम है, आपने हाउस को कान्फीडेंस में क्यों नहीं लिया है? अपनी पार्टी को लिया है या नहीं लिया है, यह तो मैं नहीं जानता हूं अभी जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पर आपको छठी पंचवर्षीय योजना पर जरूर बात करनी चाहिये। आज तक जो प्रति है उसको देनी चाहिये थी वह भी नहीं दी गयी है बाजार में भी उपलब्ध नहीं है। मैंने इस बात की कोशिश की थी। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपनी ओर न देख कर राजस्थान की ओर देखें। 2 साल निकल चुके हैं दो बजट और आयेंगे चाहे आप बजट पेश करें या कोई और करें लेकिन इस विधान सभा को सातवीं विधान सभा को अपना अकाउन्ट देना है किस तरह देना है यह सोचें। राजस्थान को जैसा पाया था उससे अच्छा बनाकर दें। यह हमारा संकल्प होना चाहिए।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़। 15 मिनट का समय दिया जाता है।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री जी ने जो दिया है मैं आंकड़ों में तो नहीं उलझना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पर एक बात जरूर कही गई है कि गत वर्ष के बजट के आठ महीने बाद राजस्थान की जनता का विश्वास इतना बढ़ा है और हमने विश्वास प्राप्त किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पहाड़िया जी से कहना चाहता हूं, आप भूल कर रहे हैं। मैं यहां केवल यही बता देना चाहता हूं कि रैली में चले जाने से ही, उसीसे विश्वास नहीं बढ़ेगा। हमारी दो फरवरी की गिरफ्तारी हुई और दो मार्च को जो किसानों का मार्च हुआ आपको बता रहा हूं कि आप में कितना विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, मैं वितरण प्रणाली

(श्री मेघराज तावड़)

जानना चाहता हूं । आंकड़े तो बहुत से साथियों ने दे दिये । वितरण प्रणाली व्यवस्था राजस्थान सरकार कभी कन्ट्रोल नहीं कर सकती । मैं समझता हूं यह पहाड़िया जी के बस का रोग नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि आज काले बाजारियों के पास सीमेन्ट है, डीजल है, सारी चीजें हैं लेकिन इनका जो राज्य सुरक्षा कानून है, नजर लगी है राजकीय सेवा कार्यकर्त्ताओं के ऊपर उनको गिरफ्तार नहीं करेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि अगर पहाड़िया जी सर्वांगीण विकास करने की बात सोचते हैं, जोश खरोश से आए हैं यह बात कही है । मैं धन्यवाद दूंगा पहाड़िया जी को, अगर राजस्थान का विकास करना है तो उन कालेबाजारियों मुनाफाखोरों, मिलावट करने वालों, और जनता की जिन्दगी से खिलवाड़ करने वालों को जेल में रखें । और जो उनके पास पैसा हैं, बड़े-बड़े जो सेठ हैं उनसे कर वसूली करें न कि केवल छोटे-मोटे लोगों से वसूली कर । अध्यक्ष महोदय, आज पहाड़िया जी अकाल में वसूली स्थगित करने की बात कहते हैं । इन्होंने कहा कि अकाल में हमने लोगों की वसूली स्थगित कर दी । अध्यक्ष महोदय, आप यह जानकर ताज्जुब करेंगे कि एक तरफ तो राज्य सरकार यह घोषणा करती है कि जहा पर अकाल ग्रस्त इलाका है । वहां पर किसी प्रकार की वसूली नहीं होगी लेकिन मेरे क्षेत्र गोगुन्दा में सहकारी समितियों में वसूली के लिए किसानों को जिस तरह से परेशान किया । एक व्यक्ति मोहनलाल के घर तालाबन्दी कर दी और यह कह दिया कि 10 बजे तक पैसा नहीं दिया तो तेरे को नंगा करके और काला मुंह करके घुमाया जायगा । यह बात कही और थानेदार बैठे रहे, वह यह कहकर कि मैं पिशाब करके आता हूं, जाकर कुंए में गिर गया, उसने आत्महत्या कर ली । यह हालत है वसूली की । एक तरफ तो घोषणा की जाती है और दूसरी तरफ आदेश दिया जाता है कि डण्डे के जोर से वसूली करो । पहाड़िया जी यह बात नहीं चलेगी । यह उसके पत्र हैं, यदि आपको सुनने की क्षमता है तो सुनो, यह जो रोना है आप भी रोते हो, लेकिन अध्यक्ष महोदय, ऊपरी मन से कह रहे हैं । अन्दर सब दुखी हैं ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपको हमारी आत्मा का पता है क्या ?

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, फसल नष्ट हो गई, पहाड़िया जी ने कहा कि रेवेन्यू बन्द कर दी । अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं । जहां फसलें नहीं पकीं, जहां पर फसलें अकाल से नष्ट हो गईं, उसके बाद सरकार कर स्थगित करें यह बात समझ में नहीं आई कि इनकी वसूली स्थगित कर देंगे । लेकिन जब बड़े-बड़े डाकुओं के और मिल मालिकों के घाटा आता है तो पहाड़िया जी कहते है कि कर वसूली नहीं होगी । उनको माफ कर दिया । मैं, पहाड़िया जी, आपको कहना चाहता हूं—आपकी सरकार को कि अगर वास्तव में आप गरीबों की बात करना चाहते हैं, अगर वास्तव में गरीबों की वसूली को स्थगित करना चाहते हैं, वसूली स्थगित

(श्री मेघराज तांवड)

करने की बात करते हैं तो आपके ही भाइयों ने, महाराष्ट्र की सरकार ने गरीबों, हरिजनों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों और छोटे किसानों का पुराना कर्जा, चाहे को-आपरेटिव बैंक का हो, तकावी का हो, रेवेन्यू का हो, तकावी का हो, सब माफ कर दिया। उसी तरह से आप भी एक कलम से पुराना जो कर्जा है उसको खतम कर दीजिए। ऐसा कर देंगे तो राजस्थान में गरीबों और हरिजनों, आदिवासियों को चैन की सांस मिलेगी। पुराने कर्जे जो समितियों के हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको जूते मारकर वसूल किये जाते हैं, इनका ब्याज मूलधन से भी ज्यादा हो गया है। उनको घुड़कियां दी जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में मैं निवेदन कर दूं, महाजनों ने भी घुड़कियां दीं, जिसका जिक्र अखबारों में भी आया। एक तरफ जो महाजन हैं, जो सूदखोर हैं वे लोग वसूली कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार डण्डे मारकर वसूली कर रही है। पहाड़िया जी, आपसे बड़ी उम्मीद थी। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी यह नहीं लिखा कि भूमिसुधार कानून लागू करेंगे। आपने जो कृषि के लिए बजट रखा मैं उसके लिये तो धन्यवाद देता हूं लेकिन वह बजट पैसे वालों को मिलेगा अध्यक्ष महोदय, 1964 में कानून सीलिंग का बनाया, उसमें 31. 12. 75 तक लक्ष्य पूरा करना था लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। केवल 1.76 लाख एकड़ फालतू भूमि बताई गई और उसमें केवल 30 हजार एकड़ जमीन ली गई, राजा-महाराजाओं से और सामन्तों से और उसमें से भी वह जमीन जिन लोगों को दी गई उस पर भी बड़ी-बड़ी पार्टियों ने और सामन्तों ने कब्जा कर लिया। उस सीलिंग के कानून से जिनको जमीन दी गई उस कानून से गरीबों को कोई फायदा नहीं हुआ। पहाड़िया जी, मैं आपका विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भूमि सीलिंग कानून बनाया वह सीलिंग कानून लागू करके आज भी इन लोगों के पास जितनी जमीन हैं, सामन्तों के पास, उनसे लेकर गरीबों में बांटोगे तो तीन लाख परिवारों को इससे फायदा होगा; और लाखों टन अनाज पैदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, पहाड़िया जी सुन नहीं रहे हैं, बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की व्यवस्था, राजस्थान में उपलब्ध नहीं हुई। 1958 में राजस्थान नहर की बात चली और इसके पहले चरण को पूरा करना था 1978 में लेकिन 80-81 चल रहा है, अब पूरा करने जा रहे हैं। और तो और इसमें जितना बजट रखा है, अध्यक्ष महोदय, वह तो जो नहर का एक चरण पूरा हुआ है, उसका रख रखाव भी पूरा नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, आप इसकी जांच करवा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई स्थानों पर घास उगी हुई है। लोगों को आज तक पानी नहीं मिला। आप लोग पूंजीवादी डाकुओं से उलझे हुए हैं, कभी अमेरिका के चक्कर में फंसे हुए हैं, कभी विश्व बैंक पर दबाव डालते हो, और इस तरह से आप इस नहर को पूरा नहीं करने देना चाहते इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, आप लोग

(श्री मेघराज तावड़)

राजस्थान का भला नहीं करना चाहते और इस नहर को पूरा नहीं करना चाहते। मेकनमारा को सर्वे कराने के लिए बुलाया जो फौजी अड्डों का सर्वे करके चला गया। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमको अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे इस नहर को पूरा करने के लिए और योजना को पूरा करने के लिये। राष्ट्रीय सरकार, भारत सरकार इसमें मददगार नहीं होना चाहती, वह इसको अपने हाथ में नहीं लेना चाहती, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको राष्ट्रीय योजना मानकर भारत सरकार को सौंप देना चाहिये ताकि वह अपने तरीके से इसको पूरा करें।

अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण की बात, अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं, मेरा 15 मिनट का टाइम है। अध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही सदस्य है, पूरा टाइम दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण का जो तरीका है, समाज कल्याण के नाम पर जितना पैसा खर्च किया जाता है, यह विकास के नाम पर केवल ढकोसला मात्र है, इसको मैं अपने-अपने लोगों को पेट भरने का, पालने का एक तरीका मानता हूं। समाज कल्याण के अन्तर्गत जितने भी छात्रवास चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि जो लोग हरिजन और आदिवासी छात्रावासों के जरिये उनकी सेवा करने का ठेका लेते हैं, वे लोग हरिजनों की और आदिवासी छात्रावासों की जमीनों को, जो लाखों रुपयों की है, कोड़ियों में बेच रहे हैं। आज चाहे वे भोगीलालजी पण्ड्या हों या कोई और हो, आदिम जाति सेवक संघ के नाम से बनवासी छात्रावास है प्रतापनगर में।

(4.30 म. प.

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, उनकी 50 बीघा जमीन है उनके नाम पर उसको आप खुद मुफ्त में ले रहे हैं। पुराने बुजुर्ग नेता भोगीलाल पंडिया उसको बेच रहे हैं, उन लोगों को पट्टे दे दिए और गांवों में उन लोगों को जमीन दे दी। लोगों ने मकान बना लिए, ईंट के भट्टे लगाये और सरकार नहीं सुन रही है। भूपालपुरा में स्वर्गीय माणकलाल वर्मा ने छात्रावास शुरू किया है, उसी के बेटे का, लड़कियों का छात्रावास है जो भीलवाड़ा महिला सदन द्वारा संचालित है, उसकी जमीन को बेचा गया, कुछ सेंट पाल को दे दी गई। जमीन प्लाट्स बनाकर बेचना चाहते हैं। मैं मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह से आदिवासियों के नाम पर जो जमीन है, आदिवासियों और हरिजनों के नाम पर जो ठेकेदार बैठे है उनकी ठेकेदारी को खतम करें, उससे हरिजनों और आदिवासियों का भला नहीं हो सकता जो उनके नामों पर दुकानें चलती हैं।

मरु क्षेत्र की योजना बना रखी थी इस रेतीले मैदान में, इस रेतीले स्थान पर, वह 300 मील लम्बी और 5 हजार मील चौड़ी योजना थी, किनारे लगाने की वह

(श्री मेघराज तावड़)

खटाई में पड़ गई। खाली योजना बनाने से राजस्थान का विकास नहीं हो सकता।

उद्योगों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। क्या हुआ जो टैक्सटाइल मिल बन्द पड़े हैं, क्या हुआ सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री का ? एक तरफ उद्योग बन्द पड़े हैं, एक तरफ मिल बन्द पड़ी हैं और उत्पादन बढ़ा है, यह आंकड़ा मुख्य मंत्री देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है, आप मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी एक एक शब्द में कह रहा हूं। शिक्षा का जहां सवाल है। स्कूल खोलो। आज प्राइमरी स्कूलों के जो टीचर्स हैं उन पर बेन है और गांवों में और पहाड़ी इलाकों में आज भी जो स्कूल खोल दिये गये है, वहां जगह खाली पड़ी हैं, वहां मास्टर नहीं जा रहे हैं और जो प्राइमरी स्कूलों में मास्टर हैं वे शिक्षा विभाग में जा रहे हैं क्योंकि वहां बैन नहीं है। हमारा जो पहाड़ी इलाका है गोगुन्दा का खेरवाड़ा इलाका है, उस इलाके में गत वर्ष माननीय हनुमान प्रसादजी थे तब न तो एक स्कूल भी परमानेंट किया, न सैकन्डरी, न मिडिल स्कूल न हायर सैकन्डरी। मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री और मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं कि केवल राजनीतिक भेदभाव से हमारी जनता को महरूम न रखें। गोगुन्दा में कालेज खोला जाना चाहिए। आदिवासी इलाके में खेड़वाड़ा इलाका पड़ता है उनको उदयपुर आना पड़ता है। खेरवाड़ा में लॉ कालेज नहीं है और कालेज भी नहीं, वह खोले जाने चाहिए, इससे सारा इलाका कवर हो सकेगा।

मैं शिक्षा संस्थाओं की एक बात और कहना चाहता हूं। जनता पार्टी का राज आया, मास्टरों ने शिक्षा संस्थाओं को आर. एस. एस. का अखाड़ा बनाया। मैं चन्दनमल बैद से कहना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री, जो आर. एस. एस. ने अखाड़े कई गांवों में राजस्थान में बनाये थे, और उनको उखाड़ने में सफल हो गए, माननीय हनुमान प्रसाद शिक्षा मन्त्री थे, उन्होंने शिक्षकों के तबादले करके लोगों में नाराजगी पैदा की और एक शेर की तरह हनुमानजी ने दहाड़ कर कहा था कि आर. एस. एस. को खतम करके रहूंगा। पर उस समय के मंत्री आर. एस. एस. को खतम नहीं कर सके लेकिन आर. एस. एस. के लोग जो दूरदराज गांवों में बैठे थे उनको शहरों में लाये और शहरों के कांग्रेसी अध्यापकों को गांवों में भेज दिया। यह काम उन्होंने जरूर किया। पता नहीं कौनसा समझौता हो गया, खैर। अध्यक्ष महोदय, आज भी शिक्षा संस्थाओं में आर. एस. एस. के अखाड़े लगाए जाते हैं, आर. एस. एस. की शाखायें लगाई जाती हैं, आज जो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं वे आर.एस. एस. के लोग हैं, वे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। इसलिए मैं इस सरकार से मांग करना चाहूंगा कि आज जो आरक्षण के विरोध में आन्दोलन चला है उसमें साफ तौर से मैं आरोप लगाता हूं कि आर. एस. एस. का हाथ है। अगर उसको न रोका गया तो राजस्थान में गुजरात से ज्यादा भयंकर स्थिति पैदा होगी। उसका

(श्री मेघराज तावड़)

मुकाबला उसी तरह से होगा, चाहे जितना खून सच्चर हो जाय लेकिन मुकाबला तेजी से होगा, हम दबने वाले नहीं। मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके राज में आरक्षण विरोधी आंदोलन पनपता है तो राजस्थान के लिए शर्म की बात होगी।

अध्यक्ष महोदय, एक बात शिक्षा पर और कहना चाहता हूं। पहले भी मैंने बजट पर कहा था और आज भी कह रहा हूं, जितनी प्राइवेट संस्थायें हैं, उस शिक्षा में इतना व्यय होता है उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। जो पुराने कालेज, पुरानी संस्थायें है उनको बन्द किया जाना चाहिए। मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जितना पैसा आप प्राइवेट संस्थाओं को देते हैं उतना पैसा सरकारी संस्थाओं में लगायें जिससे शिक्षा में भेदभाव नहीं रहे। आप तो समाजवाद, गांधीवाद की बात करते हैं, उसका कुछ मसला हल हो सकता है।

सभापति महोदय अंत में मैं आपका ध्यान आवासीय समस्या की ओर खींचना चाहता हूं। बजट में यह थोड़ा सा प्रावधान तो रखा है। लेकिन आज आवासीय समस्या किस तरह से बढ़ती जा रही है। एक बहुत बड़ी इसमें मजाक की बात कही है हमारे वित्त मंत्री ने। यह कहा कि कुछ आवासीय भूखण्डों की बिक्री करके उससे जो पैसा आएगा उससे भी घाटे की पूर्ति करेंगे। मुझे यह कहते हुए ताज्जुब होता है कि जो गरीब आदमी है, किसी भी शहर के आस पास जिन लोगों की कृषि भूमि है, उसे कोड़ियों में खरीद कर पैसे वाले लोगों ने धंधा बना रखा है और हजारों रुपए में प्लाट्स बेच रहे हैं और राजस्थान सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। हमारे उदयपुर में चम्पाबाग में उस समय के यू. आई. टी. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री भी, जो कि ग्रामीण है, शामिल हैं। चम्पाबाग यू. आई. टी. एक्वायर कर रही थी, एक्वायर नहीं करने दिया। हमारे हनुमान प्रसाद जी वहां के रहने वाले है मन्त्री हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने भी फाइल पर लिखा है कि कानून के अनुसार कर दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं हनुमान प्रसादजी पहले यू. आई. टी. के सदस्य भी रहे हैं, मैं भी रहा हूं, तो किस तरह से आसपास की जमीनों को गरीबों की जमीन को कोड़ियों में खरीद कर लाखों का फायदा उठा रहे हैं। आज एक करोड़ रुपये का फायदा कप्तान और महेन्द्र छाबा उठा रहे हैं जिसकी आवाज अखबारों में उठती है लेकिन राज्य सरकार तस्करों को नहीं पकड़ सकती। पहाड़िया जी, अगर आप में दम है तो उनकी जमीनों को उनसे छीन कर राजस्थान की जनता को यू. आई. टी. के द्वारा प्लाट्स अलाट करवायें तो आवासीय समस्या सुलझ सकती है।

आपके यहां जयपुर में सीतारामपुरा बस्ती की सहकारी समितियों की समस्या आज तक लटकी हुई है। मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं उनको आपने भी 9 तारीख को बुलाया था, कच्ची बस्तियों को उजाड़ने की कहते हैं, 50 हजार का नुकसान किया। गरीब जिनको राष्ट्रपति द्वारा पट्टे दिये गए, आप उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूं 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे

(श्री मेघराज तावड़)

में, अध्यक्ष महोदय, एक तो यह कांग्रेस सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम की दुहाई देती है। जनता पार्टी के शासन में जनता-पार्टी अन्त्योदय योजना की दुहाई देती थी पर, सभापति महोदय, यह दोनो ही पार्टियां एक भी गरीब का भला करने वाली नहीं हैं। यह दोनों ही पार्टियां पूंजीवादी हैं। इन पार्टियों की नीति पूंजीवादी है। न तो यह कोई गरीब का भला करने वाली हैं और न ही यह समाजवाद लाने वाली हैं। सभापति महोदय, न ही इनसे गांधीवादी समाजवाद आ सकता है। पता नहीं पहाड़िया जी कौन सा गान्धीवाद लाने वाले हैं। अब अन्त में सभापति महोदय, मैं इस बजट की आखिरी बात पर आता हूं।

श्री सभापति : आप आखिरी आखिरी कह कर कितनी बार तो आखिरी बार कह चुके हैं।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, यह मेरा लास्ट पाइन्ट है। पहाड़ियाजी ने जो बजट में नया कर नहीं लगाया वह तो ठीक है लेकिन इन्होने हाथ चक्की को कर मुक्त करने की नयी बात की है। वैसे भी गांव की औरतें शहर से आटा ले आती हैं। लेकिन पहाड़ियाजी ने बहुत बड़ी बात की, राजस्थान नहर की जमीन को बेच कर के हम हमारे घाटे को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा पहाड़ियाजी ने कहा कि हम हमारी वसूली करके घाटा पूरा कर लेंगे। सभापति महोदय, यह वसूली किससे करेंगे ? क्या वसूली उन गरीब लोगों से करेंगे ? आप चाहे तो विधान सभा में सदस्यों को गुमराह कर सकते हैं यह कह कर कि हम गरीब लोगों से वसूली नहीं करेंगे। यह नहीं चलने वाली है हम अच्छी तरह जानते हैं, पहाड़ियाजी, आप अपने प्रशासन से कहेंगे कि वसूलियां की जायं। आप उन गरीबों से वसूली जबरन करेंगे। इसके अलावा आपने जो राजस्थान नहर की जमीन को बेचने और जो कृषि भूमि को बेचने की बात कही है उसके बारे में मैं आपको कह देना चाहता हूं, पहाड़ियाजी, आप उन लोगों की जमीन को नहीं बेच सकोगे जिस पर वह लोग बैठे हैं। किसान का बेटा अपनी मां को नहीं बेचने देगा। पहाड़ियाजी, आपके पहले सुखाड़ियाजी मुख्यमन्त्री थे उन्होंने भी एक बार जमीन बेचने की बात कही थी उन्होंने भी वह जमीन बेचने की कोशिश की थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत हो गया है। कृपया समाप्त करें। आर्डर, आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, मैं पहाड़ियाजी को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सुखाड़िया जी भी किसानों की मां को नीलाम नहीं कर सके तो किसान कभी भी अपनी मां को नीलाम नहीं होने देगा।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : किसान का बेटा अपनी मां को नहीं बेचने देगा अपनी मां को नीलाम नहीं होने देगा।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर,

(श्री सभापति)

आर्डर, आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर समाप्त करें। अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, आप बैठ जायें। यह क्या बात हुई आसन पैरों पर है। आर्डर। अब कांग्रेस (आई) की तरफ से शोभाराम जी बोलेंगे। इसके पहले माननीय सदस्य श्री भंवरलालजी शर्मा अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देंगे।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भंवरलाल शर्मा का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्टीकरण उस समय देना चाहता था जब कि सदन में यातायात मन्त्री जी बोलने वाले थे। तब आपने यह कहा था कि मन्त्री जी कल जो जो बिन्दू रखे गये थे उन सभी का जवाब देंगे। तो कल यहां पर लोगों ने आरोप लगाया था उनको × × × कहने की भी आवाज यहां आयी। उस समय मैंने उन्हें × × × नहीं कहा था। मैं इस समय यह कहना चाहता था कि क्या मन्त्री जी उन्हें जो × × × कहा गया था उसके लिये भी स्पष्टीकरण देंगे? आपने यहां शायद यह समझा कि मैंने × × × कहा था। वह मैंने नहीं कहा यह स्पष्टीकरण देना चाहता था पर पीछे से आवाज आयी थी कि × × × इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ कहना चाहता था पर आपने मुझे बोलने नहीं दिया। उस वक्त स्थिति ऐसी ही थी अगर आप उस वक्त मुझे बोलने की अनुमति दे देते, मेरी बात आप सुन लेते तो शायद मुझे अनुमति दे देते। इस संबंध में मेरा स्पष्टीकरण था।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री शोभाराम जी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री शोभाराम (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना तो नहीं चाहता था क्योंकि काफी कांग्रेस के माननीय सदस्य बोलने वाले हैं लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में मैं मुख्य मन्त्री जी से जवाब चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं कोआपरेटिव यानि सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज कोआपरेटिव का ढांचा है, आप मद्रास और महाराष्ट्र और इसके अलावा एक दो सूबे को छोड़ दीजिये बाकी सभी में सहकारिता का आन्दोलन बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। अभी इसमें हमारी सरकार को बहुत कुछ करना है। कोआपरेटिव के बारे में एक कमेटी बनी थी और उसमें मैं भी था। मैंने उस वक्त 25 कोआपरेटिव सैन्ट्रल बैंक्स का मुआयना किया उन 25 सैन्ट्रल बैंक्स में से 22-23 का मुआयना करने पर हमने यह पाया कि जो प्रॉफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट्स दिखाये जाते हैं उनमें प्रॉफिट दिखाया जाता है लेकिन वास्तव में शेयर होल्डर्स को कोई प्रॉफिट का डिविडेन्ड नहीं

(श्री शोभाराम)

मिलता है । जो प्रॉफिट एण्ड लॉस का अकाउन्ट जो बनाया जाता है वह गलत बनाया जाता है । जो बैलेन्स शीट बनती है कोआपरेटिव बैंक्स की वह गलत बनती है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि बैलेन्स शीट में असेट्स साइड में इन्ट्रेस्ट रिकवरेबल लिखते हैं और दूसरी तरफ लोन्स एण्ड एडवान्सेज की रकम भी शामिल कर लेते हैं जो पांच साल के आडिट से मिलान नहीं खाता ऐसी जो पांच साल से अधिक से वसूल नहीं हो रही है उसे बैलेन्स शीट में बैड एण्ड डाउटफुल डेट रिजर्व हैड में असेट्स साइड में दर्ज किया जाय ताकि लोगों को सहकारिता का सही चित्रण मालूम हो सके। अपेक्स बैंक राजस्थान का सबसे बड़ा कोआपरेटिव बैंक है और नीचे ग्राम सहकारी समितियां काम करती हैं उनके बारे में सरकार की तरफ से यह उल्लेख किया गया है कि इतने आदमी सहकारिता के आन्दोलन में शरीक हो गये हैं जबकि हमने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि प्रत्येक फेमिली में से एक ही आदमी शेयर होल्डर ग्राम सहकारी समिति का हो सकता है। अभी तक हमारे पास सरकार से कोई आंकड़े नहीं आये है कि सहकारिता आन्दोलन में शामिल होने वाले कितने बाकी हैं मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग में ज्यादा प्रगति की जाय; इसको ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाय। यह देखा जाय कि जो लोग बैंक अथवा सहकारिता समितियों में गड़बड़ी करते हैं उनकी देखभाल करें और जरूरत हो तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी करें।

हमने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सेवा के बारे में जो लिटचर है उसको पढा। उसको पढने के बाद यह पाया कि बहुत सी बसेज जो कि आम तौर से एक सप्ताह के अन्दर रिपेयर हो सकती हैं वह कई बार 535 दिन तक और कई बसें 525 दिन तक रिपेयर नहीं हुई और डिपो में ही पड़ी रहीं। कम से कम एक महीने के अन्दर डिपो में ठीक हो जायं तो उचित रहे। हमारी यह मान्यता है कि निगम की बसों को अगर अच्छी तरह से ठीक किया जाय तो 40 लाख रुपयों का फायदा निगम को हो सकता है। इसके अलावा आज जो राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति है उसमें मौजूदा हालत को देखते हुए 1300 करोड़ या 1400 करोड़ का डेफीसिट है। इस चीज को हम देखें। इस सन्दर्भ में एक बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के बाहर अमरीका की इन्टरनेशनल मानिटरी फण्ड की ब्रांच है उसकी एक सिस्टर ब्रांच वर्ल्ड बैंक है। उन्होंने 4 हजार करोड़ रुपया हिन्दुस्तान को यहां की तरक्की के लिए, यहां के प्लानिंग के लिए, यहां की सब चीजों के लिए डेफीसिट को पूरा करने के लिए दिया है लेकिन आज हम पोजिशन देखते हैं कि अब भी कम से कम 2500 करोड़ रुपया बाकी है। हम किस तरीके से उसका चुकारा करें। एक ओर तो हम डेफीसिट प्लानिंग करते हैं और दूसरी ओर हमारे कर्जे के व्याज, 100 करोड़ रुपया साल का आता है, चुकारा भी मुश्किल हो जाता है। यह दोनों एक दूसरे से विरोधी बातें नहीं चल सकतीं। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता चाहे विरोधी पक्ष के नेता हों चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों या हम लोग सब मिल कर राज-

(श्री शोभाराम)

स्थान की तरक्की में लगें। मैं शुरू-शुरू में जब एम. एल. ए. बना तो गांव में गया। उन्होंने कहा कि क्या करके आये? हमने कहा कि विकास का 1:25 पहले केपीटल रेश्यो था अब 1:20 केपीटल रेश्यो कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं सुनना हम तो सड़क चाहते है, हम बिजली चाहते हैं, हम रोजगार चाहते हैं, हमारे खेतों में पानी आये हम यह चाहते हैं। दरअसल हम बहुत सी बातों में ऐसे उलझ जाते हैं और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल शाम को 5 बजे तक इन तमाम बातों पर हम किस प्रकार से विचार करते रहे और जब हम विचार करते हैं तो हमारे विरोधी दल और सत्ता पक्ष के लोग हैं वह सब मिलकर सोचते हैं कि आखिरकार इस राजस्थान को हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है।

मैं जानना चाहूंगा अनएम्प्लायमेंट रेश्यो के क्या आंकड़े हैं? पहले 1:20 था अब कितना बढ़ गया और हम यह देखना चाहते हैं कि आर्थिक विषमता कितनी है जिसको हम इकानामिक डिस्पेरिटी बोलते हैं। तो हमें दोनों आंकड़े देखने से मालूम पड़ा कि मालदार ज्यादा मालदार बने हैं और गरीब ज्यादा गरीब बने हैं। यह दोनों प्रकार के आंकड़े हमारे सामने बोलते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर बहुत गहराई के साथ विचार करना चाहिए।

अब मैं ऐसी कुछ बातें कहना चाहता हूं जिसमें कि हमारी आमदनी किस प्रकार से बढ़े। हम समझते हैं कि आडिटर जनरल आफ इण्डिया की जो तीन-चार साल की रिपोर्ट है उसमें कम से कम 10 करोड़ रुपया बकाया बिक्री कर के थे। वह आज तक बकाया हो नहीं बल्कि दो तरीके से काम होते हैं कि बहुत से अधिकारियों से मिल कर अण्डर असेसमेन्ट करा लेते हैं। अगर अण्डर असेसमेन्ट की मैं परिभाषा करूं तो बहुत से कर हैं उनका अगर मैं जोड़ लगाऊं तो कम से कम 150–150 करोड़ का अण्डर असेसमेंट होकर हमारे राजस्थान को नुकसान हुआ है। हमको इन बिन्दुओं पर देखना है कि कहां जाकर हमने गलत काम किया, अण्डर असेसमेन्ट किया, ओवर असेसमेन्ट किया, लोगों को बेदखल किया। सब की सब यह चीजें हैं।

एक और बुनियादी बात मैं रखना चाहता हूं पता नहीं नेता महोदय और आप लोग देखें किस तरह से लेंगे कि हमारी ज्यादा पिटाई नीचे के स्तर पर गांव के स्तर पर होती है और मैं समझता हूं,

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सत्ता पक्ष के, दल के मुख्य सचेतक महोदय ने जो यह प्रस्ताव किया है कि आज सदन की कार्यवाही का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही 8 बजे तक के लिए बढ़ाई गई।

आय-व्ययक पर सामान्य

वाद-विवाद

श्री शोभाराम : हमारे माननीय नेता महोदय केन्द्रीय सरकार में वित्त मंत्रालय में बहुत दिनों तक रहे हैं और मैं समझता हूं कि जब हम पटवारी प्रणाली को हटाने की बात करते हैं तो हम हर किसान को तीन पास बुक देते हैं और वह बेचता है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का संशोधन होकर उसके जरिये से खरीददार के नाम पर चढ़ जानी चाहिए और मैं समझता हूं कि तीन पास बुक से काम चल जायगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि शहरों में या कस्बों में कभी खसरा टीप होती है हर साल कभी नहीं होती। मेरे पास ऐसे भी केसेज हैं। मैंने देखा कि पटवारी की गड़बड़ी के मामले जाते हैं कोर्ट में तो पटवारी की रिपोर्ट को एवीडेन्शियल वेल्यू मान कर फैसले होते हैं। वह मुकदमा हार जाता है। तीन प्राब्लम होगी। एक प्राब्लम तो वसूली की दूसरी प्राब्लम मैंने कहा कि हम जिस तरीके की हमारी सर्विसेज हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि सर्विसेज जो हमारे प्लानिंग के काम हैं उसमें योगदान देना चाहती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो कांफिडेंशियल रिपोर्ट लिखने के तरीके हैं वह बिलकुल गलत हो गए। गलत इसलिए हो गए कि अपने से बड़े की खुशामद की, एक बात यह भी है कि जो राज्य कर्मचारी अपने अधिकारियों की खुशामद कर लेते हैं उसकी कांफिडेन्शियल रिपोर्ट एक्सीलेन्ट लिख देते हैं। नतीजा क्या होता है कि वह जूनियर होते हुए भी कई सीनियर्स से ऊपर जाकर बैठ जाता है। इससे भी असन्तोष सर्विसेज में होता है।

कांफिडेन्शियल रिपोर्ट लिखने के लिए तथा और कुछ बिन्दुओं पर राय देने के लिए ग्राम कमेटी बैठाई थी जिसका मैं भी सदस्य था। हमने यह सुझाव पेश किया कि पर्सनल परफार्मेन्स के आधार पर उसकी कांफिडेन्शियल रिपोर्ट लिखी जाय यानि कि कितने दिन इन्वेस्टीगेशन में लगे कितनी अपीलें हुई जिसमें बहाल कितने हुए आदि सब बातों को उसकी पर्सनल परफार्मेन्स से देखा जाय और इस तरीके से किया जायगा तो मैं समझता हूं कि राज्य सेवा में काफी बड़ा सुधार हो जायगा और ईमानदार आफिसर्स को भी कोई असन्तोष नहीं रहेगा।

मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा और वह यह है कि आखिरकार राजस्थान के बनाने के लिए वह विरोधी पक्ष के हों या इस पक्ष के हों। मैं वितरण व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे यह मालूम हुआ है कि कलेक्टर अलवर ने सतर्कता समिति का निर्माण किया जिसमें वितरण व्यवस्था पर देख रेख करने का भी मसला तय होता है। मुझे यह जान कर बड़ा अफसोस हुआ कि जिन लोगों को वितरण संबधी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है ऐसे अधिकांश लोग लेकर कमेटी का निर्माण अलवर कलेक्टर ने किया। मैं समझता हूं कि नेता महोदय को यह चाहिए कि आफिशियल और नॉन-आफिशियल दोनों की मिली जुली

(श्री शोभाराम)

वितरण समिति अथवा विद्युत सम्बन्धी दूसरी कमेटी बनायें और ऐसे आदमियों को लें जो समझदार हों और जिनकी ईमानदारी में लोग शक नहीं करें। ऐसी कमेटी को नेता महोदय ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें ताकि हम देखते हैं कि 2.90 रुपये लीटर आज जो डीजल का भाव है वह ब्लैक मार्केट में 5 रुपया लीटर मिलता है।

अब एक बात और है एक बड़ी कमेटी, चाहे प्लानिंग कमेटी कहें, कुछ भी नाम दे दें जिसके अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर हों, एक महीने में अथवा तीन महीने में मीटिंग हो, तमाम समस्याओं पर विचार करने के लिये बैठायें। मैं समझता हूं सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों मिल कर विचार करें। अधिकारीगण मिलें और हम विचार करें कि एक महीने के अन्दर या तीन महीने के अन्दर हम कितना आगे बढ़े हैं, कितनी प्रगति की है और कितनी समस्यायें हैं जो हमारे सामने आई हैं उनका निराकरण करने के लिये वह कमेटी निर्णय ले। इसमें आफिशियल और नान आफिशियल दोनों बैठ कर विचार करें राजस्थान के हित में ज्यादा अच्छा होगा।

आखिरी बात कोलोनाइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। हम राजस्थान नहर का कार्य नहीं कर सकते क्योंकि भारत सरकार ने सहायता देना बन्द कर दिया है। हां दूसरी बात यह है कि लिफ्ट इर्रीगेशन जो हम बीकानेर तक लाये हैं उसका लाभ भी जल्दी से जल्दी किसानों को मिल सके, इस प्रकार से वहां के अधिकारियों को काम करना चाहिये। राजस्थान नहर के लिये भारत सरकार पैसे देने को तैयार नहीं है। जो काम दो साल में होने वाला था डेफीसिट प्लानिंग से कैसे पूरा करेंगे? हम पानी ले जाना चाहते थे जैसलमेर तक दो साल में, अब 10 साल में भी ले जाना मुश्किल होगा। उस इलाके को सरसब्ज करना चाहते थे। मैं समझता हूं सरकार, नेता महोदय इस राजस्थान केनाल को आगे बढ़ाने में किसी तरह योगदान करें, चाहे कर्जे के रूप में, चाहे सब्सिडी के रूप में भारत सरकार से ले सकते हैं। दो साल पहले एक प्रश्न उठा था। राजस्थान केनाल को राष्ट्रीय नहर बना दिया जाये और एक राजकीय नहर न बनाई जावे, लेकिन वह बात नहीं बनी। पता नहीं सैन्ट्रल गवर्नमेंट को क्या लगा। मैं तो यही चाहता हूं कि वहां जहां राजस्थान केनाल को बढ़ायें, दूसरी तरफ जो मुरब्बे हमने लोगों को आवंटित किये थे, राजस्थान केनाल के एरिया में बहुत से लोगों की तरफ जो मालदार किसान कहलाते हैं। लाखों रुपया बकाया है, उनकी वसूली करके अपने साधनों को बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूं कि एक मंत्री को विभाग सिर्फ इस बात का दिया जाय कि जितनी बकाया रकम है, चाहे वह सैल्सटैक्स का है चाहे अन्य विभाग की हो उसको वह वसूल करें और कम से कम समय में वसूल करें।

अब मैं किस प्रकार से राजस्थान की आय बढ़े इसके लिये एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो बड़े किसान हैं उन पर लैण्ड रेवेन्यू बढ़ा दिया जाय और भी कितने विभाग हैं जहां की बकाया रकम जो करोड़ों

(श्री शोभाराम)

की तादात में आती है उसको हम वसूल कर सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल कर सोचें। हम राजस्थान को किस प्रकार आगे बढ़ायें। मैं तो इतना भी कहने को तैयार हूं कि विरोधी पक्ष करों की बात करता है। राजस्थान का क्या नक्शा हो। किस तरह से पूरा करना चाहते हैं, वह नक्शा हमारे सामने पेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम बजट बनाते हैं, यह मान कर चलें एक दूसरे की आलोचना के लिये नहीं, एक दूसरे की मदद करने के लिये हम करना चाहते हैं। राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

एक बात और है, जब यह डिमाण्ड आयेगी, डिमाण्ड नहीं तो यहां पर हाउस में डिसकस जरूर हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन की अब तक कितनी स्कीमें बनाई गई। एक तिहाई रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन दिल्ली देता है और दो तिहाई रुपया स्टेट की गारन्टी पर चाहे यूको बैंक दे, चाहे स्टेट बैंक दे, उनके जरिये से फण्ड रिलीज किया जाता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार यह भी बताये कि आर ई. सी. में जो स्कीम तैयार हो गई वह कितने दिनों तक गांवों में पहुंचेगी और पूरे राजस्थान में पूरे गांवों में बिजली पहुंचाई जाय उसके लिये भी सरकार समय निर्धारित करे। एक बात और पैदावार को मण्डियों तक ले जाने के लिये सड़कों का होना जरूरी है। मेरे क्षेत्र में जो पहाड़ी इलाका है उसमें तीन रुपये मन के हिसाब से अनाज किसान अपनी गाड़ियों में ले जाकर अलवर की मण्डियों में ले जाता है जबकि अलवर से दिल्ली ले जाने में 8 आने प्रति मन के हिसाब से खर्चा लगता है। अन्त में एक बात और निवेदन करूंगा कि इस चीज को ध्यान में रख कर अगर बजट में कोई तरमीम करने की जरूरत हो तो तरमीम कर दी जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि कोई योजना भी हो जिससे हम राजस्थान को आगे बढ़ाने में सफल हो सकें। बस मैं इतना ही निवेदन करता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय....

श्री सभापति : सबको टाइम मिलेगा। माननीय सदस्य, बहुत सारे बोलने वाले हैं। अकार्डिंग टू रेंज टाइम दूंगा। आपको अवश्य टाइम दूंगा।

श्री मोहन लाल मोदी : मेरा दल विधान सभा में प्रगतिशील विधायक दल है। उस हिसाब से समय देना चाहिए। आप दूसरे दलों को अधिक समय देते हैं। मेरे दल का समय जो निर्धारित है उसमें से सिर्फ दस मिनट का समय दिया गया है।

श्री सभापति : आपका जो निर्धारित समय है वह मिलेगा। तशरीफ रखिये।

श्री मोहन लाल मोदी : विरोधी दल में हमारा दल नम्बर दो पर है। उसके हिसाब से समय देना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका कोई दल था ही नहीं। यहां आने के बाद बना है। यह दूसरे नम्बर का दल है। हम हमदर्दी रखते हैं, इनको समय जरूर मिलना चाहिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरा निवेदन है....

श्री सभापति : आप बैठ जाइये।

श्री गोपाल पचेरवाल : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने सूर्य कुमार को आवाज दे दी है ...

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : मान्यवर सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा में सन् 1981-82 के बजट पर सामान्य वाद-विवाद कर रहे हैं। मैं भी इस विवाद में अपने आपको शरीक करते हुए अपना अलग ही एक नजरिया जैसा मैं समझता हूं कि अब तक राजस्थान विधान सभा में नहीं आया है वह पेश करना चाहता हूं और जब मैं यह अर्ज करता हूं कि अलग ही नजरिया है तो मैं आपका ध्यान उस ओर खींचना चाहता हूं। जब सन् 77 में चुनाव हो रहे थे और श्रीमती इन्दिरा गांधी आसाम के आखिरी चुनाव के दौरे से वापस आ रहीं थीं तो उस हवाई जहाज में फ्रान्स के एक पत्रकार से उनकी भेंट वार्ता हुई। उन्होंने पूछा था कि आप क्या सोचती हैं, तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था क्षितिज के उस पार देखते हुए, मैं उन्हीं के शब्दों को रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था 'मैं यह सोच रही हूं और यह चिन्ता कर रही हूं कि जो कुछ हुआ है वह सब उलट-पुलट हो जायगा'' और आपने देखा कि देश की अर्थ व्यवस्था को नियंत्रण में करने के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो अन्न के भण्डार बनाये थे, इनफ्लेशन को रोकने के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो स्वर्ण एकत्रित किया था, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विदेशों से व्यापार अच्छी तरह से चलायें और अच्छा लाभ मिले, इसके लिये विदेशी मुद्रा अर्जित की थी, उन सबको जनता पार्टी ने कहीं, काम के बदले अनाज योजना, से और कहीं स्वर्ण विक्रय करके उसका दुरुपयोग कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया और देश की आर्थिक व्यवस्था को विवशता की जंजीरों में जकड़ दिया। जनता पार्टी ने और जनता पार्टी की सरकार ने पंगु आर्थिक नीति लुढ़कती, फिसलती योजना के नाम पर जर्जरित और जीर्ण क्षीर्ण आर्थिक ढांचा इस देश को भेंट किया और इस देश के जनमत ने जब यह देखा तो उस चक्कर को पहचाना, जिस चक्कर में एक किसान को कन्धे पर हल देकर बन्दी बनाया गया था। उस चक्कर को भी पहचाना और उसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में आस्था रखने वाले लाखों, करोड़ों हाथों के प्रतीक हाथ से उस चक्कर को मिटा दिया। श्रीमती इन्दिरा गांधी वापस सत्ता में आई और वह चक्कर जिसने किसान को बन्दी बना दिया था, आज चुनाव आयोग की फाइलों के सींखचों में बन्दी पड़ा है। लेकिन जब मैं यह कहता हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री सूर्य कुमार : सभापति महोदय, मैं विरोध पक्ष का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं, मेहरबानी करके जब आलोचना करें तो उस सरकार की गतिविधियों पर जिसकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, जो देश की नेता हैं, कांग्रेस की नेता हैं, सरकार की नेता हैं और जो वक्तनवक्त स्टेटमेंट देती आई हैं, कहती आई हैं और यथार्थ को पहचानती आई हैं, उस पर जरूर नजर रखें। जनता पार्टी ने और जनता पार्टी की सरकार ने सारी अर्थ व्यवस्था चौपट कर दी, और चलती गाड़ी को पटरी से उतार दिया। अब गाड़ी को पटरी पर लाने में वक्त लगेगा। मैं ज्यादा दूर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता हूं। मैं तो केवल 14 जनवरी, 81 के दिन जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रेस कान्फ्रेन्स बुलाई उसकी ओर ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था, हमने अर्थ व्यवस्था पर थोड़ा कन्ट्रोल किया है। नियंत्रण किया है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह काबू में नहीं आई है और साथ ही यह भी कहा था कि सन् 81 का वर्ष पूरे देश के लिये एक चुनौतियों का वर्ष है, देश की परीक्षा का वर्ष है और इन्हीं परिस्थितियों में हम देख रहे हैं; आसाम में अलगाव का अलख जल रहा है। आरक्षण की अत्यन्त भावुक आग देश में जल रही है, हम यह भी देख रहे हैं देश का किसान जो उत्पादन में जुटा हुआ है उसको उत्पादन के खेत से विध्वंस की सड़कों पर लाने की पूरे देश में अनेक प्रकार की साजिशें चल रही हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो कहा था, वह शत प्रतिशत सही है। इस सारे परिप्रेक्ष्य में ही इस बजट पर हमारी नजर देनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बजट तैयार करते वक्त और बजट पेश करते वक्त और बजट का भाषण देते वक्त हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो वित्त मंत्री जी भी हैं पूरा ध्यान रखा है और यथार्थता से अपने आपको दूर नहीं किया है। इसके साथ-साथ ही एक उज्जवल भविष्य की कामना की है और उज्जवल भविष्य की ओर भी संकेत किया है। मैं ज्यादा न कह कर केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैथली शरण गुप्त ने जो कहा है उन्हीं की पंक्तियों से अगर बजट भाषण की उन पंक्तियों को देखें तो हमें निश्चित रूप से पता लगेगा कि जो कुछ वित्त मंत्री जी ने कहा है वह गलत नहीं है। मैथलीशरण की पंक्तियों में यह लिखा है :

> बीती नहीं यद्यपि अभी तक है निराशा
> की निशा, है किन्तु आशा भी कि
> होगी दीप्त फिर प्राची दिशा।

और आप इस बजट के पैराग्राफ नं. 2 में इस बात का हवाला देख सकते हैं।

(व्यवधान)

इसके साथ ही विरोध पक्ष के लोग जो बीच-बीच में टोका-टाकी कर रहे हैं। मैं दिनकर जी की दो पंक्तियां भी विरोध पक्ष को सुनाना चाहता हूं, मेहरबानी करके

Page No. 144

(श्री सूर्य कुमार)

सुनें। मैं वह बात नहीं कह रहा हूं जो हमेशा विरोध पक्ष करने का आदी है। दिनकर जी ने कहा है—

"ओ बदनसीब, इस ज्वाला में आदर्श तुम्हारा जलता है,
समझायें कैसे तुम्हें कि भारतवर्ष तुम्हारा जलता है।"

विरोध पक्ष ने कहा बजट की कोई दिशा नहीं है, दिशा पता नहीं लगती, बजट एक धोखे की टट्टी है। तो मैं अर्ज करूं कि जिन्होंने देश के संक्रमण काल में अपनी आंखें खोलीं, संक्रमण काल न रात है न सुबह, न सुबह है न शाम। आंखें खुली हैं संक्रमण काल में। कल्पना कीजिये लेकिन उनके लिये कल्पना बेकार है, उनको दिशा दिखाई नहीं दे सकती है। मेरा निवेदन है आंखें खोलें और देश की दिशा को पहचानने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सभापति महोदय, उनको दिशा दिखाई नहीं दे सकती है। एलेक्जेण्डर पोप ने कहा "While from the bounded level of our mind, Short views we take nor see the lengths behind," उनकी निगाह केवल जाती है तो अपने सामने बैठने वाले ट्रेजरी बैन्चेज के लोगों पर या उनकी निगाहें जाती हैं तो केवल व्यक्तिगत कृत्यों पर। ट्रेजरी बैन्चेज पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके पीछे कुर्बानी का क्या इतिहास छिपा हुआ है, विकास का इतिहास छिपा हुआ है। वे अगर उस पर सोचना चाहें तो मेहरबानी करके सोचें तो सही। अंग्रेजी में एक कहावत है "Rolling stone gathers no moss."

आपने कहा रोलिंग प्लान और देखना चाहेंगे दिशा तो कहां पायेंगे। आप देखना चाहते हैं दिशा, तो मेरा निवेदन है कि रोलिंग प्लान में विश्वास करने वालों का न ओर है न छोर गोल-मटोल है। जहां से शुरू करेंगे वहीं आकर टिकेंगे, लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, संस्कृत के एक कवि ने कहा है,

"उद्यति दिशि यस्या भानुमान् सर्वं पूर्वा
न हि तरणिरुदिते दिक् पराधीन वृत्ति।"

आप अगर देखना चाहें कि सूरज पूरब की दिशा से बंधा हुआ है, तो नहीं। पूरब सूरज के उगने से माना जाता है, दिशा बंधी हुई है, सूरज नहीं। मैं इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अगर दिशा देखनी है तो देखें, आने वाला वर्ष आपको बतायेगा। हमने कहा हमने कन्ट्रोल किया है, जो देश में विषम परिस्थितियां चल रही थीं उन पर कन्ट्रोल किया है। हमारी प्रगति का सूरज उगेगा तो आप देखेंगे कि वह दिशा कौनसी होगी, वह दिशा हमारी ही होगी और यदि फिर भी दिशा के बारे में जानना ही चाहते हैं और इसी बजट में टटोलना चाहते हैं तो आप बजट के छठे पैराग्राफ को देखें जिसमें महात्मा गांधी ने कहा आत्म-निर्भर परिवार, आत्म-निर्भर समाज, आत्म-निर्भर गांव और आत्म-निर्भर देश। यह महात्मा गांधी ने कहा है। बजट के पैराग्राफ में आपको इसका उल्लेख मिलेगा। यदि छठी पंचवर्षीय योजना पर

(श्री सूर्य कुमार)

दृष्टि डालेंगे तो आत्म-निर्भर परिवार, आत्म-निर्भर गांव और आत्म-निर्भर देश की बात उन्होंने कही है और जब मैं यह कहता हूं कि यह दिशा है तो उसके लिये यह भी कहता हूं जो दिनकर जी ने कहा है

"छिलके उठते जा रहे
नया अंकुर मुख दिखलाने को है,
वह जीर्ण तनोवा सिमट रहा,
आकाश नया आने को है।"

विरोध पक्ष की यह भी दलील रही, सभापति महोदय....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कविता की पंक्तियां छायावादी नजर आ रही हैं।

श्री सूर्य कुमार : मुझे माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी की समझ से बिहारी का एक दोहा याद आता है। आपने छायावाद बताया, इसलिए बिहारी ने दोहे में कहा,

"करे आचमन फुलेल को मीठो कहत
सराहि, रे गंधी ! मति अंध तू इतर
दिखावत काहि।"

मैं अर्ज कर रहा था कि विरोध पक्ष ने यह भी तर्क दिया है कि 31 मार्च सन् 81 को समाप्त होने वाले बजट वर्ष में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की कोई उपलब्धियां नहीं हैं। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं उलझना चाहता हूं, न इस विधान सभा सदन को उलझाना चाहता हूं। आंकड़े अपने स्थान पर, अपने आप हैं। लेकिन मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, संकेत और वह भी आपके सामने दिनकर जी की पंक्तियों से ही कहना चाहता हूं। जो कांटे, जो रोड़े इस कांग्रेस शासन के लिए, आने वाले शासन के लिये आपके जाने के बाद बिछाये, उस पर चलते-चलते सरकार के इस संगठन के पांव लहु-लुहान हो चुके हैं। आपको पता नहीं है, इस बात का। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने और संगठन ने जिस प्रकार से Slow and study wins the race. अपने सधे हुए कदमों को उन पर रखा है, उसी की बात कहता हूं। दो पंक्तियों में कहता हूं,

"चिंगारी बन गयी लहू की बूंद गिरी
जो पग से,
चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह
जगमग से।"

क्या उपलब्धियां रहीं, क्या उपलब्धियां नहीं रहीं। इन दो पंक्तियों से अपनी उस बात को अपने भाषण में कहा है। इसके साथ-साथ मैं कुछ बात मद्य निषेध नीति के बारे में भी अर्ज करना चाहूंगा। मद्य-निषेध नीति के बारे में मेरा अपना खयाल है। विवेकीकरण की बात उसमें कही गयी है। मैं नहीं समझता विवेकीकरण से क्या तात्पर्य है। मैं केवल अपनी भावना यहां यह व्यक्त कर देना चाहता हूं कि, कहीं ऐसा न हो कि राजस्थान की यह सरकार, महात्मा गांधी की आत्मा के सामने सवाल खड़ा कर

(श्री सूर्य कुमार)

दे । क्या यह गांधी की कांग्रेस सरकार की इच्छा थी कि मद्य-निषेध नीति को, उसको खोल कर रख दिया जाय ? केवल एक प्रश्न कर देना चाहता हूं, मेरी इस भावना का खयाल रखा जाय । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बजट रेरा के अन्त में हमारे सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस राजस्थान के निर्माण के लिए, राजस्थान की प्रगति के लिए, राजस्थान की ओर विधान सभा के सदस्यों का आव्हान किया है, उसके पीछे केवल एक औपचारिकता नहीं है । मेहरबानी करके समझें । हम यहां एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आये हैं, जनता से और यहां हमारे आने का कुछ मकसद है और हम उस मकसद को समझें और कवि पन्त की उन पंक्तियों को जरूर समझें, जिनमें कहा गया है,

"इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं,
इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं,
इसमें मानव की ममता के दाने बोने हैं,
जिससे उगल सकें फिर धूल सुनहरी
फसलें ।"

एक माननीय सदस्य : बेचारे पन्त को भी पता नहीं था कि हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी भी मंत्री बनेंगे ।

श्री सूर्य कुमार : मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ यह अर्ज करते हुए, यह विश्वास व्यक्त करते हुए जिस सूझ-बूझ से, जिस खूबी से, जिस कुशलता से राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, अर्थ व्यवस्था को कन्ट्रोल में करने की कोशिश की है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ विश्वास करता हूं कि राजस्थान को, राजस्थान राज्य को वह प्रगति के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर ले जायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री मोहन लाल मोदी । आपकी पार्टी को केवल 10 मिनट का समय दिया हुआ है ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): कैसे दिया हुआ है ?

श्री सभापति : मैं नहीं जानता, कैसे दिया हुआ है, अध्यक्ष महोदय ने बताया है ।

श्री मोहनलाल मोदी : खैर, वह तो मैं ले लूंगा जितना भी । सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो वित्त मंत्री भी हैं, यह राजस्थान का 81-82 का बजट प्रस्तुत किया है । बजट में कोई टैक्स नहीं लगाये गये, यह तो स्वागत योग्य है लेकिन इन्होने बजट में 23 पेज पर जो लिखा है, वह कुछ संदेह पैदा करता है । इन्होंने कहा है कि, पूरा तो नहीं पढ़ रहा :

"अतः अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करना आवश्यक है । इसके बावजूद मैं, फिलहाल कोई अतिरिक्त करारोपण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।"

यानि फिलहाल नहीं कर रहा हूं । ये फिलहाल शब्द जो है, वह एक शंका पैदा करता है और वह क्या आशंका पैदा करता है ? जैसे जनता सरकार ने आर्डिनेन्स के जरिये से विधान सभा का सत्र बुला लिया,

(श्री मोहनलाल मोदी)

उसका नोटिस जारी कर दिया और उसके बाद एक पर्सेन्ट सेल्स-टैक्स उन्होंने ग्राडिनेन्स के जरिये बढ़ा दिया, तो मैं शंका पैदा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, यह कोई आडिनेन्स के जरिये तो टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं और टैक्स तो लगाना पड़ेगा। 95 करोड़ 57 लाख रुपये का घाटा है और उस घाटे की पूर्ति किस तरह से पूरी करना चाहते हैं, उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि,

"उसकी पूर्ति राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि खण्डों के विक्रय को अधिक गतिशील बनाकर, शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन करने से होने वाली आय और बकाया राजस्व की वसूली एवं केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले करों के अंश में संभावित वृद्धि से पूरा किया जायगा।"

अब आप यह देखिये कि यह जो इसमें भाषण दिया गया है यह सारी भावनायें संभ्रमित व्यक्त की गयी हैं। कहीं भी किसी भी जगह का बजट देखेंगे। यह बजट है, यह इस तरह की बात नहीं है कि हमको आशाओं पर केन्द्रित कर दिया जाय। यह बेच लेंगे, वह बेच लेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जरा से इस संकेत से यह जयपुर शहर बिक गया। इसके आसपास की सारी जमीनों का रातों रात एग्रीमेन्ट हो गये। आप देखिये, एक इंच जमीन को नहीं छोड़ा है। आपके जरा से उस संकेत की वजह से। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से घाटा है? वह पूरा होने वाला नहीं है। आपने एक और इशारा दिया है, इसके अन्दर उससे आपका घाटा पूरा हो सकता है। मैं मानता हूं कि आपने जो शराबबन्दी हटाने के बारे में थोड़ा सा संकेत दिया है,

"राज्य में एक अप्रैल, 1980 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है परन्तु इस बीच अवैध शराब के बनाने और उसके उपयोग की शिकायतें आती रही हैं। अतः मद्य निषेध नीति के विवेकीकरण हेतु उपाय सोचे जायेंगे।"

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हिम्मत के साथ इस बजट सत्र के अन्दर ही इसकी घोषणा कर दीजिए। मैं तो इसका खुद पक्षपाती हूं कि एक तरफ आपने शराब बन्दी कर दी। शराब बन्द हुई नहीं। शराब उससे दुगनी बिक रही है। दुगने लोग शराब पी रहे हैं और राजस्थान की सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसको आप बाद में करना चाहते हैं, उसको विधान सभा के सत्र में, इन सारे माननीय सदस्यों को विश्वास में लेकर करिये। जो भी कोई आप टैक्स लगाना चाहें, उसको और मद्यनिषेध की नीति को आप इसमें स्पष्ट करिये ताकि हम लोग जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, उनको भी इस बात का सन्तोष हो। आपने अपने को इस बजट भाषण में सेन्ट्रल की सहायता के ऊपर भी आधारित किया है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं,

(श्री मोहनलाल मोदी)

सभापति महोदय, राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से 80-81 के अन्दर 190.05 करोड़ की केन्द्रीय सहायता मिली। जो 81-82 में 96.02 रह गई। ये आपने इसमें दर्शाया है यानि 94 करोड़ की पिछले वर्ष से इस वर्ष आपको केन्द्रीय सहायता कम मिल रही है। लोन के अन्दर भी आपके इस बजट के अन्दर लिखा है कि पिछले वर्ष आपको 192.05 करोड़ रुपया लोन में मिला था। और इस वर्ष आपको 135.45 है तो इसमें भी कमी हो गई। इसमें भी आपको सहायता कम मिली और लोन में भी कमी हो गई। केन्द्रीय योजना हेतु 80-81 में 78,86,65,000/– रुपया आपको केन्द्रीय सहायता मिली और 81-82 में वह 41,78,13,000/- रुपया है यानि इसमें 37 करोड़ रुपयों की तो कमी यहां पर भी आ गई। आयोजना भिन्न अनुदान के अन्दर 80-81 में 63,26,16,000/- आपको मिला और अब 17,55,55,000/– रुपये को आपने दर्शाया है। तो यहां भी कमी हो गई। राज्य क्षेत्रीय योजना में 47 करोड़ 96 लाख रुपया आपको मिला था जिसकी जगह अब 36 करोड़ 66 लाख रुपया हो गया। कुल मिला कर सौ करोड़ रुपयों की आपको इस अनुदान में केन्द्रीय सहायता में कमी आ गई। लोन में कमी आ गई। तो यह सारी की सारी कमी रही हैं आपने कई बार कहा है कि मैं राजस्थान का विकास करूंगा और हम भी मानते हैं कि पहाड़िया जी के हाथों राजस्थान का विकास होना चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आता कि यह विकास किस प्रकार हो रहा है या होगा राजस्थान में। क्या आप आठ सौ की जगह चार सौ स्कूल खोलेंगे। आठ सौ स्कूल पिछले साल खुले और अगले साल चार सौ खुलेंगे। यही विकास है? पहले दो सौ स्कूल्स को क्रमोन्नत किया, अगले साल सौ का नम्बर आएगा। मैं समझता हूं कि अगले साल जाकर यह जीरो पर आ जाएगा। आपने पिछले वर्ष सौ चिकित्सालय खोले और अब 35 पर आ गए। क्या राजस्थान का विकास इसी तरह से करने का सोच रहे हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप अपने प्रभाव को काम में लीजिए और पिछले वर्ष जिस तरीके से अनुदान मिला, लोन मिला उसको लेकर के आप आइये और उसको लेकर के राजस्थान के विकास को बढ़ाइये। आप देखिये, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण कार्य के अन्दर आपने पिछले वर्ष 140.22 करोड़ रुपया रखा और अब इस वर्ष 104.45 करोड़ रुपया आपने रखा है। यह बजट आप देखिये आपने किसी मद में कमी नहीं की। लेकिन हमारी यह सरकार जो किसानों की हितैषी सरकार है, उस सरकार के लिए मैं थोड़ा निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने कृषि जैसे कार्य के अन्दर 140 करोड़ की बजाय 104 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस पर दुबारा विचार कीजिए, इनको ध्यान से देखिये कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए कृषि तो एक सबसे बड़ा माध्यम है। अभी कृषि के लिए बिजली का आपने कहा कि बीस हजार कुओं को बिजली दे रहे हैं। एक तरफ आप बीस

(श्री मोहनलाल मोदी)

हजार कुओं को बिजली देने की बात करते रहे हैं लेकिन वहां आप देखिये कि मौके पर न कोई तार है, न कोई सामान है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसके अन्दर आप किसी तरह से थोड़ा प्रयत्न कीजिए। और साधन जुटाये बिना तो राजस्थान की उन्नति होनी नहीं, विकास होना नहीं। साधन जुटाने पड़ेंगे। अब टैक्सों की गुंजाइश तो है नहीं कि आप टैक्स लगायें लेकिन जो भी कार्य करना चाहें आप यहीं पर घोषित करें जिससे हम तसल्ली कर सकें।

मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूं। एक तरफ आप किसानों को बिजली नहीं दे सकते, किसानों को बिजली देने को तैयार नहीं हैं। जो राष्ट्रीय संस्थान हैं, हिन्दुस्तान कॉपर को आप बिजली नहीं दे सकते और 16 फरवरी को राजस्थान सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन निकला है उसके अन्दर लिखा है कि सूती कपड़े को निरन्तर उद्योग मान कर उसको बिजली दी जाय। मैं आपसे कहना चाहता हूं किसानों को बिजली देने की बजाय इन सूती उद्योगों को आप बिजली दें और यह सब लोगों के सामने चीज आये तो सब के दिमाग में एक ही बात आएगी कि कोई न कोई बहुत बड़ा घपला हुआ है इसके अन्दर। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि ऐसी जो रियायतें देते हैं उसको आप बन्द करें और इन किसानों को बिजली दीजिए, छोटे उद्योगों को बिजली दीजिए। कोई माइन्स पर आधारित उद्योग हों उनको बिजली दीजिए ताकि प्रोडक्शन बढ़े, देश की उन्नति हो।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, सभापति महोदय, कि शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि तो मिलने वाली नहीं है। आप नहरी जमीन को बेचने की बात करते हैं उसमें अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि खून खच्चर हो जायेंगे। किसान का बेटा अपनी जमीन दूसरे को लेने नहीं देगा। आप किस तरह से घाटे को पूरा करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसके लिए आप अधिक से अधिक दिल्ली में अपने प्रभाव का प्रयोग करें और उस प्रभाव से आप राजस्थान के लिए पिछले वर्ष जो रुपया मिला उससे अधिक रुपया लायेंगे तो राजस्थान का थोड़ा सा विकास हो जाएगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है और यह 15-20 दिन का समय है जिसमें काश्तकार बिजली चाहता है। आप उसके लिए कल कुछ कह रहे थे, बिजली के बारे में कुछ घोषणा करना चाह रहे थे, कल सुन नहीं पाया मैं, कोई घोषणा नहीं हुई लेकिन मैं चाहता हूं कि बिजली के बारे में किसानों के लिए बहुत उपयुक्त घोषणा करेंगे जिससे कि किसानों को राहत मिल सके।

मैं एक बात और निवेदन करना चाह रहा हूं कि आरक्षण विरोधी जो आन्दोलन

(श्री मोहनलाल मोदी)

गुजरात में चल रहा है पहाड़िया जी, नीमकाथाना में पहले भी चला था आरक्षण विरोधी आन्दोलन। उसमें गोलियां चलीं। तीन निर्दोष लोग मारे गए और आज वहां एक कॉलिज में छात्र संघ के जो चुनाव थे उसको लेकर वहां इस प्रकार का तनाव हो रहा है। मैं आपको पहले से आग्रह करना चाहता हूं कि उसको बहुत ही अक्लमन्दी से सुलझायें। किसी उच्चाधिकारी को भेज कर वहां जांच करवायें ताकि उन छात्रों के अन्दर सन्तोष पैदा हो। नहीं तो, मैं समझता हूं कि सबसे पहले वहीं से शुरू होने वाली चीज है जिस पर आप बहुत बड़ी गंभीरता से सोचें और सोच कर इसका प्रबन्ध करें।

एक बात और थोड़ी सी कहना चाह रहा हूं कि आज किसी बिजनेसमैन के पास कोई पैसा देने वाला आता है तो उसको बड़ी इज्जत से बैठाते हैं उससे इज्जत से पैसा लेते हैं लेकिन आज आपके यहां जो राजस्थान सरकार को किसी को पैसा देना हो, सैल्स टैक्स जमा करना हो, इन्कम टैक्स जमा कराना हो, रायल्टी जमा करानी हो या रोड टैक्स, पैसजर टैक्स, कोई भी टैक्स जमा कराना हो तो आपकी ट्रेजरी खाली एक स्टेट बैंक है और उस स्टेट बैंक की दो शाखायें हैं। एक आपके चौड़ा रास्ते में और एक कलैक्ट्री में। यानि छः छः घंटे चार घण्टे आपको पैसा देने के लिए, आने वाले आदमी को खड़ा रहना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि इस तरफ भी आप ध्यान दीजिए। जो पैसा देने वाला है उसका पूरा प्रबन्ध कीजिए जिससे वह चार चार घण्टे लाइन में खड़ा नहीं रहे। मैं समझता हूं कि....

(समय-समाप्ति—सूचक घण्टी)

यह ठीक नहीं है। इसमें थोड़ा सुधार कीजिए। विशेष टाइम नहीं ले करके बराबर सभापति महोदय, घण्टी बजा रहे हैं, तो मैं निवेदन यही करने जा रहा हूं कि आप अधिक से अधिक भारत सरकार से पैसा ला करके और न न टैक्स रेवेन्यू बढ़ा कर उसका इन्तजाम करिये दूसरा थोड़ा-सा उन लोगों के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि लोगों को उनकी जरूरत की चीजें हैं, वह उनको मुहैय्या हो, सही ढंग से मिलें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री जनार्दनसिंह जी गहलोत।

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने जो 81-82 का बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है निश्चित तौर से राजस्थान की जिस प्रकार की अर्थ व्यवस्था बनी हुई है, भारत में जिस प्रकार पिछली सरकार ने आर्थिक ढांचे को बिगाड़ दिया था उन परिस्थितियों में जिस प्रकार का अभी बजट पेश किया है वह स्वागत योग्य है। खास तौर से यह कहा जायतो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान के अन्दर 28 महीनों के जनता पार्टी शासन ने जिस प्रकार की हालत राजस्थान के अन्दर बनाई। वह प्रशंसनीय है जब राजस्थान के अन्दर कांग्रेस का राज बना, राजस्थान के अन्दर आर्थिक हालत जिस

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

प्रकार की थी शायद माननीय सदस्य सभी इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार घाटे के अन्दर सरकार चल रही हो और जब भारत सरकार का रिजर्व बैंक का ओवर ड्राफ्ट राजस्थान के सिर पर हो उस वक्त राजस्थान के विकास के अन्दर किस तरह से रुक वट आ सकती है इस बात को सभी सदस्य भली-भांति जानते हैं।

इसको सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से, भली-भांति जानते हैं। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने जिस दृष्टि से यह बजट पेश किया है, यह कहा जा सकता है कि हमें इस बात से संतोष है कि उन्होंने विकास की कड़ी के अन्दर पिछले वर्ष में भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी और इस बार भी जिस प्रकार की मंशायें जाहिर की हैं, जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं, राजस्थान के गांव-गांव और तहसील के अन्दर हम इस बात के लिये सक्षम हो ही जायेंगे। जिस प्रकार से पानी के अभाव में राजस्थान के अन्दर त्राहि-त्राहि मच रही है, जहां पानी की सबसे ज्यादा कमी है, राजस्थान की सरकार ने उस ओर विशेष तौर से ध्यान दिया है। खास तौर से हमारे माननीय सदस्यों ने कई बार, आज जब रैली का प्रश्न इस सदन में आ रहा था, बारबार वही किसानों की बात के बारे में जिक्र करते थे कि कांग्रेस के इस बजट के अन्दर कुछ भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं विरोधी दल के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। छठी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने सभी प्रान्तों के अन्दर और खास तौर से राजस्थान के अन्दर जिन मुद्दों को उठाया है, जिनको प्लान के अन्दर जोड़ा है, यह सही मायने में अगर यह कहा जाय कि सारी छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने राजस्थान के किसानों के लिये अंकित किया है। हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 16 तारीख को हुई किसान रैली के अन्दर भी इस बात की घोषणा की थी कि हिन्दुस्तान के बजट प्रावधान में छठी पंचवर्षीय योजना के बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा हिन्दुस्तान के किसानों के ऊपर उनको ऊंचा उठाने के ऊपर लगाया जायगा। इससे बड़ी उपलब्धि कांग्रेस, अपोजिशन के लोग और राजस्थान की जनता सोच नहीं सकती है। 25 प्रतिशत छठी पंचवर्षीय योजना में किसानों के लिये, जिस प्रकार की बात रखी, मैं सोचता हूं, मेरे खयाल से वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंदिरा जी ने जब सत्ता संभाली थी, जनता पार्टी सही बात यह है कि जब सत्ता में थी, चाहे वह सीमेंट का मामला हो, चाहे वह चीनी का मामला हो, चाहे वह लोहे का मामला हो, इन सारे मामलों के अन्दर, इनके अगर विस्तार में जाऊंगा तो बहुत लम्बी बात हो जायगी, सारी निराशा की दृष्टि इन स्थितियों के अन्दर हिन्दुस्तान के अन्दर पैदा कर दी। उनको संभालने में, इंदिरा जी, हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अपने अपने और प्रान्तों की कांग्रेस सरकार उसके अन्दर हिस्सा दे रही है, उन कामों को आगे बढ़ने में तत्परता बरत रही है।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

जहां तक राजस्थान के अन्दर अकाल का बहुत बड़ा हिस्सा जो इस वर्ष ही नहीं बल्कि यह कहा जाय कि कई वर्षों से राजस्थान के अन्दर भीषण अकाल चल रहा है, स्थिति में जहां राजस्थान के 26 जिलों के 21,365 गांव अकाल के अन्दर आ गये हैं, उन सारी अकाल की स्थितियों को ठीक करने के लिये, आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ समय तो निश्चित तौर से लगता था, राजस्थान सरकार के सामने कठिनाइयां पैदा हुई हैं, लेकिन सन्तोष किया जा सकता है कि राजस्थान में की अकाल की स्थितियों को संभालने में काफी तत्परता बरती जा रही है। उसमें और भी, मैं सोचता हू मुख्य मंत्री जी ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिये आगे कदम उठाने वाले हैं। खास कर जहां तक अकाल का जिक्र करता हूं, वहां मुख्य मन्त्री जी से यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि कुछ जगह जो राजस्थान के सभी जिलों को जोड़ा है, सवाई माधोपुर की ओर विशेष तौर से ध्यान देंगे। क्योंकि उनका खुद का भी जिला रहा है और मेरे से ज्यादा इस बारे में जानकारी है। मैं सोचता हूं कि अकाल की जिस प्रकार की भीषण परिस्थितियों के अन्दर राजस्थान के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, उनको कुछ संतोष, राहत मिली है। और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूं कि अधिक स्थितियों से निबट पायेंगे। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट के प्रावधानों में जो किसानों से सम्बन्धित एक दूसरी बात जुड़ी हुयी है, हमारे राजस्थान के विद्युतीकरण का मामला है। आज बिजली का अभाव राजस्थान में काफी समय से है, उसका मुख्य कारण परमाणु विद्युत केन्द्र का बार बार खराब हो जाना महत्वपूर्ण कारण रहा है। उसको ठीक करने के लिये काफी प्रयत्न किये गये हैं लेकिन उसकी आल्टरनेटिव व्यवस्था के लिए भी राजस्थान को निश्चित तौर से कोई योजना बनानी पड़ेगी ताकि आगे आने वाले समय में इस संकट का मुस्तैदी से मुकाबला कर सकें। तब मैं समझता हूं हमारी बिजली की समस्या का स्थायी हल निकल सकता है। जहां तक बजट में 81-82 में 117.12 करोड़ का रखा है, उसमें विशेष तौर से जो राजस्थान के कुओं के अन्दर बिजली, पिछले वर्ष 19 हजार कुओं को बिजली उपलब्ध करायी, लेकिन मैं सोचता हूं इस वर्ष अधिक निर्धारण करें तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को बिजली मिल पायेगी। लेकिन खास तौर से माननीय मुख्य मन्त्री जी आप से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो विद्युतीकरण की योजनाएं बनती हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं जो राजस्थान सरकार हाथ में ले रही है. हमारा उनसे निवेदन है कि चाहे राजस्थान का कोई भी हिस्सा हो, राजस्थान की कोई भी तहसील हो, राजस्थान का कोई भी जिला हो, लेकिन जिस जिले के अन्दर बिजली की बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में कमी है। उसका प्रतिशत आप राजस्थान सरकार के आंकड़ों के आधार पर निकलवाइये कौनसी तहसील में ज्यादा बिजली गयी है, कौनसे जिले में ज्यादा बिजली गयी है, उसके अनुपात में जो जिले उससे वंचित रह गये हैं, उनको आप ज्यादा प्राथमिकता देंगे। मैं समझता हूं अगर वह प्राथमिकता देंगे तो

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

खास तौर से मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, करौली से वहां पांच प्रतिशत बिजली नहीं मिलती है। हम दूसरी जगह देखते हैं वहां बिजली का प्रतिशत ज्यादा है, बिजली की बहुत अधिक मात्रा है। कमाण्ड एरिया जो है वहीं आज तक लोगों ने बिजली की शक्ल नहीं देखी। लोग बिजली के फ्यूज बल्ब जब गांव में हम जाते हैं, तो स्वागत द्वारों पर वह बल्ब लगाते हैं कि हम बिजली की कल्पना करके बैठे हैं। मैं सोचता हूं, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सवाई माधोपुर जो काफी बैकवर्ड एरिया है उन तहसीलों की ओर विशेष ध्यान दें, जिनमें बिजली की कमी रही है।

खास कर मुख्य मंत्री जी आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत छोटा पांचना का प्रोजेक्ट करौली में है। यदि आप उसकी रिसर्च करायें और जानकारी करायें तो पांचना से पांच मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। आपके अधिकारी लोग देख आये हैं और मैं सोचता हूं कि योजना को क्रियान्विति करें तो पांच मेगावाट बिजली पांचना में पैदा की जा सकती है। इसी प्रकार से जो भी बांध राजस्थान के किसी भी कोने में हो, अगर बिजली बनाने की दृष्टि से इस प्रकार की योजना को महत्व दें तो मैं समझता हूं बिजली का कार्य पूरा हो सकता है।

सिंचाई के अन्दर भी राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अपने बजट में जिस प्रकार काफी बड़ा हिस्सा राजस्थान नहर के ऊपर और छोटी योजनाओं के अन्दर भी महत्व देने का जिक्र किया है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से जुड़ा हुआ होने के नाते, जहां एक तरफ से हम निकलते हों अलवर चाहे हम झुंझुनूं से निकलते हों चाहे गंगानगर से निकलते हों हरियाणा और पंजाब के मुकाबले के अन्दर हमारी इस विस्तृत-योजना में भी सिंचाई की कमी है। उसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल विस्तृत है। हम कैसे मुकाबला करें हरियाणा और केरला से, केरला हमारी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का एक बराबर अनुपात है। एक डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में प्रदेशों का क्षेत्रफल है। आज बाड़मेर का क्षेत्रफल आंके तो केरल स्टेट से ज्यादा बड़ा बाड़मेर जिला हो सकता है पंजाब और हरियाणा छोटे छोटे प्रान्त हैं उस सारे पंजाब में विकास की गति तेज चल रही है लेकिन राजस्थान में उनके मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें रेवेन्यू की दृष्टि से भी सक्षम बनना पड़ेगा। क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल होने के नाते सारी समस्याओं का निदान नहीं हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ राजस्थान नहर को प्राथमिकता दें तो मैं समझता हूं कि काफी वर्षों से यह योजना चल रही है। बल्कि विकास की योजना है, भारत सरकार से तो हमें मांग करनी पड़ेगी कि इसको राजस्थान स्तर की योजना न मान कर भारत सरकार की योजना में इसको ले लें तो राजस्थान नहर का निर्माण जल्दी हो सकता है। भारत सरकार अपने हाथ में लेकर क्रियान्वित करे और राजस्थान सरकार पहल करने के लिये, प्रार्थना करे तो इसका हल जल्दी निकल सकता है। माननीय

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

मुख्य मंत्री जी सिंचाई की बहुत बड़ी योजना राजस्थान में चल रही है। मैं अपने विधान सभाई क्षेत्र की बात कहे बगैर नहीं रह सकता। जहां चोमुन्दा योजना भारत सरकार को स्वीकृति के लिये चली गई, लेकिन उसको पुनर्जीवित नहीं किया गया। सही रूप में क्रियान्वित नहीं किया गया तो मैं समझता हूं पिछली सरकार ने जो योजना भेजी है वह अधूरी थी। सवाई माधोपुर जिले के किसानों को जो फायदा होना चाहिए वह नहीं होगा। इसलिये खास तौर से जल प्रदाय योजना को व चोमुन्दा के बांध का प्राथमिकता के आधार पर नये ढंग से योजना का सर्वे करा कर, प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे? तो मैं सोचता हूं कि सवाई माधोपुर जिले का विकास हो पायेगा। मुख्य मंत्री महोदय ने समाज कल्याण विभाग में भी इस वर्ष 40-45 करोड़ का प्रावधान राजस्थान के अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों का रखा है और कंसोलिडेट प्लान में भी इस बात को साफ तौर से जाहिर करके साबित किया है कि आज राजस्थान में सबसे गरीब, कमजोर और गिरे हुए समाज के लोग हैं। नीचे स्तर के हैं, उनको ऊंचा उठाने के लिए कंपोनेंट प्लान के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान किया है। मैं सोचता हूं कि इस अवसर पर आपको यह कहने का मौका नहीं मिल सकता कि हमारी दूसरी जातियों के जो पिछड़े हुए लोग हैं जो कि खास-तौर से बराबर आवाज उठा रहे हैं। हम उनके पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार का माहौल ही पैदा नहीं हो पाता। कुछ विरोधी दल के लोग इस प्रकार का वातावरण बना देते हैं? लेकिन आज राजस्थान के मंत्रिमण्डल में तीन उस वर्ग के लोग हैं जिनको मंत्रिमण्डल में लिया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं। लेकिन कंपोनेंट प्रोग्राम में पिछड़ी जातियों की बहुत बड़ी संख्या राजस्थान में है, उसको भी प्लान में जोड़ेंगे तभी उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकेगा।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, उद्योगों के ऊपर राज्य सरकार ने काफी लाइसेंस वगैरह इस साल इश्यू किये हैं। 81-82 में 26 उद्योगों को भारत सरकार ने लिया है। सीमेंट के कारखाने लगाने के लिये लिया है, लेकिन वहां बिजली की सुविधा पहले उपलब्ध कराई जाय, तभी यह सफल हो सकते हैं। अगर राजस्थान की बिजली, सीमेंट के प्लान लिये जाते हैं तो मैं समझता हूं कई स्थान हैं जहां पर सीमेंट के कारखाने लग सकते हैं। उनको आप प्राथमिकता दें तो मैं सोचता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। एक अशोक लीलैण्ड का कारखाना खोलने का निर्णय लिया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं और मैं सोचता हूं जल्दी ही, इसी वर्ष में यह लागू हो जायगा। दो महीने में ही चालू हो जायगा, मैं समझता हूं। लेकिन खाद के कारखाने के लिये बार-बार राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को लिखा कि किस स्थान पर खाद का कारखाना लगे। खाद का कारखाना राजस्थान के किसी भी कोने में लगे, इस बात में मतभेद नेताओं

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

में हो सकता है, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को नहीं हो सकता। क्योंकि भारत सरकार की सर्वे समिति की रिपोर्ट के अनुसार इसको प्राथमिकता मिलेगी और सवाई-माधोपुर में इसको लिये जाने की जो रिपोर्ट आई है, इस बारे में नेताओं की अलग-अलग आवाज आती है। लेकिन मुख्य मंत्री जी भारत सरकार को वही बात कहेंगे जो कि वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट में आई है, उसके आधार पर लगाने में रुचि लेगें।

इसके अलावा हमारा प्रशासनिक दृष्टिकोण जितना बिगड़ा हुआ है। आज बिजली, पानी, जमीन सबके लिये अलग-अलग एजेंसी हैं। आज किसी प्रकार का उद्योग राजस्थान में लगाने वाले नहीं लगा सकते। इसलिये मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की आप एक विण्डो की व्यवस्था करें। वहीं से उसको जमीन, पानी, बिजली और लोन मिले, तो मैं सोचता हूं। नहीं तो वह अलग-अलग विण्डों के चक्कर काटता रहेगा और सरकारी मशीनरी के माध्यम से उसको प्राथमिकता नहीं मिल पायेगी, इसलिये आप एक विण्डो का प्रबन्ध करें ताकि उद्योग लगाने वालों को राहत मिल सके।

राजस्थान का खनिज भण्डार भी कम नहीं है। इसमें आज हिन्दुस्तान में हमारा अग्रिम स्थान है, जहां खनिज की कमी नहीं है। आज इतना खनिज है, उसको अगर बाहर निकाला जाये, तो राजस्थान को बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। लेकिन इसके लिये खनिज विभाग को संगठित करना है। जैसा कि मुझे मालूम है कि पिछले वर्ष के अन्दर खनिज पट्टेदारों को 233 लोगों को पट्टे पिछले वर्ष में हुए लेकिन खनिज विभाग के डायरेक्टर के यहां से 233 में से 27 केस निकाले गये। आज इतनी बड़ी संख्या में 200 से अधिक केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की अनियमितता खनिज विभाग के अधिकारियों को करने के क्या अधिकार हैं। जहां एक तरफ उनका नाम नीलामी में लिया। प्राथमिकता के आधार पर जिनका नाम आ गया, उनको समय रहते स्वीकृति नहीं मिली तो क्या मतलब है इसका? आज इस विभाग को संगठित करना होगा। उनके स्तर को ऊंचा उठाने की कार्यवाही करनी होगी। मैं सोचता हूं, इससे जो कमी हो रही है राजस्थान में उसकी बढ़ोतरी हो जायगी। आज राजस्थान में खनिज भण्डारों के कई स्थानों पर चोरी होती है। सवाई-माधोपुर का ही जिक्र करूं, आज हिण्डौन और करौली में काफी लोग नाजायज उद्योग कर रहे हैं। वे गलत नामों से सरकार की चोरी कर रहे हैं और सरकार को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूं कि आप सख्ती से पुलिस फोर्स भेज कर कार्यवाही करें ताकि ऐसे नाजायज काम करने वालों के साथ सख्ती से बर्ताव किया जा सके।

सभापति महोदय, सहकारी क्षेत्रों में भी हम बहुत पीछे हैं। जितना सहकारी समितियों के माध्यम से काम होना चाहिये था, वह काम नहीं हो रहा है। हमारी सहकारी समितियों के चुनाव कराये काफी वर्ष हो गये। फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो इनसे

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

नाजायज फायदे उठा कर जनता का शोषण कर रहे हैं। मैं सोचता हूं, राज्य सरकार इसमें भी मुस्तैदी से काम लेगी और जयपुर शहर में और राजस्थान में जिस प्रकार गृह निर्माण सहकारी समितियों का जाल बिछा हुआ है। मैं सोचता हूं आज जयपुर शहर के अन्दर 125 सहकारी गृह निर्माण समितियां हैं, उन्होंने एजेंसी खोल ली है। आज जयपुर के बाजारों में निकल जाइये किसी भी सड़क पर, जगह-जगह बोर्ड लगे हुए हैं। आज खुली जमीनें बिक रही हैं। राज्य सरकार को इससे सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो जयपुर शहर का सौन्दर्य छिन्न-भिन्न हो जाय और व्यवस्था सारी बिगड़ जाय, यह हम नहीं चाहेंगे। 40 हजार मकान नाजायज जयपुर में बन गए और आने वाले समय में 1 लाख 40 हजार हो जायेंगे जिनको राजस्थान सरकार हटा नहीं सकेगी। मैं समझता हू, ऐसी एजेंसियों पर इस चीज पर निश्चित रूप से प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। राज्य सरकार प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी तो जयपुर का मास्टर प्लान समाप्त हो जायगा। और इसके बाद निपटने में सरकार को बड़ी कठिनाई आयेगी। मैं इसलिए सोचता हू, राज्य सरकार तत्परता से कार्यवाही करे।

सभापति महोदय, वृक्षारोपण का कार्य राज्य सरकार ने काफी बड़े रूप में लिया था। लेकिन आज एक तरफ वृक्षारोपण का काम हो रहा है दूसरी तरफ वृक्ष समाप्त होते जा रहे हैं, उन वृक्षों को बचाने की योजना बनानी पड़ेगी। आज जितने वृक्ष लगाते हैं वे बच नहीं पाते। उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती, पानी का प्रबन्ध नहीं हो पाता स्थिति और बिगड़ रही है। मुझे याद है जब हम दिल्ली के रास्ते जाते हैं, संजय जी के नाम पर जो योजना बनाई गई थी, आज उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे 2-4 पेड़ ही नहीं लगे इसलिये मैं सोचता हूं कि संजय जी के नाम पर जो कार्य हाथ में लिया गया था, कम से कम उनके कामों को हमें करना है। मैं माननीय वन मंत्री जी को कहना चाहूंगा उनके विधान सभा क्षेत्र में है। वन क्षेत्र, और संजय जी का नाम जिस प्रकार जुड़ा हुआ है वृक्षारोपण से। वे इस ओर ध्यान दें ताकि संजय जी का नाम लोगों में याद रहे।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का जो मैंने पूर्व में जिक्र किया जलदाय विभाग का। 2700 गांवों में 80-81 में पानी पहुंचाने को कहा है, जहां राजस्थान में हैण्ड पम्प ज्यादा से ज्यादा लगाने को कहा है। जगह-जगह हैण्ड पम्प खोल रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज रिग्स मशीनों की राजस्थान में बहुत कमी है। जब तक रिग्स मशीनें अधिक से अधिक उपलब्ध नहीं होंगी, जैसा कि प्रधान मंत्री ने देश के अन्य दो प्रान्तों को भी लिखा कि राजस्थान को रिग्स मशीनें दी जानी चाहिये। मैं सोचता हूं, इस पर तत्परता से कार्यवाही करके राज्य सरकार ऐसी मशीनों की व्यवस्था करे, ताकि हैण्ड पम्प अधिक से अधिक लग सकें। आज हमारा जो डेजर्ट एरिया है, चट्टानी एरिया है,

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

जहां पानी की बहुत कमी है। मैं अपने विधान सभाई क्षेत्र में जाता हूं, वहां पर मवेशी, जानवर पानी बिना मर रहे हैं और हमारे गांवों में पानी पीने को नहीं है। आज ही इस प्रकार की हालत है तो आने वाले एक महीने बाद में इस प्रकार की स्थिति हो जायगी कि लोगों को पीने के पानी के लिये भटकना पड़ेगा और टंकियों से पानी भिजवाना पड़ेगा, इसलिये मैं सोचता हूं कि जहां पानी की प्राब्लम्स हैं वहां रिग मशीनें उपलब्ध कराई जावें, ताकि पानी उपलब्ध हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं यह कहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जितनी सड़कों का जिक्र प्लान के अन्तर्गत किया है। मैं यह सोचता हूं कि जिन तहसीलों के अन्दर ज्यादा काम हैं वहां पर तरजीह देने की आवश्यकता है। कई जिलों के लिए बजट में काफी पैसा है और कई जिलों, तहसीलों के लिए बजट में बहुत ही कम पैसा है। हो सकता है कि यह प्लान हमारी सरकार ने नहीं बनाया हो और पिछली सरकार का बनाया हुआ प्लान हो। लेकिन जो सामने आता है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार अगर है तो पिछली सरकार का कोई गलत काम है तो उसके अन्दर आप परिवर्तन करेंगे ताकि इन जिलों को ज्यादा पैसा मिल सके।

सभापति महोदय, एक रास्ता है, सवाई माधोपुर जिले के अन्दर जो सीधा मध्य प्रदेश को जोड़ता है, अगर ढेरों के पाल पर पुल बना दिया जाए तो राजस्थान का सीधा सम्बन्ध मध्य प्रदेश से हो सकेगा। हमारे सवाई माधोपुर में जो पत्थर का उद्योग है, वह उद्योग भी आगे बढ़ सकेगा। व्यापारी को फायदा होगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यदि ढेरों का पाल बना दिया जाए तो, मैं सोचता हूं कि आप विशेष तौर से इस कार्य को पूरा करेंगे। इसी प्रकार से जगनेर से एक रास्ता है जो भरतपुर की सीमा को जोड़ता है, वाड़ी, बसेड़ी होता हुआ। दूसरी तरफ सड़क का निर्माण हो चुका है। बॉर्डर से लेकर मांगलपुर सड़क तक का काम पूरा करना है। इसके लिये सात लाख का प्रावधान रखा है। इतना पैसा लगने के बाद भी यदि यह मार्ग सवाईमाधोपुर और भरतपुर को नहीं जोड़ पाता है तो व्यर्थ है। इसलिए इसमें और पैसा बढ़ा कर इस कार्य को प्राथमिकता दें ताकि सवाई-माधोपुर भरतपुर जिले से जुड़ सके।

राजस्थान की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से बिगड़ी हुई है, उसको देखते हुए राज्य में मद्य निषेध की नीति को लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है। इससे 47 करोड़ रुपये की हमारी आय हो सकती है और इस रकम को, इस राशि को हम राजस्थान के विकास कार्यों में लगा सकते हैं। आज राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से भारी मात्रा में शराब बिक्री के लिए आ रही है। गंगानगर एरिया में, झुंझुनू के एरिया में, काफी ट्रक आते हैं जो पंजाब, हरियाणा की रेवेन्यू बढ़ा रही है और राजस्थान में बिक रही है। इससे दूसरे लोगों को फायदा हो रहा और राज–

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

स्थान को आर्थिक हानि हो रही है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि शराब बंदी को समाप्त किया जाय। जिसको शराब पीना है वह पी रहा है। हमारी नीति इस प्रकार की रही है कि जितने परमिट इश्यु किये जाते हैं उससे ज्यादा बोतलें बिक रही हैं। आज धड़ल्ले से नकली शराब बन रही है। सर्वोदय के नाम पर इस काम को करते रहने से राज्य को आर्थिक हानि हो रही है। ×××इनके नाम पर शराब बंदी करने का कोई औचित्य नही है।×××इस प्रकार इस नीति से राजस्थान को काफी नुकसान हो रहा है। सभापति महोदय, इन सारी परिस्थितियों के अन्दर।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : यस। पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है, माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो आरोप लगाया ×××कि इस प्रकार के आरोप माननीय सदस्य को जो व्यक्ति सदन में अनुपस्थित हैं उसके विरूद्ध नहीं लगाने चाहिए जो इस सदन में जवाब न दे सकता हो। मैं आप से इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, माननीय सदस्य हवामहल से आने वाले स्वयं जानते हैं, मैं गोकुल भाई का जिक्र नहीं करता, सदन को जानकारी दे दी लेकिन माननीय भंवरलाल जी स्वयं यह जानते हैं। आप चाहें तो इसको रखा दें।

श्री सभापति : इन शब्दों को एक्सपंज किया जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सर्वोदय के नाम पर जिस प्रकार यह किया जा रहा है और उन के लड़के तो इससे मरे हैं, यह तो आपको मालूम है।

जिस प्रकार की कानून की व्यवस्था राजस्थान के अन्दर है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वृहद राजस्थान था उसमें केवल मात्र 95 कानून थे। माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं वकालात करते हैं, कानून के जानकार हैं, कुल 95 कानून बने थे, उसके बाद राजस्थान में नये ढंग से उनमें परिवर्तन नहीं किया गया है। इसको मद्दे नजर रखते हुए इसमें उचित परिवर्तन किया जाय और लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन को सुधारने के लिए उचित परिवर्तन कानून में किये जाने चाहिए और विशेष तौर से इस ओर ध्यान देने चाहिए।

मैं ज्यादा समय न लेता हुआ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर 400 प्राथमिक स्कूल खोलने की बात कही गयी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इनको कम

××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गयी।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कर दिया जाय लेकिन सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल्स को खोलना बंद न किया जाय। इनकी बात बढ़ोतरी की करें। प्राइमरी स्कूल बंद कर दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बजट में जो प्रावधान है उसका उपयोग हो और रिसोर्सेज ढूंढने की आवश्यकता हो तो ढूंढे जायं मगर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी खोलने में प्राथमिकता दी जाय।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, पंचायत समिति के अन्तर्गत जो स्कूल चल रहे हैं उनमें 9,000 मास्टरों की कमी है। पंचायत के स्कूल में एक एक मास्टर है जहां कि टीचर्स बढ़ाना अत्यन्त ही आवश्यक है। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए शीघ्र ही पंचायत स्कूल्स में 9,000 मास्टरों को नियुक्त किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आशा है, हमारे शिक्षा मंत्री इस कमी को पूरा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर अन्धाधुन्ध ढंग से पैसा खर्च किया जा रहा है, जिस प्रकार से इसका उपयोग होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। राजस्थान में ऐसी एजेन्सीज के माध्यम से यह कार्य होना चाहिए जो वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा को सही मायने में कार्यान्वित कर सकें, लोगों को साक्षर बना सकें। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस नीति में परिवर्तन करे ताकि सही मायने में लोगों को साक्षर किया जा सके। आज हम यह देखते हैं कि ऐसी एजेन्सीज का पैसा दिया जा रहा है जो साक्षरता का कोई कार्य नहीं कर रही हैं और इस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री इस नीति पर विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री दीपेन्द्रसिंह।

(व्यवधान)

आपकी पार्टी को जो समय दिया गया था वह पर्याप्त से ज्यादा आपकी पार्टी ले चुकी है।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : हमको भी समय दिया जाय।

श्री सभापति : आप बैठिये। जिन पार्टीज का समय बचा है, उसके बाद आपको समय दिया जायगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो समय कल विभाजित किया गया था उसके बाद और समय बढ़ाया गया है। हमको भी उस बढ़े समय का लाभ मिलना चाहिए।

श्री सभापति : सत्ता पक्ष के सदस्य ज्यादा सदन में हैं, और उनको ज्यादा समय दिया हुआ है। बोलने वाले भी ज्यादा हैं। मैं यह कोशिश करता हूं कि दो-तीन सत्ता पक्ष के सदस्य बोल लें और एक अपोजिशन में से बोल लें। मैं सामान्य स्थिति को कायम रखूंगा। आप परेशान न हों। आपको अवश्य समय मिलेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : हमारी पार्टी की तरफ से भी बोलेंगे।

श्री सभापति : यह व्यवस्था रहेगी तीन के बाद एक अपोजिशन से।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान के वित्त मन्त्री के रूप में राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी ने पिछले दिनों आय व्ययक लेखे के रूप में, विकास की गति को आगे बढ़ाने के रूप में, राजस्थान को आगे बढ़ाने के रूप में, और सारी बात को संजोकर पिछले साल के जो लक्ष्य और सफलतायें हैं उनके रूप में इस बजट को आपके सामने रखा है। अपनी-अपनी मान्यतायें हो सकती हैं अपने-अपने विचार हो सकते हैं। इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को यह बजट अकल्याणकारी दिशा-विहीन, गति अवरुद्ध करने वाला प्रतिगामी और तरह तरह की बातें कही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर अधिक बातें न कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दिशाविहीन कहने वालों को दिशा विहीन इसलिए दिखा होगा कि इनके पास कोई दिशा नहीं थी। और बिना कोई दिशा के जिन लोगों ने ढाई साल तक दिशा विहीन होकर इस देश को दिशा विहीन बना कर छोड़ दिया। यह बजट निश्चित रूप से दिशा रखता है और यह बजट उन लोगों की दिशा रखता है उस दिशा की ओर जाना चाहता है उस नेतृत्व की ओर जाना चाहता जिस ओर देश को देश की नेता इन्दिरा गांधी ले जाना चाहती है जो लोग गति अवरुद्ध करने की बात करते हैं उनसे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है गति स्वयं अगले साल तक बता देगी कहां तक पहुंचे हैं पिछले ढाई साल की गतियों में और आने वाले वर्षों की क्या गतियां होंगी, क्या मापदण्ड होंगे, यह आगे आने वाला वर्ष स्वयं बतायेगा। जहां तक प्रगतिशील, अप्रगतिशील का सवाल है मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है जो लोग जानना चाहते हैं, मेरे साथी अभी नहीं हैं, तेजपाल जी की तरह चौमूं की तरफ जाना चाहें और दूसरी तरफ विद्या जी जाना चाहती हैं सांगानेर तो एक ही बस में बैठ कर एक ही साथ एक ही समय पर रवाना होना चाहें तो नहीं पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से दाहिने हाथ की ओर जाने वाले लोग समाजवादी के साथ बैठ कर देश को आगे बढ़ाना चाहें और देश को आगे बढ़ाने की कल्पनायें रखते हैं। निश्चित रूप से उन्हें सोचना चाहिए कि गति किधर होगी, देश किधर होगा. कल्याणकारी योजना क्या होगी, मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं लेकिन अभी आप लोगों ने सभी पक्षों के विचार सुने और अपने-अपने विचार और मान्यतायें रखने का मौका मिला। मेरे कुछ साथी ने, विरोधी साथियों ने विरोध के रूप में विरोध किया कि मुख्य मन्त्री जी ने जो चक्की पर टैक्स माफ की घोषणा की वह एक सिम्बल था इसी तरह पिछली बार घोषणा हुई थी मेंहदी पर टैक्स माफी की बात को लेकर इस सदन में तरह-तरह के विचार रखे गये थे मैं उन सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेंहदी की टैक्स माफी

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

से हुआ वह आप सब लोगों को पता चल गया होगा और आप लोगों को जानकारी न हो तो जानकारी देना चाहता हूं कि टैक्स माफी की घोषणा के बाद राजस्थान के अंदर सोजत से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि कितने कारखाने मेंहदी के और लगे और हिंदुस्तान से मेंहदी का कितना ज्यादा निर्यात बढ़ा विदेशों को, उस टैक्स माफी के बाद में यह प्रगति सूचक नहीं है तो क्या है। किसी भी रूप में ले सकते हैं। जितनी भी अच्छाइयां हैं उनको छिपाया नहीं जा सकता है उनको तो मानना ही पड़ेगा........

एक माननीय सदस्य : चक्की का तो बतायें। चक्की से क्या भेजेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह : जो भेजा जायेगा वह भी बताऊंगा लेकिन यह निश्चित रूप से सही है कि किसानों के गहने रख कर किसानों की समस्याओं को उजागर करने के बहाने चूसने वाले लोगों के दिमाग में कुछ नहीं बैठ सकता है चाहे कुछ भी भेज दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जब अकाल की विभिषिका है और पैसे का अभाव है और पिछली सरकार की नीतियों का जाल हमारे सामने था उसके आधार पर जिस प्रकार का बजट रखा गया है इससे बढ़िया बजट सम्भव नहीं था। जितने बढ़िया तरीके से बजट रखा जा सकता था वह प्रयास निश्चित रूप से किया गया है। परन्तु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुझे इस बजट को तीन पहलुओं से देखना पड़ता है एक तरफ तो जो अच्छाइयां हैं जो योग्यतायें हैं। जो उपयोगी सुझाव हैं, जो मान्यतायें रखी गयी हैं, उनको विरोधी दल को मानना चाहिये, स्वागत करना चाहिये। दूसरे बजट में कुछ कमी भी हो सकती है निश्चित रूप से कमी मान कर चलें तो बुराई नहीं है मैं विरोध की दृष्टि से या समर्थन की दृष्टि से केवल मात्र खड़ा नहीं हुआ। जो भी अच्छाइयां हैं उनको विरोध करने वालों को स्वीकार करना चाहिये जो सुझाव हैं उनको मानना चाहिये सत्ता पक्ष वालों को उन पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार काम करना चाहती है निश्चित रूप से चेतावनी देना चाहता हूं कि राजस्थान की अफसरशाही, नौकरशाही इस सरकार को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक काम करने नहीं देगी। यह आप लोगों को सोचना चाहिये। बजट को तैयार करने वाले जो अधिकारी हैं जिनके माध्यम से बजट तैयार किया गया है उनको और सरकार को सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़े पेश किये गये हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं विरोध नहीं करता हूं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्यान्नों के उत्पादन में पिछले वर्ष गिरावट आयी है इस बात को राज्य सरकार ने भी माना है। मुझे आश्चर्य है कि 1979-80 के अन्दर 52.11 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ जबकि 35 हजार और 83 गांव में से 31 हजार 95 गांव सूखा ग्रस्त थे। इसी तरह आंकड़े बताये गये हैं कि 1980-81 में 47.11 लाख टन खाद्यान्न

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

का उत्पादन हुआ है जबकि 35 हजार 83 गांवों में से 21 हजार 365 गांव सूखा ग्रस्त थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब आंकड़े पेश किये गये अफसरों की ओर से, सरकार की ओर से, कल्पना की गयी है कि 1981-82 में 91.40 लाख टन उत्पादन होगा मान्यवर सबसे बढ़िया उत्पादन पिछले वर्ष 78-79 में हुआ था सर्वोत्तम फसल हुयी थी और सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था 73 लाख टन जबकि हमारे अधिकारियों ने अगले वर्ष के लिये 91.40 लाख टन का अनुमान किया है जबकि इस वर्ष भी भयंकर अकाल है। इस प्रकार के आंकड़ों को सरकार को सचेत होकर सोचना चाहिये कि किस ओर दिशा देना चाहते हैं।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं आपको। सरकार ने माना है कि वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर सरकार ने विचार किया कि बिजली की कमी से औद्योगिक उत्पादन को धक्का लगा है। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता है बड़े अचम्भे की स्थिति है जबकि किताब में पेज 85 पर इस बात को स्वीकार किया गया है कि राज्य में औद्योगिक उत्पादन को बिजली की कटौती के कारण धक्का लगा और उसके चार दिन पहले ही मेरे सवाल के जवाब में कहा गया कि बिजली की कटौती के कारण से उद्योगों को कोई धक्का नही लगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह कंट्रोवर्सी की बात सामने आयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस तरह की स्थितियों पर नजर डाल कर सही प्रयास करे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हड़ताल और तालाबन्दी के कारण 65 प्रतिशत श्रमिक दिनों की हानि हुई इसको सरकार भी मानती है इसमें शर्म की बात नहीं है, इसमें हमारा कसूर भी नहीं है। लेकिन जो सच है वह हम को मानना पड़ेगा प्रयासों के बावजूद भी हुयी है इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। हमने माना है कि शक्कर में 27 प्रतिशत की कमी हुई है सीमेंट में 9 4 प्रतिशत की और नायलोन के धागे में 10.5 प्रतिशत की कमी है यूरिया में 7.1 प्रतिशत की कमी हुयी है। इस प्रकार उद्योगों का उत्पादन कम होता है तो निश्चित रूप से सरकार को चिन्तित होना चाहिये और इसके लिये केवल मात्र विरोध के लिये विरोध की दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं बल्कि सुझाव अर्पित करना चाहता हूं और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उद्योगों के विकास के लिये एक नीति तय की जानी चाहिये और इस बजट में इस प्रकार के सुझाव समाविष्ट किये जाने चाहिये।

मेरा सुझाव है कि राजस्थान के अन्दर उद्योग बहुत अधिक मात्रा में लगाने के लिये जिस प्रकार बंगाल सरकार ने पांच वर्षों के लिये नये उद्योगों के लिए सैल्स टैक्स माफी की घोषणा की है इसी तरह से राज्य सरकार को भी नये उद्योगों के लिये 5 वर्ष तक सैल्स टैक्स की माफी की घोषणा करनी चाहिये जिससे कि बहुत अधिक उद्योगपति राजस्थान सरकार से सहयोग करें और यहां आ सकें। मैं निवेदन करना चाहता हू कि इसी प्रकार से उद्योगों के लिये भूमि प्राथमिकता से दिये जाने के लिये जो जमीन

श्री दीवेन्द्र सिंह)

बेची जाती है- वह उनको मुफ्त मिलनी चाहिये जिससे कि- मेरी निश्चित रूप से मान्यता है कि उद्योग के अन्दर राजस्थान को बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगीकरण के लिये कृषि भूमि को परिवर्तित करने के लिये नियम बने हुये हैं और फाइलें कई अधिकारियों के हाथों से निकलती हैं। उसमें काफी समय लग जाता है। इसलिये सरकार को विचार करना चाहिये कि उन नियमों को सरल करें इन नियमों में परिवर्तन करके इनको सरल बनाया जाना चाहिये जिससे समय कम लगेगा जिससे कि उद्योगों का विकास किया जा सके और उद्योगपतियों को आकर्षित किया जा सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सवाल के जवाब में इस विधान सभा में लिखित जवाब दिया गया था। मेरा दुर्भाग्य था कि समय पर नहीं आने से या सूची में प्रथम न आने पर उसका मौखिक जवाब नहीं दिया जा सका। मेरे जेनरेटर के सवाल के जवाब में कहा गया कि न तो इस बारे में कोई विचार है न कोई प्रस्ताव ही है। राज्य सरकार को चाहिये कि बिजली की कटौती व कमी को ध्यान में रखते हुए उद्योग और किसानों को क्रमशः उद्योग के विकास के लिये और खेती के विकास के लिये व्यक्तिगत जनरेटर की सुविधा प्रदान करे उन जनरेटरों के लिए मैं राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, चाहे उनके लिए सब्सिडी दी जाय, चाहे उनके लिए लोन की व्यवस्था करें, चाहे राज्य सरकार जनरेटरों के इम्पोर्ट के लिए भारत सरकार से लाइसेन्स की व्यवस्था करे और बात करके थोक भाव में जनरेटर्स मंगाने को उद्योगपतियों को सरकार स्वीकृति प्रदान करे जिससे राजस्थान में उद्योगों के वातावरण को अच्छा सहयोग मिल सकेगा, यह मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, उद्योगों के मार्फत बहुत सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इससे बेरोजगारी को समस्या हल हो सकती है, उद्योगों से लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है और बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। उस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि राजस्थान में सीमेंट के कारखाने खोले जाने चाहिये, खनिज सम्पदा पर आधारित कारखाने खोले जाने चाहिए। राजस्थान में कागज के कारखाने खोले जा सकते हैं क्योंकि यहां पर काफी घास और भूसी तैयार होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं थोक भाव के सूचकांक में 15 प्रतिशत की वृद्धि हमारे प्रदेश में हुई भारत के 13 प्रतिशत के मुकाबले, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया है इससे दो परसेंट और अधिक महंगाई हुई है, यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है, यह कोई हंसी और मजाक की बात नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं चाहे विरोधी पक्ष के लोग विरोध करने के लिए ही कहें मैं यह इंगित करता हूं इस बात को और राजस्थान सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या के लिये सोचें और स ल भर में इस बात को पकड़ करें, और समस्या को रोकने के लिए निश्चित प्रयास करें।

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

प्रति व्यक्ति औसत आय 70-71 के आधार पर जहां 498/–रु. प्रतिवर्ष थी वह 495/–रु. प्रतिवर्ष घटकर रह गई है। 3 रु. की कमी हुई है, यह इस किताब से स्पष्ट है। इस विषय पर राजस्थान सरकार चिन्ता नहीं करेगी और लोगों की समस्याओं पर विचार नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से यह एक सोचनीय विषय हो जायगा। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि सारी योजनाओं सारी स्थितियों, विकास की सारी, जितने भी हमारे प्रोजक्ट्स हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा पैसों का मामला अटकता है। एक तरफ हम पैसे के अभाव में योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते और मुझे दुख होता है, राजस्थान सरकार को चाहिये, मुझे आश्चर्य हुआ यह जान कर कि मिस-मैनेजमेंट के कारण और अफसरों की लापरवाही के कारण 1980-81 के अन्दर टोटल टैक्स रेवेन्यू 413.28 करोड़ आंकी गई थी जबकि दूसरी तरफ रिवाइज्ड एस्टीमेट में 392.28 करोड़ की आय हुई इस प्रकार 21 करोड़ की हानि हुई, घाटा हुआ। मुझे दुख होता है, आश्चर्य है और मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। इस बारे में राजस्थान सरकार को विशेष ध्यान देकर चेतना चाहिये और सोचना चाहिये, विशेष ध्यान देना चाहिये।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी बजट में सामान्य सेवाओं पर वर्तमान वर्ष 29.15 प्रतिशत के मुकाबले आगामी वर्ष में 30.75 प्रतिशत खर्च करेगी। जबकि अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि इस पर 16 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमारी जो योजनायें हैं विकास की वे निश्चित रूप से एक तरफ पड़ी रह जायेंगी। अगर प्रशासनिक खर्च में कटौती करके और नौकरशाही के चंगुल से नहीं बचोगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको तुरन्त रोका जाय और इस खर्च को कम किया जाय।

दूसरी ओर आर्थिक सेवाओं में विकास के लिए गत वर्ष कुल बजट का 32.75 प्रतिशत खर्च किया गया, वहां मुझे खेद है, इस वर्ष 1981-82 में चलकर 29.11 प्रतिशत ही सरकार खर्च करना चाहती है जबकि यह आश्चर्यजनक है, विकास की योजनाओं को रोक कर प्रशासनिक खर्चे को बढ़ाया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि विकास की योजनाओं पर ज्यादा खर्च किया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार की योजनायें बनाई जायं, जो भी राजस्थान सरकार काम अपने हाथ में ले, प्रशासनिक खर्च पर कटौती करे और विकास की योजनाओं पर ज्यादा खर्च किया जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी सन्दर्भ में मैं यह भी निवेदन

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, जलदाय योजना के अन्दर, सरकार हर गांव और घर को पानी देना चाहती है। लेकिन पिछले साल इसमें 63 करोड़ रुपया खर्च किया गया वहीं इस वर्ष 61 करोड़ खर्च किये जाने का अनुमान है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से इसमें भी दो करोड़ कम खर्च करने की बजाय यदि 20 करोड़ अधिक खर्च किया जाता तो हम प्यासी जनता का निश्चित रूप से भला कर पाते और हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं उनको पूरा करने के लिए हम सक्षम होते। इसलिए विशेष तौर पर इस योजना पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कृषि पर गत वर्ष 80-81 में 1 अरब 40 करोड़ रुपया खर्च किया गया और इस वर्ष 1 अरब 4 करोड़ ही खर्च किया जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसमें भी 36 करोड़ की कमी की जायगी। इस प्रकार की जो योजना पेश की जाय, उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। हमारा देश कृषि प्रधान देश है. कृषि पर बहुत अधिक खर्च किया जाना चाहिये। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बजट में दी गई राशि में बढ़ोतरी की जानी चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बजट के ओवर ड्राफ्ट के विषय में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समय का अभाव है, काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह : करीब सौ करोड़ का ओवर ड्राफ्ट बताया गया, इस घाटे की अर्थ व्यवस्था में लेकिन फिर भी निश्चित रूप से कोई टैक्स नहीं लगाया, और इस प्रकार से राजस्थान सरकार ने बड़े साहस का परिचय दिया है। उसके लिए तो मैं सरकार को निश्चित रूप से धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पिछले साल 3-3-80 को 10.82 अरब का कर्ज था जिस पर 75 करोड़ का ब्याज हो गया, जो राज्य की कुल आय का (Tax revenue) का 30% होता है, उसको किस प्रकार से चुकाया जायगा। और घाटे की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये जिससे इस घाटे को पूरा किया जा सके। गत वर्ष यह वायदा किया था कि ओवर ड्राफ्ट को लम्बी अवधि के ऋण में परिवर्तित किया जाय लेकिन इस वर्ष भी इसका कोई संकेत नहीं है इसलिए घाटे की पूर्ति के लिए राजस्व की वृद्धि की बात कही गई।

1980-81 में आय का टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से 155.52 करोड़ का अनुमान था जबकि मुझे दुख है इस वर्ष 147.93 का ही प्रावधान रखा गया है। इसके लिए निश्चित रूप से अधिकारी लोग दोषी हैं, उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। योजना भिन्न व्यय में, नॉन प्लान एक्सपेण्डीचर में मितव्ययता

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

करने का वादा किया था। जबकि कोई मितव्ययता नहीं की गई, यदि मितव्ययता की जाती तो इस प्रकार के आंकड़े हमारे सामने नहीं आते। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो अरब और सात करोड़ का अनुमान था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसमें 2 अरब और 19 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि घाटे की स्थिति में सरकार को मितव्ययता करनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसा मालूम होता है आप भाषण लिख कर लाये हैं, यह अलाउ नहीं है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : इसके लिए मैंने बजट के ऊपर अपने विचार रखे हैं, सभापति महोदय, जितने भी आंकड़े मैंने दिये हैं, श्रीमन्, कोई भी माननीय सदस्य याददाश्त से नहीं बोल सकता। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि मितव्ययता करके इस घाटे को पूरा किया जा सकता है, इस घाटे को समाप्त किया जा सकता है। और राजस्थान की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सहकारी विभाग के अन्दर, सहकारी समितियों में आज भी 8 करोड़ का बकाया पड़ा है राजस्थान सरकार यदि इस 8 करोड़ को इकट्ठा कर सके तो निश्चित रूप से घाटे को पूरा किया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आपकी कृपा से यह निवेदन करना चाहूंगा कि देवस्थान विभाग और सार्वजनिक विभाग के उन बड़े-बड़े भवनों को बहुत ही सस्ती दरों पर अफसरों को और मंत्रियों के पी. ए. लोगों को किराये पर दिया जा सकता है और इस प्रकार के लोगों को किराये पर दिया जा सकता जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, उन मकानों को भले ही सार्वजनिक रूप से, नीलाम किया जावे या उनको बेचा जावे उनको बेच कर बहुत धनराशि हमको मिल सकती है। सरकार को इस तरफ सोचना चाहिये। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से बोगस दफ्तर हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब ज्यादा टाइम नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बहुत से इस तरह के विभाग हैं जिन पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है जो बहुत उपयोगी नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे उद्योग भी हैं जिनको बिजली के बिना भी चलाया जा सकता है सरकार सोच रही है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, नमक के प्लांट के लिए, हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, लोगों ने इसके

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

लिए अप्लाई भी किया है और उसको डवलप किया जा सकता है। इसके लिए लोन दिया जा सकता है, बिजली की समस्या नहीं, पानी की समस्या नहीं है, रेवेन्यू भी मिल सकता है नमक के उत्पादन से। राज्य सरकार को चाहिए कि इस तरफ सोचे। गलीचा उद्योग इस प्रकार का उद्योग है जिसमें बिजली की खपत नहीं है और इस प्रकार के उद्योग में एक्सपोर्ट से विदेशी धन राज्य सरकार को मिल सकता है। इस उद्योग को राज्य सरकार विकसित करे। खनिज भंडारों का पता राज्य सरकार को है। नहीं है तो पता लगा कर राजस्थान में वे उद्योग स्थापित किये जायं जो खनिज पर चलने वाले हैं, उससे राजस्थान को बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है। रेडीमेड गार्मेन्ट्स, सागानेरी प्रिंट्स इस प्रकार के बहुत उद्योग हैं जिनमें बिजली की आवश्यकता नहीं है, मजदूरों की बेकारी की समस्या को हल करने में योगदान मिलेगा, इस प्रकार के बहुत से उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं।

शहरों में कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के रूप में बहुत सी सहकारी समितियां काम कर रही हैं। जयपुर शहर में अकेले 201 सहकारी समितियां काम कर रही हैं जिनमें 9 सहकारी समितियों के यू. आई. टी. ने अप्रूव किया हैं। उनमें एक है जय जवान जय किसान सहकारी समिति जिसने 9 लाख रु. जमा कराया है, 7 लाख रुपया जमा कराने की कोशिश कर रही है और पैसा एकत्रित कर रही है। इस प्रकार की सहकारी समितियों के माध्यम से बहुत सा पैसा इकट्ठा हो सकता है। भूमि परिवर्तन से करोड़ों रुपये सरकार को मिल सकते हैं जिससे घाटे की स्थिति समाप्त की जा सकती है

राजस्थान में नए सिनेमा हॉल लगाने पर प्रतिबंध है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप ही आसन की बात नहीं मानेंगे तो विपक्ष के लोग कब मानेंगे ?

श्री दीपेन्द्रसिंह : मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं बहुत से सुझाव सरकार के सामने पेश करना चाहता था लेकिन समय कम है इसलिए मैंने सुझाव राज्य सरकार के सामने रखे। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उन सुझावों पर अमल करे और जिस प्रकार घाटे की स्थिति में बजट पेश किया गया है, निश्चित रूप से वह सराहनीय है और उस बजट की हम सब निश्चित रूप से सराहना करते हैं। सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री त्रिलोक सिंह।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदय, यह जो बजट है 1981-82 का वह राजस्थान की जनता से ताल्लुक रखता है। जिस कांग्रेस दल की ओर से बजट आया है वित्त मंत्री की ओर से जो बजट आया है, वह बजट पेश करने से पहले अपने 33 साल के पिछले इतिहास

(श्री त्रिलोकसिंह)

को देखते कि इस सरकार ने क्या किया तो ज्यादा अच्छा था । इस बजट की ऐसी हालत है कि जो राजस्थान की हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती है । यह बजट ऐसा है जो राजस्थान के किसान को कुछ नहीं देता है । यह बजट ऐसा है जिसका राजस्थान के मजदूर से किसी तरह का लेना देना नहीं । आज बजट की एक ही मन्शा है वह है आज की हालात को बरकरार रखा जाय और यह निकम्मी नालायक सरकार चंद दिन और गुजारे, यह बजट दिशाहीन ही नहीं, जीवनहीन है । मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री से, मैं पहाड़िया जी से पूछना चाहता हूं राजस्थान का इतना बड़ा इलाका जिसमें तीन करोड़ लोग बसते हैं जिनमे से 90 प्रतिशत किसान हैं, 90 प्रतिशत किसानों के लिए इसमें क्या व्यवस्था है ? आये साल भयंकर अकाल पड़ता है, मैंने एक दिन पहले भी अर्ज किया था कि जब हम लुहारू से पास होते हैं या आगार से पास होते हैं तो वहां एक जमाने में अकाल दहाड़ता था पग पूंगल धड़ कोटड़ा बाहू बाहड़मेर आता जाता बीकपुर, ठावो जैसलमेर ।

पर आज क्या हालत है ? आज पूरे राजस्थान में, यह मेरी जबानी नहीं, कांग्रेस का रेकार्ड है, यह हकूमत कबूल कर रही है, 26 में से 24 जिले भयंकर अकाल में हैं बल्कि 26 जिले ही जिसमें चंद गांवों को छोड़ दीजिए, पूरा राजस्थान भयंकर अकाल का शिकार है । कोई भी ऐसी सरकार जो उस इलाके की जनता के खेतों को पानी नहीं दे सकती, एक दिन की बात नहीं, यह 33 साल में तुमने 33 बजट पेश किये होंगे बल्कि ज्यादा पेश किये होंगे यह राजस्थान की जनता के साथ मखौल है, यह घोर अपराध है, यह महापाप है जिसका जवाब एक दिन जब मुल्क में इन्कलाब आएगा किसान की सरकार बनेगी, तब तुमसे मुकाबला किया जायगा तब आपसे मुकाबला किया जायगा, हो सकता है नालायक सरकार खुदकशी करके खतम हो जाय, हो सकता है इसकी औलाद खतम हो जाय, इनको श्मशानों से मुकाबला किया जायगा कि तुमने 33 साल में राजस्थान के लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया ? मैं पूछना चाहता हूं इस निकम्मी सरकार से लोहारू के टीबों में पानी आ सकता है, भिवानी के टीबों में पानी आ सकता है तो क्या वजह है झुंझुनू नागौर, चूरू, बीकानेर और जोधपुर के मैदानों में नहीं मिलता है ? क्या वजह है ? इसकी वजह यह है कि यह सरकार किसान की दुश्मन है, जो सरकार किसान की दुश्मन है. जिसका करेक्टर एन्टी किसान है, वह सरकार देश का भला क्या करेगी, देश का विकास क्या करेगी ? कितने झूठे आंकड़े हैं ?

एक ओर सरकार कबूल करती है कि 26 जिलों में अकाल है, दूसरी ओर कहती है इन आंकड़ों में कि बाजरे की फसल बढ़ी है । मैं पूछना चाहता हूं, यह बाजरा, आपको पता है, सभापति महोदय, बाजरे की फसल जो इस सरकार के टेक्निशियनों ने बिलकुल तबाह कर दिया है । जहां बाजरा पैदा होता है सीकर, शेखावटी चूरू जोधपुर व बीकानेर तक हजारों की

(श्री त्रिलोकसिंह)

संख्या में हम किसानों के बेटे देखते हैं इतना बड़ा अपराध इस नालायक सरकार ने किया है कि हमारे बीज को नष्ट कर दिया। आज हम बाजरा बोते हैं, अफीम पैदा होती है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से क्या यह बात हकीकत सच्ची नहीं है ? बिलकुल 16 आने सच्ची है। जब बाजरा बोते हैं, अफीम पैदा होती है जो खाता है पागल हो जाता है। रेगिस्तान के भंडारों में बाजरा आ गया, अमरीका से या पाकिस्तान से, यह बात हमारी समझ में नहीं आती. यह बजट कितना झूठा है, कितने झूठ का पोथा है। हमारे खेत आज बिलबिला रहे हैं, भूख के मारे हमारा जैसलमेर, बाड़मेर मेरी जुबानी नहीं, कांग्रेस सदस्यों के जुबानी बयान सुने होंगे, कल कांग्रेस मैम्बर ने कहा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। चूरू की बात छोड़ी जाय पर वे इलाके जहां कांग्रेसी सदस्य हैं, उन्होंने अपनी हकीकत बयान की बाड़मेर, बीकानेर जैसलमेर और जोधपुर जिसमें चूरू भी शामिल है, किस तरह की हालत है, इन्सान को रोटी नहीं मिलती है, किसान का बेटा रोटी के लिये तरसता है, पानी की बात जुदा है। लुहारू टू पाकिस्तान इन्सानों को जो पानी पीना पड़ता है वैसा पानी दुनिया में कहीं नहीं पीता इस सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिये। इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, आज दुनिया का इन्सान चांद पर जाता है सितारों में बसने की योजना बना रहा है और हमारी राजस्थान सरकार, एक इन्सान, राजस्थान के खेत को पानी नहीं दे सकी, राजस्थान के किसान को पीने का पानी नहीं दे सकी, इससे ज्यादा क्या मखौल होगा ?

और तरफ की बात छोड़ दीजिये, मैं जानता हूं मैं सीकर इलाके का रहने वाला हूं। मेरे इलाके में सीकर जिले में लोरसर कस्बे से बारा एक बड़ी मट्टी होती है उस इलाके में खारा पीना है।

सभापति महोदय, सरकार ने यह कोनसा मजाक किया है। मेरे इलाके में एक ट्यूब वैल लगाया। यह कहा जाता था कि उससे चार पांच गांवों को पानी दिया जायगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि दो तीन गांव, जिसमें छोटी ताली की ढाणी भी है, में से एक भी गांव को एक बूंद भी पानी उस ट्यूब वैल से नहीं दिया गया। इसी तरह, सभापति महोदय, हिलोनिया गांव में एक ट्यूब वैल लगाया गया। उस पर दो तीन लाख रुपये खर्च किये गये थे और यह कहा गया था कि दस गांवो को पानी दिया जायगा लेकिन हिलोनिया में एक भी गांव को ट्यूब वैल से पानी आज तक नहीं दिया जा सका। एक छोटे से गांव में पानी नहीं दिया जा सका। सभापति महोदय, मेरे इलाके में इस तरह इन्होंने कई ट्यूब वैल लगाये। यह कहा कि हम आठ दस गांवों को पानी देंगे पर, सभापति महोदय, मैंने देखा कि यह सिर्फ घोषणा ही थी। किसी भी गांव को इन ट्यूब वैल्स से पानी नहीं दिया गया। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैंने जोधपुर में जाकर देखा, जैसलमेर में जाकर देखा, बाड़मेर में जाकर देखा लेकिन वहां पर भी ट्यूब वैल्स से पानी नहीं

(श्री त्रिलोकसिंह)

दिया गया। सिर्फ ट्यूब वैल्स खोद दिये गये हैं पर पानी कहां। सभापति महोदय, ट्यूब वैल के नाम पर कांग्रेस की सरकार ने खुली छूट लूट भी कर रखी है। कांग्रेस की सरकार गरीब गांव के लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ कर रही है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इन्दिरा गांधी की सरकार से, और मैं पूछना चाहता हूं पहाड़िया जी की सरकार से कि कब तक इस प्रकार का मजाक गांवों की गरीब जनता से करते रहेंगे? कब देंगे यह गांव वालों को पानी? क्या उस वक्त देंगे जब गांव वालों की कब्र खुद जायेंगी? क्या उनकी कब्र पर वह पानी लाकर ढोलेंगे। पानी देंगे, पानी देंगे कहते हैं। झूठा बजट का पोथा हमारे सामने रख दिया है। इतना ही नहीं और सुन लीजिये, सरकार ने अपने बजट में कहा है कि हम राजस्थान का चहुंमुखी विकास करना चाहते हैं। हमने राजस्थान में चहुमुखी तरक्की की है। मैं पूछना चाहता हूं पहाड़िया जी की सरकार से कि आपने काहे की तरक्की की है। अभी थोड़े दिनों पहले सीकर में एक मीटिंग हुई थी कलेक्टर के यहां पर। सभापति महोदय, अभी थोड़े समय पहले कुछ सदस्य बैठे थे वह बेचारे शर्म के मारे उठकर चले गये। मैंने उस वक्त पूछा कि आपने कौनसी तरक्की है। मैंने एक एक से पूछा कि यह कौनसा महकमा है तो कहा कि बीज की तरक्की करदी है आपने देश में तरक्की करने के लिये क्या है, हमने कहा जब से तुम्हारा पदार्पण हुआ है तब से हमारा देश नष्ट हो गया है, बीज नष्ट हो गया, बाजरा जहर बन गया है और फसल नष्ट हो गयी है। फिर हमने पूछा यह काहे का महकमा है तो उन्होंने कहा कि यह भेड़पालकों का है तो मैं कहा कि भेड़ें तो सब मर गयीं। हमने पूछा जब तक हम नहीं थे तुम्हारी सरकार नहीं थी तब हमारे यहां पर भेड़ें होती थीं, जिसमें एक एक क्विंटल की भेड़ होती थीं और अब आज 8-10 किलो की भेड़ होती है। जो अच्छी भेड़ें थीं वह मर गयीं। मैं जो कहता हूं अगर वह सच नहीं हो तो आप पूछ लें जाकर। जो यहां पर माननीय सदस्य बैठे हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और चूरू से आये हैं वह मेरी पार्टी के नहीं हैं वह कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं, कांग्रेस के साथी हैं आप उनसे पूछ लीजिये। वह आपको बता सकते हैं। उन्होंने अपने यहां पर अपने उद्‌गार भी बताये थे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह किस प्रकार का मखौल यह कांग्रेस सरकार उड़ा रही है। इसी तरह वहां मैंने पूछा कि यह किस बात का महकमा ब्लास्टिंग का है। यह कुओं में ब्लास्टिंग करते हैं। मैंने पूछा कि इनकी कितनी मशीनें हैं, कितना अमला है और कितने रुपये की मशीनें हैं। तो बताया गया कि मशीन की कीमत तीस लाख रुपये की है। काफी बड़ा महकमा है इनका और लोगों की तनख्वाह मोटी मोटी हैं। 15 साल से काम कर रहा है। मैंने कलेक्टर से पूछा कि कितने कुओं पर ब्लास्टिंग किया है तो उसने कहा कि एक भी कुआं नहीं है जिसमें ब्लास्टिंग किया हो। तो, सभापति महोदय, इतना बड़ा फरेब। सभापति महोदय, इससे ज्यादा झूठी बात क्या हो सकती है। यह जो बजट का झूठा पोथा आपने हमारे सामने रखा

(श्री त्रिलोकसिंह)

है यह हकीकत से दूर है। आप किसान को छोड़ दीजिये। आज गांवों की हालत यह कि गांवों में जाने का रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, गांवों की हालत खराब है। दूसरी तरफ आप जयपुर, बीकानेर, जोधपुर में 20 करोड़ या 25 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान कर रहे हैं। क्या इन बड़े बड़े शहरों के नागरिक ही नागरिक हैं? क्या गांवों के नागरिक नागरिक नहीं हैं? तुम गांवों के नागरिकों को इनसान नहीं समझते हो? अगर तुम इस तरह के हो तुम्हारे बराबर पापी कौन है। तुमने गांव वालों को न सड़क ही दी, न रोशनी दी, न स्कूल खोले, न गांवों में तुमने चिकित्सालय खोले। आज हालत यह है कि गांवों में, गांवों के बेटे और बेटियां दवाई की पुड़िया के अभाव में अपनी जान गवां देती हैं। आज आप इस तरह का सलूक गांव वालों के साथ कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि आप गांव वालों को पानी नहीं दोगे तो एक दिन ऐसा आयेगा जब गांव के लोग आपके इन शहरों के महलों में आग लगा देंगे, आपके शहरों को फूंक देंगे और तुम लोगों को शहर में पकड़ कर जड़ देंगे। तब पानी दोगे क्या? यह कहते हैं कि यह गांधीवादी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं, दोस्तों, गांधी के नाम पर इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? इससे बड़ा ढोंग क्या हो सकता है? अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें गांधीवादी नाटक को छोड़ना पड़ेगा, हमें शराब बंदी को खोलना होगा ऐसी सरकार को अब मर जाना चाहिए। रुपये की आमदनी करनी चाहिये। तुम्हें डूब मर जाना चाहिये। यह गांधीवादी सरकार नहीं है यह कोई रिएक्शनरी सरकार है। अरे, तुम से तो वह सरकार अच्छी है जिसने गांवों में पंचायत घर बनाये थे, गांवों में स्कूल खोले थे, लोगों को रोजी रोटी दी थी। उस सरकार ने गरीब हरिजन को रोटी दी, खटीक को रोटी दी थी गरीब तबके के लोगों को रोटी दी थी। यह सही है कि वह सरकार भी निकम्मी थी मैं यह मानता हूं आज भी हम यह मानते हैं कि चाहे वह सरकार हो, चाहे यह सरकार दोनों ही भेड़िये हैं। भेड़िया चाहे काला हो, चाहे गोरा हो पर है दोनों एक दूसरे के भाई बन्द। वह सरकार भी सामन्ती सरकार थी जागीरदारों की फरमायेयार की सरकार थी। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री दिनेश डांगा: आपका भी तो तो सहयोग था।

श्री त्रिलोकसिंह: दोस्तों, इस सरकार का झूठा पोथा हमारे सामने रखा है यह आंकड़ों का बजट है और यह आंकड़ों से राजस्थान का विकास करना चाहते हैं और वह भी कागजों से विकास राजस्थान का करना चाहते हैं। राजस्थान की जनता की तरक्की करने की बात करते हैं गांवों में गरीब हरिजनों की तरक्की की बात करते हैं जबकि आज गांवों में हरिजन एक एक रोटी को तरसता है और यह गांधीवादी सरकार शराब खोल कर 50 करोड़ रुपये की आमदनी करना चाहती है। शराब अमीर पीएगा, गरीब भूखों मरेगा। मैं

(श्री त्रिलोक सिंह)

पूछना चाहता हूं पहाड़िया जी की सरकार से कि आज से तीन चार महीने पहले तुमने हमारे किसानों से वायदा किया था कि हम तुम्हें फसल की पिवाई के लिये, पानी के लिये बिजली देंगें, कहा था 15 घंटे बिजली देंगे। लेकिन हमारी फसल एक रुपये में चार आना रह गयी। जब किसान बर्बाद हो गया है, देश भूखो मर रहा है, इस कारण से मैं इस सरकार पर इल्जाम लगाता हूं कि यह सरकार नालायक है, यह सरकार निक्कमी है। आज, सभापति महोदय, जब हम खेतों पर जाते हैं, अपने कुओं पर जाते हैं, जब हम फिजीकल वेरिफिकेशन अगर करते हैं और जब हम बिजली स्टार्ट करते हैं तो रात को बिजली आती नहीं है। उस वक्त अगर कोई आदमखोर चीता आ जावे तो वह किसान को खतम कर सकता है, किसान के बेटे को खतम कर सकता है, पर किसान की कोई सुनने वाला नहीं। सभापति महोदय, इसके अलावा खेत पर कभी बिजली नहीं आती है। तब कई बार किसान की बेटी कहती है कि बाबा बिजली ओठी आवेगी? चली गयी तो मैं कहता हूं कि यह ओठी कब आयेगी, यह तो सरकार की ओठी आयेगी। इससे ज्यादा फरेब गरीब किसान के साथ, गरीब हरिजन के साथ और गरीब मजदूर के साथ क्या हो सकता है। आज, सभापति महोदय, हमारा देश हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है। इस देश में एक अल्प बहु-संख्यक लोग हैं। सभापति महोदय, जब अंग्रेजों का राज था, उस वक्त हम फ्रीडम फाइटर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। मुझे याद है कि उस वक्त हम यह इल्जाम लगाते थे। यह अंग्रेज लोग हिन्दू मुसलमानों को लड़ाते हैं, यह अंग्रेज भाई-भाई को लड़ाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं पहाड़िया की सरकार से कि इसने कितने गरीब मुसलमानों को कतल करवाया? कितने मुसलमानों के घर को जलाया? कितने मुसलमानों के बच्चों को मरवा दिया, उन्हें गुलाम बना दिया? सभापति महोदय, इन कांग्रेस वालों ने मुसलमानों को अपनी दुल्हन बना रखा है। इसने गरीब हरिजनों को, गरीब खटीकों को, चमारों को मीणों को, सभी अनुसूचित जाति और मुसलमानों को अपनी जागीर समझ लिया है। जब कभी भी यह लोग अपना सर उठाते हैं तो यह लोग उनको कभी आरक्षण के नाम पर दबाते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दिनेश डांगी : आपको हरिजनों मीणों से इतना दर्द कब से हुआ है। सारी जिन्दगी तो आपने हमसे वैर बेगार ली है। अब यह हमदर्दी कहां से आ गयी?

श्री त्रिलोक सिंह : आपको पता नहीं है।

श्री दिनेश डांगी : आज भी हरिजन आपके खेत पर काम कर रहा होगा। आपकी बीवी काम नहीं कर रही होगी, वह पदासीन है।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री त्रिलोक सिंह : सभापति महोदय, मंत्री महोदय, को यह पता नहीं है....

श्री सभापति : आपने बहुत टाइम ले लिया है। आपको टाइम मिला था, वह पूरा हो गया।

श्री त्रिलोक सिंह : 2 मिनट।

श्री सभापति : 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हैं।

श्री त्रिलोक सिंह : 2 मिनट ही केवल।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार गरीबों की दुश्मन है, अल्प संख्यकों की दुश्मन है, किसानों की दुश्मन है। और राजस्थान की तरक्की की बहबूदी की बात करते हैं। आज तमाम कारखाने बन्द हैं। आज बिजली टाटा और बिड़ला को देते हैं। छोटे उद्योगों को नहीं देते हैं, छोटे कारखानों को नहीं देते हैं। जो हैंडलूम चलाते हैं, गरीब जो अपने परिवार का गुजर-बसर करता है उसको बिजली नहीं देते हैं। इसलिए राजस्थान में लाखों मजदूर बेकार हैं, किसान भूखे हैं, देश भूखा है। हमारा छोटा दुकानदार रोता है, उसकी बिक्री नहीं होती, क्योंकि किसान के घर में पैसा नहीं आयेगा तो वह दुकानदार से क्या खरीदेगा। फिर दुकानदार का काम कैसे चलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लॉ एण्ड आर्डर की बात आपको क्या कहूं। गरीब महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। मैं आपको एक बात कह कर समाप्त कर देता हूं। एक गांव है खेरी वहां पर रामसिंह चमार का कत्ल किया गया और आज तक पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। एक नजीर पेश करता हूं जो कि आपके लीडरों के साथ कातिल घूमते हैं। इससे बड़ा इल्जाम और क्या हो सकता है। जो मंत्रियों की सीट पर हैं, वह जानते नहीं कि त्रिलोक सिंह कौन है। बेगार लेता है या बेगार तोड़ता है। बेगार के खिलाफ हमने बगावत की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य टाइम का अभाव है।

श्री त्रिलोक सिंह : एक मिनट।

श्री सभापति : अब एक मिनट भी नहीं दूंगा। आपको मैंने 5 मिनट दे दिये फिर 2 मिनट दे दिये।

श्री त्रिलोक सिंह : अगर सभापति महोदय, नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा। मुझे बोलने का शौक नहीं है। बोलने के लिए विधान सभा नहीं है, अवाम है। अवाम कोन्कहेंगे कि यह सरकार कैसी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री देवदत्त।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : माननीय सभापति जी, मैं जिस इलाके से आ रहा हूं उस इलाके में बहुत अकाल

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

पड़ता है और इस वर्ष भी चौथा अकाल है और मुझे यह मालूम पड़ता है कि इस विधान सभा में जो बोलने का समय है उसमें भी मेरे लिए अकाल पड़ेगा। इससे मैं पहले ही इस बात को मन में रखूंगा। मेरी बात को मैं बहुत ही संक्षेप में पूरा करूं....

श्री सभापति : अच्छी बात, पंडित जी, संक्षेप में ही अच्छी लगती है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, मैं अनुशासन-हीनता का भी कोई शौकीन नहीं हूं। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपकी घंटी बजते ही बैठ जाऊंगा और इसलिए आप यह ध्यान रखें कि दूसरे लोग बीस-बीस घंटी बजने पर भी नहीं बैठते हैं, तो मुझे पर्याप्त समय दिया जाय। अथवा यदि आप चाहें तो आपकी पहली घंटी मेरे लिए संकेत हो, और दूसरी घंटी बैठने के लिए हो। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि मेरी ओर से अनुशासनहीनता हो।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इतने समय से बजट बन रहे हैं। बीस, तीस सालों से बजट बन रहे हैं और सभी बजट देखे हैं। कांग्रेस सरकार के बजट बन रहे हैं। बिहार और बंगाल का भी बजट बन रहा है, केरल का भी बन रहा है। उन बजटों का सारा का सारा पैटर्न एक जैसा ही है। एक आदमी आता है संसार में और दूसरा जाता है। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई सभ्य लोगों का अच्छा व्यवहार नहीं है। चुनाव होते हैं और बड़ा भारी मन्थन होता है और उसमें से जो लोग निकल कर आते हैं, मैं समझता हूं वह मुल्क के क्रीम होते हैं। क्योंकि मन्थन के बाद क्रीम ही निकलती है और उस क्रीम का यह हाल है कि हम माथा फोड़ लिया करते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

खैर, जो भी यहां परिस्थितियां हैं, मैं कहूंगा कि यह जो भी बजट बना हुआ है इस बजट को और चार पांच साल के बजटों को देखिये उनके हैड्स चाहे वह व्यय के हों या आय के हों वह एक जैसे के जैसे ही हैं और फिर यह कहा जाता है कि एक दूसरे की टीका टिप्पणी करते हैं। यह जो बजट है यह दिशाविहीन है। यह बात तो तर्क में बैठती भी नहीं है। यदि तीस साल तक वह लोग चले आये या तो उनको दिशाविहीन मानें। क्योंकि उनकी परिपाटी से हम चले जा रहे हैं और यदि वह दिशा-विहीन थे और उसके बाद में कोई दिशा वाले आ गये तो उन लोगों के हम विरोध में हैं। तो उनकी जो दिशा थी उसके विप-रीत दिशा हमारी है। दिशाविहीन कैसे हैं यह तर्क में नहीं बैठता। इसलिए दिशा-विहीन इसको नहीं कहा जा सकता। यह जरूर हम कह सकते हैं कि यदि उनकी दिशा पाताल की तरफ थी तो हम अब ऊपर की ओर उठ रहे हैं। इतनी बात अवश्य कही जा सकती है।

जहां तक आंकड़ों का सवाल है, मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी नेता हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

अपरोक्ष रूप में स्वीकार किया कि अभी जो आंकड़े पेश किये गये हैं वह मुख्य मंत्री ने पेश करा लिये हैं, अपरोक्ष में उन्होंने स्वीकार किया कि मुख्य मंत्री दबा कर आंकड़े पेश करवा सकते हैं। वह तो इस मामले में बहुत माहिर रहे हैं। न जाने उन्होंने कितने आंकड़े पेश कराये होंगे। तो इन आंकड़ों को जो इस प्रकार से चेन्ज कराये जाते हैं, मैं उन पर क्या विश्वास करूं। मैं तो यह कह सकता हूं कि इसको हम दिशाविहीन बजट नहीं कह सकते हैं। और भी थोड़े में कहूं तो यह कहूंगा कि "Though it is not a very good budget yet it is well balanced budget." इसको यदि मैं देखता हूं तो इसके जितने भी मद हैं उनको मैं संभालता हूं। मैंने देखा कि किन्हीं भी आंकड़े में चाहे वह स्टेट एक्साइज के रहे हों, एग्रीकल्चर के रहे हों, इण्डस्ट्रीज के रहे हों, वाटर एण्ड पावर के रहे हों और अदर्स के रहे हों, लोन फ्रम सेन्टर रहे हों, इसमें मैंने सोचा कि इनकी 84 करोड़ की बचत बताऊं, तो दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि उन्होंने जो स्टेट के ओन टैक्स जैसे सेल्स-टैक्स, गुड्स एण्ड पैसेन्जर्स टैक्स एण्ड स्टेट ओन नान-टैक्स, जनरल सर्विस लोन एण्ड एडवान्स सब में करीब उतनी ही बढ़ोतरी की है। अब किस प्रकार से इसको देखें, इधर से देखें, चाहे उधर से देखें। घाटा उतना का उतना है। जबकि इनको परिस्थितियां मिली हैं वह क्या थी और अब परिस्थितियां क्या हैं। हमें थोड़ा उस सन्दर्भ को देख लेना है।

आज मिडिल ईस्ट को देखिये। मिडिल ईस्ट वालों ने यह महसूस किया कि उनके तेल के बिना यह दुनिया नहीं जी सकती और वह मनमानी उसकी कीमत वसूल कर सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? साम्यवादी देशों को आप छोड़ दीजिए, जितने भी दूसरे देश हैं चाहे वह नान-अलाइनमेन्ट वाले देश हों, चाहे अमेरिका हो या दूसरे हों वह सब करीब-करीब एक ही दिशा में हैं। उन सबके बजट, हमारी स्टेट का क्या, हिन्दुस्तान के क्या, यूरोप की बहुत सी कण्ट्रीज के क्या किसी को भी देख लें, आज सभी डगमगा रहे हैं। इसलिए डगमगा रहे हैं कि जो भी अर्थ व्यवस्था है वह इस तेल के ऊपर निर्भर थी सारे संसार की। अब वहां गड़बड़ी हो गयी तो उससे आप अछूते नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप देखिये उसको "Under the circumstances under which this budget has been given to us" दूसरी तरफ आप यह देखिये कि जो लोग आज विरोध में बैठे हैं और उनको जिस समय मौका मिला था कि वह बजट बनायें। लगातार राजस्थान के अन्दर दो वर्षों से अकाल चला आ रहा था और उसके बाद जब यह आये तब से वापस अकाल पड़ने शुरू हो गये। मैं यह नहीं कहता कि पहले राजस्थान में अकाल नहीं पड़ते थे। हमारे बाड़मेर का तो यह रिकॉर्ड है कि 3 ही अकाल होते हैं सौ वर्ष में। एक सैन्चुरी में सिर्फ 3 और 16 जमाना होते हैं और 17 जमाने ठीक-ठीक होते हैं और 12 आना होते हैं, बाकी के जमाने 8 आने होते हैं या 6 आने होते हैं। इससे बढ़ कर आपकी स्थिति नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री श्री पहाड़िया जी को बजट बनाने का मौका मिला है उसमें जो

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

भी चीज तैयार की है इसको मैं कह सकता हूं कि यह अण्डर दी सरकम्स्टान्सेज बहुत ही अच्छा बजट बनाया है। अब बजट तो इन स्टेटस के ऐसे ही बनते रहेंगे और अभी जिन्होंने बताया है, आगे आने वाले लोग भी ऐसे के ऐसे बजट बनायेंगे।

यह मथुरा काजर की कोठड़ी, जे
आवे ते कारे।

इसके अन्दर जो आयेगा ऐसे ही ऐसे बजट बनायेगा। ठीक है कोई 19, 20 का अन्तर होगा। मेरा निवेदन यह है कि यही जो खर्चा आप कर रहे हैं उस खर्चे के अन्दर आप अपने दृष्टिकोण को पलटिये, आप दृष्टिकोण नहीं पलटते हैं यही चिन्ता की बात है। खर्चा आपका ऐसे का ऐसा चलता रहेगा। मेरा निवेदन यह है कि जो पश्चिमी इलाका है इस पश्चिमी इलाके के लिये आप कोई वरिष्ठ आदमी नहीं ले सके, जो मंत्री होकर उस सारे इलाके को संभालता या उसकी परिस्थितियों से अवगत होता....

श्री भंवरलाल शर्मा: उसका भी अकाल है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी: यह सही दृष्टिकोण नहीं है, हमेशा पश्चिमी भाषा लोगों को भुलाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अपने बजट के साथ न्याय नहीं करेंगे। आपकी सरकार क्या करती है, हमारे यहां जिन लोगों को आप भेजते हैं उनको देख कर नहीं भेजते हैं। हमारा इलाका सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और उस जगह सब बातों की कमी है। लेकिन आपके आफिसर्स किस को भेजते हैं जिनको आप सजा देना चाहते हैं, जो भ्रष्ट सिद्ध हुए हैं, जो किसी भी तरीके से योग्य नहीं माने गये हैं? उसको सजा के रूप में बाड़मेर और जैसलमेर इत्यादि जगहों पर भेजते हैं। क्या हमारे लिये आपका यह सही दृष्टिकोण है। खर्चा आप वही कर रहे हैं। लेकिन उसी पैसे में हमारी तरफ का दृष्टिकोण सही नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा जहां तक यह अकाल की स्थिति है, अकाल की स्थिति में भी आपका दृष्टिकोण इसी पैसे में किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। आप 52 करोड़ रुपये लगा रहे हैं, जैसा अनुमानित है या कोई और अधिक भी खर्चा करेंगे। आपका यह आश्वासन है कि आप हमारे इलाके में 5 आदमियों के बीच एक आदमी को अवश्य ही काम पर लगायेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं केन्द्र वालों की और यहां वालों की, हमको यह समझ में नहीं आता है आप इस प्रकार से एक लाख, 1।। लाख मजदूर 4, 5 महीने लगा कर हमारे ऊपर आप कम से कम 15 करोड रुपया जबर्दस्ती खर्च करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप केवल 8, 9 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया लगायें, उसमें से 5–6 करोड़ वापस लौटा देंगे। आप 15, 16 करोड़ रुपया बजट के अनुसार खर्च करना मन्जूर करना चाहेंगे। लेकिन 5–6 करोड़ लोगों को देना मन्जूर नहीं करेंगे। यह जो आपकी पालिसी है वह इस बजट के अन्दर दोषमयी है, यह दृष्टिकोण हमारे ऊपर सही नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

यदि पेयजल का प्रश्न है तो पेयजल में केवल बहुत सी बातें हैं पेयजल की बात निवेदन करूं यह जो राजस्थान नहर आ रही है हमने प्रश्न किया है आपने उत्तर नहीं दिया। 100 मिलियन एकड़ पानी पंजाब से लेते हैं, आपका अपना तरीका है। आप यह बतायें जो पानी हम प्राप्त करते हैं वह कहां जाता है क्या सिन्धु नदी में पानी वापस जाता है। उनसे क्यों नहीं लेते। अगर पंजाब, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कर लेगा तो वह पानी हमें नहीं मिलेगा। हम जानते हैं पहले योजना राजस्थान नहर बनाने की थी वह नहीं बना सके ? कटौती करते करते, मैं आपसे निवेदन करूं इस नहर से हमारे को केवल पीने का पानी दे दो तो मैं समझता हूं कि आपका कुछ दृष्टिकोण सही हुआ हमारी भी तृप्ति होगी, यह इलाका भी सरसब्ज होगा। केवल आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री अमरा राम।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है जिन परिस्थितियों में, जिन विषम परिस्थितियों में पेश किया है वह बहुत ही सराहनीय हैं। जब असमान वर्षा हो, भयंकर सूखा हो, और पिछली सरकार द्वारा खजाने पूरे खाली किये हुए हों, ऐसी विषम परिस्थितियों के अन्दर जो बजट पेश किया गया है वास्तव में बड़ा सराहनीय है। यह बजट विकास का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, विकास का द्योतक है। माननीय विरोधी सदस्यों ने जो कहा कि यह विकास का द्योतक नहीं है लेकिन इनके समय में जो बजट पेश किया गया था उस समय जो राजस्थान का विकास हुआ वह सब के सामने है यह कोई कुलड़ी में करने की बात नहीं है। यह स्पष्ट बजट आज सबके सामने है। भारत गांवों का देश है और हमारे यहां की जनसंख्या 80 प्रतिशत गांवों में रहती है। 55 प्रतिशत रेगिस्तानी इलाके के अन्दर लोग रहते हैं और 55 प्रतिशत जो रेगिस्तानी इलाके के हैं उनकी आजीविका उपार्जन का साधन है वह पशुपालन है। हमारे यहां भेड़ बकरी, गाय, वैसे मेरे क्षेत्र में, बाड़मेर के अन्दर जो भेड़, बकरी और पशुपालन है उस पर ही हमारा जीवन निर्भर है लेकिन सबसे बड़ी जो कठिनाई आती है। वह पेयजल की है। इस बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 2700 गांवों में पानी देने की बात रखी है वह बहुत ही सराहनीय है और पिछले 6 महीने के अन्दर वह जो बजट पेश किया गया था उसमें भी प्रगति हुई है। जो जो उन्होंने बातें रखी थीं, जो जो उन्होंने लक्ष्य रखे उन सबकी पूर्ति नहीं हुई है लेकिन कुछ हद तक ज्यादा काम हुए हैं। स्कूल खुले हैं और विकास के कार्य भी हुए हैं। अब मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जो स्कीमें सैंक्शन की हैं उन स्कीमों को शीघ्र ही पूरा कर दिया जाय तो मेरे क्षेत्र में यानि पचपदरा क्षेत्र में 41 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की विकट समस्या है वह जल्दी हो जायगा।

मैं शिक्षा के बारे में, वैसे हमारे यहां

(श्री अमरा राम चौधरी)

जगह जगह स्कूल जरूर खुले हैं लेकिन मैं इस बात के पक्ष में हूं कि स्कूल को कालेज बना देंगे और आर्ट के सब्जेक्ट खोल देंगे, सैकण्डरी बना देंगे। लेकिन कुछ ऐसी शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दें जिससे हमारे ऊपर, समाज के ऊपर बोझ न पड़े। वे नौकरियों के लिए हमेशा मिनिस्टरों और एम. एल. ए. के चक्कर न काटें। प्रोफेशनल शिक्षा जो लोगों को देनी चाहिए वह दी जाय ताकि वे अपना धन्धा करके काम कर सकें। बालोतरा में जो मेरे क्षेत्र में है उसके दाहिनी ओर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं लेकिन जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उसमें कलर टैक्सटाइल है और उसमें वहां के लोगों का बहुत अभाव है, बाहर से लोग आते हैं—यू० पी०, एम० पी० से आते हैं वे ही लोग काम पर लगे हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका है यदि वहां पोलिटेक्निक कालेज खोल दिया जाय और कलर टैक्सटाइल का सब्जेक्ट रख दिया जाय तो मैं समझता हूं जो बेकारी है, जो विद्यार्थी बेकार हैं उनकी समस्या दूर हो सकती है। जहां तक भवन का प्रश्न है मैंने भवन के दान दाताओं से बात की है और वे पोलिटेक्निक के लिये भवन दान में देने को तैयार हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि इस आने वाले सत्र में भी हमारे यहां पोलिटेक्निक कालेज खोला जाय ताकि वहां के विद्यार्थियों को जो जोधपुर जाना पड़ता है, क्योंकि पूरे बाड़मेर में पोलिटेक्निक कालेज नहीं है।

भौगोलिक क्षेत्र की भी हमारी एक अपनी विशेषता है वहां पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, धोरे भी हैं, नदियां भी हैं, नमक की खाने भी हैं, जहां पचपदरा में नमक निकलता है वहां यदि खान के कारखाने खोले जायें तो आसानी से बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। खड़ी वहां आसानी से मिल जाती है, खाद वहां आसानी से अवेलेबल हो जाती है, नमक वहां अवेलेबल हो सकता है और वहां अच्छा खाद का कारखाना अवेलेबल हो सकता है। खाद का कारखाना खोलने मे जो गांव में रहने वाले, अकाल में जो मजदूर आपके बाहर जाते हैं उनको भी वहीं काम मिल जाता है।

बालोतरा शहर में जब अतिवृष्टि हो जाती है तो वह बाढ़ से घिर जाता है, पानी इतना भयंकर आता है कि लूणी नदी में जो आने जाने के साधन हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं। वहां यदि पुल बना दिया जाय, कई बार मांग की गई है लेकिन इस बजट में भी लूणी नदी पर पुल बनाने का नहीं है। इससे बालोतरा और जसवार को बहुत लाभ मिलेगा और इसके अतिरिक्त डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से भी आराम रहेगा तो वहां पुल बनाना बहुत जरूरी है। इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है तो मैं यही निवेदन करूंगा कि पुल बनाने के लिये माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा जरूरी है और उसका प्रावधान इस बजट में रख दें।

दूसरा, इसके अलावा हमारे यहां समाज कल्याण का छात्रावास है लेकिन वह किराये के मकान में है। उसके लिये

(श्री अमराराम चौधरी)

भूमि उपलब्ध नहीं कराई है तो उस छात्रावास के लिये समाज कल्याण मन्त्री जी बैठे हैं, वे नोट करें हमारे यहां समाज कल्याण का जो छात्रावास है, भवन का निर्माण सरकारी रकम से कराया जाय और उसके लिये शीघ्र ही भूमि उपलब्ध कराई जाय।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : समाज कल्याण मंत्री जी नोट नहीं कर रहे हैं।

श्री अमरा राम चौधरी : अभी जो खबर मिली है कि हमारे यहां पर कुछ लोगों पर 91 के मुकदमे चल रहे हैं। उनके पहले के बाड़े बने हुए हैं, मकानात बने हुए हैं और जो कदीमी मकानात हैं। उनको बने रहने देना चाहिये। उनको वहां से नहीं हटाना चाहिये। उनके खिलाफ जो 91 की कार्यवाही चल रही है वह वापस कर ली जाय। रहने के लिए उनके इधर नदी आ गई है और इधर रेलवे लाइन आ गई तो रहने की समस्या हो गई है इसलिये इस प्राब्लम को दूर करने के लिये 91 के मुकदमे न चला कर इस भूमि को आबादी में कनवर्ट कराई जाय और जब आबादी में कनवर्ट होगी तो लोगों को जो बम्बई से भी ज्यादा किराया देना पड़ता है, 10 बाई 10 के कमरे के 100) रु. एक महीने के किराये के देते हैं, ऐसी प्राबलम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 48 खसरा नम्बर ऐसे है जिनके 91 के मुकदमें चलते हैं इसको अविलम्ब रोका जाय और आबादी में भूमि को कनवर्ट की जाय। मैं इसके अलावा एक बात और कहूंगा जहां तक विद्युत का प्रश्न है विद्युत ठीक मिल रही है। 6 घंटे के लिये माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की थी फिर 8 घंटे की घोषणा कर दी। अब ठीक मिल रही है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आने वाले समय में कोई आल्टरनेटिव नहीं खोजा जायगा तो यह समस्या फिर भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि अब के तो काश्तकारों ने पिलाई बन्द कर दी थी। लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है उसके लिए अभी से पूरे इन्तजाम कर लिये जायं। बिजली का संघर्ष करके नहीं चला जा सकता है। हमारी मशीनें ठीक लगें और नये नये थर्मल प्लान्ट लगें। अगर वे नहीं लगेंगे तो बिजली की समस्या रहेगी।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं पानी की जगह जगह स्कीमें बना रहे हैं लेकिन जमीन में पानी बहुत कम है जिस प्रकार मशीनें खराब हो गई, बिजली नहीं मिली तो एक दिन ऐसी भी समस्या आयेगी कि पानी का भी अभाव हो जायगा। पानी का लेवल बहुत नीचा चला जायगा। यह समस्या आज नहीं तो 10-20 साल बाद आ सकती है। आपके और मेरे सामने नहीं आयेगी लेकिन अपने बच्चों के सामने यह समस्या जरूर आयेगी। हम राजस्थान नहर को नहीं लावेंगे तो हम रेगिस्तान को हरा भरा नहीं कर सकते हैं। यह खुशी है इस राजस्थान में राजस्थान नहर एक

(श्री अमरा राम चौधरी)

पवित्र आधुनिक तीर्थ स्थान है। अगर यह जोधपुर, झामरकोटड़ा, बाड़मेर, शिव तक नहीं आयेगी तो लोगों का स्तर कैसे ऊंचा उठ सकता है? करोड़ों रुपये खर्च कर दें तब भी नहीं उठ सकते हैं।

हमारे यहां भेड़ें बहुत हैं। उनके चरने के लिये चारा नहीं है, घास के अभाव में भेड़ें मर जायेंगी और उनकी हड्डी, चमड़ी वहीं रह जायेगी तो हमारा किसान बर्बाद हो जायगा इसलिए मेरा कहना है कुछ घास भी उनके लिये पैदा करें। नहर आयेगी तो घास भी पैदा हो जायगा और अनाज भी पैदा करेंगे जिससे उनको अपना जिला नहीं छोड़ना पड़ेगा।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यह वन लगा रहे हैं और जगह-जगह बाड़ के लिये जो योजनाएं बनाई हैं यह खुशी है लेकिन जब तक पानी नहीं होगा तो यह वन कैसे पनपेंगे। हर साल करोड़ों रुपया लगा कर वन लगाते हैं और टैंकरों से पानी पहुंचाते हैं फिर भी वे पौधे जिन्दा नहीं रहते हैं तो राजस्थान नहर ही ऐसी है जिसके लिये मैं पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि राजस्थान नहर को जल्दी लायी जाय। एक बहुत खुशी की बात है, नर्मदा योजना जो बनी है, नर्मदा अधिकरण के निर्णय के अनुसार 0.5 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया है। नवा गांव से निकाली गयी नहर, जो कि राजस्थान के बाड़मेर, जालौर जिले से जो योजना बनायी है, इसका जो काम है, वह जल्दी से जल्दी चालू किया जाय। राजस्थान नहर के लिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के अन्दर 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है तो उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि और अधिक बजट रखा जाय ताकि राजस्थान नहर की जल्दी से जल्दी पूर्ति हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी सरकार का राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद बजट अभिभाषण में राज्य की नीतियों का एक दर्पण होता है। इस बार मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण के कवर को तो जरूर चिकना कर दिया है। इस बात का द्योतक तो हो सकता है कि उनके ऊपर हर तरह के ढीलेपन का नाकारेपन का आरोप सत्तारूढ़ दल के अन्दर और विरोधियों के ऊपर भी लगाया जाता है, बहुत सी इन्टर स्टेट की जो डिस्प्यूटेड योजनायें हैं। उनके बारे में कहा जाता है लेकिन वे बिलकुल चिकने घड़े की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए उन्होंने मेरे खयाल से अपने चिकने घड़े होने के रूप में, प्रतीक के रूप में इस कवर को चिकना किया है। केन्द्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने जहां पर कांग्रेस पार्टी का राज है एक जैसा ही करीब करीब बजट पेश किया है। प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी उसमें सुझाव दिया था कि डायरेक्ट टैक्सेज कम किये

(श्री यदुनाथ सिंह)

जायं और इनडायरेक्ट टैक्सेज नहीं बढ़ाये जायं। डायरेक्ट टैक्स हमेशा आप जानते हैं, पैसे वालों पर असर करता है और इनडायरेक्ट गरीबों पर असर करता है लेकिन जो अप्रोच की गयी वह और यह अप्रोच शुरू से ही गलत की गयी कि डायरेक्ट टैक्स कम करें और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ावें तो गरीबों पर टैक्स का भार बढ़ाया गया है और पैसे वालों पर कम किया गया है। यही नहीं, ये किस तरह कल्पना करते हैं कि इस बजट में केन्द्रीय बजट से और हमारे राज्य के बजट से कीमतें नहीं बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। 371 करोड़ रुपये की तो रेलवे में बढ़ोतरी की गयी। 20 जनवरी को जब बजट सेशन बैठने वाला था, पार्लियामेन्ट का। उससे पहले, ये एक प्रकार की कांग्रेस की नीति रही है और मुझे शक है और पूरा भरोसा है और विश्वास है कि यह सरकार भी इसी तरह से पीछे के दरवाजे से टैक्स बढ़ायेगी। 20 जनवरी को पेट्रोल के, कोयले के, स्टील के भाव बढ़ाये। भाव बढ़े हुए का अब किस तरह व यदा कर सकते है और किस तरह दावा कर सकते है कि इन चीजों से कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर असर नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से किसानों पर इन्फ्लेशन का असर पड़ेगा। एक ओर तो देश में खाद्य पदार्थों की कमी है, बेहद कमी है, दूसरी ओर वितरण व्यवस्था इस तरह से चरमरा गयी है और भ्रष्टाचारियों के हाथ में शिकंजा में इस तरह मढ़ चुकी है, कि आज गांवों में तो खाद्य पदार्थों की कमी हो चुकी है, उनको या तो मिल ही नहीं रहा है और मिल रहा है तो बहुत मंहगी कीमत पर अनाज और खाद्य पदार्थ मिल रहा है। इसमें इस सरकार का कितना हाथ है, कितना नहीं है यह इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले दिनों मैंने अपने यहां डीजल को लेकर, डीजल में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर ब्लैक को लेकर एक भूख हड़ताल और जन आंदोलन चलाया था और उसके परिणामस्वरूप वहां के कलेक्टर ने, जिलाधीश ने सार्वजनिक सभा में घोषण की थी और लिखित में भी मेरे पास प्रमाण है, उसको तो मैं किस तरह से उठाऊंगा देखेंगे कि फलां समय जनता आटो सर्विस पर डीजल की शार्टेज पायी गयी, अनियमिताएं पायी गयीं। मैंने मांग की थी उसका वितरण रजिस्टर से और जो डीलर कार्ड है उनसे उनका मिलान किया जाये। उसमें फर्जी एन्ट्री कर रखी है लेकिन इसी बीच वैर का उप चुनाव आया और वैर के उप-चुनाव में इस तरह के भ्रष्टाचारी और इस तरह के ब्लैकियों को मौका देते हैं, उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को सिक्कों से, रुपयों से तौला। उसके बाद डीलर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और उसके खिलाफ वहां के कलेक्टर भी बार बार मुख्य मंत्री के पास लाते हैं तो मुझे शक होता है कि मुख्य मंत्री के डर से, मुख्य मंत्री के भय से वहां का प्रशासन उस पर कार्यवाही नहीं कर रहा है। इस तरह का आचरण सरकार का हो तो किस तरह से उम्मीद करें। जनता और विधान सभा में सरकार की घोषणाओं का हम कैसे विश्वास करें कि वह वितरण व्यवस्था को, जो अभाव की स्थिति आज बनी हुई है। चीनी तीन महीने से सरकार ला नहीं पायी

(श्री यदुनाथ सिंह)

है। डीजल की यह हालत रही है, भाव बढ़ा दिये। जनता आटो सर्विस, जी हां, बन्दूक की नोक पर मुख्य मंत्री का नाम लेकर ब्लैक करता है। या तो मुख्य मंत्री का इसमें हाथ है या मुख्य मंत्री को वहां के अधिकारी मानते नहीं हैं। मेरा ये सीधा आरोप है।

एक माननीय सदस्य : पार्टी का क्या नाम है।

एक माननीय सदस्य : यह कौन सी जगह है ?

श्री यदुनाथ सिंह : यह नदबई में है साहब, मेरे। ये जनता पार्टी के भी हो जाते हैं और कांग्रेस में भी बन जाते हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं होती है। ये सरकारी पार्टी है इनकी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरी पार्टी केवल एक कांग्रेस अर्स है। जनता पार्टी मंत्री आपके बैठे हैं। हमारे देश को आज आजाद हुए 33 वर्ष से ऊपर गुजर गये लेकिन बड़े शर्म की बात है कि दुनिया भर के जितने भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनमें से 40 प्रतिशत आज भी हिन्दुस्तान में रहते हैं 40 प्रतिशत अशिक्षित गांव में रहते हैं, 40 प्रतिशत अन्धे भारत के गांव में रहते हैं और यहां पर देश में 5 लाख गांव में से एक लाख गांव में पीने का पानी मुहैया नहीं कराया है। यह सरकार के लिए, निकम्मी सरकार के लिए 33 साल उसको यहां पर शासन करते चले आ रहे हैं, उसके डूब मरने की चीज है। इस चीज में चुल्लू भर पानी की तो कमी नहीं है, जो डूब कर भी नहीं मर सके।

एक माननीय सदस्य : आपका भी हिस्सा है।

श्री सभापति : बातें नहीं, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : इसका मुख्य कारण जो आज 33 साल होने के बाद भी जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। उसके पीछे मैं निश्चित रूप से शिक्षा नीति को दोष पूर्ण मानता हूं। शिक्षा नीति एक मात्र इसके लिए दोषी है। शिक्षा नीति क्या है ? शिक्षा नीति दोहरी इस देश में चल रही है। एक तरफ शहर में पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ते हैं। यहां का माध्यम अंग्रेजी रहा है लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम आजाद तो हो गये लेकिन हमारा माध्यम अंग्रेजी है। अंग्रेजी को प्रतीक माना गया है, यहां की सभ्यता का। यहां पर जब हमारे गांव से पढ़ने वाले लड़के शहर में एक क्लास में 5 टीचर, हर मोहल्ले में स्कूल। वहां गांव में टीचर नहीं होते। दूर-दूर तक स्कूल नहीं होता और यह सरकार राज्य में शिक्षा नीति को लागू करने के लिए देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल्स को खोलने की घोषणा बन्द करती है तो इससे जाहिर होता है कि सरकार की नीति क्या है। जब लड़के गांव

(श्री यदुनाथ सिंह)

से यहां आते हैं जो वे कम्पीटीशन में नहीं बैठ पाते हैं और यही कारण है कि देश की 80 प्रतिशत जनता आज गांवों में रहती है, उसका केवल प्रतिनिधित्व 13 परसेन्ट। बाकी 13 परसेन्ट आदमी गांव से 80 परसेन्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जब वहां पर शहरी तबका हावी हो रहा है। यहां आई. ए. एस., आई. पी. एस. बनते हैं। आई. ए. एस., आई. पी. एस. की जाति बनती जा रही है। आई. ए. एस. की लड़की की शादी आई. ए. एस. के यहां, आई. पी. एस. की लड़की की शादी आई. पी. एस. के यहां। इस तरह की एक जाति बन चुकी है। ये इतनी हावी हो चुकी है। जयपुर की सड़कों पर बड़े हो जाते हैं और दिल्ली की सड़कों पर बड़े हो जाते हैं, यहीं पढ़े, यहां खेले खाये, हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं। गांव का आदमी किस तरह जीवन बसर कर रहा है। एयर-कंडीशन कमरे में बन्द किया और रेगिस्तान का प्लान बना रहे हैं। सूखे के पानी का प्लान बना रहे हैं। इनकी अप्रोच छोटी है, ये अप्रोच कर नहीं सकते हैं, करना नहीं जानते हैं। जिसने जो महसूस नहीं किया, उसके दर्द को वह समझ नहीं सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आरक्षण जो छोटे तबकों को दिया गया है। उसके साथ साथ गांव की जनसंख्या के हिसाब से भी आरक्षण नीति लागू की जाय। इसके बाद बेरोजगारी का आलम आप देखिए। देश में बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है और जो सरकार ने सिक्स्थ प्लान पेश किया है, उसमें घोषणा की है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। देश में हर साल 50 लाख लोग बेरोजगार पैदा होते हैं लेकिन 55 लाख बेरोजगारी का इस सिक्स्थ प्लान में पूरे में रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? इस तरह से किस तरह से इस बेरोजगारी को दूर करेंगे। सिक्स्थ प्लान की बड़ी डींग भरी जा रही थी। सिक्स्थ प्लान में इन्दिरा जी ने घोषणा की है किसानों की रैली निकालकर हिमायती बनते हुये कि सिक्स्थ प्लान में बजट का 25 परसेन्ट हम किसानों पर लगा रहे हैं लेकिन इनको दूसरी तस्वीर देखिये तो आपको सब धोखा पता लग जायगा। सिक्स्थ प्लान में सिंचाई पर इस वर्ष जहां एक लाख 40 हजार हैक्टेयर जमीन को सिंचित करने की व्यवस्था है; लेकिन जो प्लान जनता पार्टी ने इससे पहले बनाया था उसमें एक लाख 70 हजार हैक्टेयर जमीन को सिंचित करने का प्रावधान था। इस तरह से 30 हजार कम हैक्टेयर जमीन सिंचित करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। इसी प्रकार से कृषि पर देखिये। कृषि पर......

एक माननीय सदस्य : उसमें फारेस्ट बनायेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : हां फारेस्ट ही बना सकते हैं, आप लोग।

इसमें कृषि पर जहां 8625 करोड़ रुपया रखा था जनता पार्टी की सरकार ने, वहां 5800 करोड़ रखा है आपने। इस प्रकार से 8.4 से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया है। किस प्रकार से दावा करते हैं कि हम किसानों को ज्यादा देना चाहते हैं।

(श्री यदुनाथ सिंह)

किसानों की बात करना बड़ा आसान है। आप दिल्ली बड़े सज धज कर चले गये, सरकारी धन को खर्च किया परन्तु वह सरकारी धन नहीं था बल्कि जनता का धन था, उसका दुरुपयोग करके आप दिल्ली भीड़ बना कर मखौल बना आये लेकिन वहां से लेकर क्या आये। वापस आप किस मुंह से किसान के पास जाओगे। आप क्या घोषणा करोगे। आपने डीजल के भाव बढ़ा दिये। आपने उसके खाद के भाव बढ़ा दिये, आपने खाद्य पदार्थों के भाव बढ़ा दिये और उसके पैदावार की कीमत वहीं की वहीं टिकी हुई हैं। मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जिस धन्धे पर देश की अस्सी प्रतिशत जनता निर्भर है आप उसके साथ न्याय नहीं करना चाहते हैं। उसके पीछे बड़े इकॉनामिस्ट्स बड़ी दलीलें दे देते हैं कि जो प्राइस इंडेक्स नॉन एग्रीकल्चर का है और जो प्राईज इंडेक्स एग्रीकल्चर का है, यह 70-71 के पहले, से ही लेकिन मैं तो इसको गलत मानता हूं। यह उसके साथ अन्याय था। लेकिन उसको प्राइस इंडेक्स, उसको जो कीमत देना चाहिये वह नहीं देंगे तो आज किसान देश का जाग चुका है। अब आपका यह ढोंग नहीं टिक सकता कि हमारे साथ देश के किसान हैं। आज किसान जाग चुका है वह आपसे छीन कर अपनी कीमत वसूल करेगा।

श्री दिनेश डांगी : यह तो आने वाले चुनाव में आपको पता लगेगा कि आप जीत कर भी आते हैं। किसान के लिए बहुत कुछ कहते हैं लेकिन वह आपके साथ नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह लड़ाई चुनाव की है जो विधान सभा में नहीं लड़ी जाती। विधान सभा में यह राय नहीं दी जाती। विधान सभा का चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आप तो नोट करो। जवाब देने के लिये तो मुख्य मन्त्री हैं, वे देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : जब देश का अस्सी प्रतिशत आदमी खेती पर निर्भर है और खेती के लिए मुख्य आधार सिंचाई होती है। सिंचाई से ही खेती का विकास होगा। सिंचाई से रोजगार मिलेंगे लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि पिछले तीन दिन पहले परसों की बात है, मुख्य मन्त्री महोदय से जब राजस्थान नहर के बारे में प्रश्न किये जा रहे थे तो वह किसी किस्म का जवाब नहीं दे पाये। इससे ही पता चलता है कि उनकी राजस्थान केनाल के बारे में कितनी रुचि है यह साफ जाहिर होता है। इसके अलावा सिंचाई के लिए बातें तो करते हैं लेकिन पैसा तो कम किया है उलटे। इस वर्ष या पिछले वर्ष 196 करोड़ था वहां आपने इस वर्ष 187.7 करोड़ कर दिया है और आप कहते हैं कि सिंचाई ज्यादा खेतों में करेंगे, ठीक नहीं है। कृषि हमारे देश की इकॉनामी की रीढ़ की हड्डी है। आप किसान को उसकी कीमत का उचित मूल्य अगर नहीं देंगे तो उसका बजट गड़बड़ाता चला जा जायगा दिन प्रति दिन। डीजल

(श्री यदुनाथ सिंह)

मंहगा होता जा रहा है। उसके खेत पर लगने वाली दवाई मंहगी है। उसका बीज मंहगा है। खाद के भाव बराबर बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से वह जो चीजें खरीदता है, कपड़े से लेकर लते तक वह चीजें भी दिनों दिन मंहगी होती जा रही हैं जो कुछ वह पैदा करता है, उसका शोषण कर रहे हैं। उसकी कम कीमत दिलाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आप जनता में जाने का साहस करना चाहते हैं तो आप को किसान के साथ हमेशा न्याय करना पड़ेगा।

सूखाग्रस्त की यहां पर बड़ी भयंकर विभीषिका राजस्थान में रहती है। कोई भी परमानेंट समाधान अगर है तो इर्रीगेशन है। आप पानी दीजिए, पानी के बिना खेती नहीं चल सकती। पानी के बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता। पंजाब की आप मिसाल लीजिए। पंजाब में सबसे ज्यादा पैसा पूरे बजट का पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा, सिंचाई पर खर्च किया गया। वहां एक एक इंच भूमि को पानी दिया गया। पानी देने का नतीजा यह निकला कि वहां पर एक मजदूर को मजदूरी 18 रुपया और 15 रुपया मिलती है। उसके पास पैसा ज्यादा आता है तो वह मजदूरी ज्यादा देता है। वहां का हर आदमी आज सड़क से और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। आज वहां पर हर आदमी छोटे छोटे कारखाने जो साइकिल के कारखाने हैं, उसके लिए वहां का हर आदमी पुर्जे बनाता है। हर ग्यारहवां आदमी देश से बाहर गया है। तो पानी ही देश की अर्थ व्यवस्था का आधार है, खेती का आधार है। खेती पर आश्रित लोग ही ज्यादा हैं। खेती पर ध्यान नहीं देते। एक तरफ यह दलील देते हैं, इकॉनॉमिस्ट वाले कि खेती की पैदावार के अगर हम भाव बढ़ायेंगे तो उपभोक्ता वस्तुओं के भाव बढ़ जायेंगे। उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। मैं पूछना चाहता हूं उनसे उपभोक्ता कौन हैं? उपभोक्ता वह है, देश का अस्सी प्रतिशत आदमी किसान है तो उपभोक्ता भी सबसे बड़ा वही है। प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा वही है। अनाज के भाव बढ़ायेंगे तो दूसरी चीजें बाजार से खरीदेंगे तो उपभोक्ता भी सबसे बड़ा वही हुआ। उसके पास पैसा नहीं होगा तो बाजार से चीजें क्या खरीदेगा। उसकी खरीदने की कैपेसिटी जब तक आप नहीं बढ़ाओगे न उद्योग कायम हो सकते हैं, न उद्योग लग सकते हैं। नेहरू जी की बड़ी सराहना करते हैं कांग्रेस वाले लोग....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अभी तो आधा घण्टा मेरी पार्टी का बकाया है। आपने कहा था कि हमारी पार्टी को 45 मिनट दिये जायेंगे। हमारी पार्टी का आधा घण्टा बाकी है।

श्री सभापति : आप की पार्टी ने 36 और 17 मिनट, कुल चालीस मिनट ले लिये हैं। बीस मिनट तो आपने ही ले लिये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : जो सबसे बड़ी कमी इस बजट में नजर आती है। पिछली बार मुख्य मंत्री ने इन्टर स्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में बात चल रही थी, तो यहां बड़ी शेखी के साथ कहा था कि मैं फौलाद की तरह

(श्री यदुनाथ सिंह)

अड़ा रहूंगा, लेकिन कहां गया उनका फौलाद। इस बजट भाषण में उन्होंने कहीं भी इण्टर स्टेट डिस्प्यूट्स का जिक्र नहीं किया है। क्या होगा हमारी सिंचाई योजनाओं का, क्या होगा हमारी बिजली की योजनाओं का कहां गया वह फौलाद और वह हौसला? आज मुख्य मंत्री को भरोसा नहीं रहा। मुख्य मंत्री को निश्चित तौर से भरोसा नहीं रहा। उनका जो टेलीफोन का तार था संजय की मार्फत वह कट चुका है। दूसरा कनेक्शन लगा नहीं है। इसलिए उनको भरोसा नहीं है। मैं किस तरह से दूसरी स्टेटों से बात चीत करूं। इसलिए जो इण्टर स्टेट के मामले हमारे हैं वे खटाई में नजर आते हैं और जब वे मामले खटाई में हैं तो बिजली और सिंचाई के मामले भी खटाई में नजर आते हैं तो देश और राज्य का विकास खटाई में नजर आता है। इसलिए इस तरह से घोषणा कर देना आंकड़ों के भ्रम जाल में भरमाना है। आंकड़ों को भी आप गौर से देखिये। पिछली बार के आंकड़े देखिये। कौन-कौन सी चीजों के भाव बढ़े। कौनसा प्राइस इंडेक्स ऊपर गया, कौन सा नीचे गया, किस तरह से गया। इस तरह से जो प्लान है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी की सरकार और इन्दिरा कल्चर है, वह पूंजीपतियों का कल्चर है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि उन्होंने किस तरह से सिंचाई पर पैसा खर्च किया। सिक्स्थ प्लान में कृषि पर क्या किया, कॉटेज इंडस्ट्रीज पर कम खर्चा किया, ग्रामीण बेरोजगारी पर कम किया। मिनिमम नीड प्रोग्राम पर कम किया, एजूकेशन पर कम किया। यहां तक कि हैल्थ पर कम किया। पैसा बढ़ाया कहां पर है, जो सात सौ करोड़ रुपया था उसको 13700 करोड़ रुपया कर दिया है, हैवी इंडस्ट्रीज पर बिड़ला और टाटा को बढ़ाने के लिए। हैवी इंडस्ट्री देश की इकानामी और बेरोजगारी को दूर करने का साधन नहीं है। हैवी इंडस्ट्री से जहां एक तरफ हजारों लाखों ही नहीं करोड़ों मजदूर बेकार पड़े हैं। हैवी इंडस्ट्री लगाने की परम्परा चलाना इंगलैंड और अमेरिका के लिए ठीक हो सकती है। हिन्दुस्तान के लिए तो हाथ से चलने वाली मशीनें, हाथ से चलने वाले बंगलर जिसमें पावर भी कम कन्ज़्यूम हो, जिसमें डीजल भी कम कन्ज़्यूम हो, हाथ से आदमी काम करे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उनकी माली हालत नहीं सुधरेगी तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। इसलिए यह बजट मुख्य मंत्री ने पेश किया है और जो बजट का प्रावधान, बजट की कमी को पूरा करने का प्रावधान किया है उसके बारे में हम बहुत जोरों से शंकालु हैं। आपने कहा कि राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि भूमि को नीलाम करके बजट के घाटे की पूर्ति की जावेगी। एक ओर तो राजस्थान नहर आ रही है, वहां पर गरीब आदमी, शिड्यूल्ड कास्ट के गरीब तबके के आदमी न जाने कब से आशाएं लगाए बैठे हैं कि हमको भूमि आवंटित की जाएगी तो हमारी माली हालत सुधरेगी। क्या इन्दिरा गांधी का भूमि सुधार का कार्यक्रम नहीं है, बीस सूत्री कार्यक्रम में नहीं है। संजय गांधी को तो इस बार भूल ही गए। माननीय मुख्य मंत्री पहाड़िया, पिछली बार संजय की वजह से राज्य का विकास अवरुद्ध हो रहा था। संजय जी की अकाल मृत्यु से राज्य के विकास पर फर्क पड़ेगा, वह

(श्री यदुनाथ सिंह)

उनके राजनैतिक अधिकार पर फर्क भले ही डालता हो लेकिन राज्य के विकास के बारे में जो इन्दिरा गांधी ने अपने बीस सूत्री प्रोग्राम के बारे में जो कुछ कहा है क्या आप उसको इन्दिरा गांधी को भी, दिन प्रति दिन भूलते जा रहे हैं ?

इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस तरह की पूर्ति, यह कहना कि टैक्सों की कोई गुंजाइश नहीं थी, मैं कहता हूं टैक्सों की भी बहुत गुंजाइश है। क्यों नहीं लगाते टैक्स लक्जरी गुड्स पर ? क्यों नहीं टैक्स लगाते रेफ्रिजेटर पर ? क्यों नहीं आप टैक्स लगाते एयर कण्डीशनरों पर ? क्यों नहीं टैक्स लगाते लक्जरी की चीजों पर ? लेकिन आप टैक्स नहीं लगा सकते। ईस तरह की आप रैलियां निकालते हैं, करोड़ों अरबों रुपया उनसे झपटते हैं। इन पर आप टैक्स लगायें। नाचने वाली होती है, वह तो वही उसी को नचाती है जो पैसा देता है। वह नाच कौन नचाता है। यह सरकार गजर वाली सरकार है। जिस प्रकार का बजट केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकारों ने बनाया उसी तरह का बजट यहां की सरकार ने भी बना दिया। यह तो आपने सुना होगा कि तालियां बजाने वालों की एक जमात होती है। बच्चा पैदा हो तो तालियां, शादी हो तो तालियां बजाते है। तो इन्दिरा गांधी ने कह दिया कि राजीव आएगा, आएगा। संजय आएगा, आएगा। बबला आएगा, आएगा और इस बार तो इतना खराब बजट होते हुए भी, इतना डेफीसिट बजट होते हुए भी आपने गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। आप गांवों का प्रतिनिधित्व करते हो, किसानों का प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन यहां पर केवल झुनझुना बजाते हो। बाजे में जैसे एक झुनझुना बजाने वाला होता है, चाहे मातम की धुन हो, चाहे खुशी की धुन हो। झुनझुना बजाने वाले मत बनिये। आप राज्य के विकास के लिए आए हैं। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। अगर आप यहां नहीं बोल सकते तो अपनी पार्टी के अन्दर अपनी नीतियों को लागू करवाइये। लागू नहीं करा पाते तो आप जिस जनता से जिस उद्देश्य से वोट लेकर यहां आए हैं उस जनता के साथ अन्याय और धोखा देते हो। धन्यवाद।

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, मुझे भी अवसर दें।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट इनको भी। He is the last speaker of our party.

श्री सभापति : ऐसा है कि सदन का टाइम आठ बजे तक का है। माननीय सदस्य अभी बहुत सारे बोलना चाहते हैं तो अगर आप यह चाहते हैं कि सदन का टाइम और बढ़ाया जावे तो बैठिये आप।

श्री भंवर लाल शर्मा : हम बैठे रहेंगे, साहब।

श्री सभापति : श्री माणक मल मेहता।

श्री माणिकमल (मेहतापाली) : सभापति

(श्री माणकमल मेहता)

महोदय, 6 मार्च को, हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर, जो मुख्य मंत्री भी हैं, ने 80-81 का बजट इस सदन में पेश किया और इस बजट पर जो वाद-विवाद हो रहा है, जो माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में इस बजट का स्वागत करते हुए अपने विचार इस सदन के समक्ष रखता हूं।

श्रीमन्, यह बजट जो आज की परिस्थितियां हैं, देश में जिस प्रकार का माहौल है और जिस प्रकार हमें विरासत में जनता पार्टी की सरकार से घाटा ही घाटा मिला। उस परिप्रेक्ष में इससे सुन्दर बजट और संतुलित बजट कोई बना नहीं सकता था। मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन के समक्ष तमाम स्थितियों में तमाम बातें को आपके सामने रखा है और तमाम विभागों में जिस प्रकार की योजनाएं बनायी हैं इस वर्ष की, वह सभी सराहनीय हैं। इससे दूसरा शब्द मैं सोचता हूं विपक्ष में बैठे हुए लोग केवल उस बजट को क्रिटीसिज्म की नजर से कहते होंगे बल्कि वे स्वयं भी इस बात की सराहना कर रहे होंगे। आज संसार में जिस प्रकार का विषाक्त वातावरण चल रहा है, देश में जिस प्रकार की आंधियां चल रही हैं, जनता पार्टी ने विरासत में जो हमें घाटा दिया उसकी पूर्ति एक साल में किसी भी तरह कदापि नहीं हो सकती है। हिन्दुस्तान को आजाद हो जाने के बाद कांग्रेस सरकार ने वर्षों तक हुकूमत की थी। देश को जो प्रगति दी, देश के विकास में चार चांद लगाये, उस तमाम विकास को अवरूद्ध करने का श्रेय यदि किसी पार्टी को मिल सकता है तो वह जनता पार्टी को मिला है। आज चूंकि जनता पार्टी ने अपना राज संभाल लिया वह राज उन्होंने अपनी योग्यता के कारण नहीं संभाला, लेकिन जनता में कांग्रेस के प्रति एक आक्रोश आ गया था और आक्रोश का कारण हम जानते हैं, फेमिली प्लानिंग के जो आपरेशन हो रहे थे, गांवों में जिस प्रकार की होड़ लगी और उसकी क्रियान्विति हमारे राज्य के अधिकारियों की ओर से जिस तरह से हुई उससे एक गलत तरह का प्रचार हुआ और उस होड़ में गलती का नुकसान अधिकारियों को न होकर पार्टी को हुआ। उस समय जनता के सामने दूसरा कोई आल्टरनेटिव नहीं होने की वजह से इस खिचड़ी सरकार को सेन्टर में भेज दिया। वह सरकार अपनी आपसी फूट से वहां से ढाई वर्ष में चल बसी। उस सरकार के जो अवशेष रहे, जो हमने संग्रह किया था उसको समाप्त करके विरासत में जो चीज दी आप समझिये, उसको सुधारने में कितना समय लग सकता है। यह राजस्थान के मुख्य मंत्री का दोष नहीं है। अभी विपक्ष के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने इस चिकने कलेवर पर क्रिटीसिज्म किया लेकिन क्या मैं समझता हूं कि आज के दिन अगर किसी बजट की प्रति या बजट की पुस्तिका एक सुन्दर कलेवर में रखी जाती है तो यह क्या मुख्य मंत्री पर आक्षेप का विषय बन सकता है ?

सभापति महोदय, मैं आपको इस परिपेक्ष में यह निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश की सावरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक

(श्री माणकमल मेहता)

होने के बाद सन् 1977 तक हमने राज किया। उसके बाद जो सुविधायें आपने इसमें दी हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आगामी वर्ष का जो बजट बनाया है उसके लिए मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं उस क्षेत्र की जो कुछ भी समस्याएं हैं उनका इसके अन्दर उस परिप्रेक्ष में उनके समाधान के लिए अगर उपयोगी रूप से, सही ढंग से प्रोविजन किया जाता रहे तो वह अधिक उपयुक्त रहेगा। मैं आपसे अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा। मेरे यहां पाली एक जिले का डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है। वहां पर बस डिपो की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जो बाड़मेर से आये हुए माननीय सदस्य थे, उन्होंने यह कहा कि हमारे पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधित्व केबिनेट में नहीं है, यह हमारा दुर्भाग्य रहा है। लेकिन मैं उसको नहीं मानता और यह कहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी महोदय, जो सारे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं उनके लिए यह विशेष दायित्व का कारण बन जाता है, कि उनको पश्चिमी राजस्थान को यह महसूस नहीं होने देना चाहिये कि वहां का प्रतिनिधित्व यदि नहीं हुआ तो वहां के विकास की गति तेज करने के लिये, उसको आगे बढ़ाने के लिये हमेशा आगे रहेंगे। यह बात उन्हें प्रमाणित करने के लिए वहां के हमारे क्षेत्र का विकास, पश्चिमी क्षेत्र का विकास अवश्यम्भावी है और अवश्य होना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में मेरा क्षेत्र जहां से मैं चुन कर आया हूं वह पाली जिला, जिला हैडक्वार्टर होने की वजह से बसों का एक बहुत बड़ा सेन्टर है, अगर वहां डिपो नहीं होगा तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा वहां के लोगों के साथ अन्याय होगा। रोजमर्रा वहां से 60–70 बसें रोडवेज की निकलती हों और वहां के नाना प्रकार के यात्री आते हों, बहुत ही असंख्य यात्री आते हों, उनके लिए कोई भी बस खराब हो जाती है तो उस समय कोई बस की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यातायात की जब बात देखी जाय तो इसके लिये प्रोविजन रखा जाय, पाली के अन्दर एक डिपो खोला जाय।

इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा। पाली के अन्दर पाली तहसील के 45 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रेकिश वाटर है, खारा पानी है। किसी जगह मीठा पानी भी होता है तो मीठे पानी के कारण पानी नीचे होता है तो बोरिंग करा कर पानी ला सकते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा है वहां सदियों से खारा पानी है, और लोगों को वही पीना पड़ता है। आप कल्पना कर सकते है कि ऐसे लोग जो वहां रहते हैं, सदियों से रहते हैं, उस खारे पानी को पीकर किस प्रकार से अपनी पिपासा को शान्त कर सकते हैं। मैं सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम फाइव ईयर प्लान बनायें तो किसी गांव को प्यासा नहीं रखेंगे, हर गांव में पीने के पानी का बन्दोबस्त करेंगे। तो, मैं आपसे इस संदर्भ

(श्री माणकमल मेहता)

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजस्थान केनाल, अभी पचपदरा के माननीय सदस्य ने हवाला दिया था, उस राजस्थान केनाल का हवाला देते हुए कहता हूं अगर राजस्थान सरकार सजग है, सक्षम है तो उस राजस्थान केनाल के पानी को नाचना से जल्द से जल्द लाकर जोधपुर से लाकर लोगों को पिलाने की व्यवस्था करें। जितनी जल्दी जोधपुर पानी आयेगा, उसके बाद जंवाई का पानी पाली और पाली के गांवों में रोक सकेंगे। इसके अलावा दूसरा और कोई साधन नहीं बन सकता है। जंवाई से नाचना का पानी जो जोधपुर ड्रिंकिंग वाटर पर्पज के लिए मिलता है, यदि सीधे रोक कर उसे 45-50 गांवों में ले जाते हैं तो उनकी हमेशा की प्यास बुझ सकती है और पीने के पानी की व्यवस्था आसान हो सकती है।

इस अकाल की विभीषिका के सम्बन्ध में निवेदन करूं। वहां पर कोई दूसरा साधन नहीं है। टैंकर से वहां पानी ले जाते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : किस रूल के तहत पाइन्ट आफ आर्डर उठा रही हैं?

श्रीमती उजला अरोड़ा : किस रूल के तहत गोविन्द सिंह जी सो रहे हैं और किस रूल के तहत जगाया जा सकता है?

श्री माणकमल मेहता : वह 45 गांव जहां कि आज इस अकाल की विभीषिका में टैंकरों द्वारा पानी ले जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा इलाज नहीं है। एक टैंकर मुश्किल से एक गांव में ले जाता है। जहां 5-7 हजार की आबादी है। एक टैंकर पीने का पानी कितना दे सकता है आप सोचिये कितनी कैपेसिटी होती है, कितने लोगों को वह पानी पिलाया जा सकता है, मवेशियों की तो कोई बात नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, मैं मुख्य मन्त्री जी से, जो फाइनेन्स मिनिस्टर भी हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि इसे विशेष युद्ध स्तर पर लें और यह राजस्थान केनाल का पानी अगर जल्दी से जल्दी जोधपुर तक ले जाया जा सके राजस्थान की ओर से अगर केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया जा सके, जितना ज्यादा पैसा दे सकें वह पैसा इसके लिये दिया जाय। मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पी. एच. ई. डी. की ओर से वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसा दिया गया है, पाइप लाइन को जंवाई बांध से ले जाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन मैं इसका विरोध करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि पाइप लाइन से जोधपुर पानी ले जायं, सीधे जंवाई से गांवों की एग्रीकल्चर लैंड है उनको पानी नहीं मिल सकता है। यह पैसा वर्ल्ड बैंक दे रही है, उसको डाइवर्ट करके, यदि राजस्थान केनाल में एडवर्ट किया जा सके किसी तरह उनको समझाया जा सके तो मैं समझता हूं उसके बाद वह पैसा राजस्थान केनाल में लगाया गया तो वह उसमें एड होगा, जोधपुर को पानी ज्यादा मिल सकेगा। अगले दस साल में जितनी पापुलेशन जोधपुर की बढ़ेगी

(श्री माणकमल मेहता)

उसको न पानी मिल सकेगा और न गांवों की प्यास शान्त होगी। जंवाई का पानी अपर्याप्त है इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पाली में 450 यूनिट्स इण्डस्ट्रीज के हैं SSI और वहां पर रीको की ओर से जो प्रवासी राजस्थानी हैं हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों में अपने उद्योग लगाये हुए वहां बैठे हैं उनको जब निमन्त्रित करने के लिए जाते है कि वे राजस्थान में आयें और उद्योग लगायें लेकिन पावर की स्थिति यह है कि पावर हम दे नहीं पाते हैं और जिन-जिन प्रोजेक्ट्स से हमें पावर दी जा रही है उनके ऊपर हमारा कोई अधिकारी या आदमी वहां पर नहीं रह सकता और उनके अन्दर हमारा साझा नहीं है हम उनका पूरा उपयोग नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि उनको इन्वाइट करने से कोई लाभ नहीं है। केवल एक भ्रम या धोखा होगा, उनको नये उद्योग लगवाने का प्रयत्न करेंगे या क्रेडिट करेंगे तो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि और कई चीजें हैं, रीको की ओर से जो इडस्ट्रियालिस्ट्स लिये जा रहे हैं उनको किस प्रकार से जितना भी कन्सेशन देना चाहिये उसकी बजाय उनके साथ इस प्रकार के स्टेप उठाये जा रहे हैं। उन्होने जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया उनके लिए न तो रीको ने रोड्स बनाई न बिजली और पानी की सुविधा दी इसके बावजूद भी कि तमाम पैसा लीज का दे दिया रजिस्ट्रेशन करवा दिया इसके बावजूद भी तमाम लीज केंसिल की जा रही हैं। इस प्रकार की बातों से इंटरप्रेनियोर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को हार्ट बर्निंग होती है। मैं समझता हूं मुख्य मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देकर जो पाली में 450 यूनिट्स हैं, मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में पाली ही एक ऐसी जगह है, जहां रंगाई और छपाई का, बालोतरा सेकण्ड और पाली फर्स्ट आता है हिन्दुस्तान तो उनको एन्करेजमेंट देकर वहां के इन्टरप्रेनियोर्स, इण्डस्ट्रियलिस्ट्स, को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

एक मिनट और लेता हूं। पाली के अन्दर दूसरी चीज जो एग्रीकल्चर लैंडस है काफी मकानात बने हुए हैं जो आज तक रेगूलेराइज नहीं हुए तो इसके लिए जो रूल्स बने हैं उनको अप्लाई करवा करके 10-10 साल से मकान बने हैं उनको नियमित कराइये और जो गरीबों की झोंपड़ियां बनी हुई है जो बहुत ही कीमती अरबन लेण्ड हो चुकी है, जो मकान उनके बने हुए हैं उनको रेगूलेराइज करने के बाद ही वे निवास कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता था। वाटर पाल्यूशन के लिए तो स्कीम बनी हुई है। उस पर इमीजिएटली काम होना चाहिए इसके अलावा पाली सिटी के लिए ड्रिंकिंग वाटर स्कीम के लिए जो स्कीम और मास्टर प्लान बने हुए हैं उनके लिए अब हम पी. एच. ई. डी. के चीफ इन्जीनियर से मिलते हैं तो वे हमेशा अर्थाभाव बताते हैं। मैं समझता हूं कि जो शहर इतनी औद्योगिक तरक्की कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, जिसकी जन-

(श्री माणकमल मेहता)

संख्या बढ़ रही हो और जहां बहुत बड़ी मिल उम्मेद मिल जिसमें 5 हजार मजदूर काम करते हैं उस क्षेत्र की, शहर की तरक्की के लिए हमें कितना कन्सेशन देना चाहिए तो मैं राज्य सरकार और आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिये वह बहुत ही सहानुभूति पूर्वक विचार करें और पाली की तरक्की के लिए, उस क्षेत्र की तरक्की के लिए, पानी और बिजली की तरक्की के लिए और एक बात कहना भूल गया, पाली में सर्किट हाउस बनाना बहुत आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके लिये स्कीम बन चुकी है। यह बहुत जल्दी बनाया जाना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट इस साल पेश किया है उसका स्वागत करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि यह बहुत सराहनीय है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): पाइन्ट ऑफ आर्डर, सभापति महोदय, एक व्यक्ति का दर्ज होता है उसके लिये भी 15 मिनट और हमारे 9 व्यक्तियों का, विधायक प्रगतिशील दल के हैं उनके लिये केवल दो सदस्यों को समय अभी तक मिल चुका है जब कि हम काफी तैयारी से बोलना चाहते थे। दूसरा प्रश्न यह है कि बजट पर बोलने की बजाय डिमाण्ड पर, छोटे-छोटे मैटर्स ये सब मामले आते हैं और रिपीटिशन बार-बार होता है इस मामले की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री सभापति: ऐसा है, यह पहले से व्यवस्था चली आ रही है कि जो जो दल हैं उनके सदस्यों की गिनती के लिहाज से उनको पर्याप्त टाइम दिया गया है। आपका जो दल है उसको केवल 20 मिनट का टाइम मिला हुआ है वह टाइम पूरी मात्रा में आपका दल ले चुका है और मेरी मुश्किल यह है कि अगर समय हुआ तो मैं आपको बुला सकूंगा वर्ना नहीं। मैं एक सूचना और देना चाहता हूं कि श्री भंवरलाल जी शर्मा को सदन से बाहर निकालने के आदेश जो माननीय अध्यक्ष ने दिये थे वे निरस्त कर दिये गये हैं। तत्काल ही निरस्त कर दिये गये हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी: 0 मिनट की बात आपने फर्मायी लेकिन जो लोक दल है, हमारे से कम सदस्य संख्या उनकी है उसको 50 मिनट का टाइम दे दिया गया उससे अधिक संख्या का हमारा दल है उसको 20 मिनट का टाइम कैसे संभव है?

श्री सभापति: यह तो आप अध्यक्ष महोदय, से फर्मावें तो बहुत बेहतर है।

श्री रतनलाल ताम्बी: वह तो हैं नहीं, हम तो आपसे ही अर्ज करेंगे।

श्री सभापति: वह पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। श्री कमला भाई।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 81-82 का जो बजट पेश किया उस बजट का मैं स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय हमारा

(श्री कमला भाई मीणा)

आदिवासी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 81 प्रतिशत आदिवासी हैं उनके पीने के पानी के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो लोग हमारे क्षेत्र का गन्दा पानी पीते हैं उनको बाला व नारू निकलते हैं। उस बीमारी से....

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय आधे घंटा बढ़ा दिया जाय?

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है कि सदन की बैठक का समय आधा घण्टा और बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामकंवार बैरवा (फागी): सभापति महोदय, इस बीच मेरा नम्बर नहीं आ पायेगा। मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री कमला भाई मीणा: आज जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें खाने के लिये आदिवासियों को रोटी नहीं मिलती और आज इस क्षेत्र में भयंकर अकाल होते हुए भी सरकार की ओर से राहत कार्य नहीं खोले गये हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि हमारे क्षेत्र में इन गरीबों के ऊपर ध्यान देकर शीघ्र ही राहत कार्य खुलवाने की कृपा करें। आज हमारे वहां की जनता देखती है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन जिलों में हैण्ड पम्प लगे हुए हैं। हमारे क्षेत्र के अन्दर 85 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं, इन आदिवासियों के लिये पीने के पानी के हैण्ड पम्प की अत्यन्त ही आवश्यकता है। हर गांव, हर पंचायत में इनकी जरूरत है।

दूसरे, हमारा आदिवासी क्षेत्र पहाड़ी इलाका है। अधिकतर जमीन पहाड़ियों में दबी हुई है और वहां के आदिवासियों के पास में नाम मात्र की जमीन है।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर): कोरम नहीं है।

श्री सभापति: कोरम है। वैसे भी बढ़े हुए समय के बाद कोरम की आवश्यकता नहीं होती है।

श्री कमला भाई मीणा: आदिवासियों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जंगलों में काम करते रहे हैं परन्तु उन पर मुन्सिफ कोर्ट में केसेज चल रहे हैं। पेशी कर रहे हैं और उनकी जिन्दगी बर्बाद हो रही है। इसलिए सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय, और वन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो वन विभाग की जमीन है वह रेवेन्यू में शीघ्र से शीघ्र आदिवासियों के नाम करवाई जाय ताकि उन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। इसके अलावा जो 75–76 में हम लोगों को मकान बनाने के

(श्री कमला राई मीना)

लिये लकड़ी ले जाने की इजाजत दी गई थी, 1977 में जनता सरकार ने हमारे आदिवासियों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पहले आदिवासियों को खुली लकड़ी मिलती थी वह वापस मिलनी चाहिये।

आज हम देखते हैं कि जयपुर और दूसरे नगर उदयपुर में डामर की सड़कें हैं। जो गरीब आदिवासी हैं, शिड्यूल्ड कास्ट हैं, ट्राइब्स है, गांव, जंगल में रहते हैं, वहां पर सड़कों का अभाव है। तहसील से 25-30 मील दूर रहते हैं। उनका कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उठा कर लाते हैं। डिलीवरी के केसेज होते हैं तो उठा कर ले जाते हैं। उनके वहां पर यातायात के कोई साधन नहीं हैं। यह मेरा आपसे निवेदन है कि आप हर पंचायत में हर गांव में आदिवासियों के लिये सड़क बनावें ताकि उनको भी यातायात के साधन उपलब्ध हो सकें।

सभापति महोदय, एक छोटी बात और मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। सन् 76, 75 में कड़क और जेठना गांव के अन्दर जो लिफ्ट लगाई गई है उसके खम्भे लगे हुए हैं, तार खिच गये हैं, पाइप भी जुड़ गये हैं मगर जनता सरकार के आने के बाद उसका उपयोग नहीं हुआ है। हजारों रुपया खर्च हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस लिफ्ट को चालू करवाने की कार्यवाही की जाय।

मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री जगदीश तिवाड़ी।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, हम को समय नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है।

श्री सभापति : आपको अवश्य दूंगा। आप बैठें तो सही। आप कभी सभापति की सीट पर बैठेंगे तो पता चलेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपको अवश्य समय दूंगा। आप लोगों को तो बोलने की जरूरत क्या है। आपको बोलना क्या है। हां हां यस करना तो है। सही सुझाव वस्तुपरक सुझाव तो हम दे सकते है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्ती) : सभापति महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जनता शासन के कारण जो आर्थिक स्थिति बनी है, प्रशासनिक ढांचा जिस तरह से बिगड़ा है, उसको देखते हुए यह बजट प्रशंसनीय है। हमारी नीतियों के अनुसार बजट में सभी योजनाओं, कार्यक्रमों की क्रियान्वित का उल्लेख है। इसलिए प्रस्तुत बजट की मैं प्रशंसा करता हूं।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि जिस जनता सरकार को हमारे यहां की जनता ने ठुकराया है, उसके कई कारण हैं और जनता ने हमसे जो आशाएं की थीं, उन आशाओं के अनुरूप मैं इस बजट को नहीं मानता हूं। इसके लिए मैं सर्व प्रथम जनजाति विकास की ओर आपका ध्यान

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

आकर्षित करना चाहता हूं। जनजाति विकास के लिए जयपुर जिले के लिये गत वर्ष 43 लाख रुपये का प्रावधान था। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें से केवल 5 लाख रुपया वर्ष समाप्ति के 18 दिन है, 5 लाख रुपया खर्च किया गया है। हमें बजट में प्रावधान रखें और बजट बढ़ाने के लिये संघर्ष करें। लेकिन जो बजट हमें उपलब्ध है उसको खर्च नहीं कर पाएं तो यह गंभीर विषय है, और विचारणीय है। आज जिस जनजाति के विकास के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है, उसके बावजूद क्या कारण रहे हैं जिसके कारण जो प्रावधान थे उसको हम काम में नहीं ले सके। समाज कल्याण मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें ताकि भविष्य में इस प्रकार बजट प्रावधान होते हुए हमारे कार्यक्रम रुके न रहें, हमारी जनता सुविधाओं से वंचित न रहे ऐसी घटना न घटे और उसकी पुनरावृत्ति न हो।

दूसरा, जो समाज कल्याण विभाग की ओर से बजट प्रस्तुत किया गया है, चाहे वही प्रावधान रहे लेकिन समाज कल्याण विभाग से खास तौर से दो बात निवेदन करना चाहता हूं। वह यह कि सांसी जाति और नट जाति ये दो जातियां आज तक अछूती रही हैं। सांसी जाति आज भी चोरी को अपना जीवन यापन का साधन मानती है। उनके पास आय का और कोई साधन नहीं है। मजबूर होकर चोरी का सहारा लेना पड़ता है। जिससे समाज भी दुखी है वह करना चाहिये। हम इस बात के लिये सोचें और उनके संस्कार सुधारने के लिये और उनको रोजगार के साधन प्रदान करने के लिये अगले वर्ष कुछ प्रावधान करेंगे ऐसी मैं आशा करके चलता हूं। माननीय मंत्री महोदय, इसी संदर्भ में विशेष जाति के लोग हैं और जो हैं समाज के लिये कलंक हैं उसको दूर करने के लिये हम अगले वर्ष अवश्य प्रयास करेंगे। दूसरा मेरा नट जाति के बारे में निवेदन है मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी कहा था कि नट जाति के जो परिवार हैं, सैकड़ों परिवार हैं जो आज भी अपनी आजीविका का साधन अपने शरीर को मानते हैं अपनी सुन्दरता को लेकर चलते हैं, समाज में इस प्रकार के लोग नहीं रहें उनके पास आय के स्रोत नहीं हैं तो यह हमारे लिये सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि समाज कल्याण मंत्री जी जो समाज कल्याण का बजट है जो वर्तमान में प्रावधान किया गया है उसे समाज के संस्कार सुधारने के लिये आपका समाज कल्याण विभाग इस जाति पर भी खर्च करे।

मैं विद्युत के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि विद्युत के लिये हमारे जो लक्ष्य हैं उनको हम समय पर पूरा करें जो सामान का अभाव है उसको दूर करें। कुओं पर जो विद्युत के कनेक्शन दिये जाते हैं वे कनेक्शन देने में काफी विलम्ब होता है। किसान को परेशानी नहीं हो सामान के कारण और उसको कनेक्शन नहीं मिल पाये ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये।

मेरे क्षेत्र की चाकसू पंचायत समिति

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

की विद्युत की आर. ई. सी. की योजना थी उसके अन्तर्गत जो प्रथम वर्ष का लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो पाया। आज तृतीय वर्ष तक भी वह पूरी नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति भविष्य में नहीं आये और जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं वह समय पर पूरा हो इसका खयाल रखा जाय।

मैं परिवहन व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो बसें इस समय हैं वे बसें निर्धारित समय पर चलनी चाहिये वे बसें समय पर नहीं चलती हैं, यात्रियों को परेशानी होती है। टिकट आज भी पूरे नहीं काटे जाते हैं जिसके कारण रोड़वेज घाटे में जाती हैं हमारी इस व्यस्था को और भी सुधारा जाना चाहिये ताकि यात्रियों को परेशानी नहीं हो और जहां कहीं बसों की आवश्यकता हो वहां पर नये मार्ग लिये जाने चाहिये और जहां बसों की व्यवस्था निगम नहीं कर सकता है वहां पर प्राइवेट बसों को चलाने की अनुमति दी जानी चाहिये ताकि यात्रियों को परेशानी न हो।

मैं सड़क के लिये इतना ही कहना चाहता हूं कि 1500 की आबादी के गांवों को आपने सड़कों से जोड़ने की बात कही है आज कई गांव हैं जो उस लक्ष्य से वंचित हैं। यदि योजना बनाते समय किसी प्रकार से ऐसे गांव रह गये हैं तो पुनः अनुरोध करता हूं कि विचार करें और 1500 की आबादी के जितने गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ें।

इसके साथ साथ जो अकाल राहत में सड़क बन रही हैं उन पर अकाल के मद से काफी रुपया खर्च होगा। यदि हम इन सड़कों पर डामर नहीं करते हैं और खाली मिट्टी डाल कर छोड़ देते हैं तो जो अकाल के नाम पर पैसा खर्च होता है वह बेकार चला जायगा इसका कोई उपयोग नहीं होगा। उसे स्थायी बनाया जाना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि कृषि उपज मंडियों का सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ सामंजस्य करके इन सड़कों को साथ ही साथ पक्का कराया जाना चाहिये ताकि सड़क स्थायी हो सके।

सहकारिता के बारे में इतना ही कहूंगा कि ऐसी सहकारी समितियां हैं जो ऋण नहीं दे रही हैं और इसके कारण आज भी हमारे क्षेत्र के लोग ऋण सुविधा से वंचित हैं हम सरकार से यह चाहते हैं कि सरकार की तरफ से यह घोषणा होनी चाहिये कि राजस्थान के अन्दर एक भी गांव सहकारिता से वंचित नहीं रहेगा और एक भी व्यक्ति जो ऋण सुविधा चाहता है वह सहकारिता के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेगा इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये।

चिकित्सा सुविधा गांवों में जैसी भी सुलभ हो रही है इसके बारे में एक निवेदन करना है हम दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था करें। गरीब व्यक्तियों को आज भी यह सुविधा नहीं मिल पा रही है और गरीब व्यक्ति बाजार से दवाई नहीं खरीद सकता है अतः अगर हम दवाईयों के अभाव के कारण से गरीब आदमी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। गरीब व्यक्ति आज भी

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

जिसके पास पैसा नहीं है दवाइयों के कारण चिकित्सा सुविधा से वंचित है। उसके लिये चाहे बजट में प्रावधान बढ़ाने पड़ें यह सुलभता होनी चाहिये।

पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये मेरा नम्र निवेदन है कि गोचर भूमि पंचायतों के पास काफी बेकार पड़ी है आप उसमें चाहे प्लांट लगायें चाहे और कुछ करें चाहे चरागाह की व्यवस्था करें उससे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। आज पंचायतों की स्थिति बहुत खराब है अगर पंचायत की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो वह विकास कार्य कर सकेगी। इसलिये पंचायतों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिये यह प्रावधान किया जाना चाहिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मेरा सिंचाई के संबंध में इतना ही निवेदन करना है कि जयपुर के निकट ही मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर निरन्तर कुओं का जल स्तर गिरता जा रहा है और यहां पर कोई नया बांध नहीं बनाया गया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कानोता प्रोजेक्ट योजना सन् 68 से विचाराधीन चल रही है उसको आपने इस वर्ष भी नहीं लिया है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि वहां के कुओं के पानी के गिरते हुये स्तर को ध्यान में रखते हुये उस प्रोजेक्ट के कामकाज को अगले वर्ष चालू करायें ताकि जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है, कि वहां के किसान सिंचाई नहीं कर पायेंगे उससे बचा जा सके।

जय हिन्द।

श्री भंवरलाल शर्मा : श्री, दाऊदयाल जोशी।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, भारतवर्षस्य प्रसिद्धे द्वे संस्कृति च संस्कृत स्तथा। भारत की जो प्रसिद्ध है और इसमें भी राजस्थान की जो प्रसिद्ध है राज्यस्य प्रसिद्धे संस्कृति च संस्कृत स्तथा। तो राजस्थान कि प्रसिद्धि संस्कृत और संस्कृति के आधार पर ही है सारे विश्व में। संस्कृत व संस्कृति की धाक सारे विश्व में जानी जाती है और मानी जाती है। बजट भाषण के दौरान माननीय पहाड़िया जी ने घोषणा की कि संस्कृत अकादमी की स्थापना की है तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर मेजें थपथपायी थीं परन्तु दर्शक दीर्घा में बैठे हुये संस्कृत के अध्यापकों ने बाहर निकलने के बाद में जो संस्कृत की दुर्दशा बतायी है उन्होंने जो वर्णन किया है वह दयनीय है। आज राजस्थान में संस्कृत के अध्यापकों को दूसरे वरिष्ठ अध्यापकों के मुकाबले ग्रेड नहीं मिलता है उनसे अधिक योग्य होते हुये भी आज संस्कृत के अध्यापकों के साथ इस प्रकार का शोषण हो रहा है। मेरा निवेदन है कि जनता पार्टी की सरकार ने एक उर्दू अकादमी की स्थापना की थी और 5 लाख रुपये दिये थे। वह राजस्थान में अरबी भाषा के लिये टौंक में स्थापित की थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार ने संस्कृत अकादमी के लिये केवल एक लाख रुपये घोषणा करके इसके साथ अन्याय किया है इसका मखौल किया है। मैं मुख्य

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह संस्कृत के प्रति अनुराग करेंगे तो उनकी प्रसिद्धि सारे भारत में हो सकती है।

दूसरा, संस्कृति की बात है। मेरे राजस्थान की एक अलग संस्कृति है एक अलग पोशाक है सबको याद होगा कि पिछले वर्ष सारे विश्व में राजस्थानी पोशाक वेश भूषा को सर्वमान्य पोशाक के रूप में, जो प्रतियोगिता आयोजित की गयी थी उसमें माना गया। यह संस्कृति का अंश है।

मेरा निवेदन करना यह है कि जहां तक संस्कृत की बात है परिस्थितियों की मांग यह है कि राजस्थान सरकार संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने की कृपा करे।

दूसरा निवेदन कर रहा था आयुर्वेद की दृष्टि से जो आज आयुर्वेद मंत्री हैं वे अलग से नियुक्त हैं। दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद विभाग जिनके पास है, पहली बार ऐसे आयुर्वेद मंत्री महोदय आये हैं जो आयुर्वेद के बारे में जानते नहीं। आयुर्वेद हमारे मनीषियों का दिया हुआ है। आयुर्वेद के सम्बन्ध में अमेरिका के डा. वान ने लिखा है कि सुश्रुत संहिता में अनेक ऐसे शल्य कर्म हैं जिनको एलोपैथी डाक्टर स्वप्न में भी नहीं जान सकेंगे। डा. वाइज ने लिखा है कि ग्रीस, मिश्र, इटली, यूनान आदि देशों ने चिकित्सा पद्धति भारतवासियों से सीखी। डा. रॉयल के कथनानुसार अरबियन इतिहास में स्पष्ट हो गया कि वे लोग शरक (चरक) ससरद (सुश्रुत) दो ग्रन्थ अपने साथ ले गये थे एवं फारस के पंडितों ने उनका अनुवाद किया, प्राचीन मिश्रवासियों ने भी इन्हें पढ़ा। रोम के सुल्तान अलमंजर ने एक विशाल वैद्य सम्मेलन बुलाया उसमें भी इन्हीं ग्रन्थों को मान्यता प्रदान की, मुझे यह स्वीकार करने में कुछ भी लज्जा नहीं है कि अनेक अवसरों पर जब एलोपैथी चिकित्सा निष्फल हो जाती है वहां देशी चिकित्सा पद्धति से बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है।

मेरा निवेदन करना यह है कि लोगों का यह आरोप है कि आयुर्वेद वाले एलोपैथिक दवाइयां काम में लेते हैं। लेकिन मेरे पास 260 दवाइयों के नाम हैं जो एलोपैथी में काम में ली जाती हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये 260 दवाइयां यदि एलोपैथी से निकाल दी जायं तो शायद, यह डाक्टरी चिकित्सा ही बन्द हो जाय। एलोपैथी के पास तो मुट्ठी भर दवायें हैं। मैं आपके सामने, श्रीमन्, पांच-सात दवाइयों के नाम पढ़ कर सुनाता हूं–लिव-52.

श्री सभापति : आप बजट पर ही अपनी बात कहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है, सभापति महोदय, कि आयुर्वेद का जो बजट रखा गया है वह नगण्य है। वर्तमान में जो औषधालय हैं उनका खर्चा भी इससे नहीं चल सकता, उससे लोगों का उपचार नहीं हो सकता, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जयपुर के एस. एम. एस. के बजट के बराबर सारे आयुर्वेद विभाग का बजट है। दो चीजों के बारे में मुझे निवेदन करना है, एक तो संस्कृत भाषा पर जिसकी

(श्री दाऊदयाल जोशी)

दुर्दशा का मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र किया और दूसरी बात मुझे कहनी है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर।

एक मेरा निवेदन है, बजट में कही गई है श्वेत क्रान्ति की बात। श्वेत क्रान्ति होगी कैसे जब तक कि ग्रामीण पशुओं का ठीक तरह से पालन नहीं होगा। उनकी जो अच्छी नस्लें हैं उनकी सम्भाल नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार राज्य सरकार हरित क्रान्ति के लिए राज्य में ग्राम सेवकों की नियुक्तियां करती है, उसी प्रकार श्वेत क्रान्ति के लिए भी ग्राम सेवकों की अलग से नियुक्तियां करें निश्चित रूप से हम दूध के मामले में आत्म-निर्भर हो सकेंगे।

एक मेरा निवेदन है समाज कल्याण के बारे में, आपने इसके लिए 45 करोड़ का बजट स्वीकार किया है। मेरा निवेदन है कि केअर के द्वारा, हर-एक माननीय सदस्य चाहे कांग्रेस के ही हों, क्या यह सही है कि केअर के द्वारा गरीब आदमियों को हलवा दिया जाता है वह सब कहां जाता है, कहीं बंटता हुआ नहीं देखा गया, केअर के अन्दर अमेरीकी एड से जो सामान मिलता है, दलिया, वह जानवरों को खिलाया जाता है कोटा में यह कांग्रेस के वर्कर्स भी जानते हैं, उसको जेल में बनाया जाता है, वह जानवरों के काम में आता है। कहने का अर्थ यह है कि समाज कल्याण में कितना घोटाला है। मेरा निवेदन है कि कोटा के दो माननीय मन्त्री जी आये हैं, एक समाज कल्याण मन्त्री महोदय और दूसरे उपनिवेशन मन्त्री जी, मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि कोटा की उपेक्षा भयंकर रूप से की जा रही है।

(व्यवधान)

थर्मल पावर प्रोजेक्ट उसकी लाखों की सम्पत्ति पड़ी हुई है, जिससे बिजली मिलने वाली है, इसी प्रकार से मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कोटा में इन्जीनियरिंग कालेज खोलने की बात थी, कोटा में मेडिकल कालेज खोलने की चर्चा थी, लेकिन आज वे सब भुला दिये गये हैं। माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय और उपनिवेशन मंत्री महोदय जो यहां पर अभी विराजमान नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भगवान के नाम पर इन दोनों विषयों पर वे तेज गति से ध्यान देवें और थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो पिछड़ गया है, एक योजनाबद्ध तरीके से उसमें ध्यान दिया जाय, मेरा निवेदन है कि....

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हो तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमन्, मुफ्त कानूनी सहायता की अदालतों में दुर्दशा हो रही है, यह कहा गया कि....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का समय समाप्त हो गया है, फिर भी आपने उनको इतना अधिक समय दे दिया, हम तो इसलिए कुछ नहीं

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कह रहे हैं कि चलो, वे विरोध में बैठे हैं, हमारे भी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि आधे घण्टे का समय और बढ़ा कर इन सारे माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : हमें कहां आपत्ति है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सिरोही में नायलोन धागे का कारखाना खोला जायगा....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने प्रस्ताव रखा है कि सदन का समय 9 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : मुख्य सचेतक महोदय का सदन का समय 9 बजे तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय 9 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार ने केवल एक सिन्थेटिक कारखाना सिरोही में 7 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित करने की बात कही है। मेरा निवेदन है कि जालौर में ग्रेनाइट का जो एक कारखाना चल रहा है उसकी दुर्दशा हो रही है। जर्मनी से आदेश आये पड़े हुए हैं उसके बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसमें लाखों रुपयों का नुकसान चल रहा है, मुझे आश्चर्य होता है सिन्थेटिक युक्त वस्त्रों पर घोषणा की है माननीय मुख्य मंत्री जी ने....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय 8.30 तक है।

श्री दाऊदयाल जोशी : इससे जन-साधारण के स्वास्थ्य और ग्रामीण जीवन की आत्म-निर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूं यह आटे की चक्की पर करों में छूट दी है जो हाथ से पीसने की है, मुख्य मंत्री जी ने इस पर छूट दी है, मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी तो क्या कोई भी माननीय सदस्य हाथ की चक्की का पिसा आटा नहीं खाते होंगे। सभापति महोदय, इसी कारण से पहाड़िया जी की तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं है। अगर वह हाथ की चक्की का पिसा आटा खाते तो ऐसी तन्दुरुस्ती नहीं रहती। आपने हाथ से खेंची जाने वाली गाड़ी में छूट दी। प्रगति के सोपान में लूना, लक्ष्मी, पलियामा विक्की बाइसिकल पर किसी प्रकार की छूट दी जाती तो लोगों को महसूस होता। आप चाहते हैं कि इस युग में भी आदमी अपने हाथ से गाड़ी खींचता रहे। यह गरीब आदमियों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ है, आज आदमी को रिक्शा खींचना पड़ता है, इस यान्त्रिक युग में भी। इस प्रकार से आप

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

आदमी से खींची जाने वाली गाड़ी में छूट देकर क्या करना चाहते हैं? मेरा निवेदन है यह सब जो आपने कर मुक्त किया है, यह सब ढोंग है।

दूसरा, मेरा निवेदन सीलिंग के मामले में है, कोटा जिले में 33 हजार बीघा भूमि अवाप्त कर ली,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दस साल हो गये, मेरी सरकार ने प्रयास किया था। वह भूमि गरीबों को नहीं दी गई। ली गई जमीन का आज तक मुआवजा ही दिया गया। मेरा निवेदन है कि राजस्थान की धरती पर जो कल-कारखाने हैं उनका हैड ऑफिस राजस्थान में ही होना चाहिये। कोटा में जो दो बड़े कारखाने हैं जे.के. सिन्थेटिक्स और दूसरा देहली क्लाथ मिल्स का, उनमें से एक का हैड ऑफिस दिल्ली में है और दूसरे का कानपुर में, इनको समाप्त किया जाकर राजस्थान में हैड ऑफिस होना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय ...

श्री दाऊ दयाल जोशी : 5 मिनट।

श्री सभापति : 5 मिनट बहुत हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : केवल दो मिनट। माननीय खेत सिंह ने स्वयं कहा था कि जनता पार्टी के राज में जितने स्कूल खुले थे वह एक कीर्तिमान था। पहले सालों में एक हजार खुले, उसके बाद 900 स्कूल खुले लेकिन पिछले साल 800 और आज घट कर 400 रह गए हैं। दुर्भाग्य है, कोटा जिले के 7 विधायक हैं. एक विधायक के यहां भी एक प्राइमरी, मिडिल स्कूल या हाइ स्कूल नहीं खुला। एक डिस्पेन्सरी नहीं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : पिछले ढाई साल में सारे कोटा में हुए हैं। सड़कें वहां, स्कूल वहां, अस्पताल वहां, क्या नहीं हुआ था?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, माननीय खेतसिंह जी ने कहा था इसी सदन में जब जनता पार्टी का शासन था, मेरे जमाने में अपने शेरगढ़ में एक स्कूल भी नहीं खुलवा सका, जनता पार्टी का भला हो कि बहुत स्कूल खोले, कहा था न?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बात सही है, इन्होंने यह फार्मूला बनाया था कि जिन गांवों की आबादी 3 हजार हो और जहां मिडिल स्कूल पहले से हों वहां हाइ स्कूल कर दें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आज तक केवल एक ही फार्मूला है कि जहां कांग्रेस का उम्मीदवार हो, कांग्रेस का विधायक हो वहीं हाइ स्कूल खोले हैं। हमारे सातों विधायकों के क्षेत्र में एक स्कूल नहीं, डिस्पेन्सरी नहीं खोली, आयुर्वेद औषधालय नहीं, पशु चिकित्सालय नहीं खोला। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह असमानता

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

की भावना पहले भी आपको ले डूबी थी, अब फिर ले डूबेगी, इसलिए अब की बार जो 400 स्कूल खोलने जा रहे हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं, एक हजार से करते करते 400 पर आ गए हो, भगवान के नाम पर रहम करके मेहरबानी करके भेदभाव की नीति छोड़ कर स्कूल खोलने में पक्षपात न करें ।

मेरा निवेदन है कि दो डिपार्टमेंट्स राजस्थान में सफेद हाथी हैं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारा टाइम है, 20 मिनट हो गये, ये ऐसे नहीं मानेंगे इनकी आदत है....

श्री दाऊ दयाल जोशी : राजस्थान में दो दफ्तर सफेद हाथी के रूप में काम करते हैं। एक शाप्स एक्ट के तहत शाप इन्स-पेक्टर्स । सारे माननीय सदस्य इस बात को महसूस करते होंगे कि शाप इन्स्पेक्टरों की बंधी बंधाई कमाई है वे निश्चित रूप से दुकानों से दलाली लेते हैं , हर माननीय सदस्य अपने सीने पर हाथ रख कर टटोले कि शाप इन्स्पेक्टर का क्या काम है, माप तौल का क्या काम है । माप तौल विभाग और शाप एक्ट के तहत जो विभाग हैं दोनों बेकार विभाग हैं । अगर वास्तव में बचत करनी थी तो ऐसे जो बेकार विभाग थे उनको तोड़ कर बचत की जानी चाहिए ।

अंत में एक बात कह कर अपनी बात को विराम दूंगा । हमारी बात सुनने के लिए यहां दर्शक दीर्घा में कोई व्यक्ति नहीं केवल ये वाच एंड वार्ड हैं । गरीब यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, यह गरीब खड़े हैं, ये दर्शक दीर्घा में बैठे हुए, इनकी तरफ भी तवज्जोह देने की कृपा करें । आज तो सदन 9 बजे तक चलेगा लेकिन कल के बाद सदन 11—12 बजे तक चलेगा । इन गरीबों को कोई हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाता । जनता पार्टी के राज में दोनों समय इनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस देते थे । अब पिछले सत्र में भी इन गरीबों को कोई हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया और अब भी देने की नीयत नहीं है । मैं आसन के माध्यम से मंत्री महोदय, मुख्य सचेतक से निवेदन करना चाहता हूं कि इन गरीबों पर रहम करें, यह ही बाद में हमारा सहारा रह जाते हैं....

श्री सभापति : आप भाषण जारी रखेंगे तो ये गरीब और दुःखी हो जायेंगे ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह गरीब हैं इनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने की सिफारिश करें, इतनी बात कह कर मैं अपनी बात को विराम दूंगा ।

श्री सभापति : श्री रतन लाल ताम्बी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारा दल रह गया ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, किसी भी सरकार का बजट....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो कोई तरीका नहीं हुआ । कभी इसको खड़ा कर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

दिया, कभी उसको खड़ा कर दिया, कभी रतनलाल को खड़ा कर दिया।

श्री सभापति : अभी तो मैंने उनका नाम ले लिया। ऐसा है आपके दल का टाइम बाकी है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनका तो घंटे का टाइम था, आपने उनको बुलवाना शुरू कर दिया, ये लोग हमको परेशान करते रहे हैं दिन भर, हमको बोलने नहीं देते।

श्री सभापति : आपकी लिस्ट के अनुसार केवल तीन आदमी बाकी हैं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले हमारे तीन आदमी बोल जायं, पहले रतनलाल नहीं आ सकता।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय .

श्री सभापति : माननीय सदस्य केवल 5 मिनट का ही टाइम लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कौनसा तरीका है कि चीफ व्हिप चेयर को एड्रेस करें ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कौनसा तरीका है कि आप समय नहीं होते हुए भी कभी किसी की चिट ले आते हैं कभी किसी की, अपने समय से ऊपर टाइम लेते हैं. यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयर को निष्पक्ष होना पड़ेगा, यह कोई तरीका होता है कि आपका पक्ष करें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बहुत ही आपत्तिजनक है कि सत्तारूढ़ दल के चीफ व्हिप चेयर से कहते हैं कि आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा, इसका मतलब आप निष्पक्ष नहीं हैं।

श्री सभापति : इस चेयर पर बैठने वाला आदमी उसी वक्त निष्पक्ष हो जाता है और मैं जैसे ही चेयर पर आकर बैठता हूं, यह समझता हूं कि मुझे इस सदन की कार्यवाही बिलकुल निष्पक्ष रूप से चलानी है। जहां तक मेरी राय है, जो समय निर्धारित कर रखा है; उसमें प्रगतिशील दल के लोगों को जितना समय मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला है। ताम्बी जी का शुरू से ही नाम लिखा हुआ है। इसलिए इनके बाद आपके दल के तीनों सदस्यों को बोलने दिया जायगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, समय ज्यादा हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पर अभी जो आरोप लगा है, वह प्रोसिडिंग्स से निकाला जाय।

श्री सभापति : कोई आरोप उन्होंने नहीं लगाया और न ही यह आरोप की भाषा थी वह बुजर्गाना लहजे में मुख्य सचेतक होने के नाते इस सदन में अपने मेम्बरों को खुश करने के लिए जो कुछ कह दिया उसका मैं....

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश का बजट उसकी अतीत की उपलब्धियों व भावी कार्यकलापों के दिग्दर्शन का एक दस्तावेज होता है। मैंने सारे बजट को गौर से पढ़ा और इस मुकाबले गत वर्ष के बजट को भी मैंने गौर से पढ़ा है. गत वर्ष का बजट रखा गया था, तब बजट में बताया गया था कि जनता पार्टी को दिशाहिन सरकार से जो हमें विरासत में मिला उसको ठीक करने के लिए लोक कल्याण के काम के लिए जितना साधन उपलब्ध हो सकता है उसके हिसाब से प्रयास किया गया और यह निश्चित बात है कि अर्थ व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था जो विरासत में मिली उसको देखते हुए बजट कल्याणकारी और अच्छा बजट कहा जा सकता था। मगर उस बजट के मुकाबले जब हम इस बजट को देखते हैं, तो वास्तव में इस बजट में इस बार लोक कल्याण क्षेत्र में काफी गुंजाइश काम करने की नहीं रखी गई है और कई प्रकार के विकास के कामों में इस बात की कमी रखी गई है। इसलिए इस अर्थ व्यवस्था को माना गया कि काफी गंभीर है। मैं इसी संदर्भ में सुझाव देना चाहता हूं इस अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिए राजस्थान में व्यापक क्षमता मौजूद है। राजस्थान प्रदेश में जहां विपुल खनिज सम्पदा मौजूद है और इतनी विपुल खनिज सम्पदा मौजूद होते हुए आज दुर्भाग्य है कि राजस्थान देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि राज्य में खास तौर से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां खनिज सम्पदा के माध्यम से करीब-करीब 5–5 करोड़ रुपये की विशेष तौर से आय हो सकती है। वे हैं करौली क्षेत्र, बिजोलिया क्षेत्र, मकराना का क्षेत्र और जोधपुर का क्षेत्र। यहां पर मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार और उसका खनिज विभाग यदि पूरे ढग से काम करे और उन पर नियंत्रण करे और अवैध जितना खनन हो रहा है उन इलाकों में, उस सब को देखा जाय तो इस राजस्थान की आर्थिक स्थिति में 10 करोड़ रुपये की निश्चित वृद्धि हो सकती है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आज राज्य सरकार को नान टैक्स रेवेन्यू की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात का स्वयं हमारे मुख्य मन्त्री जी ने जिक्र किया है कि कृषि भूमि, जिस पर लोगों ने नाजायज तौर से शहरी एरिया के आसपास कब्जा कर रखा है, उस भूमि का कनवर्शन किया जायगा। यह जो कदम राज्य सरकार उठाने जा रही है यह एक बहुत अच्छा कदम है। इससे राज्य सरकार को दस करोड़ रुपये की आमद हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जयपुर में एक-एक बीघा जमीन को बीस-बीस हजार रुपये में खरीद कर सोसायटीज ने प्लान बना कर प्लाट बना-बना कर, काट कर लाखों रुपये में बेच दिये हैं। इस प्रकार का कार्य कुछ ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को हाथ में लेवे। आज सभापति महोदय, जयपुर में ही नहीं बल्कि राजस्थान भर में सभी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जगह आवासीय समस्या है। इसलिए मैं यह सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार गम्भीर आवासीय समस्याओं के हल के लिए जयपुर में ही जमीन लेकर उसे 40 रुपये गज में जनता को उपलब्ध करा सकती है। जब कि आज यहां पर जमीनों की बहुत बड़ी कीमत हो रही है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कुछ बातें और निवेदन करना चाहता हूं अभी समय का अभाव है इसलिये मैं मुख्य-मुख्य बातें ही निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले राज्य सरकार को अपनी आय बढ़ाने के लिए सैल्स टैक्स की तरफ ध्यान देना चाहिये। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सभापति महोदय, जब मैंने देखा कि राज्य सरकार ने सैल्स टैक्स के ऊपर कोई बढ़ोतरी नहीं की है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन है कि सैल्स टैक्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके साथ-साथ नान टैक्स रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। यह जो कमी रह गई है इसके लिए मेरा राज्य सरकार को यह निवेदन है कि राज्य सरकार को इसके बारे में बिलकुल सशक्त होकर कार्यवाही करनी पड़ेगी। राज्य सरकार को अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार की बड़े बड़े लोगों में लाखों करोड़ों रुपये की वसूली बाकी है। वसूली के नाम पर अगर किसी गरीब आदमी से वसूली करनी होती है तो राज्य सरकार बहुत जल्दी वसूली करने पहुंच जाती है इन अमीर लोगों में और बड़े-बड़े उद्योगपतियों में राज्य सरकार के करोड़ों नहीं अरबों रुपये बाकी हैं, उनसे वसूल क्यों नहीं कर रही है? इन लोगों ने ऋण के रूप में करोड़ों रुपये ले रखे हैं मेरा सुझाव है, राज्य सरकार को चाहिए कि इन लोगों से वसूलियां करे। अगर राज्य सरकार इनमें से वसूलियां कर ले तो राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस तरफ ध्यान दे।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को उद्योगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे राजस्थान में उद्योगों की दृष्टि से बहुत सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां पर उपलब्ध है और इसके कारण हमारे यहां बहुत से उद्योग लगाने की गुंजाइश है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां पर उद्योग नये लगे उन जगहों को राज्य सरकार को पहले डवलप करने की जरूरत है, वहां पर बिजली सड़क और पानी की व्यवस्था पहले करने की आवश्यकता है, वहां पर सभी प्रकार की आवश्यकताओं की व्यवस्था करने की जरूरत है। अगर ऐसा किया जाय तो हमारे यहां पर बाहर से लोग भी उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। इसके साथ-साथ आज कई योजनायें राज्य सरकार ने ऋण देने के लिए बना रखी हैं लेकिन ऋण प्राप्त करने में उन उद्यमियों को काफी दिक्कत होती है। मेरा सुझाव है, राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका समुचित ढंग से विकास होना चाहिये। आज स्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति नया उद्योग लगाना चाहता है तो पहले उससे वहां पर बिजली, पानी और सड़क लाने के लिए राज्य सरकार उन लोगों से पैसा मांगती है। तो मेरा यहां पर यह सुझाव है कि राज्य सरकार, औद्योगिक क्षेत्र में या जहां नये उद्योग लगाने के लिए आवेदन करते हैं, उन लोगों से पैसा नहीं मांगे और स्वयं ही वहां पर पानी, बिजली और सड़क का निर्माण करे।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मुझे बहुत कम समय दिया गया है। और आप मुझे थोड़ा समय दें। मेरे को समय देने के लिए किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मुझे कॉपरेट करें। मुझे अभी इस पक्ष के तीन सदस्यों को और बुलाना है। आप स्थान ग्रहण करें। मेरी मजबूरी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मैं तो आपको कॉपरेट करता हूं लेकिन मुझे कोआपरेशन नहीं मिलता है। मुझे इस बात की परेशानी है।

तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सिंचाई का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे यहां पर बहुत सारा पानी बेकार जा रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर है वह हमारी डिफेन्स लाइन है और उसको हम हमारी जीवन रेखा या लाइफ लाइन मान सकते हैं। उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं थोड़ा पेयजल के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में सभी जगह और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान, जहां से कि हमारे मुख्य सचेतक महोदय आये हैं, में पानी की बहुत भारी समस्या है। इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार द्वारा उन जगहों पर पीने के पानी की समस्या को हल करने पर तुरन्त ध्यान दिया जाय। इसके लिए यह जरूरी है कि राजस्थान नहर को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। इसके अलावा राजस्थान में चम्बल नदी है और नहर है। जिसका बहुत सारा पानी व बिजली हमारी मध्य प्रदेश सरकार खा रही है। आज करीब दस लाख यूनिट मध्य प्रदेश सरकार खा रही है इसलिए मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि इसप्रकार के अन्तर्राज्यीय, इन्टरस्टेट डिस्पूटेड-मैटर्स को शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जावे। जो बिजली व पानी हमारा हमारे हाथ

(श्री रतनलाल ताम्बी)

नहीं आ रहा है वह हमारे यहां काम में लिया जाय, इसके ऊपर ध्यान दिया जाय। ऐसा करने पर हमारे यहां पर काफी बिजली व पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। समय बहुत कम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मैं दो-तीन बात ही कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा हुआ है। अभी जो राज्य सरकार ने 400 प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है उसके लिए तो हम यह कह सकते हैं कि यह ऊंट के मुंह में जीरा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि हमारे यहां पर इस साल एक हजार प्राइमरी स्कूल खोले जायं, पांच सौ मिडिल स्कूल खोले जायं व 250 सैकण्डरी स्कूल खोले जायं। इसके साथ-साथ प्रदेश में हायर सैकण्डरी स्कूल भी खोले जाने चाहिए।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिला में पोलिटेक्निक कॉलेज खोलने की जरूरत है यह एक औद्योगिक दृष्टि से उभरता हुआ जिला है। यहां पर वाणिज्य कॉलेज अलग से खोलने की जरूरत है। अब थोड़ा मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप एक बात कह कर कई बातें कह चुके हैं, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, दो मिनट बाद में बैठ जाऊंगा।

एक माननीय सदस्य : तो अब बाकी के 15 मिनट का समय भी इनको ही दे दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा हमारे देश में माइका की दृष्टि से सबसे धनी है। वहां माइका का काम दिनों दिन समाप्त हो रहा है। वहां पर माइका प्लान्ट है। जो आयात और निर्यात विदेशों में होता है, दूसरी जगह से जो माइका जाता है उसमें पैसे में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई लेकिन हमारे यहां उलटे बीस प्रतिशत कम दिये जा रहे हैं। आज हमारे यहां के माइका की अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत डिमाण्ड है। मेरा सुझाव है कि उसकी कीमत बढ़ाई जानी चाहिये दूसरे वहां माइका उद्योग की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाकर उसका विकास किया जावे।

इसी के साथ में भीलवाड़ा में सिंचाई और चिकित्सा की आवश्यकता पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। वहां पर इनकी कमी है। दूसरे, शाहपुरा जैसे बड़े कस्बे में सिर्फ अस्पताल में 30 बैड्स ही हैं उनको बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, एक विमुक्त जाति के बारे में विशेष तौर से कंजर जाति के विकास के लिये इस बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। मैं समाज कल्याण मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि विमुक्त जातियों के कल्याण के लिये विशेष रूप से ध्यान दिया जावे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, समय का अभाव है इसलिये इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामधन।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह बिलकुल ही सराहनीय है क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी विकट समस्यायें हैं। मेरे पूर्व में विरोधी दल के सदस्यों ने और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपने अपने मत सदन में रख दिये हैं इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेकर एक दो उदाहरण ही सदन में देना चाहूंगा। बजट जो होता है वह पूरे राजस्थान के लिये होता है। सभी सदस्य यह चाहें कि उनकी सभी बातें बजट में पूरी हो जावें तो यह इम्पासिबल है। जब सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहां तो कोई समस्या ही नहीं, सभी काम हो चुके हैं। सभापति महोदय, मेरे यहां तो पिछले 15 वर्षों में 13 किलोमीटर सड़क लाडनू क्षेत्र में बन चुकी है। इससे बड़ा क्या काम होगा ? इसलिये मेरे यहां तो कोई समस्या ही नहीं। अभी पिछले तीन साल पहले जब हमारी पार्टी हार गयी तब मैं पड़ा पड़ा सोच रहा था कि हमारी पार्टी वार्ड मेम्बर से लेकर दिल्ली तक हार गयी है अब क्या होगा। अभी विरोधी दल के नेता महोदय नहीं हैं, उठ कर चले गये हैं वह जब मुख्य मंत्री बने तब तीन साल पहले उन्होंने घोषणा की थी हमारी पार्टी की सरकार राजस्थान के सभी जिलों में पेयजल की समस्या को हल करेगी। गांवों में सड़कें और बिजली पहुंचाई जायेगी तब मुझे कुछ राहत मिली, मैंने सोचा, चलो पार्टी तो हार गयी पर हमारे लाडनू के 60 गांवों को पीने का पानी तो मिलेगा।

(8.46 रात्रि)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

तो, अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता तो यहां नहीं हैं पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन सालों में लाडनू में किसी गांव को पीने का पानी नहीं मिला। हां, यह जरूर है कि वहां पर टूटियां जो थीं उनको जरूर तोड़ दिया गया। पानी तो गांव वालों को उपलब्ध नहीं हुआ। आज माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह बजट लूला है, लंगड़ा है। भांति भांति की उपमायें बजट को देते हैं। पर मैं इतना कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई नया काम नहीं हुआ। वैसे तो मैं नया सदस्य हूं और मुझे बोलने का मौका भी कम मिलता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस बजट को जो बिसराया जा रहा है और इस बजट को बेहूदा बताया जा रहा

(श्री रामधन चौधरी)

है यह बहुत ही शर्म की बात है। इस मौके पर इससे अच्छा बजट कोई हो ही नहीं सकता है। पर एक बात में जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस बजट में प्रावधान किया गया है उस तरह से अगर सही मायने में खर्च किया गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे प्रान्त के सभी लोगों को राहत मिलेगी। पर कभी कभी ऐसी शिकायतें आती हैं कि धन का दुरुपयोग सरकारी मशीनरी द्वारा किया जाता है और कई बार बजट लैप्स हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ और बजट का सही उपयोग किया गया तो आने वाले पांच वर्षों में राजस्थान की जनता को बहुत सारी सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी। राजस्थान में बहुत से मुख्य मंत्री आये और सभी ने यहां पर बजट रखे। सभी में अगर कुछ न कुछ खामियां होती हैं तो फिर इस बजट को ही क्यों उछाला जावे? मैं समझता हूं कि इस बजट में एक भी नये पैसे का कर नहीं लगा कर हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है उससे अच्छा बजट तो इन परिस्थितियों में हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।

श्री भालू खां (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, जो 6-3-81 को हमारे मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान का बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और इसे मैं गरीब और मजदूरों का बजट समझता हूं क्योंकि यह बजट हरिजन, गरीब और मजदूरों के लिए बहुत अच्छा बजट है। इससे अच्छा कोई बजट आज तक हमारी विधान सभा में नहीं आया और मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चूरू जिले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा जिला गंगानगर जिला का जैसा जिला है। गंगानगर में नहरें चल रही हैं और हमारा जिला सूखा है। हर साल वहां अकाल पड़ता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में हमारे जिले का सर्वे किया गया था कि सिद्धमुख नहर और नेहरू कैनाल चूरू जिले को दी जायगी। अभी तक वह योजना खटाई में पड़ी हुई है इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा उस योजना को लागू करके चूरू जिले को नहर दी जाय तो गंगानगर जिले से चूरू जिला कम नहीं है। अनाज देने में हमारा चूरू जिला गंगानगर जिले से ज्यादा अनाज दे सकता है और चूरू जिला पूरे राजस्थान को अनाज दे सकता है।

जनता पार्टी के राज में अन्त्योदय के माध्यम से पैसा खर्च किया गया था और कहीं तालाब बनाये गये तो बरसात होते ही उनकी दीवारें गिर गयीं, तो कहीं वह बह गए इसलिए धन का दुरुपयोग हुआ और मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि ऐसा न हो हमारा अगला बजट अधिकारियों द्वारा कहीं इसका दुरुपयोग न हो। कार्यान्वित किया जाय तो बहुत अच्छा बजट है और राजस्थान में काम होगा। मैं जनता पार्टी के विधायकों को यह बता देना चाहता हूं कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि हमारे यहां स्कूल नहीं खोले गये हैं। आपकी जनता पार्टी के राज में 1977 में हमारे चूरू जिले में मिडिल स्कूल 19 खोले गये और मास्टर आ गये थे और बच्चे भरती हो गये थे उसके बाद भी श्रीमन, शेखावत जी के गद्दी

Page No. 210

210

(श्री भालू खां)

पर विराजमान होते ही इन स्कूल्स को तोड़ दिया और वहां के बच्चे त्राहि-त्राहि करते फिरे। ऐसी तो उनकी पार्टी थी और यहां पर आकर सफाई की डींगें मारते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब कांग्रेस का राज आ गया है इसलिए अब तोड़े हुये स्कूल्स को खोला जाय यह कांग्रेस का कर्तव्य और धर्म है और मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस बात की जांच करायें। मेरी बात झूंठी हो तो मैं त्याग पत्र दे सकता हूं। यह सही और सच बात है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे चूरू जिले में जो घनेरी योजना साहे तक लाने की स्कीम है, मैं आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 33 किलोमीटर तक खुदाई हो चुकी है और आगे इसकी योजना नल कूपों द्वारा है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि नल कूपों का काम चलेगा नहीं और कहीं बच्चे फोड़ेंगे, कहीं गांव वाले फोड़ेंगे, इसलिए जिस तरह से 33 किलोमीटर में खुदाई हुई है उसी तरह से इस नहर का पानी डूंगरगढ़ और सरदारशहर तक पहुंचाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल के ऊपर जो गरीबों को भूमि अलाट की गयी थी उसके संबंध में मेरा सुझाव पेश करना चाहता हूं। वह सुझाव यह है कि हमारे चूरू जिले में करीब 25 हजार लोगों को भूमि अलाट हुई थी और किसी को निशान देही नहीं मिल रही है, किसी को भी पानी नहीं मिल रहा है और मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोगों का मुरब्बा केन्सिल किया गया है। तो मेरा सुझाव है कि जो किश्तें अभी आ रही हैं, भयंकर अकाल है और चूरू जिले में बहुत भयंकर अकाल है। इसलिए किश्तें माफ कराई जायं और जो मुरब्बे केन्सिल हो गये हैं उनको बहाल कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं समय के अभाव में ज्यादा नहीं कहना चाहता पर इस जनता पार्टी के शासन में जिस ढंग से राजस्थान में तबाही मचाई है उसकी खुली जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजपाल।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष जी, जिन परिस्थितियों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट वर्ष 1981-82 का रखा है वह प्रशंसनीय है और स्वागत योग्य है। आज अकाल की भयंकर स्थिति है, बिजली की भयंकर कमी है और जनता सरकार ने जो हमारा इकानामिक स्ट्रक्चर था उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था बल्कि एक तरह का आर्थिक अनुशासन पैदा कर दिया था, उन परिस्थितियों में जो बजट रखा गया है इसके अलावा इतना सुन्दर बजट और हो नहीं सकता। जनता सरकार को हटा कर जनता ने हमें कुछ उम्मीदों के साथ यहां भेजा है। जनता ने इस उम्मीद के साथ हमारी पार्टी को कांग्रेस पार्टी को राज में बैठाया है कि यह जनता सरकार

(श्री तेजपाल यादव)

द्वारा जो आर्थिक डिस्पेरिटी कायम कर दी गयी थी उसको खतम करने के लिए; उत्पादन बढ़ाने के लिए, गरीबों और हरिजनों को न्याय दिलाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, किसान जो इनकी आर्थिक नीतियों से कंगाल हो गये थे और तीस साल की जो कमाई थी कांग्रेस सरकार की उसको इन्होंने तीन साल में खतम कर दिया, इण्डस्ट्रियल प्रॉडक्शन के भाव बढ़े और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के भाव लगातार गिरते गये और किसानों की कमर टूट गयी तब किसानों के दिमाग में आया कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो गरीबों का और किसानों का भला कर सकती है। जनता पार्टी जो एक नाटक रचती थी और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की गतियां थीं उनको उजागर करके जनता को भड़काती थी लेकिन अब जनता जान गयी है कि कौन राज कर सकता है। यह जनता ने साबित कर दिया है।

विरोधी दल के नेता ने अभी जो भाषण दिया और उसमें कई तरह की बातें की और इस बजट को दिशाहीन बताया और कई तरह की कमियां निकालीं लेकिन मैं विरोधी दल के नेता से पूछना चाहूंगा कि वह जो अपनी नीतियों की वकालात करते थे तो तीन साल के अन्दर उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया ? अगर किया तो फिर जनता ने, पब्लिक ने, किसानों ने, गांव वालों ने इनको क्यों हटा दिया ?

श्री अध्यक्ष : यह उनकी भी समझ में अभी नहीं आया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, जब तक माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त नहीं कर दें तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री तेजपाल यादव : 1981-82 का बजट जो पेश किया गया है और इसमें जो प्रावधान रखे गये हैं इसमें मुख्यतः कृषि को, बिजली को और सिंचाई को महत्व दिया गया है और एकीकृत ग्रामीण विकास योजना चालू की गयी है, इसमें जो खर्च किया गया है यह बड़ा ही स्वागत योग्य है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण एकीकृत विकास योजना जो चालू की गयी है इसमें अधिकारियों ने जो गरीब जनता के साथ मखौल उड़ाया है वह मैं आपके ध्यान में, अध्यक्ष महोदय, लाना चाहता हूं। जिन आदमियों का नाम आना चाहिए था वह सूची से रह

(श्री तेजपाल यादव)

गये और जो दुकानदारी करते हैं और धंधा करते हैं उनके नाम नौकरशाही ने दे दिये और गरीब लोग रह गये। हमने डी. पी. सी. की मीटिंग में भी बात उठाई थी कि लिस्ट को रिवाइज किया जाय और हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप लिस्ट को बनाई जाय और उसको पंचायत से अप्रूव कराके भेजी जाय तो मैं सरकार का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मामले में हमारी जो मशीनरी है उसको सख्त निर्देश दिये जायं कि जो लोग कृषक हैं, गरीब मजदूर हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं उनके नाम शामिल करके सरकार की जो मान्यता है उसके मुताबिक राहत दिलाई जाय। दूसरा जनता सरकार के समय में जो किसान की जब इस प्रकार मांगों को लेकर यहां प्रश्न किये थे उन्हें जनता सरकार के टाइम में राहत देना तो दूर रहा, गोलियों, लाठियों से पीटा गया। और एक भी मांग मंजूर नहीं की, और यहां सदन में किसान का नारा देकर, किसान की वकालत करें यह ऐसी बात है जिस तरह से एक भेड़िया भेड़ को खाता है और फिर कहता है मैं तुम्हारा रक्षक हूं। किसानों के लिये यह रोते हैं क्रोकोडाइल वाले आंसू हैं।

अध्यक्ष महोदय, पहाड़िया जी ने पूर्व बजट में जो घोषणायें की थीं और प्रोविजन रखे थे उसका साकार रूप में एक्सीक्यूशन देखने को मिला है। जनता सरकार और भैरोंसिंह जी की सरकार ने घोषणायें की थीं वह केवल अखबारों तक सीमित थीं लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, एक सुझाव दूंगा कि तीस सालों में जितना बजटों में खर्चा किया गया है अगर यह सही उपयोग में लाया जाता तो हमारा देश और हमारा राजस्थान आगे बढ़ जाता। आज जो अकाल की समस्या है, बिजली की समस्या है, उद्योग की समस्या है वह नहीं रहती। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे लेकिन इस बात पर किसी ने सदन का ध्यान आकर्षित नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, हमारी मशीनरी का, सरकारी नौकरों का जो ढांचा है वह ढांचा अंग्रेजों के टाइम का चला आ रहा है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की रक्षा के लिये जो आई. सी. एस. कैडर के ऑफिसर लगाये गये थे वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के रक्षक थे। स्टील फ्रेन्ड थे जो लॉ एण्ड आर्डर को तो कायम कर ठीक कर लेते थे लेकिन आज हमारा देश आजाद होने के बाद उन आई. सी. एस. आफिसर्स का नाम आई. ए. एस. कर दिया गया लेकिन उनकी कार्य प्रणाली में, उनके दिमाग में, उनके व्यवहार में वही का वही है। वे आज भी यही सोचते हैं, उनके दिमाग में है शासन हम करते हैं। आज भी सोचते हैं शासन कर्ता तो हम हैं जन प्रतिनिधि नहीं हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि जो शासन प्रणाली है, यह जो घिसी-पिटी मशीनरी है, वह हमारी योजनाओं के अनुरूप, जन-प्रतिनिधियों के अनुरूप कार्य करने में बिलकुल असमर्थ है। इसी का कारण है कि हमारा टार्गेट समय में पूरा नहीं होता। जिस भावना से हम किसानों के भले के लिये गरीबों की भलाई के लिये जो कार्य करना चाहते हैं, वह पूरे

(श्री तेजपाव यादव)

नहीं होते। तो मेरा सुझाव यह है जो यह मशीनरी है, स्ट्रकचर है इसका दुबारा रि-स्ट्रकचर होना चाहिये। ये लॉ एण्ड आर्डर में फिट हो सकते हैं लेकिन विकास के मामले में यह मशीनरी कभी कुछ कर नहीं सकती चाहे 100 बजट आप इस तरह के और रख दें। यह कभी जनता को राहत देने वाली सेवा नहीं दे सकते क्योंकि इनके दिमाग में यह है ही नहीं तो मेरा सुझाव है कि जितने विकास के डिपार्टमेंट हैं, जितने सेवा के डिपार्टमेंट में यह ढर्रा है, इनको हटा कर राजनीतिज्ञों को उसमें लगा देना चाहिये ताकि जनता की भावनाओं के अनुरूप वे उस कार्य को पूरा कर सकें। आपको उदाहरण दूं। जयपुर की यू. आई. टी. में कितना खर्च होता है अगर यह देखा जाय कि खर्चा उठा कर भी साल में चार प्लाट नहीं दे सकती। माननीय जगदीश तिवाड़ी ने रखा था, 43 लाख में केवल 5 लाख खर्च किया है और आप देखिये जो भी प्रोविजन रखे हैं उसमें 10 प्रतिशत भी वास्तव में थोड़े आदमियों के पास नहीं पहुंच पाता दूसरी जो आपकी प्रणाली है, पटवारी को देखिये, पुलिस थानेदार को देखिये, कोर्ट में नकल देने वाले को देखिये, सर्वे करा लें उसमें बिना लिये यह मशीनरी काम नहीं करती।

दूसरी बात, शिक्षा की बात कही। स्कूल खुलने चाहिये, शिक्षा में विकास होना चाहिये लेकिन आज शिक्षा की क्या स्थिति है। अध्यापक घर पर ज्यादा काम करेंगे और स्कूल में अपना आराम करते हैं आज नउ स्कूल्स के अन्दर जो पब्लिक स्कूल में शहरों में पढ़ते हैं वे आगे जाकर पढ़ते हैं और गांव के लड़के इधर उधर घूम कर मास्टर जी को गाजर लाकर दे दी साहब, छोले लेकर दे दिये साहब, वापस आ जाते हैं। ऐसे ही पास कर दिये जाते हैं, ऐसे लड़के आगे जाकर हमारे देश के लिये भार स्वरूप बनते हैं या गलत प्रक्रियाओं में पड़ जाते हैं, हमारे समाज के लिये कितने भार हैं, हमारे देश के लिये कितने खतरनाक हैं, जिन डिपार्टमेंट्स में यह जनता का काम नहीं पड़ता है वह तो काम नहीं करते हैं। इस नीति को अपनाना पड़ेगा कि काम नहीं तो दाम नहीं। यह नीति हमको लागू करनी पड़ेगी।

दूसरी बात हमारा, ऑडिट डिपार्टमेंट एक एक पैसे तक का आडिट करता है लेकिन एक कर्मचारी आफिस में मुंह नहीं दिखावे या आकर बैठ जाये, कलम नहीं खींचे आखिरी तारीख को पैसे लाइये, यह काम आडिट होना चाहिये और इनके काम का मूल्यांकन होकर इनको पैसा मिलना चाहिये। नहीं तो यह होगा योजनायें जिस रूप में हम लागू करना चाहते हैं जिन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उसमें 20, 25 प्रतिशत से ज्यादा पहुंचा नहीं सकते। इस सम्बन्ध में जयपुर जिले के बारे में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। राजस्थान का जयपुर जिला जनसंख्या में सबसे बड़ा है, लेकिन यहां ऐसा कोई कारखाना, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में नहीं खोला गया है और यहां के गरीब हरिजन, मेघवाल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा मजदूरी के लिये भट्टों पर जाते हैं। आपके माध्यम से सरकार से मेरा यही सुझाव है कि यह सरकार द्वारा जयपुर जिले के अन्दर कोई बड़ा उद्योग

(श्री तेजपाल यादव)

चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, खोला जाना चाहिये ।

तीसरी बात, जयपुर जिले का दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी भाग है वह रेगिस्तानी है जो सुविधायें रेगिस्तानी जिले को मिलती हैं वह उस क्षेत्र को भी मिलनी चाहिये ।

दूसरा सुझाव वनों के बारे में है, वनों में हमारा इतना पैसा लग रहा है, वनों के विकास करने की हमारी योजनायें हैं, एक तरफ तो हम यह कर रहे हैं दूसरी तरफ वन साफ काटते जा रहे हैं बेरहमी से काटे जा रहे हैं जितने हम लगा नहीं पाते उससे ज्यादा नष्ट हो जाते हैं । इसलिये वनों की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा ।

तीसरा सुझाव मेरा इस संबंध में, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में यह बताया है कि जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं उन पर पुर्नविचार करना पड़ेगा । बिजली बोर्ड की जो स्थिति है और बिजली के संबंध में मैं खास निवेदन करना चाहता हूं कि शक्ति का स्रोत विद्युत है अगर इसका विकास नहीं किया गया तो जितने लोगों को रोजगार देने की योजना है वह भी खतम हो जायगी । इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट की योजनायें खतम हो जायेंगी । एग्रीकल्चर डवलपमेंट की योजनायें भी खतम हो जायेंगी । इसलिये राजस्थान केनाल और विद्युत उत्पादन के मामलों में हमको टाप प्रायोरिटी देनी चाहिये अगर आवश्यकता हो तो हमारी शिक्षा है या और कोई जो बजट है उनमें कमी करके भी इस काम को पूरा करना चाहिये और पिलाना लिगनाइट बिजली उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की बात है उसमें कम से कम इतना बजट हर हालत में लगाया जाकर काम पूरा हो जाना चाहिये । इस साल जो स्थिति देखनी पड़ी है कि हर एक उद्योगों में कटौती की जा रही है । मैं मुख्य मंत्री जी का स्वागत करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने किसानों की फसल को बचाया है । अगर जनता सरकार होती तो सारी फसल जल जाती दो घण्टे बिजली नहीं मिलती । आज जो बिजली के बारे में अधिकारी बात कर रहे हैं कि फ्लेट रेट से नुकसान होता है लेकिन साथ में यह भी है कनेक्शन देने पर जितना बिल होता था उसमें कभी सील टूट जाती थी और कभी मीटर की चोरी होती थी और उसके नुकसान होने पर किसान से 700, 800, 900 रुपये तक ले लेते थे । ए.ई.एन. कुएं और खेत के बीच घूमता ही रहता था वह सारा चक्कर इस फ्लेट रेट में मिट गया । पहले जो बिजली के बारे में लूट होती थी वह किसानों से बन्द हो गई । मीटररीडिंग में भी गड़बड़ी किया करते थे । फ्लेट रेट से आज भी आमदनी बिजली बोर्ड को अच्छी हो रही है और फिर भी यदि सरकार को दिक्कत आ रही हो तो भले ही फ्लेट रेट बढ़ा दें । मेरा निवेदन है अगर इस फ्लेट रेट को खतम कर दिया तो वापस लूट हो जायगी । मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है, वह स्वागत योग्य है, मैं उसका स्वागत करता हूं ।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना है ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के

निर्धारित समय में वृद्धि

श्री राम कंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय आधे घण्टे के लिये बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 1981-82 का जो बजट रखा है। जिन हालात में यह बजट रखा गया है उन हालात को देखते हुए जिस प्रकार का बजट रखा गया है वह वास्तव में स्वागत योग्य है। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। इसके साथ ही अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान वर्ष 1977 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस समय यह मान्यता थी कि इस भारत वर्ष में सिर्फ कांग्रेस के अलावा दूसरी सरकार राज नहीं कर सकती है लेकिन वर्ष 1977 के अन्दर इस भारत की जनता ने यह बता दिया कि कांग्रेस के अलावा अन्य सरकार भी राज कर सकती है और उन्होंने 77 में जनता पार्टी को शासन सौंपा और जनता पार्टी का राज इस देश में स्थापित हुआ। जिस समय हमारी कांग्रेस पार्टी ने जनता पार्टी को शासन दिया था उस समय देश में जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिनके लिये विरोधी दल अभाव के लिये कहता है, उस ओर अगर देखें तो आपको यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1977 के पूर्व आप सीमेंट को लीजिये वह केवल एक्सपोर्ट पोजिशन पर थी....

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है, देख लीजिये ।

एक माननीय सदस्य : आप कोरम पर ही बोले थे क्या ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बोलिये कोरम हो गया ।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : उस समय अगर ध्यान से देखें तो लोहा एक्सपोर्ट पोजिशन पर था, सीमेंट एक्सपोर्ट पोजिशन पर थी, शक्कर एक्सपोर्ट पोजिशन पर थी। सारी चीजें अनाज का भारी उत्पादन था। अनाज के भण्डार भरे हुए थे, सोना देश में भरा हुआ था। हर दृष्टि से देखें तो देश समृद्धशाली था किन्तु जब जनता पार्टी की सरकार को राज सौंपा तो जनता पार्टी की सरकार ने अपने ढाई वर्ष के कुशासन में देश की अर्थ व्यवस्था को बड़ा आघात पहुंचाया है। आज एक एक चीज के लिये दुख उठाना पड़ रहा है। आज जो विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने लच्छेदार शब्दों में भाषण दिया ।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोरम नहीं है ।

(गणपूरक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष : प्रारम्भ कीजिये ।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने लच्छेदार शब्दों में भाषण दिया और अपनी नीतियां बताईं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जनता ने ढाई वर्ष के लिये तो नहीं किन्तु पांच साल के लिये जनता पार्टी को शासन सौंपा था लेकिन उन्होंने तो ढाई वर्ष में देश का भण्टाढार कर दिया। देश की जनता जिस पार्टी को सरकार बनाने का मौका देती है तो उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह जनता की भलाई करे, राजस्थान का उत्थान करे और भलाई के काम करे लेकिन देखने में आया कि ढाई वर्ष का शासन आपसी झगड़ों में खो दिया और जो राजस्थान का विकास होना चाहिये था वह नहीं हुआ। मैं विरोधी दल के नेता से पूछना चाहता हूं कि ढाई वर्ष के शासन काल में क्या आपने एक भी बांध बनाया, क्या एक भी माही योजना जैसी कोई योजना बनाई या कोई बिजली घर बनाया या उत्पादन का कोई काम किया है जिससे राजस्थान का भला हो सके? ऐसी कोई योजना राजस्थान को या भारत वर्ष को दी क्या? आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस तरह का कोई काम किया? सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलता। जब हमारा शासन आया तो बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बनाया, सैकिण्ड फाइव ईयर प्लान बनाया और एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया।

जनता पार्टी ने सोचा यदि योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो देश का विकास हो जायगा और विकास होने पर आगे से हमें कोई वोट नहीं देगा इसलिये जो कांग्रेस पार्टी का प्लान था उसको खतम कर दिया और एक रोलिंग प्लान का नाम दिया जिसके नाम से ही ऐसा लगता है कि लुढ़कनी फिसलनी प्लान। आपने देखा होगा एक भी देश का चाहे राजस्थान को लें चाहे भारत वर्ष को लें जिससे देश का उत्पादन बढ़ा हो, ऐसा काम नहीं किया, देश के गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधरी हो, ऐसा नहीं किया।

इसके अलावा मैं मेरे क्षेत्र के लिये निवेदन करना चाहता हूं जिस क्षेत्र से मैं आता हूं ब्यावर आर्थिक दृष्टि से एक सुदृढ़ जगह है और बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं, कपड़े की तीन मिलें हैं। इस बजट के अन्दर उन गरीबों के लिये रहने के लिये कोई आवास की व्यवस्था का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से हमारे वित्त मंत्री जी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं गरीब मजदूरों के लिये जो, इस कांग्रेस के लिये जी जान देते हैं और हर समय पर मिटने को तैयार रहते हैं उनके लिये मैं चाहूंगा कि उनके आवास के लिये एक कालोनी बसाने की व्यवस्था शीघ्र की जाय और इस प्रकार का प्रावधान इस बजट में कर दें।

इसके साथ ही मैं आपसे ब्यावर के

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

लिए एक निवेदन और करना चाहता हूं कि ब्यावर के अन्दर आपने देखा होगा कि स्थानीय जो पेयजल है और जो आज इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसका हर समय अकाल रहता है। आज भी मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूं कि आज तक राजस्थान के अन्दर जितने मुख्य मंत्री हुए हैं, उन्होंने ब्यावर का कभी ध्यान नहीं रखा लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा जगन्नाथ जी पहाड़िया जी को कि उन्होंने ब्यावर के लिए विशेष ध्यान रख कर 75 लाख रुपये वर्ष 80-81 के लिए ब्यावर की पेयजल समस्या के लिए, जो हमारे लिए दिये, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने 65 हैण्ड पम्प खोलने के लिए साढ़े 6 लाख का प्रावधान किया, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार कुछ नहीं करती। जो लोग ये झूठे हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं मैं आपको निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि यह उनका झूठ है। हमारी सरकार निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहती है और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है।

इसके साथ ही मैं मुख्य मन्त्री जी से एक विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा, सरकारें आयेंगी, सरकारें जायेंगी, राज आज तक किसी का कायम नहीं रहा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मन्त्री जी से कि वे ऐसा कार्य करें और ऐसा कार्य करके जाय जिससे चाहे मुख्य मन्त्री रहे या नहीं रहें लेकिन राजस्थान के लिए एक ही ऐसा कार्य कर जाय जिससे कि आने वाला जो भी राजस्थान हो, वह उन्हें याद करता रहे। उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार और हमारी भारत की सरकार वृद्ध पेन्शन के लिए आदमियों को चुन चुनकर कि कौन सा आदमी ओल्ड एज पेन्शन के लायक है, उनके फार्म भर कर सरकार की मदद कराती है इसी तरह से मुख्य मन्त्री जी से स्पेशल तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि वे राजस्थान के अन्दर ऐसे भूमिहीन जिनके पास सिर ढकने के लिए जगह नहीं है एस. डी. ओ. को स्पेशल आदेश जारी करें, राजस्थान सरकार की ओर से ऐसे लोगों की जांच की जाय जिनके पास मुंह छिपाने के लिए घर नहीं है, सिर ढकने के लिए जगह नहीं है। ऐसे तमाम लोगों को एक वर्ष के अन्दर या दो वर्ष के अन्दर नियमित रूप से उनकी आवासीय व्यवस्था के लिए उन्हें कम से कम 200 वर्ग गज भू-खण्ड आवंटित करने की व्यवस्था करके की निश्चित रूप से घोषणा करें, क्योंकि हमारी जो भारत की प्रधान मन्त्री हैं उनका जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम है, उसके अन्दर भी इस पर बहुत जोर दिया गया है। और अगर राजस्थान के मुख्य मन्त्री, इस कार्यक्रम को हाथ में लेकर घोषणा कर देते हैं कि दो वर्ष के अन्दर राजस्थान का कोई भी ऐसा परिवार, जिसके लिए रहने के लिए जगह नहीं है उसको मैं एक भू-खण्ड आवंटित करूंगा

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

और उसको अपने कार्यकाल में कर दूंगा तो मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उनका नाम राजस्थान में अमर हो जायगा और निश्चित रूप से वे इसके भागीदार होंगे। इसके साथ ही एक-दो सुझाव और देना चाहूंगा कि,

(व्यवधान)

बस एक सैकण्ड में। इसके साथ ही बिजली के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको भी योजनबद्ध तरीके से कम से कम जो पंचायत हैं, हैण्ड पम्प वाटर्स हैं, उन तक बिजली जरूर पहुंचाने की व्यवस्था करें। इतना ही मैं आपसे निवेदन करूंगा और जो अध्यक्ष जी ने समय दिया उसके लिए आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राम कंवार बैरवा।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो बजट छठी पंचवर्षीय योजना और 81-82 का रखा, उसको देखते हुए बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हरिजनों के विकास के लिए कोई खास धनराशि नहीं रखी गयी है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उन्होंने कुछ राशि रखी है जो नहीं के बराबर है।

अध्यक्ष महोदय, आज तक कांग्रेस पार्टी शासन में रही है, जो विशेष कर हरिजनों के बलबूते पर टिकी हुई है और अब धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी हरिजनों के प्रति अपनी सद्भावनाओं और उनके हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी से पीछे हटती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, विशेष कर कांग्रेस पार्टी ने की जनता पार्टी की बुराई करने और जगह-जगह यह प्रचार करने सफलता प्राप्त कर ली थी कि जनता पार्टी के राज में हरिजनों पर नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और मुसलमानों की सुरक्षा की जनता पार्टी के पास कोई गारण्टी नहीं है। इस प्रकार से और कुछ जनता पार्टी के नेताओं की आपसी फूट। यह सारा कुल मिलाकर जनता पार्टी के राज जाने का कारण हो गया और कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ हो गयी। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि कुल मिलाकर यह देखना होगा कि आज की तारीख में आम जनता, चाहे वह हरिजन हों या सवर्ण हों या मजदूर हों या किसान हों या कोई कर्मचारी हों। कोई भी वर्ग एक साल के शासन में सरकार से कितने प्रतिशत संतुष्ट हुए हैं और उनकी कांग्रेस के प्रति भावनायें किस प्रकार की बनती जा रही हैं या जो पिछला ढाई साल का जनता पार्टी का शासन था, उसके प्रति आम जनता अपने मन में क्या नयापन महसूस कर रही है, इसको आपको अवश्य देखना होगा। मैं समाज कल्याण विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पशुपालन विभाग में जनता पार्टी के राज में करीबन एक सौ अनुसूचित जातियों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की गयी थी, आपको, मैं नहीं जानता कि मालूम है कि नहीं। पशुपालन मंत्री जी नयी नियुक्तियां करने के लिए उन

(श्री रामकंवार बैरवा)

लोगों को नौकरी से हटा रहे हैं और वह लोग बिलकुल त्रस्त हैं, कई लोग मुझसे मिले हैं और वह लोग बहुत ज्यादा हताश हो रहे हैं और उनका जीवन का प्रश्न है। एक ओर तो कांग्रेस सरकार हरिजनों की सुरक्षा की, नौकरियों की, उनके हितों की गारण्टी देती है और दूसरी ओर उनका किसी भी प्रकार से शोषण करती है और किसी भी प्रकार उनकी शिकायतों पर तुरन्त ध्यान नहीं देती और उन लोगों में जो बोलने वाले लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार से प्रलोभन देकर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करती है। मेरा निवेदन है कि अभी फिलहाल जो काम चल रहा है, राजस्थान में, जो भी विरोधी दल की विचारधारा के जो सरपंच हैं, उनको बड़ी तेजी से निलम्बित किया जा रहा है। मैं इस बात के लिए नहीं कह सकता हूं कि कोई भी सरपंच दोषी हो, गबन करता हो, अगर जनता का किसी भी प्रकार से शोषण किया जाता हो तो आप उनको निलम्बित कीजिए, लेकिन ऐसे सरपंच जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं केवल उस क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है और किसी भी प्रकार से उनको हटा दिया गया है। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम चकवाड़ा के सरपंच बजरंग लाल, उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं, उनको हटा दिया गया और उसकी जगह उप सरपंच कांग्रेस पार्टी का राम दयाल बैरवा को चार्ज नहीं दिया और किसान जाति के जाट समाज से जो पंच था, वह कांग्रेस पार्टी का आज तक साधारण मेम्बर भी नहीं, उसको चार्ज दिया गया और सरपंच हरिजन, योग्य था, पढ़ा लिखा था, कांग्रेस पार्टी का मेम्बर है, उसको चार्ज न देकर उसको चार्ज दिया गया। यह इलाके में बहुत ज्यादा शोरगुल है, और लोग ये सोचते हैं कि ये किस प्रकार का कांग्रेस राज आया। समझ रहे हैं कि किस प्रकार से रोजगार लगायें और किस प्रकार से हरिजनों को उनका कुछ बनते हुए भी उनसे वंचित किया जा रहा है और इस प्रकार का काम चल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस मामले की जांच करावें और उस हरिजन को उसका चार्ज दिलवाने की कृपा करें। और उनको जो वंचित रखा गया है वह किसी प्रकार से यह मनगढ़न्त कहानी बना कर उनको टाला गया उसकी आप जांच करवा कर जो भी दोषी पाया जावे उसको दण्ड देने की कृपा करें।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि फागी तहसील में एक कालख सागर बांध का पानी आता है उसमें टूटू सींगल एरिया है एक कमाण्ड का और फागी का दूना एरिया है लेकिन फागी तहसील को इस वर्ष एक बूंद भी पानी नहीं दिया गया और जन प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई, अफसर लोगों ने वहां के विधायकों और कृषि मंत्री जी इसमें खुल्लमखुल्ला जातिवाद ले करके, मुझे अफसोस है कि इतनी मेरी 48 वर्ष की उम्र हो गई, मैंने इस प्रकार का कहीं पक्षपात नहीं देखा, खुले रूप से जयपुर जिले में कृषि मंत्री जी विकास की उनको संयोजिका बना रखा है, वह खुल्लम-खुल्ला फागी तहसील के काश्तकारों के साथ

Page No. 220

220

(श्री रामकवार बैरवा)

उन्होंने जो घोर अन्याय किया है और दुगुना कमाण्ड एरिया होते हुए भी एक बूंद पानी भी फागी तहसील को दिया गया, इसकी मैं सरकार से जांच करवाना चाहता हूं। और इसमें मुख्य मंत्री जी जो हैं, मुझे विश्वास है अगर मैं मुख्य मंत्री जी के पास जाता तो अवश्य कोई कदम उठाते। मैने यह सोचा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिये और अध्यक्ष महोदय को भी इस मामले में काम रोको का प्रस्ताव दिया था लेकिन पूरी एक तहसील का दुगुना कमाण्ड एरिया होते हुए भी उनको एक बूंद पानी नहीं दिया, हमारे अध्यक्ष जी भी हमारे हकों की रक्षा नहीं कर सके। और उन्होंने भी आज, अध्यक्ष महोदय ने एक काम रोको का प्रस्ताव पास किया जिसमें एक अध्यापक का ट्रांसफर का मामला था उसको तो गंभीर समझा और इस पूरी तहसील के काश्तकार, पूरे पानी से वंचित रह गए सारे काश्तकार बिना फसल के रह गए, उनके बच्चे एकदम से वंचित रह गए, उनके इस काम रोको प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया, जिसका मुझे बड़ा भारी खेद है। हमारे हितों की रक्षा किस प्रकार से होगी।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह सिचाई विभाग के मामले में यहां सिंचाई विभाग के कई सुझाव आते हैं तो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनके पास अधिक काम होने से वे सर्वे नहीं कर पाते हैं और वह बहुत लम्बा हो जाता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सिंचाई विभाग में सर्वे का एक महकमा अलग से खोला जाना चाहिए ताकि सर्वे में कोई देर न हो और जो धनराशि बजट में जिस काम के लिए रखी जाती है वह उसी कार्य में उसी वर्ष में खर्च हो सके। मेरा यह निवेदन है कि जो भी इस बजट में मदें रखी गई हैं वह अगर खर्च हो जायेंगी तो मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन अधिकतर होता यह है कि पूरा साल खतम हो जाता है और बजट आगे चल कर लैप्स हो जाता है और उस बजट की बचत करके और दूसरे वर्ष में दिखा दिया जाता है। इस प्रकार की यह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से यह विकास हुआ तो मैं यह समझता हूं कि इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकेगी और जो काम सरकार ने हाथ में लिये हैं वह पूरा नहीं कर सकेंगे।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से राजस्व अभियान चला और वह मुकदमे स्पेशल तरीके से निपटाने का अभियान चला, इसी प्रकार से राजस्थान में मैंने पहले भी काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से कही थी हाउस में यह बात कि कृषि सरकारी समितियों के माध्यम से राजस्थान में करीब दस बीस हजार लोगों को जमीनें अलाट की गई थीं और उन आ [illegible] की हुई जमीनों के सब लोगों को खातेदारी राइट दे दिये जावें ताकि सरकार की एक बहुत बड़ी, पहाड़िया साहब की सरकार और कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि हो पायेगी। अगर उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से सामूहिक खेती करने के उद्देश्य से उन लोगों को एक दूसरे से बांध रखा है तो हमारे हिन्दुस्तान में यह प्रथा कभी नहीं चल सकती। सामूहिक खेती कभी सफल

(श्री रामकंवार बैरवा)

नहीं हो सकती है। तो मेरा निवेदन है कि इन लोगों को अब व्यक्तिगत जो लोग शुरू से उस जमीन पर काबिज हैं, इस बात का पता चला कर उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से खातेदारी राइट दिलाने की कृपा कीजिए ताकि राजस्थान के विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों को यह जमीनें दी गई हैं और राजस्थान सरकार को विशेष रूप से यह उपलब्धि होगी।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र फागी में यह हैण्ड पम्प लगाने की वहां की योजना थी और चार पांच गांवों में परीक्षण के तौर पर हैण्ड पम्प लगे भी हैं। यहां कई सदस्यों के नहर आने की गुंजाइश है इसलिए वे हैण्ड पम्पों से नाराज हो रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैण्ड पम्प की अच्छी स्कीम है और वहां के लोग बड़े खुश हैं इसलिए वहां हैण्ड पम्प की योजना बहुत जल्दी लागू कराई जावे।

(व्यवधान)

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि आज शिक्षा मंत्री जी ने यह बताया कि, यह हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के बारे में अपने उत्तर में उन्होंने कहा था, दस जमा दो प्रणाली शिक्षा को लागू करने जा रहे हैं तो मेरा यह निवेदन है कि दस जमा दो प्रणाली आप कब तक लागू कर देंगे और यह अगर आपको इस प्रकार की शिक्षा की पद्धति चलानी है तो आप शीघ्रता बरतें और जल्दी से जल्दी उस पर निर्णय लें।

मेरा आखिरी निवेदन यह है कि यह हमारे राजस्थान में नदियां और नाले और यह छोटे तालाब वगैरह जितने हैं उनकी आप मरम्मत करें और एनीकट अगर बनायें तो सिंचाई के बहुत से साधन उपलब्ध हो सकते हैं। राजस्थान का किसान मेहनती है लेकिन उनको केवल खरीफ की फसलें का ही काम होने से उनको एक साल में आठ महीने बेकार या अर्ध बेकार रहना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि छोटे तालाबों की मरम्मत करवा कर या नाले और नदियां बनवा कर वह किसान हरा चारा पांच छः एकड़ जमीन में बारों मास उगा सकेगा तो अच्छी तरह से पशुपालन कर सकेगा और जो मजदूर हैं, अभी माननीय सदस्य चौमू से आने वाले ने फर्माया था कि बहुत से लोग मजदूरी करने दिल्ली या कोई पंजाब में जाते हैं, तो मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को, जमीन का राजस्थान में विकास की काफी गुंजाइश है, ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को, जमीन देकर के, उस जमीन का विकास करा कर अपने यहां प्रान्त में ही काम पर लगाया जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार से प्लानिंग ठीक हो और राजस्थान सरकार की गरीबों का उद्धार करने की अगर सचमुच इच्छा हो तो सचमुच कुछ हो सकता है। तो यह मेरा निवेदन है कि यह बजट जो इस वर्ष रखा गया है इसमें इस प्रकार की व्यवस्था हो कि इसी वर्ष में जितना रखा गया है उतना पूरा खर्चा हो और अधिकतर डिपार्टमेंटली खर्चा इसमें करीबन तीस प्रतिशत ही विकास के कार्य में खर्च होता है और सत्तर प्रतिशत जो बजट का हिस्सा है उसको कर्मचारी ले जाते हैं। तो मेरा यह निवेदन

(श्री रामकंवार बैरवा)

है कि जिसके लिए आपने योजना बनाई है वह गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचे न कि उसको सरकार के छोटे मोटे कर्मचारी हड़प कर जायं। इतना ही कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 13 मार्च, 81 को सुबह 11·00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 9.38 बजे शुक्रवार दिनांक 13 मार्च, 1981 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न 209 की सूची

वन भूमि पर हुए अतिक्रमण

क्र. सं.	नाम तहसील	रेन्ज	अतिक्रमणों के प्रकरण	तहसीलवार योग
1.	गोगुन्दा (जिला-उदयपुर)	गोगुन्दा	46	46
2.	कोटड़ा (जिला-उदयपुर)	कोटड़ा	44	
3.	——,,——	पानरवा	21	65
4.	झाडोल (जिला-उदयपुर)	झाडोल	565	
		पानरवा	94	
		कोटड़ा	55	714
		कुल योग :		825

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर एवं उनके उत्तर

कश्मीर राज्य के मेडिकल कॉलेज में अध्ययन हेतु चयनित छात्र

217. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा कश्मीर में और कश्मीर सरकार द्वारा राजस्थान में मेडिकल कॉलेजेज में प्रवेश के लिए कुछ सीट्स आरक्षित कर रखी हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) इस प्रकार के प्रवेशों में इस वर्ष राज्य के कितने छात्रों को कश्मीर भेजा गया ? कृपया उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस प्रकार के प्रवेशों के लिये चयनित किये जाने वाले छात्रों के चयन का मापदण्ड क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां।

लेकिन जितने छात्र जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा भेजे जाते हैं उतने ही छात्र राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

(2) वर्ष 1980-81 में राजस्थान से निम्न 8 छात्र/छात्राओं को कश्मीर भेजा गया है—

1—मिस प्रीति अग्रवाल

2 श्री सैय्यद जावेद अली

3—श्री अखिल अहमद

4—श्री शमीम मीर

5—श्री संजीव मलिक

6—मिस सरोज गुप्ता

7—श्री जाकिर हुसेन

8 – श्री रणवीर इन्द्र सिंह।

(3) इस प्रकार के प्रवेशों के लिए चयनित किये जाने वाले छात्रों का चयन दोनों राज्यों के मध्य बराबर के पारस्परिक आदान प्रदान के रूप में किया जाता है।

चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद व्यक्ति

218. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति संधारण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अब तक राज्य में किन-किन व्यक्तियों को कब-कब नजरबंद किया गया ?

(श्री राम किशोर मीणा)

(2) इस नजरबंदी के संबंध में इस अधिनियम के अन्तर्गत कब-कब, क्या-क्या कार्यवाहीं की गई ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण निम्नरूपेण है—

(क) नजरबंदी आदेशों के अधिनियम के क्लाज 3 के अन्तर्गत दि. 7-10-80 को पुष्टि की गई।

(ख) उक्त अधिनियम की क्लाज 10 के अन्तर्गत श्री गिर्राज प्रसाद को दिनांक 14-10-80 को, श्री जगदीश प्रसाद को दिनांक 4-11-80 को एवं श्री अशोक कुमार को दिनांक 23-12-80 को सलाहकार मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(ग) सलाहकार मण्डल ने सर्व श्री गिरिराज प्रसाद एवं श्री जगदीश प्रसाद के नजरबंदी आदेशों को उचित ठहराया तथा श्री अशोक कुमार के आदेश को उचित नहीं माना।

(घ) सर्वश्री गिरिराज प्रसाद एवं जगदीश प्रसाद को उक्त अधिनियम की धारा 13 के अनुसार अधिकतम अवधि के लिये नजरबन्द रखने के आदेश क्रमशः दिनांक 11-12-80 एवं 15-1-81 को प्रसारित किये तथा श्री अशोक कुमार को दिनांक 13-1-81 को रिलीज करने के आदेश जारी किये गये।

(ङ) श्री मोहम्मद अखलाक, उनके विरुद्ध निरुद्ध आदेश जारी होने की तिथि से फरार थे, अब उन्हें दिनांक 20-2-81 को गिरफ्तार किया गया है। इनका मामला सलाहकार मण्डल के विचारार्थ प्रावधित अवधि में भेजा जा रहा है।

———

भाग 1 की सूची

क्रम. सं.	नाम व्यक्ति मय पता	निरुद्ध करने की तिथि
1.	श्री गिरिराज प्रसाद पुत्र श्री हजारी लाल निवासी झनझनी तहसील छीपाबड़ौद, जिला कोटा।	29-9-80
2.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री श्रीलाल निवासी सहजनपुर, जिला कोटा।	18-10-80
3.	श्री अशोक कुमार मित्तल पुत्र श्री हरी प्रसाद निवासी छीपाबड़ौद, जिला कोटा।	4-12-80
4.	श्री मोहम्मद अखलाक पुत्र श्री मुस्तफा खां निवासी नलखेड़ी, जिला कोटा।	20-2-81

— —

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्ग, जमायते इस्लामी एवं मुस्लिम लीग संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय

219. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्ग, जमायते इस्लामी एवं मुस्लिम लीग संस्थाओं द्वारा राज्य में कितने स्कूल संचालित किये जा रहे हैं ? उक्त संचालित स्कूल्स राज्य में किन किन स्थानों पर अवस्थित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार यह मानती है कि उक्त शिक्षण संस्थाओं में सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त इन संस्थाओं की रीति नीति व विचारधारा का, जिन्हें राष्ट्र विरोधी माना जाता है, प्रचार किया जाता है ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने की दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग के पास इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। शिक्षा विभाग संस्था को राजस्थान शिक्षाकोड में लिखित शर्तों के आधार पर मान्यता प्रदान करता है।

(2) जी नहीं।

ग्राम देवीकोट (जैसलमेर) में सरकारी पड़त जमीन पर तारबन्दी

220. श्री अमीन खां (शिव) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जैसलमेर के ग्राम देवीकोट में पिछले माह में अभू की ढाणी की आबादी के पास सरकारी पड़त जमीन के खसरा नं. 377, 378, 418, 431 रकबा बीघा 625 में तारबन्दी करना शुरू की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर जिले के लोग पशुओं पर गुजारा करते हैं और उक्त खसरा आबादी के बिलकुल निकट है और उस बस्ती में 10,000 मवेशी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि देवीकोट ग्राम की जनता व पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित कर जिलाधीश जैसलमेर व उन अधिकारियों को पेश किया है कि उक्त खसरों को छोड़ कर इस बस्ती से एक किलोमीटर दूर खसरा नंबर 407, 426, 427, 428, 429, 442, 423 व 430 में तारबन्दी करने के लिए कोई एतराज नहीं किया है ? यदि हां, तो विभाग के कर्मचारी उक्त पशुपालकों को तंग करने की नियत से क्यों हठ कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त खसरा देवीकोट गांव से लगभग 6 कि. मी. दूर है तथा अभू की ढाणी से लगभग 150 मीटर दूर है। इस ढाणी में भेड़ बकरी सहित कुल 2943 मवेशी हैं।

(3) ऐसा प्रार्थना पत्र ग्राम देवीकोट के सरपंच द्वारा प्राप्त हुआ था। खसरा

(वन मंत्री)

संख्या 377, 378, 418 व 431 के टीबे सीधे व अस्थिर होने एवम् उनका बढाव भी उक्त ढाणी की ओर होने तथा उन पर वनस्पति भी नगण्य होने से ग्रामवासियों के हित में उक्त स्थान पर टीबा स्थिरीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया था। खसरा संख्या 407, 426 आदि के टीबे स्थिर होने से उनके स्थिरीकरण हेतु कोई कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है।

उदयपुर संभाग के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ मंदिरों के सुरक्षा कर्मचारी

221. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग में जो सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त हैं उनको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन अथवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो उदयपुर संभाग के देवस्थान विभाग में आने वाले मंदिरों में कार्यरत सुरक्षा कर्मचारियों को इस प्रकार का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है?

(2) ऐसे कर्मचारियों की सेवा कौन से सेवा नियमों के अन्तर्गत होती है ?

(3) देवस्थान विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट्स में कार्यरत कर्मचारियों को किस वेतन शृंखला का लाभ दिया जाता है तथा उनको राज्य सरकार के कौन से कर्मचारियों के समकक्ष माना जाता है?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिरों में आवश्यकतानुसार सुरक्षा हेतु चौकीदार नियुक्त हैं जो कि राज्य कर्मचारी हैं तथा जिन्हें राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समकक्ष वेतन दिया जाता है। उदयपुर सम्भाग में राजकीय आत्म-निर्भर मंदिरों में नियुक्त सुरक्षा कर्मचारियों को वेतन मंदिर की आय पर आधारित बजट के अनुसार दिया जाता हैं। क्योंकि आत्म निर्भर मंदिरात की व्यवस्था एवं प्रबन्ध मंदिर की आय से ही किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नहीं अतः ऐसे फण्ड कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के वेतन नियम अथवा न्यूनतम वेतन नियम लागू नहीं होते।

(2) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिरों में नियुक्त ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1963 के अन्तर्गत आती हैं तथा राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं राजस्थान राजकीय आत्म निर्भर मंदिरात सेवा नियम, 1959 के अन्तर्गत होती हैं।

(3) देव-स्थान विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्टों में कार्यरत कर्मचारियों को किसी वेतन शृंखला का लाभ देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधि., 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यासों के कर्मचारी राज्य कर्मचारी नहीं होते, वे प्रन्यासों के कर्मचारी हैं।

तहसील फागी में वन गायों द्वारा फसल बर्बाद किया जाना

222. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फागी तहसील में वन गायों के प्रकोप से कृषि की फसल का काफी नुकसान हो रहा है ?

(2) यदि हां, तो उन वन गायों को सरकारी खर्चे पर पकड़ कर पालतू बनाने का सरकार कोई प्रयत्न करेगी ?

(3) यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होना प्रकट नहीं होता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्र में नियन्त्रित मूल्य की वस्तुयें एवं खाद्य बीज आदि का वितरण

223. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नियन्त्रित मूल्य की वस्तुएं व रोजमर्रा का वस्तुएं उचित मूल्य पर वितरण करने हेतु क्या नीति निर्धारित की है ?

(2) क्या यह सही है कि रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां व नियन्त्रित मूल्य की वस्तुयें उपलब्ध कराने हेतु जो सहकारी समितियां कार्यरत हैं उनका क्षेत्र कई ग्रामों तक होने से ग्रामवासियों को उक्त वस्तुयें लाने ले जाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर चल कर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार एक पंचायत एक सहकारी समिति की नीति तय करने पर पुनर्विचार करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने वाली वस्तुओं के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक उचित मूल्य की दुकान खोलने की नीति निर्धारित की है।

(2) दांते कमेटी की सिफारिश के अनुसार कहीं-कहीं 5 से 10 किलो मीटर तक की परिधि में आने वाली प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति का सक्षम इकाई बनाने की दृष्टि से पुनर्गठन किया गया है। अतः खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां लेने के लिए सदस्यों को समिति के मुख्यालय पर जाना पड़ता है। उपरोक्त निर्णय के परिणाम स्वरूप ये समितियां ग्राम पंचायत स्तर पर खोला जाना सम्भव नहीं है।

पोलीटेक्निक कन्या विद्यालय खोलना

224. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विगत सदन में राज्य सरकार द्वारा पोलीटेक्निक कन्या

(श्री भगवान दास शास्त्री)

विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार राज्य के किस नगर मे यह विद्यालय खोलना उचित मानती है ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में कन्याओं के लिए अध्ययन की सुविधाओं के अनुपात को ही सर्वोपरि रखा जाकर अजमेर में ही कन्या विद्यालय (पोलीटेक्निक) खोला जावेगा ? यदि हां, तो विद्यालय कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

(3) क्या यह सही है कि उपयुक्त भवन आदि की सुविधा अजमेर नगर में ही उपलब्ध है ? यदि हां, तो इसमें देरी होने के कारण क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर में।

(2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम डांगरवाड़ा तहसील सवाई माधोपुर में शेर द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु

225. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डांगरवाड़ा, तहसील सवाई माधोपुर में माह जनवरी, 1981 मे शेर ने एक व्यक्ति को मार दिया था एवं एक व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर दिया था ? कृपया घायल एवं मृतक का नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त मृतक के वारिसान एवं घायल को कोई आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार मृतक के वारिसान एवं घायल को आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं कितनी ?

(4) क्या उक्त जंगल से उक्त शेर को वापस टायगर प्रोजेक्ट एरिया में लाने के लिए वन अधिकारियों ने कोई कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्यों ? हां, तो क्या-क्या ?

उत्तर

(1) ग्राम डांगरवाड़ा तहसील सवाई-माधोपुर में जनवरी, 981 को बाघ ने श्री गोपाल पुत्र श्री राधा किशन तथा श्री सीताराम पुत्र श्री रामनिवास को घायल कर दिया था। इनमें से श्री गोपाल पुत्र श्री राधा किशन का देहान्त हो गया है।

(2) जी नहीं। यह प्रश्न विचाराधीन है।

(3) सहायता देने के बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है।

(4) उक्त बाघ को वापस प्रोजेक्ट क्षेत्र में लाया जा चुका है।

ग्राम लूनियावास (जयपुर) के मिडिल स्कूल की क्रमोन्नति

226. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मिडिल स्कूल को माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने के लिए वर्ष 1980-81 में क्या आधार रखा गया था ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के अनुसूचित जन जाति बहुल क्षेत्र के ग्राम लूनियावास के मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए वर्ष 1980-81 में अनेकों बार सरकार को निवेदन किया गया ? यदि हां, तो क्या वह स्कूल क्रमोन्नत कर दिया गया ?

उत्तर

(1) स्थान विशेष की आवश्यकता, जनता की मांग तथा उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रख कर मिडिल स्कूलों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।

(2) जी हां। जी नहीं।

आमेर रोड (जयपुर) स्थित देवस्थान की भूमि पर अतिक्रमण

227. श्रीमति उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आमेर रोड पर स्थित रघुनाथ जी का मन्दिर क्या देवस्थान की सम्पत्ति है ? क्या यह देवस्थान में रजिस्टर्ड है ?

(2) उक्त मन्दिर की भूमि पर अनधिकृत निर्माण कार्य किस व्यक्ति ने किया है ? अब तक विभाग ने उक्त व्यक्ति के प्रति क्या कार्यवाही की है ?

(3) उक्त मन्दिर की टूट फूट व मरम्मत के लिये कितना पैसा सुरक्षित किया गया है ? निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में आमेर रोड पर स्थित मंदिर श्री रघुनाथ जी (राधा निवास) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी का मन्दिर है। जो राजकीय मन्दिरों की सूची में अंकित है। मन्दिर की सम्पत्ति का स्वामित्व मन्दिर की मूर्ति में निहित होता है। राजकीय मंदिर सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम सन् 1959 की धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन से मुक्त है।

(2) उक्त मन्दिर की दस बीघा भूमि जो सम्वत् 2010 तक सेटलमेंट रेकार्ड में मन्दिर के नाम अंकित थी वह वर्तमान में श्री जय गोपाल सक्सेना, भू. पू. तहसीलदार आमेर के खाते में अंकित है और श्री जयगोपाल ने उक्त कृषि भूमि में मकान भी बना लिया है। यह भूमि किस प्रकार श्री जयगोपाल सक्सेना के कब्जे व खाते में गई इस सम्बन्ध में जांच के निर्देश दिये जा चुके हैं।

(देवस्थान मंत्री)

जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(3) मन्दिर की टूट फूट व आवश्यक मरम्मत हेतु वर्ष 1980-81 में पांच हजार रुपयों की राशि स्वीकृति की गई है। मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के संस्थान

228. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को जब 1-9-79 को राजस्थान औद्योगिक विकास एवं पूंजी विनियोजन निगम से अलग किया गया, तब इसके कितने संस्थान लाभ में थे ?

(2) 1-7-1979 के बाद से आज की तारीख में उक्त संस्थानों में से कौन से संस्थान अब तक लाभ कमा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 27 सितम्बर, 1979 को हुई। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम में कार्यरत खनिज इकाइयां दिनांक 1-11-79 को इस नये निगम को हस्तांतरित की गई। हस्तांतरण के समय निम्न परियोजनाये लाभ मे थी—

1—जिप्सम परियोजना, नागौर।

2—टंगस्टन परियोजना, डेगाना।

3—फलोस्पार परियोजना, करारा (जालौर)

4—क्ओलियन परियोजना, उदयपुर।

(2) उपरोक्त इकाइयां राजस्थान खनिज विकास निगम को 1-11-79 से हस्तांतरित की गयी है, इसके बाद भी उक्त समस्त इकाइयां लाभ कमा रही हैं। हस्तांतरण के पश्चात् जिप्सम परियोजना, गागरिया (बाड़मेर) तथा वेन्टोनाइट परियोजना, बाड़मेर ने भी लाभ कमाया।

पी. एम. टी. की सीट्स में अभिवृद्धि

229. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत 10 वर्षों से पी. एम. टी. के लिये 550 सीट्स ही हैं ? आबादी की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में क्या ये सीट्स काफी हैं ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने इन्हें बढ़ाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के प्रवेश के लिये प्रतिशत को 40 से घटाकर 35 ही कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(चिकित्सा मंत्री)

पी. एम. टी. में बैठने के लिए सीटों की संख्या निर्धारित नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) जी हां।

सन् 1980-81 में प्रथम वर्ष एम.बी.बी एस. में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के प्रवेश हेतु अंकों का प्रतिशत 40 से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।

राज्य में सीमेंट की आवश्यकता के संदर्भ में आपूर्ति

230. श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़): क्या रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितनी सीमेंट की आवश्यकता है?

(2) क्या मांग के सन्दर्भ में राज्य सरकार सीमेंट उपलब्ध कराने में सफल हो रही है?

(3) चूरू जिले में कुल कितनी सीमेंट की आवश्यकता है तथा कितनी सीमेंट उपलब्ध कराई जा रही है? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कूप निर्माण, व्यक्तिगत भवन निर्माण, सार्वजनिक निर्माण हेतु सीमेंट देने में राज्य सरकार वर्तमान में कोई संशोधन करने का इरादा रखती है?

(5) क्या औद्योगिक क्षेत्र की सीमेंट की मांग को ध्यान में रखते हुए इसके आवंटन में वृद्धि की जावेगी? यदि हां, तो कितनी और कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान में प्रत्येक त्रैमास हेतु 3.50 लाख मै. टन सीमेंट की आवश्यकता है।

(2) जी नहीं।

(3) चूरू जिले के लिये एक त्रैमास हेतु 3000 मै. टन सीमेंट की आवश्यकता है। वर्तमान में 850 मै. टन सीमेंट प्रति त्रैमास आवंटित की जाती है। प्रथम तिमाही 1981 में 400 मै. टन अतिरिक्त सीमेंट आवंटित की गई है। तहसीलवार आवंटन की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) दिनांक 27-2-81 को जिलाधीशों को अ.शा. पत्र भेज कर सीमेंट वितरण में निम्नांकित प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं—

1—कृषि कार्य—(अ) कूप निर्माण (ब) कूप मरम्मत (स) पम्प सेट लगाना (द) पानी के धोरों का निर्माण (य) अन्य कृषि कार्य।

2—मरम्मत कार्य

3—नव निर्माण कार्य

4—औद्योगिक निर्माण

5—औद्योगिक इकाइयों में मरम्मत कार्य

6—अन्य।

(5) उपलब्धि के अनुसार सीमेंट का आवंटन किया जाता है।

234

प्रश्न के भाग 3 की सूची (मात्रा मै. टनों में)

क्रमांक	नाम तहसील	चतुर्थ तिमाही 1980	प्रथम तिमाही 1981
1	चूरू	165	250
2	सरदार शहर	135	195
3	राजगढ़	120	180
4	रतनगढ़	100	145
5	तारानगर	75	120
6	सुजानगढ़	150	210
7	डूंगरगढ़	105	150
	योग	850	1250

नगरपालिका गंगाशहर में '20' सूत्री कार्यक्रम के तहत आवंटित रिहायशी भू-खण्ड

231. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगाशहर नगरपालिका में बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत कितने रिहायशी भू-खण्ड आवंटित किये गये ? कृपया आवंटित भू-खण्ड का नाप, अलाटीज का नाम, जाति व स्थाई पतों सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या अलॉटीज ने अपने 2 भू-खण्ड पर भवन निर्माण कर लिया अथवा किन्हीं अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया ? कृपया ऐसे भूखण्डों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) यदि उपरोक्त आवंटित भू-खण्ड में अनियमिततायें अथवा जबरदस्ती हुई है, तो नगरपालिका-प्रशासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी जांच कराई जायेगी ?

उत्तर

(1) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 334 भू-खण्ड आवंटित किये गये। भू-खण्ड के माप, आवंटियों के नाम, जाति की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त आवंटित भू-खण्डों के बारे में अनियमितता एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा इन भू-खण्डों पर कब्जे करने आदि की जांच उप-निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा करवाई जा रही है।

(3) भाग (2) में इसका उत्तर आ गया है। अब तक कार्यवाही नहीं करने के कारण अधिशासी अधिकारी व प्रशासक से जवाब तलब किया गया है।

236

कार्यालय नगरपालिका गंगाशहर

20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन किये गये भू-खण्डों की सूची

क्र. सं.	नाम मय पिता व पति	जाति	आवंटन क्षेत्रफल	स्थाई पता
1	2	3	4	5
1.	श्रीमति गोमण पत्नि चंपालाल	सेवग	136 दर गज 1 फुट (3 × 3)	गंगा शहर
2	श्री टीकूराम पुत्र ज्ञानाराम	जाट	,,	,,
3.	श्री मगनलाल पुत्र बाबूलाल	माली	,,	,,
4.	श्री गोरीशंकर पुत्र गीराराम	माली	,,	,,
5.	श्री छगनलाल पुत्र रामदेव	माली	,,	,,
6.	श्री किशनलाल पुत्र शिवरतन	माली	,,	,,
7.	श्रीमति हीरादेवी पत्नि चतुर्भुज	वैद	,,	,,
8.	श्री जतनलाल पुत्र नन्दलाल	माली	,,	,,
9.	श्री मांगीलाल पुत्र जोराराम	ब्राह्मण	,,	,,
10.	श्रीमति राजादेवी पत्नि रावतमल	सेठिया	,,	,,
11.	श्री भंवरलाल पुत्र फागणमल	बन्दोई	,,	,,
12.	श्री मोहनलाल पुत्र भैरूदान	सिंधी	,,	,,
13.	श्री रामलाल पुत्र नथूराम	दर्जी	,,	,,
14.	श्रीमती संतोषी देवी पत्नि हंसराज	मणोट	,,	,,
15.	श्री सुखाराम पुत्र धन्नाराम	ब्राह्मण	,,	,,
16.	श्री रूपाराम पुत्र गोधन	नाई	,,	,,
17.	श्री नृसिंह राय पुत्र धोकलराम	ब्राह्मण	,,	,,
18.	श्री सम्पत लाल पुत्र नेमचंद	भादाणी	,,	,,
19.	श्रीमति मनोहरी देवी पत्नि पुखराज	मणोट	,,	,,
20.	श्रीमति दुर्गा देवी पत्नि सेसकरण	लालवाणी	,,	,,
21.	श्री जेठमल पुत्र धोकलराम	ब्राह्मण	,,	,,
22.	श्रीमति शुशीला देवी पत्नि विजयकुमार	सोनी	,,	,,
23.	श्री पूनमचन्द पुत्र गोविन्दराम	पारख	,,	,,
24.	श्री बद्रीराम पुत्र पूनमचन्द	ब्राह्मण	,,	,,
25.	श्री रामेश्वर लाल पुत्र रतनलाल	दर्जी	,,	,,
26.	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि रतनलाल	दुगड़	,,	,,

1	2	3	4	5
27.	श्रीमति शान्ति देवी पत्नि धनराज	ब्राह्मण	136 दर गज 1 फुट (3 · 3)	गंगा शहर
28.	श्रीमती तुलछी देवी पत्नि रामलाल	ब्राह्मण	,,	,,
29.	श्री भंवरलाल पुत्र सुखाराम	ब्राह्मण	,,	,,
30.	श्रीमती सत्तु देवी पत्नि अणदमल	बैद	,,	,,
31.	श्रीमती आशादेवी पत्नि तीलाराम	मालू	,,	,,
32.	श्री सम्पतलाल पुत्र जेसराज	नवलखा	,,	,,
33.	श्री चन्द्र पुत्र सोहनलाल	नाई	,,	,,
34.	श्रीमती सूरजं देवी पत्नि सोहनलाल	वोथरा	,,	,,
35.	श्री सचीयालाल पुत्र मेहताब चन्द	छाजेड़ा	,,	,,
36.	श्रीमनी मूली देवी पत्नि नेमचन्द	सेठिया	,,	,,
37.	श्री रामचरण पुत्र श्रवणलाल	सक्सैना	,,	,,
38.	श्रीमती मैना देवी हुकमचन्द	लालवाणी	,,	,,
39.	श्रीमती विमला देवी पत्नि नारायणलम	डागा	,,	,,
40.	श्रीमती सीरिया देवी पत्नि केशीचंद	डागा	,,	,,
41.	श्रीमती कमला देवी पत्नि सूरजमल	डागा	,,	,,
42.	श्रीमती जतना देवी पत्नि प्रेमराज	डागा	,,	,,
43.	श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नि मेघराज	माली	,,	,,
44.	श्रीमती रामेश्वर लाल पुत्र गंगाराम	सुथार	,,	,,
45.	श्री वैद्यराज पुत्र पोकर राम	जाट	,,	,,
46.	श्री रामेश्वर लाल पुत्र परसाराम	जाट	,,	,,
47.	श्री भीमाराम पुत्र छोभाराम	जाट	,,	,,
48.	श्री रामनारायण पुत्र भीमाराम	जाट	,,	,,
49.	श्री पन्नाराम पुत्र जैसाराम	कुम्हार	,,	,,
50.	श्रीमती किरण देवी पत्नि केदारनाथ	सुथार	,,	,,
51.	श्री रावतमल पुत्र भवरलाल	सेठिया	,,	,,
52.	श्री रामनाथ पुत्र गणेशाराम	सुनार	,,	,,
53.	श्री मूलचंद पुत्र हजारीमल	कुम्हार	,,	,,
54.	श्री गोपालराम पुत्र हनुमानदास	सुथार	,,	,,
55.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र गंगाराम	सुथार	,,	,,
56.	श्री सुरजाराम पुत्र हीराराम	उपाध्याय	,,	,,
57.	श्री पानमल पुत्र सुरजाराम	दर्जी	,,	,,
58.	श्रीमती गंगादेवी पत्नि पूनमचन्द	ब्राह्मण	,,	,,
59.	श्री हड़मानाराम पुत्र लुणाराम	नाई	,,	,,

1	2	3	4	5
60.	श्री तिलोकचन्द पुत्र भंवरलाल	सेठिया	136 दर गज 1 फुट (3 x 3)	गंगा शहर
61.	श्री गोरधन पुत्र लालूराम	सुथार	,,	,,
62.	श्री धूड़ाराम पुत्र मुकनाराम	ब्राह्मण	,,	,,
63.	श्रीमती शान्ति देवी पत्नि किशनलाल	बोथरा	,,	,,
64.	श्री खेतसिंह पुत्र गोरधन दास	प्रोहित	,,	,,
65.	श्री रामचन्द्र पुत्र गोरधन दास	प्रोहित	,,	,,
66.	श्री भागीरथ पुत्र धोकलराम	नाई	,,	,,
67.	श्री रामधन पुत्र शिवनाथ	नाई	,,	,,
68.	श्री तोलाराम पुत्र नानूराम	नाई	,,	,,
69.	श्री चांदमल पुत्र रतनलाल	सेठिया	,,	,,
70.	श्री मोहन गिरी पुत्र गणपत गिरी	स्वामी	,,	,,
71.	श्री प्रहलादराम पुत्र रामूराम	नाई	,,	,,
72.	श्री सम्पतलाल पुत्र छोगाराम	ब्राह्मण	,,	,,
73.	श्रीमती गंगादेवी पत्नि प्रतापमल	फलोदिया	,,	,,
74.	श्री मंगलचन्द पुत्र हरखचन्द	बैद	,,	,,
75.	श्रीमती मुन्नीदेवी पत्नि मुकनचन्द	फलोदिया	,,	,,
76.	श्री किस्तुरीचन्द्र पुत्र पन्नालाल	चोपड़ा	,,	,,
77.	श्री प्रेमचन्द पुत्र लछूराम	बैद	,,	,,
78.	श्री पानमल पुत्र जगन्नाथ	नाई	,,	,,
79.	श्री कुंभचन्द पुत्र जगन्नाथ	नाई	,,	,,
80.	श्री धन्नाराम पुत्र बालूराम	कुम्हार	,,	,,
81.	श्रीमती आशादेवी पत्नि किशनलाल	सोनावत	,,	,,
82.	श्री धन्नाराम पुत्र नानूराम	कुम्हार	,,	,,
83.	श्रीमती भर्तीदेवी पत्नि धन्नाराम	सुनार	,,	,,
84.	श्री धूड़ाराम पुत्र आसूराम	सोनार	,,	,,
85.	श्री रामदेव पुत्र तोलाराम	सुनार	,,	,,
86.	श्री मुरलीधर पुत्र पन्नालाल	सुनार	,,	,,
87.	श्री रामलाल पुत्र नानूराम	कुम्हार	,,	,,
88.	श्री बोधूराम पुत्र नानूराम	कुम्हार	,,	,,
89.	श्री गणेशलाल पुत्र गंगाराम	सुनार	,,	,,
90.	श्री सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण	सोनार	,,	,,
91.	श्री फुकरूदीन पुत्र साबूदीन	पिंजारा	,,	,,
92.	श्री सम्पतलाल पुत्र फकीरराम	दर्जी	,,	,,

(239)

1	2	3	4	5
93.	श्री ओमप्रकाश पुत्र जेठाराम	कुम्हार	136 दर गज 1 फुट (3 x 3)	गंगाशहर
94.	श्री रावतसिंह पुत्र जीवनराज	राजपूत	,,	,,
95.	श्री रामेश्वरलाल पुत्र मेघाराम	नाई	,,	,,
96.	श्री किशनलाल पुत्र लाधूराय	नाई	,,	,,
97.	श्री लूणाराम पुत्र आईदान	कुम्हार	,,	,,
98.	श्री रामलाल पुत्र लूणकरण	बोथरा	,,	,,
99.	श्री माणकचन्द पुत्र मानमल	संचेती	,,	,,
100.	श्री खेमचन्द पुत्र रतनलाल	बैद	,,	,,
101.	श्री भंवरलाल पुत्र रतनलाल	बैद	,,	,,
102.	श्री जगदीश्वर पुत्र सुगनाराम	नाई	,,	,,
103.	श्रीमती मगनीदेवी पत्नि चेरूलाल	माली	,,	,,
104.	श्री महावीर प्रसाद पुत्र बख्तावरमल	तंवर	,,	,,
105.	श्री रामकिशन पुत्र गंगाराम	तंवर	,,	,,
106.	श्री मोहनलाल पुत्र हजारीमल	तंवर	,,	,,
107.	श्री शंकरराम पुत्र रूपाराम	माली	,,	,,
108.	श्री झवरलाल पुत्र भंवरलाल	माली	,,	,,
109.	श्री इन्द्रचन्द पुत्र फूसाराम	नवलखा	,,	,,
110.	श्री फूसराज पुत्र गोपालचन्द	नवलखा	,,	,,
111.	श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि गौरीशंकर	दर्जी	,,	,,
112.	श्री पूनमचन्द पुत्र सादूलाराम	नाई	,,	,,
113.	तोलाराम पुत्र भोपालचन्द्र	नवलखा	,,	,,
114.	श्रीमती रूपादेवी पत्नि मांगीलाल	ब्राह्मण	,,	,,
115.	श्री मांगीलाल पुत्र हेमाराम	सुथार	,,	,,
116.	श्री बागमल पुत्र बालचन्द	गुलगुलियां	,,	,,
117.	श्री मनोहरीदेवी पत्नि नारायण	सिंगी	,,	,,
118.	श्री सम्पतलाल पुत्र रूपचन्द	मरोटी	,,	,,
119.	श्रीमती चतरादेवी पत्नि भीखाराम	सुथार	,,	,,
120.	श्री मांगीलाल पुत्र हेमराज	भंसाली	,,	,,
121.	श्रीमती कचनदेवी पत्नि मूलचन्द	सिपाणी	,,	,,
122.	श्री लालाराम पुत्र हीराराम	नाई	,,	,,
123.	श्री ओमप्रकाश पुत्र रामदेव	सुथार	,,	,,
124.	श्री गणेशाराम पुत्र लिखमाराम	ब्राह्मण	,,	,,
125.	श्री गोरधन पुत्र बालूराम	डाकोत	,,	,,

Page No. 240

२५०

1	2	3	4	5
126.	श्री भंवरलाल पुत्र गोरधन	सुथार	136 दर गज 1 फुट (3×3)	गंगाशहर
127.	श्री सीताराम पुत्र मोहनलाल	नाई	,,	,,
128.	श्री गोरधन पुत्र फागणसा	कन्दोई	,,	,,
129.	श्री केशूराम पुत्र कानाराम	जाट	,,	,,
130.	श्रीमती जमनादेवी पत्नि मूलचन्द	दुगड़	,,	,,
131.	श्रीमती सम्पतदेवी पत्नि भीखमचन्द		,,	,,
132.	श्रीमती किरणदेवी पत्नि भंवरलाल	बेद	,,	,,
133.	श्री धनराज पुत्र गणेशमल	लुणीयां	,,	,,
134.	श्री जगन्नाथ पुत्र लाधूराम	बेद	,,	,,
135.	श्रीमती चांदादेवी पत्नि इन्द्रचन्द्र	नवलखा	,,	,,
136.	श्रीमती कमलादेवी पत्नि लूणकरण	सेठिया	,,	,,
137.	श्रीमती हुलासीदेवी पत्नि हंसराज	गंग	,,	,,
138.	श्रीमती माणकदेवी पत्नि हनुमानमल	गंग	,,	,,
139.	श्रीमती मैनादेवी पत्नि चांदमल	दुगड़	,,	,,
140.	श्रीमती लुणीदेवी पत्नि भंवरलाल	फलोदिया	,,	,,
141.	श्रीमती कमलादेवी पत्नि केशरीचन्द	दुगड़	,,	,,
142.	श्रीमती मोहनीदेवी पत्नि पांचीलाल	सोनावत	,,	,,
143.	श्री तुलछीराम पुत्र पूर्णमल	सोनावत	,,	,,
144.	श्रीमती सम्पतदेवी पत्नि बाबूलाल	सोनावत	,,	,,
145.	श्रीमती पानादेवी पत्नि मुन्नीलाल	बुच्चा	,,	,,
146.	श्री शिखरचन्द पुत्र तोलाराम	दर्जी	,,	,,
147.	श्री कन्हैयालाल पुत्र तोलाराम	दर्जी	,,	,,
148.	श्री मंघाराम पुत्र मूलाराम	नाई	,,	,,
149.	श्री हरिदास पुत्र मूलदास	साध	,,	,,
150.	श्री डूंगरमल पुत्र पूनमचन्द	फलोदिया	,,	,,
151.	श्री सम्पतलाल पुत्र रूघमाल	बुच्चा	,,	,,
152.	श्रीमती कमलादेवी पत्नि भंवरलाल	लालवाणी	,,	,,
153.	श्री भंवरलाल पुत्र गोविन्दराम	रांका	,,	,,
154.	श्रीमती जसोदादेवी पत्नि कहैन्यालाल	फलोदिया	,,	,,
155.	श्री रामलाल पुत्र भैरूदान	डागा	,,	,,
156.	श्रीमती किरणदेवी पत्नि भंवरलाल	सामसुखा	,,	,,
157.	श्रीमती लिछमादेवी पत्नि रामलाल	नाई	,,	,,
158.	श्रीमती कलावती देवी पत्नि जेठमल	चोपड़ा	,,	,,

२५१

1.	2	3	4	5
159.	श्री कन्हैयालाल पुत्र चुन्नीलाल	वैद	136 दर गज 1 फुट (3 × 3)	गंगा शहर
160.	श्री लखुराम पुत्र मंघाराम	नाई	,,	,,
161.	श्रीमती सुशीलादेवी पत्नि प्रसादचंद	लालवाणी	,,	,,
162.	श्री बद्रीनारायण पुत्र अमाराम	ब्राह्मण	,,	,,
163.	श्री पृथ्वीराज पुत्र बाबूलाल	चौहान	,,	,,
164.	श्री तोलाराम पुत्र सुगनचन्द	डाकलिया	,,	,,
165.	श्री मोहनलाल पुत्र किशनलाल	ब्राह्मण	,,	,,
166.	श्री जगदीशप्रसाद पुत्र भयाराम	ब्राह्मण	,,	,,
167.	श्रीमती जड़ावदेवी पत्नि लालचन्द	बोथरा	,,	,,
168.	श्रीमती कमलादेवी पत्नि माणकचन्द	भंसाली	,,	,,
169.	श्री भंवरदास पुत्र सोहनलाल	साध	,,	,,
170.	श्री हरजीराम पुत्र किस्तुराराम	नाई	,,	,,
171.	श्री सोहनलाल पुत्र गणेशमल	वैद	,,	,,
172.	श्री दीपचन्द पुत्र गणेशमल	वैद	,,	,,
173.	श्री लालचन्द पुत्र गणेशमल	वैद	,,	,,
174.	श्री रामनारायण पुत्र जैसाराम	ब्राह्मण	,,	,,
175.	श्री किशनाराम पुत्र भैरूराम	ब्राह्मण	,,	,,
176.	श्री महावीरप्रसाद पुत्र हनुमानप्रसाद	ब्राह्मण	,,	,,
177.	श्री दौलाराम पुत्र उम्मेदाराम	चौधरी	,,	,,
178.	श्री सम्पतलाल पुत्र किस्तुरचन्द	सेठिया	,,	,,
179.	श्रीमती मैनादेवी पत्नि गोरधन	वेगानी	,,	,,
180.	श्रीमती लुणीदेवी पत्नि डालचन्द	बाफना	,,	,,
181.	श्रीमती केशरदेवी पत्नि मेघराज	बाफना	,,	,,
182.	श्रीमती हुलासीदेवी पत्नि भीखमचन्द	वैद	,,	,,
183.	श्रीमती जेठीदेव पत्नि मोहनलाल	गुलगुलिया	,,	,,
184.	श्री जमालदीन पुत्र अब्दुलहक	रंगरेज	,,	,,
185.	श्री हंसराज पुत्र कुम्भाराम	माली	,,	,,
186.	श्रीमती चमेलीदेवी पत्नि मोहम्मदबक्ष	रंगरेज	,,	,,
187.	श्री सफी मोहम्मद पुत्र फकरूदीन	रंगरेज	,,	,,
188.	श्री भंवरलाल पुत्र लिखमीचन्द	सुराणा	,,	,,
189.	श्री फुसराज पुत्र गौरीशंकर	सेवग	,,	,,
190.	श्री श्रीमती कमलादेवी पत्नि संपतलाल	राखेचा	,,	,,
191.	श्री नत्थुराम पुत्र जीयाराम	कुम्हार	,,	,,

Page No. 242

(242)

1	2	3	4	5
192.	श्री रूपाराम पुत्र गंगाराम	ब्राह्मण	136 दर गज 1 फुट (3 x 3)	गंगा शहर
193.	श्री मांगीलाल पुत्र हुकमचन्द	गोलछा	,,	,,
194.	श्री चुन्नाराम पुत्र पूराराम	कुम्हार	,,	,,
195.	श्री लिछमणराम पुत्र चुन्नाराम	कुम्हार	,,	,,
196.	श्री भोमाराम पुत्र टीकूराम	कुम्हार	,,	,,
197.	श्री जेठाराम पुत्र कुन्दणराम	माली	,,	,,
198.	श्री श्रीमती तुलछीदेवी पत्नि देवाराम	कुम्हार	,,	,,
199.	श्री अनवरअली पुत्र करीम बक्श	रंगरेज	,,	,,
200.	श्री हुकमाराम पुत्र जवाहरराम	ब्राह्मण	,,	,,
201.	श्री नत्थूराम पुत्र ईश्वरराम	सुथार	,,	,,
202.	श्रीमती सुरजीदेवी पत्नि कालूराम	ब्राह्मण	,,	,,
203.	श्रीमती आशादेवी पत्नि हड़मानारायण	ब्राह्मण	,,	,,
204.	श्री बिड़दसिंह पुत्र छोटूसिंह	राजपूत	,,	,,
205.	श्री नन्दराम पुत्र लिछीराम	चौधरी	,,	,,
206.	श्रीमती हीरादेवी पत्नि मोतीराम	चौधरी	,,	,,
207.	श्री संतोषी देवी पत्नि मूलाराम	सेवग	,,	,,
208.	श्रीमती सुन्दर देवी पत्नि मेघराज	बोथरा	,,	,,
209.	श्रीमती प्रेमी देवी पत्नि पानमल	सेठिया	,,	,,
210.	श्री शंकरराम पुत्र नानूराम	ब्राह्मण	,,	,,
211.	श्री रमेश कुमार पुत्र विश्नलाल	नाई	,,	,,
212.	श्रीमती किरण देवी पत्नि सामसुखा		,,	,,
213.	श्री विजय सिंह पुत्र खींवसिंह	राजपूत	,,	,,
214.	श्री छोगराम पुत्र रावतराम	ब्राह्मण	,,	,,
215.	श्री रामकंवरी पत्नि मूलचंद	ब्राह्मण	,,	,,
216.	श्री किशनलाल पुत्र खेताराम	ब्राह्मण	,,	,,
217.	श्री राधाकृष्ण पुत्र सुरजाराम	ब्राह्मण	,	,,
218.	श्री मोहनलाल पुत्र भैरूदान	वैद	,	,,
219.	श्री नेमचंद पुत्र छोगमल	भादाणी	,,	,,
220.	श्री रामचन्द्र पुत्र अन्नाराम	चौधरी	,,	,,
221.	श्री दीपचंद पुत्र श्रीचन्द	बोथरा	,,	,,
222.	श्री भंवरलाल पुत्र सुरजाराम	दर्जी	,,	,,
223.	श्री चंदादेवी पत्नि इन्द्रचंद	नवलखा	,,	,,
224.	श्री बद्री नारायण पुत्र खेमाराम	कुम्हार	,,	,,

1	2	3	4	5
225.	श्री आसूराम पुत्र नारायण	ब्राह्मण	136 दर गज 1 फुट (3 × 3)	गंगा शहर
226.	श्रीमती सुखी पत्नि चम्पालाल	भादाणी	"	"
227.	श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि धूड़चंद	बैद	"	"
228.	श्री कन्हैयालाल पुत्र नृसिंहराम	ब्राह्मण	"	"
229.	श्री भंवरलाल पुत्र चौथाराम	कुम्हार	"	"
230.	श्री हनुमान प्रसाद पुत्र बागाराम	जाट	"	"
231.	श्रीमती विद्या देवी पत्नि लूणाराम	ब्राह्मण	"	"
232.	श्रीमती तीजा देवी पत्नि जयराम	कुम्हार	"	"
233.	श्रीमती केशर देवी पत्नि हनुमान प्रसाद	ब्राह्मण	"	"
234.	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि रामकिशन	ब्राह्मण	"	"
235.	श्री बुलाकीराम पुत्र नारायणराम	ब्राह्मण	"	"
236.	श्री रमजान पुत्र रहीम बक्श	रंगरेज	"	"
237.	श्री जफर अली पुत्र अब्दुल गफार	नाहरिया	"	"
238.	श्री जुबेदा पत्नि असगर अली	चूड़ीगर	"	"
239.	श्री भौरीलाल पुत्र आईदान	नाई	"	"
240.	श्री महावीर प्रसाद पुत्र जेसाराम		"	"
241.	श्री मोहम्मद अली पुत्र रहीम बक्श	रंगरेज	"	"
242.	श्री मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल	सुनार	"	"
243.	श्री गुलजार पुत्र जमालदीन	रंगरेज	"	"
244.	श्रीमती बाली देवी पत्नि बख्तावरमल	चौधरी	"	"
245.	श्री गोपालराम पुत्र बालूराम	चौधरी	"	"
246.	श्री लक्ष्मणराम पुत्र घेवरचंद	नाई	"	बीकानेर
247.	श्री जतना देवी पत्नि बुद्धमल	पारख	"	"
248.	श्री रेवन्तराम पुत्र लाधूराम	जाट	"	"
249.	श्रीमती जेठी देवी पत्नि गणीराम	सुनार	"	"
250.	श्री राधाकिशन पुत्र शिवदास	सुनार	"	"
251.	श्री शान्तीलाल पुत्र सोहनलाल	रांका	"	"
252.	श्री ईशर पुत्र तनसुखदास	सुराणा	"	"
253.	श्रीमती भंवरादेवी पत्नि भतमाल	सुनार	"	"
254.	श्रीमती कनीज देवी पत्नि रमजान	रंगरेज	"	"
255.	श्रीमती धरनी देवी पत्नि जीवणल	बैद	"	"
256.	श्री पदम चंद पुत्र रावत मल	बैद	"	"
257.	श्री मुमताज पुत्र नूर मोहम्मद	मुसलमान	"	"

1	2	3	4	5
258.	श्री रामेश्वर लाल पुत्र राम बक्श	नाई	136 दर गज 1 फुट (3×3)	बीकानेर
259.	श्री तोलाराम पुत्र प्रताप मल	बैद	,,	,,
260.	श्री भंवर लाल पुत्र सचियालाल	बैद	,,	,,
261.	श्री मोहन सिंह पुत्र गजराज सिंह	राजपूत	,,	,,
262.	श्री नथूराम पुत्र आसूराम	माली	,,	,,
263.	श्री माणकचन्द पुत्र मूलाराम	माली	,,	,,
264.	श्री रामेश्वर लाल पुत्र करणाराम	माली	,,	,,
265.	श्री ओमप्रकाश पुत्र मनोहर लाल	माली	,,	,,
266.	श्री रामेश्वर लाल पुत्र गंगाराम	माली	,,	,,
267.	श्री पूरणराम पुत्र डालूराम	लुहार	,,	,,
268.	श्री राधेश्याम पुत्र हजारी सिंह	राजपूत	,,	,,
269.	श्री भाऊराम पुत्र हरजीराम	कुम्हार	,,	,,
270.	श्रीमती मोहनी देवी पत्नि भंवरसिंह	राजपूत	,,	,,
271.	श्री पृथ्वीराज पुत्र तोलाराम	जैन	,,	,,
272.	श्रीमती शान्ति देवी पत्नि धनराज	बुच्चा	138 गज 8 फुट (3×3)	,,
273.	श्री उदयसिंह पुत्र जयनारायण सिंह	राजपूत	,,	,,
274.	श्री सुगनी देवी पत्नि मोहम्मद हुसेन	मुसलमान	,,	,,
275.	श्री सुन्दर लाल पुत्र मोहनलाल	सुनार	,,	,,
276.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र भतमाल	सुथार	,,	,,
277.	श्री किशनलाल पुत्र मोहनलाल	सोनार	,,	,,
278.	श्रीमती भूरीदेवी पत्नि लाधूराम	सुथार	,,	,,
279.	श्री जगन्नाथ पुत्र जोराराम	ब्राह्मण	,,	,,
280.	श्रीमती भतीदेवी पत्नि छोटूलाल	सुथार	,,	,,
281.	श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र भतमाल	सुथार	,,	,,
282.	श्री शंकरलाल पुत्र राधाकिशन	ब्राह्मण	,,	,,
283.	श्री भंवरलाल पुत्र चेनाराम	नाई	,,	,,
284.	श्री चोरूराम पुत्र पन्नाराम	नाई	,,	,,
285.	श्री राजूराम पुत्र पाबूदान	नाई	,,	,,
286.	श्री प्रहलादराम पुत्र फुसाराम	नाई	,,	,,
287.	श्री दूलाराम पुत्र आसूराम	नाई	,,	,,
288.	श्री तोलाराम पुत्र लिखमाराम	नाई	,,	,,
289.	श्री शंकरलाल पुत्र डूगरराम	नाई	,,	,,

1	2	3	4	5
290.	श्री सीताराम पुत्र किरताराम	नाई	138 दर गज 1 फुट (3×3)	बीकानेर
291.	श्री गवरी शंकर पुत्र ऊदाराम	नाई	,,	,,
292.	श्री अर्जुनराम पुत्र किरताराम	नाई	,,	,,
293.	श्री पन्नालाल पुत्र नानाराम	राजपूत	,,	,,
294.	श्री कुन्दनलाल पुत्र पन्नालाल	सुनार	,,	,,
295.	श्री देवीसिंह पुत्र लाधूसिंह	राजपूत	,,	,,
296.	श्री भंवरसिंह पुत्र कल्याणसिंह	राजपूत	,,	,,
297.	श्री मांगीलाल पुत्र शिवनाथसिंह		,,	,,
298.	श्री मन्शीराम पुत्र कालूराम	सुनार	,,	,,
299.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र घमडीराम	नाई	,,	,,
300.	श्री आशाराम पुत्र सुलतानाराम	नाई	,,	,,
301.	श्री बुलाराम पुत्र सुल्तानाराम	नाई	,,	,,
302.	श्रीमती भंवरा देवी पत्नि भंवरलाल	दर्जी	,,	,,
303.	श्री मेसरीदास पुत्र शंकरदास	स्वामी	,,	,,
304.	श्री कालूराम पुत्र रामलाल	दर्जी	,,	,,
305.	श्री भगवानाराम पुत्र खेताराम	जाट	,,	,,
306.	श्री हड़मानमल पुत्र भभूताराम	दर्जी	,,	,,
307.	श्री कन्हैयालाल पुत्र जेठमल	माली	,,	,,
308.	श्री डालचंद पुत्र भभूताराम	दर्जी	,,	,,
309.	श्री बद्री नारायण पुत्र सुरजाराम	कुम्हार	,,	,,
310.	श्रीमती किरण देवी पत्नि जसकरण	ओद	,,	,,
311.	श्री पूनमचन्द पुत्र लाधूराम	चौधरी	,,	,,
312.	श्री चुन्नाराम पुत्र जेठाराम	कुम्हार	,,	,,
313.	श्री जेठमल पुत्र नथमल	सेवग	,,	,,
314.	श्रीमती सूरज देवी पत्नि केशरीचंद	बोथरा	,,	,,
315.	श्री इन्द्रचंद पुत्र फुसराज	सिपाणी	,,	,,
316.	श्री मोहनलाल पुत्र सोहनलाल	हरिजन	,,	,,
317.	श्री गंगाराम पुत्र ताराराम	हरिजन	,,	,,
318.	श्री श्यामलाल पुत्र जालूराम	हरिजन	,,	,,
319.	श्री सूड़ाराम पुत्र नानूराम	हरिजन	,,	,,
320.	श्री कैलाशचन्द्र पुत्र चम्पालाल	हरिजन	,,	,,
321.	श्री पन्नाराम पुत्र रामलाल	हरिजन	,,	,,
322.	श्री छोटूलाल पुत्र तोलाराम	हरिजन	,,	,,

(246)

1	2	3	4	5
323.	श्री हड़मानमल पुत्र रामलाल	हरिजन	138 वर गज 8 फुट (3 × 3)	बीकानेर
324.	श्री बुद्धाराम पुत्र भंवरलाल	हरिजन	,,	,,
325.	श्री मंगतूराम पुत्र तोलाराम	हरिजन	,,	,,
326.	श्री सुखदेव पुत्र बालूराम	हरिजन	,,	,,
327.	श्री नेमचंद पुत्र बालूराम	हरिजन	,,	,,
328.	श्री रमणलाल पुत्र भीखाराम	हरिजन	,,	,,
329.	श्री जेठाराम पुत्र बालूराम	मेघवाल	,,	,,
330.	श्री बाबूलाल पुत्र सुरजाराम	मेघवाल	,,	,,
331.	श्री सांवरलाल पुत्र भीखाराम	मेघवाल	,,	,,
332.	श्री हरखाराम पुत्र पुनमचंद	नायक	,,	,,
333.	श्री मनोहरलाल पुत्र भंवरलाल	हरिजन	,,	,,
334.	श्री प्रभूराम पुत्र भंवरलाल	हरिजन	,,	,,

एस. डी.
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, गंगा शहर

———

परिशिष्ट 3

अतारांकित प्रश्न संख्या 210 की सूची

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थाएं, अलवर (राज.)

बिन्दु संख्या 2

क्रमांक	नाम विद्यालय जहां कनिष्ठ व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं।	संख्या	कितने समय से हैं
1.	उमावि रामपुर (अलवर)	दो	पद सृजित होने से।

नोट :—चूंकि उक्त पद अधिशेष हैं जिसके कारण रिक्त पड़े हैं। इनको रिक्त होने से विद्यालय में कोई व्यवधान नहीं है।

————

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थाएं अलवर (राज.)

विन्दु संख्या : 2

क्रमांक	नाम विद्यालय जहां सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं।	संख्या	कितने समय से रिक्त हैं
1.	उप्रावि टिटपुरी (अलवर)	1	नवम्बर, 1980 से
2.	उप्रावि रघुनाथगढ़ (अलवर)	1	नवम्बर, 1980 से
3.	उप्रावि रसगण (रामगढ़)	1	नवम्बर, 1980 से
4.	मावि किशोरी (अलवर)	2	नवम्बर, 1980 से
5.	मावि मनलवास (अलवर)	2	दिसम्बर, 1980 से
6.	उप्रावि आमोठ (अलवर)	1	दिसम्बर, 1980 से
7.	मावि किशनगढ़ (अलवर)	1	नवम्बर, 1980 से
8.	उप्रावि मातौर (अलवर)	1	नवम्बर, 1980 से
9.	मावि वडोदाकान (अलवर)	1	फरवरी, 1981 से
10.	उप्रावि मानका (अलवर)	1	फरवरी, 1981 से
11.	मावि भैरकर	1	नवम्बर, 1980 से
12.	मावि वामनवास	1	नवम्बर, 1980 से
13.	मावि भनोखर	1	नवम्बर, 1980 से
14.	मावि जखराना	1	अगस्त, 1980 से
15.	मावि करनीकोट	1	फरवरी, 1981 से
16.	मावि वरतापुर	1	जनवरी, 1981 से
17.	मावि पेपली	1	नवम्बर, 1980 से
18.	उमावि बीबीरानी	1	जनवरी, 1981 से
19.	मावि वाम्बोली	1	नवम्बर, 1980 से
20.	मावि खोह	1	नवम्बर, 1980 से
21.	मावि नीमूचाना	1	नवम्बर, 1980 से
22.	मावि गोलाकावास	1	नवम्बर, 1980 से
23.	मावि दरबारपुर	1	नवम्बर, 1980 से
24.	मावि वरखेड़	1	नवम्बर, 1880 से
25.	मावि समूची	1	दिसम्बर, 1980 से

Sd/-

जिला शिक्षा अधिकारी,

अलवर

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 212 की सूची)

सूची डीजल परमिट दिनांक 1-1-80 (8-1-80) से जारी किये दिनांक 31-1-81 तक कार्यालय, जिला रसद अधिकारी, जयपुर।

क्र. सं.	नाम उपभोक्ता	तादात	स्थान	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	सब्बाद हुसैन फकरूद्दीन	2500 लीटर	भीण्डर	8-1-80
2.	ब्यास ट्रेडर्स	1000 लीटर	गोगुन्दा	9-1-80
3.	अर्जुनलाल छगनलाल ओगणा	660 लीटर कैरोसिन	ओगणा	10-1-80
4.	भंवरलाल रतनलाल	1000 लीटर	गोगुन्दा	10-1-80
5.	धरती धन प्रा. लि.	200 लीटर	उदयपुर	10-1-80
6.	अधीक्षक, सयुक्त चिकित्सालय संघ	400 लीटर	उदयपुर	11-1-80
7.	जे. के. इण्डस्ट्रीज	5000 लीटर	कांकरोली	11-1-80
8.	प्रकाश ट्रेडर्स	1500 लीटर	कानोड़	14-1-80
9.	उप-निदेशक कृषि विस्तार	250 लीटर	उदयपुर	14-1-80
10.	ब्यास ट्रेडर्स	1000 लीटर	गोगुन्दा	11-1-80
11.	वरिष्ठ भू-विज्ञान एवं खान	600 लीटर	उदयपुर	15-1-80
12.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	200 लीटर	सायरा	17-1-80
13.	भंवरलाल पुत्र रतनलाल	200 लीटर	गोगुन्दा	17-1-80
14.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	3000 लीटर	उदयपुर	17-1-80
15.	जसराज हीरालाल	1000 लीटर	सेमारी	17-1-80
16.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1000 लीटर	उदयपुर	18-1-80
17.	सब्बाद हुसैन फकरूद्दीन	600 लीटर	भीण्डर	19-1-80

1	2	3	4	5
18.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	200 लीटर	सायरा	21-1-80
19.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1000 लीटर	उदयपुर	22-1-80
20.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	2000 लीटर	उदयपुर	23-1-80
21.	हिन्दुस्तान जिंक लि. जावामाई	5000 लीटर	उदयपुर	23-1-80
22.	भंवरलाल रतनलाल जैन	800 लीटर	गोगुन्दा	23-1-80
23.	उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स	200 लीटर	उदयपुर	21-1-80
24.	सज्जाद हुसैन फकरूद्दीन	1000 लीटर	भीण्डर	24-1-80
25.	रमेश आटोमोबाइल्स	1000 लीटर	पारसोला	24-1-80
26.	कैम्पस कोटड़ा	2000 लीटर	कोटड़ा	25-1-80
27.	पत्रकार, उदयपुर एक्सप्रेस	200	,,	उदयपुर	25-1-80
28.	सज्जाद हुसैन फकरूद्दीन	1000 ,,	भीण्डर	25-1-80
29.	राजस्थान सहकारी बैंक कर्मचारी संघ आर. जे. ए. 746	80 ,,	उदयपुर	25-1-80
30.	अधि. अभियन्ता एन.एच. डब्ल्यू.	1000 ,,	उदयपुर	25-1-80
31.	एरोड्रम आफिसर हवाई अड्डा	250 ,,	डबोक	25-1-80
32.	पालीवाल आयल स्टोर	1000 ,,	धरियावद	29-1-80
33.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	2000 ,,	उदयपुर	29-1-80
34.	प्रकाश ट्रेडर्स	1000 ,,	कानोड़	29-1-80
35.	व्यास ट्रेडर्स	650 ,,	गोगुन्दा	29-1-80
36.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	400 ,,	सायरा	29-1-80
37.	जसराज हीरालाल कोठारी	1000 ,,	सेमारी	29-1-80
38.	स्टेन्डर्ड प्रोमेट्स प्रा. लि.	100 ,,	उदयपुर	30-1-80
39.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1000 ,,	उदयपुर	30-1-80
40.	अधिशासी अभियन्ता सर्कल II	2000 ,,	उदयपुर	30-1-80
41.	अरावली बिजनेस कारपोरेशन	400 ,,	उयदपुर	1-2-80

1	2	3	4	5
42.	आरावली बिजनेस कारपोरेशन	40 लीटर	उदयपुर	30-1-80
43.	सज्जाद हुसैन फकरूद्दीन	1000 ,,	भीण्डर	1-2-80
44.	भंवरलाल रतनलाल	1000 ,,	गोगुन्दा	2-2-80
45.	जमनालाल पुत्र लाभचन्द्र	3000 ,,	चावण्ड	5-2-80
46.	जमनालाल पुत्र लाभचन्द्र	3000 ,,	सराड़ा	6-2-80
47.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1000 ,,	उदयपुर	5-2-80
48.	व्यास ट्रेडर्स	85 ,,	गोगुन्दा	5-2-80
49.	प्रकाश ट्रेडर्स	1500 ,,	कानोड़	5-2-80
50.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	200 ,,	सायरा	6-2-80
51.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	400 ,,	सायरा	6-2-80
52.	श्री जैन शिक्षण संघ	200 ,,	कानोड़	6-2-80
53.	सज्जाद हुसैन फकरूद्दीन	2000 ,,	भीण्डर	6-2-80
54.	स्टेण्डर्ड कॉमेटेस	100 ,,	उदयपुर	6-2-80
55.	प्रोजेक्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट	100 ,,	उदयपुर	7-2-80
56.	ट्रक नं. एच. आर. एस. 294	30 ,,		7-2-80
57.	उदयपुर कॉटन मिल्स	200 लीटर करोसिन	उदयपुर	7-2-80
58.	सहायक अभियन्त स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग	400 लीटर	उदयपुर	7-2-80
59.	कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	200 ,,	कुण	7-2-80
60.	जसराज हीरालाल कोठारी	1000 ,,	सेमारी	7-2-80
61.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1000 ,,	उदयपुर	7-2-80
62.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1000 ,,	उदयपुर	7-2-80
63.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1000 ,,	उदयपुर	7-2-80
64.	आर. जे. डी. 9242	30 ,,		7-2-80

1	2	3	4	5
65.	संचालक कृषि विभाग आर. आर. जी. 8329	30 लीटर	जयपुर	8-2-80
66.	विशाल गुड्स ट्रांसपोर्ट आर. आर. आर. 669	50 ,,		8-2-80
67.	सोहनलाल एम. एम. डी. 2818	30 ,,		8-2-80
68.	अमर सिंह आर. एस. आर. 888	50 ,,		8-2-80
69.	सतनाम ट्रांसपोर्ट कम्पनी	100 ,,	उदयपुर	8-2-80
70.	यूनिवर्सिटी उदयपुर	200 ,,	उदयपुर	8-2-80
71.	जी. टी. के. 236	20 ,,		8-2-80
72.	शोभाग मल एण्ड कम्पनी	1000 ,,	धरियावद	8-2-80
73.	जी. टी. के. 3300	30 ,,		8-2-80
74.	सुखलाल पुत्र भंवरलाल जी	1000 ,,	सलूम्बर	9-2-80
75.	संजीवनी सहकारी समिति लि., आर. एस वाई. 6274	200 ,,	फतह नगर	9-2-80
76.	सचिव	50 ,,	बोम्बे	10-2-80
77.	लक्ष्मणदास ट्रेक्टर चेसिस 2617083	20 ,,		10-2-80
78.	लक्ष्मणदास ट्रेक्टर चेसिस 2617084	20 ,,		10-2-80
79.	विस्तार निदेशालय उदयपुर विश्वविद्यालय	150 ,,	उदयपुर	11-2-80
80.	जी. टी. जी. 329 बस	30 ,,		11-2-80
81.	जी. आर. एच. 7482	30 ,,		11-2-80
82.	उदयपुर यूनिवर्सिटी	200 ,,	उदयपुर	11-2-80
83.	आर. एस. आर. 257	50 ,,	उदयपुर	11-2-80
84.	जी. आर. एस. 1644	50 ,,		11-2-80
85.	जी. आर. एस. 4638	50 ,,		11-2-80
86.	सब इन्जीनियर डाक बंगला	50 ,,	झाड़ोल	11-2-80
87.	भंवरलाल रतनलाल जैन	1500 ,,	गोगुन्दा	11-2-80

1	2	3	4	3
88.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	600 लीटर	सायरा	11-2-80
89.	सद्दाम हुसैन फकरूद्दीन भोहरा	2000 ,,	भण्डर	11-2-80
90.	सेवा मन्दिर आर. जे. एच 926 आर. जे. ए. 1053	150 ,,	उदयपुर	11-2-80
91.	जी. टी. टी. 8019	50 लीटर		11-2-80
92.	पी. यू. सी. 5993	50 ,,		12-2-80
93.	मनोहर सिंह पुत्र मोहन सिंह	100 ,,		12-2-80
94.	अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय संघ	200 ,, केरोसिन	उदयपुर	12-2-80
95.	महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल	100 लीटर केरोसिन	उदयपुर	12-2-80
96.	अधिक्षक, राजकीय मुद्रणालय	200 ,, केरोसिन	उदयपुर	12-2-80
97.	व्यास ट्रेडर्स	200 ,, केरोसिन	गोगुन्दा	12-2-80
98.	अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय	400 ,,	उदयपुर	13-2-80
99.	कैम्पस कोटड़ा	2000 ,,	कोटड़ा	13-2-80
100.	लेक प्लेस होटल	700 ,,	उदयपुर	13-2-80
101.	लेक प्लेस होटल	400 ,,	उदयपुर	13-2-80
102.	जूनियर इन्जीनियर पी. पी. डब्ल्यू. डी. डबोक एयरपोर्ट	100 ,,	उदयपुर	13-2-80
103.	जसराज हीरालाल कोठारी	1000 ,,	सेभारी	13-2-80
104.	प्रकाश ट्रेडर्स	2000 ,,	कानोड़	14-2-80
105.	आर. जे. जेड. 4181	150 ,,		14-2-80
106.	सज्जाद हुसैन फकरूद्दीन बोहरा	1500 ,,	भीण्डर	14-2-80
107.	डिस्पेन्सरी भूपालपुरा	1500 ,, केरोसिन	उदयपुर	14-2-80
108.	राजकीय चिकित्सालय परिवार नियोजन भूपालपुरा	15 ,, केरोसिन	उदयपुर	14-2-80

Page No. 254

(254)

1	2	3	4	5
109.	स्टेण्डर्ड कोमेंट्स प्रा. लि.	100 लीटर	उदयपुर	14-2-80
110.	खनिज गवेषण निगम लि. राजपुर दरीबा माइन्स	100 ,,	दरीबा	19-2-80
111.	खनिज गवेषण निगम लि. राजपुरा दरीबा माइन्स	50 लीटर	दरीबा	19-2-80
112.	सज्जाद हुसैन फखरूद्दीन	1000 ,,	भीण्डर	19-2-80
113.	वरिष्ट भू-वैज्ञानिक खान एवं भू-विज्ञान	200 ,, केरोसिन	उदयपुर	20-2-80
114.	मोहनसिंह	30 ,,	बांदरवाड़ा	20-2-80
115.	महतानसिंह पुत्र नाथूसिंह	30 ,,	बांदरवाड़ा	20-2-80
116.	उदयपुर सीमेंट वर्क्स	200 ,, केरोसिन	उदयपुर	20-2-80
117.	श्याम आयल स्टोर	2000 ,,	फतेहनगर	19-2-80
118.	हिन्दुस्तान जिंक लि. जावर माइन्स	4500 ,,	उदयपुर	22-2-80
119.	सहायक अभियन्ता भू-जल विभाग	1000 ,,	उदयपुर	21-2-80
120.	सज्जान हुसैन फखरूद्दीन वोहरा	1000 ,,	भीण्डर	22-2-80
121.	दैनिक नवजीवन पत्रिका	50 ,, केरोसिन	उदयपुर	22-2-80
122.	पालीवाल आयल स्टोर	1000 ,,	धरियावाद	22-2-80
123.	आर. आर. आर. 5877	200 ,,		22-2-80
124.	जिला कृषि अधिकारी	250 ,,	उदयपुर	22-2-80
125.	लेहरीलाल पुत्र किशनलाल	1000 ,, केरोसिन	गोगुन्दा	25-2-85
126.	जी. आर. एच. 7554	20 ,,		23-2-80
127.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	600 ,,	सायरा	25-2-80
128.	लेहरीलाल पुत्र किशनलाल	1000 ,,	गोगुन्दा	26-2-80
129.	सज्जाद हुसैन फखरूद्दीन वोहरा	1500 ,,	भीण्डर	26-2-80
130.	सज्जाद हुसैन फखरूद्दीन	1000 ,,	भीण्डर	26-2-80

1	2	3	4	5
131.	पी. ए. पी. ए. 52 बस नं.	100 लीटर	"	11-2-80
132.	ब्यास ट्रेडर्स	1000 ,,	गोगुन्दा	21-2-80
133.	शोभागमल एण्ड कम्पनी	1000 ,,	धरियावाद	21-2-80
134.	जसराज हीरालाल	1000 ,,	सेभारी	21-2-80
135.	शोभागमल एण्ड कम्पनी	1000 ,,	धरियावाद	23-2-80
136.	प्रकाश ट्रेडर्स	2000 ,,	कानोड़	26-2-80
137.	जे. के टायर इण्डस्ट्रीज	200 ,, केरोसिन	कांकरोली	27-2-80
138.	भंवरलाल पुत्र रतनलाल	2000 ,,	गोगुन्दा	26-2-80
139.	प्रकाश आटोमोबाइल्स	40 ,, केरोसिन	उदयपुर	27-2-80
140.	यूनिवर्सिटी रूड़की यू. टी. जे. 8260	50 ,,	रूड़की	27-2-80
141.	सज्जाद हुसैन फखरूद्दीन	1000 ,,	भीण्डर	28-2-80
142.	फार्म मैनेजर धरियावाद	600 ,,	धरियावाद	28-2-80
143.	संयुक्त चिकित्सालय संघ	200 ,, केरोसिन	उदयपुर	28-2-80
144.	संयुक्त चिकित्सालय संघ	200 ,,	उदयपुर	29-2-80
145.	स्वपन लोक सिनेमा	90 ,,	उदयपुर	29-2-80
146.	राजस्थान टुरर्स	100 ,,	उदयपुर	29-2-80
147.	माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति और प्रशिक्षण विभाग	200 ,, केरोसिन	उदयपुर	29-2-80
148.	हिमाचल टूरिजम	100 ,,	अहमदाबाद	29-2-80
149.	सामुदायिक डिवाइनरी एवं फल परीक्षण	50 ,, केरोसिन	उदयपुर	3-3-80
150.	राजस्थान टुरस डी. एल. पी. 3463.	50 ,,		3-3-80
151.	पीकोक ट्रेवलर्स डी. ई. पी. 2907 आर. एस. बी. 433	100 ,,		3-3-80

1	2	3	4	5
152.	सार्वजनिक विश्लेषण जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला	40 लीटर केरोसिन	उदयपुर	4-3-80
153.	सज्जाद हुसैन फखरूद्दीन	100 ,,	भीण्डर	4-3-80
154.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	600 ,,	सायरा	4-3-80
155.	इण्डियन पोस्ट टेलीग्राम	80 ,, केरोसिन	उदयपुर	4-3-80
156.	यूनिवर्सिटी आफ उदयपुर	200 ,, केरोसिन	उदयपुर	4-3-80
157.	डिपार्टमेन्ट आफ ज्योलोजी राजस्थान यूनिवर्सिटी	60 ,, केरोसिन	उदयपुर	4-3-80
158.	अधिशासी अभियन्ता नगर खण्ड	2000 ,,	उदयपुर	4-3-80
159.	अधिशासी अभियन्ता नगर खण्ड	2000 ,,	उदयपुर	4-3-80
160.	एरोड्रम आफिसर डबोंक	250 ,,	उदयपुर	5-3-80
161.	एरोड्रम आफिसर डबोंक	200 ,, केरोसिन	उदयपुर	5-3-80
162.	जमराज हीरालाल	1500 ,,	सेमारी	5-3-80
163.	उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ	30 ,, केरोसिन	उदयपुर	6-3-80
164.	एवन्योपाध्याय जोलोजिस्ट सी. एस. टी	30 लीटर केरोसिन	उदयपुर	6-3-80
165.	प्रकाश ट्रेडर्स	1600 ,,	कानाड़	6-3-80
166.	खनिज गवेंक्षण लि. जिलोजी	50 ,, केरोसिन	उदयपुर	6-3-80
167.	खनिज गवेंक्षण ड्रीलिंग राजपुरा दरीबा	50 ,, केरोसिन	दरीबा	6-3-80
168.	प्रभारी राजकीय चिकित्सालय आयड़	10 ,, केरोसिन	उदयपुर	6-3-80

1	2	3	4	5
169.	कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	100 लीटर कैरोसिन	उदयपुर	6-3-80
170.	सज्जाद हुसैन फखरूद्दीन	1600 ,,	भीण्डर	6-3-80
171.	आदिम जाति शोध संस्थान प्रधानाचार्य	100 ,,	उदयपुर	6-3-80
172.	राव छात्रावास	25 ,, कैरोसिन	उदयपुर	7-3-80
173.	क्षेत्रीय वन अधिकारी	150 ,, कैरोसिन	उदयपुर	7-3-80
174.	नेहरू युवक केन्द्र	40 ,, कैरोसिन	उदयपुर	7-3-80
175.	राजकीय चिकित्सालय सूरज पोल	30 ,, कैरोसिन	उदयपुर	7-3-80
176.	ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया कैम्प	500 ,,	उदयपुर	7-3-80
177.	ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया ए. एम. एस. पी.	50 ,, कैरोसिन	उदयपुर	7:3-80
178.	अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय	200 ,, कैरोसिन	उदयपुर	7-3-80
179.	विकास अधिकारी पंचायत समिति	200 ,,	गोगुन्दा	10-3-80
180.	वृहत्त कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति	1890 ,,	कोटड़ा	10-3-80
181.	सहायक अभियन्ता सिंचाई उप खण्ड द्वितीय	100 ,, कैरोसिन	उदयपुर	7-3-80
182.	सहायक अभियन्ता, सिंचाई उप खण्ड द्वितीय	100 ,, कैरोसिन	उदयपुर	7-3-80
183.	उपायुक्त आबकारी निरोधक दल	130 ,,	उदयपुर	7-3-80

1	2	3	4	5
184.	मन्दिर श्री एकलिंग जी	50 लीटर केरोसिन	कैलाशपुरी	10-3-80
185.	इण्डियन इन्स्टीट्यूट मेनन मेहवास्त्रपुर जी. आर. ए. 9003	50 ,,	अहमदाबाद	10-3-80
186.	भंवरलाल रतनलाल	1600 ,,	गोगुन्दा	11-3-80
187.	मेवाड़ टीन फैक्ट्री मावड़ी	200 ,, केरोसिन	उदयपुर	11-3-80
188.	सहायक आबकारी निरोधक दल	100 ,,	उदयपुर	11-3-80
189.	लोकमान्य तिलक महाविद्यालय डबोक	30 ,, केरोसिन	उदयपुर	11-3-80
190.	सेवा मन्दिर	200 ,, केरोसिन	उदयपुर	11-3-80
191.	अधिशासी अभियन्ता ए. ई. एन.	2000 ,,	सलूम्बर	11-3-80
192.	अधिशासी अभियन्ता डी. टी. एस. एच. सहायक अभियन्ता	1000 ,,	गोगुन्दा	11-3-80
193.	अधिशासी अभियन्ता डी. टी. एस. एच.	1000 ,,	खैरवाड़ा	11-3-80
194.	अधिशासी अभियन्ता डी. टी. एस. एच.	500 ,,	उदयपुर	11-3-80
195.	जयपुर गोल्डन ट्रा. कम्पनी डी. एच. एल. 1068	150 ,,	उदयपुर	12-3-80
196.	टी. के. पैने जीयोलोजिस्ट	30 ,,	उदयपुर	12-3-80
197.	लज्जाद हुसैन फकरूद्दीन	2000 ,,	भिण्डर	12-3-80
198.	पृथ्वीराज देवीलाल लोहार	1000 ,,	मावली	12-3-80
199.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	100 ,, केरोसिन	उदयपुर	12-3-80
200.	कम्पनी कमाण्डर 5 बटालियन	20 ,, केरोसिन	उदयपुर	13-3-80

1	2	3	4	5
201.	शाखा वन अधिकारी	50 लीटर केरोसिन	उदयपुर	14-3-80
202.	गोपीलाल भंवरलाल लोहार	50 ,, केरोसिन	उदयपुर	15-3-80
203.	महाराणा कुम्भा परिषद्	100 ,,	उदयपुर	14-3-80
204.	परियोजना अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा	400 ,, केरोसिन	घरियावाद	15-3-80
205.	मांगीलाल पुत्र कारूलाल	2000 ,,	मावली	19-3-80
206.	घासाग्राम सहकारी समिति	1000 ,, केरोसिन	मावली	19-3-80
207.	व्यास ट्रेडर्स	1500 ,,	गोगुन्दा	14-3-80
208.	विमल कुमार व्यास ट्रेडर्स	200 ,, केरोसिन	गोगुन्दा	15-3-80
209.	प्रकाश ट्रेडर्स	1500 ,,	कानोड़	17-3-80
210.	जसराज हीरालाल	1500 ,,	सेमारी	17-3-80
211.	अधिशासी अभियन्ता क्वालिटी कन्ट्रोल पी. डब्ल्यू. डी.	20 ,, केरोसिन	उदयपुर	17-3-80
212.	सेवा मन्दिर साक्षरता परियोजना	200 ,, केरोसिन	महार	17-3-80
213.	सेवा मन्दिर साक्षरता योजना	200 ,, केरोसिन	बम्बोरा	17-3-80
214.	सेवा मन्दिर साक्षरता परियोजना क्षेत्र	200 ,, केरोसिन	साकरोडा	17-3-80
215.	सेवा मन्दिर साक्षरता परियोजना	200 ,, केरोसिन	परसाद	17-3-80
216.	सेवा मन्दिर साक्षरता योजना	200 ,, केरोसिन	उमरड़ा	17-3-80
217.	सेवा मन्दिर साक्षरता योजना	200 ,, केरोसिन	नाद	17-3-80

1	2	3	4	5
218.	सेवा मन्दिर साक्षरता योजना	200 लीटर केरोसिन	वली	17-3-80
219.	सेवा मन्दिर साक्षरता परियोजना	200 ,,	केसूली	17-3-80
220.	सेवा मन्दिर साक्षरता परियोजना	200 ,, केरोसिन	कैलाशपुरी	17-3-80
221.	सेवा मन्दिर साक्षरता परियोजना	200 ,, केरोसिन	अमरजी का गुड़ा	17-3-80
222.	देवीलाल चान्दमल	1000 ,, केरोसिन	मावली	17-3-80
223.	पदम सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	800 ,,	सायरा	17-3-80
224.	कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	200 ,, केरोसिन	कुण	20-3-80
225.	कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	200 ,, केरोसिन	लसगीया	20-3-80
226.	सज्जाद हुसैन फकरूद्दीन	2000 ,,	भीण्डर	20-3-80
227.	लेहरीलाल पुत्र किशनलाल	1000 ,,	गोगुन्दा	20-3-80
228.	आर. जे. जेड. 224, आर. एस. वाइ. 3690, आर. आर. जी. 7204	150 ,,		20-3-80
229.	पुलिस लाइन	50 ,, केरोसिन	उदयपुर	20-3-80
230.	ट्रक टोसिसन एम. एच, जी. 429, 428, 427, 426, 425	125 ,,		20-3-80
231.	ट्रक टोससन एम. आर. वी. 327, 324, 329, 375, 376	125 ,,		20-3-80
232.	प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र देवली	200 ,,	टौंक	22-3-80

—

1	2	3	4	5
233.	यूनिवर्सिटी आफ उदयपुर,	150 लीटर कैरोसिन	उदयपुर	21-3-80
234.	पृथ्वीराज देवीलाल लोहार कीरकी चौकी	2000 ,,	मावली	22-3-80
235.	पृथ्वीराज देवीलाल लोहार कीरकी चौकी	660 ,, कैरोसिन	मावली	22-3-80
236.	रमेश टाइप फाइण्ड्री	150 ,, कैरोसिन	उदयपुर	22-3-80
237.	डायरेक्टर माइन्स एण्ड ज्योलोजी	150 ,,	उदयपुर	22-3-80
238.	प्रताप सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि.	1000 ,,	देलवाड़ा	22-3-80
239.	अनौपचारिक शिक्षक केन्द्र	200 ,, कैरोसिन	कुशलगढ़	22-3-80
240.	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	200 ,, कैरोसिन	सराड़ा	22-3-80
241.	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	200 ,, कैरोसिन	गोगुन्दा	22-3-80
242.	मदनलाल अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र परिविक्षक	200 ,, कैरोसिन	भीण्डर	22-3-80
243.	मिठ्ठनलाल अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र परिविक्षक	200 ,, कैरोसिन	भीण्डर	22-3-80
244.	मोतीलाल अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र परिविक्षक द्वारा	150 ,,	धरियावाद	22-3-80
245.	बसन्तीलाल अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र परिविक्षक द्वारा	150 ,, कैरोसिन	धरियावाद	22-3-80
246.	सनातन गोस्वामी ओनर केके पास डब्ल्यू. एम. एच. 4241	25 ,,		21-3-80
247.	मिट्ठालाल सिंधी, अजमेर शिविर बल्लभ नगर	50 ,, कैरोसिन	बल्लभ नगर	21-3-80

1	2	3	4	5
248.	जी. टी. के. 3978	25 लीटर		20-3-80
249.	बी. एच. जेड 4070-2482-4153	50 ,,		20-2-80
250.	कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	200 ,, केरोसिन	घरियावाद	22-3-80
151.	जुनियर इन्जीनियर सी. पी. डब्ल्यू डी एयरपोर्ट डबोक	600 ,,	उदयपुर	25-3-80
252.	सब इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी.	20 ,,	उदयपुर	26-3-80
253.	सहायक आबकारी निरीक्षक दल	200 ,,	उदयपुर	26-3-80
254.	सज्जाद हुसैन फखरुद्दीन	4000 ,,	भीण्डर	26-3-80
255.	प्रधानाचार्य आर. एन. टी. मेडिकल कॉलेज	200 ,,	उदयपुर	25-3-80
256.	सुभाष जैन सी. पी. ई. 7903	40 ,,		25-3-80
257.	वी. वाई. एच. 2401	25 ,,		27-3-80
258.	एम. आर. बी 453-479-480 481-482-483-484-485-486	225 ,,		27-3-80
259.	प्रकाश ट्रेडर्स	3000 ,,	कानोड़	27-3-80
260.	उपायुक्त आबकारी निरोधक दल	200 ,,	उदयपुर	27-3-80
261.	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.	485 ,,	उदयपुर	27-3-80
262.	श्री प्रताप सहकारी उपभोक्ता भण्डार	2000 ,,	देलवाड़ा	28-3-80
263.	भारतीय शिक्षा प्रचार समिति	100 ,,	उदयपुर	28-3-80
264.	भवन निर्माण सह. समिति लि.	200 ,,	राजसमन्द	28-3-80
265.	भवन निर्माण सह. समिति लि.	200 ,,	राजसमन्द	28-3-80
266.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	1000 ,,	सारा	31-3-80
267.	जी. टी. के. 3211	25 ,,		31-3-80

1	2	3	4	5
268.	ट्रक नं. जे. के. पी. 8249	25 लीटर		31-3-80
269.	लैम्पस कोटड़ा	200 ,,	कोटड़ा	31-3-80
270.	वास लैम्पस कोटड़ा	400 ,, केरोसिन	कोटड़ा	31-3-80
271.	जी. सी. 5867	25 ,,		31-3-80
272.	एरोड्रम डबोक	300 ,,	उदयपुर	1-4-80
273.	कालूलाल पुत्र परकीलाल मीणा	3000 ,,	पलोदड़ा	1-4-80
274.	मांगीलाल पुत्र कालूलाल कीर की चौकी	2000 ,,	मावली	1-4-80
275.	डी. ई. पी. 263	50 ,,	देली	2-4-80
276.	लैम्पस वास	600 ,, केरोसिन	कोटड़ा	4-4-80
277.	लैम्पस वास	400 ,,	कोटड़ा	4-4-60
278.	जसराज हीरालाल	1500 ,,	सेंभारी	3-4-80
279.	भंवरलाल पुत्र रतनलाल	1500 ,,	गोगुन्दा	3-4-80
280.	जयप्रकाश जी. ई. पी. 2631	50 ,,	देली	3-4-80
281.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन	4000 ,,	भीण्डर	4-4-80
282.	भगवती आयल स्टोर कीर की चौकी	1500 ,,	मावली	4-4-80
283.	यूनिवर्सिटी आफ उदयपुर आर. एस. एल. 3573	100 ,,	उदयपुर	5-4-80
284.	सहायक अभियन्ता पी. डब्ल्यू. ए.	2000 ,,	उदयपुर	5-4-80
285.	नव निर्माण संघ प्रौढ़ शिक्षा	200 ,, केरोसिन	कानोड़	5-4-80
286.	राजेन्द्रसिंह पी. यू. पी. 8833	50 ,,	पंजाब	11-4-80
287.	मोहनलाल टोंक ग्रायड	25 ,,	उदयपुर	11-4-80
288.	एम. ई. सी. राजपुरा दरीबा	200 ,, केरोसिन	दरीबा	10-4-80

1	2	3	4	5
289.	सज्जाद हुसैन फकरूद्दीन बोहरा	2500 लीटर	भीण्डर	8-4-80
290.	भवन निर्माण सहकारी समिति	400 ,,	राजसमन्द	9-4-80
291.	पीकोक ट्रेवलर्स	100 ,,	उदयपुर	10-4-80
292.	चरणजीत सिंह न. 44913 43909, 1758, 2948, ट्रेक्टर ले जाने के लिए	100 ,,		14-4-80
293.	जे. के. इण्डस्ट्रीज	200 ,,	कांकरोली	9-4-80
294.	पैस्टीसाईडस् इण्डिया लि.	200 ,, केरोसिन	उदयपुर	14-4-80
295.	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र धरियावाद केन्द्र पारसोला	400 ,, केरोसिन	धरियावाद	15-4-80
296.	प्रकाश ट्रेडर्स	3000 लीटर	कानोड़	14-4-80
297.	मन्दिर श्री एकलिंग जी	50 ,, केरोसिन	केलाशपुरी	16-4-80
298.	सज्जाद हुसैन फकरूद्दीन बोहरा	2500 ,,	भीण्डर	16-4-80
299.	अधि. अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग	200 ,, केरोसिन	उदयपुर	16-4-80
300.	कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	200 ,, केरोसिन	धरियावाद	16-4-80
301.	भगवती आयल स्टोर कीर की चौकी	1000 ,,	मावली	16-4-80
302.	पदम सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह	600 ,,	गोगुन्दा	17-4-80
303.	गाड़ी न. पी. यू. सी. 2998; पी. बी. वाई 4597; एन. पी. जेड 5181	150 ,,		18-1-80
304.	अधिशासी अभियन्ता बी. एण्ड आर.	2000 ,,	उदयपुर	18-4-80

1	2	3	4	5
305.	अधिशासी अभियन्ता डिवीजन	2000 लीटर	उदयपुर	19-4-80
306.	विकास अधिकारी पंचायत	2000 ,,	गोगुन्दा	17-4-80
307.	भंवरलाल रतनलाल	1000 ,,	गोगुन्दा	22-4-80
308.	व्यास ट्रेडर्स	1000 ,,	गोगुन्दा	18-4-80
309.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन बोहरा	2500 ,,	भीण्डर	19-4-80
310.	एम. वाई. वी. 3415 अशोक	125 ,,		24-4-80
311.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन	2500 ,,	भीण्डर	24-4-80
312.	जी. टी. डी. 5774	50 ,,		23-4-80
313.	भंवरलाल एण्ड संस	1000 ,,	वल्लभ नगर	23-4-80
314.	व्यास ट्रेडर्स	1000 ,,	गोगुन्दा	25-4-80
315.	उप निदेशक कृषि विस्तार ग्रार. एस. वी. 5498	30 ,,	उदयपुर	26-4-80
316.	पदम सिंह पृथ्वीसिंह	800 ,,	गोगुन्दा	26-4-80
317.	जसराज हीरालाल	1000 ,,	सेमारी	26-4-80
318.	कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	600 केरोसीन ,,	धरियावाद	28-4-80
319.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन बोहरा	2500 ,,	भीण्डर	28-4-80
320.	मांगीलाल कालूलाल कीर की चौकी	1500 ,,	मावली	22-4-80
321.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन	2500 ,,	भीण्डर	1-5-80
322.	जूनियर इन्जिनियर पी. डब्लू. डी.	30 ,,	झाडोल	1-5-80
323.	प्रकाश ट्रेडर्स	1500 ,,	कानोड	1-5-80
324.	व्यास ट्रेडर्स	1000 ,,	गोगुन्दा	3-5-80
325.	मांगीलाल पुत्र तालजी खटीक की नौकी	1500 ,,	मावली	3-5-80
326.	ज्योलोजिकल सर्वे ए. एम. एस. बी.	600 ,,	उदयपुर	25-4-80

1	2	3	4	5
327.	लैम्पस कोटडा	2000 लीटर	कोटडा	5-5-80
328.	पृथ्वीराज देवीलाल लोहार कीर की चोकी	1500 ,,	मावली	5-5-80
329.	खनिज सर्वेक्षण निगम लि.	200 ,, केरोसीन	उदयपुर	6-5-80
330.	भंवरलाल रतनलाल	1000 ,,	गोगुन्दा	6-5-80
331.	सज्जाद हुसेन फकरुद्दीन बोहरा	3000 ,,	भीण्डर	6-5-80
332.	आयुक्त नगर पालिका	300 ,, केरोसीन	उदयपुर	4-5-80
333.	कालू पुत्र परकी मीना	2000 ,,	पलोरडा	7-5-80
334.	प्रकाश ट्रेडर्स	3000 ,,	कानोडा	8-5-80
335.	सज्जाद हुसेन फकरुद्दीन	3000 ,,	भीण्डर	12-5-80
336.	अधिशासी अभियन्ता उप खण्ड	1000 ,,	गोगुन्दा	12-5-80
337.	एम. टी. डी. 4485	100 ,,		12-5-80
338.	राज ओटो एजेन्सी ए. ए. टी 2930	75 ,,	उदयपुर	9-5 80
339.	व्यास ट्रेडर्स	1000 ,,	गोगुन्दा	9-5-80
340.	अधिशासी अभियन्ता जिला खण्ड उदयपुर द्वारा ए. ई एन.	300 ,,	उदयपुर	10-5-80
341.	सज्जाद हुसेन फकरुद्दीन बोहरा	3000 ,,	भीण्डर	16-5-80
342.	मांगीलाल पुत्र सारूजी कीर की चोकी	1500 ,,	मावली	15-5-80
343.	भगवती ग्रायल स्टोर	1500 ,,	मावली	15-5-80
344.	मांगीलाल पुत्र तारूजी कीर की चौकी	1500 ,,	मावली	16-5-80
345.	भगवती आयल स्टोर कीर की चोकी	1500 ,,	मावली	16-5-80

1	2	3	4	5
346.	जसराज हीरालाल कोठारी	1200 लीटर	सेमारी	19-5-80
347.	व्यास ट्रेडर्स	1600 ,,	गोगुन्दा	17-5-80
348.	मूलचन्द्र शर्मा	450 ,,		17-5-80
349.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन बोहरा	2000 ,,	भीण्डर	19-5-80
350.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह राजपूत	500 ,,	सायरा	21-5-80
351.	व्यास ट्रेडर्स	1000 ,,	गोगुन्दा	19-5-80
352.	भंवरलाल रतनलाल	1000 ,,	गोगुन्दा	19-5-80
353.	प्रकाश ट्रेडर्स	2500 ,,	कानोड	23-5-80
354.	सोहनलाल नगारची	25 ,,	बगडुंढ़ा	17-5-80
355.	सहायक अभियन्ता पी. डब्लू. डी. नगर उप-खण्ड तृतीय	300 ,,	उदयपुर	22-5-80
256.	देवीलाल मेहता आर. जे. ए. 746	40 ,,		21-5-80
357.	रियलाईन्स कोमेटैक्स	2000 ,,	उदयपुर	22-5-80
358.	एयरड्रम ओफिसर डबोक	400 ,,	उदयपुर	22-5-80
359.	एग्रीकल्चर स्टेंडरट्युट आर. जे. वाई. 2704	200 ,,	उदयपुर	24-5-80
360.	ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया कैम्प पानेरीयो की मावडी	400 ,,	उदयपुर	24-5-80
361.	लघु कृषक विकास प्राधिकरण	50 ,,	उदयपुर	24-5-80
362.	रियलाईन्स, कोमेटैक्स	2000 ,,	उदयपुर	24-5-80
363.	एटलान्तिक एजेन्सीज	100 ,,	जयपुर	24-5-80
364.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन बोहरा	2500 ,,	भीण्डर	26-5-80
365.	भंवरलाल जैन एण्ड सन्स	1050 ,,	बल्लभ नगर	26-5-80
366.	मांगीलाल कीर की चौकी	1500 ,,	मावली	26-5-80
367.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन	150 ,,	भीण्डर	26-5-80
368.	सहायक अभियन्ता हाईड्रोलोजी सिंचाई	60 ,,	उदयपुर	24-5-80

1	2	3	4	5
369.	भंवरलाल रतनलाल	1500 लीटर	गोगुन्दा	27-5-80
370.	व्यास ट्रेडर्स	1000 ,,	गोगुन्दा	27-5-80
371.	जसराज हीरालाल	500 ,, 200 लीटर पेट्रोल	सेमारी	28-5-80
372.	जसराज हीरालाल	300 ,,	सेमारी	28-5-80
373.	रियलाईन्स कोमेटैक्स	2000 ,,	उदयपुर	27-5-80
374.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्लू.	2000 ,,	उदयपुर	29-5-80
375.	रियलाईन्स कोमेटैक्स	2000 ,,	उदयपुर	28-5-80
376.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्लू.	1000 ,,	उदयपुर	29-5-80
377.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्लू.	2000 ,,	उदयपुर	29-5-80
378.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्लू.	2000 ,,	उदयपुर	29-5-80
379.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन बोहरा	2500 ,,	भीण्डर	29-5-80
380.	सहायक अभियन्ता पी. डब्लू. डी. उप-खण्ड	1000 ,,	गोगुन्दा	29-5-80
381.	रियलाईन्स कोमेटैक्स	2000 ,,	उदयपुर	29-5-80
382.	रियलाईन्स कोमेटैक्स	2000 ,,	उदयपुर	30-5-80
383.	पी. यू. एक्स. 7796	200 ,,		31-5-80
384.	सहायक अभियन्ता नगर उप-खण्ड तृतीय	300 ,,	उदयपुर	31-5-80
385.	रियालाईन्स कोमेटैक्स	2000 ,,	उदयपुर	31-5-80
386.	अधिशासी अभियन्ता पी. डब्लू. डी. सिटी डिवीजन	1000 ,,	उदयपुर	2-6-80
387.	अधिशासी अभियन्ता पी. डब्लू. डी. सिटी डिवीजन	800 ,,	उदयपुर	2-6-80

1	2	3	4	5
388.	अधिशासी अभियन्ता पी. डब्लू. डी. सिटी डिवीजन	800 लीटर	उदयपुर	2-6-80
389.	अधिशासी अभियन्ता पी. डब्लू. डी. सिटी डिवीजन	1000 ,,	उदयपुर	2-6-80
390.	अधिशासी अभियन्ता पी. डब्लू. डी. सिटी डिवीजन	700 ,,	उदयपुर	2-6-80
391.	अधिशासी अभियन्ता पी. डब्लू. डी. सिटी डिवीजन	700 ,,	उदयपुर	2-6-80
392.	रियलाइन्स कोमेटेक्स	2000 ,,	उदयपुर	2-6-80
393.	यू. एस. सी. 7877	500 ,,		3-6-80
394.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन बोहरा	3000 ,,	उदयपुर	3-6-80
395.	प्रकाश ट्रेडर्स	4000 ,,	कानोड़	3-6-80
396.	रियलाइन्स कोमेटेक्स	2000 ,,	उदयपुर	3-6-80
397.	रियलाइन्स कोमेटेक्स	2000 ,,	उदयपुर	5-6-80
398.	रियलाइन्स कोमेटेक्स	2000 ,,	उदयपुर	4-6-80
399.	पैंतीस न. 76055, 76256, 76233, 76245, 76242, 76332, 76234, 76053,	560 ,,		5-6-80
400.	व्यास ट्रेडर्स	1000 ,,	गोगुन्दा	5-6-80
401.	रियलाइन्स कोमेटेक्स	2000 ,,	उदयपुर	6-6-80
402.	रियलाइन्स कोमेटेक्स	2000 ,,	,,	7-6-80
403.	सहायक अभियन्ता पी. डब्लू. डी. नगर उप खण्ड	2000 ,,	,,	7-6-80
404.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन बोहरा	3000 ,,	भीण्डर	7-6-80
405.	रियलाइन्स कोमेटेक्स	2000 ,,	उदयपुर	8-6-80
406.	रियलाइन्स कोमेटेक्स	2000 ,,	उदयपुर	9.6-80
407.	भंवरलाल पुत्र रतनलाल	1500 ,,	गोगुन्दा	10-6-80
408	सहायक अभियन्ता भू जल विभाग	1500 ,,	उदयपुर	10-6-80

1	2	3	4	5
409.	ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया पानेरियों की मांदडी	600 लीटर		11-6-80
410.	व्यास ट्रेडर्स	1500 ,,	गोगुन्दा	12-6-80
411.	एयरड्रम ओफिसर डबोक	400 ,,	उदयपुर	13-6-80
412.	नारायणसिंह पुत्र लाभसिंह	800 ,,	सराडा	13-6-80
413.	अधिशासी अभियन्ता पी. डब्लू.	2000 ,,	उदयपुर	13-6-80
414.	अधिशासी अभियन्ता एन. एस. डब्लू.	1000 ,,	,,	13-6-80
415.	अधिशासी अभियन्ता एन. एस. डब्लू.	2000 ,,	,,	13-6-80
416.	अधिशासी अभियन्ता एन. एस. डब्लू.	1000 ,,	,,	13-6-80
417.	सज्जाद हुसेन फकरुद्दीन बोहरा	2000 ,,	भीण्डर	16-6-80
418.	प्रकाश ट्रेडर्स	4000 ,,	कानोड	17-6-80
419.	प्रधानाचार्य श्री पंडित संस्थान	100 ,,	उदयपुर	17-6-80
420.	उदयपुर काटन मिल्स	2000 ,,	,,	18-6-80
421.	रियलाइन्स कोमेर्टक्स	2000 ,,	,,	18-6-80
422.	अर्जुनसिंह	700 ,,		19-6-80
423.	काजरलाल	200 ,,		24-6-80
424.	रियलाइन्स कोमेर्टक्स	2000 ,,	उदयपुर	19-6-80
425.	सहायक अभियन्ता सिटी सब डिवीजन (तृतीय)	2000 ,,	,,	21-6-80
426.	कालूलाल पुत्र पृथ्वीसिंह	2000 ,,	पलोदडा	19-6-80
427.	उदयपुर काटन मिल्स	2000 ,,	उदयपुर	20-6-80
428.	सहायक अभियन्ता पी. डब्लू. डी.	1000 ,,	गोगुन्दा	21-6-80
429.	सज्जाद हुसेन फकरुद्दीन बोहरा	2500 ,,	भीण्डर	26-6-80

1	2	3	4	5
430.	अशोक कुमार जैन ए. एस. ई.	60 लीटर		26-6-80
431.	सहायक अभियन्ता पी. डब्लू. डी. प्रथम उप खण्ड	1000 ,,	उदयपुर	26-6-80
432.	सज्जाद हुसेन फकरुद्दीन बोहरा	3000 ,,	भीण्डर	4-7-80
433.	सब इंजिनियर	30 ,,	झाडोल	7-7-80
434.	व्यास ट्रेडर्स	1500 ,,	गोगुन्दा	8-7-80
435.	उदयपुर काटन मिल्स	2000 ,,	उदयपुर	10-7-80
436.	अधिशासी अभियन्ता जिला खण्ड द्वारा ए. ई. एन.	1000 ,,	गोगुन्दा	10-7-80
437.	सज्जाद हुसेन फकरुद्दीन	2000 ,,	भीण्डर	14-7-80
438.	सहायक आबकारी अधिकारी	200 ,,	उदयपुर	14-7-80
439.	प्रकाश ट्रेडर्स	4000 ,,	कानोड	16-7-80
440.	सज्जाद हुसेन फकरुद्दीन बोहरा	3000 ,,	भीण्डर	21-7-80
441.	व्यास ट्रेडर्स	1500 ,,	गोगुन्दा	24-7-80
442.	सहायक अभियन्ता पी. डब्लू. डी.	300 ,,	उदयपुर	28-7-80
443.	आर. एस. एल. 4102, 4103, 4104, 4103, 4105, 4096, 4098, 4097, 4100, 4101, 4099, 4107, 4106, वाहन नं. हैं।	1000 ,,		21-7-80
444.	उदयपुर काटन मिल्स	2000 ,,	उदयपुर	2-8-80
445.	सज्जाद हुसेन फकरुद्दीन बोहरा	350 ,,	भीण्डर	2-8-80
446.	टुरिस्ट ओफिसर	50 ,,	उदयपुर	6-8-80
447.	प्रकाश ट्रेडर्स	4000 ,,	कानोड	11-8-80
448.	सज्जाद हुसेन फकरुद्दीन बोहरा	3000 ,,	भीण्डर	10-8-80

1	2	3	4	5
449.	सज्जाद हुसेन फकरुद्दीन बोहरा	1500 लीटर	भीण्डर	23-3-80
450.	व्यास ट्रेडर्स	1500 ,,	गोगुन्दा	23-8-80
451.	अधिशासी अभियन्ता पी. डब्लू. डी. एन. एच. डी.	2000 ,,	उदयपुर	25-8-80
452.	भंवरलाल रतनलाल	1000 ,,	गोगुन्दा	28-8-80
453.	सज्जाद हुसेन फकरुद्दीन बोहरा	2500 ,,	भीण्डर	30-8-80
454.	व्यास ट्रेडर्स	1500 ,,	गोगुन्दा	30-8-80
455.	सहायक अभियन्ता हैण्ड पम्प उप खण्ड	5000 ,,	उदयपुर	30-8-80
456.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह राजपूत	600 लीटर	सायरा	1-9-80
457.	रियलाइन्स कोमेटैक्स	10000 ,,	उदयपुर	2-9-80
458.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन बोहरा	2000 ,,	भीण्डर	8-9-80
459.	उदयपुर काटन मिल्स	2000 ,,	उदयपुर	10-9-80
460.	देवीलाल चम्पालाल	4000 ,,	जयसमन्द	15-9-80
461.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन बोहरा	2000 ,,	भीण्डर	17-9-80
462.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	200 ,,	उदयपुर	18-9-80
463.	प्रकाश ट्रेडर्स	4000 ,,	कानोड़	19-9-80
464.	राजस्थान कृषि महाविद्यालय पोल्ट्री फार्म	60 ,,	उदयपुर	10-9-80
465.	चिकित्सा अधिकारी	200 ,,	गोगुन्दा	22-9-80
466.	रियलाइन्स कोमेटैक्स	4000 ,,	उदयपुर	23-9-80
467.	कोमेनीजर पर्यटक विभाग	60 ,,	उदयपुर	23-9-80
468.	रियलाइन्स कोमेटैक्स	40000 ,,	उदयपुर	26-9-80
469.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन बोहरा	3000 ,,	भीण्डर	29-9-80
470.	देवीलाल चम्पालाल	2000 ,,	जयसमन्द	30-9-80
471.	राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज	40 ,,	उदयपुर	30-9-80

1	2	3	4	5
472.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	2000 लीटर	उदयपुर	30-9-80
473.	राजकीय चिकित्सालय	75 „ केरोसिन	भूपालपुरा 39	1-10-80
474.	प्रकाश ट्रेडर्स	4000 „	कानोड़	3-10-80
475.	आर. एन. टी. मेडिकल कालेज	50 „ केरोसिन	उदयपुर	3-10-80
476.	क्षेत्रीयवन अधिकारी	200 „ केरोसिन	उदयपुर	3-10-80
477.	सज्जाद हुसैन फकरूद्दीन बोहरा	3000 „	भीण्डर	6-10-80
478.		40 „		6-10-80
479.	एम. एम. एस. 1011	30 „		6-10-80
480.	भंवरलाल पुत्र रतनलाल	1000 „	गोगुन्दा	7-10-80
481.	वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक खान एवं भू-विज्ञान	200 „ केरोसिन	उदयपुर	8-10-80
482.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1000 „	उदयपुर	9-10-80
483.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1000 „	उदयपुर	9-10-80
484.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	2000 „	उदयपुर	13-10-80
485.	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीप 15	300 „	उदयपुर	13-10-80
486.	क्षेत्रीय वन अधिकारी	200 „	उदयपुर	13-10-80
487.	राजस्थान टुर्स	70 „	उदयपुर	13-10-80
488.	पी. 53 ई. 35	30 „		13-10-80
489.	देवीलाल चम्पालाल	2000 „	जयसमन्द	14-10-80
490.	अमरसिंह आर. एस. वाई. 3107.	100 „	उदयपुर	14-10-80
491.	नेशनल वर्क्स	130 „	उदयपुर	14-10-80

1	2	3		4	5
492.	सज्जाद हुसैन फकरूद्दीन बोहरा	2000	लीटर	भीण्डर	15-10-80
493.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	200	,,	कांकरोली	15-10-80
494.	512, 9171, आर. जे. एल. 1900, आई. एस. आर. 1101, आर. एस. टी 1760, आर. जे. यू. 2177, आर. जे. ई. 1431.	900	,,	—	15-10-80
495.	डालचन्द्र डांगलियां एम. एम. 2018.	40	,,	—	15-10-80
496.	प्रभात टूरिस्ट एजेन्सीज आर. जे. वाई. 4368.	250	,,	—	15-10-80
497.	आर. आर. एल. 547	150	,,		15-10-80
498.	सैग्ना ट्रांसपोर्ट कम्पनी	1000	,,	उदयपुर	15-10-80
499.	राजस्थान जनजाति विकास सहकारी	200	,,	उदयपुर	16-10-80
500.	आर. आर. क्यू. 9452	150	,,		16-10-80
501.	आर. जे. क्यू. 621, आर. जे. जी. 1413.	200	,,		16-10-80
502.	राजस्थान शिक्षक संघ	100	,,	उदयपुर	16-10-80
503.	डी. एल. पी. 5811	50	,,		16-10-80
504.	एम. आर. बी. 63	100	,,		16-10-80
505.	अधीक्षक भू-वैज्ञानिक झामर कोटड़ा	200	,,	उदयपुर	16-10-80
506.	राजस्थान शिक्षक संघ	100	,,	उदयपुर	16-10-80
507.	राजस्थान शिक्षक संघ आर. आर. ए. 06589	100	,,	उदयपुर	16-10-80
508.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	800	लीटर	सायरा	17-10-80
509.	जीप न. एम. आर. बी. 3237	60	,,		20-10-80
510.	पी. वाई. पी. 7753	50	,,		21-10-80

1	2	3		4	5
511.	एम. ए. बी. 668	100	लीटर		21-10-80
512.	एसोसियेशन डीन जोबनेर आर. एस. एल. 3573	100	,,		21-10-80
513.	व्यास ट्रेडर्स	150	,,	गोगुन्दा	21-10-80
514.	आर. एच. वाई 9274	150	,,		21-10-80
515.	विकास अधिकारी	40	,,	बड़गांव	22-10-80
516.	डी. एल. एल. 1850 विज्ञापन विभाग, भारत सरकार	125	,,		22-10-80
517.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1000	,,	उदयपुर	22-10-80
518.	अधिशासी अभिन्यता एन. एच. डब्ल्यू.	1000	,,	उदयपुर	22-10-80
519.	विकास अधि. पंचायत समिति	100	,,	खेरवाड़ा	22-10-80
520.	डी. ई. पी. 3047	40	,,		21-10-80
521.	कल्याणसिंह सोनी	2000	,,	रेलमगरी	22-10-80
522.	सत्येन्द्र ट्रांसपोर्ट कम्पनी	1000	,,		22-10-80
523.	प्रकाश ट्रेडर्स	2000	,,	कांतोड़	23-10-80
524.	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी	100	,,	उदयपुर	23-10-80
525.	लेम्स कोटड़ा	100	,,	कोटड़ा	23-10-80
			केरोसिन		
526.	लेम्पस कोटड़ा	200	,,	कोटड़ा	23-10-80
527.	सहायक अभियन्ता आर. एस. ई. बी.	100	,,	उदयपुर	23-10-80
528.	आर. आर. जी. 6260	75	,,	उदयपुर	23-10-80
529.	अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय	100	,,		23-10-80
			केरोसिन		
530.	महेश गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी आठ वाहन	800	,,	उदयपुर	24-10-80
531.	हेमन्त ट्रांसपोर्ट कम्पनी	50	,,	सांगलवाडा	24-10-80

276

1	2	3	4	5
532.	आर. जे. ई. 5141	100 लीटर		25-10-80
533.	उदयपुर सहकारी उपभोक्ता आर. एस. वी. 1916	100 ,,		25-10-80
534.	मोटर स्टेट गैरेज	200 ,, कैरोसिन	उदयपुर	25-10-80
535.	आसिफ इकबाल हुसैन	50 ,,		25-10-80
536.	महेश गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी एफ. 46347	100 ,,	उदयपुर	25-10-80
537.	महावीर बाल मन्दिर एम. पी. ई. 6064	50 ,,		25-10-80
538.	आर. आर. एल. 6261	40 ,,		25-10-80
539.	यू. एस. एच. 5746, 5745, 5747, 9613, 6164, 5748, 5749	700 ,,		25-10-80
540.	सहायक अभियन्ता उप खण्ड पी. डब्ल्यू. डी.	1000 ,,	उदयपुर	27-10-80
541.	आर. आर. जे. 8888, आर. जे. एल. 3396	100 ,,		27-10-80
542.	मन्दिर श्री एकलिंग जी	750 ,, कैरोसिन	कैलाशपुरी	27-10-80
543.	अम्बली डेया आदिवासी म. स.	1000 ,, कैरोसिन		27-10-80
544.	देवीलाल चंपालाल	600 ,,	जयसमन्द	27-10-80
545.	भंवरलाल रतनलाल	600 ,,	गोगुन्दा	27-10-80
546.	आर. एस. वी. 09574, 5334, 459	150 ,,		27-10-80
547.	महेन्द्रा आटोमोबाईल्स	600 ,,	भीण्डर	27-10-80
548.	आर. एस. ई. 1885	30 ,,		27-10-80
549.	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा सात वाहन	140 ,,		28-10-80

1	3	3	4	5
550.	वी. के.	60 लीटर		28-10-80
551.	लक्ष्मीलाल	50 ,,		28-10-80
552.	पंचायत समिति बडगांव आर. एस. 48662	40 ,,	बडगांव	28-10-80
553.	भारतीय शिक्षा प्रचार	20 ,,		28-10-80
554.	सहायक अभियन्ता सोग कामदर	25 ,,		28-10-80
555.	आर. एस. एच. 3107	100 ,,		28-10-80
556.	एम. पी. एम. 7269	40 ,,		28-10-80
557.	उदयसिंह पुत्र देवीसिंह	10 ,,		28-10-80
558.	8210, 459, आर. आर. बी. 9574 आर. आर. एम. 5324	30 ,,		28-10-80
559.	एम. वी. वाई. 140	20 ,,		28-10-80
560.	पी. ए. पी. आई. 55,59	100 लीटर		29-10-80
561.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1500 ,,	उदयपुर	29-10-80
562.	आर. जे. एफ. 9195,	200 ,,		29-10-80
563.	आर. एस. के. 7509,	200 ,,		29-10-80
564.	वीरेन्द्र सिंह	15 ,,		29-10-80
565.	कृषि अधिकारी	100 ,,	उदयपुर	30-10-80
566.	आर. एस. वाई. 9169,	30 ,,		30-10-80
567.	सज्जाद हुसैन फकरुद्दीन बोहरा	2000 ,,	भीण्डर	30-10-80
568.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1000 ,,	उदयपुर	31-10-80
569.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	2000 ,,	उदयपुर	31-10-80
570.	खाद्य निगम	20 ,,	उदयपुर	31-10-80

1	2	3	4	5
571.	आर. एस. बी. 937347	30 लीटर		31-10-80
572.	वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक आर. आर. जी. 6778.	30 ,,	उदयपुर	31-10-80
573.	परियोजना अधिकारी मिल्स जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति	18 ,, कैरोसिन	उदयपुर	31-10-80
574.	जी. आर. ए. 9922	50 ,,		31-10-80
575.	जी. डी. डी. 9429.	20 ,,		31-10-80
576.	डी. एस. बी. 9999	40 ,,		1-11-80
577.	कन्हैयालाल	20 ,,		1-11-80
578.	अधीक्षक, डाकतार विभाग आर. एस. वाई. 5644	30 ,,		1-11-80
579.	व्यास ट्रेडर्स	1500 ,,	गोगुन्दा	1-11-80
580.	आर. आर. एल. 547	275 ,,		1-11-80
581.	आर. एस. वाई. 2291	50 ,,		2-11-80
582.	यू. एस. पी. 7029	30 ,,		2-11-80
583.	अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य	100 ,,		2-11-80
584.	मनोहरलाल 5 वाहन	125 ,,		3-11-80
585.	फिल्म विकास	50 ,,		3-11-80
586.	जी. एस. जी. 1749	50 ,,		3-11-80
587.	उदयलाल पुत्र सुकलाल	600 ,, कैरोसिन	करौली	3-11-80
588.	आर. आर. बी. 48	25 ,,		3-11-80
589.	जी. जे. बी 3551 जी. जे. आर. 4041	100 ,,		3-11-80
590.	एम. आर. बी 275, 4550, 458, 457,	80 ,		4-11-80
591.	एम. एम. आर. 1923	20 ,,		4-11-80

1	2	3		4	5
592.	स्वास्थ्य परिवार कल्याण	18 लीटर केरोसिन			4-11-80
593.	पीसमसिंह	30	,,		4-11-80
594.	रामायण चित्र	450	,,	बोम्बे	5-11-80
595.	भंवरलाल पुत्र रतनलाल	1000	,,	गीगुन्दा	5-11-80
596.	सज्जाद हुसैन फकरूद्दीन	1000	,,	भीण्डर	5-11-80
597.	नारायणसिंह पुत्र कामसिंह	1000	,,		5-11-80
598.	महेन्द्रा आटोमोबाइल	1000	,,	भीण्डर	5-11-80
599.	अधिशासी अभियन्ता एन. एच. डब्ल्यू.	1000	,,	उदयपुर	5-11-80
600.	यू. एस. एच. 6666	50	,,		5-11-80
601.	रामायण चित्र	300	,,	बोम्बे	10-11-80
602.	सी. पी. ओ. 9090	30	,,		10-11-80
603.	माणकलाल सोनी	50	,,	भीलवाड़ा	10-11-80
604.	देवीलाल चम्पालाल	1000	,,	जयसमन्द	10-11-80
605.	एम. एच. पी. 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380.	30	,,	जम्मू	10-11-80
606.	आर. एस. वाई. 6095	30	,,	एफ. सी. ए.	10-11-80
607.	आर. आर. एल. 6451 आर. जे. ए. 3995.	50	,,	फतेहनगर	11-11-80
608.	फीरामस कम्पनी	300	,,		11-11-80
609.	सज्जाद हुसैन	2000	,,	भीण्डर	11-11-80
610.	मै. एम. आर. प्रोडक्ट्स	400	,,		11-11-80
611.	फिल्म कम्पनी रामायण	500	,,		12-11-80
612.	प्रकाश ट्रेडर्स कानोड़	3000	,,	कानोड़	12-11-80
613.	ए. ई. एम. पी. डब्ल्यू. डी. कांकरोली	2500	,,	कांकरोली	12-11-80
614.	ए. ईएन. सिटी डिवीजन	2500	,,	उदयपुर	12-11-80

1	2	3		4	5
615.	महावीर ट्रेडर्स	1000	लीटर	सराड़ा	12-11-80
616.	डब्ल्यू. वी. वाई. 3652	50	,,		13-11-80
617.	एक्स. ई. एम. एन. एच. डब्लू.	200	,,	उदयपुर	13-11-80
618.	एक्स. ई. एन. एन. एच. डब्ल्यू	1000	,,	उदयपुर	13-11-80
619.	रामायण चित्र (फिल्म कम्पनी)	400	,,	,,	13-11-80
620.	देवीलाल चम्पालाल	1600	,,	जयसमन्द	13-11-80
621.	रामायण चित्र	400	,,		14-11-80
622.	जसराज हीरालाल	1500	,,	सराड़ा	14-11-80
623.	पदमसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह	1000	,,	गोगुन्दा	14-11-80
624.	मोहम्मदी आटों	2000	,,		14-11-80
625.	लेन रोवर 8625	70	,,		14-11-80
626.	व्यास ट्रेडर्स	2000	,,	गोगुन्दा	14-11-80
627.	जेल (अधीक्षक)	100	,,	उदयपुर	14-11-80
628.	लैम्पस कोटड़ा	2000	,,	कोटड़ा	14-11-80
629.	आर. वी. वाई 5642 (आर. एस. ई. वाई)	100	,,	उदयपुर	14-11-80
630.	कल्याणसिंह सोनी आर. ए. ओ. 28/80	1500	,,		14-11-80
631.	लालसिंह गुलाबसिंह	1000	,,	सराड़ा	14-11-80
632.	सज्जाद हुसैन फकरूद्दीन	2000	,,	भीण्डर	14-11-80
633.	इकबाल सरदार	30	,,	वड़ोदा	15-11-80
634.	एम. आर. प्रोडक्ट्स	200	,,	वारां	15-11-80
635.	लैम्पस कोटड़ा	2000	,,	कोटड़ा	15-11-80
636.	भंवरलाल रतनलाल	2000	,,	गोगुन्दा	15-11-80
637.	किशनलाल	35	,,	पूना	15-11-80
638.	सहायक आबकारी अधिकारी	200	,,	उदयपुर	15-11-80
639.	ट्रैक्टर जोधा जी	30	,,		15-11-80
640.	आर. आर. वाई. 548 जीप	50	,,	उदयपुर	17-11-80

1	2	3	4	5
641.	एक्स. ई. एन. पी. डब्लू डी. डिस्टीक डिवीजन	1000 लीटर	उदयपुर	17-11-80
642.	हर्ष नारायण शर्मा सी. ओ. टी वाई. एम. एल.	30 ,,	उदयपुर	17-11-80
643.	आर. एस. बी. 4951	50 ,,	उदयपुर	18-11-80
644.	सज्जाद हुसैन	3000 ,,	भीण्डर	18-11-80
645.	सिनियर फिलिंग अडा	200 ,,	उदयपुर	18-11-80
636.	उदमलाल सुखलाल	600 ,,	उदयपुर	18-11-80
		(3 ड्रम) कैरोसीन		
647.	मै. रामायन चित्र	300 ,,	बोम्बे	18-11-80
648.	व्यास ट्रेडर्स	2000 ,,	गोगुन्दा	18-11-80
649.	हरी शंकर	25 ,,	उदयपुर	18-11-80
650.	गोविन्द सिंह	70 ,,	उदयपुर	18-11-80
651.	लेहरीलाल	2000 ,,	गोगुन्दा	18-11-80
652.	न्यू टाटा चेसीज एम. एच. पी. 531	30 ,,	उदयपुर	19-11-80
652.	महेन्द्र सेल्स कोरो.	50 ,,	उदयपुर	20-11-80
654.	गृह विज्ञान महाविद्यालय	100 ,,	उदयपुर	20-11-80
655.	रामायना चित्र	350 ,,	बाम्बे	20-11-80
656.	राजस्थान ट्रेडर्स	100 ,,	उदयपुर	20-11-80
657.	आर. जे. एच. 1209	30 ,,	उदयपुर	20-11-80
658.	फिसीयल आर. एन. टी मेडिकल कालेज	200 ,, कैरोसीन	उदयपुर	20-11-80
659.	जी. टी. एक्स. 3230	50 ,,	उदयपुर	20-11-80
660.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	200 ,,	उदयपुर	20-11-80
661.	सज्जाद हुसैन	2000 ,,	भीण्डर	21-11-80
662.	देवीलाल	2000 ,,	जयसमन्द	21-11-80

1	2	3	4	5
663.	अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय	200 लीटर कैरोसीन	उदयपुर	21-11-80
664.	प्रकाश ट्रेडर्स	3000 ,,	उदयपुर	21-11-80
665.	चरणसिंह पी. एस. वाई. 5857	75 ,,		21-11-80
666.	बी. ई. एम. 2111 डिवीजन	1000 ,,	उदयपुर	21-11-80
667.	एक्स. ई. एम, पी. डब्लू. डी. डिस्टीक डिवीजन	1000 ,,	उदयपुर	21-11-80
668.	एक्स. ई. एम. आधिनिकरण खण्ड	750 ,,	,,	21-11-80
669.	यू. एस. सी. 7877	30 ,,	,,	22-11-80
670.	एम. आर. बी. 488, 481, 482, 483, 450, 457, 458, 459.	200 ,,	दिल्ली	22-11-80
671.	एक्स ई. एम हेण्डपम्प	100 ,,	उदयपुर	22-11-80
672.	आर. जेड. 4252	30 ,,	,,	23-11-80
673.	एक्स. ई. एम; हेण्डपम्प जन• स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग	1000 ,,	,,	23-11-80
674.	सज्जाद हुसैन	3000 ,,	भीण्डर	23-11-80
675.	आर. एस. वाई. 8242 ट्रक	100 ,,	उदयपुर	24-11-80
676.	एम. एच. जेड. 8689	40 लीटर	उदयपुर	24-11-80
677.	कल्याणसिंह सोनी	2000 ,,	,,	24-11-80
678.	आर. एस. वाई. 9390 जीप	30 ,,	,,	24-11-80
679.	राजस्थान ट्यूर्स उदयपुर	100 ,,	,,	24-11-80
680.	उदमलाल टांक	2000 ,,	चारभुजा	25-11-80
681.	वाहन यू. एस. एच. 6666	30 ,,	उदयपुर	25-11-80
682.	वाहन एन. एल. के. 7758	50 ,,	,,	25-11-80
683.	मोहम्दी आटो	2000 ,,	भीण्डर	25-11-80
684.	झाडोल यार्न बस एसोसियेशन		उदयपुर	25-11-80
685.	महावीर ट्रेडर्स	1000 ,,	सराड़ा	25-11-80

1	2	3	4	5
686.	एक्स. ई. एम. एन. एच. डब्लू.	2000 लीटर	कामलीघाट	26-11-80
687.	,, ,, ,,	1500 ,,	उदयपुर	26-11-80
688.	,, ,, ,,	1000 ,,	,,	26-11-80
689.	वाहन आर. एस. वी. 333	200 ,,	,,	26-11-80
690.	वाहन आर. जे. ई. 6421	60 ,,	,,	27-11-80
691.	वाहन आर. एस. वाई. 9390	30 ,,	,,	27-11-80
692.	सज्जाद हुसेन भीण्डर	3000 ,,	भीण्डर	28-11-80
693.	नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	4000 ,,	उदयपुर	28-11-80
694.	एक्स ई. एम. सिंचाई सर्वे	100 ,,	उदयपुर	28-11-80
695.	वाहन डी. एल. पी. 5083	100 ,,	दिल्ली	1-12-80
696.	गोवरमेंट प्रेस	200 ,, केरोसीन	उदयपुर	1-11-80
697.	देवीलाल	2000 ,,	जयसमन्द	2-11-80
698.	वाहन आर. एस. वाई. 4913	50 ,	उदयपुर	2-12-80
699.	गल्ला पुत्र हवा	10 ,,	नवागुडा	2-12-80
700.	सज्जाद हुसेन	500 ,,	भीण्डर	2-12-80
701.	एक्स. ई. एम. एन. एच. डब्लू.	1000 ,,	उदयपुर	3-12-80
702.	,, ,, ,,	1000 ,,	,,	3-12-80
703.	,, ,, ,,	1000 ,,	,,	3-12-80
704.	वाहन संख्या 7193	60 ,,		3-12-80
705.	व्यास ट्रेडर्स	2000 ,,		3-12-80
706.	सुलेवल	1080 ,, केरोसीन	जावद (सराडा)	3-12-80
707.	चिकित्सा अधिकारी	20 ,,	जगदीश चौक	3-12-80
708.	कल्याणसिंह	2000 ,,	रेलमगरा	4-12-80
709.	पदमसिंह	1000 लीटर	सावरा	5-12-80

1	2	3	4	5
710.	ले. पस्	1500 लीटर	कोटड़ा	5-12-80
711.	,,	1500 ,,	कोटड़ा	5-12-80
712.	पोलेट्री फार्म	60 ,,	उदयपुर	6-12-80
713.	जीयोलोजी सर्वे आफ इंडिया	30 ,,	अहमदाबाद	6-12-80
714.	सज्जाद हुसैन	4000 ,,	भीण्डर	8-12-80
715.	ए. इ. एम. पी डब्ल्यू. डी.	250 ,,	उदयपुर	8-12-80
716.	महावीर ट्रेडर्स	1000 ,,	सराड़ा	9-12-80
717.	प्रकाश ट्रेडर्स	4000 ,,	कानोड़	9-12-80
718.	ए. ई. एम. सिटी डिवीजन	1000 ,,	उदयपुर	9-12-80
719.	ए. ई. एम. सिटी पी. डब्ल्यू. डी.	1000 ,,	उदयपुर	9-12-80
720.	उदयपुर काटन मिल्स	500 ,,	,,	9-12-80
721.	एक्स. ई. एन. सिंचाई	1500 ,,	,,	9-12-80
722.	एक्स. ई. एम. एन. एच. डब्ल्यू.	2000 ,,	,,	10-12-80
723.	सज्जाद हुसैन	4000 ,,	भीण्डर	11-12-80
724.	लेम्पस कोटड़ा	2000 ,,	कोटड़ा	11-12-80
725.	,, ,,	500 ,,	कोटड़ा	11-12-80
726.	माछालाल दर्शारा	70 ,,		11-12-80
727.	कालूलाल	1000 ,,		12-12-80
728.	वाहन आर. एस. वाई. 4986	100 ,,	उदयपुर	12-12-80
729.	उदयपुर खेडला को. बैंक	30 ,,	,,	20-12-80
730.	अमरावती जिन्स सह. बैंक	40 ,,	अमरावती	20-12-80
731.	डी. एस. मारवाड़ी	40 ,,	अहमदाबाद	20-12-80
732.	सांघी मोटर्स	30 ,,	न्यू देहली	20-12-80
733.	एरमेस्ट मेसेज	500 ,,	उदयपुर	21-12-80

1	2	3	4	5
734.	पी. एण्ड वी. 349	40 लीटर	उदयपुर	22-12-80
735.	वाहन यू. एस. क्यू. 553, 520, 9529	150 ,,		22-12-80
736.	जसराज हीरालाल	1000 ,,	सराडा	23-12-80
737.	महावीर ट्रेडर्स	1000 ,,	,,	23-12-80
738.	स्टार इन्जिनियरिंग	50 ,,	उदयपुर	23-12-80
739.	प्रकाश ट्रेडर्स	2000 ,,	कानोड़	23-12-80
740.	वाहन यू. आर. सी. 6239	50 ,,		23-12-80
741.	आर. एस. वी. 6666	50 ,,		23-12-80
742.	सज्जाद हुसैन	3000 लीटर	भीण्डर	24-12-80
743.	भारतीय लोक कला मण्डल	300 ,,	उदयपुर	24-12-80
744.	आर. एस. वाई. 3318	100 ,,	,,	24-12-80
745.	फोरेस्ट विभाग	150 ,,	,,	24-12-80
746.	,, ,, यू. टी. आर. 9283	100 ,,	,,	24-12-80
747.	आर. एस. वाई. 4669	100 ,,	,,	26-12-80
748.	आर. आर. वी. 1512	75 ,,	,,	26-12-80
749.	उदयपुर काटन मिल्स	250 ,,	,,	27-12-80
750.	वाहन आर. आर. आर. 6972	50 ,,	,	27-12-80
751.	व्यास ट्रेडर्स	2500 ,,	गोगुन्दा	27-22-80
752.	वन विभाग	50 ,,	उदयपुर	27-12-80
753.	वाहन चैरिस 692/डी. ओ. 1726259	50 ,,	,,	27-12-80
754.	एक्स. ई., एम. एन. एच. डब्ल्यू.	500 ,,	,,	27- 2-80
755.	मोहम्मदा ओटो मा.	1000 ,,	भीण्डर	27-12-80
756.	उदयपुर काटन मिल्स	200 ,,	उदयपुर	27-12-80

1	2	3		4	5
757.	आर. एस. वाई. 9464	100	लीटर	उदयपुर	27-12-80
758.	सज्जाद हुसैन	3000	,,	भीण्डर	29-12-80
759.	संयुक्त चिकित्सालय	100	,,	उदयपुर	29-12-80
760.	,, ,,	100 केरोसिन	,,	,,	29-12-80
761.	वाहन संख्या	50	,,	,,	29-12-80
762.	वन विभाग	100	,,	,,	29-12-80
763.	एक्स. ई. एम., पी. डब्ल्यू. डी.	500	,,	,,	20-12-80
764.	एक्स. ई. सिंचाई	1000	,,	,,	29-12-80
765.	काटन मिल्स	600	,,	,,	29-12-80
766.	स्वप्न लोक सिनेमा	30	,,	,,	30-12-80
767.	मटून माईनस	200	,,	,,	30-12-80
768.	रेजीडेन्ट इंजिनीयरिंग हाउ. बोर्ड	40	,,	,,	30-12-80
769.	कल्याणसिंह सोनी	2000	,,	रेलमगरा	30-12-80
770.	हेमन्त जैन	40	,,	ग्वालियर	30-12-80
771.	देवीलाल चम्पालाल	2000	,,	जयसमन्द	30-12-80
772.	एच. पी. एल. 73	50	,,		30-12-80
773.	आर. जे. जे. 1346 जीप	10	,,	उदयपुर	30-12-80
774.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि.	500	,,	,,	30-12-80
775.	वेस्टर्न इंडियन स्टेट मोटर्स	100	,,	,,	30-12-80
776.	वाहन सं. आर. एस. एच. 5199	30	,,	,,	30-12-80
777.	इंडियन सेल्स डिपो	2000	,,	भीण्डर	31-12-80
778.	श्री चंपालाल ट्रेक्टर	20	,,		31-12-80

1	2	3	4	5
779.	वाहन डी. एल. पी. 5457	100 लीटर	उदयपुर	31-12-80
780.	कटन मिल्स	500 ,,	,,	31-12-80
781.	ए, ई, एम पी. डब्ल्यू. डी.	250 ,,	,,	31-12-80
782.	एम. आर. वी. 442	40 ,,	,,	31-12-80
783.	वन विभाग	200 ,,	,,	1-1-81
784.	वेस्टर्न इंडियन स्टेट मोटर्स	60 ,,	,,	1-1-81
785.	आर. एस. वाई. 2834 सेवा मन्दिर	30 ,,	,,	1-1-81
786.	आर. एस. वाई. 2834 सेवा मन्दिर	25 ,,	,,	2-1-81
787.	राज. एग्रो इन्डस्ट्रीज	35 ,,	,,	2-1-81
788.	कोटन मिल्स	600 ,,	,,	2-1-81
789.	भंवरलाल रतनलाल	1000 ,,	गोगुन्दा	2-1-81
790.	चिकित्सा अधिकारी	20 ,,	उदयपुर जगदीश चौक	2-1-81
791.	प्रकाश ट्रेडर्स	4000 ,,	कानोड़	2-1-81
792.	मै. चन्दीगढ टयूरीस्ट	100 ,,	चण्डीगढ	2-1-81
793.	एक्स. ई, एम. पी. डब्ल्यू. डी.	500 ,,	उदयपुर	2-1-81
794.	वाई. आर. ई. 5855	30 ,,	,,	2-1-81
795.	आर. जे. वाई. 3398	50 ,,	,,	2-1-81
796.	एम. आर. टी. 8609	40 ,,	,,	2-1-81
797.	सिंचाई विभाग	30 ,,	,,	2-1-81
798.	एक्स. ई. एम. माही	85 ,,	बांसवाडा	3-1-81
799.	आर. जे. जेड	40 ,,	उदयपुर	3-1-81
800.	लैम्प्स	2000 ,,	कोटडा	3-1-81

1	2	3	4	5
801.	आर. एस. एम, डवलपमेंट	30 लीटर	उदयपुर	3-1-81
802.	सुशीक विश्वास	50 ,,	,,	3-1-81
803.	वाहन आर. आर. वाई. 3851 डी. एल. पी. 6912, आर. एस. बी. 3388	225 ,,	,,	3-1-81
804.	उप मु. स्वा. एवं चि. अधिकारी	40 ,,	,,	3-1-81
805.	वाई. जे. के. 5953	20 ,,	,	3-1-81
806.	एक्स. ई, एम. पी. डब्लू. डी. एन. एच. डब्लू.	1000 लीटर	उदयपुर	3-1-81
807.	सज्जान हुसैन	2000 ,,	भीण्डर	5-1-81
808.	वाहन डब्लू. वाई. ए. 5394	30 ,,	उदयपुर	5-1-81
809.	मोहम्मदी ओटो आयल मोबाइल	1000 ,,	भीण्डर	5-1-81
810.	इण्डियल सैल्स कम्पनी डिपों	1000 ,,	भीण्डर	5-1-81
811.	जैन ट्रेडर्स कम्पनी	2000 ,,	कनोड़	6-1-81
812.	वाहन आर. जे. वाई. 1807	30 ,,	उदयपुर	6-1-81
813.	सोहनलाल आर. नं. 1/81	1000 ,,	मावली	6-1-81
814.	ए. ई. एम. पी. डब्लू. डी. एन. एच. डब्लू.	500 ,,	उदयपुर	7-1-81
815.	ए. ई. एम. पी. डब्लू. डी. III	500 ,,	उदयपुर	7-1-81
816.	डी. ई. ए. वाहन 1207	30 ,,	उदयपुर	7-1-81
817.	पिकोक ट्रैवल्स	100 ,,	उदयपुर	7-1-81
818.	डा. एस. एस. निजी	40 ,,	जयपुर	7-1-81
819.	एस. भट्टाचार्य	50 ,,	देहरादून	7-1-81
820.	वाहन एस. आर. वी 410	40 ,,	उदयपुर	7-1-81
821.	सज्जाद हुसैन	2000 ,,	भीण्डर	8-1-81

1	2	3	4	5
822.	वाहन आर. एस. वाई. 2299 आर. एस. वाई. 2701	100 लीटर	उदयपुर	8-1-81
823.	डा. एस. के. अग्रवाल	30 ,,	उदयपुर	8-1-81
824.	राजस्थान	250 ,,	उदयपुर	8-1-81
825.	व्यास ट्रेडर्स	2000 ,,	गोगुन्दा	8-1-81
826.	मेवाड़ आईल मर्चेन्ट	2100 ,,	चरगदिया	9-1-81
827.	जसराज हीरालाल	1000 ,,	सेमारी	9-1-81
828.	महावीर ट्रेडर्स	1000 ,,	सराड़ा	9-1-81
829.	राजस्थान	250 ,,	उदयपुर	9-1-81
830.	पदमसिंह पृथ्वीसिंह	1000 ,,	गोगुन्दा	9-1-81
831.	कांटन मिल्स	500 ,,	उदयपुर	9-1-81
832.	मोहम्मदी आटो मोबाईल	1000 ,,	डबोक	9-1-81
833.	एक्स. ई, एन. पी. एच. ई. डी सिटी डिवीजन	600 ,,	उदयपुर	9-1-81
834.	वाई. एन. यू. 784 एच.	100 ,,	उदयपुर	10-1-81
835.	ए. एस. सी; 3135	30 ,,	उदयपुर	13-1-81
836.	आर. आर. बी. 1634	25 ,,	उदयपुर	13-1-81
837.	आर. आर. एम. 2879	50 ,,	,,	13-1-81
838.	एम. आर. बी. 364, 385	50 ,,	,,	13-1-81
839.	डब्ल्यू. वाई. पी. 643-I	30 ,,	,,	13-1-81
840.	कालूलाल उमारावत	1000 ,,	,,	13-1-81
841.	लक्ष्मीलाल	1000 ,,	गोगुन्दा	13-1-81
842.	आर. जे. वाई. 9137 आर. एस. जेड. 3872	100 ,,	उदयपुर	13-1-81
843.	भू-जल विभाग	200 ,,	उदयपुर	14-1-81
844.	ए. ई. एम. भू-जल विभाग	500 ,,	उदयपुर	14-1-81
845.	कल्याणसिंह सोनी	2000 ,,	रेलमगरा	14-1-81
846.	एम. आर. बी. 382	40 ,,	उदयपुर	14-1-81

1	2	3	4	3
847.	इन्डियन सैल्स डिपो	2000 लीटर	भीण्डर	15-1-81
848.	प्रकाश ट्रेडर्स	2000 ,,	कानोड़	15-1-81
849.	एक्स. ई. एन. पी. एच. ई. डी.	500 ,,	उदयपुर	15-1-81
850.	मोहम्मदी आटो	1000 ,,	भीण्डर	15-1-81
851.	मेवाड़ आयल मेर्चेन्ट	2000 ,,	चरगदिया	16-1-81
852.	आर. एस. बी. 598	80 ,,	उदयपुर	16-1-81
853.	आई. टी. आई.	2000 ,,	उदयपुर	16-1-81
854.	देवीलाल	2000 ,,	जयसमन्द	16-1-81
855.	जसराज हीरालाल	1200 ,,	सेभारी	17-1-81
856.	सज्जाद हुसैन	300 ,,	भीण्डर	17-1-81
857.	वाहन एम. आर. वी. 19/डब्लू.	25 ,,	उदयपुर	17-1-81
858.	वन विभाग	200 ,,	,,	17-1-81
859.	एक्स. ई. एन. पी. एच. ई. डी.	100 ,,	,,	17-1-81
860.	ए. ई. एन. पी डब्लू. डी बी. एण्ड आर.	1000 ,,	,,	17-1-81
861.	ए. ई. एन. भू-जल	400 ,,	,,	17-1-81
862.	आर. एस. एम. एम. लि.	1000 ,,	,,	20-1-81
863.	राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज	30 ,	,,	20-1-81
864.	मेवाड़ आईल मर्चेन्ट	2000 ,,	चरगदिया	20-1-81
865.	फलोदी फार्म	40 ,,	उदयपुर	20-1-81
866	व्यास ट्रेडर्स	2000 ,,	गोगुन्दा	20-1-81
867.	वाहन आर. आर. एम. 7	30 ,,	उदयपुर	20-1-81
868.	प्रकाश ट्रेडर्स	3000 ,,	कानोड़	20-1-81
869.	मोहनलाल	15 ,,	उदयपुर	20-1-81
870.	वाहन आर. एस. वाई. 2405	70 ,,	,,	20-1-81
871.	राजस्थान टूर्स	100 ,,	,,	21-1-81
872.	आर एस. एम. एम. लि.	1000 ,,	,,	21-1-81
873.	बिल्डर्स एण्ड इनजीनियर्स	100 ,,	,,	21-1-81

1	2	3	4	5
874.	वाहन एम. आर. वी. 385 से 389	150 लीटर	उदयपुर	22-1-81
875.	श्री लेहरीलाल	1000 ,,	,,	22-1-82
876.	वाहन आर. आर. वाई. 7306	80 ,,	,,	22-1-81
877.	न, एस. ई. वी. वाई. 80	70 ,,	उदयपुर	22-1-81
878.	यूनिवरसिटी.यू. टो. टी. 8260	50 ,,	रूडकी	24-1-81
879.	वाहन वाई टी. ई. 3863	30 ,,	गुजरात	24-1-81
880.	एम. आर. वी. 385 से 389	100 ,,	बाम्बे	24-1-81
881.	कुकुट शाला उदयपुर	40 ,,	उदयपुर	24-1-81
882.	चेतक सीमेन्ट वर्क्स	20 ,,	उदयपुर	24-1-81
883.	केशुलाला	400 ,,	सराड़ा	24-1-81
884.	ए. ई. एन. सिटी डिवीजन	800 ,,	उदयपुर	24-1-81
885.	ए, ई. एन. पी. एच. ई. डी	200 ,,	उदयपुर	25-1-81
886.	मेवाड़ आईल मर्चेन्ट	2200 ,,	चरगदिया	27-1-81
887.	इण्डिया सैल्स डिपो	200 ,,	भीण्डर	27-1-81
888.	वाहन संख्या 369609	70 ,,	उदयपुर	27-1-81
889.	महावीर ट्रेडर्स	1000 ,,	सराड़ा	27-1-81
890.	राजस्थान ट्यूर्स	50 ,,	उदयपुर	27-1-81
891.	भंवरलाल	1000 ,,	गोगुन्दा	27-1-81
892.	जसराज	1000 ,,	सेमारी	27-1-81
893.	उदयपुर विश्वविद्यालय	200 ,,	उदयपुर	27-1-81
894.	वाहन सं. एम. एच. एन. 5797	30 ,,	,,	27-1-81
895.	गेदीलाल	2500 ,,	जयसमन्द	27-1-81
896.	वाहन डी. एल. पी. 6400	50 ,,	देहली	27-1-81
897.	सज्जाद हुसैन	3000 ,,	भीण्डर	27-1-81
898.	एस. के. शास्त्री	30 ,,		27-1-81
899.	प्रकाश पैट्रोलियम	1500 ,,	मावली	28-1-81
900.	कल्याणसिंह	2000 ,,	रेलमगरा	28-1-81

1	2	3	4	5
901.	वाहन डी. ई. पी. 3333	50 लीटर	देहली	28-1-81
902.	चिकित्सालय	200 ,,	उदयपुर	28-1-81
903.	जी. आर. वाई. 5001	50 ,,	उदयपुर	28-1-81
904.	एरोड्रम ओफिसर	300 ,,	डबोक	28-1-81
905.	शान्तिलाल	1000 ,,	कुवारियां	29-1-81
906.	डॉ. सूरपोलू	30 ,,	उदयपुर	29-1-81
907.	व्यास ट्रेडर्स	2000 ,,	गोगुन्दा	29-1-81
908.	वाहन सं. यू. पी. डी. 7025	100 ,,	उदयपुर	29-1-81
909.	शान्तिलाल	600 ,,	कुवारियां	29-1-81
910.	मेवाड़ आईल मर्चेन्ट	2000 ,,	चरगदिया	29-1-81
911.	वाहन यू. पी. टी. 3301	100 ,,	उदयपुर	30-1-81
912.	एक्स. ई. एन. पी. डब्ल्यू. डी.	400 ,,	,,	30-1-81
913.	आर. एस. एम. एम. उदयपुर	1000 ,,	,,	30-1-81
914.	ए. ई. एन. पी. एच. ई. डी.	600 ,,	,,	30-1-81
915.	ए. ई. एन. सिटी डिवीजन	200 ,,	,,	30-1-81
916.	उदयपुर एक्सप्रेस	40 ,,	,,	30-1-81
917.	सटून माईन्स	200 ,,	,,	31-1-81
918.	सज्जाद हुसैन	2000 ,,	भीण्डर	31-1-81
919.	उदयसिंह	10 ,,	भीण्डर	31-1-81
920.	जी. टी. ए. ई.	200 ,,	उरयादा	31-1-81

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची

प्रश्न के भाग 3 की सूची

नाम	संख्या	मात्रा क्वि. में
केन्टीन	16	28 क्वि. 60 किलो
होटल व रेस्टोरेन्ट	315	121 क्वि. 65 किलो
हलवाई	161	183 क्वि. 25 किलो
बिस्कुट बेकर्स	35	242 क्वि. 75 किलो
योग :	527	576 क्वि. 25 किलो

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 218 का विवरण

भवन निर्माण के नक्शे दिनांक 10–4–80 से 11–2–81 तक

सीरियल नं	नक्शे प्राप्त करने की तारीख	नाम	मोहल्ला	समय में देरी होने का कारण
1	2	3	4	5
1.	1-4-80	श्री भागचन्द ओडरमल	आदर्श नगर	नगर नियोजक की राय हेतु 3-4-80
2.	7-4-80	श्री पारवती रवानचन्द	लारवन कोटड़ी	मालकाना हक की जांच के वास्ते। 5-11-80
3.	11-4-80	श्री रवलील अहमद	देहली गेट	नियमित करने वास्ते
4.	11-4-80	श्री पारवती किशन	पुरानी मण्डी	,,
5.	17-4-80	श्री गोरधन	पाल वेचला	जांच हेतु
6.	29-4-80	श्री लालचन्द	मूंदडी मोहल्ला	नियमित करने हेतु।
7.	13-5-80	श्री रूपचन्द	कलमा बावड़ी	अनाधिकृत निर्माण नियमित करने हेतु।
8.	15-5-80	श्री पूरणचन्द	आदर्श नगर	,,
9.	4-6-80	श्री शेनाज़ ईराक	कोटड़ा	जांच हेतु आवादी व भू-विभाजन
10.	5-6-80	श्री अब्दुल गफूर	इन्द्र कोट	जांच हेतु कब्रस्थान के साथ में।
11.	27-6-80	श्री भैरन मिश्रा	विहारी गंज	मोका देर वने वास्ते जमीन व भू-विभाजन हेतु।
12.	26-6-80	सुन्दर कंवर	आगरा गेट	नियमित करने हेतु।
13.	26-6-80	सुन्दर कंवर	आगरा गेट	,,

1	2	3	4	5
14.	7-7-80	छोटी	भगवान गंज	उप नगर नियोजक के रिमार्क हेतु।
15.	15-7-80	श्री बालकिशन लालचन्द	चांद बावड़ी	जमीन के किराये के वास्ते।
16.	21-7-80	श्री आलइण्डिया निम्बापारी	इम्पीरियल रोड़	नगर नियोजक की राय हेतु।
17.	2-8-80	श्री विजयकुमार गोपालदास	पराउ	जमीन का किराया फिक्स करने वास्ते।
18.	12-8-80	श्री तेजमल छोटूलाल	तोपदड़ा	जमीन के मालिकाना हक की जांच हेतु।
19.	14-8-80	श्री पुखराज	धानमण्डी	मौका निरीक्षण हेतु।
20.	19-8-80	श्री मदनमोहन	इम्पीरियल रोड़	नगर नियोजक की जांच हेतु। 12-2-81
21.	4-9-80	श्री एलफ्रेड किसन		म्युनिसिपल वकील के पास जमीन की जांच हेतु।
22.	6-9-90	श्री रामनारायण छेदीलाल		उप नगर नियोजक
23.	8-9 80	श्रीमती ग्यारसी बाई	गहलोतों की डूगरी	केस नियमित करने हेतु।
24.	28-9-80	श्रीमती जोहरा बेगम		केस नियमित करने हेतु।
25.	17-9-80	श्रीमती दुर्गादेवी		बिना आज्ञा बनाई हुई चबूतरी हटाने हेतु।
26.	29-9-80	श्री मांगीलाल बिरदा	धोयार खान	बिना आज्ञा-केस
27.	1-10-80	कन्हैयालाल	रामगंज	विस्तृत सूचना हेतु।
28.	4-10-80	रामनाथ कालूराम		पेन्डिंग जांच हेतु।
29.	13-10-80	मोहनलाल छोगालाल	सिगार चोरी	केस नियमित करने वास्ते।
30.	22-10-80	गोविन्दराम		केस नियमित करने वास्ते।

1	2	3	4	5
31.	22-10-80	महेन्द्र राय		नगर नियोजक की राय हेतु ।
32.	22-10-80	भीकनचन्द		मौका देर वने हेतु ।
33.	25-10-80	ताराचन्द	नागबाय	स्टाम्प पेपर पर अन्डर टेंकिग
34.	31-10-80	अमरचन्द	तोपदड़ा	यू. आई. टी. की राय हेतु ।
35.	31-10-80	राकेश गुप्ता	केसरगंज	केसरगंज के किराये तय करने हेतु ।
36.	31-10-80	मोतीलाल माथुर	सिविल लाईन	केस नियमित करने हेतु ।
37.	31-10-80	मोहनलाल	जोन्सगंज	अधिदर्शक की जांच हेतु ।
38.	3-11-80	अजीत कुमार	पुलिस लाईन	,,
39.	4-11-80	मनमोहन जिन्दल	सोदागर मोहल्ला	,,
40.	15-11-80	ऐसक्रेन डोनाल	क्रिश्चयन गंज	मौके की जांच हेतु ।
41.	15-11-80	बकुलदेवी	जोन्सगंज	जांच हेतु ।
42.	13-11-80	रामदेव	जोन्सगंज	जांच हेतु ।
43.	12-11-80	श्री ओमप्रकाश प्यारेलाल		मालिकाना हक की जांच हेतु ।
44.	26-11-80	श्री पदमराज पाटनी		झुकाव नहीं करने की जाच हेतु ।
45.	26-11-80	श्रीमती जसोदादेवी	आयागंज	केस नियमित करने हेतु ।
46.	24-11-80	सोहनसिंह		यू.आई.टी. की रिपोर्ट हेतु ।
47.	24-11-80	मूलचन्द	नागबाय	मौके की जांच हेतु ।
48.	28-11-80	जीवनदास घीसी मोहल्ला		मालिकाना हक जांच हेतु ।

1	2	3	4	5
49.	1-12-80	जगदीश प्रसाद	फाईसागर रोड	मौके की जांच हेतु।
50.	4-12-80	रवानचन्द		केस नियमित करने हेतु।
51.	5-12-80	प्रकाश नारायण		यू. आई. टी. से एन. ओ. सी वास्ते।
52.	9-12-80	मदनलाल	स्टेशन रोड	केसरगंज तीज के किराये तय करने हेतु।
53.	10-12-80	मानदेवी	बाबूगढ़	मौके की निरीक्षण व जांच हेतु।
54.	20-12-80	भगवान सिंह	नगरा	अधिदर्शक को जांच वास्ते।
55.	1-1-81	स्नेह कुमार चौधरी	जयपुर रोड	मौके की जांच हेतु।
56.	3-1-81	ज्ञानसिंह	रामगंज	रामगंज मौका निरीक्षण हेतु।
57.	8-1-81	नानकराम	भगवान गंज	अधिदर्शक की जांच हेतु।
58.	6-1-81	मोरनलाल सोहनलाल	क्रिश्चन गंज	मौका निरीक्षण हेतु।
59.	6-1-81	पतासीदेवी	चौधर मौहल्ला	केस नियमित करने हेतु।
60.	7-1-81	राधेश्याम		अधिदर्शक को जांच हेतु।
61.	7-1-81	रामजीलाल		मालिकाना हक का सबूत मांगने हेतु।
62.	8-1-81	सदिका बेगम		मौका निरीक्षण हेतु।
63.	9-1-81	श्री जमनालाल शर्मा		नगर नियोजक की राय हेतु।
64.	20-1-81	श्री नन्दलाल रामपाल		दस्तावेज पेश करने हेतु।
65.	20-1-81	श्री मोहनलाल	सुभाष नगर	नगर नियोजक की राय हेतु।

1	2	3	4	5
66.	20-1-81	श्री सोहनलाल	सुभाष नगर	नगर नियोजक की राय हेतु।
67.	20-1-81	श्री घीसूराम	सुभाष नगर	नगर नियोजक की राय हेतु।
68.	20-1-81	श्री सोहनलाल	ब्यावर रोड़	नगर न्यास की राय हेतु।
69.	20-1-81	श्री रवेन्द्रा	सुभाष नगर	नगर नियोजक की राय हेतु।
70.	20-1-81	श्री प्रहलाद राय		नगर नियोजक की राय हेतु।
71.	21-1-81	श्री. पी. गन्डेरिया		अधिदर्शक को जांच हेतु।
72.	23-1-81	श्री चन्द्रशेखर		मौका निरीक्षण हेतु।
73.	23-1-81	श्री हरदेवसिंह		केस नियमित करने हेतु।
74.	23-1-81	श्री प्रेमसिंह	सुभाष नगर	नगर नियोजक की राय हेतु।
75.	24-1-81	श्री गाडमल		मौके की जांच हेतु।
76.	27-1-81	श्री चतुरभुज	सौदागर मोहल्ला	अधिदर्शक को मौके की जांच हेतु।
77.	27-1-81	श्री भगवती प्रसाद	सुभाष नगर	केस नियमित करने वास्ते।
78.	28-1-81	श्री डी. टी. अतर	श्री नगर रोड़	अधिदर्शक को मौके की जांच हेतु।
79.	28-1-81	श्री गोपाल किशन	चन्द्र नगर	नगर नियोजक की राय हेतु व केस नियमित करने हेतु।
80.	28-1-81	श्री देवीलाल	भगवान गंज	भू-विभाजन का नक्शा पेश करने हेतु।

1	2	3	4	5
81.	29-1-81	श्री हरिशचन्द्र	सोमलपुर	केस नियमित करने हेतु।
82.	29-1-81	श्रीमती भंवरीदेवी	वैराज रोड़	केस नियमित करने हेतु।
83.	29-1-81	कैलाशचन्द	जोन्सगंज	केस नियमित करने हेतु।
84.	29-1-81	रामचन्द शर्मा	सुभाष नगर	नगर नियोजक की राय हेतु।
85.	30-1-81	बुद्धाराम	सुभाष नगर	नगर नियोजक की राय हेतु व केस नियमित करने हेतु।
86.	30-1-81	हीरालाल	जोन्सगंज	नगर नियोजक की राय हेतु।
87.	30-1-81	श्री पी. सी. जैन	जयपुर रोड़	केस नियमित करने हेतु।
88.	30-1-81	श्रीमती शशीबाला	बिहारी गंज	अधिदर्शक को मौके की जांच हेतु।
89.	30-1-81	श्री मदनलाल	धोला भाटा	दस्तावेज पेश करने हेतु।
90.	30-1-81	श्रीमती ब्रह्मामीदवे	सुभाष नगर	केस नियमित करने हेतु।
91.	30-1-81	श्री श्याम बिहारी	सुभाष नगर	केस नियमित करने हेतु।
92.	30-1-81	श्री मुन्नालाल	सुभाष नगर	केस नियमित करने हेतु।
93.	30-1-81	श्री एस. के. माथुर	सुभाष नगर	अधिदर्शक को मौके की जांच हेतु।

1	2	3	4	5
94.	30-1-81	श्री बहादुर सिंह		केस नियमित करने हेतु।
95.	30-1-81	श्री बजरंग सिंह	सुभाष नगर	केस नियमित करने हेतु।
96.	30-1-81	श्री कुमुद जैन	केसर गंज	लीजु की जांच हेतु।
97.	30-1-81	श्री रेखासिंह	—	केस नियमित करने हेतु।
98.	30-1-81	श्री देवीराम	राबरिया	केस नियमित करने हेतु।
99.	31-1-81	श्री अमरचन्द	सुभाष नगर	नगर नियोजक की राय हेतु।
100.	31-1-81	श्री लाभचन्द	चोर सियावास	नगर नियोजक की राय हेतु।
101.	30-1-81	श्री गोरधनलाल	राबरिया	नगर न्यास की राय हेतु।
102.	30-1-81	श्री राधाकिशन	राबरिया	केस नियमित करने हेतु।
103.	31-1-81	श्री वे:कुमार खन्ना	हेपीवेली रोड़	दस्तावेज पेश करने हेतु।
104.	31-1-81	श्रीमती सुशीलादेवी	सुभाष नगर	नगर नियोजक की राय हेतु।
105.	31-1-81	श्री जी. के. अरोरा	सुभाष नगर	,,
106.	31-1-81	श्री डी. आर. सोनी	सुभाष नगर	,,
107.	31-1-81	श्री चन्द्रप्रकाश	सुभाष नगर	,,
108.	31-1-81	श्री बिहारीलाल बिशन		,,
109.	31-1-81	श्री नत्थीराम	रामगंज	दस्तावेज पेश करने हेतु।
110.	31-1-81	श्री बद्रीलाल	रामगज	दस्तावेज पेश करने हेतु।

Page No. 301

1	2	3	4	5
111.	31-1-81	श्री गणेशलाल	धानानाड़ी	केस नियमित करने हेतु ।
112.	31-1-81	श्री मगलराम	धानानाड़ी	
113.	31-1-81	श्री श्रीमती लाड कंवर	ब्यावर रोड़	,,
114.	31-1-81	श्रीमती प्रभारानी	फाईसागर रोड़	,,
115.	31-1-81	श्रीमती कमलारानी	ब्यावर रोड़	दस्तावेज पेश करने हेतु ।
116.	31-1-81	श्रीमती नरबदादेवी	भगवान गंज	दस्तावेज पेश करने हेतु ।
117.	2-2-81	श्री लक्ष्मणसिंह	ब्यावर रोड़	दस्तावेज पेश करने हेतु ।
118.	2-2-81	श्री किशनदास	भगवान गंज	,,
119.	3-2-81	श्री रामचन्द	रेम्बल रोड़	,,
120.	3-2-81	श्री धन्नालाल	सोमलपुर रोड़	मौके की जांच हेतु ।
121.	5-2-81	श्री एच. सी. लोढा	नसीराबाद रोड़	उप नगर नियोजक की राय हेतु ।
122.	4-2-81	श्री लक्ष्मीनारायण	तोपदड़ा	अग्निदर्शक को मौके की जांच हेतु ।
123.	5-2-81	श्री रामकिशन	कल्याणीपुरा	,,
124.	5-2-81	श्री मानसिंह	कल्याणपुरा	दस्तावेज पेश करने हेतु ।
125.	6-2-81	श्री मानसिंह	पालबेचला	,,
126.	6-2-81	श्री सरदार मिकासिंह	चन्द्र नगर	,,
127.	7-2-81	श्री सत्यनारायण	फाई सागर रोड़	मौके की जांच हेतु ।
128.	7-2-81	श्रीमती उमाकुमारी	गुलाब बाड़ी	केस नियमित करने हेतु ।
129.	4-2-81	श्री चम्पालाल शर्मा	सुभाष नगर	मौके की जांच हेतु ।

Page No. 302

1	2	3	4	5
130.	6-2-81	श्री जगदीशप्रसाद मिश्रा		अधिदर्शक को मौके की जांच हेतु ।
131.	6-2-81	श्री वैद मुआलाल		,,
132.	9-2-81	श्री भंवरलाल	सुभाष नगर	,,
133.	10-2-81	श्रीमती शान्तिदेवी	बापू नगर	दस्तावेज पेश करने हेतु ।
134.	10-2-81	श्री किशनलाल	भगवान गंज	मौके की जांच हेतु ।
135.	5-2-81	श्री चम्पालाल	सुभाष नगर	केस नियमित करने हेतु ।
136.	4-2-81	जे. एच. रतवानी	भगवान गंज	अधिदर्शक को मौके की जांच हेतु ।
137.	4-2-81	गनेश नारायण माथुर		मौके की जांच हेतु ।
138.	11-2-81	रघुवीर सिंह	सुभाष नगर	मौके की जाच हेतु ।

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न सं. 219 की सूची

सामान्य–विवरण

वर्ष		राशि
1978–79		2,01,077.91
1979–80		4,61,308.19
1980–81		42,067.18
	कुल योग :	7,04,453.28

———

भूखण्डों की जो सची आवंटी/खददार द्वारा हस्तानान्तरण किये गये वर्ष 1978–79 (1–4–1978 से 31–3–79 तक)

क्र. सं.	योजना का नाम	भूखण्ड सं.	आवंटी का नाम जिसने भूखण्ड खरीदा	खरीददार का नाम जिसको भूखण्ड बेचा गया।	हस्तानान्तरण के प्रार्थना पत्र की तिथि	हस्तानान्तरण शुल्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	मसूरिया—4 सी	59	गोपाल चंद जैन	सावित्री देवी	28-4-78	2951.30
2.	,, —4 डी	41	सज्जनमल			2706.67
3.	,, —4 डी		अमरजीतसिंह	आसूलाल छाजेड़	12-[illegible]-78	2666.60
4.	,, —4 सी	165	श्याम सुन्दर	शान्तिदेवी	26-5-78	3000.00
5.	,, —4 ए	310	प्रसन्न कंवर	फाउदेवी	7-1-78	205.55
6.	,, —4 बी	94	ईश्वरचन्द	बुद्धदेव शर्मा	4-9-76	2666.66
7.	,, —4 डी	166	अमरजीतसिंह	राजेन्द्र प्रसाद	17-7-78	5000.00
8.	,, —4 ए	134	लक्ष्मणसिंह	जगदीशमल	28-7-78	84.00
9.	,, —4 डी	59	रजूलदेवी		4-8-78	82.50

1	2	3	4	5	6	7
10.	मसूरिया—4 ई	15	बालचन्द	कालूराम	26-7-78	5000.00
11.	„ —4 बी	16	विमला लोढा	कला माथुर	19-12-78	386.50
12.	„ —4 ए	291	महेन्द्रसिंह	प्रेमा राम	10-3-78	67.00
13.	„ —4 सी (व्य.)	11	मधु गुप्ता	विष्णु प्रिया	31-7-78	387.50
14.	„ —4 सी	5	कौरसिंह	सुगतराज भण्डारी	17-2-77	5000.00
15.	„ —4 ए	285	जवरसिंह	अमरती चौधरी	27-11-78	4576.60
16.	„ —4 बी	106	सत्यनारायण	राधारानी	20-9-78	2666.66
17.	„ —4 ए	306	ओमप्रकाश	भीकोराम	4-11-78	31.00
18.	„ —4 ए	91	लालचन्द	सिवाराम	19-12-78	27.00
19.	„ —4 सी	7	एस. पी. मूणिया	प्रकाशमल	5-2-79	4277.75
20.	„ —4 सी	8	रामा भार्गव	धनराज	5-2-79	4277.75
21.	„ —4 सी	18	राजेन्द्र एस. मेहता	महेन्द्र कुमार	12-1-79	4277.75
22.	„ —4 सी	96	रामलाल	जानकीदेवी	14-4-79	5333.20
23.	„ —4 ए	86	भगवती प्रसाद	दामोदर प्रसाद	11-1-79	2666.60
24.	„ —4 बी	29	गोपालसिंह	रामेश्वर प्रसाद	23-10-78	2666.66
25.	„ —4 डी	119	लज्जावन्ती	गोपीलाल	16-12-79	388.00

1	2	3	4	5	6	7
26.	मसूरिया—4 ए	20	दलपत राज	कान्तिलाल-जवरीलाल	17-1-79	455.00
27.	,, —4 ए	348	कमलादेवी	सुरेश कुमार	2-1-79	358.00
28.	,, —4 डी	5	विजय कुमारी	पुष्पचन्द सचेती	30-1-79	2000.00
29.	,, —4 ए	117	मुकेश माथुर	श्रवण स्वरूप माथुर	17-1-79	289.00
30.	,, —4 ए	101	भरतलाल	डी. पी. गोयल	25-11-78	327.00
31.	,, —4 ए	322	बाबूलाल	राजनाहवा	22-1-79	470.00
32.	,, —4 डी	14	बल्देव नाथ	सुशीला देवी व निहालचंद	1-3-79	346.00
33.	,, —4 डी	132	अमरचन्द	गुलाब बंग	14-2-79	194.00
34.	,, —4 एच	70	सीतला प्रसाद	रमेशचन्द	20-1-79	5000.00
35.	,, —4 ई	14	राजेन्द्र प्रसाद	घीयादेवी	8-1-79	1629.00
36.	,, —4 ए	55	सी. एम. परलेछा	नन्दकिशोर	15-3-78	200.00
37.	,, —4 ए	144	नन्द प्रकाश	दाऊलाल माथुर	15-3-79	2066.60
38.	,, —4 ए	130	शशीकला सोनी	कौशल्या देवी	5-12-78	2666.60
39.	,, —4 बी	47	प्रकाश चन्द	छीनाराम	15-3-79	545.40
40.	,, —4 डी	25	सरला अग्रवाल	प्रेमचन्द माथुर	26-2-79	188.00
41.	,, —4 ए	10	रामसिंह	चन्द्रसिंह	31-3-79	50.00

1	2	3	4	5	6	7
42.	मसूरिया—4 बी (कोम.)	17	श्याम किशन	प्रेम दुलारी	19-12-78	398.00
43.	,, —4 बी	74	मगेश कंवर	किशनराज	2-6-79	4722.20
44.	,, —4 ए	315	प्रेम कुमारी	कमला वीवं	20-3-79	427.00
45.	,, —4 ए	120	राम स्वरूप	दारियो देवी	17-1-78	3654.40
46.	,, —4 डी	141	गिरीज कंवर	मीरा	—	420.00
47.	,, —4 ए	347	अचलराज मेहता	रमेशचन्द्र	19-3-79	341.00
48.	,, —4 ई	53	करणसिंह	नन्दकिशोर	21-4-79	480.00
49.	,, —4 डी	163	मोतीलाल रामचन्द्र	सुमित्रा सांखला	12-4-79	190.00
50.	,, —4 डी	27	गुमानाराम	प्रेम प्रकाश	12-11-78	366.00
51.	,, —4 ई (कोम)	80	फुलचन्द	रामलाल	5-5-79	680.00
52.	,, —4 ए	204	प्रतिमा बिधानी	घमंचन्द	4-5-79	517.00
53.	,, —4 बी (कोम)	12	मधुगुप्ता	दिलमोहन राज	10-12-78	391.00
54.	,, —4 एच	96	मीरा	गिरधारीलाल	30-1-79	290.00
55.	,, —4 एच	97	हरीश कलवानी	पुरुषोत्तमलाल	30-1-79	252.00
56.	,, —4 एच	98	हरीश ललवानी	प्रेमचन्द	30-1-79	252.00
57.	,, —4 एच	99	पुरुषोत्तम दास	प्रेमचन्द	30-1-79	271.00

Page No. 308

1	2	3	4	5	6	7
58.	मसूरिया—4 एच	100	प्रेमचन्द	भागीरथ	30-1-79	282.00
59.	„ —4 एच	64	के. सी. मुदड़ा	ऊषा नाईडू	7-6-79	280.00
60.	„ —4 बी	87	एस. एम. डूगर	पूतली बाई	30-5-79	272.00
61.	„ —4 बी	103	राजूसिंह	रंजीता	30-5-79	2666.60
62.	„ —4 ए	173	जेठी	पुखराज	4-6-79	292.20
63.	„ —4 ए	339	चिमनलाल	सज्यपाल	11-6-79	536.00
64.	„ —4 ए	15	दाताराम	उर्मिला कुमारी	25-6-79	25.00
65.	„ —4 ई	46	लक्ष्मणराज	अवधेष ओझा	7-6-79	198.00
66.	„ —4 ए	11	विरेन्द्र फरखू	नारायण राम	7-6-79	213.00
67.	„ —4 बी	121	जगदीश चन्द्र	रेखा	10-1-79	5000.00
68.	„ —4 ए	316	इन्द्रचन्द	लाडकंवर	25-6-79	480.00
69.	„ —4 ई	12	लीलादेवी	गीतादेवी	23-7-79	454.00
70.	„ —4 डी	46	लक्ष्मीराम	आनान्द	6-7-79	84.00
71.	„ —4 ए	174	मदनलाल	महावीरमल	6-7-79	413.00
72.	„ —4 ए	177	उत्सवलाल	श्रवण कुमार	9-11-79	205.00
73.	„ —4 डी	103	गोकुलचन्द	निर्मला देवी	31-3-79	184.00

1	2	3	4	5	6	7
74.	मसूरिया—4 बी	73	—	मेघराज	—	826.00
75.	„ —4 ए	16	जगदीश गहलोत	गोपाल साबू	22-8-79	462.00
76.	„ —4 सी	24	रमनदेवी	कन्हैयालाल	7-9-79	5000.00
77.	„ —4 ए	173	उत्सव लाल	पुखराज	4-6-79	35.00
78.	„ —4 बी	35	नाथूलाल	रतनलाल	25-9-79	4000.00
79.	„ —4 ई(कोम)	2	सुरेन्द्र गुप्ता	जेठाराम	3-10-79	666.60
80.	„ —4 डी	26	रामपाल	नरनारायण	21-9-79	184.00
81.	„ —4 ए	97	देवकीनन्दन	ऊषा शर्मा	28-9-79	3033.00
82.	„ —4 डी	27	गुमानाराम	प्रेम प्रकाश	12-11-78	50.00
83.	„ —4 बी	165	घनश्यामदास	तेजराम	13-1-79	245.00
84.	„ —4 सी	1	भीमराज गांधी	लालकंवर	10-6-79	270.00
85.	„ —4 ई	21	दाऊलाल शर्मा	ज्ञानकंवर	10-4-79	270.00
86.	„ —4 ए	328	सोहनराज	पार्वती देवी	10-11-79	352.00
87.	„ —4 ए सी	125	अब्दुल रहमान	चिन्ता देवी	19-4-79	4000.00
88.	„ —4 डी	121	जीवनमल देवकुमार	आसूलाल मदनकंवर	14-11-79	1600.00
89.	„ —4 ए	90	गोपीकिशन	तेजराज	23-11-79	70.00

1	2	3	4	5	6	7
90.	मसूरिया—4 ए	215	मदनलाल	विजय प्रकाश	26-10-79	104.00
91.	„ —4 सी	52	मोहम्मद सैयद	पुष्पा	19-11-79	21.24
92.	„ —4 ई	56	सफी मोहम्मद	मनसाराम भाटी	3-2-79	838.00
93.	„ —4 डी	105	इन्द्र नारायण	संतोषजान	3-11-79	184.00
94.	„ —4 डी	43	इन्द्र नारायण	गुलाब कंवर	9-10-79	105.00
95.	„ —4 एच	14	उमा शर्मा	देव कंवर	17-11-79	200.00
96.	„ —4 सी	11	डी. पी. गुप्ता	रम देवी कुमट	15-12-79	531.00
97.	„ —4 सी	24	रमकू देवी	कन्हैयालाल	7-9-79	1050.00
98.	„ —4 एच	110	रेवतराम	चीना एफ शर्मा	30-11-79	188.00
99.	„ —4 एफ(कम)81		विमला लोढ़ा	ओम प्रकाश	14-1-80	555.00
110.	„ —4 एफ(कम)82		विमला लोढ़ा	संकुन्तला व्यास	14-1-80	666.67
101.	„ —4 ई	83	विमला लोढ़ा	भवरी देवी	14-1-80	666.67
102.	„ —4 ई	84	मोहन लाल व्यास	गणेश प्रसाद	14-1-80	666.67
103.	„ —4 बी	31	माधो प्रसाद	देवेन्द्र कुमार	28-1-79	4000.00
104.	„ —4 एच	111	परसाराम	सुधा शर्मा	4-2-80	175.00
105.	„ —4 सी	18	महेन्द्र कुमार लोढ़ा	श्रीमती सम्मी मेहता	13-2-80	163.00

1	2	3	4	5	6	7
106.	मसूरिया—4 बाई	33	श्री द्वारकादास राठी	प्रकाशमल चन्द	11-2-79	470.00
107.	,, —4 ई	51	श्री बच्चूलाल लालवानी	श्रीमती मोहनी वासारी	10-5-79	508.00
108.	,, —4 ए	294	सोहनलाल	अनिल कुमार	16-4-80	4000.00
109.	,, —4 एच	46	मगराज	श्रीमती मोहन कंवर	5-4-80	240.00
110.	,, —4 ए	171	श्रीमती कांति देवी	आनन्दराम सिंघल	28-2-80	2666.60
111.	,, —4 एच	44	देव दास	सत्यनारायण	29-11-79	240.00
112.	,, —4 ए	104	घनश्याम	रामस्वरूप	12-10-79	5000.00
113.	,, —4 ई	28	उदयसिंह	अयोध्यादेवी	26-4-80	4000.00
114.	,, —4 बी	28	अयोध्या देवी	जगदीश प्रसाद नील	9-6-80	60.00
115.	,, —4 ई	45	जसवन्तमल भण्डारी	सोहन लाल	22-4-80	206.00
116.	,, —4 ई	46	आनन्दकुमार	अवदेश	11-6-79	666.60
117.	,, —4 ई (कोम)	20	शिवलाल शर्मा	वेदव्यास शर्मा	21-11-79	268.00
118.	,, —4 सी	37	श्री रंगरूप मल कोठारी	चांदनमल राठोड	4-11-80	200.00
119.	,, —4 सी	154	मदनलाल	धनराज ठाटियां	29-4-80	45.00
120.	,, —4 एच	36	इमीया किशन	महेन्द्रसिंह यादव	4-3-80	250.00
121.	,, —4 ए	295	चंदनमल राठोड़	—	4-11-80	67.00

Page No. 312

1	2	3	4	5	6	7
122.	मेघराज जी का कांटा	12	श्री सुन्दरलाल	मनीराम	14-2-80	3080.90
123.	—,,—	31	मेघाराम	श्रीमती तुलसी, श्रीमती शीला, रमेशी	26-2-79	87.50
124.	—,,—	8	किशनसिंह	सरदारमल	11-2-77	5000.00
125.	—,,—	59	श्रीमती अयोध्या	जगताराम	31-12-79	137.50
126.	—,,—	40	कल्याणसिंह	श्रीमती ओमकंवर	17-8-78	5000.00
127.	—,,—	1–ए	श्रीमती मायादेवी	वासुदेव	22-5-79	238.75
128.	—,,—	17	श्रीमती शान्तिदेवी		18-4-79	200.00
129.	किशोर बाग	22	कन्हैयालाल	प्रेमचन्द	26-11-79	112.50
130.	—,,—	23	श्रीमती भूरी	श्रीमती सूरज	7-12-77	121.15
131.	—,,—	21	भंवरलाल	श्योपाल	25-11-79	222.22
132.	—,,—	21	कन्हैयालाल	नथमल	26-11-79	112.50
133.	—,,—	3	हीरसिंह भाटी	मोहनीदेवी	15-11-79	157.50
134.	पासता जालिम बिलास	4	लक्ष्मीमल लोढ़ा	श्रीमती नन्दादेवी	10-10-79	350.44
135.	—,,—	20	एस. एन. भार्गव	भंवरलाल	30-5-79	585.75
136.	—,,—	21	—,,—	चेनसिंह	30-8-79	337.50

1	2	3	4	5	6	7
137.	पासता जालिम विलास	14	राजाबाबू	श्रीमती मीना नागोरी	11-5-79	379.50
138.	—,,—	23	श्रीमती सरोज श्रीमाल	श्रीमती गुलाब मृदुल	21-4-80	387.50
139.	—,,—	19	अजय गोयल	वी. एस. अग्रवाल	23-2-80	388.00
140.	पावटा मांजी का हत्था	6	जगदीश चन्द्र	श्रीमती गीतादेवी	3-7-79	480.00
141.	—,,—	14	धर्मवीर	ब्रजबिहारी	21-6-78	4375.00
142.	—,,—	1	विजेन्द्रसिंह	नारायण	19-2-78	1016.86
143.	—,,—	13	धर्मवीर	किशोर	27-6-78	4828.80
144.	—,,—	2	वीरेन्द्रसिंह	मोहनसिंह	17-3-79	580.25
145.	—,,—	8	किशनसिंह	श्रीमती सुशीला	15-3-79	381.00
146.	महामन्दिर सटारड	50	जालमसिंह	चतुरभुज	6-11-79	35.00
147.	—,,—	22	शोभराज	रूकमणी वर्मा	17-1-80	6520.00
148.	—,,—	23	शोभराज	दिनेशकुमार	17-1-80	62.45
149.	पावटा ए रोड़ सटरड़ रेल्वे लाईन के पास	4	एल. एन मिर्धा	श्रीमती राजेश्वरी	16-5-79	326.00
150.	खेतामण्डी	166	बद्रीप्रसाद	हरिनारायण	12-11-79	215.00
151.	—,,—	180	हरिनारायण	बद्रीप्रसाद	12-11-79	200.00

1	2	3	4	5	6	7
152.	खेतामण्डी	180	बद्रीप्रसाद	प्रेमनिवास	5-12-79	200.00
153.	—,,—	167	रमजान असगर	पारसराज	12-11-79	233.00
154.	रातानाड़ा सटारड़	5	महेन्द्र	सोहनलाल	1[illegible]-9-79	380.00
155.	ताराताड़ा सटारड़ नीयरपुरी पैंट्रोल पम्प	12	हसन मोहम्मद जहूर मोहम्मद	श्रीमती भंवरीदेवी	19-12-77	5000.00
156.	—,,—	1	जीवालाल	श्रीमती पुष्पा	16-1-79	427.54
157.	—,,—	4	एम. एल. बोल्या	शंकरराम	13-1-80	241.60
158.	रामबाग स्कीम	58	पूनाराम	गंगाराम	31-1-79	1450.00
159.	—,,—	31	नन्दूभारजी	श्री शंकरलाल	18-5-79	888.90
160.	—,,—	31–ए	पूनाराम	शंकरलाल	18-5-79	888.90
161.	बालानन्द गेट	51	मूलसिंह	शिवराज जोशी	1-8-80	44.00
162.	—,,—	60	भंवरसिंह	श्रीमती केसर चौधरी	29-8-79	60.80
163.	मण्डोर सकेटरड	8	चतरसिंह	छेलसिंह गहलोत	21-7-78	56.00
164.	ओ./एस. नागौरी गेट पी. एन. जी. (कमा.)		गणपतसिंह	शेरसिंह	23-8-79	425.00
165.	—,,—पी. एन. एफ.		पृथ्वीसिंह	पुखराज	17-4-79	505.00
166.	—,,—	15	श्रीमती प्रेमलता	श्रीमती रूकमणी	17-4-79	220.00

1	2	3	4	5	6	7
167.	बन्देवेनगर	212	भगवती प्रसाद	भंवरलाल	19-1-79	1527.80
168.	—,,—	215	जीवाराम	श्रीमती रुकमा/पुसराज	19-10-79	1527.80
169.	—,,—	89	करनसिंह	श्रीमती सुगन	22-12-79	290.00
170.	—,,—	18	श्री जमील अहमद	श्रीमती सुखीदेवी	10-3-79	155.00
171.	—,,—	22	जगदीश मिस्त्री	श्रीमती रतनी	19-3-79	106.00
172.	—,,—	65	किशनलाल	श्री बन्शीलाल	14-4-80	160.00
173.	गंवारा कोलोनी	13	जमनालाल	भीमराज	29-8-79	1360.00
174.	—,,—	14	श्रीमती चम्पादेवी	विजयराज	29-8-79	1360.00
175.	बरगी कोलोनी	183	छतुराम	शीशमल	12-3-80	1000.00
176.	बेलदार कोलोनी मसूरिया	39–ए	नवरतनलाल	सम्पतराम	24-5-78	1666.70
177.	—,,—	45–ए	मोहम्मद	चेनाराम	29-11-77	1834.00
178.	—,,—	66–ए	मोतीराम	अम्बादेवी	21-4-79	310.00
179.	सरगरा कोलोनी ओ. एस. नागोरी गेट	117	देवाराम	सुशीलाबाई	21-9-79	777.70
180.	मुगल कोलोनी मसूरिया	56–ए	बिरदाराम	लक्ष्मणदास	5-4-79	844.40
181.	गंवारिया कोलोनी	17	भीखजी	श्रीमती प्यारीबाई	7-5-79	1200.00

1	2	4	3	5	6	7
182.	गंवारिया कालोनी	17	श्रीमती प्यारीबाई	बाबूराम	12-12-79	600.00
183.	दुर्गादास कोलोनी	81	श्रीमती भानीबाई	बन्शीलाल	12-10-79	1200.00
184.	—„—	14	श्रीमती अमिया	श्री किशन	31-3-77	1200.00
185.	—„—	268	श्रीमती राजकी	श्रीमती सहीदाबानू	24-1-80	1200.00
186.	—„—	247	सरदारमल	गफारखां	29-10-79	1200.00
187.	—„—	43	अशोककुमार	मो. सबीर	6-6-79	1000.00
188.	—„—	80	बुद्धाराम	चेनाराम	17-5-79	1200.00
189.	—„—	259	मोहनलाल	रामलाल	29-1-80	1200.00
190.	नेहरू कोलोनी	68	नरसाराम	गजेन्द्रसिंह	14-9-79	1200.00
191.	चांदपोल शिवाची गेट रोड स्कीम	160	इब्राहिम	मोहम्मद शफी	5-6-78	1333.30
192.	—„—	134	नीसार अहमद	अब्दुलसत्तार	5-2-79	42.00
193.	—„—	50	जहूर हुसैन	अब्दुलसमद	30-11-79	204.70
194.	—„—	148	वजीर मोहम्मद	फकीर मोहम्मद	9-11-79	38.00
195.	—„—	119	गोपाल	जेतून	2-2-79	580.00
196.	—„—	143	अब्दुल सलीम	रज्जाक	1-5-78	1100.00

1	2	3	4	5	6	7
197.	चांद. सिवाजी गेट रोड़ स्कीम	157	निसार	हारया	31-3-79	87.00
198.	—,,—	136	अब्दुल मजीद	श्रीमती रहमत	6-6-79	39.00
199.	—,,—	137	मो. सदीक	श्रीमती जेतून	6-8-79	240.00
200.	—,,—	155	श्रीमती अहमद	आविदा	27-7-79	240.00
201.	—,,—	163	भंवरलाल	रामस्वरूप	11-8-77	1333.30
202.	एल. आई. जी. एच.-1	217	बालूराम	मुरादअली	26-5-78	5000.00
203.	—,,—	129	गुलाबसिंह	मोहम्मदखान	20-6-78	5000.00
204.	—,,—	401	जफर हुसैन	वेगाराम	26-2-79	177.80
205.	मसूरिया सेक्शन–2	311	हुकसिंह	पृथ्वीसिंह	2-1-79	22.50
206.	—,,—	11	जयरूपराम	गुमानमल लोढ़ा	13-1-78	180.25
207.	एल. आई. जी. एच.-3	8	राजकुमार	जोधाराम	16-11-79	5000.00
208.	—,,—	11	रणजीतसिंह	भगवानसिंह	27-11-78	5000.00
209.	—,,—	12	ओमदत्त	चन्द्रप्रकाश	15-2-79	590.50
210.	एल. आई. जी. एच–1	255	श्रीमती आशियाना	रामकिशन	26-3-79	116.50
211.	—,,—	86	मो. हनीफ	नेक मोहम्मद	24-2-79	117.00
212.	—,,—	219	सुभराज लोढ़ा	मोहम्मद सदीक	19-4-79.	240.00

1	2	3	4	5	6	7
213.	एल. आई.जी. एच.-1	240	सुरेशकुमार	श्रीमती सुआदेवी	29-4-79	116.00
214.	—,,—	256	सत्तार	लुकमान अहमद	31-3-79	235.00
215.	—,,—	257	रहमतखां	माहूलाल	16-5-79	115.00
216.	—,,—	130	गुलाबसिंह	श्रीमती जेबूनिसा	18-6-79	116.50
217.	—,,—	431	शफीखां	हनुमानाराम	21-5-79	550.00
218.	—,,—	93	मुरलीधर	नसीम, शाहबानो	3-7-79	115.75
219.	—,,—	540	रवीशंकर	चन्द्रकान्ता	5-9-79	2666.70
220.	—,,—	351	मोतीसिंह	शंकरलाल	13-7-79	3333.30
221.	—,,—	267	शम्भूलाल	रामचन्द्र	26-11-79	127.50
222.	—,,—	512	हस्तीमल	मीठालाल	19-12-79	390.00
223.	—,,—	411	श्रीमती निर्माण चन्देल	सूरजराम	18-12-79	2666.60
224.	—,,—	216	लक्ष्मीनारायण एण्ड ब्रदर	हुसैन एण्ड ब्रद.	16-1-80	125.25
225.	—,,—	410	महावीरचन्द भण्डारी	तुलसीराम	15-10-79	3800.00
226.	—,,—	400	अमृतलाल	श्रीमती ग्यारसीबाई	25-1-80	443.00
227.	मसूरिया सेक्शन–2	8	मोहनलाल	नरसिंह एण्ड पुखराज	22-3-79	150 50
228.	—,,—	12	लक्ष्मीनारायण	दिलिपकुमार श्यामलाल	23-4-79	180.50

1	2	3	4	5	6	7
229.	मसूरिया से.–2	5	मोहनलाल	लक्ष्मीदेवी	18-4-79	142.50
230.	—,,—	4	श्री कानाराम	श्री जयनारायण	13-11-79	141.50
231.	एल. आई. जी. एच. नं. 3	5	श्री दशरथमल	श्री अमीनखान	6-8-79	389.50
232.	—,,—	10	केशरीमल तातेड़	मै. कृष्णा आईस स्टोर	26-10-79	418.60
233.	—,,—	35	सुरेन्द्रकुमार बोहरा	जुगराज लालचन्द	22-8-79	4232.30
234.	—,,—	20	साजनसिंह	मांगीलाल जौहरी	25-9-79	6207.50
235.	मिल्क मेन कोलोनी	457	अमृतराज	ओमप्रकाश गुप्ता	13-6-79	2666.60
236.	—,,—	359	मनोहरलाल भण्डारी	राम प्रताप	14-2-80	6666.66
237.	एल. आई. जी. एच. नं. 1	499	सुरेन्द्रकुमार	श्रीमती इन्द्रकोर	14-4-80	566.00
238.	—,,—	562	श्रीमती शीलादेवी	श्रीमती लक्ष्मी	28-4-80	75.00
239.	—,,—	291	श्री छोगसिंह	श्रीमती जतनबाई	17-4-80	2666.80
240.	—,,—	311	सोहनलाल	निहाल चन्द	23-6-79	2533.30
241.	—,,—	292	कन्हैयालाल	श्रीमती बसन्तीदेवी	26-4-80	2666.60
242.	—,,—	312	रामस्वरूप	राधारानी	30-4-80	2533.30
243.	—,,—	323	चन्द्रराज	मोहनलाल	11-1-80	2666.60
244.	—,,—	162–सी	लालचन्द	अमरचन्द	28-4-80	2666.60

1	2	3	4	5	6	7
245.	एल. आई.जी.एच. नं. 1	391	शान्तिचन्द	घनश्यामलाल	11-3-80	2666.60
246.	मसूरिया सेक्सन–2	154	किशनलाल	श्रीमती सूरजदेवी	6-12-80	9.00
247.	—,,—	286	रामजीवन	थानारामसिंह	13-2-80	2841.70
248.	—,,—	17	सोदे खां	नूर मोहम्मद	3-4-80	2000.00
249.	मिल्क मेन कोलोनी	456	श्री दीने खां	श्री कानाराम	7-4-80	266.68
250.	प्रताप नगर–ए	35	लोदावत	लक्ष्मणसिंह	18-6-79	86.70
251.	—,,—	33	इण्डिया मोटर्स	जी. के. मोटर्स	19-10-79	10033.30
252.	—,,—	71	नेशनल मोटर्स	भूवरलाल वेल्डिंग वर्क्स	23-2-80	3666.70
253.	प्रताप नगर (एक्स.)	106	जीवनलाल	अब्दुल गफार	26-5-79	190.00
254.	—,,—	107	हिम्मतसिंह	श्रीमती मीना जैन	26-5-79	293.33
255.	प्रताप नगर से.–बी	34	सुरेशचन्द	हनुमान	26-9-79	2666.66
256.	—,,—	8	पुखराज	श्रीमती महादेवी	7-11-79	2666.86
257.	प्रताप नगर सेक्ट–बी	37	रणजीतसिंह	भवानीसिंह	31-10-79	353.35
258.	प्रताप नगर सेक्ट–बी	49	शान्तिरूप	श्रीमती शान्तिदेवी	20-9-79	4000.00
259.	प्रताप नगर सी–सेक्ट	38	सुराराम	भेराराम	23-7-79	1200.00
260.	—,,—	90	श्रीमती नारायणी	श्रीमती माध्याबाई	4-8-79	1200.00

1	2	3	4	5	6	7
261.	प्रताप नगर सेक्टर–सी	77	दुर्गासिंह	मुरलीधर	5-8-79	152.25
226.	—,,—	75	गोपालसिंह	धीराराम	17-9-79	1200.00
263.	—,,—	56	हीराखां	हरीराम	17-8-79	1200.00
264.	—,,—	40	रूपसिंह	शंकरलाल	21-4-79	1200.00
265.	—,,—	45	मदनलाल	गंगाराम	15-10-79	1200.00
266.	—,,—	35	बस्तीराम	भंवरलाल	28-4-79	1200.00
267.	—,,—	65	किशन	भोरीदेवी	23-4-80	1200.00
268.	प्रताप नगर–डी	26	पवन	जयपाल	31-1-79	1200.00
269.	—,,—	56	बसीरखान	बेनीगोपाल	16-3-79	1568.00
270.	—,,—	97	गंगाराम	जेठानन्द	28-7-79	1200.00
271.	—,,—	100	के. एस. राठौड़	श्रीमती आशादेवी	15-12-79	1200.00
272.	—,,—	16	बिरदसिंह	रामलाल	11-4-79	1200.00
273.	—,,—	49	मोतीसिंह	जानमोहम्मद	26-6-79	1200.00
274.	—,,—	25	जवानसिंह	सीतारामदास	8-11-79	1200.00
275.	—,,—	53	तेजसिंह	पुखराज	29-4-80	1200.00
276	प्रताप नगर–ई	120	श्रीमती चन्द्रादेवी	दुरहकुमार	11-1-79	1229.00

1	2	3	4	5	6	7
277.	प्रताप नगर—ई	47	बसुमल	हरीबाई	22-2-79	1200.00
278.	—,,—	131	पारवतीबाई	हीरानन्द	17-2-79	1200.00
279.	—,,—	52	जगन्नाथ संह	महेशचन्द्र	2-5-79	1200.00
280.	—,,—	110	नवलमल	मदनलाल	31-8-79	1200.00
281.	—,,—	81	भंवरलाल	श्रीमती देवी	28-12-79	200.00
282.	—,,—	66	श्यामसिंह	अमृतलाल	23-11-79	1200.00
283.	—,,—	67	रामूमल	दोलतराम	17-10-77	1200.00
284.	—,,—	88	चूहड़मल	जम्बूमल	14-10-77	1200.00
285.	—,,—	3	रामचन्द्र	रूकमा	5-2-79	2400.00
286.	—,,—	60	खियामल	नन्दकिशोर	7-5-80	215.20
287.	—,,—	22	धर्मसिंह	श्रीमती इन्द्रा	20-11-79	1200.00
288.	—,,—	8	श्रीमती स्नेहलता	झमनदास	18-10-79	1200.00
289.	—,,—	74	वलीराम	ललितकुमार	6-12-79	1200.00
290.	—,,—	53	घनश्याम	लक्ष्मणदास	25-1-80	200.00
291.	—,,—	11	प्रेमचन्द	मांगीलाल	26-2-79	1518.10
292.	—,,—	96	पुष्पलता	दिलीपकुमार	6-4-80	1568.60

1	2	3	4	5	6	7
293.	प्रताप नगर-ई	51	विबोमल	ताराबाई	21-4-80	1200.00
294.	प्रताप नगर एफ (कोम)	51	गम्भीरसिंह	झूम्मी	9-1-79	1200.00
395.	—,,—	22	रतन	कमला	8-3-79	346.70
296.	—,,—	21	गंगाराम	सुशीला	22-8-79	888.90
297.	प्रताप नगर–डी	34	सुरेशचन्द्]	हनुमानाराम	26-9-79	2666.66
298.	—,,—	21	बलवन्तराज	—	1-7-80	24-00
299.	—,,—	65	देवीसिंह	—	1-10-80	24.00
300.	रनिंग हाऊस	10	जगदीशचन्द	मंजूर अहमद	9-6-80	215.15
301.	ओ. बी. सी. टी.	12	महेन्द्र जैन	बाबूलाल	19-3-79	5576-55
302.	—,,—	21	जगदीश लाल	सत्यनारायण	30-1-80	1235.15
303.	—,,—	24	जशराज	कमला	1-2-79	7582.50
304.	—,,—	24	श्रीमती कमला पत्नी पोख·राम	गोपाल भाटर	8-4-80	7582.50
305.	मंगत की कोठी एक्स.	65	धर्म नारायण	सुलतानाराम	22-1-80	280.00
306.	—,,—	54	श्रीमती राजकंवर	श्री अर्जुनराम	18-12-79	209.25
307.	स्टेडियम सोर्टिंग सेन्टर	12	भवानीसिंह	श्रीमती नन्दकंवर	20-9-79	1666.60

1	2	3	4	5	6	7
308.	स्टेडियम सोपिंग सेन्टर	108	श्री समेरमल मेहता	अहमद अब्दुल जलीलखान	9-3-79	352.62
309.	—,,—	22	इशाक मोहम्मद	अब्दुल रहमान	1-3-77	2222.20
310.	—,,—	22	अब्दुल अहमद	मोहम्मद इस्माईल	30-8-79	107.48
311.	—,,—	126	प्रेमराज	श्रीमती सुमन	12-1-79	255.50
312.	—,,—	142	नारायण दास	मोहम्मद इस्माईल	11-8-78	255.50
313.	—,,—	143	जहूर अहमद	मोहम्मद इस्माईल	11-8-78	281.65
314.	सेक्शन नं. 7 मसूरिया	31	रामराज	श्रीमती शान्ति भण्डारी	7-12-79	122.00
315.	—,,—	46	श्रीमती पुष्पलता	सोमदत्त	26-11-79	413.00
316.	—,,—	2	कपूरचन्द	देवकीनन्दन	9-10-79	517.50
317.	—,,—	71	कृपालसिंह	भंवरसिंह	28-8-79	126.66
318.	—,,—	27	बी. एम. कोठारी	बीरबल	4-7-79	276.00
319.	—,,—	3	मूलचन्द	भगवतीदेवी	6-6-79	5000.00
320.	—,,—	4	कलसूम	एम. पी. शर्मा	15-11-78	584.37
321.	—,,—	114	सत्यनारायण	कैलाश नारायण	28-3-80	333.33
322.	—,,—	26	यू. आर. खिमसरा	बीरबल	30-4-80	344.00
323.	सेक्शन नं. 7 एक्स.	21	कमल	नीरधन	1-5-79	260.00

1	2	3	4	5	6	7
324.	सेक्शन नं. 7 एक्स.	55	सुरेन्द्रसिंह	गोविन्दप्रसाद व्यास	9-7-79	2606.67
325.	—,,—	91	चोथमल	श्रीमती चोथीदेवी	15-6-79	110.00
326.	—,,—	77	घनश्याम सिंह	भगवानसिंह	12-7-79	2666.66
327.	—,,—	76	के. एल. सरीन	शान्तिदेवी	21-9-79	195.00
328.	—,,—	105	गोविन्द	शकुन्तला	12-10-79	4000.00
329.	—,,—	31	लाल मोहम्मद	लक्ष्मीचन्द	28-11-79	4000.00
330.	—,,—	110	रामनारायण	उम्मेद मेडतिया	16-1-80	231.00
331.	—,,—	75	एच. एस. अमेता	किशनलाल	11-2-79	347.00
332.	—,,—	75	—	उहेबराज	11-12-79	347.60
333.	सेन्टर स्कूल स्कीम ई.	98	एल. पी. मिश्रा	रामस्वरूप	8-4-79	29.17
334.	सरदार क्लब	25	के. बी. भारद्वाज	के. के. सूद	24-4-80	4333.80
335.	मसूरिया 4—जी.	103	मदनलाल	त्रिलोकसिंह	25-5-78	4000.00
336.	—,,—	75	—	मन्जूबाई	—	4000.00
337.	—,,—	94	उत्तमचन्द	दुर्गादेवी	14-6-79	4000.00
338.	मसूरिया 4—जी. एक्स.	234	सबनखान	श्यामसिंह	1-2-80	220.00
339.	—,,—	98	माणकराज	पूनमचन्द	24-4-78	4000.00

1	2	3	4	5	6	7
340.	मसूरिया 4 जी. एक्स.	159	हनुमानसिंह	मोहम्मद इब्राहिम	27-9-78	4000.00
341.	—,,—	69	रूपसिंह	तख्तसिंह	7-11-78	4000.00
342.	—,,—	41	जसराज चोपड़ा	रघुनन्दन	18-1-79	4000.00
343.	—,,—	93	सजनराज	सनवलदास	17-1-79	4000.00
344.	—,,—	95	विजयसिंह	सायरा	30-1-79	4000.00
345.	जगत सागर	110	मेवाराम	नवरत्नमल	20-7-79	1000.00
346.	मसूरिया 4--जी	174	विरेन्द्रसिंह	पूनमचन्द	12-2-79	4500.00
347.	—,,—	34	ब्रजवल्लभ	पारसनमल	25-2-79	4000.00
348.	—,,—	127	छगनलाल	प्रतापमल	21-9-79	4000.00
349.	मसूरिया 4 जी एक्स	242	बदामीदेवी	संतोषकुमार	15-12-79	200.00
350.	—,,—	62	एस. के. बालानी	अगर दत्त व्यास	30-11-79	4000.00
351.	—,,—	238	प्रेमरूप	मोहनलाल	20-12-79	210.00
352.	—,,—	5	द्वारकानाथ	चन्दादेवी	17-3-77	200.00
353.	—,,—	53	मोहनलाल जोशी	मांगीलाल	15-1-79	4500.00
354.	—,,—	31	हीरालाल जोशी	लीलादेवी	15-6-78	4000.00

1	2	3	4	5	6	7
355.	बकत सागर	48	पोखराम	पुष्पा सारदा	21-2-80	2334.00
356.	—,,—	32--ए	रिखबचन्द	पूरणराम	11-5-79	996.10
357.	—,,—	126	मघराज	जगदीश	9-11-78	1000.00
358.	—,,—	21	बन्शीधर	कमला व्यास	27-7-77	493.00
359.	—,,—	125	बी. एल. लोहिया	सावित्री	15-9-79	502.50
360.	—,,—	41	हीरालाल	कन्हैयालाल	23-2-80	406.00

Extract from Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974

Rule : **17**:—Allotment of Residential plots at concsesional rates Procedure, categorise, driority, plot size, price recoveries etc:—

6. Resale of plot-condition thereof:—(a) A person who has been allotted a plot at concessional rates shall not transfer the plot before the expiry cf 10 years from the date of allotment and transfer after the expiry of 10 years shall be subject to such levy or impost as may be prescribed from time to time by the Government in this behalf.

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 222 की सूची

चिकित्सा संस्थाओं के मुख्यालय

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	ग्राम का नाम	मलेरिया संस्थानों के मुख्यालय क्र. सं. संस्था का नाम
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व ग्रामीण प. क. केन्द्र	कठूमर	1—प्रा. स्वा. केन्द्र कठूमर
2.	राजकीय चिकित्सालय	खेडली व वायतुकला	2—बडौदा कान
3.	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	खेडली	3— खेडली सेक्शन
4.	एडपोस्ट	गारु	4—मैथना सेक्शन
5.	उपकेन्द्र स्वास्थ्य	1—खोखर 2—नागला रूपा 3—माथुराहेड़ा 4—जडवाड़ा 5—हारोली 6—मसारी 7—मधेना	5—तसई सेक्शन 6—रोणीजा थान
6.	उप केन्द्र (परिवार कल्याण)	1—तसई 2—खोखरी 3—राणीधान 4—बडोत मेव	

———

जिला अलवर के कठूमर विधान सभा क्षेत्र के स्टाफ का विवरण

क्र. सं.	नाम पद	प्रा. स्वा. केन्द्र व ग्रा. प. क. केन्द्र कठूमर (ग्रा. प. के.)	राजकीय चिकि. खेडली (मातृ शि. क. केन्द्र)	राज. चिकि. वायतुकला	एडपोस्ट गारु	उप केन्द्र (स्वास्थ्य) खोखर	बागलहणा	माथुरा हेडा	जडवाड़ा	डेरोली	सारस	मथेना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	चिकित्सा अधिकारी	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	मेलनर्स श्रेणी-II	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
3.	एल. एच. वी.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	सेनेटरी इन्स्पेक्टर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	ए. एन. एम.	2	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	वाहन चालक	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	वरिष्ठ लिपिक	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	संगणक	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	बी. ई. ई.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	4	2	2	1 पार्ट-टाइम	1 पार्ट-टाइम	1 पार्ट-टाइम	1 पार्ट-टाइम	1 पार्ट-टाइम	1 पार्ट-टाइम	1 पार्ट-टाइम

1	2		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
11.	वेक्सीनेशन सुपरवाईजर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	वेक्सनेटर	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	मलेरिया इन्स्पेक्टर	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	मले. सर्वे. इन्स्पेक्टर	1	1 (बड़ोदा-वास) 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	मले. टेक्निशियन	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	मले. वर्कस	1	2 (हरदेव- सिहपुरा —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नर्स दाई	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग :	27	13	7	4	2	2	2	2	2	2	3

नोट :—रोणीजा थान को मलेरिया वर्कर अनुपस्थित

उप केन्द्र परिवार कल्याण	तसई	खोसरी	रानीथाना	बडदवा
ए. एन. एम.	1	1	1	1
प. क. स्वा. सहायक	1	1	1	1

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 227 के परिशिष्ट "अ" "ब" "स"

परिशिष्ट—"अ"

दिनांक 1-1-80 से 1-2-81 तक की अवधि में निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान-अजमेर के मुख्यालय से बाहर प्रवास के दिनों की सूची

क. सं.	यात्रा के दिनों की संख्या सरकारी कार्य से	निजी कार्य से : अवकाश आदि	प्रवास स्थान
1	2	3	4
1.	2	2	जयपुर
2.	3	—	,,
3.	5	—	,,
4.	1	—	बागसुरी, किराव
5.	1	1	जयपुर
6.	2	—	जयपुर
7.	1	—	टौंक
8.	5	—	जयपुर
9.	1	—	भीलवाड़ा
10.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं किशनगढ़ ।
11.	3	—	मांगलियावास, लीडी एवं अजमेर कार्यालय ।
12.	5	—	जयपुर
13.	5	—	जयपुर
14.	1	—	धींगपुर, रींगस, सीकर
15.	1	—	जयपुर
16.	1	—	पालपुरा, मोर

1	2	3	4
17.	1/2	—	महापुरा एवं अजमेर कार्यालय
18.	1	—	जयपुर
19.	2	—	फतेहपुर, बीकानेर
20.	3	1	जयपुर
21.	1/2	—	जयपुर एवं आधा दिन टौंक, ककोड़
22.	3	—	जयपुर
23.	2	—	देवली, राजमहल, गांडोली, जहाजपुर, सावर, केकड़ी
24.	2	—	जयपुर
25.	3	—	भीलवाड़ा, मेज, घोड़ल, टूंगा, गंगावर, देवरिया, कारोई, सांगानेर, बरकाखेड़ा, जोजवा, माण्डल, कोटूकोट, बनेड़ा, शाहपुरा, कनेछन, कोटरिया, गुलाबपुरा, शंभूगढ़
26.	3	1	जयपुर
27.	1	—	ब्यावर
28.	1	—	जयपुर
29.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं भिनाय
30.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं मदनगंज, दादिया
31.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं श्रीनगर

1	2	3	4
32.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं नसीराबाद, सरवाड़, पारा
33.	1	—	अजमेर एवं भीलवाड़ा
34.	1	—	,,
35.	2	—	जयपुर
36.	1	—	देवली, कोटा
37.	2	—	बीकानेर, जयपुर
38.	2	—	जयपुर
39.	2	—	जयपुर
40.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं किशनगढ़
41.	4	—	जयपुर
42.	1	—	कोटा
43.	2	1	जयपुर
44.	2	—	जयपुर
45.	1	—	जयपुर
46.	1	—	कोटा
47.	2	—	जयपुर
48.	3	—	जयपुर
49.	1	—	जयपुर
50.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं भीलवाड़ा
51.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं मकरेड़ा
52.	2	—	उदयपुर
53.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं कुचामन
54.	1	—	जयपुर

1	2	3	4
55.	1	—	भरतपुर
56.	—	2	जयपुर
57.	4	—	जयपुर
58.	1	—	किशनगढ़ एवं जयपुर
59.	2	—	जयपुर
60.	14	—	जयपुर
61.	1	—	उदयपुर
62.	1	—	जयपुर
63.	1	—	सीकर
64.	6	—	जयपुर
65.	3	—	जयपुर
66.	2	—	चूरू
67.	1	—	जयपुर
68.	3 दिन	—	जयपुर
69.	2	—	जयपुर
70.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं पुष्कर
71.	3	—	जयपुर
72.	3	—	जयपुर
73.	2	—	जयपुर
74.	2	—	अजमेर कार्यालय एवं जयपुर
75.	5	—	जयपुर
76.	4	—	जयपुर
77.	1	—	दिल्ली
78.	3	2	जयपुर
79.	2	—	जयपुर
80.	1	—	बीकानेर

1	2	3	4
81.	—	1	जयपुर
82.	5	—	जयपुर
83.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं जयपुर
84.	1	—	टोंक
85.	2	—	जयपुर
86.	2	—	जयपुर
87.	1	—	भीलवाड़ा, उदयपुर, सागवाड़ा, गलियाकोट कोलोनी, खडगदा, क्षीरेश्वर, उदयपुर, एकलिंग जी
88.	1	—	कांकरोली (उदयपुर से अजमेर यात्रा सम्पन्न एवं अजमेर कार्यालय)
89.	1	—	जयपुर
90.	1	—	दिल्ली
91.	1	—	जयपुर
92.	1	—	जयपुर
93.	1	—	सीकर, सरदारशहर, चूरू
94.	1	—	चूरू, खोटिया, रतननगर
95.	1	—	जयपुर
96.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं हटूण्डी
97.	1	—	सावर, शाहपुरा, बनेड़ा' भीलवाड़ा, माण्डल
98.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं ब्यावर

Page No. 337

337

1	2	3	4
99.	1	—	किशनगढ़ एवं अजमेर कार्यालय
100.	1	—	गंगापुर एवं अजमेर कार्यालय
101.	2	—	जयपुर
102.	1	—	सांजत रोड
103.	2	—	जयपुर
104.	1	—	सीकर एवं जयपुर
105.	1	—	जयपुर
106.	1	—	अजमेर एवं ब्यावर
107.	2	—	जयपुर
108.	2	—	जयपुर
109.	1	—	जयपुर
110.	1	—	हनुमानगढ़, किशनपुरा, नगराना
111.	1	—	गंगानगर, लालगढ़
112.	1	—	जयपुर, सीकर, झुन्झुनूं
113.	1	—	झुन्झुनूं, रतननगर
114.	1	—	खेजरोली, चिचाऊ
115.	1	—	जयपुर
116.	1	—	जयपुर
117.	1	—	जोधपुर
118.	2	—	जयपुर
119.	1	—	फतेहपुर
120.	1	—	जयपुर
121.	1	—	भरतपुर
122.	1	—	भूसावर एवं अजमेर कार्यालय

1	2	3	4
123.	2	—	जयपुर
124.	1	—	जयपुर
125.	1	—	जयपुर
126.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं मकराना
127.	2	—	जयपुर
128.	5	—	जयपुर
129.	1	—	अजमेर कार्यालय एवं जयपुर
130.	2	—	जयपुर
131.	1	—	कोटा, कोथून (टोंक), बूंदी, कैथून (कोटा)
132.	1	—	जयपुर
133.	2	—	जयपुर
134.	1	—	डूंगरपुर (वाया-भीलवाड़ा, उदयपुर) खेडगद,
135.	1	—	गलियाकोट, बांसवाड़ा, अजमेर
136.	2	—	जयपुर
137.	1	—	जयपुर, सीकर, ढोढसर रतनगढ़
138.	1	—	जयपुर
139.	4	11	जयपुर
140.	1	—	चन्दनाजी, अकबरपुरा, अलवर
141.	2	—	जयपुर
142.	1	—	उदयपुर
143.	2	1/2	जयपुर

————

परिशिष्ट "ब"

दिनांक 1-1-80 से 1-2-81 तक की अवधि में निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राज. अजमेर के मुख्यालय से बाहर प्रवास के दिनों की सूची (जयपुर यात्रा सम्बन्धी सूची)

क्र. सं.	प्रवास की अवधि (ड्यूटी एवं बीच में अवकाश उपभोग सहित)	सरकारी कार्य से (दिन)	निजी कार्य से (अवकाश)	यात्रा का प्रयोजन
1	2	3	4	5
1.	4-1-80 से 7-1-80 (4 दिन)	2	2	—केन्द्रीय प्रवर्तित, योजना के पद सृजन एवं गाड़ी क्रय सम्बन्धी कार्यवाही। —स्वास्थ्य सचिव से सिरोही उद्यान बाबत परामर्श। —5 एवं 6-1-80 का अवकाश।
2.	11-1-80 से 13-1-80 (3 दिन)	3	—	—होम्यो. टेण्डर की बैठक। —डी. पी. सी. की बैठक।
3.	16-1-80 से 20-1-80 (5 दिन)	5	—	—सचिवालय में डी. पी. सी. निर्णय पर कार्यवाही। —नियुक्ति एवं परिवर्तन आदेश जारी कराने के संदर्भ में। —17 एवं 18-1-80 को लक्ष्मी नारायणपुरी औषधालय की व्यवस्था हेतु। —सचिवालय में आवश्यक राजकीय कार्य।

1	2	3	4	5
4.	25-1-80 से 26-1-80 (2 दिन)	1	1	—धात्री/कल्पद की नियुक्ति एवं अल्पकालिक टेण्टर/दिनांक 26-1-80 को अवकाश (राजकीय अवकाश)।
5.	29-1-80 से 30-1-80 (2 दिन)	2	—	—इण्डियन मेडिसिन बोर्ड की बैठक। —पैथोलोजिस्ट चयन समिति की बैठक।
6.	3-2-80 से 7-2-80 (5 दिन)	5	—	—3-2-80 को आयुर्वेद मन्त्री महोदय से परामर्श। —4-2-80 को सचिव महोदय से धात्री/कल्पद प्रशिक्षण केन्द्र के संदर्भ में परामर्श। —5-2-80 को सचिवालय में प्रथम ग्रेड रूल्स में संशोधन एवं वनस्पति उद्यान की भूमि बाबत वार्ता। —6-2-80 को 244 (2) की पत्रावली पर परामर्श व प्लान की बैठक। —7-2-80 को डिपो से सप्लाई व्यवस्था के संदर्भ में।
7.	11-2-80 से 13-2-80 (3 दिन)	3	—	—11-2-80 को उपसचिव महोदय से परामर्श। —12-2-80 को प्लानिंग की बैठक। —13-2-80 को पे-क्लिनिक की बैठक।
8.	15-2-80 से 19-2-80 (5 दिन)	5	—	—15-2-80 से 16-2-80 धात्री-कल्पद ट्रेनिंग सेन्टर बाबत

1	2	3	4	5
				बैठक एवं गोपनीय प्रतिवेदन के संदर्भ में । —17-2-80 को तोपेखानादेश यूनानी (औषधालय) का निरीक्षण । —18-2-80 व 19-2-80 को उपसचिव से विभागीय मामलों के संदर्भ में परामर्श ।
9.	22-2-80 (1 दिन)	1	—	—जी. के. भट्ट के मामले में परामर्श एवं कार्यवाही ।
10.	26-2-80 (1 दिन)	1	—	—ओ. टी. एस. में लेक्चर एवं सचिवालय में राजकीय कार्य ।
11.	2-3-80 से 4-3-80 (3 दिन)	3	1	—2-3-80 को होली राजकीय अवकाश । —जी. के. भट्ट एवं गोपनीय प्रतिवेदन के क्रम में । —विभागीय प्रगति की बैठक (सचिव महोदय के कक्ष में) ।
12.	5-3-80 (1/2 दिन)	1/2	—	—टौंक, ककोड (टौंक) एवं जयपुर में आधा दिन पे-क्लिनिक की बैठक ।
13.	6-3-80 से 8-3-80 (3 दिन)	3	—	—6-3-80 को विभागीय कार्य एवं अनुदान की बैठक । —7-3-80 को अल्पकालिक निविदा । —8-3-80 को गोपनीय प्रतिवेदन के संदर्भ में ।

1	2	3	4	5
14.	10-3-80 से 11-3-80(2 दिन)	2	—	—औषध पुनर्भरण की बैठक। —होम्योपैथिक कॉलेज को अनुदान हेतु बैठक।
15.	16-3-80 से 19-3-80(4 दिन)	3	1	—16-3-80 को कल्पद/धात्री की बैठक। —17-3-80 को आकस्मिक अवकाश। —18-3-80 को उक्त बैठक की प्रोसीडिंग पर हस्ताक्षर करवाने एवं सम्बन्धित अन्य कार्यवाही। —अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए उप सचिव के यहां बैठक। एवं सी. एस. पी. ओ. (वित्त) के उप सचिव से परामर्श दिनांक 19-3-80 को ही।
16.	21-3-80 (1 दिन)	1	—	—स्टोर पर्चेज की बैठक।
17.	5-4-80 से 6-4-80 (2 दिन)	2	—	—आयुर्वेदिक औषधि के सहसमिति ड्रा बैंक के संदर्भ में। —सचिवालय में उप सचिव से विभागीय कार्यों के संदर्भ में परामर्श।
18.	14-4-80 (1 दिन) (सायंकालीन)	1/2	—	—जयपुर में सचिवालय में राज्य कार्य एवं उपसचिव से परामर्श (14-4-80 को सायंकालीन समय में)।
19.	17-4-80 से 18-4-80	2	—	—हकीम इन्चार्ज की डी. पी. सी. एवं सम्बन्धित कार्यवाही।

1	2	3	4	5
20.	20-4-80 से 21-4-80 (2 दिन)	2	—	—विभागीय चयन समिति की बैठक (20 को)। —धात्री-कल्पद चयन समिति की बैठक (21 को)।
21.	26-4-80 से 29-4-80 (4 दिन)	4	—	—उपनिदेशक कार्यालय में फर्नीचर सप्लाई सम्बन्धी। —डी.पी.सी. के संदर्भ में। —उपसचिव से परामर्श।
22.	3-5-80 से 5-5-80 (3 दिन)	2	1	—3-5-80 को शासन सचिव (वित्त) के कक्ष में बैठक। —4-5-80 को आकस्मिक अवकाश। —5-5-80 को उपभोक्ता भण्डार से क्रय के संदर्भ में बैठक।
23.	7-5-80 से 8-5-80 (2 दिन)	2	—	—प्लानिंग की बैठक 7 को। —सचिवालय में उक्त बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही एवं अन्य आवश्यक कार्य 8 को।
24.	14-5-80 (1 दिन)	1	—	—इण्डियन मेडिसिन बोर्ड की बैठक।
25.	20-5-80 से 21-5-80 (2 दिन)	2	—	—उपसचिव से परामर्श एवं विभागीय पेंडिंग कार्यों के संदर्भ में विचार विमर्श।
26.	23-5-80 से 25-5-80 (3 दिन)	3	—	— 23 को अल्पकालीन टेण्डर की बैठक।

1	2	3	4	5
				—24 को धात्री-कल्पद के वेतन स्तर के क्रम में । —25 को हकीम अमीन के पेन्शन केस के संदर्भ में ।
27.	2-6-80 (1 दिन)	1	—	—आयुर्वेदाचार्य के संदर्भ में पैंडिंग मामले पर उपसचिव से परामर्श ।
28.	12-6-80 (1 दिन)	1	—	—सचिवालय में विभागीय कार्यों के निपटारे के संदर्भ में ।
29.	14-6-80 से 15-6-80 (2 दिन)	—	2	—द्वितीय शनिवार एवं रविवार का अवकाश उपभोग ।
30.	17-6-80 से 20-6-80 (4 दिन)	4	—	—वरिष्ठता सूची के संदर्भ में उपसचिव से परामर्श । —आयोजना की बैठक । —कॉलेज की डी.पी.सी. के संदर्भ में उपसचिव (डीओपी) से विचार विमर्श ।
31.	23-6-80 (आधा दिन)	1/2	—	—किशनगढ़ एवं जयपुर (राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा सम्पादन कराने के संदर्भ में) ।
32.	24-6-80 से 26-6-80 (2 दिन)	2	—	—विभागीय कार्यों के संदर्भ में उपसचिव से परामर्श । —समन्वय समिति की बैठक ।
33.	27-6-80 से 30 6-80 (4 दिन)	4	—	—कॉलेज विंग की डी.पी.सी. के संदर्भ में कार्यवाही । —यूनानी तिब्बिया कॉलेज की बैठक में भाग लिया ।

1	2	3	4	5
34.	4-7-80 (1 दिन)	1	—	—वैद्य ग्रेड I के नियमों में संशोधन।
35.	6-7-80 से 11-7-80 (6 दिन)	6	—	—धात्री-कल्पद के मांग पत्र पर उपसचिव से परामर्श। —विभागीय मामलों पर मन्त्री महोदय से परामर्श। —विभागीय प्रगति व कार्य प्रणाली के संदर्भ में उपसचिव से परामर्श। —मन्त्री महोदय के निर्देशानुसार उनसे विभागीय मामलों में परामर्श।
36.	14-7-80 से 16-7-80 (3 दिन)	3	—	—हकीम ग्रेड I व होम्योपैथिक के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में। —विधान सभा प्रश्न। —धात्री-कल्पद प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर की ग्रेड के संदर्भ में। —प्रोफेसर-चिकित्सक विशेषज्ञ पोस्टिंग के संदर्भ में विचार विमर्श।
37.	19-7-80 (1 दिन)	1	—	—जयपुर सचिवालय में पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी बैठक।
38.	21-7-70 से 23-7-80 (3 दिन)	3	—	—निलम्बित कर्मचारियों के मामलों पर विचार-विमर्श। —जनरल टेण्डर की बैठक। —अन्य विभागीय कार्यों के संदर्भ में सचिवालय।

1	2	3	4	5
39.	24-7-80 से 25-7-80 (2 दिन)	2	—	—प्रेस कान्फ्रेन्स । —औषध सलाहकार समिति की बैठक ।
40.	19-7-80 से 31-7-80 (3 दिन)	3	—	—विधान सभा से सम्बन्धित कार्य । —सचिवालय में उपसचिव एवं आयुर्वेद मंत्री महोदय से बातचीत ।
41.	1-8-80 से 3-8-80 (3 दिन)	3	—	—टेक्निकल कमेटी की बैठक । —टेक्नि. कमेटी की बैठक एवं विधान सभा प्रश्न एवं वैद्य की ग्रेड के संदर्भ में । —मंत्री महोदय के चेम्बर में स्थानान्तारण संबंधी नीति पर विचार विमर्श ।
42.	5-8-80 से 6-8-80 (2 दिन)	2	—	—विभागीय जांच आयुक्त के यहां बाबूलाल के संदर्भ में तारीख । —कल्पद/धात्री के मांग पत्र पर विचार विमर्श (सचिव महोदय के कक्ष में ।) —वित्त सचिव के कक्ष में सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से क्रय करने के संदर्भ में बैठक ।
43.	7-8-80 से 8-8-80 (2 दिन)	11	...	—7-8-80 को अजमेर कार्यालय एवं रात्रि को मंत्री महोदय

1	2	3	4	5
				के निवास कर स्थानान्तरण सम्बन्धी । —8-8-80 को विधान सभा प्रश्न (स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में)। धात्री-कल्पद धरना सम्बन्धी मांग पर विचार विमर्श ।
44.	9-8-80 से 13-8-80 (5 दिन)	5	—	—9 को धात्री/कल्पद हड़ताल की माग के संदर्भ में स्थगन प्रस्ताव पर मंत्री महोदय के कक्ष में विचार विमर्श । —एवं सचिव महोदय से उपयुक्त के संदर्भ की टिप्पणी प्रस्तुत करने के संदर्भ में । —10 को विधान सभा प्रश्न (बीकानेर कॉलेज स्थगन संबंधी) । —11 को उप सचिव (वित्त) धात्री/कल्पद रूल्स के संदर्भ में विचार विमर्श । —विधान सभा प्रश्न, टेक्निकल कमेटी की बैठक । —विधान सभा प्रश्न (मंत्री महोदय से एप्रूवल) —12 को मंत्री महोदय के निवास पर विधान सभा स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में परामर्श एवं उनके निर्देशानुसार टिप्पणी तैयार करना । —धात्री/कल्पद आन्दोलन संबंधी बैठक । —मंत्री महोदय के कक्ष में । —सचिवालय में रात्रि को उपयुक्त संदर्भ की बैठक की कार्यवाही

1	2	3	4	5
				विवरण तैवार करवाना । —13 को 12 तारीख की बैठक का कार्यवाही वितरण तैयार कर सचिव महोदय से एप्रूवल प्राप्त कर समस्त सदस्यों के हस्ताक्षरित । —धात्री/कल्पद हड़ताल के संदर्भ में मंत्री महोदय से परामर्श ।
45.	16-8-80 से 19-8-80 (4 दिन)	4	—	—16 को विधान सभा कट मोशन्स की तैयारी । —मंत्री महोदय के निवास पर 8 बजे सायं परामर्श । — मंत्री महोदय के निवास पर विभागीय गतिविधियों के संदर्भ में नोट तैयार कर परामर्श । —17 को मंत्री महोदय के निवास पर विभागीय गतिविधियों के संदर्भ में प्रात: 6-30 बजे । -कटोती प्रस्ताव के संदर्भ में । —सायं 7 बजे मंत्री महोयय से विचार विमर्श । —18 को प्रात: 8 बजे कटोती प्रस्ताव के संदर्भ में सहायक शासन सचिव से परामर्श । —मंत्री महोदय से उपर्युक्त संदर्भ में विचार विमर्श । —विधान सभा में उपस्थित सायं 7-30 । —19 को जयपुर एवं सीकर (सायंकाल)

1	2	3	4	5
				– विधान सभा प्रश्न परामर्श । —औषध टेक्नि. कमेटी की बैठक । —विभिन्न विधायकों से बातचीत ।
46.	22-8-80 से 26-8-80 (5 दिन)	3	2	— 24 एवं 26 को राजकीय अवकाश का उपभोग । —22 को विधान सभा प्रश्न । —बम्बई यात्रा की शासन सचिव महोदय की मौखिक स्वीकृति के संदर्भ में बातचीत । — 23 को उपनिदेशक कार्यालय में स्थानान्तरण संबंधी मामले निबटाने के संदर्भ में । —अन्य प्रशासनिक एवं आफिसियल मामलों पर विचार विमर्श। —हरिनारायण शर्मा का जांच मामला । —25 को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में परीक्षा ।
47.	28-8-80 से 29-8-80 (2 दिन)	2	—	—28 को जनरल टेण्डर की बैठक उप सचिव के यहां । —29 को स्वास्थ्य सचिव के कक्ष में राजपूताना तिब्बिया कॉलेज संबंधी बैठक ।
48.	31-8-80 (1 दिन)	—	।	—रविवार ।

1	2	3	4	5
49.	2-9-80 से 6-9-80 (5 दिन)	5	—	—2 को धात्री/कल्पद सिनियोरिटी के संदर्भ में उपसचिव के यहां। —3 को पदों की एक्सटेन्शन के संदर्भ में। —4 को मंत्री महोदय के यहां वैद्य परिवर्तन के संदर्भ में विचार विमर्श (5 एवं 6-9-80 को भी इसी संदर्भ में)। —6 को सायंकालीन अजमेर कार्यालय।
50.	8-9-80 (1 दिन)	1/2	—	—अजमेर कार्यालय एवं जयपुर बी. एफ. सी. की बैठक।
51.	10-9-80 से 11-9-80 (2 दिन)	2	—	—10 को जयपुर स्टोर पर्चेज कमेटी की बैठक। —11 को योग प्रशिक्षण सम्बन्धी मंत्री महोदय से परामर्श। एवं रीजमल रिसर्च इन्स्टीट्यूट में 11 बजे साक्षात्कार।
52.	12-9-80 से 13-9-80 (2 दिन)	2	—	—12 को योग संबंधी मंत्री महोदय के कक्ष में बैठक। —13 को सायं 3 बजे उक्त बैठक पुनः।
53.	18-9-80 (1 दिन)	1	—	—सचिवालय में धात्री/कल्पद की मांगों के संदर्भ में।
54.	20-9-80 (1 दिन)	1	—	—सचिवालय में उप सचिव से धात्री/कल्पद मांगों के संदर्भ में विचार विमर्श।

1	2	3	4	5
55.	23-9-80 (1 दिन)	1	—	—समन्वय समिति की बैठक ।
56.	26-9-80 (1 दिन)	1	—	—मंत्री महोदय से विभागीय मामलों से उनके निर्देशानुसार परामर्श ।
57.	3-10-80 से 4-10-80 (2 दिन)	2	—	—3 को ट्रिब्यूनल केस के संदर्भ में (छात्री/कल्पद फर्जी सर्टिफिकेट) । —4 को सचिवालय में छात्री/कल्पद सर्टिफिकेट के संदर्भ में उप-सचिव से परामर्श । —किशनप्यारी के केस के संदर्भ में । —मन्त्री महोदय के निर्देशानुसार उनके निवास पर परामर्श ।
58.	6-10-80 से 7-10-80 (2 दिन)	2	—	—6 को समन्वय समिति की बैठक । —औषधालय खोलने सम्बन्धी मन्त्री महोदय से परामर्श । —7 को मन्त्री महोदय के निर्देशानुसार औषधालय खोलने सम्बन्धी प्रस्तावों पर निदेशक (चिकित्सा विभाग) से परामर्श ।
59.	8-10-80 (आधा दिन)	1/2	—	—सीकर एवं जयपुर में ट्राइबल एरिया के रिक्त पदों के संदर्भ में डवलपमेन्ट कमिश्नर से उनके कक्ष में वार्ता । —सचिव महोदय से वैद्य परिवर्तन के संदर्भ में परामर्श ।

1	2	3	4	5
60.	9-10-80 (1 दिन)	1	—	—अवतारसिंह बनाम राज्य सरकार कोर्ट केस के संदर्भ में सहायक शासन सचिव से परामर्श।
61.	13-10-80 से 14-10-80 (2 दिन)	2	—	—13 को बिधान सभा में कैरल विधान सभा की प्राक्कलन समिति से विचार विमर्श। —14 को समन्वय समिति की बैठक।
62.	16-10-80 से 17-10-80 (2 दिन)	2	—	—16 को औषधालय खोलने सम्बन्धी मन्त्री महोदय से परामर्श। —17 को नवीन औषधालय खोलने सम्बन्धी मन्त्री महोदय के साथ विचार विमर्श एवं अन्य विभागीय कार्य।
63.	21-10-80 (1 दिन)	1	—	—नवीन औषधालय खोलने सम्बन्धी मन्त्री महोदय से परामर्श।
64.	23-10-80 (आधा दिन)	1/2	—	—जयपुर में मन्त्री महोदय से औषधालय खोलने सम्बन्धी मन्त्री महोदय से परामर्श उनके निर्देशानुसार तदनन्तर सीकर एवं झुन्झुनू।
65.	27-10-80 (1 दिन)	1	—	—श्री मकवाना के आगमन पर सचिवालय में अधिकारियों की बैठक।

1	2	3	4	5
66.	29-10-80 (1 दिन)	1	—	—फोरेस्ट होटल में मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में औषधालय खोलने के संदर्भ में बैठक।
67.	31-10-80 से 1-11-80 (2 दिन)	2	—	—मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में औषधालय खोलने सम्बन्धी बैठक।
68.	3-11-80 (1 दिन)	1	—	—1-पश्चिम बंगाल की प्राक्कलन समिति की बैठक। —2-मन्त्री महोदय से अलवर डिपो सम्बन्धी बातचीत।
69.	10-11-80 से 11-11-80 (2 दिन)	2	—	—वैद्यों के योग प्रशिक्षण के संदर्भ में एवं 11 को इसी संदर्भ में परामर्शोपरान्त अजमेर कार्यालय भी।
70.	17-11-80 (1 दिन)	1	—	—जनरल टेण्डर की बैठक।
71.	21-11-80 (1 दिन)	1	—	—सचिवालय में आवश्यक परामर्श एवं कार्यवाही।
72.	26-11-80 से 27-11-80 (2 दिन)	2	—	—26 को होम्योपैथिक नियम सम्बन्धी कार्यवाही। —27 को धात्री/कल्पद की मांगों के संदर्भ में एवं अन्य कार्यवाही।
73.	30-11-80 से 4-12-80 (5 दिन)	5		—मन्त्री महोदय से औषधालय खोलने सम्बन्धी बैठक। —उपर्युक्त संदर्भ में 3-12-80 को उप मन्त्री श्री चौधरी एवं

1	2	3	4	5
				4 को उप सचिव से भी परामर्श । —4 को उपर्युक्त कार्यों के उपरान्त अजमेर कार्यालय ।
74.	7-12-80 (1 दिन)	1/2	—	—अजमेर कार्यालय एवं औषधालय खोलने सम्बन्धी ।
75.	8-12-80 से 9-12-80 (2 दिन)	2	—	—8 को औषधालय खोलने सम्बन्धी एवं गजेटियर्स के संदर्भ में । —9 को औषधालय खोले जाने सम्बन्धी चिकित्सा मन्त्री महोदय के यहां एवं योग प्रशिक्षण सम्बन्धी ।
76.	11-11-80 (1 दिन)	1	—	—योग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में ।
77.	12-12-80 से 13-12-80 (2 दिन)	2	—	—औषधालय खोलने सम्बन्धी माननीय मन्त्री महोदय से परामर्श ।
78.	19-12-80 से 20-12-80 (2 दिन)	2	-	—19 को उप सचिव के चेम्बर से बहुमूल्य औषधियों के परीक्षण की बैठक । —टी. ए. डी. औषधालय खोलने सम्बन्धी ट्राइबल कमिश्नर से विचार विमर्श । —उप सचिव के यहां उपवैद्यों की नियुक्ति की मेरिट के संदर्भ में । —प्रिन्सिपल उदयपुर के साथ वैद्यों (बाहर के स्टेट्स के) की नियुक्ति के संदर्भ में ।

1	2	3	4	5
				—20 को मुख्य मन्त्री महोदय के निवास पर पी.ए. से परामर्श । —टी. ए. डी औषधालय खोलने सम्बन्धी बैठक । —वैद्यों की मेरिट सम्बन्धी ।
79.	22-12-80 (1 दिन)	1	—	—जयपुर प्लानिंग की बैठक ।
80.	24-12-80 से 28-12-80 (5 दिन)	4	1	—24 को समन्वय समिति की बैठक एवं सचिव महोदय से परामर्श । —25 को छात्री-उपवैद्यों की मांगों के संदर्भ में । —26 को प्राचार्य पद की डी.पी.सी. एवं बहुमूल्य औषधियों की बैठक । —27 को औषधालय खोलने सम्बन्धी विचार विमर्श । —मुख्य मन्त्री महोदय के पी.ए. से आवश्यक परामर्श । —28 को रविवार ।
81.	1-2-80 से 2-3-80 (2 दिन)	1½	---	—1-1-81 को राज. गजेटियर्स में आयुर्वेद विभाग का लेख तैयार करने एवं उप सचिव व आयुर्वेद मन्त्री महोदय से विभागीय मामलों में परामर्श । —2-1-81 को गजेटियर्स के संदर्भ में निदेशक, गजेटयर्स के यहां कार्यवाही । एवं अजमेर का कार्यालय ।

1	2	3	4	5
82.	6-1-81 से 8-1-81 (3 दिन)	3	1/2	—6 को अर्द्ध अवकाश । —समन्वय समिति की बैठक के संदर्भ में (जनवरी प्रथम सप्ताह में गोपनीय प्रतिवेदन के मामले में) । —उपनिदेशक कार्यालय में जिला आयुर्वेद अधिकारी अलवर से वहां की मुख्य समस्याओं के संदर्भ में परामर्श । —झालावाड़ के कोर्ट केस के संदर्भ में । —7 को सचिवालय में गोपनीय प्रतिवेदनों के संदर्भ में । —उपवैद्यों के पदों के अपग्रेडेशन का मामला । —सचिव महोदय से रिक्त पदों के बारे में विचार विमर्श । —8 को महेन्द्रपालसिंह के बारे में पेशी । —सायं अजमेर के लिए रवाना) ।

नोट :—ये यात्राएं केवल निदेशक की हैसियत से न होकर उपनिदेशक, (मुख्यालय) एवं अतिरिक्त निदेशक की हैसियत से भी हुई हैं क्योंकि आलोच्य अवधि में पूर्ण समय तक उपनिदेशक व निदेशक दोनों पदों का चार्ज रहा है एवं 1-4-80 से 12-10-80 तक अतिरिक्त निदेशक का चार्ज होने से तीन पदों का चार्ज रहा है । इनकी पृथक् ड्यूटीज का निर्वाह करने के लिए वह यात्राएं की गई हैं । यदि तीनों पदों पर पृथक्-पृथक् व्यक्ति नियुक्त होते तो यह तीन भागों में विभक्त हो जाती ।

विभागाध्यक्ष समय-समय पर डी.पी.सी., विधान सभा प्रश्नों के उत्तर, कटौती प्रस्ताव, औषध क्रय टेण्डर, मंत्री महोदय से विचार विमर्श, परिवर्तन प्रस्ताव, औषधालय खोलने, परिवर्तन करने, विभिन्न बैठकों में भाग लेने, विभागीय विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श, एक वर्षीय एवं छठी पंचवर्षीय योजना आदि विभिन्न कार्यों के कारण जयपुर आना-जाना पड़ता है । इसमें इस सम्बन्धी सूचना नहीं रखी जाती है कि कब-कब किसके बुलाने पर जयपुर की यात्रा की गई । इसके साथ ही जितनी भी यात्राएं की जाती है वे तत्कालीन मन्त्री महोदय एवं सचिव महोदय के निर्देशानुसार की जाती रही हैं और जयपुर यात्रा के दौरान उनके ध्यान में भी लाया गया है ।

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न सं. 228 की सूची)

परिशिष्ट 1

शत प्रतिशत अनुदान पर कुओं को गहरा किए गये काश्तकारों की सूची
(कार्य अवधि दिनांक 23-2-81 तक)

तहसील प्रतापगढ़

प्रतापगढ़, पंचायत समिति

क्र. सं.	काश्तकार का नाम	ग्राम	किये गये कार्य की राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4
1.	श्री माना पिता तक्ता	हिगोरोया	852.00
2.	श्रीमती कुकड़ी पत्नी श्री हकरिया मीना	अम्बामाता	1,992.00
3.	श्री रामा पिता लाला	दलगू	1,608.00
4.	श्री ओंकारसिंह पिता देवामिना	हिगोरिया	684.00
5.	श्री चुन्नीलाल पिता लच्छीराम	अगवास	840.00
6.	श्री अमृतराम पिता हीरा	बंजरगढ़	1,992.00
7.	श्री भेरा पिता नानू	बगवास	1,320.00
कुल–7		योग	9,288.00

2. **अरनोद, पंचायत समिति—**

1.	श्री लम्बिया पिता बलिया	भूरी घाटी	492.00
2.	श्री मोत्या पिता हवजी	,,	516.00
3.	श्री जोरजी पिता भेरा मीना	लालगढ़	252.00
4.	श्री चमना पिता सरदारा मीना	अचलावदा	1,320.00

1	2	3	4
5.	श्री रावजी दिल हूरजी	मचलायो	1,344.00
6.	श्री फूलिया पिता गंगरा	रातड़िया	636.00
7.	श्री नाथू पिता चमना	महुखेड़ा	168.00
8.	श्री हुकरिया पिता राम	,,	336.00
9.	श्री रकमा पिता दौला	,,	312.00
10.	श्री नगजी पिता हेमता	,,	228.00
11.	श्री कारू पिता किशना	दिनाला	336.00
कुल–11		योग	5,940.00

महायोग–18

कुल योग रुपये 15,228.00

— — — —

परिशिष्ट--11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 229 की सूची)

राजकीय छात्रावास समाज कल्याण विभाग, मसूदा, विजयनगर, केकड़ी, पुष्कर एवं गंगवाना के लिए राशन सामग्री सप्लाई हेतु प्रस्तावित ठेकेदारों की दरें

क्र. सं.	नाम सामान	प्रस्तावित दर प्रति क्विंटल	सम्बन्धित व्यापारी का नाम
1	2	3	4
1.	आटा गेंहू सफेद	176.00	मैसर्स प्रहलादचन्द ईश्वरचन्द गंगवाना
2.	गेंहू सफेद	167.00	,, ,, ,,
3.	दाल मूंग छिलका	530.00	,, ,, ,,
4.	दाल उड़द	392.00	,, ,, ,,
5.	दाल तूअर	430.00	,, ,, ,,
6.	दाल चना	385.00	,, ,, ,,
7.	दाल मसूर	420.00	,, ,, ,,
8.	बेसन चने की दाल का	390.00	,, ,, ,,
9.	तेल मूंगफली	1280.00	,, ,, ,,
10.	तेल खोपरा	2150.00	,, ,, ,,
11.	मिर्च साबूत	1090.00	,, ,, ,,
12.	हल्दी साबूत	700.00	,, ,, ,,
13.	धनिया	800.00	,, ,, ,,
14.	जीरा साबूत	1490.00	,, ,, ,,
15.	लहसन	400.00	,, ,, ,,
16.	नमक पिसा हुआ	50.00	,, ,, ,,
17.	चना सिका हुआ	450.00	,, ,, ,,
18.	मूंगफली सिकी हुई	480.00	,, ,, ,,
19.	अमचूर पिसा हुआ	1000.00	,, ,, ,,

1	2	3	4
20.	लकड़ी जलाऊ पंचमेल	30.00	मैसर्स प्रहलाद चन्द्र ईश्वर चन्द गंगवाना
21.	लकड़ी जलाऊ बबूल	35.00	,, ,, ,,
22.	लकड़ी धोकड़ा	40.00	,, ,, ,,
23.	गुड़ देसी	400.00	,, ,, ,,
24.	आलू	190.00	,, ,, ,,
25.	माचिस	1.60	प्रति दर्जन ,, ,,
26.	प्याज	120.00	प्रति किलो ,, ,,
27.	लाइफ ब्वाय साबुन	23.00	प्रति दर्जन ,, ,,
28.	साबुन बहार 12, इन्ची	3.00	प्रति नग ,, ,,
29.	जनता साप नहाने का	1.20	प्रति नग ,, ,,
30.	अजवायन	500 00	प्रति क्विन्टल ,, ,,
31.	वनस्पति घी	1300.00	,, ,,
32.	हरी सब्जी मोसमानुसार		
	1. जुलाई से अक्टुबर	190.00	मैसर्स प्रहलादचन्द ईश्वरचन्द गंगवाना
	2. नवम्बर से फरवरी	195.00	मैसर्स राधेश्याम रमेशचन्द
	3. मार्च से जून	185.00	मैसर्स श्री निवास लोहिया

ह. जिला परिवीक्षा एवम् समाज
कल्याण अधिकारी, अजमेर

टैण्डर फार्म 5 रुपये कीमतन

खण्ड ख अजमेर में स्थित संस्थाओं के लिए (खाद्य सामग्री रक्षा धन 600/-) खण्ड क अजमेर शहर से बाहर छात्रावास व संस्थाओं के लिए (खाद्य सामग्री) रक्षा धन सन् 80-81 500/--

जिला परिवीक्षा एवम् समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर

मैंने आप द्वारा प्रकाशित टैण्डर की सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली हैं और समझ ली हैं, मुझे शर्तें स्वीकार हैं अतः मैं नीचे लिखी खण्ड की वस्तुओं के टैण्डर मय अर्नेस्ट मनी के चालान नं. दिनांक 24-6-80 के अनुसार जो कि रुपया 600 का है मैंने जमा करवाया है के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

टैण्डर छात्रावास, अजमेर व सभी अजमेर की संस्थाओं के लिए

क्र. सं.	नाम वस्तु मय क्वालिटी	दर अंकों में	दर शब्दों में
1	2	3	4
1.	सफेद गेहूं साफ	167/- प्र. कु.	एक सौ शडसट रुपये
2.	सफेद गेहूं का आटा	178/- ,,	एक सौ अठेत्तर रुपये
3.	लाल गेहूं साफ	165/- ,,	एक सौ पैंसठ
4.	लाल गेहूं का आटा	173/- ,,	एक सौ तहेत्तर रुपये
5.	कन्ट्रोल के अनाज की सफाई, दुलाई, बुनाई, पिसाई आदि पर व्यय	24/- ,,	चौबीस रुपये
6.	मक्का	×	
7.	मक्के का आटा	×	
8.	ज्वार	×	
9.	ज्वार का आटा	×	
10.	बाजरा	×	
11.	बाजरे का आटा	×	
12.	जौ साफ	×	
13.	जौ का आटा	×	

1	2	3	4
14.	मूंग की दाल छिलके वाली	565/- प्र. कु.	पांच सौ पैंसठ रुपये
15.	उड़द की दाल छिलके वाली	430/- ,,	चार सौ तीस रुपये
16.	तुअर की दाल	475/- ,,	चार सौ पिचेहत्तर
17.	चने की दाल	410/- ,,	चार सौ दस
18.	मसूर की दाल	460/- ,,	चार सौ साठ
19.	चना साबुत	330/- ,,	तीन सौ तीस
20.	लाल गेहूं की थैली	180/- ,,	एक सौ अस्सी
21.	चावल खिचड़ी	265/- ,,	दो सौ पैंसठ
22.	चना सिका हुआ	460/- ,,	चार सौ साठ
23.	तेल सरसों	14.25 प्रति किलो	चौदह रुपये 25 पैसे
24.	तेल मूंगफली	13.10 ,,	तेरह रुपये 10 पैसे
25.	तेल तिल्ली	14.00 ,,	चौदह रुपये
26.	तेल घासलेट	×	
27.	हल्दी साबुन	7.50 ,,	सात रुपये पचास पैसे
28.	धनिया साबुत	8.25 ,,	आठ रुपये 25 पैसे
29.	मिर्च लाल सूखी साबुत	12.50 ,,	बारह रुपये 50 पैसे
30.	मिर्च की पिसाई ढुलाई चार्ज	1.25 ,,	एक रुपये 25 पैसे
31.	नमक पिसा हुआ	0.55 ,,	पचपन पैसा
32.	जीरा साफ बढ़िया	16.00 ,,	सोलह रुपये
33.	लहसुन ,,	4.40 ,,	चार रुपये चालीस पैसे
34.	गुड़ देसी	4.25 ,,	चार रुपये पच्चीस पैसे
35.	जलाऊ लकड़ी बबूल	38.00/- प्र. कु.	अड़तीस रुपये
	,, धोकड़ा	45/- ,,	पैंतालीस रुपये
	,, पंचमेल	34/- ,,	चौंतीस रुपया मात्र
36.	डालडा घी खजूर छाप प्रति चार किलो का टीन (खाली टीन वापस)	×	
37.	वनस्पति घी चेतक, बीना, प्रभात (खाली टीन वापस)	13.25 प्रति किलो	तेरह रुपये 25 पैसे
38.	माचिस (घोड़ा, फूल व अन्य छाप)	1.80 प्रति दर्जन	एक रुपया अस्सी पैसा
39.	लाइफ ब्वाय साबुन	23.50 प्रति दर्जन	तेईस रुपया 50 पैसे

1	2	3	4
40.	कपड़े धोने का साबुन बार 12	3.10 प्रति बार	तीन रुपये 10 पैसे
41.	बेसन चने की दाल का	4.20 प्रति किलो	चार रुपया बीस पैसा
42.	शक्कर दानेदार कन्ट्रोल दर पर लाने की मजदूरी	30.00 प्र. क्वि.	तीस रुपया मात्र
43.	अमचूर	13/- प्रति किलो	तेरह रुपया
44.	अजवाईन	8.50 ,,	आठ रुपया पचास पैसा
45.	प्याज	2.20 ,,	दो रुपया बीस पैसा
46.	आलू	2.20 ,,	दो रुपया बीस पैसा
47.	मूंगफली सिकी हुई	5.25 ,,	पांच रुपया पच्चीस पैसा
48.	पिण्ड खजूर	7.50 ,,	सात रुपया पचास पैसा
49.	खोपरे का तेल	23/- प्रति किलो	तेईस रुपया
50.	जनता सोप साबुन नहाने का	1.50 ,,	एक रुपया पचास पैसा

नोट : —1. आटा अच्छी किस्म का छना हुआ बिना चापट का दिया जावेगा ।

2. डालडा व वनस्पति तेल के टीन वापस लूंगा ।

3. खाली टीनों की कीमत काट कर भाव दिया है ।

4. सप्लाई देते वक्त सील बन्द टीन में दूंगा और खाली टीन वापस लूंगा । तेल घासलेट की दर खाली डिब्बे की कीमत काटकर ही दी है ।

ह./- व्यापारी

ह./-

पता : रमेश ट्रेडिंग कम्पनी,
कल्याणपुरी, अजमेर,
दिनांक 24-6-80

364

टैण्डर फार्म 5/– रुपये कीमत

हस्ताक्षर
जिला परिवीक्षा एवम् समाज–
कल्याण अधिकारी, अजमेर
खण्ड--घ पोष

खण्ड--क अजमेर में स्थित संस्थाओं के लिए (खाद्य सामग्री) रक्षा 600/–
खण्ड–क अजमेर शहर से बाहर छात्रावास व संस्थाओं के लिए
(खाद्य सामग्री) रखा धन सत्र 1980-81 500/–

जिला परिवीक्षा एवं समज कल्याण अधिकारी, अजमेर

मैंने आप द्वारा प्रकाशित टैण्डर की सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली हैं और समझ ली हैं मुझे ये सभी शर्तें स्वीकार हैं। अत: ये नीचे लिखी हुई वस्तुओं की टैण्डर मय अर्नेस्ट मनि के चालान नम्बर.......... दिनांक 24-6-80 के अनुसार जो कि रुपया छ: सौ का है मैंने जमा कराया है के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। टैण्डर छात्रावास अजमेर व सभी अजमेर की संस्थाओं के लिए..............

क्र. सं.	नाम वस्तु मय क्वालिटी	दर अंक में	दर शब्दों में
1	2	3	
1.	सफेद गेहूं साफ	रु. 165	एक सौ पैंसठ रुपये
2.	सफेद गेहूं का आटा	रु. 175	एक सौ पिचहत्तर रुपये
3.	लाल गेहूं साफ	रु. 160	एक सौ साठ रुपये
4.	लाल गेहूं का आटा	रु. 170	एक सौ सत्तर रुपये
5.	कन्ट्रोल के अनाज की सफाई, ढुलाई, बिनाई, पिसाई आदि पर व्यय	रु. 20	बीस रुपये
6.	मक्का	रु. —×—	
7.	मक्का का आटा	रु. —×—	
8.	ज्वार	रु. —×—	
9.	ज्वार का आटा	रु. —×—	
10.	बाजरा	रु. —×—	
11.	बाजरे का आटा	रु. —×—	

1	2		3
12.	जौ साफ		रु. —×—
13.	जौ का आटा		रु. —×—
14.	मूंग की दाल छिलके वाली		रु. 550 पांच सौ पचास रुपये
15.	उड़द की दाल छिलके वाली		रु. 420 चार सौ बीस रुपये
16.	तूअर की दाल		रु. 470 चार सौ सत्तर रुपया
17.	चने की दाल		रु. 400 चार सौ रुपया
18.	मसूर की दाल		रु. 450 चार सौ पचास रुपया
19.	चना साबुत		रु. 320 तीन सौ बीस रुपया
20.	लाल गेहूं की थूली		रु. 170 एक सौ सत्तर रुपया
21.	चावल खिचड़ी		रु. 265 दो सौ पचपन रुपया
22.	चना सिका हुआ		रु. 450 चार सौ पचास रुपया
23.	तेल सरसों	प्रति किलो	रु. 14 चौदह रुपया
24.	तेल मूंगफली	,,	रु. 12.90 बारह रुपया नब्बे पैसे
25.	तेल तिल्ली	,,	रु. 13.50 तेरह रुपया पचास पैसे
26.	तेल घासलेट		रु. —×—
27.	हल्दी साबुत	,,	रु. 7 सात रुपया
28.	धनियां साबुत		रु. 8 आठ रुपया
29.	मिर्च लाल सूखी साबुत	प्रति किलो	12.00 बारह रुपया किलो
30.	मिर्च की पिसाई ढुलाई	,,	1.00 एक रुपया
31.	नमक पिसा हुआ	,,	.50 पचास पैसे प्र. कि.
32.	जीरा साफ बढ़िया	,,	15.00 पन्द्रह रु. किलो
33.	लहसुन बढ़िया	,,	4.00 चार रु किलो
34.	गुड देशी	,,	4.00 चार रु. किलो
35.	जलाऊ लकड़ी 1. बम्बूल	,,	35.00 प्र. कु. पैंतीस रु. कु.
	2. धोकड़ा	,,	40.00 प्र. कु. चालीस रु. कु.
	3. पंचमेल	,,	30.00 प्र. कु. तीस रु. कु.
36.	डालडा घी खजुर छाप प्रति चार किलो का टिन (खाली टीन वापस)		रु. —×—
37.	वनस्पति घी चेतक/बीना/प्रभात (खाली टिन वापस)		रु. 13 तेरह रु. प्रति किलो
38.	माचिस (घोड़ी/फूल व अन्य छाप		रु. 1.80 प्रति दर्जन एक रुपया अस्सी पैसे
39.	लाईफ बॉय साबुन		रु. 23 प्र. दर्जन तेईस रुपया

1	2	3	4
40.	कपड़े धोने का साबुन बार 12 इन्ची	रु. 3	प्र. बार तीन रु. प्र. बार
41.	बेसन चने की दाल का	रु. 4.10	प्र. कि. चार रुपया दस पैसे किलो
42.	शक्कर दाने दार कन्ट्रोल दर पर लाने की मजदूरी	रु. 00.25	पच्चीस पैसे प्रति कि.
43.	अमचूर	रु. 12	बाहर रुपये प्रति किलो
44.	अजवायन	रु. 8	आठ रुपये प्रति किलो
45.	प्याज	रु. 2	दो रुपये प्रति किलो
46.	आलू	रु. 2	दो रुपये प्रति किलो
47.	मूंगफली सिकी हुई	रु. 5	पांच रुपये प्रति किलो
48.	पिण्ड खजूर	रु. 7	सात रुपये प्रति किलो
49.	तेल खोपरे का	रु. 22	बाईस रुपये प्रति किलो
50.	जनता सोप साबुन	रु. 1.40	एक चालीस प्रति नग

नोट :—एक रुपया चालीस पैसे प्रति नग

नोट :—(1) आटा अच्छी किस्म का छना हुआ बिना चापड़ का दिया जावेगा ।

(2) डालडा वनस्पति के टिन वापस लूंगा । खाली टिनों की किमत काट कर भाव दिया है । सप्लाई देते वक्त सील बन्द टिन में दूंगा और खाली टिन वापस लूंगा । तेल घासलेट की दर खाली डिब्बों की किमत काट कर ही दी है ।

ह./– व्यापारी

पता : राधेश्याम रमेशचन्द्र
पड़ाव, अजमेर
दिनांक 24-6-80

——

टेण्डर फार्म रुपया किमतन

खण्ड क अजमेर में स्थित संस्थाओं के लिये (खाद्य सामग्री) रक्षा धन 600/-

खण्ड (क) अजमेर शहर से बाहर छात्रावास व संस्थाओं के लिये (खाद्य सामग्री) रक्षा धन सत्र 1980-81 रक्षा धन 500/-

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर

मैंने आप द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। मुझे सभी शर्त स्वीकार हैं अतः ये नीचे लिखी हुई खण्ड की वस्तुयें टेण्डर मय अर्नेस्ट मनि के चालान नम्बर……………दिनांक………………के अनुसार जो कि छः सौ रुपये का है मैंने जमा कराया है के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। टेण्डर अजमेर से बाहर सभी छात्रावासों के लिये……………………

क. सं.	नाम वस्तु मय क्वालिटी	दर अंकों में	शब्दों में
1.	2	3	
1.	सफेद गेहूं साफ	रु. 170 प्र. कु.	प्रति क्वि.
2.	सफेद गेहूं का आटा	रु. 177 प्र. कु.	,,
3.	लाल गेहूं साफ	रु. 170 ,,	,,
4.	लाल गेहूं का आटा	रु. 176 ,,	,,
5.	कन्ट्रोल के अनाज की सफाई, ढुलाई, बिनाई पिसाई आदि पर व्यय	रु. 176 ,,	,,
6.	मक्का	रु.	
7.	मक्के का आटा	रु.	
8.	ज्वार	रु.	
9.	ज्वार का आटा	रु.	
10.	बाजरा	रु.	
11.	बाजरे का आटा	रु.	
12.	जौ साफ	रु. 160 प्र. कु.	
13.	जौ का आटा	रु. 170 ,,	
14.	मूंग की दाल छिलके वाली	रु. 535 ,,	
15.	उड़द की दाल छिलके वाली	रु. 397 ,,	
16.	तुअर की दाल	रु. 445 ,,	

1	2	3
17.	चने की दाल	रु. 400 ,,
18.	मसूर की दाल	रु. 435 ,,
19.	चना साबुत	रु. 330 ,,
20.	लाल गेहूं की थूली	रु.
21.	चांवल खिचड़ी	रु. 260 प्र. कु.
22.	चना सिका हुआ	रु. 460 प्र. कु.
23.	तेल सरसों	रु. 14.50 प्र. कि.
24.	तेल मूंग फली	रु. 13 प्र. कि.
25.	तेल तिल्ली	रु. 13.90 प्र. कि.
26.	तेल घासलेट	रु.
27.	हल्दी साबुत	रु. 7.50 प्र. कि.
28.	धनियां साबुत	रु. 8.60 प्र. कि.
29.	मिर्च लाल सूखी साबुत	रु. 12.50 प्र. कि.
30.	मिर्च की पिसाई ढुलाई चार्ज	रु. 1.20 प्र. कि.
31.	नमक पिसा हुआ	रु. 50 पैसे प्र. कि.
32.	जीरा साफ बढ़िया	रु. 14.50 प्र. कि
33.	लहसन बढ़िया	रु. 4 प्र. कि
34.	गुड़ देशी	रु. 4.15 प्र. कि.
35.	जलाउ लकड़ी 1--बंबूल	रु. 35 प्र. कु.
	2--धोकड़ा	रु. 40 प्र. कु.
	3--पंचमेल	रु. 30 प्र. कु.
36.	डालडा घी खजूर छाप प्रति 4 कि. का टिन (खाली टिन वापस)	रु. प्रति चार किलो
37.	वनस्पति घी चेतक/बीना/प्रभात खाली टिन वापस	रु. 13 प्र. कि.
38.	माचिस (घोड़ा/फूल/अन्य छाप	रु. 1.80 प्रति दर्जन
39.	लाईफ ब्याय साबुन	रु. 23.10 प्रति दर्जन
40.	कपड़े धोने का साबुन बार 12 इन्ची	रु. 3.20 प्र. बार. (प्रति बार)
41.	बेसन चने की दाल का	रु. 4 प्र. कि.
42.	शक्कर दानेदार कन्ट्रोल दर पर लाने की मजदूरी	रु. 0.25 पैसे प्रति कि.
43.	अमचूर	रु. 12 प्र. कि.

1	2	3	4
44.	अजवायन	रु. 5 प्र. कि.	
45.	प्याज	रु. 1.25 प्र. कि.	
46.	आलू	रु. 1.90 प्र. कि.	
47.	मूंगफली सिकी हुई	रु. 5 प्र. कि.	
48.	पिण्ड खजूर	रु. 8 प्र. कि.	
49.	खोपरे का तेल	रु. 22 प्र. कि.	
50.	जनता सोप साबुन नहाने का	रु. 16 प्र. दर्जन	

नोट :—1. आटा अच्छी किस्म का छना हुआ बिना चापड़ का दिया जावेगा।

2. डालडा व वनस्पति तेल के टिन वापस लूंगा, खाली टिनों की किमत काट कर भाव दिया है। सप्लाई देते वक्त सील बन्द टिन में दूंगा और खाली टिन वापस लूंगा। तेल घासलेट की दर खाली डिब्बे की किमत काट कर ही दी है।

ह./-

हस्ताक्षर व्यापारी

पता : श्रद्धानन्द बाजार, ब्यावर

दिनांक 26-6-80

खण्ड "ब" पोषाहार सामग्री धरोहर राशि 500/– सत्र 80-81

मैंने आपके द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ लीं व समझ ली हैं, मुझे वे सभी शर्तें स्वीकार हैं। मैंने इस खण्ड की अर्नेस्ट मनी 500/– रु. चालान सं.…………दिनांक 24-6-80 द्वारा जमा करा दी है। मैं अपना टेण्डर अजमेर की नगर परिषद् क्षेत्र में सचालित अजमेर व अजमेर जिले के समस्त पोषाहार केन्द्र के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं :—

क्र. सं.	नाम वस्तु मय क्वालिटी	अंकों में दर	शब्दों में
1	2	3	4
1.	गुड़ देशी बढ़िया किस्म	440.00 रुपये	प्र. कु. 450.00
2.	नमक पिसा हुआ	60.00 रुपये	प्र. कु. 60.00
3.	लकड़ी फटी हुई		
	1. धोकड़ा	40.00 रुपये	प्र. कु. 40.00
	2. बबूल	35.00 रुपये	प्र. कु. 35.00
	3. पन्चमेल	30.00 रुपये	प्र. कु. 30.00
4.	अजवाईन	750.00 रुपये	प्र. कु. 750.00
		अजमेर नगर पालिका व अजमेर से बाहर सामान पोषाहार केन्द्रों पर।	

नोट :—नमक, गुड़, लकड़ी व अजवाईन को विभिन्न पोषाहार केन्द्रों तक पहुंचाने का अतिरिक्त व्यय नहीं दूंगा। सामान पहुंचाने की दर सामान की दरों से सम्मलित करके ही दरें अंकित की है।

एस. डी. /–
(परस राम)
हस्ताक्षर व्यापारी
पता : शिव शंकर लकड़ी का टाल
पुष्कर रोड, अजमेर
दिनांक 24-6-80

ह./- जिला परिवीक्षा एवम् समाज
कल्याण अधिकारी, अजमेर

टेण्डर फार्म 5 रुपया कीमतन

खण्ड ख हरी सब्जी धरोहर राशि 200/- सन् 80-81

खण्ड क की संस्थाओं के लिए (अजमेर के लिए धरोहर राशि 100/-)

खण्ड क की संस्थाओं के लिए (अजमेर से बाहर की संस्थाओं के लिए) 100/-

मैंने आपके द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। मुझे ये सभी शर्तें स्वीकार हैं अत: मैं नीचे लिखी खण्ड की वस्तुओं का टेण्डर मय अर्नेस्टमनी चालान संख्या दिनांक के अनुसार जो कि रुपया का है मैंने जमा करवाया है के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

टेण्डर छात्रावास/संस्था ब्यावर व अन्य छात्रावास

माह	नाम सब्जी	दर
1	2	3
माह जुलाई से अक्टूबर तक	1. भिण्डी, 2. टिण्डी, 3. तुरई, 4. ग्वार की फली, 5. ककड़ी, 6. काचस, 7. घीया, 8. हरा टमाटर, 9. लाल टमाटर, 10. बैंगन, 11. मटर, 12. अरबी, 13. आदि।	2.10 प्रति किलो
माह नवम्बर से फरवरी तक	1. मटर, 2. पालक, 3 मैथी, 4. चंदुलाई, 5. अदरक, 6. गाजर, 7. शलजम, 8. गोभी, 9. हरा धनिया, 10. करम-कल्ला, 11. बेगन, 12. कासी-फल, 13. मोगरी, 13. हरा टमाटर, 15. बथुआ, 16. मूली, 17. अरबी, 18. आदि।	2.00 प्रति किलो

1	2	3
माह मार्च से जून तक	1. तरककडी, 2. बेंगन, 3. हरा धनिया, 4. हरा टमाटर, 5. धीया, 6. पालक, 7. लिसोढा, 8. केरी, 9. करेला, 10. भिण्डी, 11. लाल टमाटर, 12. अरबी, 13. आदि।	1.85 प्रति किलो
6		

ह./- व्यापारी,
ह./- श्री निवास लोहिया,
पता: श्रद्धानन्द बाजार, ब्यावर

——————

ह/- जिला परिवीक्षा एवम्
समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर

टेण्डर फार्म 5 रुपये कीमतन

खण्ड ख हरी सब्जी धरोहर राशि 200/- सन् 80-81
खण्ड क की संस्थाओं के लिए (अजमेर के लिए धरोहर राशि 100/--)
खण्ड क की संस्थाओं के लिए (अजमेर से बाहर की संस्थाओं के लिए) 100/--

मैंने आपके द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। मुझे ये सभी शर्तें स्वीकार हैं अतः मैं नीचे लिखी खण्ड की वस्तुओं का टेण्डर मय अर्नेस्ट मनी का चालान संख्या दिनांक के अनुसार जो कि रुपया का है मैंने जमा कराया है के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

टेण्डर छात्रावास/संस्था, अजमेर के लिए सब्जी वर्ष 80-81

माह			नाम सब्जी	दर
1	2	3	4	5
माह जुलाई से अक्टूबर तक			1. भिण्डी, 2, टिण्डी, 3. तुरई, 4. ग्वार की फली, 5. ककड़ी, 6. काचरा, 7. घीया, 8. हरा टमाटर, 9. लाल टमाटर, 10. बैंगन, 11. मटर, 12. अरबी, 13. आदि।	2.20 प्रति किलो
माह नवम्बर से फरवरी तक			1. मटर, 2. पालक, 3. मैथी, 4. चंदुलाई, 5. अदरक, 6. गाजर, 7. शलजम, 8. गोभी, 9. हरा धनिया, 10. करमकल्ला, 11. बैंगन, 12. कासीफल, 13. मोगरी, 14. हरा टमाटर, 15. बथुआ, 16. मूली, 17. अरबी, 18. आदि।	2.25 प्रति किलो

Page No. 374

1	2	3
माह मार्च से जून तक	1. तरककड़ी, 2. बैंगन, 3. हरा धनिया, 4. हरा टमाटर, 5. धीया, 6. पालक, 7. लिसोढा, 8. कैरी, 9. करेला, 10. भिण्डी, 11. लाल टमाटर, 12. अरबी, 13. आदि।	2.20 प्रति किलो

ह./– व्यापारी

ह./– पता प्रहलादचन्द्र इन्द्रचन्द

गगवाना

— —·— —

ह./– जिला परिवीक्षा एवम्
समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर

टेण्डर फार्म 5 रुपये कीमत

खण्ड (ख) हरी सब्जी धरोहर राशि 200/– सन् 80-81
खण्ड (क) की संस्थाओं के लिए (अजमेर के लिए) धरोहर राशि 100/–
खण्ड (क) की संस्थाओं के लिए (अजमेर से बाहर की संस्थाओं के लिए) 100/–

मैंने आपके द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें पढ़ ली हैं और समझ ली हैं । मुझे यह सभी शर्तें स्वीकार हैं अतः मैं नीचे लिखे खण्ड की वस्तुओं का टेण्डर मय अर्नेस्ट मनी चालान संख्या दिनांक 24-6-80 के अनुसार जो कि रुपया का है मैंने जमा कराया है के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं ।

टेण्डर/छात्रावास/संस्था, अजमेर बाल संस्थाएं, सभी छात्रावास

माह	नाम सब्जी	दर
1	2	3
1. माह जुलाई से अक्टूबर तक	1. भिण्डी, 2. टिण्डी, 3. तुरई 4. ग्वार की फली, 5. ककड़ी, 6. काचर, 7. घीया, 8. हरा टमाटर, 9. लाल टमाटर, 10. बैंगन, 11. मटर, 12. अरवी, 13. आदि ।	2.20 प्रति किलो
2. माह नवम्बर से फरवरी तक	1. मटर, 2. पालक, 3. मेथी, 4. चंदलाई, 5. अदरक, 6. गाजर, 7. शलजम, 8. गोभी 9. हरा धनिया, 10. करम-कल्ला, 11. बैंगन, 12. काशी-फल, 13. मोगरी, 14. हरा टमाटर, 15. बथुआ, 16. मूली, 17. अरबी, 18. आदि ।	2.15 प्रति किलो

1	2	3
3. माह मार्च से जून तक	1. तरककड़ी, 2. बैंगन, 3. हरा धनिया, 4. हरा टमाटर, 5. घीया, 6. पालक, 7. लिसोड़ा, 8. कैरी, 9. करेला 10. भिण्डी, 11. लाल टमाटर, 12. अरवी, 13. आदि।	2.30 प्रति किलो

ह./-- व्यापारी
ह./-- चौथमल
पता : वास्ते चौथमल एण्ड सन्स,
अजमेर
दिनांक 26-6-80

ह./– जिला परिवीक्षा एवम्
समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर

टेण्डर फार्म 5 रुपया कीमत

खण्ड ख हरी सब्जी धरोहर राशि 200/– सन् 80-81

खण्ड क की संस्थाओं के लिए (अजमेर के लिए) धरोहर राशि 100/–

खण्ड क की संस्थाओं के लिए (अजमेर से बाहर) की संस्थाओं के लिए 100/–

मैंने आपके द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें पढ़ ली हैं मुझे ये शर्तें स्वीकार हैं अत: नीचे लिखी खण्ड की वस्तुओं का मैं अर्नेस्ट मनी चालान संख्या .... दिनांक...............के अनुसार जो कि रुपये ... . का है मैंने जमा करवाये हैं के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं :—

अजमेर से बाहर सभी संस्थाओं के लिए

टेण्डर छात्रावास/संस्था.....................

माह	नाम सब्जी	दर
1	2	3
1. माह जुलाई अक्टूबर तक	1. भिण्डी, 2. टिण्डी, 3. तुरई 4. ग्वार की फली, 5. ककड़ी, 6. काचस, 7. घीया, 8. हरा टमाटर, 9. लाल टमाटर, 10. बैंगन, 11. मटर, 12. अरवी, 13. आदि ।	1.90 प्रति किलो
माह नवम्बर से फरवरी तक	1. मटर, 2. पालक, 3. मेथी 4. चंदलाई, 5. अदरक, 6. गाजर, 7. शलजम, 8. गोभी, 9. हरा धनिया, 10. करम कल्ला, 11. बैंगन, 12. कासीफल 13. मोगरी, 14. हरा टमाटर, 15. बथुआ, 16. मूली, 17. अरबी, 18. आदि ।	2.00 प्रति किलो

1	2	3
माह मार्च से जून तक	1. तरककड़ी, 2. बैंगन, 3. हरा धनिया. 4. हरा टमाटर, 5. घीया 6. पालक, 7. लिसोड़ा, 8. कैरी, [9. करेला, 10. भिण्डी, 11. लाल टमाटर, 12. आदि।	4.90 प्रति किलो

ह./- व्यापारी

ह./-- प्रहलादचन्द्र

पता : प्रहलाद चन्द्र इन्द्र चन्द

गगवाना

———

ह/-

बाहर जिला परिवीक्षा एवम् समाज
कल्याण अधिकारी, अजमेर

टेण्डर फार्म 5 रुपये कीमत

खण्ड ख हरी सब्जी धरोहर राशि 200/- सन् 80-81

खण्ड क की संस्थाओं के लिए (अजमेर के लिए धरोहर राशि 100/-)

खण्ड क की संस्थाओं के लिए (अजमेर से बाहर की संस्थाओं के लिए) 100/-

मैंने आपके द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। मुझे ये सभी शर्तें स्वीकार हैं अतः मैं नीचे लिखी खण्ड की वस्तुओं के टेण्डर मय अर्नेस्ट मनी का चालान संख्या दिनांक के अनुसार जो कि रुपया का है मैंने जमा कराये हैं के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

टेण्डर छात्रावास/संस्था

माह	नाम सब्जी	दर
1	2	3
माह जुलाई से अक्टूबर तक	1. भिण्डी, 2, टिण्डी, 3. तुरई, 4. ग्वार की फली, 5. ककड़ी, 6. काचरा, 7. घीया, 8. हरा टमाटर, 9. लाल टमाटर, 10. बैंगन, 11. मटर, 12. अरबी, आदि।	2.00 प्रति किलो
माह नवम्बर से फरवरी तक	1. मटर, 2. पालक, 3. मैथी, 4. चंदुलाई, 5. अदरक, 6. गाजर, 7. शलजम, 8. गोभी, 9. हरा धनिया, 10. करमकल्ला, 11. बैंगन, 12. काशीफल, 13. मोगरी, 14. हरा टमाटर, 15. बथुआ, 16. मूली, 17. अरबी, आदि।	2.00 प्रति किलो अंकेन दो रुपया प्रति किलो

1	2	3
माह मार्च से जून तक	1. तरककड़ी, 2. बेंगन, 3. हरा धनिया, 4. हरा टमाटर, 5. घीया, 6. पालक, 7. लिसोड़ा, 8. कैरी, 9. करेला, 10. भिण्डी, 11. लाल टमाटर, 12. अरबी, आदि ।	2.50 प्रति किलो अंकेन दो रुपया पचास पैसे मात्र

ह./- व्यापारी,
ह./- नेमीचन्द, पता : सब्जी मर्चेन्ट
शास्त्री नगर, दुकान नं. अजमेर
दिनांक 24-6-80

————

ह./-

जिला परिवीक्षा एवम् समाज

कल्याण अधिकारी, अजमेर

टेण्डर फार्म 5 रुपया कीमत

खण्ड (ख) हरी सब्जी धरोहर राशि 200/- सन् 80-81 ।

खण्ड (क) की संस्थाओं के लिए (अजमेर के लिए) धरोहर राशि 100/-

खण्ड (क) की संस्थाओं के लिए (अजमेर से बाहर की संस्थाओं के लिए) 100/-

मैंने आपके द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें पढ़ ली हैं और समझ ली हैं । मुझे यह सभी शर्तें स्वीकार हैं अतः मैं नीचे लिखी वस्तुओं का खण्ड की वस्तुओं का मय अर्नेस्ट मनी चालान संख्या .... दिनांक........... के अनुसार जो कि रुपया........... का है मैंने जमा कराये हैं के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं :—

टेण्डर छात्रावास/संस्था.......................

माह	नाम सब्जी	दर
1	2	3
		प्रति किलो
जुलाई से अक्टूबर तक	1. भिण्डी, 2. टिण्डी, 3. तुरई, 4. ग्वार की फली, 5. ककड़ी, 6. काचस, 7. घीया, 8. हरा टमाटर, 9. लाल टमाटर, 10. बैंगन, 11. मटर, 12. अरबी, आदि ।	1.50 एक रुपया पचास पैसे प्रति किलो
माह नवम्बर से फरवरी तक	1. मटर, 2. पालक, 3. मेथी 4. चंदुलाई, 5. अदरक, 6. गाजर, 7. शलजम, 8. गोभी, 9. हरा धनिया, 10. करमकल्ला 11. बैंगन, 12. काशी फल, 13. मोगरी, 14. हरा टमाटर, 15. बथुआ, 16. मूली, 17. अरबी, 18. आदि ।	1.50 एक रुपया पचास पैसा प्रति किलो

1	2	3
माह मार्च से जून तक	1. तरककड़ी, 2. बैंगन, 3. हरा धनिया, 4. हरा टमाटर, 5. घीया, 6. पालक, 7. लिसोड़ा, 8. कैरी, 9. करेला, 10. भिण्डी, 11. लाल टमाटर, 12. अरबी, आदि ।	2.00 दो रुपया प्रति किलो

ह./– व्यापारी,
ह./– नेमीचन्द
पता : सब्जी मर्चेन्ट शास्त्री नगर,
दुकान नं. 6, अजमेर
दिनांक 24-6-80

———

टेण्डर फार्म 5/– रुपये कीमतन

हस्ताक्षर
जिला परिवीक्षा एवम् समाज
कल्याण, अधिकारी, अजमेर

खण्ड (क) अजमेर में स्थित संस्थाओं के लिए (खाद्य सामग्री) रक्षा धन 600/–

खण्ड (क) अजमेर शहर से बाहर छात्रावास और संस्थाओं के लिए (खाद्य सामग्री) रक्षा धन सन् 1980-81 500/–

जिला परिवीक्षा एवम् समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर

मैंने आप द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। मुझे ये सभी शर्तें स्वीकार हैं अत: मैं नीचे लिखी टेण्डर की वस्तुओं के अनुसार जो कि रुपया 600/– का है मैंने जमा कराया है के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

टेण्डर छात्रावास अजमेर की सभी संस्थाओं के लिए

क्र. संख्या	नाम वस्तु मय क्वालिटी	दर अंकों में	दर शब्दों में
1	2	3	4
1.	सफेद गेहूं साफ	रुपये 180.00	प्रति क्विन्टल एक सौ अस्सी रुपये मात्र
2.	सफेद गेहूं का आटा	,, 170.00	,, एक सौ सत्तर रुपये
3.	लाल गेहूं साफ	,, ×	
4.	लाल गेहूं का आटा	,, ×	
5.	कन्ट्रोल के अनाज की सफाई धुलाई बिनाई, पिसाई, आदि पर व्यय	,, 25.00	,, रुपये पच्चीस
6.	मक्का	,, ×	
7.	मक्का का आटा	,, ×	
8.	ज्वार	,, ×	
9.	ज्वार का आटा	,, ×	
10.	बाजरा	,, ×	
11.	बाजरे का आटा	,, ×	

384

1	2		3		4
12.	जौ साफ		×		
13.	जौ का आटा		×		
14.	मूंग की दाल छिलके वाली	रुपये	525.00	प्र. क्वि.	पांच सौ पच्चीस रुपये मात्र
15.	उड़द की दाल छिलके वाली	,,	390.00	,,	रुपये तीन सौ नव्बे मात्र
16.	तुअर की दाल	रुपये	435.00	,,	रुपये चार सौ पैंतीस मात्र
17.	चने की दाल	,,	380.00	,,	रुपये तीन सौ अस्सी मात्र
18.	मसूर की दाल	,,	425.00	,,	रुपये चार सौ पच्चीस मात्र
19.	चना साबुत	,,	300.00	,,	तीन सौ रुपये मात्र
20.	लाल गेहूं की थूली	,,	175.00	,,	एक सौ पिचहत्तर रुपये मात्र
21.	चावल खिचड़ी	,,	270.00	,,	दो सौ सत्तर रुपये मात्र
22.	चना सिका हुआ	,,	500.00	,,	रुपये पांच सौ मात्र
23.	तेल सरसों	,,	1500.00	,,	रुपये पन्द्रह सौ मात्र
24.	तेल मूंगफली	,,	1300.00	,,	रुपये तेरह सौ मात्र
25.	तेल तिल्ली	,,	1400.00	,,	रुपये चौदह सौ मात्र
26.	तेल घासलेट	,,	×		
27.	हल्दी साबुत	,,	800/–	,,	रुपये आठ सौ मात्र
28.	धनिया साबुत	,,	900/–	,,	रुपये नौ सौ मात्र
29.	मिर्च लाल सूखी साबुत	,,	1500/–	,,	रुपये पन्द्रह सौ मात्र
30.	मिर्च की पिसाई धुलाई चार्ज	,,	125/–	,,	रुपये एक सौ पच्चीस मात्र
31.	नमक पिसा हुआ	,,	60/–	,,	रुपया साठ रुपये मात्र
32.	जीरा साफ बढ़िया	,,	20/–	,,	रुपया बीस मात्र
33.	लहसुन	,,	390/–	,,	रुपये तीन सौ नव्बे मात्र
34.	गुड़ देशी	,,	450/–	,,	रुपये चार सौ पचास
35.	जलाऊ लकड़ी 1—बबूल	,,	40.00	,,	रुपये चालीस मात्र
	2—धौकड़ा	,,	45.00	,,	रुपये पैंतालीस मात्र
	3—पंचमेल	,,	35.00	,,	रुपये पैंतीस मात्र
36.	डालडा घी खजुर छाप प्रति चार किलो का टीन (खाली टिन वापस)	,,	×		
37.	वनस्पति घी चेतक/बीना/प्रभात (खाली टिन वापिस)	,,	1350.00	,,	रुपये तेरह सौ पचास मात्र
38.	माचिस, घोड़ाफूल व अन्य छाप	,,	2/–	प्रति दर्जन	रुपये दो मात्र

1	2	3	4
39.	लाइफ ब्वाय साबुन	रुपये 24/–प्रति दर्जन	रुपये चौबीस प्रति दर्जन
40.	कपड़े धोने का साबुन बार (12 इन्ची)	,, 3/–प्रति बार	रुपये तीन प्रति बार
41.	बेसन चने की दाल का	,, 400/–प्रति क्विन्टल	रुपये चार सौ मात्र
42.	शक्कर दानेदार कन्ट्रोल दर पर लाने की मजदूरी	,, 30/–प्रति क्विन्टल	तीस रुपये मात्र
43.	अमचूर	,, 13/– ,,	तेरह मात्र
44.	अजवाईन	,, 700/– ,,	रुपये सात सौ मात्र
45.	प्याज	,, 100/– ,,	रुपये एक सौ मात्र
46.	आलू	,, 190/– ,,	रुपये एक सौ नब्बे मात्र
47.	मूंगफली सिकी हुई	,, 600/– ,,	रुपये छः सौ मात्र
48.	पिण्ड खजूर	,, 800/– ,,	रुपये आठ सौ मात्र
49.	खोपरे का तेल	,, 2300/– ,,	रुपये तेईस सौ मात्र
50.	जनता सोप साबुन नहाने का	,, 1.50	प्रति नग एक रुपया पचास पैसे प्रति नग

नोट :—1-आटा अच्छी किस्म का छना हुआ बिना चापट का दिया जावेगा।

2–डालडा व वनस्पति तेल की टिन वापस लूंगा। खाली टिनों की कीमत काट कर भाव दिया है। सप्लाई देते वक्त सील बन्द टीन में दूंगा।

ह० व्यापारी चौथमल

(390)

टैण्डर फार्म रुपया कीमतन

खण्ड क अजमेर में स्थित संस्थाओं के लिये (खाद्य सामग्री) रक्षा धन 600/-

खण्ड (क) अजमेर शहर से बाहर छात्रावास व संस्थाओं के लिये (खाद्य सामग्री) रक्षा धन सत्र 1980-81 रक्षा धन 500/-

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर

मैंने आप द्वारा प्रकाशित टैण्डर की सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं अतः ये नीचे लिखी हुई खण्ड की वस्तुओं के अनुसार टैण्डर मय अर्नेस्ट मनी के चालान नम्बर……………दिनांक……………के अनुसार जो कि कृपया 600 का है मैंने जमा कराया है के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

टैण्डर छात्रावास ब्यावर के लिये………………………………

क. सं.	नाम वस्तु मय क्वालिटी	अंकों में दर		शब्दों में
1	2	3		4
1.	सफेद गेहूं साफ	रु. 167 प्र. क्वि.	प्रति कि.	एक सौ
2.	सफेद गेहूं का आटा	रु. 176 ,,	,,	,,
3.	लाल गेहूं साफ	रु. 165 ,,	,,	,,
4.	लाल गेहूं का आटा	रु. 174 ,,	,,	,,
5.	कन्ट्रोल के अनाज की सफाई, ढुलाई, बिनाई पिसाई आदि पर व्यय	रु. 15 ,,	,,	,,
6.	मक्का	रु.		
7.	मक्की का आटा	रु.		
8.	ज्वार	रु.		
9.	ज्वार का आटा	रु.		
10.	बाजरा	रु.		
11.	बाजरे का आटा	रु.		
12.	जौ साफ	रु. 150 प्र. क्वि.	,,	,,
13.	जौ का आटा	रु. 160 ,,	,,	,,
14.	मूंग की दाल छिलके वाली	रु. 530 ,,	,,	,,
15.	उड़द की दाल छिलके वाली	रु. 392 ,,	,,	,,
16.	तुअर की दाल	रु. 437 ,,	,,	,,

1	2	3	4
17.	चने की दाल	रु. 390 प्र. क्वि. प्रति कि.	एक सौ
18.	मसूर की दाल	रु. 425 ,, ,,	,,
19.	चना साबुत	रु. 322 ,, ,,	,,
20.	लाल गेहूं की थूली	रु. 190 ,, ,,	,,
21.	चांवल खिचड़ी	रु. 250 प्र. क्वि. ,,	,,
22.	चना सिका हुआ	रु. 450 प्र. क्वि. ,,	,,
23.	तेल सरसों	रु. 14 प्र. कि. ,,	,,
24.	तेल मूंग फली	रु. 12.90 प्र. कि. ,,	,,
25.	तेल तिल्ली	रु. 13.50 प्र. कि. ,,	,,
26.	तेल घासलेट	रु.	
27.	हल्दी साबुत	रु. 7 प्र. कि. ,,	,,
28.	धनियां साबुत	रु. 8 प्र. कि. ,,	,,
29.	मिर्च लाल सूखी साबुत	रु. 11 प्र. कि. ,,	,,
30.	मिर्च की पिसाई, ढुलाई चार्ज	रु. 2 प्र. कि. ,,	,,
31.	नमक पिसा हुआ	50 पैसे प्र. कि. ,,	,,
32.	जीरा साफ बढ़िया	रु. 15 प्र. कि ,,	,,
33.	लहसन बढ़िया	रु. 4 प्र. कि ,,	,,
34.	गुड़	रु. 4.15 प्र. कि.	
35.	जलाऊ लकड़ी 1—बंबूल	रु. 35 प्र. क्वि.	
	2—धोकड़ा	रु. 40 प्र. क्वि.	
	3—पंचमेल	रु. 30 प्र. क्वि.	
36.	डालडा घी खजूर छाप प्रति 4 कि. का टिन (खाली टिन वापस)	रु. 13 प्र. कि.	
37.	वनस्पति घी चेतक/बीना/प्रभात (खाली टिन वापस)	रु. 13 प्र. कि.	
38.	माचिस (घोड़ा/फूल/अन्य छाप	रु. 1.60 प्रति दर्जन	
39.	लाइफ ब्याय साबुन	रु. 23 प्रति दर्जन	
40.	कपड़े धोने का साबुन बार 12 इन्ची	रु. 3	
41.	बेसन चने की दाल का	रु. 4 प्र. कि.	
42.	शक्कर दाने दार कन्ट्रोल दर पर लाने की मजदूरी	रु. 123 ,,	

1	2	3	4
43.	अमचूर	रु. 11 प्रति किलो	
44.	अजवाइन	रु. 5 ,,	
45.	प्याज	रु. 1.20 ,,	
46.	आलू	रु. 1.90 ,,	
47.	मूंगफली सिकी हुई	रु. 4.90 ,,	
48.	पिण्ड खजूर	रु. 7 ,,	
49.	खोपरे का तेल	रु. 22 ,,	
50.	जनता सोप साबुन नहाने का	रु. 1.60 प्र. नग प्रति दर्जन 61 रु.	

नोट :—(1) आटा अच्छी किस्म का छाना हुआ बिना चापड़ का दिया जावेगा ।

(2) डालडा वनस्पति के टिन वापस लूंगा । खाली टिनों की किमत काट कर भाव दिया है । सप्लाई देते वक्त सील बन्द टिन दूंगा और खाली टिन वापस लूंगा । तेल घासलेट की दर खाली डिब्बों की किमत काट कर ही दी है ।

ह./– व्यापारी

पता : श्री निवास लोहीया

श्रद्धानन्द बाजार, ब्यावर

दिनांक 24-6-80

———

ह. जिला परिवीक्षा एवम्
समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर

टेण्डर फार्म 5 रुपये कीमतन

खण्ड क अजमेर में स्थित संस्थाओं के लिए (खाद्य सामग्री सुरक्षा धन 600/-) खण्ड (क) अजमेर शहर से बाहर-छात्रावास व संस्थाओं के लिए (खाद्य सामग्री) रक्षा धन सन् 80-81 रुपये 500/--

जिला परिवीक्षा एवम् समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर

मैंने आप द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली हैं और समझ ली हैं, मुझे ये सभी शर्तें स्वीकार हैं अतः मैं नीचे लिखी वस्तुओं के टेण्डर मय अर्नेस्ट मनी के चालान नं. दिनांक -6-80 के अनुसार जो कि रुपया 600 का है मैंने जमा करवाया है के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

टेण्डर छात्रावास, अजमेर के बाहर सभी अजमेर की संस्थाओं के लिए

क. सं.	नाम वस्तु मय क्वालिटी	दर अंकों में	दर शब्दों में
1	2	3	4
1.	सफेद गेहूं साफ	रुपये 167/- प्र. क्विन्टल	
2.	सफेद गेहूं का आटा	,, 176/- ,,	
3.	लाल गेहूं साफ	,, 167/- ,,	
4.	लाल गेहूं का आटा	,, 174/- ,,	
5.	कन्ट्रोल के अनाज की सफाई, ढुलाई, बुनाई, पिसाई आदि पर व्यय	,, 15/- ,,	
6.	मक्का	×	
7.	मक्का का आटा	×	
8.	ज्वार	×	
9.	ज्वार का आटा	×	
10.	बाजरा	×	
11.	बाजरे का आटा	×	
12.	जौ साफ	150/- ,,	
13.	जौ का आटा	165/- ,,	

1	2	3	4
14.	मूंग की दाल छिलके वाली	530/- प्र. क्वि.	
15.	उड़द की दाल छिलके वाली	392/- ,,	
16.	तुअर की दाल	430/- ,,	
17.	चने की दाल	385/- ,,	
18.	मसूर की दाल	420/- ,,	
19.	चना साबुत	322/- ,,	
20.	लाल गेहूं की थूली	190/- ,,	
21.	चावल खिचड़ी	250/- ,,	
22.	चना सिका हुआ	450/- ,,	
23.	तेल सरसों का	13.90 प्रति किलो	
24.	तेल मूंगफली	12.80 ,,	
25.	तेल तिल्ली	13.50 ,,	
26.	तेल घासलेट	×	
27.	हल्दी साबुन	7.00 ,,	
28.	धनिया साबुत	8.00 ,,	
29.	मिर्च लाल सूखी साबुत	10.90 ,,	
30.	मिर्च की पिसाई ढुलाई चार्ज	1.00 ,,	
31.	नमक पिसा हुआ	50 पैसा ,,	
32.	जीरा साफ बढ़िया	14.90 ,,	
33.	लहसन बढ़िया	4.00 ,,	
34.	गुड़ देशी	4/- ,,	
35.	जलाऊ लकड़ी बबूल	35/- प्र. क्वि.	
	,, धोकड़ा	40/- ,,	
	,, पंचमेल	30/- ,,	
36.	डालडा घी खजूर छाप प्रति चार किलो का टिन (खाली टिन वापस)	×	
37.	वनस्पति घी चेतक, बीना, प्रभात (खाली टिन वापस)	13/- प्रति किलो	
38.	माचिस (घोड़ा, फूल व अन्य छाप)	1.60 प्रति दर्जन	
39.	लाइफ ब्वाय साबुन	23/- प्रति दर्जन	

1	2	3	4
40.	कपड़े धोने का साबुन बार 12	3/-- प्रति बार	
41.	बेसन चने की दाल का	3.90 प्रति किलो	
42.	शक्कर दानेदार कन्ट्रोल दर पर लाने की मजदूरी	25/-- प्र. क्वि.	
43.	अमचूर	10/-- प्रति किलो	
44.	अजवाइन	5/-- ,,	
45.	प्याज	1.20 ,,	
46.	आलू	1.90 ,,	
47.	मूंगफली सिकी हुई	4.80 ,,	
48.	पिण्ड खजूर	6.90 ,,	
49.	खोपरे का तेल	21.50 प्रति किलो	
50.	जनता सोप साबुन नहाने का	×	

नोट :—1. आटा अच्छी किस्म का छना हुआ बिना चापट का दिया जावेगा।

2. डालडा व वनस्पति तेल के टिन वापस लूंगा।

3. खाली टिनों की कीमत काट कर भाव दिया है।

4. सप्लाई देते वक्त सील बन्द टीन में दूंगा और खाली टीन वापस लूंगा। तेल घासलेट की दर खाली डिब्बे की कीमत काटकर ही दी है।

ह./– व्यापारी

ह./–

पता : प्रहलाद चन्द्र इन्द्रचन्द गगवाना

दिनांक 24-6-80

(3??)

टेण्डर फार्म 5/- रुपये कीमत

हस्ताक्षर
जिला परिवीक्षा एवम्
समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर.

खण्ड--क अजमेर में स्थित संस्थाओं के लिए (खाद्य सामग्री) रक्षा धन 600/-
खण्ड--क अजमेर शहर से बाहर छात्रावास व संस्थाओं के लिए
(खाद्य सामग्री) रखा धन सन् 1980-81 500/-

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर

मैंने आप द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली हैं और समझ ली हैं मुझे ये सभी शर्तें स्वीकार हैं। अतः ये नीचे लिखी हुई वस्तुओं के टेण्डर व मय अर्नेस्ट मनी के चालान नम्बर...... ... दिनांक के अनुसार जो कि रुपया 600 का है मैंने जमा कराया है के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

टेण्डर छात्रावास/समस्त छात्रावासों के लिए अजमेर के बाहर

क्र. सं.	नाम वस्तु मय क्वालिटी	दर अंकों में	दर शब्दों में
1	2	3	
1.	सफेद गेहूं साफ	रु. 176.00 प्र.क्वि.	रुपये एक सौ छियेत्तर
2.	सफेद गेहूं का आटा	रु. 190.00 ,,	
3.	लाल गेहूं साफ	रु. 165.00 ,,	
4.	लाल गेहूं का आटा	रु. 170.00 ,,	
5.	कन्ट्रोल के अनाज की सफाई, ढुलाई, बिनाई, पिसाई आदि पर व्यय	रु. 17.00 ,,	
6.	मक्का	रु. —×—	
7.	मक्का का आटा	रु. —×—	
8.	ज्वार	रु. —×—	
9.	ज्वार का आटा	रु. —×—	
10.	बाजरा	रु. —×—	
11.	बाजरे का आटा	रु. —×—	

1	2	3
12.	जौ साफ	रु. 150.00 प्र. क्वि.
13.	जौ का आटा	रु. 165.00 ,, रुपये एक सौ पैंसठ
14.	मूंग की दाल छिलके वाली	रु. 550.00 ,, रुपये
15.	उड़द की दाल छिलके वाली	रु. 460.00 ,,
16.	तूअर की दाल	रु. 475.00 ,,
17.	चने की दाल	रु. 450.00 ,,
18	मसूर की दाल	रु. 500.00 ,,
19.	चना साबुत	रु. 400.00 ,,
20.	लाल गेहूं की थूली	रु. 190.00 ,,
21.	चावल खिचड़ी	रु. 260.00 ,,
22.	चना सिका हुआ	रु. 490.00 ,,
23.	तेल सरसों	रु. 1400.00 ,,
24.	तेल मूंगफली	रु. 1290.00 ,,
25.	तेल तिल्ली	रु. 1400.00 ,,
26.	तेल घासलेट	रु. —×—
27.	हल्दी साबुत	रु. 750.00 ,,
28.	धनियां साबुत	रु. 8.50 प्रति किलो
29.	मिर्च लाल सूखी साबुत	1300/-- प्रति क्वि.
30.	मिर्च की पिसाई ढुलाई	100/-- ,,
31.	नमक पिसा हुआ	150/-- ,,
32.	जीरा साफ बढ़िया	1500/-- ,,
33.	लहसुन बढ़िया	400/-- ,,
34.	गुड़ देशी	420/-- ,,
35.	जलाऊ लकड़ी 1. बम्बूल	35/-- प्र. क्वि.
	2. धोकड़ा	40/-- प्र. क्वि.
	3. पंचमेल	30/-- प्र. क्वि.
36.	डालडा घी खजुर छाप प्रति चार किलो का टिन (खाली टिन वापस)	रु. 13/-- प्रति किलो
37.	वनस्पति घी चेतक/वीना/प्रभात (खाली टिन वापस)	—×—
38.	माचिस (घोड़ी/फूल व अन्य छाप)	1.80 प्रति दर्जन
39.	लाइफ ब्वॉय साबुन	23.20 ,,

1	2	3	4
40.	कपड़े धोने का साबुन बार 12 इन्ची	रु. 3.25 प्रति बार	
41.	बेसन चने की दाल का	रु. 400.00 प्र. क्वि.	
42.	शक्कर दानेदार कन्ट्रोल दर पर लाने की मजदूरी	रु. 0.25 पैसे प्रति क्वि.	
43.	अमचूर	रु. 1200.00 प्र. क्वि.	
44.	अजवाइन	रु. 500.00 प्र. क्वि.	
45.	प्याज	रु. 125.00 प्र. क्वि.	
46.	आलू	रु. 190.00 प्र. क्वि.	
47.	मूंगफली सिकी हुई	रु. 500.00 प्र. क्वि.	
48.	पिण्ड खजूर	रु. 800.00 प्र. क्वि.	
49.	खोपरे का तेल	रु. 2200.00 प्र. क्वि	
50.	जनता सोप साबुन नहाने का	रु. 16.00 प्रति दर्जन	

नोट :—1. आटा अच्छी किस्म का छना हुआ बिना चापड़ का दिया जावेगा।

2. डालडा व वनस्पति तेल के टिन वापस लूंगा।

3. खाली टिनों की किमत काटकर भाव दिया है।

4. सप्लाई देते वक्त सील बन्द टिन में दूंगा।

और खाली टिन वापस लूंगा। तेल घासलेट की दर खाली डिब्बे की किमत काट कर ही दी है।

हस्ताक्षर व्यापारी

ह./–

पता : कैलाश चन्द पूनमचन्द

कल्याणपुरा, अजमेर

हस्ताक्षर चौथमल एण्ड सन्स

जिला परिवीक्षा एवम्
समाज कल्याण अधिकारी,
अजमेर

खण्ड घ पोषाहार सामग्री धरोहर राशि 500/– सन् 80-81
मैंने आप के द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्टे पढ़ली व समझ ली हैं मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं मैंने इस खण्ड की अर्नेस्ट मनी 500/– चालान
संख्या दिनांक

द्वारा जमा करा दी हैं मैं अपना टेण्डर नगर परिषद् क्षेत्र में संचालित अजमेर व अजमेर जिले के समस्त पोषाहार केन्द्रों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

क्रम संख्या	नाम वस्तु मय क्वालिटी	दर अंकों में		दर शब्दों में
1.	गुड़ देशी बढ़िया किस्म	रुपये 420.00	प्रति क्वि.	रुपये चार सौ बीस
2.	नमक पिसा हुआ	,, 60.00	,,	रुपये साठ मात्र
3.	लकड़ी फटी हुई धोकड़ा	,, 42.00	,,	रुपये ब्यालीस मात्र
	2. बबूल	,, 38.00	,,	रुपये अडतीस
	3. पंचमेल	,, 34.00	,,	रुपये चौंतीस
4.	अजवाइन	,, 675.00	,,	रुपये छः सौ पिचेहत्तर

नोट :—नमक गुड़, लकड़ी व अजवाइन की विभिन्न पोषाहार केन्द्रों तक पहुंचाने का अतिरिक्त व्यय नहीं लूंगा। सामान पहुंचाने की दर सामान की दरों में सम्मिलित करके दरें अंकित की हैं।

ह०/– व्यापारी
पता वास्ते चौथमल एण्ड सन्स
ह०/–

396

ह./--
जिला परिवीक्षा एवम् समाज
कल्याण अधिकारी अजमेर

खण्ड "घ" पोषाहार सामग्री धरोहर राशि 500/- सत्र 80-81

मैंने आपके द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ लीं व समझ ली हैं, मुझे वे सभी शर्तें स्वीकार हैं। मैंने इस खण्ड की अर्नेस्ट मनी 500/- रु. चालान सं.……………दिनांक द्वारा जमा करा दी है। मैं अपना टेण्डर अजमेर की नगर परिषद् क्षेत्र में सचालित अजमेर व अजमेर जिले के समस्त पोषाहार केन्द्र के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं :—

क्र. सं.	नाम वस्तु मय क्वालिटी	अंकों में दर	शब्दों में
1	2	3	4
1.	गुड़ देशी बढ़िया किस्म	402/-- रुपये	प्र. क्वि. चार सौ दो
2.	नमक पिसा हुआ	50/-- रुपये	प्र. क्वि. पचास रुपये
3.	लकड़ी फटी हुई		
1.	रोकड़ा	41/-- रुपये	प्र. क्वि. इकतालीस रुपये
2.	बबूल	37/-- रुपये	प्र. क्वि. तैंतीस रुपये
3.	पन्चमेल	33/-- रुपये	प्र. क्वि. तैंतीस रुपये
4.	अजवाइन	750/-- रुपये	प्र. क्वि. सात सौ रुपये

नोट :—नमक, गुड़, लकड़ी व अजवाइन को विभिन्न पोषाहार केन्द्रों तक पहुंचाने का अतिरिक्त व्यय नहीं लूंगा। सामान पहुंचाने की दर दरों में ही सम्मिलित कर के ही दरें अंकित की है।

हस्ताक्षर व्यापारी
ह./--
पता : श्री सत्यनारायण, प्रोविजन स्टोर
अजमेर

ह./- जिला परिवीक्षा एवम् समाज
कल्याण अधिकारी, अजमेर

टेण्डर फार्म 5 रुपया कीमतन

खण्ड ख हरी सब्जी धरोहर राशि 200/- सन् 80-81

खण्ड क की संस्थाओं के लिए (अजमेर के लिए) धरोहर राशि 100/-

खण्ड क की संस्थाओं के लिए (अजमेर से बाहर की संस्थाओं के लिए) 100/-

मैंने आपके द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। मुझे ये सभी शर्तें स्वीकार हैं अतः मैं नीचे लिखी खण्ड की वस्तुओं का टेण्डर मय अर्नेस्ट मनी चालान संख्या दिनांक 24-6-80 के अनुसार जो कि रुपया का है मैंने जमा करवाया है के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

टेण्डर/छात्रावास/संस्था, अजमेर के सभी छात्रावास व सभी संस्थाओं के लिए

माह	नाम सब्जी	दर
1	2	3
माह जुलाई से अक्टूबर तक	1. भिण्डी, 2. टिण्डी, 3. तुरई, 4. ग्वार की फली, 5. ककडी, 6. काचर, 7. घीया, 8. हरा टमाटर, 9. लाल टमाटर, 10. बैंगन, 11. मटर, 12. अरबी आदि।	2.20 प्रति किलो
2 माह नवम्बर से फरवरी तक	1. मटर, 2. पालक, 3. मैथी, 4. चंदुलाई, 5. अदरक, 6. गाजर, 7. शलजम, 8. गोभी, 9. हरा धनिया, 10. करम-कल्ला, 11. बेगन, 12. कासी-फल, 13. मोगरी, 13. हरा टमाटर, 15. बथुआ, 16. मूली, 17. अरबी आदि।	1.90 प्रति किलो

1	2	3
माह मार्च से जून तक	1. तरककड़ी, 2. बैंगन, 3. हरा धनिया, 4. हरा टमाटर, 5. घीया, 6. पालक, 7. लिसोड़ा, 8. कैरी, 9. करेला 10. भिण्डी, 11. लाल टमाटर, 12. अरबी आदि।	2.40 प्रति किलो

ह./– व्यापारी

ह./–

पता : राधेश्याम, रमेशचन्द्र, अजमेर

दिनांक 24-6-80

ह./– जिला परिवीक्षा एवम्
समाज कल्याण अधिकारी, अजमेर

टेण्डर फार्म 5/-- रुपये कीमत

खण्ड (ख) हरी सब्जी धरोहर राशि 200/– सन् 80-81
खण्ड (क) की संस्थाओं के लिए (अजमेर के लिए) धरोहर राशि 100/–
खण्ड (क) की संस्थाओं के लिए (अजमेर से बाहर की संस्थाओं के लिए) 100/–

मैंने आपके द्वारा प्रकाशित टेण्डर की सभी शर्तें पढ़ ली हैं और समझ ली हैं। मुझे यह सभी शर्तें स्वीकार हैं अतः मैं नीचे लिखे खण्ड की वस्तुओं का टेण्डर मय अर्नेस्ट मनी चालान संख्या दिनांक 24-6-80 के अनुसार जो कि रुपया का है मैंने जमा कराया है के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

टेण्डर/छात्रावास/संस्था, अजमेर की बाहर की सभी संस्थाओं व समस्त से अजमेर की बाहर से संस्थाओं के लिए

माह	नाम सब्जी	दर
1	2	3
माह जुलाई से अक्टूबर तक	1. भिण्डी, 2. टिण्डी, 3. तुरई 4. ग्वार की फली, 5. ककड़ी, 6. काचस, 7. घीया, 8. हरा टमाटर, 9. लाल टमाटर, 10. बैंगन, 11. मटर, 12. अरबी आदि।	2.00 प्रति किलो
2 माह नवम्बर से फरवरी तक	1. मटर, 2. पालक, 3. मेथी, 4. चंदलाई, 5. अदरक, 6. गाजर, 7. शलजम, 8. गोभी 9. हरा धनिया, 10. करम-कल्ला, 11. बैंगन, 12. कासी-फल, 13. मोगरी, 14. हरा टमाटर, 15. बथुआ, 16. मूली, 17. अरबी आदि।	1.95 प्रति किलो

400

1	2	3
माह मार्च से जून तक	1. तरककड़ी, 2. बैंगन, 3. हरा धनिया, 4. हरा टमाटर, 5. घीया, 6. पालक, 7. लिसोडा, 8. कैरी, 9. करेला, 10. भिण्डी, 11. लाल टमाटर, 12. अरबी आदि ।	1.95 प्रति किलो

ह./-- व्यापारी

ह. /–

पता : रमेश ट्रेडिंग कम्पनी कल्याणीपुर ।

अजमेर

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 223 की सूची

जन जाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में खोले गये नवीन राजकीय छात्रावास की सूची

1. साबला जिला डूंगरपुर
2. कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
3. कोटड़ा जिला उदयपुर
4. सालमगढ़ जिला चित्तौडगढ़

402

जन जाति योजनान्तर्गत चल रहे छात्रावासों में छात्रावृद्धि के
विभागीय प्रस्तावों की सूची

क्रमांक	स्थान	जिला	प्रस्तावकर्ता
1.	प्रतापगढ़ (कन्या छात्रावास हेतु)	चित्तौड़गढ़	जिला समाज कल्याण अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2.	उदयपुर	उदयपुर	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उदयपुर

———

जन जाति योजनान्तर्गत नवीन छात्रावास खोलने हेतु विभागीय प्रस्ताव

क्रमांक	स्थान	जिला	प्रस्तावकर्ता
1.	घाटोल (कन्या छात्रावास हेतु)	बांसवाड़ा	जिला समाज कल्याण अधिकारी, बांसवाड़ा

इसके अतिरिक्त जन जाति क्षेत्रीय विकास मद से निम्न तृतीय श्रेणी छात्रावास इस वर्ष में और खोले गये हैं :—

क्रमांक	स्थान	जिला
1.	मामड़ी अहाडा	डूंगरपुर
2.	ढाकरडा	,,
3.	निहुआपाल	,,
4.	सस्तीपाल	,,
5.	फलसा	बांसवाड़ा
6.	जगपुरा	,,
7.	छोटीसरवा	,,
8.	भीमपुरा	,,
9.	सोराली	उदयपुर
10.	ओड	,,
11.	वास	,,
12.	सरेडा	,,
13.	पाटोसा	,,
14.	डेमा	,,
15.	आडावली	,,

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 234 की सूची)

सीकर जिले में 1 अप्रैल, 1980 से अब तक स्वीकृत अपाहिज पेन्शन की सूची

क्रमांक	नाम पेन्शनर	रकम जो स्वीकृत हुई
1.	बोदराम पुत्र हनुमान दरोगा पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़	40.00
2.	रुक्मणदेवी पत्नी बालूराम बलाई तहसील लक्ष्मणगढ़	40.00
3.	खुमाणसिंह पुत्र मालसिंह ग्राम खाखोल तहसील सीकर	40.00
4.	गिरवरसिंह पुत्र धोकलसिंह भगतपुरा तहसील दातांरामगढ़	40.00
5.	मांगु पुत्र सूरजा बलाई कोछोर तहसील ,,	40.00
6.	केशरी पत्नि चुनाराम लोसल तहसील ,,	40.00
7.	मुजाफअली पुत्र बाबू वीसायतीलोसल तहसील ,,	40.00
8.	रेवतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह लोसल तहसील - ,,	40.00
9.	सुआराम पुत्र उदाराम रेगर लोसल तहसील ,,	40.00
10.	किशनलाल पुत्र जवाहर जाट हरीपुरा लोसल ,,	40.00
11.	बुद्धाराज पुत्र मदनलाल भंगी खण्डेला तहसील श्री माधोपुर	40.00
12.	मसरलाल पुत्र महादेव प्रसाद ,, ,,	40.00
13.	रिछपाल पुत्र देवाराम पलासरा तहसील सीकर	40.00
14.	मल्लीनाथ पुत्र नन्दलाल फागसया तहसील सीकर	40.00
15.	जबरीमल पुत्र रामकुमार ,, ,,	40.00